

chèc 31USÇ21

अप्रैल, 2020

(संग्रह)

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोनः 8750187501

ई-मेलः online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संदे	संवैधानिक ⁄प्रशासनिक घटनाक्रम			
>	मज़दूरों पर केमिकल का छिड़काव	11		
>	सार्वजनिक स्वास्थ्य बनाम निजी जानकारी	12		
>	COVID-19 के विषय में स्वतंत्र चर्चा का अधिकार	13		
>	कोरोनावायरस पर समन्वित शोध के लिये सिमिति का गठन	14		
>	COVID-19 एवं ऑर्फन ड्रग अधिनियम	15		
>	कराधान और अन्य कानून (विभिन्न प्रावधानों में राहत) अध्यादेश, 2020	16		
>	COVID-19 की तीन अर्द्ध उप-प्रजातियाँ	17		
>	COVID-19 के कारण वैश्विक खाद्य संकट की स्थिति	18		
>	$J\& ext{K}$ के अधिवास नियम	19		
>	COVID-19 का विद्युत उत्पादन पर प्रभाव	20		
>	कोरोनावायरस महामारी और मृत्यु दर	21		
>	COVID-19 का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव	22		
>	पीएम केयर्स के तहत विदेशी सहयोग को स्वीकृति	23		
>	दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम	24		
>	लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर राज्यों द्वारा दंडात्मक कार्रवाई	25		
>	आरोग्य सेतु एप	26		
>	COVID-19 दवा निर्माण हेतु पर्यावरण प्रभाव आकलन से राहत	27		
>	आयुष्मान भारत के तहत COVID-19 का मुफ्त परीक्षण और उपचार	28		
>	इजराइली तकनीकी कंपनी एनएसओ (NSO) ग्रुप द्वारा कोरोना ट्रैकर का परीक्षण	30		
>	सद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना स्थिगत	30		
>	कोरोनावायरस रोकथाम- साबुन और सैनिटाइजर	32		
>	न्यायालय की सुनवाई में भाग लेने पर प्रतिबंध	33		
>	हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के निर्यात पर प्रतिबंध समाप्त	34		
>	जम्मू-कश्मीर अधिवास संशोधन	36		
>	निजी प्रयोगशालाओं में COVID-19 परीक्षण	37		
>	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन	38		
>	केरल में लॉकडाउन से चरणबद्ध तरीके से राहत	39		

े अम्मू कश्मीर में दरबार मृव COVID-19 से राशन बितरण में बाधा सेट-टॉप बॉक्स को इंटरऑपरेबिलिटी COVID-19 और टॉककरण अमियान COVID-19 और टॉककरण अमियान COVID-19 से संक्रांगित कैदियों की रिहाई पर रोक COVID-19 से संक्रांगित कैदियों की रिहाई पर रोक COVID-19 के तान्येगण में 'ताइवान मॉय्क सुमिका लॉकहाउन के तहत प्रतिकंधों में खुट पर रोक COVID-19 के कारण कैदियों की रिहाई अंग्रंग्र परेश राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने पर विवाद विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले गैर-लाभकारी संस्थानों पर सख्ती मानवाधिकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग STIP परिसर से संवालित IT कंपनियों को किराये पर खुट COVID-19 और जल संकट ब्लाह बँक भंडार में कमी प्रवाद्यी मानदाधिक लाभाधियों के असफलता आरक्षण का लाभ वास्तविक लाभाधियों को गर्हों COVID-19 के दौरान आदिवासी समुदाय की सहायता हेतु TRIFED की महल महामारी रोग (संलोधन) अध्यदेश, 2020 केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कटीती खुदाई बिदसलगार आंटोलन 68 COVID-19 मंकट इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़: PM मोदी हिजटल कर और टेक कंपनियाँ मारेशा के तहत काम की मांग में बढ़ोतरी COVID-19 के कारण गैर निम्मादिव परिसंपत्तियों में बुद्धि वेशिकक अर्थव्यवस्था पर कोरोगावायरस का प्रभाव ई-गाम पोटेल में संलोधन असिय अंबाद की का प्रभाव का प्रभाव संतीयक राष्ट्रीय राजमार्ग का निमाण फसल कटाई का मौसम और COVID-19 का प्रभाव स्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग का तिर्माण फसल कटाई का मौसम और COVID-19 लॉकडाउन सारे दियीं ककांड सेंटर तथा COVID-19 लॉकडाउन सारे दियीं ककांड सेंटर तथा COVID-19 लॉकडाउन सारे दियीं ककांड सेंटर तथा COVID-19 लॉकडाउन सारे स्वाधिक कांड सेंटर तथा COVID-19 लॉकडाउन सारे सिरीच ककांड सेंटर तथा COVID-19 लॉकडाउन सारे सिरीच ककांड सेंटर तथा टिपरी। 19			
े COVID-19 से प्रका वितरण में बापा े सेट. टॉप बॉक्स की इंटरऑपरेबिलिटी COVID-19 और टॉककरण अभियान COVID-19 से संक्रमित कैंदियों की रिहाई पर रोक COVID-19 में संक्रमित कैंदियों की रिहाई पर रोक COVID-19 के निवरण में 'ताइवान मॉडल' की भूमिका लॉकडाउन के तहत प्रतिकंगों में हुए पर रोक COVID-19 के कारण कैरियों की रिहाई COVID-19 के कारण कैरियों की रिहाई आंग्र प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक को इटाने पर विवाद विदेशी अंगदान प्राप्त करने वाले गैर-लाभकारी संस्थानों पर सख्ती मानवाधिकार और राष्ट्रीय धानवाधिकार आयोग STPI परिसर से संचालित IT कंपनियों को किराये पर छूट COVID-19 और जल संकट ब्लाड कैंक भंडार में कमी प्रवासी मक्ट्री के उत्थान में सरकारी योजनाओं की असफलता आरक्षण का लाभ चारतिवक लाभार्थियों को नहीं COVID-19 के रौरान आदिवासी समुदाय की सहायता हेतु TRIFED को पहल महामारी रोग (संशोध-प) अध्यदेश, 2020 केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भने में कटौती खुदाई खिदमतगार आंटोलन COVID-19 में कट इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़: PM मोदी दिवित्यत कर और टेक कंपनियों मनरेगा के तहत काम की मांग में बढ़ोतरी COVID-19 के कारण गैर नियाविद्य परिसंपितयों में बृद्धि कैंक्शिक अर्थव्यवस्था पर कोरोनावावस्स का प्रभाव ई-नाम पोटेल में संशोधन केंदिना धोवाबड़ी की निगरानी हेतु बिशेष विंग भारतीय सेवा क्षेत्र पर COVID-19 का प्रभाव सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग की रСOVID-19 लॉकडाउन स्मार्ट सिरटोज कमांड सेंटर तथा COVID-19	>	COVID- 19 फंड के तहत राज्यों को 15,000 करोड़ रुपए	41
े सेट-टॉप बॉक्स को इंटरऑपरोबॉलटी COVID-19 और टीकाकरण अभियान COVID-19 से संक्रमित कैदिबों की रिहाई पर रोक COVID-19 के तियंत्रण में 'ताइवान मॉडल' की भूमिका लॉकडाडन के तहत प्रतिकंधों में छूट पर रोक COVID-19 के त्रियंत्रण में 'ताइवान मॉडल' की भूमिका लॉकडाडन के तहत प्रतिकंधों में छूट पर रोक COVID-19 के कारण कैदियों की रिहाई आंध्र प्रदेश राज्य निर्वाचन आवृत्त को हटाने पर विवाद विदेशों अंतरात प्राप्त करने वाल गैर-लाभकारी संस्थानों पर सख्ती मानवाधिकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग STPI परिस्स से संचालित IT कंपनियों को किराये पर छूट COVID-19 और जल संकट बलड कैंक भंडार में कमी प्रवासी मत्रहुरों के उत्थान में सरकारी योजनाओं की असफलता आस्थण का लाभ वास्तविक लाभाधियों को नहीं COVID-19 के दौरान आदिवासी समुदाय की सहायता हेतु TRIFED की पहल महामारी रोग (संहोधिकन) अध्यादेश, 2020 केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कटोती खुदाई खिदमतगार आंटोलन Mार्थिक घटनाक्रम COVID-19 संकट इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़: PM मोदी मिरोपा के तहत काम की मांग में बहोतरी COVID-19 के कारण गैर निच्चादित परिसंपत्तियों में बृद्धि वैक्तिक अध्यव्यवस्था पर कोरोनावायरस का प्रभाव ई-नाम पोटल में संशोधन भारतीय सेवा केत्र पर COVID-19 का प्रभाव सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग का तिमांण फसल कटाई का मौस्म और COVID-19 लॉकडाडन स्मार्ट सिटोज कमांड सेंटर तथा COVID-19	>	जम्मू-कश्मीर में दरबार मूव	42
COVID-19 और टीकाकरण अभियान 44 COVID-19 से संक्रमित कैदियों की स्विहं पर रोक 46 COVID-19 के नियंत्रण में 'ताइबान मॉडल' की भूमिका 47 लॉकडाउन के तहत प्रतिवर्धों में खूट पर रोक 48 COVID-19 के कारण कैदियों की स्विहं 50 अग्नेप्र प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने पर विवाद 51 वंदरेशी अंशाटन प्राप्त करने बाले पैर-लाभकारी संस्थानों पर सखती 52 मानवाधिकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 54 STPI परिसर से संज्ञालित IT कंपनियों को किराये पर छूट 56 COVID-19 और जल संकट 56 उत्तर बँक भंडार में कमी 38 प्रवासी मजदूरों के उत्पान में सरकारी योजनाओं की असफलता 58 अारक्षण का लाभ चास्तविक लाभार्थियों को नहीं 61 COVID-19 के तौरान आदिवासी समुदाय की सहायता हेतु TRIFED की पहल 62 महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 64 केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भने में कटौती 65 खुराई खिदमतमार आदेशिक 66 आर्थिक घटनाक्रम 68 COVID- 19 संकट इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़: PM मोदी 68 टिजिटल कर और टेक कंगनियाँ 70 मनेरा के तहत कम को मोग में बढ़ोतरी 70 COVID- 19 संकट इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मोह़: PM मोदी	>	COVID-19 से राशन वितरण में बाधा	43
► COVID-19 से संक्रामत कैदियों की रिहाई पर रोक 46 ► COVID-19 के नियंत्रण में 'ताइबान मॉडल' की धूमिका 47 ► covid-19 के कारण कैदियों की रिहाई 50 ► devil अंशादन प्राप्त करने बाले गैर-लाभकारी संस्थानों पर सख्ती 51 ► विदेशी अंशादन प्राप्त करने बाले गैर-लाभकारी संस्थानों पर सख्ती 52 ► मानवाधिकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 54 ► STPI परिसर से संचालित IT करानये मं सरकारी गोजनाओं को कराये पर छूट 55 ► COVID-19 और जल संकट 56 ० व्यवसी मजदूरों के उत्थान में सरकारी योजनाओं की असफलता 58 ▶ प्रवासी मजदूरों के उत्थान में सरकारी योजनाओं की असफलता 60 ▶ आवश्यक का लाभ जारतिवक्त लाभाधियों को नहीं 60 ► COVID-19 के दौरान आदिवासी समुदाय की सहायता हेतु TRIFED की पहल 62 ▶ महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 64 ▶ कंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भते में कटौती 65 ० व्यवदे खिदसकाम आदिवासी समुदाय की सहायता हेतु TRIFED की पहल 68 ➤ पहामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 64 ➤ कंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भते में कटौती 65 ० व्यवदे खिदसकाम 68 ➤ COVID-19 संकट इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़: PM मोवी 68 ➤ प्रतेश दिवस कर और टेक कंपियाँ 70 ➤ प्रतेश द	>	सेट-टॉप बॉक्स की इंटरऑपरेबिलिटी	43
➤ COVID-19 के तित्यंत्रण में 'ताइवान मॉडल' की भूमिका 44 ➤ crificasis के तहत प्रतिवंशों में खूट पर रोक 48 ➤ COVID-19 के कारण कैदियों की रिहाई 50 अंध प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने पर विवाद 51 ► विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले गैर-लाभकारी संस्थानों पर सखती 52 ➤ मानवाधिकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 54 ➤ STPI परिस्तर से संजालित IT कंपनियों को किराये पर छूट 55 ➤ COVID-19 और जल संकट 56 ➤ ब्लड कें के डार में कमी 58 ➤ प्रवासी मजदूरों के उत्थान में सरकारी योजनाओं की असफलता 60 ➤ आरक्षण का लाभ वास्तविक लाभवाधियों को नहीं 61 ➤ COVID-19 के तौरान आदिवासी समुदाय को सहायता हेतु TRIFED की पहल 62 ➤ महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 64 ➤ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भने में कटौती 65 ➤ खुताई खिदमतगार आंदोलन 66 आर्थिक घटनाक्रम 68 ➤ COVID-19 संकट इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़: PM मोदी 68 ► डिजिटल कर और टेक कंपनियाँ 70 ➤ मारेपा के तहत काम को मांग में बढ़ोतरी 70 ➤ COVID-19 के कारण गैर निष्पादित परिसंपतियों में वृदि 71 ॐ नाम पोर्टल में संशोधन पर कोरोनावादर सका प्राप्त के प्राप्त में महत्त्व में महत्त्व में महत्त्व में म	>	COVID-19 और टीकाकरण अभियान	44
 लॉकडाउन के तहत प्रतिवंशों में खूट पर रोक COVID-19 के कारण कैदियों की रिहार्ड आंध्र प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने पर विवाद विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले गैर-लाभकारी संस्थानों पर सख्ती मानवाधिकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयेग STPI परिसर से संचालित IT कंपनियों को किराये पर छूट COVID-19 और जल संकट व्लड बैंक भंडार में कमी प्रवासी मजदूरों के उत्थान में सरकारी योजनाओं की असफलता आरक्षण का लाभ वास्तविक लाभार्थियों को नहीं COVID-19 के दौरान आदिवासी समुदाय की सहायता हेतु TRIFED की पहल महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भने में कटौती खुदाई खिदमतगार आंदोलन COVID- 19 संकट इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़: PM मोदी डिजिटल कर और टेक कंपनियाँ मनरेगा के तहत काम की मांग में बढ़ोतरी COVID-19 के कारण गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि वैदिवक अर्थव्यवस्था पर कोरोनावायरस का प्रभाव ई-नाम पोर्टल में संशोधन बैंकिंग धोखाधड़ी की निगरानी हेतु विशेष विंग भारतीय सेवा क्षेत्र पर COVID-19 का प्रभाव सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण फसल कटाई का मौराम और COVID-19 लॉकडाउन स्मार्ट सिटीज कमांड सेंटर तथा COVID-19 एउपाठ-19 	>	COVID-19 से संक्रमित कैदियों की रिहाई पर रोक	46
 COVID-19 के कारण कैदियों की रिहाई आंध्र प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने पर विवाद विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले गैर-लाभकारी संस्थानों पर सख्ती मानवाधिकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग STPI परिसर से संचालित IT कंपनियों को किराये पर छूट COVID-19 और जल संकट व्लाड बैंक भंडार में कमी प्रवासी मजदूरों के उत्थान में सरकारी योजनाओं की असफलता आरक्षण का लाभ वास्तविक लाभाधियों को नहीं COVID-19 के दौरान आदिवासी समुदाय की सहायता हेतु TRIFED की पहल महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भन्ने में कटौती खुदाई खिदमतगार आंदोलन COVID- 19 संकट इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़: PM मोदी डिजिटल कर और टेक कंपनियाँ मनरेगा के तहत काम की मांग में बढ़ोतरी COVID-19 के कारण गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोरोनावायरस का प्रभाव ई-नाम पोर्टल में संशोधन वैंकंग धोखाधड़ी की निगरानी हेतु विशेष विंग भारतीय सेवा क्षेत्र पर COVID-19 का प्रभाव सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण फसल कटाई का मौसम और COVID-19 लॉकडाउन स्मार्ट सिटीज कमांड सेंटर तथा COVID-19 लॉकडाउन स्मार्ट सिटीज कमांड सेंटर तथा COVID-19 स्मार्ट सिटीज कमांड सेंटर तथा COVID-19 	>	COVID-19 के नियंत्रण में 'ताइवान मॉडल' की भूमिका	47
> आंध्र प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने पर विवाद > विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले गैर-लाभकारी संस्थानों पर सख्ती > मानवाधिकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग > STPI परिस्त से संचालित IT कंपनियों को किराये पर छूट > COVID-19 और जल संकट ≈ ब्लड बैंक भंडार में कमी > प्रवासी मजदूरों के उत्थान में सरकारी योजनाओं की असफलता > प्रवासी मजदूरों के उत्थान में सरकारी योजनाओं की असफलता > आरक्षण का लाभ वास्तविक लाभार्थियों को नहीं COVID-19 के दौरान आदिवासी समुदाय की सहायता हेतु TRIFED की पहल • महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 • केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भने में कटौती • खुदाई खिदमतगार आंटोलन अर्थिक घटनाक्रम • COVID- 19 संकट इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़: PM मोदी • डिजिटल कर और टेक कंपनियाँ • मारेगा के तहत काम की मांग में बढ़ोतरो • COVID-19 के कारण गैर निर्णादित परिसंपत्तियों में बृद्धि • वौंख्यक अर्थव्यवस्था पर कोरोनावायरस का प्रभाव • ईं-नाम पोर्टल में संशोधन • बौंकंग धोखाधड़ी की निगरानी हेतु विशेष विंग • मारतीय सेवा केत्र पर COVID-19 का प्रभाव • सर्वाधिक सर्द्रीय राजमार्ग का निर्माण • प्रस्त कराई का मौसम और COVID-19 लॉकडाउन	>	लॉकडाउन के तहत प्रतिबंधों में छूट पर रोक	48
विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले गैर-लाभकारी संस्थानों पर सख्ती 52 11 11 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15	>	COVID-19 के कारण कैदियों की रिहाई	50
 मानविधिकार और राष्ट्रीय मानविधिकार आयोग STPI परिसर से संचालित IT कंपनियों को किराये पर छूट COVID-19 और जल संकट ब्लड बँक भंडार में कमी प्रवासी मजदूरों के उत्थान में सरकारी योजनाओं की असफलता आरक्षण का लाभ वास्तविक लाभार्थियों को नहीं COVID-19 के दौरान आदिवासी समुदाय की सहायता हेतु TRIFED की पहल महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कटौती खुदाई खिदमतगार आंदोलन (68) COVID- 19 संकट इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़: PM मोदी इजिटल कर और टेक कंपनियाँ मनरेगा के तहत काम की मांग में बढ़ोतरी COVID-19 के कारण गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोरोनावाबरस का प्रभाव ई-नाम पोर्टल में संशोधन बैंकिंग धोखाधड़ी की निगरानी हेतु विशेष विंग भारतीय सेवा क्षेत्र पर COVID-19 का प्रभाव सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण फसल कटाई का मौसम और COVID-19 लॉकडाउन स्मार्ट सिटीज कमांड सेंटर तथा COVID-19 	>	आंध्र प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने पर विवाद	51
> STPI परिसर से संचालित IT कंपनियों को किराये पर छूट 55 > COVID-19 और जल संकट 56 > ब्लड बैंक भंडार में कमी 58 > प्रवासी मजदूरों के उत्थान में सरकारी योजनाओं की असफलता 60 > आरक्षण का लाभ वास्तविक लाभार्थियों को नहीं 61 COVID-19 के दौरान आदिवासी समुदाय की सहायता हेतु TRIFED की पहल 62 > महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 64 > कंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भने में कटौती 65 > खुदाई खिदमतगार आंदोलन 66 आर्थिक घटनाक्रम 68 > COVID- 19 संकट इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़: PM मोदी 68 > डिजिटल कर और टेक कंपनियाँ 70 > मनरेगा के तहत काम की मांग में बढ़ोतरी 70 > COVID-19 के कारण गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि 71 > वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोरोनावायरस का प्रभाव 73 > चंगिय से संशोधन 74 > वैंकिंग पोखाधड़ी की निगरानी हेतु विशेष विंग 75 > भारतीय सेवा क्षेत्र पर COVID-19 का प्रभाव 76 > फसल कटाई का मौसम और COVID-19 लॉकडाउन 78 > स्मार्ट सिटीज कमांड सेंटर तथा COVID-19 79	>	विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले गैर-लाभकारी संस्थानों पर सख्ती	52
➤ COVID-19 और जल संकट 56 ➤ ब्लाड बैंक भंडार में कमी 58 ➤ प्रवासी मजदूरों के उत्थान में सरकारी योजनाओं की असफलता 60 ➤ आरक्षण का लाभ वास्तविक लाभाधियों को नहीं 61 ➤ COVID-19 के दौरान आदिवासी समुदाय की सहायता हेतु TRIFED की पहल 62 ➤ महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 64 ➤ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भने में कटौती 65 ➤ खुदाई खिदमतगार आंदोलन 66 आर्थिक घटनाक्रम 68 ➤ COVID- 19 संकट इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़: PM मोदी 68 ➤ खिजटल कर और टेक कंपनियाँ 69 ➤ मनरेगा के तहत काम की मांग में बढ़ोतरी 70 ➤ COVID-19 के कारण गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि 71 ➤ टिण्पाठ-19 के कारण गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि 71 ➤ वैंकिंग घोखाधद्दी की निगरानी हेतु विशेष विंग 75 ➤ भारतीय सेवा क्षेत्र पर COVID-19 का प्रभाव 76 ➤ प्रसार्ट सिटीज कमांड सेंटर तथा COVID-19 लॉकडाउन 78 ➤ स्मार्ट सिटीज कमांड सेंटर तथा COVID-19 79	>	मानवाधिकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	54
 व्लाड बैंक भंडार में कमी प्रवासी मजदूरों के उत्थान में सरकारी योजनाओं की असफलता आरक्षण का लाभ वास्तविक लाभार्थियों को नहीं COVID-19 के दौरान आदिवासी समुदाय की सहायता हेतु TRIFED की पहल महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कटौती खुदाई खिदमतगार आंदोलन (66) आर्थिक घटनाक्रम COVID- 19 संकट इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ः PM मोदी इडिजटल कर और टेक कंपनियाँ मनरेगा के तहत काम की मांग में बढ़ोतरी COVID-19 के कारण गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोरोनावायरस का प्रभाव ई-नाम पोर्टल में संशोधन बैंकिंग धोखाधड़ी की निगरानी हेतु विशेष विंग भारतीय सेवा क्षेत्र पर COVID-19 का प्रभाव सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण फसल कटाई का मौसम और COVID-19 लॉकडाउन स्मार्ट सिटीज कमांड सेंटर तथा COVID-19 	>	STPI परिसर से संचालित IT कंपनियों को किराये पर छूट	55
 प्रवासी मजदूरों के उत्थान में सरकारी योजनाओं की असफलता आरक्षण का लाभ वास्तविक लाभार्थियों को नहीं COVID-19 के दौरान आदिवासी समुदाय की सहायता हेतु TRIFED की पहल महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कटौती खुदाई खिदमतगार आंदोलन Miर्थिक घटनाक्रम COVID- 19 संकट इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़: PM मोदी इिजटल कर और टेक कंपनियाँ मनरेगा के तहत काम की मांग में बढ़ोतरी COVID-19 के कारण गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोरोनावायरस का प्रभाव ई-नाम पोर्टल में संशोधन बैंकिंग धोखाधड़ी की निगरानी हेतु विशेष विंग भारतीय सेवा क्षेत्र पर COVID-19 का प्रभाव सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण फसल कटाई का मौसम और COVID-19 लॉकडाउन स्मार्ट सिटीज कमांड सेंटर तथा COVID-19 	>	COVID-19 और जल संकट	56
 अग्ररक्षण का लाभ वास्तविक लाभार्थियों को नहीं COVID-19 के दौरान आदिवासी समुदाय की सहायता हेतु TRIFED की पहल महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भने में कटौती खुदाई खिदमतगार आंदोलन अार्थिक घटनाक्रम COVID- 19 संकट इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़: PM मोदी डिजिटल कर और टेक कंपनियाँ मनरेगा के तहत काम की मांग में बढ़ोतरी COVID-19 के कारण गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोरोनावायरस का प्रभाव ई-नाम पोर्टल में संशोधन बैंकिंग धोखाधड़ी की निगरानी हेतु विशेष विंग भारतीय सेवा क्षेत्र पर COVID-19 का प्रभाव सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण फसल कटाई का मौसम और COVID-19 लॉकडाउन स्मार्ट सिटीज कमांड सेंटर तथा COVID-19 	>	ब्लड बैंक भंडार में कमी	58
 ➤ COVID-19 के दौरान आदिवासी समुदाय की सहायता हेतु TRIFED की पहल ➤ महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 ➤ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कटौती ➤ खुदाई खिदमतगार आंदोलन ★ COVID- 19 संकट इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़: PM मोदी ➤ डिजिटल कर और टेक कंपनियाँ ➤ मनरेगा के तहत काम की मांग में बढ़ोतरी ➤ COVID-19 के कारण गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि ➤ वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोरोनावायरस का प्रभाव ➤ ई-नाम पोर्टल में संशोधन ➤ भारतीय सेवा क्षेत्र पर COVID-19 का प्रभाव ➤ सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग का तिर्माण ➤ फसल कटाई का मौसम और COVID-19 लॉकडाउन ➤ स्मार्ट सिटीज कमांड सेंटर तथा COVID-19 	>	प्रवासी मज़दूरों के उत्थान में सरकारी योजनाओं की असफलता	60
 ▶ महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 ▶ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कटौती ▶ खुदाई खिदमतगार आंदोलन 68 अार्थिक घटनाक्रम ▶ COVID- 19 संकट इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़: PM मोदी ▶ डिजिटल कर और टेक कंपनियाँ ▶ मनरेगा के तहत काम की मांग में बढ़ोतरी ▶ COVID-19 के कारण गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि ▶ वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोरोनावायरस का प्रभाव ▶ ई-नाम पोर्टल में संशोधन ▶ बैंकिंग धोखाधड़ी की निगरानी हेतु विशेष विंग ▶ भारतीय सेवा क्षेत्र पर COVID-19 का प्रभाव ▶ सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण ▶ प्रसल कटाई का मौसम और COVID-19 लॉकडाउन ▶ स्मार्ट सिटीज कमांड सेंटर तथा COVID-19 	>	आरक्षण का लाभ वास्तविक लाभार्थियों को नहीं	61
 े केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कटौती े खुदाई खिदमतगार आंदोलन 68 अार्थिक घटनाक्रम ८००००००००००००००००००००००००००००००००००००	>	COVID-19 के दौरान आदिवासी समुदाय की सहायता हेतु TRIFED की पहल	62
▶ खुदाई खिदमतगार आंदोलन 66 आर्थिक घटनाक्रम 68 ▶ COVID- 19 संकट इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़: PM मोदी 68 ▶ डिजिटल कर और टेक कंपिनयाँ 69 ▶ मनरेगा के तहत काम की मांग में बढ़ोतरी 70 ▶ COVID-19 के कारण गैर निष्पादित पिरसंपित्तयों में वृद्धि 71 ▶ वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोरोनावायरस का प्रभाव 73 ▶ ई-नाम पोर्टल में संशोधन 74 ▶ बैंकिंग धोखाधड़ी की निगरानी हेतु विशेष विंग 75 ▶ भारतीय सेवा क्षेत्र पर COVID-19 का प्रभाव 76 ▶ सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण 77 ▶ फसल कटाई का मौसम और COVID-19 लॉकडाउन 78 ▶ स्मार्ट सिटीज कमांड सेंटर तथा COVID-19 79	>	महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020	64
आर्थिक घटनाक्रम COVID- 19 संकट इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़: PM मोदी डिजिटल कर और टेक कंपनियाँ 68 मनरेगा के तहत काम की मांग में बढ़ोतरी 70 COVID-19 के कारण गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि 71 वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोरोनावायरस का प्रभाव 73 ई-नाम पोर्टल में संशोधन 74 बैंकिंग धोखाधड़ी की निगरानी हेतु विशेष विंग 75 भारतीय सेवा क्षेत्र पर COVID-19 का प्रभाव 76 भस्ति कराष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण 77 फसल कटाई का मौसम और COVID-19 लॉकडाउन 78 स्मार्ट सिटीज कमांड सेंटर तथा COVID- 19 79	>	केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कटौती	65
 COVID- 19 संकट इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़: PM मोदी विजिटल कर और टेक कंपनियाँ मनरेगा के तहत काम की मांग में बढ़ोतरी COVID-19 के कारण गैर निष्पादित परिसंपितयों में वृद्धि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोरोनावायरस का प्रभाव ई-नाम पोर्टल में संशोधन बैंकिंग धोखाधड़ी की निगरानी हेतु विशेष विंग भारतीय सेवा क्षेत्र पर COVID-19 का प्रभाव सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण फसल कटाई का मौसम और COVID-19 लॉकडाउन स्मार्ट सिटीज कमांड सेंटर तथा COVID- 19 	>	खुदाई खिदमतगार आंदोलन	66
 COVID- 19 संकट इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़: PM मोदी विजिटल कर और टेक कंपनियाँ मनरेगा के तहत काम की मांग में बढ़ोतरी COVID-19 के कारण गैर निष्पादित परिसंपितयों में वृद्धि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोरोनावायरस का प्रभाव ई-नाम पोर्टल में संशोधन बैंकिंग धोखाधड़ी की निगरानी हेतु विशेष विंग भारतीय सेवा क्षेत्र पर COVID-19 का प्रभाव सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण फसल कटाई का मौसम और COVID-19 लॉकडाउन स्मार्ट सिटीज कमांड सेंटर तथा COVID- 19 			
े डिजिटल कर और टेक कंपनियाँ 69 े मनरेगा के तहत काम की मांग में बढ़ोतरी 70 े COVID-19 के कारण गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि 71 े वैश्वक अर्थव्यवस्था पर कोरोनावायरस का प्रभाव 73 े ई-नाम पोर्टल में संशोधन 74 े बैंकिंग धोखाधड़ी की निगरानी हेतु विशेष विंग 75 > भारतीय सेवा क्षेत्र पर COVID-19 का प्रभाव 76 > सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण 77 > फसल कटाई का मौसम और COVID-19 लॉकडाउन 78 > स्मार्ट सिटीज कमांड सेंटर तथा COVID-19 79	आ	थिक घटनाक्रम	68
> मनरेगा के तहत काम की मांग में बढ़ोतरी 70 > COVID-19 के कारण गैर निष्पादित परिसंपित्तयों में वृद्धि 71 > वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोरोनावायरस का प्रभाव 73 > ई-नाम पोर्टल में संशोधन 74 > बैंकिंग धोखाधड़ी की निगरानी हेतु विशेष विंग 75 > भारतीय सेवा क्षेत्र पर COVID-19 का प्रभाव 76 > सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण 77 > फसल कटाई का मौसम और COVID-19 लॉकडाउन 78 > स्मार्ट सिटीज कमांड सेंटर तथा COVID- 19 79	>	COVID- 19 संकट इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़: PM मोदी	68
> COVID-19 के कारण गैर निष्पादित परिसंपित्तयों में वृद्धि 71 > वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोरोनावायरस का प्रभाव 73 > ई-नाम पोर्टल में संशोधन 74 > वैंकिंग धोखाधड़ी की निगरानी हेतु विशेष विंग 75 > भारतीय सेवा क्षेत्र पर COVID-19 का प्रभाव 76 > सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण 77 > फसल कटाई का मौसम और COVID-19 लॉकडाउन 78 > स्मार्ट सिटीज कमांड सेंटर तथा COVID- 19 79	>	डिजिटल कर और टेक कंपनियाँ	69
े वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोरोनावायरस का प्रभाव 73 \$ ई-नाम पोर्टल में संशोधन 74 े बैंकिंग धोखाधड़ी की निगरानी हेतु विशेष विंग 75 > भारतीय सेवा क्षेत्र पर COVID-19 का प्रभाव 76 > सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण 77 > फसल कटाई का मौसम और COVID-19 लॉकडाउन 78 > स्मार्ट सिटीज कमांड सेंटर तथा COVID- 19 79	>	मनरेगा के तहत काम की मांग में बढ़ोतरी	70
> ई-नाम पोर्टल में संशोधन 74 > बैंकिंग धोखाधड़ी की निगरानी हेतु विशेष विंग 75 > भारतीय सेवा क्षेत्र पर COVID-19 का प्रभाव 76 > सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण 77 > फसल कटाई का मौसम और COVID-19 लॉकडाउन 78 > स्मार्ट सिटीज कमांड सेंटर तथा COVID- 19 79	>	COVID-19 के कारण गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि	71
े बैंकिंग धोखाधड़ी की निगरानी हेतु विशेष विंग 75 भारतीय सेवा क्षेत्र पर COVID-19 का प्रभाव 76 सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण 77 फसल कटाई का मौसम और COVID-19 लॉकडाउन 78 स्मार्ट सिटीज कमांड सेंटर तथा COVID- 19 79	>		73
 भारतीय सेवा क्षेत्र पर COVID-19 का प्रभाव सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण फसल कटाई का मौसम और COVID-19 लॉकडाउन स्मार्ट सिटीज कमांड सेंटर तथा COVID- 19 		ई-नाम पोर्टल में संशोधन	74
 सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण फसल कटाई का मौसम और COVID-19 लॉकडाउन स्मार्ट सिटीज कमांड सेंटर तथा COVID- 19 	>	बैंकिंग धोखाधड़ी की निगरानी हेतु विशेष विंग	75
▶ फसल कटाई का मौसम और COVID-19 लॉकडाउन 78 ▶ स्मार्ट सिटीज कमांड सेंटर तथा COVID- 19 79	>	भारतीय सेवा क्षेत्र पर COVID-19 का प्रभाव	76
> स्मार्ट सिटीज कमांड सेंटर तथा COVID- 19	>		77
	>		78
सरकारी विभाग के खर्चों में कटौती	>		79
	>	सरकारी विभाग के खर्चों में कटौती	80

>	लॉकडाउन के पश्चात् बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी	81
>	COVID-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट	82
>	आगामी वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति में कमी: RBI	83
>	औद्योगिक उत्पादन में 4.5% की वृद्धि	85
>	बाजार हस्तक्षेप योजना	86
>	अर्थव्यवस्था के लिये राहत पैकेज की मांग	87
>	लॉकडाउन के दौरान वैकल्पिक बाजार	88
>	गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों में तरलता की कमी का संकट	89
>	आर्थिक सुधारों के बाद से सबसे धीमी वृद्धि दर: विश्व बैंक	90
>	भारत-अमेरिका डॉलर विनिमय समझौते पर बातचीत	92
>	FMCG कंपनियों की क्षमताओं का आधे से भी कम उपयोग	93
>	FPIs लाभांश पर उच्च प्रतिधारण/विथहोल्डिंग कर	94
>	COVID-19 के कारण मनरेगा के तहत रोजगार में गिरावट	95
>	लॉकडाउन के दौरान किसानों के लिये उपाय	97
>	25 गरीब देशों का ऋण भुगतान रद्द	98
>	COVID-19: आर्थिक संकट	99
>	सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2020-21	100
>	खुदरा महँगाई दर में कमी	101
>	निर्यात संबंधी नियमों में परिवर्तन	102
>	COVID- 19 महामारी के कारण रुपए के मूल्य में गिरावट	103
>	वर्ष 2020-21में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य	104
>	भारतीय विनिर्माण क्षेत्र	105
>	COVID- 19 का बैंकों के NPA पर प्रभाव	107
>	राशन वितरण से लगभग 10 करोड़ लोग वंचित	108
>	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार	109
>	डिजिटल लेन-देन में वृद्धि	110
>	निगमित दिवालियापन प्रक्रिया को रोकने हेतु नया अध्यादेश	112
>	चीनी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की जाँच में सख्ती	114
>	तेल की कीमतें शून्य से नीचे के स्तर पर	117
>	COVID-19 के कारण भारत में प्रेषित धन/रेमिटेंस में भारी गिरावट	119
>	गैर-यूरिया उर्वरक सब्सिडी	121
>	कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक	122
>	तेल के मूल्य स्तर में गिरावट तथा चीनी उद्योग	123
>	श्रम संबंधी संसदीय सिमति की रिपोर्ट	124

>	ऑपरेशन ट्विस्ट का पुन: उपयोग	125
>	महामारी का अर्थशास्त्र	126
>	आधार सीडिंग की अविध में छूट	128
अंत	तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम	130
>	इंडोनेशिया के समुद्री क्षेत्र में चीन का हस्तक्षेप	130
>	भारत-चीन कूटनीतिक संबंधों को 70 वर्ष	131
>	ऑपरेशन संजीवनी	134
>	ओपेक-रूस वार्ता स्थगित	135
>	भारत-USA आयात शुल्क विवाद	137
>	ग्लोबल पेटेंट रेस में शीर्ष स्थान पर चीन	138
>	पेट्रोलियम उत्पादन में कटौती	139
>	ADB द्वारा 2.2 बिलियन डॉलर की सहायता	141
>	सार्क COVID- 19 आपातकालीन निधि पर मतभेद	142
>	स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग' रिपोर्ट	143
\triangleright	COVID-19 इंडो-यू.एस. आभासी नेटवर्क	145
>	आसियान देशों का आभासी सम्मेलन	146
>	विश्व स्वास्थ्य संगठन की फंडिंग पर रोक	146
>	ब्रेक्जिट और COVID-19	148
>	अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय सिमिति की बैठक	150
>	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में सख्ती	151
	COVID-19 पर UN का संकल्प	152
	भारत के लिये हिंद महासागर आयोग का महत्त्व	153
>	अमेरिकी H-1B वीजा नियमों में सख्ती	155
वि	ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	157
>	दूरसंचार नेटवर्क क्षमता में वृद्धि की आवश्यकता	157
>	इलेक्ट्रोनिक्स विनिर्माण हेतु योजनाएँ	158
>	बीसीजी वैक्सीन का COVID-19 पर प्रभाव	159
>	कोरोनावायरस का जीनोम अनुक्रमण	160
>	COVID-19 से निपटने में IITs का योगदान	161
>	कंप्यूटर आधारित नैनोमैटीरियल	162
	कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर	163
>	कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं COVID-19	165
>	कर्नाटक में अंगूर की कृषि और COVID- 19	166
>	गामा-किरण फ्लक्स परिवर्तनशीलता	168
>	बैक्टीरिया की पहचान हेतु पोर्टेबल सेंसर का विकास	169
>	विद्युत उत्प्रेरक ऊर्जा रूपांतरण उपकरण	170
>	नैनोब्लिट्ज-3D	171
>	डीप न्यूड' संबंधी मुद्दा	172

पय	र्गवरण एवं पारिस्थितिकी	174
>	COVID- 19 और प्रवासी श्रमिक शिविर	174
>	राजधानी में मार्च माह में रिकॉर्ड नमी	174
>	वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी	175
>	पेंच टाइगर रिजर्व में बाघ की मौत: COVID-19 संबंधी आशंका	176
>	वन्यजीव पैनल का आभासी सम्मेलन	178
>	हरित प्रमाण पत्रों की बिक्री में उछाल	179
>	लॉकडाउन हटाने का उचित समय	180
>	महामारियों का ऐतिहासिक स्वरुप	182
>	COVID-19 के लिये इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन का विकास	183
>	जैव-चिकित्सा अपशिष्टों का वैज्ञानिक निस्तारण	184
>	मानव गतिविधियों के कारण उत्पन्न महामारी	186
भूग	गोल एवं आपदा प्रबंधन	188
>	कावेरी नदी प्रदूषण तथा लॉकडाउन	188
	मानसून-पूर्व फसल	189
>	नासा द्वारा भू-जल एवं मृदा-नमी का मानचित्रण	190
>	भारत में प्रवास (Migrant in India)	192
>	लॉकडाउन तथा मानसून पूर्वानुमान प्रणाली	193
>	आयनमंडल आधारित भूकंपीय निगरानी	195
>	कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा 'यूजेन्स' ऋण पत्र जारी करने की सुविधा का विस्तार	196
>	नगरीय-ग्रामीण अंतराल में कमी के लिये 'सिलेज' संबंधी विचार	198
>	IMD का मानसून संबंधी अनुमान	199
>	भूकंपीय ध्विन में परिवर्तन	200
>	गोदावरी वैली एरिया और COVID-19	201
>	आयनमंडलीय इलेक्ट्रॉन घनत्व पूर्वानुमान का नवीन मॉडल	202
>	क्लासिकल स्वाइन बुखार	203
सा	माजिक न्याय	205
>	लॉकडाउन और घरेलू हिंसा	205
>	लॉकडाउन के दौरान महिला सुरक्षा के लिये विशेष दिशा-निर्देश	206
>	महिलाओं के प्रति हिंसा में वृद्धि	208
>	जनजातियों हेतु जागरूकता अभियान	209
>	COVID-19 और सफाई कर्मियों की सुरक्षा	210
>	पुणे में अस्थायी राशन कार्ड की व्यवस्था	211

>	भारत में बढ़ता इस्लामोफोबिया: OIC	212
>	विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक	214
	नाबालिगों के लिये मृत्युदंड की सजा पर प्रतिबंध	214
	भाषातमा वर्गातव पृत्युप्य वर्ग तथा वर प्रात्यवय	213
कत	ना एवं संस्कृति	217
>	तब्लीगी जमात	217
>	अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची	218
आं	तिरिक सुरक्षा	220
>	राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम	220
>	साइबर अपराध के प्रति संवेदनशील स्वास्थ्य संगठन	221
	सीरियाई युद्ध में रासायनिक हमलों के पीछे सीरियाई वायु सेना	222
	रक्षा खरीद स्वीकृति	224
>	साइबर धोखाधड़ी और COVID-19	225
>	नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक और COVID-19	226
चच	र्वा में	228
>	राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र और सार्वजनिक भविष्य निधि	228
	सोडियम हाइपोक्लोराइट	229
	साइंटेक एयरआन	229
	COVID-19 फैक्ट-चेक यूनिट	231
	विंबलडन टूर्नामेंट	231
	सकल जीएसटी राजस्व	232
	मूक नायक	232
	मूल्य निर्धारण एवं संसाधन इकाई	233
	सनराइज मिशन	233
	काउंटरसाइक्लिकल कैपिटल बफर्स	234
	अगस्त्यावनम बायोलॉजिकल पार्क	235
	जियोफेंसिंग	235
>	राष्ट्रीय जाँच एजेंसी	236
>	एंटी स्मॉग गन	237
>	राष्ट्रीय कैंडेट कोर	237
>	कोरोना बॉन्ड	238
>	राउंड ट्रिपिंग	239
>	MyGov कोरोना हेल्पडेस्क	239

>	महावीर जयंती	240
	बाबू जगजीवन राम	240
>	विश्व स्वास्थ्य दिवस	
>	ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी	241 242
>	द ग्रेट डिप्रेशन	
>		243
>	पिंक सुपरमून COVID-19 सामुदायिक गतिशीलता रिपोर्ट	243
>	साइटोकिन स्टॉर्म	244
>		244
>	'स्ट्रैंडेड इन इंडिया' पोर्टल ' ई-वे बिल	245
>		246
>	समाधान	246
>	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद	247
>	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद	247
>	मधुबन केंद्रीय भंडार	247 248
>	ग्रेट बैरियर रीफ	249
	आर्मीवार्म	249
	कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य	250
>	दूरस्थ रोगी स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली	250
>	चित्रा एक्रीलोसोर्ब सेक्रेशन सालिडिफिकेशन सिस्टम	251
>	स्वच्छता-एमओएचयूए एप	252
>	भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान	253
>	नेबरिंग राइट्स लॉ	253
>	नाड़ी	254
>	मेरु जात्रा	254
>	पट्टचित्र	255
>	यानोमामी जनजाति	256
>	युक्ति पोर्टल	256
>	वायनाड वन्यजीव अभयारण्य	257
>	129वीं अंबेडकर जयंती	257
>	कोलैंबकैड	258
>	रोंगाली बिहू	259
>	आर्थिक वृद्धि	259
>	ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान	260
>	विश्व चगास रोग दिवस	260

>	क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म	261
>	निहंग	262
>	प्राइमोर्डियल ब्लैक होल	262
>	स्वयं प्रभा टीवी चैनल	263
>	'देखो अपना देश' वेबिनार श्रृंखला	263
>	खरीफ फसलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन: 2020	264
>	त्रिशूर पूरम उत्सव	265
>	चित्रा जीनलैम्प-एन	265
>	पत्रकारिता राहत कोष	266
>	विश्व धरोहर दिवस	266
>	किसान रथ	267
>	त्रिमेरेसुरुस सालाजार	267
>	भारत के सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क	268
>	करतारपुर साहिब	268
>	एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम	269
>	COVID-19 मुक्त राज्य	269
>	पोस्ट-इंटेंसिव केयर सिंड्रोम	270
>	एकीकृत कमांडर्स सम्मेलन	271
>	सिविल सेवा दिवस- 2020	271
>	सुबनिसरी नदी पर बेली/बैली पुल	272
>	न्यू डेवलपमेंट बैंक	273
>	पृथ्वी दिवस-2020	273
>	ई-रक्तकोष पोर्टल	274
>	COVID इंडिया सेवा	274
>	संयम Saiyam	275
>	नूर	275
>	रावी नदी पर 484 मीटर लंबा स्थायी पुल 484	275
>	विद्यादान 2.0	276
>	एंथुरियम	276
	COVID-19 रिसर्च कंसोर्टिय	277
>	अंबुबाची मेला	278
>	राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस	279
>	मिल्क टी अलायंस	279
>	देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य	280
>	कृषि कल्याण अभियान	281

>	रिवर्स वैक्सीनोलॉजी	281
>	मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एवं डायग्नोस्टिक्स लैबोरेटरी	282
>	बसव जयंती	283
>	चंद्रमा का एकीकृत भूगर्भिक मानचित्र	283
>	व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन	284
>	बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद	285
>	स्वायत्त जिला परिषद	285
>	रोहतांग दर्रा	285
>	नोबेल पुरस्कार और क्यूरी परिवार	286
>	स्वामित्त्व योजना	286
>	राजा रवि वर्मा	287
>	दक्षिण एशिया मौसमी जलवायु आउटलुक फोरम	288
>	प्रकृति	288
>	चकमा एवं हाजोंग	289
>	उष्णकटिबंधीय चक्रवात	290
>	COVID-19 डैशबोर्ड	290
	अल्जाइमर अवरोधक	291
>	एचसीएआरडी	292
वि	विध	293

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

मज़दूरों पर केमिकल का छिड़काव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में शहरों से अपने घरों को लौटने वाले प्रवासी मज़दूरों को बरेली (उत्तर प्रदेश) में प्रवेश करने से पहले उनके ऊपर रसायन का छिडकाव किया गया।

प्रमुख बिंदुः

- गौरतलब है कि COVID-19 के प्रसार को रोकने हेतु इस तरह के रसायन का छिड़काव सभी शहरों में किया जा रहा है।
- बरेली में COVID-19 के प्रभारी नोडल अधिकारी के अनुसार, निस्संक्रामक रासायनिक घोल नहीं बल्कि केवल क्लोरीन और पानी का मिश्रण था। हालाँकि, बरेली के चिकित्सा अधिकारी के अनुसार, प्रवासी मज़दूरों पर सोडियम हाइपोक्लोराइट (Sodium Hypochlorite) घोल का छिड़काव किया गया था।
- संपूर्ण घटनाक्रम पर यह तर्क दिया गया कि सरकार द्वारा चलाई गई विशेष बसों से आने वाले प्रवासियों की सुरक्षा के लिये केमिकल का छिड़काव किया गया क्योंकि यह बीमारी के संभावित प्रसार को रोकने हेतु आवश्यक था।

सोडियम हाइपोक्लोराइट (Sodium Hypochlorite):

- आमतौर पर सोडियम हाइपोक्लोराइट का उपयोग एक विरंजन एजेंट (Bleaching Agent), 'निस्संक्रामक' (Disinfectant)
 के रूप में तथा स्विमिंग पूल को साफ करने के लिये भी किया जाता है।
- सोडियम हाइपोक्लोराइट में क्लोरीन (Chlorine) की अत्यधिक मात्रा होने के कारण यह मनुष्यों के लिये हानिकारक है।
- उपयोगः
 - ♦ आमतौर पर सामान्य ब्लीच (Bleach) में 2-10% सोडियम हाइपोक्लोराइट का घोल होता है।
 - इस रसायन का उपयोग त्वचा पर घावों जैसे कि कट या खरोंच के उपचार हेतु किया जाता है जिसमें सोडियम हाइपोक्लोराइट की मात्रा
 0.25-0.5% होती है।
 - ♦ सोडियम हाइपोक्लोराइट को कभी-कभी कम सांद्रता वाले विलयन के रूप में हैंडवाश (Handwash) में उपयोग में लाया जाता है।
- मनुष्य पर हानिकारक प्रभाव:
 - सोडियम हाइपोक्लोराइट संक्षारक होता है, और इसका उपयोग कठोर सतहों को साफ करने में होता है।
 - ♦ यदि यह शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो यह फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुँचा सकता है।
 - सोडियम हाइपोक्लोराइट का 0.05% घोल भी आँखों के लिये बहुत हानिकारक हो सकता है।
 - ♦ यह मनुष्यों के शरीर पर खुजली या जलन पैदा कर सकता है और निश्चित रूप से इसका छिड़काव (Spray) नहीं किया जाना चाहिये।
- कोरोनावायरस पर प्रभावः
 - ◆ विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization-WHO) ने कोरोनोवायरस से निपटने हेतु कठोर सतहों को साफ करने के लिये लगभग 2-10% सांद्रता वाले ब्लीच का उपयोग करने की सलाह दी है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य बनाम निजी जानकारी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में COVID-19 के संदिग्धों की निजी जानकारी न केवल सोशल मीडिया पर पाई गई बल्कि कुछ राज्य सरकारों ने भी आधिकारिक रूप से डेटा का खुलासा किया है।

प्रमुख बिंदुः

- COVID-19 के संदिग्धों की निजी जानकारी का खुलासा करने से सार्वजनिक स्वास्थ्य, डॉक्टर-मरीज की गोपनीयता और निजता के अधिकार का हनन हो सकता है।
- किसी राष्ट्रीय प्रोटोकॉल या कानून की अनुपस्थिति के कारण राज्य सरकारें COVID-19 से उत्पन्न समस्याओं से निपटने हेतु अलग-अलग उपाय अपना रही हैं।
- कुछ राज्य नागरिकों को बेहतर जानकारी देने हेतु सार्वजनिक रूप से निजी जानकारी का खुलासा कर रहे हैं, वही अन्य राज्य गोपनीयता का सम्मान करते हुए ऐसा करने से बच रहे हैं।
- कर्नाटक सरकार ने ऐसे लोगों की एक जिलेवार सूची प्रकाशित की है जिनको एकांत में रखा गया है। स्वास्थ्य और परिवार नियोजन विभाग की वेबसाइट पर एकांत में रखे गए लोगों का यात्रा विवरण और घर का पता मौजद है।
- दिल्ली, गुजरात और कर्नाटक सिंहत कई अन्य राज्यों ने स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उन घरों के बाहर नोटिस चस्पा करे जहाँ व्यक्तियों को एकांत में रखा गया है।
- हालाँकि, पश्चिम बंगाल सरकार ने व्यक्तियों या अस्पतालों की पहचान का खुलासा नहीं किया है।
 कानूनी परिप्रेक्ष्य:
- चिकित्सा आचार संहिता के तहत, भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार, उपचार के दौरान किसी विशेष परिस्थित में रोगी से संबंधित जानकारी का खुलासा कर सकते हैं।
- निगरानी के लिये स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों के अनुसार एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (Integrated Disease Surveillance Programme) के तहत राज्य/जिला स्तर की निगरानी इकाइयों या किसी अन्य प्राधिकरण के साथ लोगों की निजी जानकारी साझा कर सकते है लेकिन इन दिशा-निर्देशों में रोगी के विवरण को सार्वजनिक रूप से साझा करने का कोई प्रावधान नहीं है।
- महामारी अधिनियम, 1897 (Epidemic Act, 1897) और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act, 2005) के तहत किसी विकट समस्या से निपटने हेतु लोगों की भलाई के लिये की गयी कार्रवाई को कानूनी शक्ति प्रदत्त है लेकिन लोगों की निजी जानकारी को सार्वजनिक रूप से साझा करने का कोई कानून नहीं है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority):

- 🔸 यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिये एक सर्वोच्च निकाय है, जिसका गठन 'आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005' के तहत किया गया था।
- यह आपदा प्रबंधन के लिये नीतियों, योजनाओं एवं दिशा-निर्देशों का निर्माण करने के लिये जिम्मेदार संस्था है, जो आपदाओं के वक्त समय
 पर एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है।
- भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इस प्राधिकरण की अध्यक्षता की जाती है।

समस्या:

- सोशल मीडिया पर या लोगों के घर की दीवार पर उनके नाम और पता के साथ नोटिस चस्पा कर देने से पिरवारों को शारीरिक या भावनात्मक संकट का खतरा हो सकता है।
- नोटिस लगाने से आपातकाल में लोगों में ज्यादा दहशत भी पैदा हो सकती है।

COVID-19 के विषय में स्वतंत्र चर्चा का अधिकार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कोरोनावायरस (COVID-19) के विषय में स्वतंत्र चर्चा के अधिकार को सही ठहराते हुए मुख्यधारा की मीडिया को निर्देश दिया है कि समाज में बड़े पैमाने पर घबराहट फैलाने से बचने के लिये इस विषय पर केवल आधिकारिक सूचना को ही प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाए।

प्रमुख बिंदु

- न्यायालय ने सरकार को आगामी 24 घंटों में मीडिया के सभी माध्यमों से कोरोनावायरस (COVID-19) के संदर्भ में हो रहे विकास पर एक दैनिक बुलेटिन शुरू करने का आदेश दिया।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अगुवाई वाली एक न्यायपीठ ने केंद्र सरकार के अनुरोध पर निर्णय दिया है, ध्यातव्य है कि केंद्र सरकार ने अपने अनुरोध में कहा था कि मीडिया संस्थानों को 'न्याय के हित' में सटीक तथ्यों का पता लगाने के पश्चात ही कोरोनावायरस (COVID-19) पर कुछ भी प्रकाशित या प्रसारित करना चाहिये।
 - 🔷 इस संदर्भ में गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, मीडिया विशेष रूप से वेब पोर्टल द्वारा प्रकाशित और प्रसारित किसी भी गलत सुचना में आम जनमानस में घबराहट पैदा करने की क्षमता है।
 - ♦ मंत्रालय के अनुसार, इस तरह की रिपोर्टिंग के आधार पर एक मौजूदा संकट की स्थिति में किसी भी तरह की घबराहट की प्रतिक्रिया संपूर्ण राष्ट्र को नुकसान पहुँचा सकती है।
 - ♦ उल्लेखनीय है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत इस प्रकार का आतंक पैदा करना एक प्रकार का आपराधिक कृत्य है।
- विश्लेषकों के अनुसार, न्यायालय ने अपने निर्णय से पत्रकारिता की स्वतंत्रता और स्थिति के दौरान समाज में घबराहट से बचने की आवश्यकता दोनों में संतुलित स्थापित किया है।
 - फेक न्यज और COVID-19
- फेक न्यूज़ को आप एक विशाल वट-वृक्ष मान सकते हैं, जिसकी कई शाखाएँ और उपशाखाएँ हैं। इसके तहत किसी के पक्ष में प्रचार करना व झुठी खबर फैलाने जैसे कृत्य आते हैं।
 - ♦ किसी व्यक्ति या संस्था की छवि को नुकसान पहुँचाने या लोगों को उसके खिलाफ झूठी खबर के जरिये भड़काने की कोशिश करना फेक न्यूज़ है।
- जान-बूझकर या अनजाने में फेक न्यूज़ और जनता के मन में आतंक पैदा करने में सक्षम सामग्री को कोरोनावायरस के मौजूदा संकट के प्रबंधन में एक बड़ी बाधा के रूप में देखा जा रहा है।
- सोशल मीडिया पर कोरोनावायरस को लेकर कई प्रकार की झूठी खबरें चल रहीं हैं, जिनसे न केवल आम लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है, बल्कि कोरोनावायरस महामारी के विरुद्ध चल रही लड़ाई भी कमज़ोर हो रही है।
- गृह मंत्रालय के अनुसार, इस प्रकार की झुठी खबरें गरीबों के मध्य भय पैदा कर रहा है और उन्हें सामृहिक पलायन करने को मज़बूर कर रहा है, जिसके कारण सरकार द्वारा उठाए जा रहे निवारक उपाय विफल हो रहे हैं।

COVID-19 की मौजूदा स्थिति

- कोरोनावायरस मौजूदा समय में विश्व के समक्ष एक गंभीर चुनौती बन गया है और दुनिया भर में इसके कारण अब तक 42000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और तकरीबन 800000 लोग इसकी चपेट में हैं।
- भारत में भी स्थिति काफी गंभीर है और इस खतरनाक वायरस के कारण अब तक देश में 35 लोगों की मृत्यु हो चुकी है तथा देश में 1300 से अधिक लोग इसकी चपेट में हैं।
- भारत सरकार द्वारा कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिये कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, ध्यातव्य है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में 21 दिवसीय लॉकडाउन की घोषणा की थी।

- इसके अलावा गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा 21,064 राहत शिविर बनाए गए हैं और लगभग 6,66,291 लोगों को शरण दी गई है।
- रिपोर्ट के अनुसार, हवाई अड्डों पर 15.25 लाख यात्रियों की जाँच की गई, 12 प्रमुख बंदरगाहों पर 40,000 लोगों की जाँच की गई और भूमि सीमाओं पर 20 लाख लोगों की जाँच की गई है।

कोरोनावायरस पर समन्वित शोध के लिये समिति का गठन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कोरोनावायरस की चुनौती से निपटने हेतु समन्वित शोध कार्यक्रमों के संचालन के लिये एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अधिकार प्राप्त समिति (Science and Technology Empowered Committee) का गठन किया गया है।

मुख्य बिंदुः

- स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कोरोनावायरस पर समन्वित शोध के लिये बनी इस समिति की अध्यक्षता नीति आयोग के एक सदस्य और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (Principal Scientific Adviser) द्वारा की जाएगी।
- देश में COVID-19 के नियंत्रण और इसके परीक्षणों की मात्रा में वृद्धि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान और विकास पर तेज निर्णय लेने के लिये इस समिति में अनेक महत्त्वपूर्ण संस्थानों के व्यक्तियों और भारत सरकार के कई विभागों के सचिवों के साथ अन्य विशेषज्ञों को भी जोड़ा गया है। जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं-
 - ♦ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science & Technology- DST)
 - ♦ जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Biotechnology- DBT)
 - वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद (Council of Scientific and Industrial Research- CSIR)
 - इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
 - ♦ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation- DRDO)
 - विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी)
 - 🔷 स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) और भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) आदि
- स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, यह सिमिति विभिन्न विज्ञान एजेंसियों, वैज्ञानिकों, नियामकीय संस्थाओं और औद्योगिक क्षेत्र के बीच संपर्क और अन्य मामलों में सहायता प्रदान करने का कार्य करेगी।

उद्देश्य:

- पहले से उपलब्ध ऐसी दवाओं के बारे में जानकारी जुटाना जिनका उपयोग COVID-19 के नियंत्रण के लिये किया जा सके तथा इस प्रक्रिया के कानूनी पहलुओं पर विचार करना।
- COVID-19 के प्रसार की निगरानी और चिकित्सा उपकरणों तथा अन्य सहायक जरूरतों का अनुमान लगाने के लिये गणितीय मॉडल तैयार करना।
- भारत में COVID-19 परीक्षण किट और वेंटीलेटर के विनिर्माण में सहयोग करना।

COVID-19 पर नियंत्रण के अन्य प्रयास:

- स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, COVID-19 से संक्रमित लोगों और उनके संपर्क में आए अन्य व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकारों के सहयोग से कड़े कार्यक्रम चलाए जा रहें हैं।
- साथ ही COVID-19 की चुनौती से निपटने में आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों जैसे- मास्क (Mask), वेंटीलेटर (Ventilator) आदि की उपलब्धता की निगरानी की जा रही है।
- आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की आपूर्ति के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय सभी राज्यों, कपड़ा मंत्रालय (Ministry of Textiles) और उपकरण निर्माता कंपनियों तथा फैक्टरियों से समन्वय बनाए हुए है।

- इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा वेबसाइट के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत एएनएम (ANM), आशा (ASHA), आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आयुष चिकित्सकों और नर्सों आदि को COVID-19 से संक्रमित मामलों में क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।
- इसके तहत COVID-19 से संक्रमित मरीजों के पर्यवेक्षण, प्रयोगशाला परीक्षण, चिकित्सीय प्रबंधन, अलगाव सुविधा (Isolation facility) प्रबंधन , गहन देखभाल (Intensive Care) आदि से संबंधित जानकारी को शामिल किया गया है।
- इस पहल के तहत 30 मार्च, 2020 को स्वस्थ्य मंत्रालय द्वारा दो वेबिनार (webinar) के आयोजन के माध्यम से लगभग 15,000 नर्सों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया।

COVID-19 एवं ऑर्फन ड्रग अधिनियम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (Food and Drug Administration- FDA) द्वारा COVID-19 (COVID-19) को ऑर्फन रोग (Orphan Disease) या दुर्लभ रोग (Rare Disease) घोषित कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदुः

• FDA के अनुसार किसी रोग को ऑर्फन रोग तब घोषित किया जाता है जब अमेरिका में यह रोग 2 लाख से ज्यादा व्यक्तियों को हुआ हो।

दुर्लभ रोगः

- दुर्लभ रोग एक ऐसी स्वास्थ्य स्थिति होती है जिसका प्रचलन लोगों में प्राय: कम पाया जाता है या सामान्य बीमारियों की तुलना में बहुत कम लोग इन बीमारियों से प्रभावित होते हैं।
- दुर्लभ बीमारियों की कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है तथा अलग-अलग देशों में इसकी अलग-अलग परिभाषाएँ हैं।
- 80 प्रतिशत दुर्लभ बीमारियाँ मूल रूप से आनुवंशिक होती हैं, इसिलये बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है।
- भारत की दुर्लभ रोगों हेतु राष्ट्रीय नीति-2020 के अनुसार, दुर्लभ बीमारियों में आनुवंशिक रोग (Genetic Diseases), दुर्लभ कैंसर (Rare Cancer), उष्णकटिबंधीय संक्रामक रोग (Infectious Tropical Diseases) और अपक्षयी रोग (Degenerative Diseases) शामिल हैं।
- नीति के तहत, दुर्लभ बीमारियों की तीन श्रेणियाँ हैं:
 - एक बार के उपचार के लिये उत्तरदायी रोग (उपचारात्मक)।
 - ऐसे रोग जिनमें लंबे समय तक उपचार की आवश्यकता होती है लेकिन लागत कम होती है।
 - ऐसे रोग जिन्हें उच्च लागत के साथ दीर्घकालिक उपचार की आवश्यकता है।
 - पहली श्रेणी के कुछ रोगों में ऑस्टियोपेट्रोसिस (Osteopetrosis) और प्रतिरक्षा की कमी के विकार शामिल हैं।
- भारत में 56-72 मिलियन लोग दुर्लभ बीमारियों से प्रभावित हैं।

संयुक्त राज्य ऑर्फन ड्रग अधिनियम, 1983:

- संयुक्त राज्य ऑर्फन ड्रग अधिनियम, 1983 के अनुसार यदि किसी रोग को ऑर्फन रोग घोषित कर दिया जाता है तो उस रोग के लिये जो कंपनी औषधि बनाती है उसे कई प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान किये जाते हैं। जैसे-
 - ♦ उसे खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) द्वारा कम समय में स्वीकृति मिल जाती है।
 - अनुसंधान और विकास के लिये सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
 - ♦ इसके अलावा उसे 7 वर्षों के लिये विपणन विशिष्टता (Market Exclusivity) मिल जाती है।

भारत के संदर्भ में:

• भारत के पेटेंट अधिनियम, 2005 में यह प्रावधान है कि भारत जेनरिक ड्रग के उत्पादन के लिये किसी तीसरे पक्ष (Third Party) को लाइसेंस दे सकता है। ताकि आवश्यकता पड़ने पर ऐसी दवाओं का उत्पादन किया जा सके।

मुद्दे:

- कोविद -19 दुर्लभ बीमारी नहीं- ऑर्फन ड्रग अधिनियम COVID-19 के लिये संभावित दवाओं पर लागू होता है जो कि दुनिया भर में 800,049 मामलों की पुष्टि के साथ एक दुर्लभ बीमारी के अलावा कुछ भी नहीं है।
- इसके अलावा दुर्लभ रोगों के लिये विकसित की गई दवाओं की कीमत साधारण दवाओं की तुलना में अधिक होती है।

आगे की राहः

• भारत ने अभी तक पेटेंट अधिनियम, 2005 के प्रावधान का उपयोग नहीं किया है परंतु COVID-19 से निपटने के लिये इसका उपयोग किया जा सकता है।

कराधान और अन्य कानून (विभिन्न प्रावधानों में राहत) अध्यादेश, 2020

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा 'कराधान और अन्य कानून (विभिन्न प्रावधानों में राहत) अध्यादेश, 2020' [Taxation and Other Laws (Relaxation of Certain Provisions) Ordinance, 2020] प्रख्यापित किया गया है।

प्रमुख बिंदुः

- यह अध्यादेश COVID-19 महामारी के मद्देनजर 24 मार्च, 2020 को घोषित विभिन्न कर अनुपालन संबंधी उपायों को प्रभावी बनाता है।
- इस अध्यादेश में कराधान और बेनामी अधिनियमों के तहत विभिन्न समय सीमाएँ बढ़ाने के प्रावधान किये गए हैं।
- अध्यादेश में उन नियमों या अधिसूचना में निहित समय सीमाएं बढ़ाने के भी प्रावधान किये गए हैं जो इन अधिनियमों के तहत निर्दिष्ट/जारी किये जाते हैं।
- इस अध्यादेश के जिरये बढ़ाई गई समय सीमाएँ और कुछ महत्त्वपूर्ण राहत उपाय निम्निलिखित हैं:
 - सरकार ने आयकर फाइल करने, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, सार्वजिनक भिवष्य निधि जैसे आयकर लाभ का दावा करने वाले उपकरणों में निवेश आदि करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है।
 - ♦ आधार कार्ड और पैन कार्ड (PAN Card) को आपस में जोड़ने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दी गई है।
 - ◆ अध्यादेश के तहत आयकर अधिनियम के प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है, ताकि 'पीएम केयर्स फंड' (PM-CARES Fund) के लिए भी ठीक वही कर राहत मिल सके जो 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष' के लिए उपलब्ध है।
 - अतः पीएम केयर्स फंड (PM-CARES Fund) में किया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80जी (Section 80G of the IT Act) के तहत 100% कटौती का पात्र होगा।
 - इसके अलावा, सकल आय के 10% की कटौती की सीमा भी पीएम केयर्स फंड में किये गए दान पर लागू नहीं होगी।

अध्यादेश:

- संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है।
- अध्यादेश की शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होती है और यह तत्काल लागू हो जाता है।
- अध्यादेश के अधिसूचित होने के बाद इसे संसद पुन: बैठक के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।
- एक विधेयक की भांति एक अध्यादेश भी पूर्ववर्ती हो सकता है अर्थात इसे पिछली तिथि से प्रभावी किया जा सकता है।
- संसद या तो इस अध्यादेश को पारित कर सकती है या इसे अस्वीकार कर सकती है अन्यथा 6 सप्ताह की अविध बीत जाने पर अध्यादेश प्रभावहीन हो जाएगा।

- चूँिक सदन के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने का हो सकता है, इसिलये अध्यादेश का अधिकतम 6 महीने और 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है।
- इसके अलावा राष्ट्रपति कभी भी अध्यादेश को वापस ले सकता है। (मंत्रिमंडल की सलाह पर)

COVID-19 की तीन अर्द्ध उप-प्रजातियाँ

चर्चा में क्यों?

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research-ICMR) के अनुसार, COVID-19 की तीन अर्द्ध उप प्रजातियाँ भारत में प्रसारित हो रही हैं।

प्रमुख बिंदुः

- भारत में COVID-19 के मामले मुख्य रूप से विदेशों से यात्रा कर लौटने वाले लोगों और उनसे तात्कालिक संपर्कों में आने के कारण फैला है जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह वायरस विदेशों से आया है।
- अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि विश्व के अन्य हिस्सों में इस वायरस का व्यवहार कैसा है।
- केंद्र सरकार ने COVID-19 के मद्देनजर वैज्ञानिक एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योगों और नियामक निकायों के बीच समन्वय हेतु एक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सशक्त समिति का गठन किया है।
- यह सिमिति परीक्षण सुविधाओं को बढ़ाने हेतु अनुसंधान और विकास पर तेज़ी से निर्णय के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर काम करेगी।
- वर्तमान समय में भारत को किसी दूसरे देशों से तुलना नहीं करना चाहिये। इस वायरस से होने वाली बीमारी एवं शारीरिक दूरी बनाए रखने के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिये।
- ICMR के अनुसार, परीक्षण किट की उपलब्धता तथा मास्क का अंधाधुंध उपयोग अभी भी एक मुद्दा है।
- हालाँकि, ICMR इस बात की पुष्टि करता है कि भारत में COVID-19 की तीन अर्द्ध उप प्रजातियाँ भारत में प्रसारित हो रही हैं।

वर्तमान परिदृश्य:

- COVID-19 की परीक्षण करने हेतु वर्तमान समय में 129 सरकारी एवं 49 निजी प्रयोगशालाओं को अनुमित दी गई है।
- निजी प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories-NABL) से मान्यता प्राप्त है।
- भारत में अब तक 42,788 नमूनों का परीक्षण किया गया है।
- भारत में 61,000 राहत शिविरों में 6 लाख से अधिक प्रवासियों को रखा गया है।
- भारत एक या दो महीने में इस महामारी से संक्रमित लोगों की जाँच हेतु स्वदेशी परीक्षण किट बना लेगा जिससे परीक्षण की दर बढ़ जाएगी।

स्वदेशी निर्माण:

- जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Biotechnology) ने चिकित्सा उपकरणों के निर्माण हेतु एक संघ का गठन किया है।
- पुणे में एक स्टार्ट-अप द्वारा पहली स्वदेशी परीक्षण किट का निर्माण होगा जो एक सप्ताह में लगभग एक लाख परीक्षण किट किया जायेगा।
- वेंटिलेटर, परीक्षण किट, इमेजिंग उपकरण, अल्ट्रासाउंड और उच्च अंत रेडियोलॉजी उपकरण का स्वदेशी निर्माण विशाखापत्तनम में होगा जहाँ अप्रैल के पहले सप्ताह में विनिर्माण शुरू हो जाएगा।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research- ICMR):

• ICMR जैव चिकित्सा अनुसंधान के समन्वय और प्रचार के लिये दुनिया के सबसे पुराने चिकित्सा अनुसंधान निकायों में से एक है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

- इसकी स्थापना वर्ष 1911 में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन (Indian Research Fund Association-IRFA) के नाम से हुई थी बाद में वर्ष 1949 में इसका नाम बदलकर ICMR रखा गया।
- इसे भारत सरकार के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है।

COVID-19 के कारण वैश्विक खाद्य संकट की स्थिति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कई वैश्विक संगठनों के प्रमुखों ने चेतावनी दी है कि यदि विश्व के देश COVID-19 की चुनौती से निपटने में असफल रहते हैं तो आने वाले दिनों में वैश्विक स्तर पर खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

मुख्य बिंदुः

- 3 मार्च, 2020 को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization- FAO), विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) और विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization- WTO) के सर्वोच्च अधिकारियों द्वारा साझा बयान में आने वाले दिनों में वैश्विक बाज़ार में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता के संदर्भ में चिंता व्यक्त की गई है।
- COVID-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिये विश्व के विभिन्न देशों ने लॉकडाउन के तहत लगभग सभी गतिविधियों (यातायात, व्यापार आदि) पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है।
- वैश्विक स्तर पर अधिकांश देशों में लॉकडाउन के होने से वैश्विक व्यापार और खाद्य आपूर्ति शृंखला (Food Supply Chain) प्रभावित हुई है। लॉकडाउन से पहले लोगों द्वारा भयवश अत्यधिक खरीद या पैनिक बाईंग (Panic Buying) के परिणामस्वरूप बाजारों में खाद्य पदार्थों की कमी, खाद्य आपूर्ति शृंखला की संवेदनशीलता को दर्शाता है।

संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization- FAO):

- संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत की गई थी।
- इसका मुख्यालय रोम (Rome), इटली में स्थित है।
- FAO वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा के लिये काम करता है, इस संस्था का लक्ष्य पोषण सुधार, कृषि उत्पादकता में वृद्धि और ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान देना है।
- वर्तमान में इस संस्था में 194 सिक्रय सदस्य हैं।
- साझा बयान के अनुसार, खाद्य उपलब्धता के संदर्भ में अनिश्चितता से एक साथ कई देश खाद्य निर्यात पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, जिससे वैश्विक बाजार में इनकी भारी कमी उत्पन्न हो सकती है।
- ध्यातव्य है कि COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिये विश्व के कई देशों ने अपने देश के अंदर तथा अन्य देशों के बीच आवाजाही पर रोक लगा दी है। इसी के तहत भारत में 24 मार्च, 2020 को देश में अगले 21 दिनों के लिये संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई थी।

आयात पर निर्भरताः

- वर्तमान में विश्व के अनेक विकासशील देश अपनी खाद्य ज़रूरतों के लिये अन्य देशों से होने वाले आयात पर निर्भर रहते हैं।
- एक अनुमान के अनुसार, वर्ष 2013 में विश्व के लगभग 13 देश अपनी खाद्य ज़रूरतों के लिये पूर्ण रूप से अन्य देशों से होने वाले आयात पर निर्भर थे।
- वर्ल्डवाच इंस्टीट्यूट (Worldwatch Institute) के एक शोधकर्त्ता के अनुसार, वर्ष 1961-2015 के बीच विश्व भर में खाद्य आयात में 57% की वृद्धि हुई है।

COVID-19 के वैश्विक प्रभाव:

- वर्तमान में चीन से शुरू हुई COVID-19 की महामारी विकासशील देशों के साथ-साथ यूरोप के देशों और अमेरिका के लिये भी एक बडी समस्या बन गई है।
- 3 मार्च, 2020 के आँकड़ों के अनुसार, ब्रिटेन में एक दिन में COVID-19 से मरने वालों की संख्या 563 बताई गई थी।
- आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, ब्रिटेन में अब तक COVID-19 से मरने वालों की संख्या लगभग 2,352 तक पहुँच गई है।
- COVID-19 से संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या के बीच स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और स्वस्थाकर्मियों का नियमित परीक्षण करना एक बड़ी चुनौती बन गया है।
- अमेरिका में COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ने देश की जनता को आने वाले कठिन दिनों के लिये तैयार रहने को कहा है।
- व्हाइट हाउस के 'COVID-19 रिस्पाँस कोऑर्डिनेटर' (Response Coordinator) के अनुसार, वर्तमान COVID-19 के नियंत्रण के लिये किये जा रहे प्रयासों के बाद भी आने वाले दिनों में अमेरिका में इस बीमारी से मरने वाले लोगों की संख्या 1 लाख से भी अधिक हो सकती है।

वैश्विक खाद्य संकट से निपटने के समाधान:

- विशेषज्ञों के अनुसार, कृषि गतिविधियों में बाधा और सीमाओं पर खाद्य सामग्रियों को लंबे समय तक रोकने पर बड़ी मात्रा में फसलों और अनाज का नुकसान होगा। ऐसे में खाद्य आपूर्ति जैसी जरूरतों को पूरा करने के लिये विशेष प्रयास किये जाने चाहिये।
- WTO, WHO और FAO द्वारा जारी साझा बयान के अनुसार, खाद्य आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिये खाद्य उत्पादन तथा प्रसंस्करण में लगे कर्मचारियों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।
- इस बयान में कहा गया कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि COVID-19 के कारण आवश्यक वस्तुओं की अनपेक्षित कमी न हो, वर्तमान परिस्थित में वैश्विक सहयोग में वृद्धि अतिआवश्यक है।

J&K के अधिवास नियम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (राज्य कानूनों का अनुकूलन) आदेश, 2020 (J&K Reorganisation (Adaptation of State Laws) Order 2020) की धारा 3A के तहत राज्य के अधिवासियों को पुनः परिभाषित किया है।

मुख्य बिंदुः

- अधिसूचना के अनुसार, जो व्यक्ति जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में पंद्रह वर्ष की अविध से रह रहा है या सात वर्ष तक वहाँ अध्ययन किया है और जम्मू-कश्मीर स्थित शैक्षणिक संस्थान में 10वीं तथा 12वीं कक्षा की परीक्षा में शामिल हुआ हो, नवीन अधिवास की परिभाषा में शामिल होगा।
- इस आदेश के माध्यम से, केंद्र ने जम्मू-कश्मीर नागरिक सेवाओं (विशेष प्रावधानों) अधिनियम (J&K Civil Services (Special Provisions) Act) को निरस्त कर दिया है। क्या थे प्रावधान?
- संविधान का अनुच्छेद 35A (अब निरस्त) जम्मू-कश्मीर विधानसभा को जम्मू-कश्मीर के अधिवासियों को परिभाषित करने का अधिकार देता है तथा ऐसे निवासी ही वहाँ नौकरियों तथा अचल संपत्ति के लिये आवेदन करने के लिए पात्र थे।

नवीन अधिसूचना के लाभार्थी:

 नवीन बदलाव का उद्देश्य अखिल भारतीय सेवा, सार्वजिनक उपक्रमों, केंद्र सरकार के स्वायत्त निकाय, सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक, वैधानिक निकायों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी जिन्होंने जम्मू-कश्मीर में दस वर्ष सेवा प्रदान की है, उनके बच्चों को अधिवास की परिभाषा में शामिल करना हैं।

- इसके अतिरिक्त जम्मू-कश्मीर के राहत और पुनर्वास आयुक्त (प्रवासियों) (Relief and Rehabilitation Commissioner (Migrants)) के तहत प्रवासी के रूप में पंजीकृत व्यक्तियों को भी नवीन परिभाषा में शामिल किया जाएगा।
- इसमें जम्मू और कश्मीर(J&K) में निवास करने वाले ऐसे लोग जिनके बच्चें रोजगार, व्यवसाय, अन्य कोई पेशा या आजीविका कारणों से जम्मू और कश्मीर के बाहर रहते हैं लेकिन उनके माता-पिता उपर्युक्त शर्तों को पूरा करते हैं, शामिल होंगे। प्रमाण-पत्र जारीकर्त्ता अधिकारी:
- अधिनियम के प्रावधान तहसीलदार को अधिवास प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करते हैं।

राज्य कानून में संशोधनः

• अब तक पूर्ववर्ती J&K राज्य के 29 कानूनों को निरस्त कर दिया गया है जबकि 109 में संशोधन किया गया है।

निष्कर्षः

• यह आदेश राज्य से बाहर रह रहे विशिष्ट लोगों को राज्य में नौकरी तथा अचल संपत्ति अधिग्रहण का अधिकार देता है, अत: यह आदेश राज्य को वास्तविक अर्थों में भारत के साथ एकीकृत करने की दिशा में अच्छा प्रयास है।

COVID-19 का विद्युत उत्पादन पर प्रभाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में COVID-19 के कारण लॉकडाउन और विद्युत की मांग में गिरावट के मद्देनज़र कुछ राज्यों ने अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) खरीद में कटौती एवं उत्पादकों को भुगतान न करने को लेकर नोटिस जारी किये हैं।

प्रमुख बिंदुः

- राज्यों ने विद्युत खरीद समझौते (Power Purchase Agreements-PPA) में फोर्स मेजर प्रावधान (Force Majeure clause-FMC) का प्रयोग करते हुये विद्युत खरीद में कटौती एवं अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को भुगतान न करने का निर्णय लिया है।
- पंजाब ने राज्य को विद्युत आपूर्ति करने वाले कुछ अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को नोटिस भेजा है कि वह विद्युत खरीद में कमी करें।
- उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, जिसने फोर्स मेजर और राजस्व घटने की वजह से भुगतान करने में सक्षम न होने के कारण सौर ऊर्जा परियोजनाओं को भुगतान करने से इनकार कर दिया था। भारतीय सौर ऊर्जा निगम (Solar Energy Corporation of India-SECI) ने इससे जुड़े आवेदन को खारिज कर दिया था।
- मध्य प्रदेश देश का प्रमुख अक्षय ऊर्जा उत्पादक राज्य है, उसने सभी अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को नोटिस भेजा है कि विद्युत खरीद समझौते के तहत वह बाध्यताएँ (ऊर्जा वितरण संबंधी) पूरी करने में सक्षम नहीं है क्योंकि विद्युत बिल संग्रह से आने वाले राजस्व में बहुत कमी आई है।
- अक्षय ऊर्जा में सौर, पवन, छोटी पनिबजली पिरयोजनाएँऔर बॉयोमास शामिल हैं। इनका संचालन अनिवार्य होता है जिसका मतलब यह है
 कि इन्हें किसी भी स्थिति में रोका या बंद नहीं किया जा सकता है।
 फोर्स मेजर प्रावधान (Force Majeure Clause-FMC):
- आपूर्ति में फोर्स मेजर प्रावधान या पिरयोजना चालू करने के प्रावधान में तमाम वजहें और पिरिस्थितियाँ दी गई हैं, जो मानव के नियंत्रण से बाहर हैं। इन प्रावधानों में उत्पादन संबंधी किसी पक्ष को पूरी तरह से हटाने का प्रावधान नहीं है, बिल्क इस नियम से आपूर्ति को कुछ समय के लिये रोका जा सकता है।

अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy):

• अक्षय उर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा में वे सारी ऊर्जा शामिल हैं जो बहुत कम प्रदूषणकारक होती हैं तथा जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता या जिनके स्रोत का पुन:भरण होता रहता है।

- अक्षय ऊर्जा के प्रकार:
 - ♦ सौर ऊर्जा (Solar Energy)
 - वायु ऊर्जा (Wind Energy)
 - ♦ बायोमास ऊर्जा (Biomass Energy)

भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (Solar Energy Corporation of India):

- भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जी मंत्रालय के प्रशासिनक नियंत्रण के अधीन एक केंद्रीय सार्वजिनक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसकी स्थापना 20 सितंबर, 2011 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के क्रियान्वयन और उसमें निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये की गई थी।
- यह सौर ऊर्जा क्षेत्र को समर्पित एकमात्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसे मूल रूप में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 की कंपनी (नॉट फॉर प्रॉफिट) के तहत निगमित किया गया था।

कोरोनावायरस महामारी और मृत्यु दर

चर्चा में क्यों?

लैंसेट इन्फेक्शस डिजीज (Lancet Infectious Diseases) द्वारा किये गए अध्ययन के अनुसार, कोरोनोवायरस संक्रमित व्यक्ति औसतन लगभग 25 दिनों के लिये अस्पताल में हो सकता है और लक्षणों की शुरुआत से मृत्यु तक की औसत अवधि लगभग 18 दिनों की है।

प्रमुख बिंदु

- अध्ययन के अनुसार, चीन में जहाँ कोरोनावायरस का पहला रोगी पाया गया था वहाँ समग्र संक्रमण दर 0.66 प्रतिशत थी, हालाँकि यह अब वैश्विक स्तर पर एक बड़ा संकट बन गया है।
- ध्यातव्य है कि लंदन स्थित इंपीरियल कॉलेज के शोधकर्त्ताओं ने अपने अध्ययन में कहा था कि 'अपरिष्कृत मृत्यु अनुपात' (Crude Fatality Ratio) लगभग 3.67 प्रतिशत था, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के बराबर है।
 - ◆ 'अपिरिष्कृत मृत्यु अनुपात' संक्रमण की गंभीरता की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि यह सिर्फ कुल मामलों की तुलना में कुल मृत्यु की संख्या को बताता है।
- लैंसेट द्वारा किये गए अध्ययन के अनुसार, कोरोनोवायरस की गंभीरता एक रोगी की उम्र पर निर्भर करती है और समग्र मामलों में मृत्यु अनुपात
 1.38 प्रतिशत है।
 - ◆ उम्र के आधार पर 60 वर्ष से अधिक की उम्र वाले रोगियों में मृत्यु दर 6.4 प्रतिशत है, 80 से अधिक की उम्र वाले रोगियों में मृत्यु दर 13.4 प्रतिशत है और 60 से कम उम्र वाले रोगियों में मृत्यु दर 0.32 प्रतिशत है।
 - ◆ इस प्रकार 80 से अधिक उम्र वाले रोगियों में इस वायरस के कारण मृत्यु दर सबसे अधिक है और 60 से अधिक उम्र वाले रोगियों में मृत्यु दर सबसे कम है।

अध्ययन के निहितार्थ

- कोरोनावायरस (COVID-19) के मामलों में लैंसेट द्वारा किया गया अध्ययन हाल के इन्फ्लूएंजा महामारियों (जैसे- वर्ष 2009 में H1N1 इन्फ्लूएंजा) की तुलना में काफी अधिक है।
- कोरोनावायरस (COVID-19) का तेज़ी से हो रहा प्रसार इस वायरस का आगामी दिनों में और गंभीर स्वास्थ्य संकट बनने का इशारा करता है।
- अध्ययनकर्ताओं के अनुसार, अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता वाले संक्रमित व्यक्तियों के अनुपात को यदि संभावित संक्रमण की दर (लगभग 50-80 प्रतिशत) के साथ संयोजित किया जाए तो यह दर्शाता है कि सबसे उन्नत स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियाँ भी इस वायरस से लड़ने में असफल हो सकती हैं।
- इसलिये लैंसेट द्वारा किया गया यह अध्ययन दुनिया भर के देशों को और अच्छी तैयारी करने के लिये प्रेरित करता है, क्योंकि कोरोनावायरस महामारी अभी भी जारी है।

मौजूदा स्थिति

- कोरोनावायरस मौजूदा समय में विश्व के समक्ष एक गंभीर चुनौती बन गया है और दुनिया भर में इसके कारण अब तक 52000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और तकरीबन 1000000 लोग इसकी चपेट में हैं।
- भारत में भी स्थिति काफी गंभीर है और इस खतरनाक वायरस के कारण अब तक देश में 56 लोगों की मृत्यु हो चुकी है तथा देश में 2300
 से अधिक लोग इसकी चपेट में हैं।
- भारत सरकार द्वारा कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिये कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, ध्यातव्य है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में
 21 दिवसीय लॉकडाउन की घोषणा की थी।
- इसके अलावा गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा 21,064 राहत शिविर बनाए गए हैं और लगभग 6,66,291 लोगों को शरण दी गई है।
- रिपोर्ट के अनुसार, हवाई अड्डों पर 15.25 लाख यात्रियों की जाँच की गई, 12 प्रमुख बंदरगाहों पर 40,000 लोगों की जाँच की गई और भूमि सीमाओं पर 20 लाख लोगों की जाँच की गई है।

COVID-19 का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व बैंक (World Bank) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, COVID-19 के कारण पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में लगभग 11 मिलयन लोग गरीबी रेखा से नीचे आ सकते हैं।

प्रमुख बिंदुः

- संपूर्ण विश्व में इस वायरस के कारण अभी तक लगभग 7,80,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं एवं 37,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
- वाशिंगटन स्थित एक वैश्विक ऋणदात्री संस्था के पूर्वानुमानों के अनुसार पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में वर्ष 2020 में लगभग 35 मिलियन लोग गरीबी से बाहर आ सकते थे, जिसमें केवल चीन से ही 25 मिलियन से अधिक लोग शामिल हैं।
- COVID-19 के और ज्यादा फैलने या फिर बहुत लंबे समय तक चलने से इसका पर्यटन गतिविधि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

अर्थव्यवस्थाः

- विकासशील पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में वर्ष 2020 में COVID-19 के कारण वृद्धि दर 2.1% रह सकती है, जो 2019 में 5.8% थी। सबसे बुरी दशा में यह नकारात्मक 0.5% तक हो सकती है।
- चीन की वृद्धि दर वर्ष 2019 के 6.1% से घटकर वर्ष 2020 में वृद्धि दर 2.3% रह सकती है।

स्वास्थ्य सेवा हेतु दिशा-निर्देश:

- रिपोर्ट में COVID-19 की रोकथाम और व्यापक आर्थिक नीतियों पर 'एकीकृत दृष्टिकोण' का सुझाव दिया गया है।
- सरकार को आइसोलेशन वार्ड की सुविधा, सेपरेशन किट, मास्क इत्यादि के शीघ्र उत्पादन पर जोर देना चाहिये।
- सरकार को अधिक-से-अधिक अत्याधुनिक उपकरणों से लैस प्रयोगशालाओं को स्थापित करना चाहिये, तािक व्यक्ति में संक्रमण की पूरी तरह से पुष्टि हो सके।
- स्वास्थ्य सेवा के लिये सब्सिडी COVID-19 की रोकथाम में मदद करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि आने वाले दिनों में दुनिया की अर्थव्यवस्था कैसी होगी।

विश्व बैंक (World Bank):

विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की ऋण प्रदान करने वाली एक विशिष्ट संस्था है, इसका उद्देश्य सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक वृहद
 वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल करना तथा विकासशील देशों में गरीबी उन्मुलन के प्रयास करना है।

- यह नीति सुधार कार्यक्रमों एवं संबंधित परियोजनाओं के लिये ऋण प्रदान करता है। विश्व बैंक की सबसे खास बात यह है कि यह केवल विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है।
- इसका प्रमुख उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके अंतर्गत विश्व को आर्थिक तरक्की के मार्ग पर लाने, विश्व में गरीबी को कम करने, अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देने जैसे पक्षों पर बल दिया गया है।

पीएम केयर्स के तहत विदेशी सहयोग को स्वीकृति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में COVID-19 की चुनौती से निपटने के लिये भारत सरकार ने 'प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन स्थिति राहत कोष (Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations or PM-CARES) के तहत विदेशी सहयोग को स्वीकार करने का निर्णय लिया है।

मुख्य बिंदुः

- सरकार के इस निर्णय के बाद अन्य देशों के नागरिक, संस्थाएँ और सरकार भी इस राहत कोष में अपना सहयोग कर सकेंगे।
- ध्यातव्य है कि भारत सरकार ने पिछले 16 वर्षों से आपदा प्रबंधन के लिये 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष' (Prime Minister's National Relief Fund- PMNRF) के तहत किसी भी प्रकार की विदेशी सहायता को स्वीकार नहीं किया था।
- हालाँकि वर्तमान में केवल पीएम केयर्स (PM-CARES) के तहत ही विदेशी सहयोग/अनुदान की अनुमित दी गई है अन्य किसी भी प्रकार के फंड या राहत कोष जैसे- PMNRF में विदेशी सहयोग पर अभी भी पाबंदी बनी रहेगी।

पीएम केयर्स (PM-CARES) फंड:

- पीएम केयर्स फंड की स्थापना 27 मार्च, 2020 एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट (Public Charitable Trust) के रूप में की गई थी।
- देश का प्रधानमंत्री इस फंड का अध्यक्ष होगा तथा केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री भी इस फंड के सदस्य होंगे।
- इस फंड के तीन अन्य ट्रस्टियों को प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाएगा, जो अनुसंधान, स्वास्थ्य, विज्ञान, सामाजिक कार्य, कानून, लोक प्रशासन और परोपकार (Philanthropy) के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे।
- इस फंड के उद्देश्यों में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल या कोई अन्य आपात स्थिति, आपदा या संकट, चाहे वह मानव निर्मित या प्राकृतिक, में किसी भी प्रकार की राहत या सहायता पहुँचाना।
- इसमें स्वास्थ्य सेवा या दवा सुविधाओं का निर्माण या उन्नयन, अन्य आवश्यक बुनियादी ढाँचे, प्रासंगिक अनुसंधान या किसी अन्य उद्देश्य के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध करना आदि शामिल है।

PMNRF के तहत विदेशी सहयोग स्वीकार का करने के कारण:

- वर्ष 2004 में हिंद महासागर में आयी सुनामी के समय भारत सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष के तहत किसी भी प्रकार की विदेशी सहायता को लेने से इनकार कर दिया था। हालाँकि इस दौरान सहायता के इच्छुक राष्ट्र, विदेशी नागरिक आदि स्वयंसेवी संस्थाओं जैसे अन्य माध्यमों से सहायता भेज सकते थे।
- वर्ष 2004 में भारत सरकार की नीति में हुए इस बड़े बदलाव के बाद अब तक इसका अनुसरण किया जाता रहा है।
- पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अन्य क्षेत्रों में प्रगति के साथ ही आपदा प्रबंधन और पुनर्वास में अपनी क्षमता में महत्त्वपूर्ण विकास किया है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, आपदा में राहत के अतिरिक्त विदेशी सहायता देने वाले देशों की अन्य राजनीतिक/रणनीतिक अपेक्षाएँ होती हैं, ऐसे में अन्य देशों से सहायता न लेने का निर्णय भारतीय विदेश नीति को मजबूती प्रदान करता है।
- हालाँकि इस दौरान भारत ने अन्य देशों में आपदा या किसी अन्य संकट की स्थिति में आर्थिक तथा अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध करायी है। उदाहरण- वर्ष 2005 में चक्रवात कट्टीना (Hurricane Katrina) के बाद अमेरिका को 25 टन राहत सामग्री की सहायता, वर्ष 2005 में पाकिस्तान को भूकंप से उबरने के लिये अन्य सहयोगों के साथ 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक मदद, वर्ष 2008 चीन में भूकंप के बाद राहत सामग्री भेजी गई थी।

पीएम केयर्स के तहत विदेशी सहायता की स्वीकृति के कारण:

- COVID-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियाँ पहले कभी नहीं देखी गई, किसी प्रमाणिक उपचार के अभाव तथा इस बीमारी की अनिश्चितता को देखते हुए सरकार ने 'पीएम केयर्स' के तहत विदेशी सहायता स्वीकार करने का फैसला लिया है।
- इस फंड की स्थापना से पहले कई विदेशी संस्थाओं, नागरिकों आदि ने COVID-19 की चुनौती से निपटने में सरकार के प्रयासों में सहायता देने की इच्छा व्यक्त की थी।

निष्कर्षः

पिछले कुछ वर्षों में भारत ने आपदा-प्रबंधन के लिये स्वास्थ्य, तकनीकी और अन्य क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण प्रगित की है, देश में किसी आपदा के लिये PMNRF में विदेशी सहायता को स्वीकार न करना भारत को बिना किसी दबाव के विदेश नीति स्पष्ट करने में सहायता प्रदान करता है। परंतु वर्तमान में COVID-19 के कारण उत्पन्न हुई अनिश्चितता की स्थिति में सभी प्रकार की सहायता के लिये मार्ग खोलना इस आपदा से निपटने के प्रयासों को मजबूती प्रदान करेगा।

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार आगामी शैक्षणिक वर्ष को आभासी (Virtually) रूप में शुरू करने की योजना बना रही है।

प्रमुख बिंदुः

- गौरतलब है कि देश भर में मार्च की शुरुआत से ही (लॉकडाउन से पहले ही) COVID-19 महामारी के कारण कई स्कूल बंद हैं।
- केंद्र सरकार ने अंग्रेजी और हिंदी में समर्पित टीवी तथा रेडियो चैनलों के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम फिर से शुरू करने की योजना बनाई है।
 - दरअसल स्वयंप्रभा 32 डीटीएच चैनलों का एक समूह के साथ एक पहले से मौजूद कार्यक्रम है जो जीसैट -15 उपग्रह का उपयोग करते हुए 24X7 के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करने के लिये समर्पित है।
- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (National Institute of Open Schooling- NIOS) को स्कूल कक्षाओं के लिये एक संरचित कार्यक्रम बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
 - ◆ यह प्रयास राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (National Council of Educational Research and Training-NCERT) के साथ उसके पाठ्यक्रम का उपयोग करके किया जा रहा है।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (National Institute of Open Schooling- NIOS):

- NIOS एक 'मुक्त विद्यालय' है जो पूर्व-स्नातक स्तर तक के विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों को शिक्षा प्रदान करता है।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development- MHRD), द्वारा नवंबर 1989 में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना की गई थी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जुलाई, 2002 में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का नाम बदलकर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान कर दिया गया ।
- इसका उद्देश्य औपचारिक प्रणाली के विकल्प के रूप में मुक्त शिक्षा प्रणाली द्वारा
- प्राथिमकता प्राप्त शिक्षार्थी समूहों को पूर्व-स्नातक स्तर की शिक्षा प्रदान करना है।

राज्य बोर्डों के लिये:

- राज्यों के लिये दीक्षा (Digital Infrastructure for Knowledge Sharing- DIKSHA) पोर्टल को स्थानीय भाषाओं में सामग्री प्रदान करने के लिये एक मंच के रूप में प्रदान किया गया है।
- यदि राज्य स्थानीय भाषाओं में शैक्षिक सामग्री (Content) प्रस्तुत करने के इच्छुक हैं, तो केंद्र सरकार उन्हें चैनल पर 2-3 घंटे उपलब्ध करा सकती है।

दीक्षा पोर्टल (DIKSHA Portal):

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development- MHRD) द्वारा शिक्षकों के लिये राष्ट्रीय डिजिटल माध्यम दीक्षा पोर्टल की शुरुआत की गई।
- दीक्षा पोर्टल की शुरुआत शिक्षक समुदाय को समाचार, किसी प्रकार की घोषणा, आकलन तथा शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के लिये की गई थी।
- इस पोर्टल पर शिक्षकों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से प्रशिक्षण प्राप्त होगा।
- यह पोर्टल शिक्षकों को टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट (Teacher Education Institutes- TEIs) में शामिल होने के उद्देश्य से शिक्षकों को स्वयं निर्देशित करने में मदद करेगा।
- यह नियमित स्कूल पाठ्यक्रम के बाद, NCERT पाठ्यपुस्तकों और पाठों (lessons) तक पहुँच प्रदान करता है।

लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर राज्यों द्वारा दंडात्मक कार्रवाई

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश सभी राज्यों को लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code- IPC) और आपदा प्रबंधन अधिनियम (Disaster Management Act), 2005 के तहत कार्रवाई करने को कहा है।

मुख्य बिंदुः

- केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा यह फैसला देश के कई राज्यों में कोरोनावायरस की जाँच कर रहे स्वास्थ्य किमयों के साथ मार-पीट के मामलों को देखने के बाद लिया गया है।
- केंद्रीय गृह सचिव द्वारा राज्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि 24 मार्च, 2020 को जारी लॉकडाउन निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 और 60 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
- साथ ही नागरिकों तथा सरकारी अधिकारियों को इस संदर्भ में जानकारी देने के लिये इन कानूनों के तहत दंडात्मक प्रावधानों का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिये।
- साथ ही केंद्रीय गृह सचिव ने 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana or PM-GKY) के तहत सहायता राशि के वितरण, भीड़ न लगने और सोशल डिसटेंसिंग(Social Distancing) बनाए रखने, बैंकों और व्यापारिक केंद्रों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती आदि के संबंध में वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के बारे में राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में जिला एवं जमीनी स्तर पर कार्यरत संस्थाओं को विस्तृत जानकारी उपलब्ध करने को कहा।
- केंद्रीय गृह सिचव ने PM-GKY के तहत लाभार्तियों को निर्बाध रूप से सहायता राशि के वितरण के लिये जिला स्तरीय और अन्य अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने तथा इसके लिये की गई कार्रवाई की एक रिपोर्ट गृह-मंत्रालय को भेजने का निर्देश दिया।
- ध्यातव्य है कि 24 मार्च, 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा देश में कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिये देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी।

कानूनी प्रावधानः

- भारतीय दंड संहिता की धारा 188: भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत में दो प्रकार के अपराधों और इस संबंध में दंडात्मक कार्रवाई की व्याख्या की गई है:
 - िकसी अधिकारी द्वारा लागू विधि पूर्वक आदेशों के उल्लंघन करना और यदि आदेश के उल्लंघन से सरकार द्वारा नियोजित अधिकारी को चोट पहुँचती है या उसके काम में बाधा आती है, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ इस कानूनी प्रावधान के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
 - सजा: ऐसे मामलों में अपराध सिद्ध होने पर अपराधी को 1 महीने का कारावास या 200 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है।

2. यदि आदेश के उल्लंघन से किसी व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य आदि को खतरा हो।
सजा: ऐसे मामलों में अपराध सिद्ध होने पर अपराधी को 6 महीने का कारावास या 1000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है।
हालाँकि विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे मामलों में तभी सजा दी जा सकती है जब यह प्रमाणित किया जा सके कि आरोपी ने जानबूझ कर आदेशों
का उल्लंघन किया है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 के तहत दो प्रकार के अपराधों और इस संबंध में दंडात्मक कार्रवाई की व्याख्या की गई है:

- इस अधिनियम के तहत कार्य कर रहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी अथवा राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के कार्य में बाधा डालना।
- 2. इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय कार्यकारी सिमिति या जिला प्राधिकरण द्वारा या उसकी और से दिये गए किसी निर्देश का पालन करने से इनकार करना।

सजाः

- 🔷 ऐसे मामलों में अपराध सिद्ध होने पर अपराधी को एक वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है।
- ◆ यदि किसी आरोपी द्वारा निर्देशों के उल्लंघन या कार्य में बाधा डालने की कार्रवाई से किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा हो या उसकी
 मृत्यु हो जाती है तो ऐसे मामलों में अपराधी को दो वर्ष कारावास की सजा हो सकती है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 52 के तहत: यदि कोई व्यक्ति आपदा की स्थिति में सरकार की योजनाओं के तहत राहत, सहायता, मरम्मत या अन्य लाभ प्राप्त करने के लिये गलत सूचना देता है (जिसके गलत होने के बारे में उसे पता हो या उसके पास विश्वास करने के कारण हों कि सूचना गलत है)। ऐसे मामलों में अपराध सिद्ध होने पर दो वर्ष तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है।

निष्कर्षः

वर्तमान में COVID-19 के किसी प्रमाणिक उपचार के अभाव में इस बीमारी के प्रसार को रोकना ही इससे निपटने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है, ऐसे में नागरिकों को सरकार के निर्देशों का पालन कर इस बीमारी से लड़ने मंत अपना योगदान देना चाहिये। COVID-19 के कारण विश्व भर में अर्तव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़े हैं और बेरोजगारी में भी बड़ी मात्रा वृद्धि हुई है, सरकार द्वारा आर्थिक चुनौती का सामना कर रहे लोगों को PM-GKY के माध्यम से आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना एक सराहनीय कदम है।

आरोग्य सेतु एप

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने COVID-19 के मामलों को ट्रैक करने हेतु 'आरोग्य सेतु' (Aarogya Setu) नामक एक एप लॉन्च किया है।

आरोग्य सेतु एप के बारे में:

- आरोग्य सेतु एप को सार्वजिनक-निजी साझेदारी (Public-Private Partnership) के जिरये तैयार एवं गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च किया गया है।
- इस एप का मुख्य उद्देश्य COVID-19 से संक्रमित व्यक्तियों एवं उपायों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना होगा।
- यह एप 11 भाषाओं में उपलब्ध है और साथ ही इसमें देश के सभी राज्यों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी दी गई है।

विशेषताएँ:

- ♦ किसी व्यक्ति में कोरोनावायरस के जोखिम का अंदाजा उनकी बातचीत के आधार पर करने हेतु आरोग्य सेतु ऐप द्वारा ब्लूटूथ तकनीक, एल्गोरिदम (Algorithm), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का प्रयोग किया जाएगा।
- ♦ एक बार स्मार्टफोन में इन्स्टॉल होने के बाद यह एप नज़दीक के किसी फोन में आरोग्य सेतु के इन्स्टॉल होने की पहचान कर सकता है।

- यह एप कुछ मापदंडों के आधार पर संक्रमण के जोखिम का आकलन कर सकता है।
- एप की कार्यप्रणाली:
 - ◆ अगर कोई व्यक्ति COVID-19 सकारात्मक व्यक्ति के संपर्क में आता है, तो एप निर्देश भेजने के साथ ही ख्याल रखने के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा।
 - ◆ इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, एप अपने उपयोगकर्त्ताओं के 'अन्य लोगों के साथ संपर्क' को ट्रैक करेगा और किसी उपयोगकर्त्ता को किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में होने के संदेह की स्थिति में अधिकारियों को सतर्क करेगा। इनमें से किसी भी संपर्क का परीक्षण सकारात्मक होने की स्थिति में यह एप्लिकेशन परिष्कृत मापदंडों के आधार पर संक्रमण के जोखिम की गणना कर सकता है।
- लाभ:
 - यह एप सरकार को COVID-19 के संक्रमण के प्रसार के जोखिम का आकलन करने और आवश्यकता पड़ने पर लोगों को अलग रखने में मदद करेगा।

निजता संबंधी चिंताएँ:

- इस एप को लेकर कई विशेषज्ञों ने निजता संबंधी चिंता जाहिर की है। हालाँकि केंद्र सरकार के अनुसार, किसी व्यक्ति की गोपनीयता सुनिश्चित करने हेतु लोगों का डेटा उनके फोन में लोकल स्टोरेज में ही सुरक्षित रखा जाएगा तथा इसका प्रयोग तभी होगा जब उपयोगकर्ता किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आएगा जिसकी COVID-19 की जाँच पॉजिटिव/सकारात्मक रही हो।
- विशेषज्ञों के अनुसार:
 - क्या डेटा एकत्र किया जाएगा, इसे कब तक संग्रहीत किया जाएगा और इसका उपयोग किन कार्यों में किया जाएगा, इस पर केंद्र सरकार की तरफ से पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है।
 - ◆ सरकार ऐसी कोई गारंटी नहीं दे रही कि हालात सुधरने के बाद इस डेटा को नष्ट कर दिया जाएगा।
 - ◆ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिये एकत्रित किये जा रहे डेटा के प्रयोग में लाए जाने से निजता के अधिकार का हनन होने के साथ ही सर्वोच्च न्यायलय के आदेश का भी उल्लंघन होगा जिसमें निजता के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बताया गया है।
 - ◆ जिस तरह आधार नंबर एक सर्विलांस सिस्टम बन गया है और उसे हर चीज से जोड़ा जा रहा है वैसे ही कोरोना वायरस से जुड़े एप्लिकेशन में लोगों का डेटा लिया जा रहा है जिसमें उनका स्वास्थ्य संबंधी डेटा और निजी जानकारियाँ भी शामिल हैं। अभी यह सुनिश्चित नहीं है कि सरकार किस प्रकार और कब तक इस डेटा का उपयोग करेगी।

COVID-19 दवा निर्माण हेतु पर्यावरण प्रभाव आकलन से राहत

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय' (Ministry of Environment, Forest and Climate Change-MoEFCC) ने देश में COVID-19 की दवा के निर्माण हेतु आवश्यक सिक्रय दवा सामग्री (Active Pharmaceutical Ingredient- API) से संबंधित परियोजनाओं के लिये पर्यावरण प्रभाव आकलन (Environment Impact Assessment-EIA) की अनिवार्यता से अंतरिम राहत प्रदान करने का फैसला किया है।

मुख्य बिंदुः

- MoEFCC के इस फैसले के तहत 30 सितंबर, 2020 तक देश में API के निर्माण की परियोजनाओं से संबंधित आवेदनों के लिये अनिवार्य EIA की छूट प्रदान की जाएगी।
- 30, सितंबर 2020 तक प्राप्त ऐसे सभी आवेदनों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत B2 श्रेणी में रखा जाएगा।
- MoEFCC के अनुसार, 30 सितंबर, 2020 के बाद इस संदर्भ में कोई भी निर्णय उस समय के नियमों के आधार पर लिया जाएगा।
- MoEFCC के अनुसार, COVID-19 के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से थोक दवाओं के निर्माण और अन्य परियोजनाओं के लिये पूर्व के पर्यावरण मंज़्री संबंधी नियमों में तेज़ी लाना अति आवश्यक है।

- ध्यातव्य है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियमों के तहत परियोजनाओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है।
 - ♦ 'A': श्रेणी 'A' के तहत उन परियोजनाओं को रखा जाता है जिनका अनुमोदन केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
 - ♦ 'B': श्रेणी 'B' के तहत उन परियोजनाओं को रखा जाता है जिनका अनुमोदन राज्यों द्वारा किया गया हो।
 - ♦ 'B2': इस श्रेणी में EIA और जन सुनवाई से राहत प्राप्त योजनाओं को सूचीबद्ध किया जाता है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम {ENVIRONMENT (PROTECTION) ACT}, 1986:

- इस अधिनियम की अवधारण वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित 'संयुक्त राष्ट्र के विश्व मानव पर्यावरण अभिसमय' (United Nations Conference on the Human Environment), जिसमें भारत ने भी हिस्सा लिया था, के बाद प्रस्तुत की गई।
- इस अधिनियम में पर्यावरण संरक्षण और सुधार तथा इससे जुड़े हुए मुद्दों के लिये आवश्यक विधिक प्रावधानों का विवरण दिया गया है।
- यह अधिनियम वर्ष 1986 में लागू किया गया।

क्या है सिक्रय दवा सामग्री?

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, किसी रोग के उपचार, रोकथाम अथवा अन्य औषधीय गतिविधि के लिये आवश्यक दवा के निर्माण में प्रयोग होने वाले पदार्थ या पदार्थों के संयोजन को 'सक्रिय दवा सामग्री' के नाम से जाना जाता है।

- वर्तमान में भारतीय दवा उद्योग के क्षेत्र में कार्यरत कंपिनयाँ दवाइयों के निर्माण में आवश्यक API के लिये अन्य देशों पर होने वाले आयात
 पर निर्भर रहता है।
- इनमें से अधिकांश (लगभग 70%) चीन से आयात किया जाता है।
- वर्तमान में COVID-19 के कारण विश्व के कई देशों में यातायात पर प्रतिबंध के कारण भारत में API की आपूर्ति प्रभावित हुई है।
- इससे पहले भी देश में API के क्षेत्र में स्थानीय क्षमता के विकास के माध्यम से आयात की निर्भरता को कम करने के प्रयास किये गए हैं परंतु वे बहुत अधिक सफल नहीं हुए।
- हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में API या थोक दवाओं (Bulk Drugs) के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये लगभग 13 हजार करोड़ रुपए की लागत से बल्क ड्रग्स पार्क (Bulk Drugs Park) की स्थापना के साथ कुछ अन्य योजनाओं की घोषणा की है।

EIA में छूट के लाभ:

- वर्तमान में औषिध क्षेत्र या अन्य परियोजनाओं के लिये पर्यावरण मंज़ूरी प्राप्त करने में अत्यधिक समय लगता है, ऐसे में MoEFCC की इस छूट के बाद COVID-19 के लिये दवाओं के निर्माण में तेजी आएगी।
- वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए EIA में छूट देने के संदर्भ में MoEFCC की पहल सराहनीय है।
- िकसी भी क्षेत्र के विकास के लिये औद्योगिक संस्थानों, सरकार और नियामकों का मिलकर काम करना बहुत ही आवश्यक है, इस विचारधारा के तहत MoEFCC की तत्परता भारतीय दवा उद्योग क्षेत्र के भविष्य के लिये एक सकारात्मक संकेत है।

आयुष्मान भारत के तहत COVID-19 का मुफ्त परीक्षण और उपचार

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कोरोनावायरस का मुफ्त परीक्षण और उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

 सरकार द्वारा की गई यह घोषणा आयुष्मान भारत योजना के 50 करोड़ लाभार्थियों को निर्दिष्ट निजी अस्पतालों में मुफ्त परीक्षण और उपचार की सुविधा प्राप्त करने में मदद करेगी।

- इस संदर्भ में प्रस्तुत किये गए आधिकारिक विवरण के अनुसार, इस योजना के तहत निर्दिष्ट अस्पताल या तो अपनी स्वयं की अधिकृत परीक्षण सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं अथवा योजना के लिये अधिकृत परीक्षण सुविधा के साथ टाई अप (Tie Up) कर सकते हैं।
- सभी परीक्षण भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (Indian Council for Medical Research-ICMR) द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार ICMR द्वारा पंजीकृत निजी प्रयोगशालाओं द्वारा ही किये जाएंगे।
- सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य परीक्षण और उपचार सुविधाओं की आपूर्ति में वृद्धि करना और ICMR दिशा-निर्देशों के अनुसार आयुष्पान योजना के माध्यम से आम लोगों की निजी क्षेत्र में पहुँच में वृद्धि करना है।

निर्णय के लाभ

- योजना के लाभार्थियों को मुफ्त परीक्षण और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने का यह निर्णय COVID-19 महामारी के प्रति भारत के प्रयासों को और मजबूत करेगा।
- साथ ही इस घोषणा के कारण लाभार्थियों को समयबद्ध तथा मानक उपचार प्राप्त हो सकेगा।

निजी क्षेत्र की भागीदारी

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन के अनुसार, 'इस गंभीर संकट के समय कोरोनावायरस (COVID-19) के विरुद्ध लड़ाई में निजी क्षेत्र को एक महत्त्वपूर्ण भागीदार और हितधारक के रूप में सिक्रय रूप से शामिल करना आवश्यक है।'
- आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी क्षेत्र के अस्पतालों और प्रयोगशालाओं को शामिल करके लोगों को मुफ्त परीक्षण और उपचार सुविधा उपलब्ध कराना हमारी क्षमताओं का काफी विस्तार करेगा और गरीबों पर इस भयावह वायरस के प्रतिकूल प्रभाव को कम करेगा।
 - ◆ स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार, कई राज्य निजी क्षेत्र के अस्पतालों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया में थे जिन्हें केवल COVID-19 अस्पतालों में परिवर्तित किया जा सकता था।

आयुष्मान भारत योजना

- आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (Universal Health Coverage-UHC) के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर लागू किया गया था।
- आयुष्पान भारत के तहत दो अंतर-संबंधित घटकों से युक्त देखभाल के दृष्टिकोण को अपनाया गया है, जो हैं-
 - ♦ स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (HWCs)
 - ◆ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)
- यह पहल सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals-SDGs) और इनके तहत रेखांकित प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिये तैयार की गई है।
- इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तरों पर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की बाधाओं को समाप्त करना है। साथ ही इस योजना के माध्यम से देश की 40 प्रतिशत जनसंख्या को स्वास्थ्य कवर के दायरे में लाने का भी प्रयास किया जा रहा है।

कोरोनावायरस और भारत

- कोरोनावायरस मौजूदा समय में विश्व के समक्ष एक गंभीर चुनौती बन गया है और दुनिया भर में इसके कारण अब तक 69000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और तकरीबन 1200000 लोग इसकी चपेट में हैं।
- भारत में भी स्थित काफी गंभीर है और इस खतरनाक वायरस के कारण अब तक देश में 109 लोगों की मृत्यु हो चुकी है तथा देश में 4000 से अधिक लोग इसकी चपेट में हैं।
- भारत सरकार द्वारा कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिये कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, ध्यातव्य है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में
 21 दिवसीय लॉकडाउन की घोषणा की थी।
- इसके अलावा गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा 21,064 राहत शिविर बनाए गए हैं और लगभग 6,66,291 लोगों को शरण दी गई है।
- रिपोर्ट के अनुसार, हवाई अड्डों पर 15.25 लाख यात्रियों की जाँच की गई, 12 प्रमुख बंदरगाहों पर 40,000 लोगों की जाँच की गई और भूमि सीमाओं पर 20 लाख लोगों की जाँच की गई है।

इज़राइली तकनीकी कंपनी एनएसओ (NSO) ग्रुप द्वारा कोरोना ट्रैकर का परीक्षण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्पाइवेयर पेगासस का निर्माण करने वाली इजराइल की तकनीकी कंपनी एनएसओ (NSO) ग्रुप ने कोरोनावायरस के प्रसार की निगरानी के लिये एक सॉफ्टवेयर के परीक्षण की जानकारी दी है।

मुख्य बिंदुः

- NSO समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अनुसार, कोरोनावायरस के संक्रमण की निगरानी के लिये तकनीकी के प्रयोग से निजता (या निजी जानकारी की सुरक्षा) के बारे में आशंकाएँ उठ सकती हैं परंतु तकनीकी के सही और अनुपातित प्रयोग से निजता से कोई समझौता किये बगैर लोगों का जीवन बचाया जा सकता है।
- NSO समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अनुसार, इस सॉफ्टवेयर के परीक्षण के लिये इजराइल सरकार ने अपनी अनुमित दे दी है, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से इजराइली स्वास्थ्य मंत्रालय को दो महत्त्वपूर्ण जानकारियों (संक्रमित व्यक्ति की लोकेशन और उसके संपर्क में आए लोगों की जानकारी) के आधार पर कोरोनावायरस के प्रसार को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी।
- ध्यातव्य है कि नवंबर 2019 में लोकप्रिय मेसेजिंग प्लेटफोर्म व्हाट्सएप ने दावा किया कि NSO द्वारा निर्मित 'पेगासस' (Pegasus) नामक स्पाइवेयर के माध्यम से विश्व के कई देशों (जिनमें भारत भी शामिल है) में व्हाट्सएप का प्रयोग करने वाले लोगों की जासूसी की गई थी
- NSO के अनुसार, कंपनी केवल सरकारों और संस्थागत खरीदारों को ही अपनी तकनीक बेचती है।

कैसे काम करता है यह साफ्टवेयर?

- NSO के अनुसार, एक विश्वसनीय और सरल महामारी-विज्ञान जाँच के लिये दो चीजों की आवश्यक है:
 - 1. व्यक्ति की जानकारी की आवश्यकता है, जिससे सेलुलर कंपनी से उसका डेटा को प्राप्त किया जा सके
 - यह जानने की आवश्यकता है कि संक्रमित व्यक्ति पिछले 14 दिनों में कहाँ-कहाँ गया था।
- NSO समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अनुसार, हमारे लिये यह अच्छी बात यह कि वर्तमान में प्रत्येक मोबाइल के लोकेशन की जानकारी सेलुलर कंपनी के पास नियमित रूप से उपलब्ध होती है।
- किसी व्यक्ति के कोरोनावायरस संक्रमित होने की पुष्टि होने के बाद इस जानकारी के आधार पर पिछले 14 दिनों में मरीज द्वारा यात्रा की गई जगहों और उससे एक निश्चित दूरी में रहे लोगों की पहचान की जा सकती है।
- मरीज़ के संपर्क में आए लोगों की जानकारी के आधार पर ऐसे लोग जिनके संक्रमित होने की संभावना अधिक हो, को सेल्फ-आइसोलेशन (Self-Isolation) में रहने के लिये निर्देशित किया जा सकता है।
- साथ ही इसके माध्यम से चिकित्सकों को संक्रमण के स्रोत और संभावित संक्रमित लोगों की विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराई जा सकेगी।
- इस जानकारी में केवल मोबाइल की सेलुलर लोकेशन (Cellular Location) का डेटा होता है, अत: इस प्रक्रिया में लोकेशन के अतिरिक्त व्यक्ति की कॉल की रिकार्डिंग या मैसेज अथवा अन्य कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं ली जा सकती।

सद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना स्थगित

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने COVID-19 की चुनौती से निपटने हेतु फंड जुटाने के लिये अगले दो वर्षों तक 'संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना' (Members of Parliament Local Area Development Scheme- MPLADS) को स्थिगत करने और अगले एक वर्ष के लिये सभी संसद सदस्यों के वेतन में 30% की कटौती करने का निर्णय लिया है।

मुख्य बिंदुः

- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 6 मार्च, 2020 को 'संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954' में संशोधन के लिये एक अध्यादेश जारी किया गया था।
- केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री के अनुसार, इस अध्यादेश के माध्यम से संसद सदस्यों के वेतन से कटौती के पश्चात प्राप्त राशि और MPLADS फंड (लगभग 8000 करोड़ रुपए) को 'भारत की संचित निधि' (Consolidated Fund of India) में जमा किया जाएगा, जिसका उपयोग COVID-19 से निपटने के लिये किया जाएगा।

'भारत की संचित निधि' (Consolidated Fund of India):

- संचित निधि सभी सरकारी खातों में सबसे महत्त्वपूर्ण है।
- सरकार को मिलने वाले सभी प्रकार के राजस्व (सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर, सम्पदा शुल्क आदि) और सरकार द्वारा किये गए खर्च (कुछ विशेष खर्च को छोडकर) संचित निधि का हिस्सा हैं।
- संचित निधि की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत की गई थी।
- संसद के अनुमोदन के बिना इस निधि से कोई धनराशि नहीं निकाली जा सकती है।
- कुछ विशेष खर्च (जिनके लिये आकस्मिक निधि या सार्वजनिक निधि का प्रयोग किया जाता है) को छोड़कर सरकार के सभी खर्चों का वहन संचित्र निधि से ही किया जाता है।
- केंद्र की ही तरह सभी राज्यों की अपनी संचित निधि होती है।
- इस अध्यादेश के अनुसार, अगले एक वर्ष (वित्तीय वर्ष 2020-21) के लिये सभी संसद सदस्यों (प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों सिहत) के वेतन से 30 प्रतिशत की कटौती की जाएगी। साथ ही संसद सदस्यों को अपने संसदीय क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिये में प्राप्त होने वाले MPLADS को भी अगले दो वर्षों (वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22) के लिये स्थिगत कर दिया गया है।
- MPLADS के स्थगन और सांसदों के वेतन में कटौती के संदर्भ में यह परिवर्तन 1 अप्रैल, 2020 को शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष से लागू होंगे।
- सरकार के इस प्रयास में सहयोग देने के लिये राष्ट्रपित, उप-राष्ट्रपित और राज्यों के राज्यपालों ने अपने वेतन में 30% की कटौती करने का निर्णय लिया है।
- हालाँकि सरकार ने यह स्पष्ट किया कि इसके तहत केवल संसद सदस्यों के वेतन से कटौती की जाएगी, सदस्यों के अन्य भत्तों और पूर्व सांसदों की पेंशन से कोई कटौती नहीं की जाएगी।
- ध्यातव्य है कि हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने COVID-19 से निपटने में अपने सहयोग के रूप में स्वेच्छा से अपने एक दिन के वेतन सरकार को देने का फैसला किया था।
- केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री के अनुसार, सरकार द्वारा MPLADS को स्थिगत किये जाने से पहले ही कई संसद सदस्यों ने अपने फंड से COVID-19 के लिये सहयोग किया था।
- राज्यसभा सिचवालय द्वारा पिछले सप्ताह दी गई जानकारी के अनुसार, राज्यसभा के 74 सदस्यों ने कुल 100 करोड़ रुपए और 265 लोकसभा सदस्यों ने 265 करोड़ रुपए का योगदान दिया था।
- संसद सदस्यों के वेतन में वृद्धि के संदर्भ में वर्ष 2018 की घोषणा के अनुसार, वर्तमान में संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में 1 लाख रुपए, 70 हजार रुपए (निर्वाचन क्षेत्र भत्ता), 60 हजार रुपए (कार्यालय चलने के लिये) के साथ कुछ अन्य सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।

'संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना'

(Members of Parliament Local Area Development Scheme- MPLADS):

- MPLADS की शुरुआत 23 दिसंबर, 1993 को हुई थी।
- MPLADS पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है, इस योजना के तहत एक संसदीय क्षेत्र के लिये वार्षिक रूप से दी जाने वाली राशि की अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपए हैं।

- इस योजना के माध्यम से संसद सदस्य अपने संसदीय क्षेत्रों में स्थानीय जरूरतों के आधार पर विकास कार्यों को शुरू करने के लिये सुझाव दे सकते हैं।
- इस योजना की शुरुआत के बाद से ही देश में राष्ट्रीय प्राथमिकता जैसे- पेयजल, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़क आदि के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य किये गए हैं।
- इसके तहत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु नीति निर्माण, धनराशि जारी करने और निगरानी तंत्र के निर्धारण का कार्य 'केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय' द्वारा किया जाता है।

कोरोनावायरस रोकथाम- साबुन और सैनिटाइज़र

चर्चा में क्यों?

साबुन और पानी से हाथ धोना अथवा अल्कोहल आधारित सैनिटाइज़र (Alcohol-Based Sanitizer) का उपयोग करना कोरोनावायरस (COVID-19) के रोकथाम हेतु काफी महत्त्वपूर्ण साबित हो सकता है। किंतु जैसे-जैसे कोरोनावायरस का प्रसार होता जा रहा है वैसे-वैसे अल्कोहल आधारित सैनिटाइज़र की मांग भी बढ़ती जा रही है।

प्रमुख बिंदु

- विशेषज्ञों के अनुसार, वायरस को खत्म करने के लिये आवश्यक है कि 70 से 80 प्रतिशत अल्कोहॉल की मात्रा वाले सैनिटाइज़र का उपयोग करना चाहिये।
- वायरस को खत्म करने में अल्कोहल-आधारित सैनिटाइजर की भूमिका भी सामान्य साबुन के समान ही है। ध्यातव्य है कि सैनिटाइजर की सीमित उपलब्धता के कारण COVID -19 के विरुद्ध जंग में सामान्य साबुन सबसे बड़े हथियार के रूप में सामने आया है।
- शोध के अनुसार, कोरोनावायरस (COVID-19) में एक लिपिड एनवलप (Lipid Envelope) और एक अपमार्जक द्रव्य (Detergent) होने के कारण सामान्य साबुन तथा सैनिटाइज़र में इस लिपिड एनवलप को समाप्त करने की क्षमता होती है।
- कोरोनावायरस केवल कोशिकाओं के अंदर ही प्रतिकृत (Replicate) हो सकते हैं, किंतु कई अध्ययनों से यह सामने आया है कि यह वायरस सतह पर भी लंबे समय तक जीवित रह सकता है।
- ऐसी स्थिति में सामान्य साबुन और अल्कोहल-आधारित सैनिटाइजर की भूमिका काफी महत्त्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये सतह पर मौजूद वायरस को समाप्त करने में सक्षम होते हैं।

कोरोनावायरस का स्ट्रक्चर

- यू.एस. नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ (US National Institutes of Health) के अनुसार, अन्य कोरोनावायरस की तरह,
 SARS-CoV-2 के कण भी गोलाकार होते हैं और इनमें प्रोटीन होते हैं जिन्हें स्पाइक्स कहा जाता है।
 - ♦ SARS-CoV-2 उस वायरस का नाम है जिसके कारण कोई व्यक्ति COVID-19 से प्रभावित होता है।
- ये स्पाइक मानव कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, जिसके पश्चात् इनमें संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं जो वायरस की झिल्ली (Virus Membrane) को कोशिका की झिल्ली (Cell Membrane) के साथ एकरूप करने में मदद करता है।

कोरोनावायरस

- COVID-19 वायरस मौजूदा समय में भारत समेत दुनिया भर में स्वास्थ्य और जीवन के लिये गंभीर चुनौती बना है। अब संपूर्ण विश्व में इसका प्रभाव स्पष्ट तौर पर दिखने लगा है।
- WHO के अनुसार, COVID-19 में CO का तात्पर्य कोरोना से है, जबकि VI विषाणु को, D बीमारी को तथा संख्या 19 वर्ष 2019 (बीमारी के पता चलने का वर्ष) को चिह्नित करता है।
- कोरोनावायरस (COVID -19) का प्रकोप तब सामने आया जब 31 दिसंबर, 2019 को चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में अज्ञात कारण से निमोनिया के मामलों में हुई अत्यधिक वृद्धि के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन को सूचित किया गया।
- ध्यातव्य है कि इस खतरनाक वायरस के कारण चीन में अब तक 75000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और यह वायरस धीरे-धीरे संपूर्ण विश्व में फैल गया है।

न्यायालय की सुनवाई में भाग लेने पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में COVID-19 महामारी के मद्देनजर लोगों के न्यायालय परिसर में प्रवेश करने और सुनवाई में भाग लेने पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शरद अरविंद बोबडे के नेतृत्व वाली न्यायपीठ ने कहा कि ये प्रतिबंध सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) के अनुरूप हैं तथा वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये अनिवार्य हैं।

प्रमुख बिंदु

- न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद-142 के तहत अपनी असाधारण संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए ओपन कोर्ट हियरिंग (Open Court Hearings) के प्रावधानों को कुछ समय के लिये निरस्त कर दिया है।
- साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस स्थिति में असाधारण शक्ति का उपयोग विवेक का नहीं बल्कि कर्त्तव्य का मामला है।

कदम की अनिवार्यता

- यद्यपि ओपन कोर्ट प्रणाली (Open Court System) न्याय के प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, किंतु बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित होने से रोकने के लिये यह कदम अनिवार्य है।
- CJI शरद अरविंद बोबडे के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति और संस्थान से वायरस के संचरण को रोकने हेतु प्रबंधित किये गए उपायों के कार्यान्वयन में सहयोग करने की अपेक्षा की जाती है। न्यायालय के दायरे के भीतर लोगों की आवाजाही को कम करना इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है, इस प्रकार यह न्यायालय के विवेक का नहीं बल्कि कर्त्तव्य का मामला है।

तकनीक का प्रयोग

- भारतीय संविधान द्वारा पिरकिल्पित लोकतंत्र में कानून के शासन की रक्षा के लिये न्याय तक सभी की पहुँच को सुनिश्चित करना आवश्यक है। न्याय तक पहुँच के अभाव में आम लोग शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने, अपने अधिकारों का प्रयोग करने, भेदभाव को चुनौती देने और निर्णयकर्त्ताओं को उत्तरदायी ठहरने में असमर्थ हो जाते हैं।
- आवश्यक है कि COVID-19 महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों को संबोधित करने के साथ-साथ सभी तक न्याय की पहुँच सुनिश्चित करने की संवैधानिक प्रतिबद्धता को भी बनाए रखा जाए।
- इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय के प्रभावी वितरण हेतु सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communications Technology-ICT) के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये निम्निलिखित दिशा-निर्देश जारी किये हैं-
 - ♦ उच्च न्यायालय: उच्च न्यायालय को अपने संबंधित राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपयोग से संबंधित तौर-तरीकों का निर्णय लेना होगा।
 - ♦ जिला न्यायालयः प्रत्येक राज्य के जिला न्यायालय संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा निर्धारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तौर-तरीकों को अपनाएंगे।
 - तकनीकी शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिये हेल्पलाइन की जाएगी।
- न्यायालय के अनुसार, किसी भी मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा दोनों पक्षों की आपसी सहमित के बिना सबत दर्ज़ नहीं किये जाएंगे।
- इसके अलावा यदि किसी मामले में साक्ष्य दर्ज करना अति आवश्यक है, तो पीठासीन अधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करेगा।

संविधान का अनुच्छेद- 142

- अनुच्छेद-142 के अनुसार, अपने न्यायिक निर्णय देते समय न्यायालय ऐसे निर्णय दे सकता है जो इसके समक्ष लंबित पड़े किसी भी मामले को पूर्ण करने के लिये आवश्यक हों और इसके द्वारा दिये गए आदेश संपूर्ण भारत संघ में तब तक लागू होंगे जब तक इससे संबंधित किसी अन्य प्रावधान को लागू नहीं कर दिया जाता है।
 - ♦ इस प्रकार जब तक किसी अन्य कानून को लागू नहीं किया जाता तब तक सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सर्वोपरि होता है।
- संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधानों के तहत सर्वोच्च न्यायालय को संपूर्ण भारत के लिये ऐसे निर्णय लेने की शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति की मौजूदगी, किसी दस्तावेज अथवा स्वयं की अवमानना की जाँच और दंड को सुरक्षित करते हैं।

आगे की राह

- न्यायालय द्वारा प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध का निर्णय कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिये एक संस्थान की भूमिका के रूप में स्वागतयोग्य है। किंतु इस संदर्भ में न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय का प्रभावी क्रियान्वयन एक चुनौतीपूर्ण विषय है।
- देश में अभी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो तकनीक से पूर्ण रूप से अनिभज्ञ है, यह स्थिति सभी तक न्याय की पहुँच को सुनिश्चित करने में बाधा बन सकती है। आवश्यक है कि न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देशों के उचित क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाए और सभी विषय को यथासंभव संबोधित किया जाए।

हाइड़ोक्सीक्लोरोक्विन के निर्यात पर प्रतिबंध समाप्त

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन (Hydroxychloroquine- HCQ) के निर्यात पर लगाए गए अपने पूर्व के प्रतिबंध को समाप्त कर इसके निर्यात की अनुमित दे दी है।

मुख्य बिंदुः

- भारत सरकार ने 7 अप्रैल, 2020 को मलेरिया के उपचार में प्रयोग की जाने वाली दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साथ कुछ अन्य दवाओं के निर्यात की अनुमित दे दी है।
- विदेश मंत्रालय के अनुसार, COVID-19 महामारी के मानवीय पहलुओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके तहत भारत पर आश्रित (दवाओं के संदर्भ में) पड़ोसी देशों के लिये पैरासिटामॉल और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की उचित मात्रा को निर्यात करने की अनुमित दी गई है।
- साथ ही इन आवश्यक दवाओं को उन देशों में भी भेजा जाएगा जो इस महामारी से विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं।
- केंद्र सरकार के अनुसार, वर्तमान में निर्यात के लिये स्वीकृत HCQ और अन्य दवाएँ देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। सरकार के इस निर्णय के तहत दवाओं के स्टॉक की स्थिति और घरेलू मांग के आधार पर ही इन दवाओं का निर्यात किया जाएगा।
- ध्यातव्य है कि 25 मार्च, 2020 को विदेश व्यापार महानिदेशालय (Directorate General of Foreign Trade- DGFT) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, HCQ को प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची में डाल दिया था और 4 अप्रैल, 2020 को इस दवा के निर्यात को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (Directorate General of Foreign Trade- DGFT):

- DGFT केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) का एक संलग्न कार्यालय है।
- इसकी अध्यक्षता विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा की जाती है।
- DGFT का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। साथ ही देश के विभिन्न शहरों में इसके 38 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। इसके अतिरिक्त DGFT का एक एक्सटेंशन काउंटर (Extension Counter) इंदौर में स्थित है।
- DGFT भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ विदेश व्यापार नीति तैयार करने और उसे लागू करने का कार्य करता है।
- DGFT निर्यातकों को अनुमित जारी करने तथा अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से इस संबंध में उनके दायित्त्वों की निगरानी का कार्य करता है।

क्या है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन?

- हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक मलेरियारोधी दवा है। यह क्लोरोक्विन (Chloroquine) का एक यौगिक/डेरिवेटिव (Derivative) है, जिसे क्लोरोक्विन से कम विषाक्त (Toxic) माना जाता है।
- रूमेटाइड आर्थराइटिस (Rheumatoid Arthritis) और लूपस (Lupus) जैसी कुछ अन्य बीमारियों के मामलों में भी डॉक्टर की सलाह पर इस दवा का उपयोग किया जाता है।

भारत में हाइडोक्सीक्लोरोक्विन का उत्पादन:

- दवा क्षेत्र की एक शोध संस्था के अनुसार, फरवरी 2020 से पूर्व के 12 महीनों में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का व्यापार मात्र 152.8 करोड़ रुपये
- भारतीय बाजार में उपलब्ध लगभग 82% हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का उत्पादन मुंबई स्थित इप्का लेबोरेटरीज (Ipca Laboratories) द्वारा किया जाता है।
- इप्का लेबोरेटरीज़ द्वारा उत्पादित 80% हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को अन्य देशों में निर्यात कर दिया जाता है।
- हालाँकि कंपनी के प्रबंध-निदेशक के अनुसार, सरकार की आवश्यकता की आपूर्ति के लिये कंपनी की दवा उत्पादन क्षमता में वृद्धि की गई है।
- साथ ही इस दवा के दुरुपयोग, जमाखोरी आदि को रोकने के लिये वर्तमान में इसे देश के चयनित दवा केंद्रों पर ही उपलब्ध कराया जाएगा।

COVID-19 और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन:

- विश्व की किसी भी स्वास्थ्य संस्था द्वारा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को COVID-19 के उपचार के लिये प्रमाणित नहीं किया गया है।
- मार्च 2020 में 'इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट' (International Journal of Antimicrobial Agents-IJAA) में प्रकाशित एक फ्राँसीसी वैज्ञानिक के शोध के अनुसार, COVID-19 से संक्रमित 20 मरीजों में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के प्रयोग से अन्य मरीज़ो की तुलना में बेहतर परिणाम पाए गए।
- शोध के अनुसार, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साथ एजिथ्रोमाइसिन (एक एंटीबायोटिक दवा) के प्रयोग से COVID-19 के उपचार में प्रभावी परिणाम देखे गए।
- हालाँकि 3 अप्रैल 2020 को IIAA चलाने वाली संस्था 'इंटरनेशनल सोसायटी ऑफ एंटीमाइक्रोबियल कीमोथेरेपी' (International Society of Antimicrobial Chemotherapy) ने कहा कि यह शोध संस्था के मानकों के अनुरूप नहीं था, क्योंकि इस अध्ययन में शामिल मापदंडों, मरीजों में बीमारी की गंभीरता का विवरण, उपचार के दौरान मरीज सुरक्षा आदि पहलुओं के मामले में विस्तृत व्याख्या का अभाव था।

भारत में हाइड़ोक्सीक्लोरोक्विन का प्रयोग:

- 30 मार्च 2020 को 'भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद' (Indian Council of Medical Research- ICMR) ने COVID-19 से संक्रमित मरीजों का उपचार कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों और ऐसे मरीजों की देखभाल कर रहे परिजनों के लिये सुरक्षात्मक कदम के तहत हाइड़ोक्सीक्लोरोक्विन के उपयोग के संदर्भ में दिशा-निर्देश जारी किये थे।
- 'भारतीय औषधि महानियंत्रक' (Drug Controller General of India- DGCI) द्वारा आपातकालकालीन स्थिति में ICMR के सुझावों के तहत इस दवा के सीमित प्रयोग की अनुमित दी गई है।
- हालाँकि सरकार ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि COVID-19 के मामलों में इस दवा का प्रयोग चिकित्सक की देख-रेख के बगैर नहीं किया जा सकता है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, बिना किसी चिकित्सीय परामर्श के इस दवा के प्रयोग के गंभीर नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं और इससे व्यक्ति की संक्रमण से लड़ने की क्षमता को भी नुकसान हो सकता है।

निष्कर्ष: वर्तमान में COVID-19 के किसी उपचार के प्रमाणिक उपचार के अभाव में इसके संक्रमण के प्रसार को रोकना ही इस बीमारी के नियंत्रण का सबसे सफल उपाय है। COVID-19 के उपचार हेतु हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के प्रयोग के संबंध में किसी वैज्ञानिक प्रमाण के अभाव में इस दवा के प्रयोग के पहले चिकित्सीय परामर्श लेना अति आवश्यक है। COVID-19 की वर्तमान वैश्विक महामारी में जरूरतमंद देशों को महत्त्वपूर्ण दवाओं के माध्यम से सहायता उपलब्ध करा पाना भारतीय दवा क्षेत्र के लिये एक बड़ी उपलब्धि है।

जम्मू-कश्मीर अधिवास संशोधन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश के अधिवासियों के संदर्भ में किये गए बदलावों को वापस लेते हुए केंद्रशासित प्रदेश में सभी सरकारी नौकरियों को केवल जम्मू-कश्मीर के अधिवासियों के लिये आरक्षित कर दिया है।

मुख्य बिंदुः

- 3 अप्रैल, 2020 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गए आदेश के अनुसार, ग्रुप 'A' और ग्रुप 'B' सहित सभी सरकारी नौकरियों को केंद्रशासित प्रदेश के अधिवासियों के लिये सुरक्षित कर दिया गया है।
- इस आदेश के माध्यम से पिछले परिवर्तन के दौरान जोड़े गए उस खंड को भी हटा लिया गया है जिसके तहत 'अधिवास पात्रता के मानदंड को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति "अधिवासित" माना जा सकता था'।
- इसके तहत अधिवास प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार 'तहसीलदार' को दिया गया है।
- केंद्र सरकार ने यह परिवर्तन 'जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019' की धारा-96 के तहत प्राप्त शक्तियों के आधार पर किया है।
 जम्मु-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019:
- जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को 6 अगस्त 2019 को लोकसभा से पारित किया गया था।
- इस अधिनियम के माध्यम से जम्मू-कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कर दो नए केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख (बगैर विधानसभा के) की स्थापना की गई।
- इस अधिनियम के माध्यम से जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश के लिये 107 सीटों वाली विधानसभा की व्यवस्था दी गई। अधिनियम में जम्मू-कश्मीर मंत्रिपरिषद के अधिकतम सदस्यों की संख्या 10 सुनिश्चित की गई है।
- इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् आधार एक्ट, 2016, भारतीय दंड संहिता, 1860 और शिक्षा का अधिकार एक्ट, 2009 जैसे-106 केंद्रीय कानुनों को केंद्रशासित प्रदेश में लागू किया गया।

पूर्व में किये गए परिवर्तनः

- केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 31 मार्च, 2020 को जारी आदेश के तहत 'जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (विकेंद्रीकरण और भर्ती अधिनियम), 2010' में 'स्थायी निवासियों' शब्द को बदलकर 'जम्मू और कश्मीर के अधिवासी' कर दिया गया था।
- 31 मार्च को जारी अधिसूचना के अनुसार, उन सभी लोगों को अधिवासी के रूप में परिभाषित किया गया था, जो-
 - 15 वर्षों की अवधि तक केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में रहा रहा हो।
 - 2. सात वर्ष तक केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पढ़ा हो और यहाँ स्थित किसी शिक्षण संस्थान में 10 वीं या 12वीं की परीक्षा में शामिल हुआ हो।
 - 3. जो 'राहत और पुनर्वास आयुक्त (प्रवासी)' द्वारा एक प्रवासी के रूप में पंजीकृत हो।
- इसके तहत केंद्र सरकार के उन अधिकारियों के बच्चों को भी अधिवास का पत्र बताया गया जिन्होंने अखिल भारतीय सेवाओं, पीएसयू, केंद्र के स्वायत्त निकाय, सार्वजिनक क्षेत्र के बैंकों, वैधानिक निकायों के अधिकारियों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, केंद्र के मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों में रहते हुए जम्मू और कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में 10 वर्ष तक अपनी सेवाएँ दी हों।
- साथ ही इस परिवर्तन के तहत जम्मू और कश्मीर के ऐसे निवासियों के बच्चों को भी अधिवास का पात्र बताया गया जो अपने रोज़गार या व्यवसाय या अन्य पेशा या वृत्ति के कारणों के संबंध में जम्मू और कश्मीर से बाहर रहते हैं, लेकिन उनके माता-पिता आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं।

'अधिवास' के संदर्भ में संशोधन का अधिकार:

• ध्यातव्य है कि 6 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 और 35 A के तहत जम्मू-कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे को समाप्त कर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया था।

- संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A (वर्तमान में निरस्त) के तहत जम्मू-कश्मीर राज्य की विधान सभा को राज्य के 'स्थायी निवासियों'
 को परिभाषित करने का अधिकार था और राज्य में गैर-निवासियों द्वारा संपत्ति खरीदने पर प्रतिबंध था।
- 18 फरवरी, 2020 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक संसदीय पैनल को दी गई जानकारी के अनुसार, वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में विभिन्न विभागों में 84,000 पद खाली हैं, जिनमें से 22,078 पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये, 54375 पद नॉन-गैज़टेड (Non-Gazettted) और 7552 पद गैज़टेड (Gazettted) स्तर के हैं।

निजी प्रयोगशालाओं में COVID-19 परीक्षण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को एक ऐसा तंत्र विकसित करने के आदेश दिये हैं जिसमें COVID-19 परीक्षणों का संचालन करने वाली निजी प्रयोगशालाएँ सार्वजनिक प्रयोगशालाओं से अधिक शुल्क न लें, साथ ही प्रयोगशालाओं द्वारा लिये जाने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) की व्यवस्था हो।

प्रमुख बिंदु

- इससे पूर्व केंद्र सरकार ने जिस्टस अशोक भूषण और जिस्टस एस. रवींद्र भट की खंडपीठ से कहा था कि शुरुआत में 118 प्रयोगशालाओं
 द्वारा 15,000 परीक्षण प्रति दिन किये जा रहे थे और बाद में इस क्षमता को बढ़ाने के लिये 47 निजी प्रयोगशालाओं को COVID-19 परीक्षणों का संचालन करने की अनुमित दी गई थी।
- ध्यातव्य है कि वकील शशांक देव सुधी ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करते हुए मांग की थी कि न्यायालय केंद्र सरकार को सभी नागरिकों के लिये मुफ्त परीक्षण करने के निर्देश दे, तािक वे लोग भी अपने परीक्षण करा सकें जो इस खर्चे को वहन नहीं कर सकते।
- इस मामले में केंद्र सरकार का नेतृत्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुसार, यह एक विकासशील तथा गतिशील स्थिति है और सरकार के लिये इस स्थिति में यह अनुमान लगाना अपेक्षाकृत कठिन है कि हमें कितनी प्रयोगशालाओं की आवश्यकता है तथा कब तक है ?

प्रतिपूर्ति के लिये तंत्र

- न्यायपीठ ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करे कि निजी प्रयोगशालाएँ परीक्षण के लिये अधिक शुल्क न लें, साथ ही सरकार परीक्षणों हेतु लिये जाने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिये एक तंत्र विकसित करे।
- याचिकाकर्त्ता ने देश भर में बढ़ती मृत्यु दर (Mortality Rate) और रुग्णता दर (Morbidity Rate) को देखते हुए COVID-19 की परीक्षण सुविधाओं हेतु जल्द-से-जल्द निर्देश देने की मांग की थी।
- याचिका में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) की 17 मार्च की सलाह (Advisory) पर प्रश्नचिह्न लगाया गया है, जिसमें निजी अस्पतालों या प्रयोगशालाओं में COVID-19 के परीक्षण का शुल्क 4,500 रुपए निर्धारित किया गया था, इसमें स्क्रीनिंग और पुष्टिकरण परीक्षण भी शामिल हैं।
- सरकारी अस्पताल और प्रयोगशालाओं में आम नागरिकों के लिये खुद का परीक्षण करवाना अपेक्षाकृत काफी कठिन है और किसी विशिष्ट विकल्प के अभाव में लोग निजी अस्पताल और प्रयोगशालाओं को परीक्षण के लिये भुगतान करने को विवश हैं।
 - ◆ उल्लेखनीय है कि देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो इस शुल्क का भुगतान करने में समर्थ नहीं है, किंतु यह वर्ग COVID-19 के प्रित सर्वाधिक संवेदनशील है। इसके अलावा देश भर में लागू किये गए 21-दिवसीय लॉकडाउन के कारण आम नागिरकों की दुर्दशा के प्रित अधिकारी पूर्ण रूप से असंवेदनशील और उदासीन हैं।
- याचिका के अनुसार, निजी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं में COVID-19 के परीक्षण हेतु कीमत निर्धारित करने का निर्णय संविधान के अनुच्छेद-14 के तहत अनुचित है।
- साथ ही याचिका में यह भी मांग की गई है कि COVID-19 से संबंधित सभी परीक्षण राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories-NABL) या ICMR द्वारा मान्यता प्राप्त पैथोलॉजिकल लैब के तहत किये जाएं।

कोरोनावायरस महामारी

- COVID-19 वायरस मौजूदा समय में भारत समेत दुनिया भर में स्वास्थ्य और जीवन के लिये गंभीर चुनौती बना हुआ है। अब यह वायरस संपूर्ण विश्व में फैल गया है।
- WHO के अनुसार, COVID-19 में CO का तात्पर्य कोरोना से है, जबकि VI विषाणु को, D बीमारी को तथा संख्या 19 वर्ष 2019 (बीमारी के पता चलने का वर्ष) को चिह्नित करता है।
- कोरोनावायरस (COVID -19) का प्रकोप तब सामने आया जब 31 दिसंबर, 2019 को चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में अज्ञात कारण से निमोनिया के मामलों में हुई अत्यधिक वृद्धि के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन को सूचित किया गया।
- कोरोनावायरस मौजूदा समय में विश्व के समक्ष एक गंभीर चुनौती बन गया है और दुनिया भर में इसके कारण अब तक 88000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और तकरीबन 14 लाख लोग इसकी चपेट में हैं।
- भारत में भी स्थिति काफी गंभीर है और इस खतरनाक वायरस के कारण अब तक देश में 166 लोगों की मृत्यु हो चुकी है तथा देश में 5700
 से अधिक लोग इसकी चपेट में हैं।

राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड

(National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories-NABL)

- NABL भारत की गुणवत्ता परिषद का एक सांविधिक बोर्ड है।
- NABL को सरकार, उद्योग संघों और उद्योग को अनुरूपता मूल्यांकन निकाय की मान्यता प्रदान करने की योजना के साथ स्थापित किया गया है। जिसमें चिकित्सा और अंशांकन प्रयोगशालाओं, प्रवीणता परीक्षण प्रदाताओं और संदर्भ सामग्री उत्पादकों सिहत परीक्षण की तकनीकी क्षमता का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन शामिल है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

चर्चा में क्यों?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation-EPFO) ने कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी के मद्देनजर EPFO के संदर्भ में सरकार द्वारा शुरू की गई योजना के तहत अब तक लगभग 1.37 लाख के दावों का निपटान किया है और तकरीबन 279.65 करोड़ रुपए वितरित किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि सरकार ने COVID-19 महामारी के मद्देनजर कर्मचारी भविष्य निधि नियमनों में संशोधन कर 'महामारी' को भी उन कारणों में शामिल कर दिया है जिसे ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को अपने खातों से कुल राशि के 75 प्रतिशत का गैर-वापसी योग्य अग्रिम या तीन माह का पारिश्रमिक, इनमें से जो भी कम हो, प्राप्त करने की अनुमति दी गई है।
 - ♦ सरकार के इस निर्णय से EPF के तहत पंजीकृत तकरीबन 4 करोड़ कामगारों के परिवार इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
- इसके अलावा EPFO ने केवाईसी (Know Your Customer-KYC) के अनुपालन में आसानी के लिये जन्म तिथि में सुधार मानदंडों की प्रक्रिया में भी ढील दी है।
 - ◆ अब EPFO ग्राहक के आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि को PF रिकॉर्ड में दर्ज जन्म तिथि को सुधारने के प्रमाण के रूप में स्वीकार कर रहा है।
 - ♦ साथ ही जन्म तिथि में तीन वर्ष तक की भिन्नता वाले सभी मामलों को भी EPFO द्वारा स्वीकार किया जा रहा है।
- बीते महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी के प्रकोप का मुकाबला करने के लिये सरकार के वित्तीय पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें आगामी तीन महीनों के लिये नियोक्ता और कर्मचारी (12 प्रतिशत प्रत्येक) के योगदान का भुगतान करना था. यदि संगठन में 100 कर्मचारी हैं और उनमें से 90 प्रतिशत कर्मचारी 15000/- रुपए प्रतिमाह से कम कमाते हैं।

◆ विश्लेषकों के अनुसर, सरकार का यह निर्णय विभिन्न छोटे संगठनों को वित्तीय रूप से लाभान्वित करेगा और पेरोल पर कर्मचारियों की निरंतरता बनाए रखने में मदद करेगा।

चुनौतियाँ

- ध्यातव्य है कि कई EPFO ग्राहकों ने दावों के निपटान में देरी का मुद्दा उठाया था, जिसकी जाँच संगठन के अधिकारियों द्वारा की जा रही है।
- EPFO के अनुसार, KYC के मापदंडों का अनुपालन करने वाले सभी आवेदनों का निपटान स्वतः ही हो जाता है, किंतु शेष आवेदनों की जाँच अधिकारियों द्वारा की जा रही है, जिसके कारण कुछ अधिक समय लग रहा है।

आगे की राह

- EPFO के संदर्भ में सरकार द्वारा लिया गया निर्णय कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी के समय में नियोक्ताओं और कर्मचारियों को राहत प्रदान करने हेत लिया गया महत्त्वपूर्ण निर्णय है।
- हालाँकि ग्राहकों को इस योजना का लाभ उठाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसके अलावा कई लोगों ऐसे भी हैं जो इस योजना के पात्र है, किंतु उन्हें इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है।
- आवश्यक है कि नीति निर्माताओं द्वारा इस मुद्दों पर विचार किया जाए और इन्हें जल्द-से-जल्द सुलझाने का प्रयास किया जाए, ताकि आम लोगों को वित्तीय समस्याओं का सामना न करना पड़े।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation-EPFO)

- यह एक सरकारी संगठन है जो सदस्य कर्मचारियों की भविष्य निधि और पेंशन खातों का प्रबंधन करता है तथा कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (Employee Provident Fund and Miscellanious Provisions Act, 1952) को लागू करता है।
- कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये भविष्य निधि संस्थान (Provident Fund Institution) के रूप में काम करता है।
- यह संगठन श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशासित है। सदस्यों और वित्तीय लेन-देन के मामले में यह विश्व का सबसे बड़ा संगठन है।

केरल में लॉकडाउन से चरणबद्ध तरीके से राहत

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केरल राज्य में बनी एक विशेषज्ञ समिति ने COVID-19 संक्रमण के हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित 7 जिलों के अतिरिक्त राज्य के अन्य हिस्सों में वायरस के प्रसार को रोकने हेतु 15 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से राहत देने का सुझाव दिया है।

- केरल राज्य में COVID-19 की चुनौती से निपटने के लिये राज्य के पूर्व मुख्य सचिव के. एम. अब्राहम (K.M. Abraham) की अध्यक्षता में बनी एक 17 सदस्यीय समिति ने 6 अप्रैल, 2020 को मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
- इसके तहत कमेटी ने 14 अप्रैल के बाद राज्य में COVID-19 के संक्रमण की स्थिति के आधार पर तीन चरणों में लॉकडाउन में ढील देने का सुझाव किया है।
- इन तीनों चरणों में लोगों की आवाजाही में सीमित छूट देने से पहले राज्य में COVID-19 के संक्रमणों के नए मामलों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी।
- हालाँकि कमेटी के अनुसार, इस तरह की चरणबद्ध छूट तभी सफल होगी यदि संक्रमण के मामलों में स्थिर सुधार हो और COVID-19
 के नए मामलों में गिरावट के परिणामस्वरूप इंफेक्शन कर्व (Infection Curve) सपाट और धीरे-धीरे संक्रमण के नए मामलों की
 संख्या शून्य तक पहुँच जाए।

- सिमिति ने सरकार द्वारा जनता को यह भी सुझाव देने को कहा है कि संक्रमण के नए मामलों में वृद्धि होने की स्थिति में जनता को पुन: कड़े लॉकडाउन के लिये तैयार रहना चाहिये।
 - समिति ने 14 अप्रैल के बाद निम्नलिखित तीन चरणों में लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से राहत देने का सुझाव दिया है। पहला चरण (Phase-I):
- इस चरण के तहत लॉकडाउन में छूट के लिये उन जिलों को शामिल किया जाएगा जिनमें 14 अप्रैल की समीक्षा के दौरान पिछले एक सप्ताह में COVID-19 के संक्रमण के एक से अधिक नए मामले न पाए गए हों।
- साथ ही पिछले एक सप्ताह में घरों पर निगरानी में रखे व्यक्तियों की संख्या में 10% से अधिक की बढ़ोतरी न हुई हो और जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा पिरभाषित एक भी COVID-19 हॉटस्पॉट न हो।

पहले चरण के तहत छुट:

- घर से बाहर निकलने के लिये मास्क (Mask) पहनना अनिवार्य।
- घर से बाहर निकलने के लिये पहचान-पत्र रखना और यात्रा का उद्देश्य बताना अनिवार्य।
- आवश्यक वस्तुएँ लाने के लिये एक घर से एक ही व्यक्ति को बाहर जाने की अनुमित (केवल तीन घंटों के लिये)
- सहरुग्णता (Comorbidity) की समस्या वाले 65 वर्ष से अधिक के लोगों के बाहर निकलने पर प्रतिबंध।
- निजी वाहनों के लिये ऑड-इवेन (Odd-Even) प्रणाली का पालन और रविवार को वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध।
- हवाई जहाज और ट्रेन यात्रा पर पूर्ण प्रतिबंध।
- सरकारी कार्यालय और बैंक खोले जा सकते हैं परंतु केवल 50% कर्मचारियों की उपस्थिति की अनुमति दी जाएगी,आदि।

दूसरा चरण (Phase-II):

- इस चरण के तहत लॉकडाउन में छूट के लिये राज्य के उन ज़िलों को शामिल किया जाएगा जिनमें समीक्षा की तिथि से दो सप्ताह पूर्व COVID-19 के संक्रमण के एक से अधिक नए मामले न पाए गए हों।
- पहले चरण की समीक्षा से वर्तमान/नई समीक्षा के समय तक घरों पर निगरानी में रखे व्यक्तियों की संख्या में 5% से अधिक की बढ़ोतरी न हुई हो।
- साथ ही दोनों समीक्षाओं के बीच जिले में कोई नया COVID-19 हॉटस्पॉट केंद्र न पाया गया हो।

दूसरे चरण के तहत छूट:

- ऑटो (केवल 1 यात्री) और टैक्सी (केवल 3 यात्री) चलाए जाने की अनुमित दी जा सकती है।
- बसों को एक सीट पर एक व्यक्ति के बैठने की अनुमित से साथ सीमित दूरी के लिये शहर या कस्बे की सीमा के अंदर चलाने की छूट दी जा सकती है।
- मनरेगा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम (Micro, Small and Medium Enterprises- MSME) चलाए जा सकते हैं।
- विवाह या शोक सभाओं में 20 से अधिक लोगों की अनुमित नहीं।
- कार्यक्षेत्रों में 20 या कुल क्षमता का 25% कर्मचारियों (जो भी अधिक हो) की अनुमति दी जा सकती है।

तीसरा चरण (Phase-III):

- कमेटी के सुझाव के अनुसार, तीसरे चरण के तहत लॉकडाउन में छूट के लिये राज्य के उन जिलों को चुना जाएगा जिनमें समीक्षा की तिथि
 से दो सप्ताह पूर्व COVID-19 के संक्रमण के एक भी नए मामले न पाए गए हों।
- दूसरे और तीसरे चरण की समीक्षा के बीच घरों पर निगरानी में रखे व्यक्तियों की संख्या में 5% से अधिक की बढ़ोतरी न हुई हो और दोनों समीक्षाओं के बीच जिले में कोई भी क्षेत्र COVID-19 हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित न किया गया हो।

तीसरे चरण के तहत छूट:

महत्वपूर्ण यात्रियों (स्वास्थ्यकर्मी,मरीज आदि) के लिये स्थानीय उड़ानों की अनुमित।

- अंतर-जिला बस सेवाओं को कुल क्षमता के दो-तिहाई (2/3) यात्रियों के साथ अनुमित।
- सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) की कंपनियों के सीमित सञ्चालन की अनुमित।
- स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों को परीक्षा के लिये खोलने की अनुमित।
- किसी बड़े धार्मिक, राजनीतिक या वैवाहिक समारोह की अनुमित नहीं।
- राज्य में प्रवेश के लिये 14 दिनों का क्वारंटीन (quarantine) अनिवार्य।

इसके अतिरिक्त समिति ने लॉकडाउन को समाप्त करने, COVID-19 हॉटस्पॉट क्षेत्रों और सुभेद्य (Vulnerable) जनसंख्या के प्रबंधन के लिये कुछ अन्य स्वास्थ्य और गैर-स्वास्थ्य के मुद्दों के संदर्भ में भी अपनी रणनीति साझा की है।

COVID- 19 फंड के तहत राज्यों को 15,000 करोड़ रुपए

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने 'भारत COVID-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया तथा स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी पैकेज' (India COVID-19 Emergency Response and Health System Preparedness Package) नामक प्रोजेक्ट के तहत राज्यों के लिये 15,000 करोड़ रुपए की मंज़्री दी है।

मुख्य बिंदुः

- यह राशि 'मिशन मोड दृष्टिकोण' (Mission Mode Approach) के तहत 100% केंद्र पोषित योजना के तहत प्रदान की जाएगी।
- इस राशि में से 7774 करोड़ रुपए COVID- 19 महामारी के प्रति तत्काल आपातकालीन अनुक्रिया के लिये तथा शेष राशि मध्यम अवधि की सहायता (1-4 वर्ष) के रूप में दी जाएगी।

'मिशन मोड दृष्टिकोण' (Mission Mode Approach-):

- मिशन मोड पिरयोजनाओं का तात्पर्य ऐसी पिरयोजनाओं से होता है जिनमें स्पष्ट रूप से पिरभाषित उद्देश्य, लक्ष्य होते हैं।
- इस परियोजनाओं को एक तय समय सीमा में पूरा करना होता है तथा प्राप्त किये गए लक्ष्यों के परिणामों के मापन के स्पष्ट मानक होते हैं। प्रोजेक्ट के चरण:
- प्रोज़ेक्ट तीन चरणों में लागू किया जाएगा:
 - ♦ प्रथम चरण, जनवरी 202O से जून 2020 तक
 - ♦ द्वितीय चरण, जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक
 - तृतीय चरण, अप्रैल 2021 से मार्च 2024 तक

पैकेज के उद्देश्य:

- डायग्नोस्टिक्स तथा समर्पित उपचार सुविधाओं के विकास के माध्यम से भारत में COVID-19 महामारी के प्रसार को धीमा तथा सीमित करना।
- संक्रमित रोगियों के उपचार के लिये आवश्यक चिकित्सा उपकरणों तथा दवाओं खरीद में इस धन का उपयोग करना।
- भविष्य के लिये ऐसी महामारियों की रोकथाम तथा तैयारियों की दिशा में स्वास्थ्य प्रणालियों को मज़बूत करना।
- जैव-सुरक्षा तैयारी, महामारी अनुसंधान तथा संचार गतिविधियों को मजबूत करना।
- परिस्थितियों के अनुसार पैकेज से संबंधित विभिन्न घटक इकाइयों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों के मध्य समन्वय स्थापित करना।

पैकेज के लाभ:

- COVID- 19 महामारी के चिकित्सकीय प्रबंधन के लिये आवश्यक, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (Personal Protective Equipment- PPE), आइसोलेशन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर आदि उपकरण खरीदने में मदद मिलेगी।
- व्यय की प्रमुख हिस्सेदारी का उपयोग मजबूत आपातकालीन अनुक्रिया को बढ़ाने, महामारी अनुसंधान को मजबूत करने, सामुदायिक सहभागिता और जोखिम संचार एवं कार्यान्वयन, प्रबंधन, क्षमता निर्माण, निगरानी और मृल्यांकन घटक के लिये किया जा सकेगा।

जम्मू-कश्मीर में दरबार मूव

चर्चा में क्यों?

144 वर्षों में पहली बार जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने मौजूदा COVID-19 महामारी के मद्देनजर प्रदेश में जम्मू से श्रीनगर में राजधानी के वार्षिक हस्तांतरण को रोकने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि लगभग 148 वर्ष पहले शुरू हुई राजधानी हस्तांतरण की इस प्रक्रिया को 'दरबार मूव' (Darbar move) के नाम से जाना जाता है।
- जम्मू में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, COVID-19 महामारी के मद्देनजर जम्मू में सिविल सिववालय कार्यशील रहेगा और 'दरबार मूव' के तहत आने वाले कर्मचारी 'जैसा है, जहाँ है' (As is Where is) आधार पर कार्य करेंगे।
 - इस प्रकार कश्मीर आधारित कर्मचारियों को कश्मीर में रहकर कार्य करने और जम्मू आधारित कर्मचारियों को जम्मू में कार्य करने की अनुमृति मिलेगी।
- इसके अलावा श्रीनगर नगर निगम (Srinagar Municipal Corporation-SMC) को श्रीनगर में सिविल सिचवालय में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाने के लिये निर्देश दिया गया है, जहाँ 4 मई को 6 महीने पश्चात् कार्यालय खुलेंगे।

'दरबार मूव' (Darbar move)

- जम्मू-कश्मीर में राजधानी हस्तांतरण अथवा 'दरबार मूव' की प्रक्रिया तकरीबन 148 वर्ष पुरानी है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1872 में डोगरा शासक महाराजा रणबीर सिंह (1856 से 1885 तक) द्वारा बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी।
- डोगरा शासक महाराजा रणबीर सिंह द्वारा शुरू की गई इस प्रथा के अनुसार, महाराजा का दरबार 6 महीनों के लिये श्रीनगर में लगता था और 6 महीनों के लिये जम्मू में।
 - ◆ इतिहासकारों के अनुसार, महाराजा का काफिला अप्रैल माह में श्रीनगर के लिये रवाना हो जाता था और अक्तूबर में उसकी वापसी होती थी।
- डोगरा शासकों ने वर्ष 1947 तक इस प्रथा को जारी रखा और वर्ष 1947 के पश्चात् दरबार के स्थान पर राजधानी के हस्तांतरण की प्रथा शुरू हो गई।
- उल्लेखनीय है कि इस राजधानी हस्तांतरण की प्रक्रिया को लेकर समय-समय पर कई संगठनों द्वारा आपित्त जताते हुए यह मांग की गई है
 कि दोनों ही राजधानियों (श्रीनगर और जम्मू) में सिचवालय का कार्य पूरे वर्ष चलता रहे, केवल विरिष्ठ अधिकारी ही एक स्थान से दूसरे
 स्थान पर स्थानांतरित हों।
 - प्रत्येक 6 माह में सभी दस्तावेज स्थानांतिरत न िकये जाएँ, इससे हस्तांतरण पर आने वाले खर्च को कम िकया जा सकेगा। वर्तमान में वर्ष में 2 बार 'दरबार मूव' की प्रकिया पर लगभग 600 करोड़ रुपए का खर्च आता है।
- हालाँकि इस प्रथा के समर्थकों का मत है कि यह प्रथा जम्मू और कश्मीर के मध्य संस्कृति के समन्वय हेतु एक सेतु के रूप में कार्य करता है।

COVID-19 और जम्मू-कश्मीर

- COVID-19 वायरस मौजूदा समय में भारत समेत दुनिया भर में स्वास्थ्य और जीवन के लिये गंभीर चुनौती बना हुआ है। अब यह वायरस संपूर्ण विश्व में फैल गया है।
- WHO के अनुसार, COVID-19 में CO का तात्पर्य कोरोना से है, जबकि VI विषाणु को, D बीमारी को तथा संख्या 19 वर्ष 2019 (बीमारी के पता चलने का वर्ष) को चिह्नित करता है।
- दुनिया भर में इस वायरस के कारण अब तक 1 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और तकरीबन 16 लाख लोग इसकी चपेट में हैं। भारत में भी स्थिति काफी गंभीर है और इस खतरनाक वायरस के कारण अब तक देश में 239 लोगों की मृत्यु हो चुकी है तथा देश में 7400 से अधिक लोग इसकी चपेट में हैं।

- जम्म्-कश्मीर में कोरोनावायरस (COVID-19) संक्रमण के कुल 207 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 197 अभी भी सिक्रय (Active) हैं और 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, वहीं शेष लोग अब ठीक हो चुके हैं।
- जम्मू-कश्मीर के नए मामलों में तबलीगी जमात (Tabligi Jamaat) के भी कुछ मामले शामिल हैं।

COVID-19 से राशन वितरण में बाधा

चर्चा में क्यों?

COVID-19 के कारण देशभर में लागू लॉकडाउन की वजह से बच्चों एवं महिलाओं हेतु राशन वितरण में बाधा उत्पन्न हुई है।

प्रमुख बिंदुः

- महाराष्ट्र में लॉकडाउन के कारण ऑँगनवाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है, जिससे कुछ क्षेत्रों में राशन वितरण की प्रक्रिया बाधित हुई है।
 - वर्तमान में राज्य के कुछ क्षेत्रों में लाभार्थियों को तैयार किये गए भोजन (Hot Cooked Meals-HCM) के बजाय राशन की आपूर्ति की जा रही है।
- जिन ज़िलों में कुपोषण एक बड़ी समस्या है वहाँ भी राशन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है।
- वितरण में समस्याः
 - पर्याप्त मात्रा में राशन का उपलब्ध न होना।
 - ऑगनवाडी कार्यकर्ताओं के पास पर्याप्त मात्रा में मास्क एवं ग्लब्स का न होना।
 - आँगनवाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों के एकत्रित होने से सामाजिक दूरी (Social Distancing) में बाधा उत्पन्न होने से आँगनवाड़ी केंद्रों का बंद होना।

एकीकृत बाल विकास योजना (Integrated Child Development Services):

- यह योजना वर्ष 1975 में 6 साल से कम आयु के बच्चों के सर्वांगीण विकास (स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा) के लिये एक पहल के रूप में शुरू की गई थी।
- इसका उद्देश्य शिशु मृत्यु दर, बाल कुपोषण को कम करना और पूर्व-विद्यालय शिक्षा प्रदान करना है।
- ICDS योजना की निगरानी संबंधी समग्र जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development-MWCD) की है।
- ICDS योजना के तहत प्रमुख छह सेवाएँ हैं- प्रतिरक्षा, पूरक पोषण, स्वास्थ्य जाँच, रेफरल सेवाएँ, प्री-स्कूल गैर-औपचारिक शिक्षा, पोषण।
- बाल विकास को बढावा देने के लिये विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन का प्रभावी समन्वय प्राप्त करना।
- महिलाओं और किशोरावस्था की लड़िकयों की पहुँच पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा तक सुनिश्चित किया जाना।
- 6 वर्ष तक की आयु के लगभग 87 लाख बच्चों को 90,000 आँगनवाड़ियों द्वारा सेवा दी जाती है। आगे की राह:
- योजनाबद्ध तरीके से राशन वितरण प्रक्रिया को संपन्न किया जाना चाहिये।
- ऑगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को राशन वितरण हेतु एक विशेष वाहन आवंटित किया जाना चाहिये।
- आँगनवाड़ी केंद्रों एवं कार्यकर्त्ताओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है अत: उनकी सुरक्षा पर भी ध्यान दिये जाने की ज़रूरत है।

सेट-टॉप बॉक्स की इंटरऑपरेबिलिटी

चर्चा में क्यों?

'भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण' (Telecom Regulatory Authority of India- TRAI) ने सिफारिश की है कि देश में सभी 'सेट टॉप बॉक्स' (Set Top Boxes- STBs) इंटरऑपरेबल (Interoperable) होने चाहिये।

मुख्य बिंदुः

- सेट टॉप बॉक्स (Set Top Boxes- STBs) के इंटरऑपरेबल होने का अर्थ है- "उपभोक्ता विभिन्न DTH (Direct-To-Home) तथा केबल टीवी प्रदाताओं में एक ही प्रकार के STBs का उपयोग कर सकेंगे।"
- TRAI ने यह भी सुझाव दिया है कि इंटरऑपरेबलिटी को अनिवार्य बनाने के लिये 'सूचना और प्रसारण मंत्रालय' (Ministry of Information and Broadcasting- MoIB) लाइसेंस एवं पंजीकरण शर्तों में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिये।

इंटरऑपरेबलिटी की आवश्यकता:

- सेट टॉप बॉक्स के इंटरऑपरेबल न होने पर अलग-अलग सेवा प्रदाताओं के लिये अलग-अलग STBs की आश्यकता होती है। ऐसे में यह ग्राहक को सेवा प्रदाता बदलने की स्वतंत्रता से वंचित करती है।
- यह तकनीकी नवाचार, सेवा की गुणवत्ता में सुधार और समग्र सूचना एवं प्रसारण क्षेत्र के विकास में भी बाधा उत्पन्न करती है।

DTH (Direct To Home)

- DTH 'डायरेक्ट टू होम' (Direct To Home) सेवा का संक्षिप्त नाम है। यह एक डिजिटल उपग्रह सेवा है जो देश में कहीं भी उपग्रह द्वारा प्रसारण के माध्यम से प्रत्यक्षत: ग्राहकों को टेलीविजन पर कार्यक्रमों को देखने की सुविधा प्रदान करती है।
- इसके सिग्नल डिजिटल प्रकृति के होते हैं और सीधे उपग्रह से प्राप्त होते हैं।

वर्तमान स्थितिः

- वर्तमान में केबल टीवी नेटवर्क के STBs नॉन-इंटरऑपरेबल हैं, जबिक DTH सेवाओं में लाइसेंस शर्तों की बाध्यता के कारण सामान्य इंटरफेस मॉड्यूल आधारित इंटरऑपरेबिलिटी की सुविधा होती है।
- हालाँकि व्यवहार में DTH में भी STBs आसानी से इंटरऑपरेबल नहीं होते हैं।

समिति का गठनः

- TRAI ने यह भी सिफारिश की है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा DTH और केबल टीवी सेवाओं में संशोधित STB मानकों के कार्यान्वयन के लिये एक समन्वय समिति का गठन किया जाना चाहिये।
- सिमिति 'भारतीय मानक ब्यूरो' (Bureau of indian standards- BIS) के टेलीविजन मानक; डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्टिंग कॉमन इंटरफेस प्लस (Digital Video Broadcasting Common Interface Plus 2.0- DVB CI+ 2.0) तथा 'यूरोपीयन दूरसंचार मानक संस्थान' (European Telecommunications Standards Institute- ETSI) के TS: 103 605 मानकों की स्थापना करने तथा निरंतर निगरानी रखने का कार्य करेगी।

डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्टिंग कॉमन इंटरफेस (DVB CI):

- डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्टिंग (Digital Video Broadcasting- DVB) डिजिटल टेलीविजन के लिये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के एक सेट है। DVB मानक को DVB परियोजना के तहत लागू किया जाता है तथा यूरोपीय दूरसंचार मानक संस्थान (ETSI) की एक 'संयुक्त तकनीकी सिमिति' द्वारा इन मानकों को प्रकाशित किया जाता है। आगे की राह:
- DTH और MSO (Multi-System Operators) सेवा प्रदाताओं को ETSI मानकों के अनुरूप 'DVB CI + 2.0' मानकों को अपनाने के लिये छह महीने का समय दिया जाना चाहिये।
- MoIB को BIS के साथ मिलकर STBs के लिये निर्दिष्ट मानकों में उपयुक्त संशोधन करना चाहिये।

COVID-19 और टीकाकरण अभियान

चर्चा में क्यों?

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि महामारी का रूप धारण कर चुके कोरोनावायरस (COVID-19) के कारण दुनिया भर में 37 देशों के 117 मिलियन से अधिक बच्चे जीवनरक्षक खसरा के टीके से वंचित रह सकते हैं।

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि COVID-19 के प्रसार को रोकने में सहायता करने के लिये तकरीबन 24 देशों में या तो टीकाकरण अभियान को पूर्णत: रोक दिया गया है अथवा कुछ समय के लिये स्थगित कर दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त 13 अन्य देश ऐसे हैं जिनमें टीकाकरण अभियानों को लागू न करने की आशंका जाहिर की जा रही है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization-WHO) ने सभी देशों को महामारी के दौरान टीकाकरण गतिविधियों को बनाए रखने में मदद करने के लिये नए दिशा-निर्देशों की सिफारिश की हैं।
- दिशा-निर्देशों के अनुसार, सरकारें अस्थायी रूप से उन निवारक टीकाकरण अभियानों को रोक सकती हैं जिनके टीका-निरोधक रोग का कोई सिक्रय प्रकोप अभी दिखाई नहीं दे रहा है।
- WHO द्वारा दिये गए निर्देशों में सभी देशों की सरकारों को महामारी के दौरान टीकाकरण अभियान को जारी रखने अथवा स्थिगित करने से संबंधित निर्णय लेने के लिये जोखिम-लाभ विश्लेषण (Risk-Benefit Analysis) करने का सुझाव दिया गया है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ COVID-19 के संचरण का खतरा सबसे अधिक है।
- दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि सरकारों द्वारा टीकाकरण अभियान को कुछ समय के लिये रोकने का निर्णय लिया जाता है तो नीति निर्माताओं के लिये यह आवश्यक है कि वे उन बच्चों को ट्रैक करने के अभियान में तेजी लाएँ जो टीकाकरण से वंचित रह गए हैं, तािक उन्हें यथासंभव समय में खसरे का टीका दिया जा सके।
- इस संबंध में जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, यह आवश्यक है कि टीकाकरण अभियान को कुछ समय के लिये स्थिगित कर समुदाय और स्वास्थ्य कर्मियों को COVID-19 के प्रकोप से बचाया जाए, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि स्थायी रूप से बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जाए।
- उल्लेखनीय है कि आयरलैंड एक खसरा-मुक्त देश है, किंतु वहाँ COVID-19 के रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विश्लेषकों ने
 यह चेताया है कि जल्द ही आयरलैंड अपनी खसरा-मुक्त स्थिति खो सकता है।
 खसरा- एक वैश्विक चनौती
- खसरा वायरस के कारण होने वाली एक अत्यंत संक्रामक और गंभीर बीमारी है। वर्ष 1963 में खसरे के टीके की शुरुआत से पूर्व इसके कारण प्रत्येक वर्ष अनुमानित 2.6 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी।
- ध्यातव्य है कि सुरक्षित और प्रभावी टीके की उपलब्धता के बावजूद भी वर्ष 2018 में खसरे के कारण 140000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थीं, जिसमें अधिकतर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे शामिल थे।
- खसरा पैरामिक्सोवायरस परिवार (Paramyxovirus Family) के एक वायरस के कारण होता है और यह आमतौर पर प्रत्यक्ष संपर्क और हवा के माध्यम से संचारित होता है।
- खसरे का वायरस सर्वप्रथम श्वसन प्रणाली को संक्रमित करता है और इसके पश्चात् यह पूरे शरीर में फैल जाता है। खसरा एक मानवीय रोग है और अब तक जानवरों में इसके संचरण का कोई भी मामला सामने नहीं आया है।
- खसरे से होने वाली मौतों को कम करने में त्वरित टीकाकरण गतिविधियों का बड़ा प्रभाव पड़ा है। आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2000 से वर्ष 2018 के दौरान खसरा टीकाकरण अभियान के कारण अनुमानित 23.2 मिलियन मौतों को रोका गया है।
- वैश्विक खसरे से होने वाली मौतों में वर्ष 2000 (536000 मौतें) से वर्ष 2018 (142000 मौतें) के दौरान 73 प्रतिशत की कमी हुई है।
- खसरे और इसकी जिटलताओं का सबसे अधिक प्रभाव छोटे बच्चों पर पड़ता है और इनमें खसरों के कारण मृत्यु का आँकड़ा सबसे अधिक है। इसके अलावा वे सभी गर्भवती महिलाएँ भी इसके प्रति काफी संवेदनशील होती हैं, जो किसी कारणवश आरंभ में टीके से वंचित रह गई थीं।

आगे की राह

- महामारी से निपटने के लिये समन्वित प्रयासों और संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है तािक दुनिया भर में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, क्योंकि वे ही अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर इस नए खतरे का सामना कर रहे हैं।
- साथ ही हमें आवश्यक टीकाकरण सेवाओं की निरंतरता भी सुनिश्चित करनी होगी, ताकि नई पीढ़ी के वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित किया जा सके।

• विशेषज्ञों ने देशों से समुदायों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियमित टीकाकरण सेवाओं को जारी रखने का आग्रह किया है।

COVID-19 से संक्रमित कैदियों की रिहाई पर रोक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि जेलों में बंद COVID-19 संक्रमित किसी भी कैदी को अंतरिम जमानत या पेरोल (Parole) पर रिहा नहीं किया जाएगा।

- 13 अप्रैल, 2020 को उच्चतम न्यायालय में एक मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति 'एस. ए. बोबड़े' (S.A. Bobde) ने कहा कि जेलों में बंद कैदियों की रिहाई से पहले उनमें COVID-19 संक्रमण की जाँच हेतु आवश्यक परीक्षण किये जाने चाहिये।
- उच्चतम न्यायलय ने यह भी आदेश दिया कि वर्तमान में भारतीय जेलों में बंद ऐसे किसी भी व्यक्ति को रिहा नहीं किया जाना चाहिये, जो जाँच के दौरान COVID-19 से संक्रमित पाया जाता है।
- ध्यातव्य है कि 23 मार्च, 2020 को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जेलों में बंद कैदियों के मामलों की जाँच करने और अंतिरम जमानत या पेरोल पर रिहा किये जा सकने वाले कैदियों की सूची तैयार करने के लिये एक विशेष सिमिति का गठन करने का आदेश दिया था।
- उच्चतम न्यायालय ने COVID-19 की महामारी को देखते हुए असम के विदेशी निरोध केंद्रों/फॉरेनर्स डिटेंशन सेंटर्स (Foreigners' Detention Centres) में दो वर्ष से अधिक समय तक बंद कैदियों को रिहा किये जाने पर सहमति जाहिर की है।
 - ♦ हालाँकि केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए साँलिसिटर जनरल (Solicitor General) ने उच्चतम न्यायालय के इस आदेश का यह कहते हुए विरोध किया कि ऐसा करने से फाँरेनर्स डिटेंशन सेंटर्स के बंदी पुन: स्थानीय निवासियों में मिल जाएंगे।
 - ◆ उच्चतम न्यायालय ने मई 2019 के अपने आदेश में पिरवर्तन करते हुए बंदियों को रिहाई के लिये 1 लाख रुपए के स्थान पर 5,000 रुपए का बॉण्ड प्रस्तुत करने की अनुमित दी है। परंतु ऐसे कैदियों को रिहाई के लिये जमानतदार (Surety) के रूप में दो भारतीय नागरिकों को भी प्रस्तुत करना होगा।
- कैदी की रिहाई के बाद भी यदि वह COVID-19 से संक्रमित पाया जाता है तो संबंधित अधिकारियों द्वारा उसे क्वारंटीन (Quarantine) करने की व्यवस्था की जाएगी।
- उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि कैदियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिये सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) के नियमों और मानदंडों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
- उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय सुधार गृहों , डिटेंशन सेंटर और संरक्षण गृहों पर भी लागू होगा।
 कैदियों की सुरक्षा हेतु कानुनी प्रावधान:
- भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) प्रदान किये गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14 के तहत भारत के राज्यक्षेत्र में सभी को विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त है तथा संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत सभी को प्राण और दैहिक (कुछ अपवादों को छोड़कर) स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है।
- जेल अधिनियम (The Prisons Act), 1894 के तीसरे अध्याय में कैदियों के स्वास्थ्य के संदर्भ में आवश्यक सुविधाओं की विस्तृत व्याख्या की गई है।
 - ♦ जेल अधिनियम, 1894 की धारा 37 के अनुसार, यदि कोई भी कैदी मेडिकल ऑफिसर से मिलने की इच्छा जाहिर करता है या मानिसक अथवा शारीरिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत होता है, तो जेल अधीक्षक द्वारा तुरंत मेडिकल ऑफिसर या डॉक्टर को इस संदर्भ में सूचित किया जाएगा।

• जेल अधिनियम, 1894 की धारा 39 के माध्यम से प्रत्येक जेल में कैदियों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिये एक अस्पताल की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

निष्कर्ष: पिछले कुछ दिनों में देश COVID-19 संक्रमण के मामलों में तीव्र वृद्धि देखने को मिली है। भारतीय जेलों में कैदियों के लिये स्वास्थ्य व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाओं की अनुपलब्धता, कर्मचारियों की कमी आदि को देखकर यह समझा जा सकता है कि जेलों में इस बीमारी के पहुँचने से इस महामारी पर नियंत्रण पाना एक बड़ी चुनौती बन सकती है। ऐसे में कानूनी प्रक्रिया के तहत कैदियों की रिहाई करना तथा COVID-19 संक्रमित कैदियों को रिहा न कर उनके उपचार का उचित प्रबंध करना एक सकारात्मक निर्णय होगा।

COVID-19 के नियंत्रण में 'ताइवान मॉडल' की भूमिका

चर्चा में क्यों?

वर्तमान में जब विश्व के लगभग सभी देश COVID-19 से गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं, परंतु इस दौरान ताइवान में COVID-19 संक्रमण के मामले विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफी कम हैं। अपनी बेहतर स्वास्थ्य प्रणाली और तीव्र तथा निवारक कार्रवाई के माध्यम से ताइवान ने इस महामारी से निपटने का एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है।

- COVID-19 के मुख्य केंद्र चीन से 150 किमी. से कम की दूरी पर स्थित ताइवान में पिछले महीनों में COVID-19 के मामलों की संख्या कमी आई है और इसके संक्रमण की दर में भी गिरावट देखी गई है।
- ताइवान में COVID-19 के मामलों में कमी का एक कारण चीन में शुरूआती मामलों के मिलने के साथ ही ताइवान सरकार द्वारा देश में की गई त्वरित और सुरक्षात्मक कार्रवाई है।
- साथ ही इस दौरान COVID-19 के नियंत्रण और मरीजों तथा स्वास्थ्य किर्मयों की सुरक्षा के लिये ताइवान के अस्पतालों द्वारा अपनाए गए तरीकों का इस वायरस से निपटने में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:
 - 1. स्वास्थ्य कर्मियों के छोटे समूह:
- इसके तहत शुरुआत से ही आवश्यकता के अनुरूप एक समूह/यूनिट में कम-से-कम स्वास्थ्य कर्मियों को रखा गया।
- अस्पताल के किसी भी भाग में COVID-19 का एक भी संक्रमण उस हिस्से में कार्यरत सभी स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य मरीजों की सुरक्षा के लिये एक बड़ा खतरा हो सकता है।
- स्वस्थ्य किमयों के छोटे समूहों के माध्यम से अस्पतालों में भर्ती COVID-19 मरीजों से स्वास्थ्य किमयों में संक्रमण के सामुदायिक प्रसार के खतरे को कम करने में सहायता मिली।
- इस पहल के परिणामस्वरूप अधिकांश अस्पतालों में एक यूनिट में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों में दो-तिहाई (2/3) की कमी की गई, हालाँकि इस दौरान उपचार की गुणवत्ता और मरीज-डॉक्टर अनुपात में कोई गिरावट नहीं आई।
 - 2. अस्पतालों में आवाजाही पर नियंत्रण:
- ताइवान के 'केंद्रीय महामारी कमान केंद्र' (Central Epidemic Command Centre) के एक अधिकारी के अनुसार, COVID-19 के संक्रमण को कम करने के लिये अस्पतालों में सभी मरीजों (बिहरोंग विभाग, दुर्घटना, आपातकालीन मामले आदि) को लाने तथा ले जाने के लिये अलग-अलग मार्गों की व्यवस्था की गई।
- इस प्रक्रिया में अस्पतालों में हवाई-अड्डों जैसी सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की गई जिसमें अस्पताल में प्रवेश के लिये पहचान-पत्र दिखाने की अनिवार्यता, शारीरिक तापमान मापने के लिये चेकपॉइंट आदि की व्यवस्था की गई तथा अस्पतालों के आस-पास स्वच्छता और विसंक्रमण के नियमों को अधिक कड़ा कर दिया गया। अस्पताल बेड-प्रति व्यक्ति का उच्च अनुपात:
- वर्तमान में विश्व के बहुत से देशों ने पाया है कि उनके पास COVID-19 जैसी अत्यधिक संक्रामक बीमारियों के मरीजों की देखभाल के लिये पर्याप्त बेड नहीं हैं।

- हालाँकि ताइवान में COVID-19 के मामलों की संख्या अन्य देशों की तुलना में कम रही है परंतु फिर भी ताइवान की सरकार किसी भी समय मामलों में तीव्र वृद्धि से निपटने के लिये तैयारी थी।
- ताइवान के 'रोग नियंत्रण केंद्र' (Centre for Disease Control- CDC) के उप-निदेशक के अनुसार, देश में इस चुनौती से निपटने के लिये लगभग एक हजार 'निगेटिव प्रेशर आइसोलेशन रूम' (Negative Pressure Isolation Room) की उपलब्धता के साथ ही किसी भी स्थिति में ऐसे कुछ और कमरे बढ़ाए जाने की क्षमता उपलब्ध है।
- ताइवान की आबादी की तुलना में इतनी बड़ी संख्या में 'आइसोलेशन रूम' का होना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है और यह देश के उन्नत चिकित्सा तंत्र तथा COVID-19 से निपटने में ताइवान सरकार की तैयारी की पुष्टि करता है।
- संक्रमण के मामलों के बढ़ने की स्थिति में स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य मरीजों के बीच संक्रमण के सामुदिक प्रसार को रोकने में 'आइसोलेशन रूम' की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।

उन्नत स्वास्थ्य नीति और समन्वित कार्ययोजनाः

- COVID-19 पर नियंत्रण में ताइवान में केंद्रीय सरकार और देश के अस्पतालों के बीच बेहतर समन्वय की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही है।
- ताइवान की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली के तहत देश के सभी नागरिकों को एक कंप्यूटर चिप (Computer Chip) युक्त हेल्थ कार्ड प्रदान किया जाता है, जिसमें उस व्यक्ति की पहचान और उसके स्वास्थ्य से जुड़ी पूर्व की सारी जानकारी दर्ज होती है।
- इसके माध्यम से ताइवान के अस्पताल जल्दी और कुशलतापूर्वक मरीजों के दाखिले को नियंत्रित करने, उनके लक्षणों को दर्ज करने तथा इन जानकारियों को देश के मुख्य चिकित्सा केंद्रों से साझा करने में सफल रहे हैं।

भारत के संदर्भ में 'ताइवान मॉडल' का महत्त्व:

- COVID-19 से निपटने में 'ताइवान मॉडल' की सफलता का सबसे बड़ा श्रेय ताइवान और इसके अस्पतालों द्वारा पहले ही दिन से की गई तैयारी को जाता है।
- वर्तमान में भले ही भारत में ताइवान की तुलना में देश के दूरस्थ क्षेत्रों तक उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच का अभाव है परंतु तकनीकी के प्रयोग और सरकार तथा अस्पतालों के बीच समन्वय से बेहतर परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं।
- COVID-19 पर नियंत्रण का सबसे सफल उपाय इसके प्रसार को रोकना है ऐसे में अधिक-से-अधिक संभावित COVID-19 संक्रमित लोगों की जाँच कर और अन्य लोगों में इसके प्रसार को रोकने के प्रयास तेज किये जाने चाहिये।

लॉकडाउन के तहत प्रतिबंधों में छूट पर रोक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority- NDMA) ने आपदा प्रबंधन अधिनियम (Disaster Management Act), 2005 के तहत प्राप्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (National Executive Committee) के अध्यक्ष को वर्तमान में देशभर में लागू लॉकडाउन को 3 मई, 2020 तक जारी रखने का निर्देश दिया गया है।

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority- NDMA) ने 14 अप्रैल, 2020 को देश में लॉकडाउन को 3 मई, 2020 तक जारी रखने का आदेश दिया है।
- इस आदेश के बाद केंद्रीय कैबिनेट सिचव (Union Cabinet secretary) ने देश भर में लॉकडाउन को जारी रखने और इस संदर्भ में भविष्य की रूपरेखा पर चर्चा करने के लिये 15 अप्रैल, 2020 को देश के सभी राज्यों के प्रमुख सिचवों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक की थी।

राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (National Executive Committee):

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को उसके कार्यों में सहयोग प्रदान करने के लिये आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा- 8 के तहत केंद्र सरकार द्वारा NDMA की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन किया जाता है।
- केंद्रीय गृह सचिव इस सिमिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं।
- राष्ट्रीय कार्यकारी सिमिति एक समन्वयक और निगरानीकर्त्ता निकाय के रूप में कार्य करती है।
- यह सिमिति देश में आपदा प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति का निर्माण, इसकी योजना की रूपरेखा तैयार करने और उसके क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकारों के बीच समन्वय और तकनीकी सहायता प्रदान करने का कार्य करती है।

लॉकडाउन में वृद्धिः

- भारतीय प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल, 2020 को एक वीडियो संदेश के माध्यम से देश को संबोधित करते हुए COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिये देशभर में लागू लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाए जाने की घोषणा की थी।
- इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आदेश जारी कर दिया गया है।
- इस आदेश के अनुसार, लॉकडाउन की अविध में बढ़ोतरी के साथ ही देश में विभिन्न क्षेत्रों में लागू सभी प्रकार के प्रतिबंध 3 मई तक लागू रहेंगे।
- आदेश में यह स्पष्ट िकया गया है िक कोई भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत लागु प्रतिबंधों में कोई ढील नहीं दे सकता।
- ध्यातव्य है कि इससे पहले 24 मार्च, 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री ने देश में COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिये 21 दिनों (14 अप्रैल, 2020) के लिये संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की थी।

COVID-19 और लॉकडाउन:

- COVID-19 कोरोनावायरस नामक विषाणु से होने वाली एक संक्रामक बीमारी है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation-WHO) के अनुसार,COVID-19 के शुरूआती मामले 31 दिसंबर, 2019 चीन के वुहान प्रांत में निमोनिया (Pneumonia) जैसे लक्षणों वाली अज्ञात बीमारी के रूप में मिले थे।
- विशेषज्ञों के अनुसार, इस वायरस का 'इनक्यूबेशन पीरियड' (Incubation Period) 14 दिनों का होता है, अर्थात किसी भी व्यक्ति के इस वायरस से संक्रमित होने से 14 दिनों के अंदर उसमें COVID-19 के लक्षण दिखाई दे सकते हैं।
- वर्तमान में इस बीमारी के किसी प्रामाणिक उपचार या टीकाकरण के अभाव में इसके प्रसार को रोकना ही इस बीमारी के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय है।

लॉकडाउन की अवधि में वृद्धि के लाभ:

- भारत में 25 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन लागू होने के बाद भी कई क्षेत्रों में कुछ लापरवाहियों के कारण COVID-19 के मामले बढ़ गए थे।
- अत: देश में लॉकडाउन की अविध को बढ़ाकर इस बीमारी के प्रसार को रोकने में सहायता प्राप्त होगी।
- वर्तमान में विश्व के किसी भी देश के पास COVID-19 के संदर्भ में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, पिछले कुछ दिनों में देश में स्वास्थ्य क्षेत्र के शीर्ष संस्थानों और औद्योगिक क्षेत्र के बीच आपसी सहयोग से इस क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई है। जैसे- COVID-19 के संक्रमण की पहचान के लिये स्वदेशी परीक्षण किट का निर्माण, इसकी रोकथाम के लिये पहले से उपलब्ध दवाइयों पर प्रयोग आदि।
- लॉकडाउन में वृद्धि करने से लोगों के किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने की संभावनाओं को कम किया जा सकेगा और इस दौरान देश में अधिक-से-अधिक लोगों का परीक्षण करना संभव हो सकेगा।

आगे की राहः

- वर्तमान में इस बीमारी के नियंत्रण के लिये अधिक-से अधिक लोगों का परीक्षण कर उन्हें चिकित्सीय सहायता उपलब्ध की जानी चाहिये।
- इस बीमारी के प्रसार को रोकने में जनता के सहयोग का होना बहुत महत्त्वपूर्ण है, अतः लोगों को सरकार के निर्देशों का अनुसरण करते हुए
 इस बीमारी के नियंत्रण में अपना सहयोग देना चाहिये।

- वर्तमान में लोगों को इस बीमारी के बारे में सही जानकारी की पहुँच को सुनिश्चित करना चाहिये, जिससे समय रहते इस बीमारी की पहचान कर इसके रोकथाम के उचित प्रयास किये जा सकें।
- विश्व के अन्य देशों की तरह ही भारत में भी इस लॉकडाउन के कारण आर्थिक क्षेत्र में लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ा है, ऐसे में किसी बड़ी आर्थिक चुनौती से बचने और अर्थव्यवस्था को पुन: गित प्रदान करने के लिये एक मजबूत राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता होगी।

COVID-19 के कारण कैदियों की रिहाई

चर्चा में क्यों?

हाल ही में देश में COVID-19 के प्रसार को देखते हुए सुरक्षात्मक कदम के तहत देश की विभिन्न जेलों से लगभग 11,077 विचाराधीन कैदियों को रिहा कर दिया गया है।

मुख्य बिंदुः

- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority- NALSA) के अनुसार, COVID-19 के कारण देश की विभिन्न जेलों में भीड़ को कम करने के मिशन के तहत इन कैदियों को रिहा किया गया है।
- NALSA के अनुसार, वर्तमान नियमों में दी गई राहत के तहत जो भी कैदी पैरोल (Parole) या अंतरिम जमानत पर रिहा होने के पात्र हैं, उन्हें NALSA के वकीलों के माध्यम से विधिक सहायता प्रदान की गई है। इसी प्रकार दोषियों (Convicts) को भी आवश्यक विधिक सहायता प्रदान की जा रही है।
- वर्तमान में NALSA को देश के 232 जिलों से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार, अब तक लगभग 11,077 विचाराधीन कैदियों और 5,981 दोषियों को रिहा किया जा चुका है।

कैदियों की रिहाई से जुड़े नियमों में ढील का कारण:

- हाल ही में देश के विभिन्न भागों में COVID-19 के मामलों की संख्या में तीव्र वृद्धि देखी गई है।
- ध्यातव्य है कि देश में COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने 23 मार्च, 2020 को देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जेलों में बंद कैदियों के मामलों की जाँच करने और उनमें से अंतरिम जमानत या पेरोल पर रिहा किये जा सकने वाले कैदियों की सूची तैयार करने के लिये एक विशेष सिमित का गठन करने का आदेश दिया था।
- इसी संबंध में 13 अप्रैल, 2020 की सुनवाई उच्चतम न्यायालय ने असम के विदेशी निरोध केंद्रों/फॉरेनर्स डिटेंशन सेंटर्स (Foreigners' Detention Centres) में दो वर्ष से अधिक समय तक बंद कैदियों को रिहा किये जाने पर सहमति जाहिर की थी।
- हालाँकि न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कैदियों को रिहा करने से पहले उनके COVID-19 से संक्रमित होने की जाँच की जाएगी और ऐसे किसी भी कैदी को रिहा नहीं किया जाएगा जो परीक्षण में COVID-19 से संक्रमित पाया जाता है।
- ध्यातव्य है कि 'राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो' (National Crime Records Bureau- NCRB) द्वारा पिछले वर्ष जारी 'भारतीय कारावास ऑंकड़े' (Prison Statistics India), 2016 के अनुसार, वर्ष 2016 तक भारतीय जेलों में बंद कुल कैदियों में से 68 प्रतिशत विचाराधीन कैदी (undertrials) थे अर्थात् वे लोग जिन पर दोषसिद्धि होना अभी बाकी था।
- COVID-19 की महामारी को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने जेलों में भीड़ (Overcrowding) तथा जेल प्रशासन के दबाव को कम करने के लिये यह फैसला लिया था, जिससे किसी भी आपातकालीन स्थिति को आसानी नियंत्रित किया जा सके।
- NALSA के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद जमानत पर रिहा किये जा सकने वाले विचाराधीन कैदियों की पहचान के लिये बनी इन उच्चाधिकार प्राप्त सिमितियों (High-Powered Committee) को स्थानीय विधिक सेवा प्राधिकारियों द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

विधिक सहायता उपलब्ध करने में NALSA की भूमिका:

• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत भारतीय सीमा के अंदर सभी को विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त है और संविधान के अनुच्छेद 39A में राज्यों के लिये विधि तंत्र के माध्यम से न्याय के सामान अवसर तथा उचित कानून व योजनाओं द्वारा या अन्य किसी भी तरीके से नि:शुल्क कानूनी सेवाएँ उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी नागरिक न्याय पाने से वंचित न रहे।

- वर्ष 1995 में NALSA ने अपनी स्थापना के साथ ही भारतीय संविधान के इन मूल्यों को मजबूत आधार प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
- ध्यातव्य है कि NALSA की स्थापना 'विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम" (Legal Services Authorities Act) 1987 के तहत की गई थी तथा भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका मुख्य संरक्षक होता है।
- देश के न्याय तंत्र के हर स्तर तक NALSA पहुँच ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। NALSA राष्ट्रीय स्तर (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से), राज्य स्तर (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से), जिला स्तर (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से) एवं तालुका स्तर पर (तालुका विधिक सेवा सिमितियों के माध्यम से) नि:शुल्क विधिक सेवाएँ प्रदान करता है।
- वर्तमान में COVID-19 के कारण देश में लागू लॉकडाउन से अन्य सेवाओं के साथ ही लोगों को विधिक सहायता मिलने में भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में NALSA ने देश के दूरस्थ क्षेत्रों में भी जरूरतमंद लोगों तक विधिक एवं अन्य सहायता उपलब्ध करा कर COVID-19 से उत्पन्न हुई चुनौतियों को कम करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

अन्य मामलों में NALSA द्वारा सहयोग:

- NALSA के अनुसार, विधिक सेवा प्राधिकारी विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबरों और विशेषकर राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर- 15100 पर लगातार लोगों को सहायता उपलब्ध करा रहें हैं।
- वर्तमान में हेल्पलाइन नंबरों पर प्राप्त होने वाले मामलों में ज्यादातर खाद्य पदार्थों की कमी, अपने गृह राज्यों से दूर फँसे प्रवासी मजदूरों की समस्याएँ, मजदूरी न मिलने के मामले या किसी हिंसा के शिकार लोगों से संबंधित हैं।
- NALSA के अनुसार, विधिक सेवा प्राधिकारियों द्वारा वकीलों के पैनल, पैरा-लीगल वालंटियर्स (Para Legal Volunteers) और ज़िला प्रशासन के सहयोग से हेल्पलाइन नंबरों पर प्राप्त होने वाली समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।
- साथ ही पैरा-लीगल वालंटियर दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर भोजन और मास्क वितरण में जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों का भी सहयोग कर रहे हैं।

आंध्र प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने पर विवाद

चर्चा में क्यों?

हाल में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से 'राज्य निर्वाचन आयुक्त' (State Election Commissioner-SEC) के कार्यकाल में कटौती की गई है।

मुख्य बिंदुः

- अध्यादेश जिसके माध्यम से मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसे पूर्व SEC ने असंवैधानिक घोषित करने के लिये उच्च न्यायालय में अपील की है।
- जबिक मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया SEC सरकार से सलाह लिये बिना कार्य कर रहे थे तथा कुछ राजनीतिक नेताओं के इशारे पर काम कर रहे हैं।

अध्यादेश के माध्यम से बदलाव:

- अध्यादेश के माध्यम से पंचायत राज अधिनियम, 1994 (Panchayat Raj Act, 1994) में संशोधन के माध्यम से SEC का कार्यकाल तीन वर्ष तक सीमित कर दिया गया।
- साथ ही अध्यादेश में उल्लेख किया गया है कि SEC को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के आधार एवं प्रक्रिया के अलावा किसी अन्य आधार पर नहीं हटाया जा सकेगा।

क्या था विवाद?

 आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले थे लेकिन SEC ने COVID- 19 महामारी के प्रकोप का हवाला देते हुए चुनाव स्थिगित कर दिये।

- इसके बाद राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में मामले को ले जाना चाहा लेकिन अदालत ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
 - अपर्मिता प्रसाद सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश (2007) मामला:
- अपर्मिता प्रसाद सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश (2007) वाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि सेवा का कार्यकाल भी सेवा शर्तों का एक हिस्सा है। राज्य चुनाव आयोग सेवा कार्यकाल की सुरक्षा नहीं होने की स्थिति में अपने संवैधानिक दायित्त्वों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं होगा।
- SEC के कार्यकाल को कम करने का संशोधन संविधान की सीमओं का अतिक्रमण है।

आगे की राहः

- 'अपर्मिता प्रसाद सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश' (2007) मामला, इस विवाद में मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकता है।
 राज्य निर्वाचन आयोग
 - (State Election Commission- SEC):
- भारत के संविधान में अनुच्छेद 243K तथा 243ZA में SEC संबंधी प्रावधान किये गए हैं।
- SEC का गठन 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (Constitution Amendments Act, 1992) के तहत किया गया था।
- SEC भारत के निर्वाचन आयोग से स्वतंत्र इकाई है।

कार्य:

- SEC का गठन प्रत्येक राज्य/संघशासित क्षेत्र के निगम, नगरपालिकाओं, जिला परिषदों, जिला पंचायतों, पंचायत सिमितियों, ग्राम पंचायतों
 तथा अन्य स्थानीय निकायों के चुनावों के संचालन के लिये किया गया है।
- अनुच्छेद 243K के अनुसार पंचायतों के चुनाव तथा निर्वाचन नामावली तैयार करने के दौरान अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के कार्य राज्य चुनाव आयोग में निहित होंगे।

विधानमंडल की भूमिकाः

संविधान के प्रावधानों के अधीन राज्य का विधानमंडल कानून निर्माण करके पंचायतों के चुनाव या उससे संबंधित सभी मामलों के संबंध में
 प्रावधान कर सकता है।

राज्यपाल की भूमिकाः

- राज्य निर्वाचन आयोग में एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है जिसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन, राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद की अविध तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसे कि राज्यपाल निर्धारित करता है।
- राज्य का राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुरोध करने पर ऐसे कर्मचारी उपलब्ध कराएगा, जो खंड (1) द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त कार्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक हो सकते हैं।

विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले गैर-लाभकारी संस्थानों पर सख्ती

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में 'विदेशी अंशदान लाइसेंस' (Foreign Contribution Licence) वाले सभी गैर-लाभकारी संस्थानों (Nonprofit Organisations) को COVID-19 से निपटने में उनके योगदान की जानकारी प्रति माह सरकार के साथ साझा करने को कहा है।

मुख्य बिंदुः

- केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 7 अप्रैल, 2020 को दी गई जानकारी के अनुसार, देश में 'विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम' (Foreign Contribution Regulation Act- FCRA), 2010 के तहत विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले गैर-लाभकारी संस्थानों को हर महीने की 15 तारीख तक एक ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से COVID-19 से निपटने में उनके योगदान की जानकारी सरकार के साथ साझा करनी होगी।
- केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश में कार्य कर रहे गैर-लाभकारी संस्थानों को COVID-19 के नियंत्रण के संबंध में भेजा गया यह दूसरा पत्र
 था।
- इससे पहले भेजे गए पत्र में MHA ने गैर-लाभकारी संस्थानों से COVID-19 के नियंत्रण में सरकार और स्थानीय प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया था।
- इस पत्र में MHA ऐसे कई क्षेत्रों का उल्लेख किया था जिनमें गैर-लाभकारी संस्थान अपना सहयोग दे सकते हैं, जैसे- प्रवासी मजदूरों और बेघर लोगों के लिये सामुदायिक रसोई की स्थापना, बेघर दिहाड़ी मजदूरों और गरीबों के लिये आश्रय का प्रबंध करना आदि।
- ध्यातव्य है कि सरकार की तरफ से गैर-लाभकारी संस्थान से सहयोग के आग्रह के पहले हाल ही सरकार ने सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों पर कठोर कार्यवाही की थी। साथ ही पिछले कुछ वर्षों में गैर-लाभकारी संस्थानों को विदेशों से प्राप्त होने वाले अंशदान में भारी गिरावट देखी गई है।

गैर-लाभकारी संस्थानों पर सरकार की कार्रवाई:

- पिछले पाँच वर्षों में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश में लगभग 14500 NGOs का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।
- साथ पिछले तीन वर्षों में FCRA के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण 6600 से अधिक गैर-लाभकारी संस्थाओं के विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है।
- पिछले वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री द्वारा राज्यसभा को दी गई जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान FCRA के तहत पंजीकृत NGOs को कुल 2244.77 करोड़ रुपए (28 नवंबर तक) विदेशी योगदान के रूप में प्राप्त हुआ जबिक वित्तीय वर्ष 2017-18 में NGOs को प्राप्त कुल अंशदान 16,902.41 करोड़ रुपए था।

गैर-लाभकारी या गैर-सरकारी संस्थान:

- गैर-लाभकारी या गैर-सरकारी संस्थान को सामान्यत: एनजीओ (NGO) के नाम से जाना जाता है। NGO ऐसे संगठन होते है जो न तो सरकार का हिस्सा होते हैं और न ही वे अन्य व्यावसायिक संस्थानों की तरह लाभ के उद्देश्य से कार्य करते हैं।
- ये संस्थान धर्मार्थ कार्यों के तहत शिक्षा, चिकित्सा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।
- भारत में 'धार्मिक विन्यास अधिनियम, 1863', सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882' आदि के तहत NGOs का पंजीकरण किया जाता है।
- NGOs को विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिये 'विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम', 2010 के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है।
- विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन नियम, 2012 के अनुसार, FCRA के तहत पंजीकरण के बगैर NGO 25,000 से अधिक आर्थिक सहायता या कोई अन्य विदेशी अंशदान नहीं स्वीकार कर सकते।

विदेशी अंशदान/योगदानः

- FCRA, 2010 के तहत किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी विदेशी स्रोत से उपहार के रूप में प्राप्त कोई वस्तु, मुद्रा या प्रतिभृतियों को विदेशी अंशदान के रूप में परिभाषित किया गया है।
- हालाँकि भारतीय नागरिकता धारक अनिवासी भारतीयों ('Non-resident Indians- NRI) द्वारा प्राप्त अंशदान को विदेशी अंशदान नहीं माना गया है।

आगे की राहः

- गृह मंत्रालय के आदेश के बाद गैर-लाभकारी संस्थान को COVID-19 से निपटने के लिये प्राप्त होने वाले विदेशी अंशदानों की बेहतर निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी परंतु इससे इन संस्थाओं पर अनावश्यक दबाव बढ़ सकता है।
- वर्तमान में भारत जैसे विशाल देश में सरकार के लिये सुदूर क्षेत्रों तक COVID-19 के नियंत्रण हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है, ऐसे में गैर-लाभकारी संस्थान इस बीमारी से लड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- सरकार के द्वारा स्थानीय स्तर पर मूलभूत सुविधाओं की पहुँच सुनिश्चित करने के लिये NGOs और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर कार्य करने से इस बीमारी के दुष्प्रभावों को कम करने में सहायता प्राप्त होगी।

मानवाधिकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission-NHRC) ने केंद्र सरकार से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक एडवाइज़री जारी करने को कहा है ताकि आम जनता के मानवाधिकारों का उल्लंघन किये बिना देशव्यापी लॉकडाउन को सही ढंग से लागू किया जा सके।

प्रमुख बिंदु

- इससे पूर्व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गृह मंत्रालय से कोरोनोवायरस (COVID-19) के प्रसार को रोकने के लिये लागू किये लॉकडाउन के दौरान मानसिक रूप से बीमार लोगों की चिंताओं को संबोधित करने को भी कहा था।
 - ध्यातव्य है कि लॉकडाउन दिशा-निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये तनाव और दबाव का सामना कर रहे लोकसेवक कभी-कभी आम लोगों विशेष रूप से बीमार और गरीब मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं जिसके कारण उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है।
- एडवाइजरी के माध्यम से NHRC यह सुनिश्चित करना चाहता है कि लोक सेवक, विशेष रूप से पुलिसकर्मी आम लोगों के साथ सही ढंग से व्यवहार करें और उनके जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा से संबंधित मानवाधिकारों का सम्मान करें।
- NHRC के अनुसार, गृह मंत्रालय को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आवश्यक निर्देश जारी करने चाहिये तािक यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की देखभाल और वायरस से उनकी सुरक्षा के लिये आवश्यक सावधानियों के लिये उचित परामर्श प्रदान किया सके तथा वे भोजन, आश्रय और चिकित्सा देखभाल आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रह जाएँ।

मानवाधिकार और NHRC की भूमिका

- मानवाधिकारों में मुख्यत: जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और काम एवं शिक्षा का अधिकार, आदि शामिल हैं। ध्यातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र (United Nations-UN) की परिभाषा के अनुसार मानविधकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किये बिना सभी को प्राप्त हैं।
 - ♦ इस प्रकार कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इन अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होता है।
- भारत में इस अधिकारों की रक्षा का कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किया जाता है।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission-NHRC) एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्तूबर, 1993 को की गई थी।
- NHRC एक बहु-सदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष, चार पूर्ण कालिक सदस्य तथा चार मानद सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की जाती है।
 - ♦ इसके अतिरिक्त आयोग में पाँच विशिष्ट विभाग (विधि विभाग, जाँच विभाग, नीति अनुसंधान और कार्यक्रम विभाग, प्रशिक्षण विभाग और प्रशासन विभाग) भी होते हैं।

मानवाधिकार और भारतीय संविधान

- विशेषज्ञों के अनुसार, व्यक्ति के समग्र विकास के लिये मानवाधिकार आवश्यक होते हैं।
- भारतीय संविधान में भी भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों के लिये मौलिक अधिकारों के रूप में मानवाधिकारों से संबंधित प्रावधान किये गए हैं।
- 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ भारतीय संविधान अब तक के सबसे विस्तृत मौलिक संविधानों में से एक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है।
- भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में मानवाधिकारों जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार आदि का उल्लेख किया गया है।

NHRC के कार्य और शक्तियाँ

- मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई मामला यदि NHRC के संज्ञान में आता है या शिकायत के माध्यम से लाया जाता है तो NHRC को उसकी जाँच करने का अधिकार है।
- इसके पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है।
- आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकता है और जेल में बंद कैदियों की स्थिति का निरीक्षण एवं उसमे सुधार के लिये सुझाव दे सकता
- NHRC संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा मानवाधिकारों को बचाने के लिये प्रदान किये गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर सकता है और उनमें बदलावों की सिफारिश भी कर सकता है।
- NHRC मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य भी करता है।
- NHRC प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों और अन्य माध्यमों से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकारों से जुडी जानकारी का प्रचार करता है और लोगों को इन अधिकारों की सुरक्षा के लिये प्राप्त उपायों के प्रति भी जागरूक करता है।
- NHRC के पास सिविल न्यायालय की शक्तियाँ हैं और यह अंतरिम राहत भी प्रदान कर सकता है। आगे की राह
- मौजूदा समय में संपूर्ण विश्व कोरोनावायरस महामारी का सामना कर रहा है, नवीनतम आँकडों के अनुसार, संपूर्ण विश्व में तकरीबन 21 लाख लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और इसके कारण लगभग 147000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
- हालाँकि यह आवश्यक है कि ऐसी मुसीबत की घड़ी में हम मानवाधिकार जैसे महत्त्वपूर्ण विषय को नजरअंदाज न करें, आवश्यक है कि नीति निर्माता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आग्रह पर विचार करें और विभिन्न उपायों के माध्यम से मानवाधिकार के उल्लंघन के मुद्दे को संबोधित किया जाए।
- नेल्सन मंडेला के शब्दों में कहें तो "लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है।"

STPI परिसर से संचालित IT कंपनियों को किराये पर छूट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने देश में 'भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क' (Software Technology Parks of India-STPI) परिसर में चल रही सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology- IT) से जुड़ी हुई छोटी कंपनियों को चार माह के भवन किराये में छूट देने की घोषणा की है।

मुख्य बिंदुः

सरकार की इस घोषणा के अनुसार, भारत के विभिन्न शहरों में STPI परिसर में संचालित होने वाली IT क्षेत्र की कंपनियों को 1 मार्च, 2020 से लेकर 31 जून, 2020 तक कोई किराया नहीं देना होगा।

- ध्यातव्य है कि इस पहल के तहत लाभ प्राप्त करने वाली कंपनियों में अधिकांश 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम' (Micro, Small and Medium Enterprises- MSME) या स्टार्टअप (Startup) हैं।
- इस पहल के तहत सरकार द्वारा IT कंपनियों को चार महीनों के किराये में दी गई छूट की कुल अनुमानित लागत लगभग 5 करोड़ रुपए है।

छट का लाभ:

- सरकार की इस पहल से देशभर के 60 STPI सेंटरों से संचालित होने वाली लगभग 200 IT, MSME कंपनियों को लाभ होगा।
- IT क्षेत्र की कंपनियां भारतीय सेवा क्षेत्र के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, हाल ही में जारी एक आँकड़े के अनुसार,
 COVID-19 की महामारी और इसके प्रसार को रोकने के लिये देश में लागू लॉकडाउन के कारण भारतीय सेवा क्षेत्र के मार्च 2020 के व्यापार में गिरावट देखने को मिली थी।
- 'केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय' (Ministry of Electronics and Information Technology-MeitY) के अनुसार, सरकार के इस प्रयास का उद्देश्य IT क्षेत्र के लगभग 3000 कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना है, जो सीधे तौर पर इन MSMEs और स्टार्टअप कंपनियों से जुड़े हुए हैं।
- भारत में स्थापित IT कंपनियों के स्थानीय व्यापार के साथ इन कंपनियों के लिये पश्चिमी देश एक बड़ा बाज़ार उपलब्ध कराते हैं परंतु वर्तमान में विश्व के अधिकांश देशों में लागू लॉकडाउन का प्रभाव इन कंपनियों के व्यापार पर पड़ा है, जिससे कंपनियाँ इस दबाव को कम करने के लिये कर्मचारियों की छंटनी करने को विवश हुई थी।
- सरकार की इस पहल से IT कंपिनयों के दबाव में कमी के साथ सरकार के समर्थन से औद्योगिक क्षेत्र के मनोबल में वृद्धि होगी।

'भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क' (Software Technology Parks of India-STPI):

- 'भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क' की स्थापना वर्ष 1991 में 'केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय' के तहत एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी।
- STPI का मुख्य उद्देश्य देश में सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देना है।
- STPI के तहत सॉफ्टवेयर निर्यात से जुड़ी कंपनियों को वैधानिक सेवाएँ डेटा संचार सेवाएँ, इंक्यूबेशन सुविधाएँ (Incubation Facilities), प्रशिक्षण और मूल्यवर्द्धित सेवाओं आदि की सुविधा प्रदान की जाती हैं।
- भारत में 'लघु और माध्यम उद्यमों' (Small and Medium Enterprises- SME) तथा स्टार्टअप के विकास के साथ सॉफ्टवेयर निर्यात क्षेत्र की वृद्धि में STPI का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।
- वर्तमान में STPI के तहत 5000 से अधिक IT कंपनियों का पंजीकरण किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 में STPI के तहत पंजीकृत IT/ITES कंपिनयों का कुल निर्यात वित्तीय वर्ष 2017-18 के 3,75,988 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,21,103 करोड़ रुपए तक पहुँच गया।
- STPI का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- वर्तमान में देश में STPI के कुल 60 केंद्र/उप-केंद्र सक्रिय हैं जिनमें से 51 केंद्र टियर (Tier)-II और टियर (Tier)-III के शहरों में स्थित हैं।

COVID-19 और जल संकट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय' (Ministry of Health and Family Welfare- MoHFW) ने देश में COVID-19 के प्रसार पर नियंत्रण के लिये लागू लॉकडाउन के दौरान स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और इसके प्रबंधन को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकारों के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

मुख्य बिंदुः

- सरकार के अनुसार, साबुन से नियमित रूप से हाथ धोने को कोरोनावायरस के प्रसार को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी उपाय माना गया
 है।
- इस बात को ध्यान में रखते हुए MoHFW ने देश के सभी के लिये स्वच्छ और पीने योग्य जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर बल दिया है।

आवश्यक दिशा-निर्देश:

- केंद्र सरकार ने राज्यों के 'जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग' (Public Health Engineering Departments) और अन्य संबंधित बोर्डों तथा निगमों को स्वच्छ पेयजल के संकट से जूझ रहे क्षेत्रों में जल की आपूर्ति बढ़ाने के प्रयासों को प्राथमिकता देने को कहा है।
- केंद्र सरकार ने इस दौरान अधिकारियों को समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों जैसे- राहत शिविरों, क्वारंटीन सेंटरों (Quarantine Centers), अस्पतालों, वृद्धाश्रमों, झुग्गी-बस्तियों में रह रहे लोगों का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया है।
- राज्य सरकारों को इसके लिये आवश्यक रसायनों जैसे- क्लोरीन टैबलेट, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल और फिटकरी (Alum) आदि की उपलब्धता का आकलन करने की सलाह दी गई है। (इन उत्पादों को 'अति आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955' के तहत अति आवश्यक वस्तुओं की सूची में रखा गया है।)
- इस दौरान 'सोशल डिस्टेंसिंग' (Social Distancing) के नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु सार्वजनिक जल आपूर्ति स्रोतों (नल, टैंकर आदि) पर लोगों की संख्या बढ़ने की स्थिति में जल आपूर्ति के समय में वृद्धि करने के निर्देश दिये गए हैं।
- साथ ही राज्य सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्ट किट भेजकर जल संसाधनों की नियमित जाँच करने और 24 घंटे जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये गए हैं।

चुनौतियाँ:

- हालाँकि हाथों की स्वच्छता या हाथों को नियमित रूप से साफ रखने को कोरोनावायरस से बचने का एक प्रभावी तरीका माना गया है परंतु सभी के लिये स्वच्छ जल का उपलब्ध न होना पिछले कई वर्षों से देश के लिये एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
- वर्ष 2017 में 'केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय' (वर्ष 2019 में 'केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय' में विलय से पूर्व) द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किये गए आँकड़ों के अनुसार, देश में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक जल की उपलब्धता वर्ष 2001 (1820 घनमीटर) से घटकर वर्ष 2011 में 1545 घनमीटर तक पहुँच गई थी।
- ऑकड़ों के अनुसार, प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक जल की उपलब्धता वर्ष 2025 तक घटकर 1341 घनमीटर और वर्ष 2050 तक 1140 घनमीटर तक पहुँच सकती है।
- सरकार के अनुसार, वर्षा में उच्च अस्थाई और क्षेत्रीय भिन्नताओं के कारण देश के कई हिस्सों में जल की उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से बहुत
 नीचे है और ऐसे क्षेत्रों को जल प्रतिबल या जल संकट के क्षेत्रों के रूप में रखा जा सकता है।
 - जल प्रतिबल (Water Stressed): ऐसे क्षेत्र जहाँ वार्षिक रूप से प्रतिव्यक्ति जल की औसत उपलब्धता 1700 घनमीटर से कम
 - पानी की कमी (Water Scarce): ऐसे क्षेत्र जहाँ वार्षिक रूप से प्रतिव्यक्ति जल की औसत उपलब्धता 1000 घनमीटर से कम हो।
- जल और स्वच्छता पर काम करने वाली संस्था 'वाटरऐड' (WaterAid) द्वारा जारी वर्ष 2018 की वार्षिक रिपोर्ट में भारत को विश्व
 में शीर्ष उन 10 देशों की सूची में रखा गया था जिनमें लोगों के घरों के नजदीक स्वच्छ जल की उपलब्धता सबसे कम है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत के संदर्भ में ऐसे लोगों की संख्या लगभग 16.3 करोड़ बताई गई थी, जिनके घरों के नजदीक स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो पाता।

जल संकट के कारण:

- भारत के वर्तमान जल संकट के प्राकृतिक कारणों में पिछले कुछ वर्षों में अनियमित और कम वर्ष का होना, सूखा और जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव प्रमुख हैं।
- मानवीय गतिविधियों के कारण प्राकृतिक जल स्रोतों के प्रदूषण।
- साथ ही कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि के लिये जल के अनियंत्रित दोहन ने जल संकट में कई गुना वृद्धि की है।

जल प्रबंधन और भारतीय संविधान :

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद-246 के तहत राज्यों तथा केंद्र के उत्तरदायित्त्वों को तीन सूचियों में विभाजित किया गया है।
 - 1. संघ सूची
 - 2. राज्य सूची
 - 3. समवर्ती सूची
- भारतीय संविधान में जल को राज्य सूची में 17वीं प्रविष्टि के रूप में शामिल किया गया है, इसके अनुसार, जल, अर्थात् जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, जल निकासी और तटबंध, जल संग्रहण और जल शक्ति, जो कि सूची-I (संघ सूची) की प्रविष्टि 56 के प्रावधानों के अधीन है। आगे की राह:
- वर्तमान में COVID-19 से सबसे अधिक खतरा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को है, इस समूह के लोग प्राय: घनी आबादी वाले क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ सबके लिये स्वच्छ जल की उपलब्धता बहुत कठिन है।
- ऐसे में क्षेत्रीय प्रशासन द्वारा प्रत्येक परिवार तक स्वच्छ जल की आपूर्ति को सुनिश्चित की जानी चाहिये।
- स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य हितधारकों के सहयोग से अति आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के साथ COVID-19 के बारे में जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिये, जिससे इस बीमारी से संक्रमित लोगों की पहचान कर उन्हें चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके।
- जल का अनियंत्रित दोहन और प्रदूषण वर्तमान जल संकट का सबसे प्रमुख कारण हैं अत: स्वच्छ जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु
 इस पर नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है।
- प्राकृतिक जल संरक्षण और जल के पुनर्प्रयोग (Water Recycling) को बढ़ावा देकर जल संकट के दबाव को कम किया जा सकता है।

ब्लड बैंक भंडार में कमी

चर्चा में क्यों?

हाल में 'COVID- 19' महामारी के चलते 'ब्लड बैंक' (Blood Banks) रक्त की कमी का सामना कर रहे हैं ऐसे में अस्पतालों ने रक्त की कमी को पूरा करने के लिये 'व्यक्तिगत रक्त दाताओं' से संपर्क करना शुरू कर दिया है।

मुख्य बिंदुः

- COVID- 19 के अलावा अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ितों को रक्त की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
- 'केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय' (Union Health Ministry) ने अस्पतालों को कहा है कि वे जरूरतमंद मरीजों को आवश्यक रक्त उपलब्ध कराए।

सबसे ज्यादा प्रभावित लोगः

• रक्त विकार (Blood Disorder) वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएँ, B-पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, सांस या दिल के मरीज आदि को मुख्यत: रक्त की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अस्पताल द्वारा सूचीबद्ध दाताओं तथा 'दुर्लभ रक्त समूहों' (Rare Blood Groups) वाले लोगों से रक्त दान की अपील की जा रही है।

थैलेसीमिया के मरीज़ (Thalassemia Patients):

- 'थैलेसीमिया' के रोगियों को बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि ऐसे रोगियों को जीवित रहने के लिये बार-बार रक्त बदलने की आवश्यकता होती है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी (Indian Red Cross Society) द्वारा ब्लड बैंक कैंपों के माध्यम से एकत्रित किया गया रक्त इन रोगियों को उपलब्ध कराया जाता है।
 - ◆ वर्ष 1920 में संसदीय अधिनियम के तहत भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी का गठन किया गया, तब से रेडक्रॉस के स्वंय सेवक विभिन्न प्रकार के आपदाओं में निरंतर निस्वार्थ भावना से अपनी सेवाएँ दे रहे हैं।
 - ◆ विश्व का पहला ब्लड बैंक वर्ष 1937 में रेडक्रॉस की पहल पर अमेरिका में खुला था। आज विश्व के अधिकांश ब्लड बैंकों का संचालन रेडक्रॉस एवं उसकी सहयोगी संस्थाओं द्वारा किया जाता है।

ब्लड बैंकों की वर्तमान स्थिति:

- इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (Indian Red Cross Society) के अनुसार अभी तक स्थिति नियंत्रण में है क्योंकि नियमित सर्जरी नहीं हो रही है, जिससे रक्त की मांग में कमी आई है।
- 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' (World Health Organization- WHO) के अनुसार किसी देश की आबादी के 1% लोगों की रक्त की आवश्यकता को उस देश रक्त की जरूरतों के मानक के रूप में उपयोग किया जाना चाहिये। इस मानक से तुलना करें तो वर्ष 2018 में भारत में 1.9 मिलियन यूनिट रक्त की कमी थी।
- राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद (National Blood Transfusion Council) के अनुसार, भारत में 2,023 ब्लड बैंक हैं, जो रक्त की 78% आपूर्ति स्वैच्छिक रक्तदाताओं से प्राप्त करते हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कदम:
- स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी को नियमित रक्त दाताओं के पास गतिशील रक्त संग्रह वैन (Mobile Blood Collection Vans) भेजने के लिये कहा है ताकि रक्तदाता, रक्तदान को आगे आ सके।

आगे की राहः

- व्यक्तिगत रक्त दाताओं के लिये पिक-ड्रॉप सुविधाओं (Pick-Drop Facilities) प्रदान की जानी चाहिये तथा रक्त दाता संपर्क में रहे लोगों की विस्तृत जानकारी ली जाएगी ताकि सुरक्षित तथा वायरस मुक्त रक्त की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद (NBTC):
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार, वर्ष 1996 'राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद' का गठन किया गया था।

उद्देश्य (objectives):

- स्वैच्छिक रक्तदान को बढावा देना।
- सुरक्षित रक्त आधान सुनिश्चित करना।
- रक्त केंद्रों को बुनियादी ढाँचा प्रदान करना।
- मानव संसाधनों विकास करना।

NBTC के कार्यः

- 'राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद' (NBTC) रक्त केंद्रों के संचालन से संबंधित सभी मामलों के संबंध में शीर्ष नीति निर्माणकारी निकाय है।
- NBTC केंद्रीय निकाय है जो राज्य रक्त आधान परिषदों (State Blood Transfusion Councils- SBTCs) का समन्त्रय करता है।
- 'रक्त संचार सेवा' (Blood Transfusion Services- BTS) से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिये अन्य मंत्रालयों तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमों में शामिल होना भी सुनिश्चित करता है।
- राष्ट्रीय स्तर पर 'राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन' (National AIDS Control Organisation- NACO) और 'राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद' (NBTC) में समन्वय प्रभाग के रूप में कार्य करना।

प्रवासी मज़दूरों के उत्थान में सरकारी योजनाओं की असफलता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में देश में COVID-19 के संक्रमण को रोकने के लिये लागू लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को देखकर भविष्य में इस वर्ग को ऐसी चुनौतियों से बचाने के लिये एक बेहतर विधिक प्रणाली की आवश्यकता महसूस हुई है।

मुख्य बिंदुः

- 25 मार्च, 2020 को देश में COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिये लागू लॉकडाउन के बाद देश के कई हिस्सों में प्रवासी मज़दूरों की समस्याओं में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हुई है।
- इस दौरान मज़दूरों को रोज़गार, आश्रय, भोजन आदि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
- इस दौरान देश के कई हिस्सों में सरकारी व्यवस्था इन मज़दूरों की समस्या का समाधान करने में उतनी सफल नहीं रही है।
- इससे पहले भी देश में प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के समाधान करने के लिये कई कानून जैसे- ' अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम, 1979 (Inter-State Migrant Workmen Act- ISMW), 1979 ', और ' असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, {The Unorganised Workers' Social Security (UWSS) Act}, 2008 ' बनाए गए, परंतु कई कारणों से ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहे हैं।

अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम, 1979:

- प्रवासी मज़दूरों की समस्याओं के समाधान के लिये बने कानूनी प्रावधानों में से एक वर्ष 1979 में लागू 'अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम,
 1979 है।
- ISMW अधिनियम के अनुसार, अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर वह व्यक्ति है जो किसी ठेकेदार (Contractor) द्वारा या ठेकेदार के माध्यम से भर्ती किया गया हो।
- साथ ही यह अधिनियम केवल उन संस्थानों पर लागू होता है जहाँ पाँच या इससे अधिक प्रवासी कर्मचारी कार्यरत हों।
 - गौरतलब है कि, देश के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत अधिकांश प्रवासी मजदूर किसी पंजीकृत ठेकेदार के माध्यम से नहीं भर्ती किये जाते ऐसे में प्रवासी मजदूरों की एक बड़ी आबादी इस अधिनियम का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाती है।
 - ♦ इसके अतिरिक्त यह अधिनियम 5 से कम प्रवासी कर्मचारियों वाले संस्थानों पर लागू नहीं होता अत: यह अधिनियम ऐसे संस्थानों में कार्यरत प्रवासी मजदूरों की सहायता करने में असफल रहा है।

प्रवासी मज़दूरों के हितों की रक्षा के लिये अन्य कानूनी प्रावधान:

- प्रवासी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य लाभ प्रदान करने के लिये वर्ष 2008 में 'असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम,
 2008' लागू किया गया था।
- इस अधिनियम में असंगठित मजदूर की परिभाषा के तहत घर पर रहकर कार्य करने वाले लोग, स्वरोजगार से जुड़े लोग और असंगठित क्षेत्र से जुड़े दिहाड़ी मजदूरों को शामिल किया गया है।
- इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने हाल के वर्षों में सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी कई योजनाओं को लागू किया है।
 - 1. असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों को वृद्धावस्था में संरक्षण प्रदान करने के लिये प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan Yojana)।
 - 2. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अटल पेंशन योजना।
 - 3. आसान शर्तों पर इंश्योरेंस उपलब्ध कराने के लिये 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना' (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana- PMJJBY)।
 - 4. दुर्घटना बीमा के लिये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) आदि।

- UWSS अधिनियम के तहत दो महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाएँ दी गई हैं:
 - 1. असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों का पंजीकरण
 - 2. हर कर्मचारी के लिये अलग पहचान संख्या वाला एक स्मार्ट पहचान पत्र
- आँकड़ों से पता चलता है कि सरकार के कई प्रयासों के बावजूद भी ये योजनायें अपने अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करने में उतनी सफल नहीं रही हैं।

सरकारी योजनाओं की असफलता के कारण:

- सरकार द्वारा लागू अधिकांश योजनाओं में कई योजनाएँ असंगठित क्षेत्र में कार्यरत एक बड़े श्रमिक वर्ग तक पहुँचने में असफल रही हैं।
- असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और इस क्षेत्र के रोजगार के संबंध में एक व्यापक केंद्रीय डेटा के अभाव में सरकारें मज़दूरों की समस्याओं का आकलन करने में असफल रही हैं।
- सरकार की कई योजनाएँ नागरिकों को उनके राज्यों में ही उपलब्ध होती हैं ऐसे में प्रवासी मजदूरों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है।
- असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले मजदूरों को अधिकांशत: सरकार की योजनाओं की जानकारी नहीं होती है, ऐसे में जागरूकता और परामर्श के अभाव में बहुत से पात्र लोग भी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते।

समाधान:

- वर्तमान आवश्यकताओं के आधार पर सिक्रय अधिनियमों में आवश्यक परिवर्तन िकये जाने चािहये।
- कर्मचारियों को आधार कार्ड से जुड़े यूनीक वर्कर्स आइडेंटीफिकेशन नंबर (Unique Worker's Identification No.) प्रदान कर कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।
- प्रवासी मजदूरों के लिये देश के हर राज्य में मनरेगा, उज्ज्वला, सार्वजिनक वितरण प्रणाली जैसी योजनाओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानी चाहिये।
- प्रवासी मज़दूरों के गृह राज्य, आयु, कार्य करने की क्षमता के आधार पर एक विस्तृत डेटाबेस स्थापित किया जाना चाहिये।
- राज्यों के बीच प्रवासी मज़दूरों से जुड़े विवादों के समाधान हेतु संविधान के अनुच्छेद-263 के तहत स्थापित 'अंतर्राज्यीय परिषद्' (The Inter-State Council-ISC) की सहायता ली जा सकती है।

आरक्षण का लाभ वास्तविक लाभार्थियों को नहीं

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्रप्रदेश राज्यपाल के उस आदेश को असंवैधानिक घोषित किया जिसमें 'अनुसूचित क्षेत्रों' में स्कूल शिक्षकों के पदों पर 'अनुसूचित जनजाति' (Scheduled Tribes- STs) के उम्मीदवारों को 100% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया था।

मुख्य बिंदुः

- पाँच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ का गठन आंध्र प्रदेश राज्य के तत्कालीन राज्यपाल द्वारा जनवरी 2000 में जारी की गई अधिसूचना को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करने के लिये किया गया था।
- हालाँकि परिस्थितियों को देखते हुए संवैधानिक पीठ ने आंध्र प्रदेश के इस नियुक्ति आदेश को रद्द नहीं किया है लेकिन भविष्य में इस तरह के प्रावधान नहीं करने को कहा है।

संवैधानिक पीठः

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 (3) के अनुसार, संविधान की व्याख्या के रूप में यदि विधि का कोई सारवान प्रश्न निहित हो तो उसका विनिश्चय करने अथवा अनुच्छेद 143 के अधीन मामलों की सुनवाई के प्रयोजन के लिये संवैधानिक पीठ का गठन किया जाएगा जिसमें कम-से-कम पाँच न्यायाधीश होंगे।
- हालाँिक इसमें पाँच से अधिक न्यायाधीश भी हो सकते हैं जैसे- केशवानंद भारती केस में गठित संवैधानिक पीठ में 13 न्यायाधीश थे।

आंध्र प्रदेश सरकार का पक्ष:

- अनुसूचित क्षेत्रों में 100% आरक्षण प्रदान करने के पीछे सरकार द्वारा यह तर्क दिया गया कि- "आदिवासियों को केवल आदिवासियों द्वारा ही शिक्षा देनी चाहिये।"
- पीठ ने सरकार के पक्ष को इस आधार पर खारिज कर दिया कि जब अन्य स्थानीय निवासी जनजातीय क्षेत्र में रह रहे हैं तो वे भी इन आदिवासियों को पढा सकते हैं।

आरक्षण व्यवस्था पर चिंता:

- पाँच जजों की संविधान पीठ ने 'अन्य पिछडा वर्ग' (Other Backward Classes-OBCs), 'अनुसूचित जाति' (Scheduled Castes- SCs तथा 'अनुसूचित जनजाति' (Scheduled Tribes- STs) वर्गों में आरक्षण व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की है।
- पीठ के अनुसार OBCs/STs/SCs वर्गों में भी अनेक सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत उपवर्ग हैं जिनकी वजह से आरक्षण का लाभ आरक्षित वर्गों के सभी लोगों को नहीं मिल पा रहा है।

आरक्षण सूची में संशोधन:

- संवैधानिक पीठ ने इस बात पर सहमित व्यक्त की है कि आरक्षण के हकदार लोगों की आरक्षण सूचियों को समय-समय पर संशोधित किया जाना चाहिये।
- सूचियों का अद्यतन, आरक्षण व्यवस्था में बदलाव किये बिना जा सकता है अर्थात किसी वर्ग को प्रदान किये गए आरक्षण के कुल प्रतिशत में किसी प्रकार की कमी न की जाए।

आरक्षण सूची में संशोधन का लाभ:

- प्रथम, वे वर्ग इस सूची से बाहर हो जाएँगे जो पिछले 70 वर्षों से आरक्षण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
- द्वितीय, आरक्षण सूची में बाद में शामिल किये गए वर्ग; जो वास्तव में आरक्षण के हकदार नहीं थे, बाहर हो जाएँगे।
- यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह कि सरकार इस तरह की कवायद करने के लिए बाध्य है क्योंकि 'इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मामले' के निर्णय के अनुसार ऐसा करना संवैधानिक रूप से परिकल्पित है।
 - आरक्षण प्रणाली के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या:
- संवैधानिक पीठ के अनुसार अनुसूचित जनजातियों को 100% आरक्षण देने से अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को उनके उचित प्रतिनिधित्त्व से भी वंचित किया गया है।
- आरक्षण की अवधारणा समानुपाती नहीं, बल्कि पर्याप्त (Not Proportionate but Adequate) पर आधारित है, अर्थात आरक्षण का लाभ जनसंख्या के अनुपात में न होकर, पर्याप्त प्रतिनिधित्त्व प्रदान करने के लिये है।
- इस प्रकार कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है।
- आरक्षण प्रदान करते समय मेरिट को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।
- राज्यपाल का निर्णय कानून से ऊपर नहीं हो सकता, अत: असाधारण परिस्थितियों को छोडकर आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिये (इंदिरा साहनी वाद का निर्णय)।

निष्कर्षः

भारतीय समाज विशेषकर पिछड़े वर्ग के विकास में आरक्षण की भूमिका को पहचानने की जरूरत है। आवश्यक है कि विषय से संबंधित विभिन्न हितधारकों से विचार-विमर्श किया जाए और यथासंभव एक संतुलित मार्ग की खोज की जाए।

COVID-19 के दौरान आदिवासी समुदाय की सहायता हेत् TRIFED की पहल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में COVID-19 की महामारी और इसके प्रसार को रोकने के हेतु देशभर में लागू लॉकडाउन के कारण प्रभावित आदिवासी समुदाय की समस्याओं के समाधान के लिये 'केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय' (Ministry of Tribal Affairs) ने कई महत्त्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है।

मुख्य बिंद:

- देश में लागू लॉकडाउन ने वनों पर आश्रित आदिवासी समुदाय की आजीविका को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।
- देश के विभिन्न भागों में वर्तमान में वन्य उत्पादों के पकने और उनकी कटाई या एकत्र करने का मौसम है. ऐसे में यह समय वर्ष भर के लिये इस समुदाय की व्यापारिक गतिविधियों और उनकी सुरक्षा को निर्धारित करता है।
- वर्तमान में लॉकडाउन से उत्पन्न समस्याओं को दूर करने के लिये 'केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय' के तहत संचालित 'भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ' (The Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India- TRIFED) ने कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
- TRIFED द्वारा आदिवासी समुदाय की सहायता के लिये किये जा रहे प्रयासों को निम्नलिखित तीन बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता
 - ♦ प्रचार और जागरूकता (Publicity and Awareness Generation)
 - व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु स्वास्थ्य सुविधा (Personal Protective Healthcare)
 - ♦ गैर-काष्ठ वन उत्पादों की खरीद {Non-Timber Forest Product (NTFP) Procurement}
- TRIFED ने समुदाय को इन चुनौतियों से निपटने हेतु अतिरिक्त सहायता प्रदान करने हेतु आवश्यकता के अनुसार तात्कालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक पहलों की शुरुआत की है।
 - तात्कालिक/लघु अविध के उपाय: सोशल डिस्टेंसिंग अवेयरनेस (Social Distancing Awareness)
 - 1. वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान (Van Dhan Samajik Doori Jagrookta Abhiyaan):
- इसके तहत गैर-काष्ठ वन उत्पादों को एकत्र करने वाले लोगों को COVID-19 से बचाव के लिये डिजिटल माध्यमों जैसे- वेबिनार और फेसबुक लाइव आदि से सुरक्षात्मक व्यवहार जैसे- सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटीन और स्वच्छता के संबंध में दो स्तरीय (प्रशिक्षकों और स्वयं सहायता समूहों द्वारा) प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- 'वन धन स्वयं सहायता समूहों' (Van Dhan Self Help Groups) को सुरक्षात्मक ढंग से कार्य करने के लिये मास्क और स्वच्छता से जुड़े उत्पाद जैसे- साब्न, कीटाणुनाशक आदि उपलब्ध कराया गया है।

वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान

(Van Dhan Samajik Doori Jagrookta Abhiyaan):

- इस अभियान के माध्यम से 'प्रधानमंत्री वन धन योजना' (Pradhan Mantri Van Dhan Yojana) के तहत लगभग 15,000 स्वयं सहायता समृहों के सहयोग से देश के 28 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में आदिवासियों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है।
- इसके तहत TRIFED ने यूनिसेफ (UNICEF) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation-WHO) के सहयोग से COVID-19 संकट के दौरान 'सोशल डिस्टेंसिंग' (Docial Distancing) के महत्त्व के संदर्भ में जागरूकता फैलाने हेतु एक डिजिटल अभियान शुरू किया है।
- यूनिसेफ ने 'वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान (Van Dhan Social Distancing Awareness Movement) हेतु जागरूकता, शिक्षा और संवाद (Information, Education and Communication-IEC) के लिये आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई है।
- इसके तहत COVID-19 से बचने के लिये प्रशिक्षकों तथा वेबिनार के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग, होम क्वारंटीन आदि से जुड़े व्यापक अभियान चलाए गए हैं।
- मध्यम और दीर्घकालिक उपाय: आजीविका
 - ♦ इसके तहत वन्य उत्पाद पर आश्रित करोड़ों आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिये लॉकडाउन के दूसरे चरण में समुदाय को कुछ छूट दिये जाने के लिये गृह मंत्रालय से संपर्क किया गया था।
 - ◆ गृह मंत्रालय द्वारा 16 अप्रैल, 2020 को आवश्यक परिवर्तनों के बाद संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये गए, जिसके तहत अनुसूचित जनजातियों और वनों पर आश्रित अन्य समुदायों को 'गैर-काष्ठ लघु वन उत्पाद' {Non - Timber Minor Forest Produce (MFP)} की कटाई या एकत्र करने के लिये कुछ छूट प्रदान की गई है।

- साथ ही 'केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय' ने TRIFED को वन्य उत्पादों के 'न्यूनतम समर्थन मुल्य' (Minimum Support Price- MSP) में आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिये, जिससे वनों पर आश्रित समुदायों को अपने उत्पादों के लिये बाजार के बराबर लाभ मिल सके।
- ♦ 'केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय' के 17 अप्रैल, 2020 के आदेशों के अनुसार, TRIFED ने सभी राज्यों के 'हाट बाज़ार' नामक प्राथमिक बाजारों में उचित MSP देने, उत्पादों की खरीद के लिये तौल, परिवहन और आवश्यकता के अनुरूप कोल्ड या डाई स्टोरेज (Cold and Dry Storage) सुविधा युक्त खरीद केंद्रों की स्थापना हेतु महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के विरुद्ध लड रहे स्वास्थ्यकर्मियों के साथ हिंसा के कृत्य को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध घोषित करने वाले अध्यादेश को मंज़ुरी दे दी है।

अध्यादेश संबंधी प्रमख बिंद

- ध्यातव्य है कि देश भर में स्वास्थ्यकर्मियों के के विरुद्ध हो रही हिंसा में बढोतरी को देखते हुए 22 अप्रैल, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन को मंज़्री दी थी, ताकि महामारी के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों और उनकी संपत्ति (आवास तथा कार्यस्थल) की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- महामारी रोग अधिनियम, 1897 में यह संशोधन स्वास्थ्यकर्मियों के साथ हिंसा के कृत्य को संज्ञेय तथा गैर-जमानती अपराध बनाता है और स्वास्थ्यकर्मी को हुई क्षति अथवा उसकी संपत्ति को हुई क्षति के लिये मुआवज़े का प्रावधान करता है।
- वर्तमान अध्यादेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी स्थिति में मौजूदा महामारी के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों के विरुद्ध हिंसा या संपत्ति का नुकसान होने पर दोषी के साथ शून्य सिहष्णुता की नीति अपनाई जाए।
- अध्यादेश में हिंसा की जो परिभाषा दी गई है उसमें उत्पीड़न तथा शारीरिक चोट के अतिरिक्त संपत्ति को नुकसान पहुँचाना भी शामिल है।
- अध्यादेश के अनुसार, स्वास्थ्यकर्मियों में सार्वजनिक तथा नैदानिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता जैसे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल कार्यकर्त्ता तथा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता शामिल हैं।
 - 🔷 इसके अतिरिक्त स्वास्थ्यकर्मी की परिभाषा में ऐसे सभी लोगों को भी शामिल किया गया है जिन्हें इस महामारी के प्रकोप को रोकने या इसके प्रसार को रोकने के लिये अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त है।
- अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार, स्वास्थ्यकर्मियों के साथ हिंसा करने पर 3 माह से लेकर 5 वर्ष तक कैद और 50000 रुपए से लेकर 200000 रुपए तक जुर्माने की सजा दी जा सकती है। वहीं गंभीर चोट के मामले में 6 माह से 7 वर्ष तक कैद और 100000 रुपए से 500000 रुपए तक जुर्माने की सजा दी जा सकती है।
 - 🔷 इसके अतिरिक्त अपराधी पीड़ित को मुआवजे का भुगतान करने और संपत्ति के नुकसान का भुगतान करने के लिये भी उत्तरदायी होगा। ध्यातव्य है कि संपत्ति के नुकसान की स्थिति में भुगतान बाजार मूल्य का दोगुना होगा।
- अध्यादेश के अनुसार, 30 दिनों की अवधि के भीतर इंस्पेक्टर रैंक के एक अधिकारी द्वारा अपराधों की जाँच की जाएगी।

अध्यादेश की आवश्यकता

- COVID-19 महामारी के दौरान ऐसी कई घटनाएँ देखी गई हैं, जिनमें स्वास्थ्यकर्मियों के साथ हिंसा की गई और उन्हें लक्षित करके उन पर हमले किये गए, जिससे उन्हें अपने कर्त्तव्यों के निर्वाह में बाधाओं का सामना कर पडा।
- चौबीसों घंटे कार्य करने और बिना किसी स्वार्थ के मानव जीवन को बचाने के बावजूद चिकित्सा समुदाय के सदस्यों को उत्पीडन का सामना कर पड़ रहा है।
- कई लोगों स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोनावायरस (COVID-19) का वाहक मान रहे हैं, जिसके कारण उन्हें चौतरफा संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है।

• ऐसी स्थिति चिकित्सा समुदाय को अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करने और उनके मनोबल को बनाए रखने से रोकती है, जो वैश्विक स्वास्थ्य संकट के इस समय में एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है।

आगे की राह

- स्वास्थ्यकर्मी COVID-19 के प्रसार से रोकने और उस महामारी से लड़ने में हमारे अग्रिम पंक्ति के सैनिक हैं। ये लोग दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं।
- मौजूदा समय में सभी स्वास्थ्यकर्मी सर्वोच्च सम्मान और प्रोत्साहन के हकदार हैं, किंतु उन्हें इस महामारी के दौर में हिंसा और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, बीते कुछ दिनों में स्वास्थ्यकर्मियों के विरुद्ध हिंसा की कुछ घटनाएँ सामने आई हैं, इस घटनाओं के कारण चिकित्सा समुदाय का मनोबल काफी गिरता जाता है।
- आशा है कि इस अध्यादेश के माध्यम से चिकित्सा समुदाय में विश्वास पैदा करने में मदद मिलेगी और वे मौजूदा कठिन परिस्थितियों अपने महान पेशे के माध्यम से अपना बहुमूल्य योगदान देते रहें।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कटौती

चर्चा में क्यों?

महामारी से प्रेरित लॉकडाउन का देश की विभिन्न आर्थिक तथा गैर-आर्थिक गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे सरकार की राजस्व स्थिति भी काफी प्रभावित हुई है, इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 तक केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) में वृद्धि पर रोक लगा दी है।

प्रमुख बिंदु

- वित्त मंत्रालय के अनुसार, केंद्र सरकार ने यह निश्चित किया है कि 1 जनवरी, 2020 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय DA और पेंशनभोगियों को देय महंगाई राहत (Dearness Relief-DR) के लिये देय की अतिरिक्त किस्त का भुगतान भी नहीं किया जाएगा।
- ध्यातव्य है कि इसी वर्ष मार्च माह में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया था। इस घोषणा के पश्चात् अप्रैल में सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अपने वेतन के साथ जनवरी से मार्च तक के बकाया के साथ बढ़ा हुआ DA मिलने की उम्मीद थी।
 - इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष में भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। हालाँकि सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मौजूद दर पर महंगाई भत्ते प्रदान किये जाएंगे।

आवश्यकता

- COVID-19 महामारी से उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति के कारण सरकार के समक्ष वित्त संबंधी गंभीर चुनौती उत्पन्न हो गई है। COVID-19 महामारी से प्रभावित गरीब और कमजोर वर्गों के लिये स्वास्थ्य पर खर्च के साथ-साथ कल्याणकारी उपायों में भी बड़ी वृद्धि की आवश्यकता है जिसके लिये सरकार को अधिक-से-अधिक वित्त की आवश्यकता होगी।
- COVID-19 प्रेरित लॉकडाउन के कारण सरकार को मिलने वाला कर एवं गैर-कर राजस्व लगभग रुक गया है, वहीं दूसरी और अर्थव्यवस्था को मंदी में प्रवेश करने से बचाने के लिये और अधिक आर्थिक प्रोत्साहन की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

लाभ

- केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के DA और DR में कटौती से मौजूदा वित्तीय वर्ष और वित्तीय वर्ष 2021-22 में तकरीबन 37,530 करोड़ रुपए की बचत की जा सकेगी।
- इसके माध्यम से सरकार को स्वास्थ्य एवं कल्याण के उपायों पर खर्च बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- विश्लेषकों के अनुसार, यदि राज्य सरकारें भी केंद्र सरकार के उपायों का पालन करती हैं तो इस माध्यम से कुल 82,566 करोड़ रुपए की बचत की जा सकती है।

केंद्र के निर्णय का विरोध

- केंद्र सरकार के इस निर्णय के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है।
- अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ (All India Railwaymen's Federation) के अनुसार 'सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय पूरी तरह गलत है और इसके कारण औसतन एक रेल कर्मचारी की लगभग डेढ़ महीने का वेतन घट जाएगा। इसके अतिरिक्त पेंशनधारियों को भी इस निर्णय से नुकसान का सामना करना पड़ेगा। आगे की राह
- केंद्र सरकार मौजूदा समय में महामारी से निपटने के लिये अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु काफी प्रयास कर रही है।
- इससे पूर्व केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक वर्ष की अविध के लिये प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रियों सिहत सभी सांसदों के वेतन में 30 प्रतिशत की कटौती की मंज़्री दी थी।
 - ◆ इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने आगामी दो वर्षों तक 'संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना' (Members of Parliament Local Area Development Scheme- MPLADS) को स्थिगित करने का भी निर्णय लिया था। MPLADS पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है, इस योजना के तहत एक संसदीय क्षेत्र के लिये वार्षिक रूप से दी जाने वाली राशि की अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपए हैं।
- आवश्यक है कि सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारी संघों के पक्ष पर भी विचार करे, साथ ही इसके कारण कर्मचारियों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिये भी कुछ व्यवस्था की जाए।

खुदाई खिदमतगार आंदोलन

चर्चा में क्यों?

किस्सा ख्वानी बाजार (Qissa Khwani Bazaar) नरसंहार को 90 बरस बीत गए हैं। 23 अप्रैल, 1930 को खुदाई खिदमतगार (Khudai Khidmatgar) आंदोलन के अहिंसक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ब्रिटिश सैनिकों द्वारा की गई नरसंहार कार्यवाही के रूप में इतिहास में दर्ज यह स्थल इंडो-इस्लामिक स्थापत्य शैली का एक उदाहरण है।

खुदाई खिदमतगार कौन थे?

- खान अब्दुल गफ्फार खान ने वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार (सर्वेंट ऑफ गॉड) आंदोलन की शुरुआत की। सामान्य लोगों की भाषा में वे सुर्ख पोश थे। खुदाई खिदमतगर आंदोलन गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से प्रेरित था।
- खुदाई खिदमतगार उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत में पश्तून/पख्तून (या पठान; पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुसलमान जातीय समूह) स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में संचालित ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक अहिंसक आंदोलन था।
- समय के साथ-साथ इस आंदोलन ने राजनीतिक रूप धारण कर लिया था, जिसके कारण इस क्षेत्र में आंदोलन की बढ़ती ख्याति अंग्रेजों की नजर में आ गई।
- वर्ष 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खान और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के बाद यह आंदोलन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से समर्थन प्राप्त करने में विफल रहा, जिसके बाद यह आंदोलन औपचारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गया।
- खुदाई खिदमतगार के सदस्यों को संगठित किया गया और पुरुषों ने गहरे लाल रंग की शर्ट (जिसे वे वर्दी के रूप में पहनते थे) और महिलाओं ने काले रंग के वस्त्र धारण किये। खुदाई खिदमतगारों ने भारत के विभाजन का विरोध किया।
 किस्सा ख्वानी बाजार नरसंहार क्यों हुआ?
- अब्दुल गफ्फार खान और खुदाई खिदमतगार के अन्य नेताओं को 23 अप्रैल, 1930 को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत के उटमानजई (Utmanzai) शहर में आयोजित एक सभा में भाषण दिया था।
- अब्दुल गफ्फार खान को उनके अहिंसक तरीकों के लिये जाना जाता है, यही वजह रही कि खान की गिरफ्तारी को लेकर पेशावर सिहत पड़ोसी शहरों में विरोध प्रदर्शन होने लगे।

- खान की गिरफ्तारी के ही दिन पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में विरोध प्रदर्शन हुए। ब्रिटिश सैनिकों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिये बाजार क्षेत्र में प्रवेश किया, परंतु भीड़ ने प्रदर्शन-स्थल छोड़ने से इनकार कर दिया।
- इसके प्रत्युत्तर में ब्रिटिश सेना अपने वाहनों के साथ भीड़ में घुस गई, उन्होंने बहुत-से प्रदर्शनकारियों को कुचल डाला। इसके बाद ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियाँ बरसानी शुरू कर दीं जिसमें बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए। खान अब्दल गफ्फार खान का परिचय
- फ्रंटियर गांधी के नाम से मशहूर अब्दुल गफ्फार खान को बाचा खान और बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी के एक दोस्त ने उन्हें फ्रंटियर गांधी का नाम दिया था।
- उनका जन्म 6 फरवरी 1890 को हुआ था। वह अपने 98 वर्ष के जीवनकाल में कुल 35 वर्ष जेल में रहे। वर्ष 1988 में पाकिस्तान सरकार ने उन्हें पेशावर स्थित उनके घर में नजरबंद कर दिया था और उसी दौरान 20 जनवरी, 1988 को उनकी मृत्यु हो गई।
- अब्दुल गफ्फार खान एक राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे, उन्हें उनके अहिंसात्मक आंदोलन के लिये जाना जाता है।
- उन्होंने सदैव 'मुस्लिम लीग' द्वारा की जाने वाली देश के विभाजन की मांग का विरोध किया, परंतु जब अंत में कांग्रेस ने देश के विभाजन को स्वीकार कर लिया, तो उन्हें बहुत निराशा हुई। इस निराशा को उन्होंने कुछ यूँ बयाँ किया "आप लोगों ने हमें भेड़ियों के सामने फेंक दिया।"
- विभाजन के बाद उन्होंने पाकिस्तान में रहने का निर्णय लिया और पाकिस्तान के भीतर ही 'पख्तूनिस्तान' नामक एक स्वायत्त प्रशासिनक इकाई की मांग की। पाकिस्तान सरकार ने उन पर संदेह करते हुए उन्हें उन्हीं के घर में नजरबंद रखा और अंततः भारतीय इतिहास के एक करिश्माई नेता का जीवन जेल में ही बीत गया।
- वर्ष 1987 में भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया।



आर्थिक घटनाक्रम

COVID- 19 संकट इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़: PM मोदी

चर्चा में क्यों?

विदेश मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार, भारतीय प्रधानमंत्री ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ हुई टेलीफोन वार्ता पर फ्राँस में महामारी के कारण हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया।

मुख्य बिंदुः

- दोनों देशों की वार्ता में भारतीय प्रधानमंत्री ने COVID- 19 महामारी को 'इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़' (Turning Point in History) के रूप में इंगित किया है।
- भारत तथा फ्राँस के दोनों नेताओं ने विशेषज्ञों में निवारक उपायों (Prevenstive Measures), उपचार पर शोध तथा टीके संबंधी जानकारी साझा करने के लिये सहमित व्यक्त की है।
 - मानव-केंद्रित अवधारणा (Human-Centric Concept):
- फ्राँस के राष्ट्रपित ने, भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा COVID- 19 महामारी को इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ मानने वाले दृष्टिकोण पर दृढ़ता से सहमित व्यक्त की तथा बताया कि COVID- 19 महामारी से निपटने के लिये वैश्वीकरण के युग में हमें एक नवीन मानव-केंद्रित अवधारणा (Human-Centric Concept) की आवश्यकता है।
- हाल ही में आयोजित 'G- 20 वर्चुअल सिमट' में भारतीय प्रधानमंत्री बताया कि महामारी, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिये सिर्फ आर्थिक पक्ष ही नहीं बल्कि मानवीय पहलुओं में भी सहयोग की आवश्यकता है।
- दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने सहमित जताई कि जलवायु परिवर्तन जैसी अन्य वैश्विक समस्याएँ समग्र मानवता को प्रभावित करती है, अत: इनमें अधिक मानवीय दुष्टिकोण की आवश्यकता है।
- साथ ही इस बात पर बल दिया कि वर्तमान COVID- 19 संकट के दौरान अफ्रीका के कम विकसित देशों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

सामाजिक दूरी (Social Distancing) की व्यावहारिकताः

- हाल में लॉकडाउन के दौरान लागू 'सामाजिक दूरी' का दुनिया भर के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा समर्थन किया गया तथा उनका मानना है कि कोरोनोवायरस के प्रसार को रोकने का केवल यही एक तरीका है। जबिक कुछ बुद्धिजीवियों का मानना है कि सामाजिक दूरी की अवधारणा अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक पूर्वाग्रहों को बढ़ावा दे सकती है। इसे हम निम्नलिखित देशों के उदाहरणों से समझ सकते हैं-
- कोरिया:
 - ◆ दक्षिण कोरिया में COVID- 19 महामारी की शुरुआत एक विवादास्पद चर्च से मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस चर्च में आने वाले अनुयायियों के बीच वृहान से दक्षिण कोरिया तक लगातार यात्रा के कारण COVID- 19 का प्रसार हुआ।
 - → नतीजतन, महामारी की शुरुआत में सभी आधे से अधिक मरीज इस धर्मिक आंदोलन से संबंधित थे, जो कि कोरियाई आबादी का 1% से भी कम है। सामाजिक दूरी ने इस धार्मिक समुदाय को जो पहले से कोरियाई समाज के हाशिये पर है और अधिक खराब स्थिति में ला दिया है।
- ईरान:
 - ♦ ईरान में विशेष परिस्थितियों के कारण यह पश्चिम एशिया में COVID-19 का एक प्रमुख हॉट स्पॉट बन गया है।

- ◆ यह अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के कारण चीन के साथ संबंध विकसित करने के लिये मजबूर था, ऐसे में ईरानी व्यापारी जिसने वुहान की व्यापारिक यात्रा की, ईरान में कथित तौर पर प्रथम COVID- 19 रोगी माना गया। ईरान में रोग संचरण का प्रारंभिक केंद्र कॉम (Qom) नामक धार्मिक स्थल था, जो शिया मुसलमानों के लिये एक लोकप्रिय तीर्थस्थल है।
- ♦ ईरान में COVID- 19 का अगला केंद्र ईरानी संसद था, जिसका ईरानी समाज के आध्यात्मिक केंद्र कॉम के साथ मज़बूत संबंध थे। सभी सांसदों में से 8% अर्थात 23 सांसद 3 मार्च तक इस महामारी से संक्रमित थे। सामाजिक दूरी ईरान में विशेष रूप से सत्ताधारी अभिजात वर्ग के बीच सामाजिक अभिवादन के लोकप्रिय रूपों के विपरीत थी।
- ◆ ईरान में इस महामारी के प्रत्येक मामले में वैश्वीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं से जोड़ा गया तथा राजनीतिक व धार्मिक प्रक्रियाओं ने इन मामलों को ओर तेज करने का कार्य किया।
- श्रीलंका तथा भारत:
 - ♦ भारत और श्रीलंका में COVID- 19 महामारी की शुरुआत पर्यटन तथा श्रम प्रवास से मानी जाती है जो बहुत कुछ वैश्वीकरण के साथ जुड़ी हुई हैं। श्रीलंका तथा केरल की एक बड़ी श्रम शक्ति विदेशों में कार्यरत हैं। इन श्रमिकों के विदेश से आगमन ने दक्षिण एशियाई देशों में COVID- 19 महामारी के प्रसार में योगदान दिया है। उदाहरण के लिये श्रीलंका में 15 मार्च तक COVID- 19 के 18 रोगियों में 11 (61%) इटली से आने वाले श्रीलंकाई श्रमिक थे।

आगे की राहः

- इस प्रकार, COVID- 19 महामारी को, विशेष रूप से दक्षिण विश्व के देशों में वैश्वीकरण की बुराई के रूप में देखा जा सकता है।
 सामाजिक दूरी अब तक इतनी कारगर नहीं रही क्योंकि श्रमिक तथा उनके परिवार अक्सर दो अलग-अलग राज्यों में रह रहे होते हैं, तथा दोनों स्थानों पर इन परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
- हमें एक सैन्य शैली लॉकडाउन तथा सामाजिक दूरी से परे सोचने तथा दक्षिण विश्व में महामारी से निपटने में वैश्वीकरण से उत्पन्न समस्याओं के समाधान की आवश्यकता है।

डिजिटल कर और टेक कंपनियाँ

चर्चा में क्यों?

गूगल और फेसबुक जैसी दिग्गज अमेरिकी टेक कंपनियाँ भारत के नए डिजिटल कर (Digital Tax) को कुछ समय के लिये टालने की मांग कर रही हैं।

प्रमुख बिंदु

- बीते सप्ताह आयोजित कॉन्फ्रेंस वार्ता में शीर्ष प्रौद्योगिकी कंपिनयों के अधिकारियों ने सरकार से कम-से-कम छह महीने तक यह कर लागू न करने की मांग करने का निर्णय लिया था।
- ध्यातव्य है कि बीते दिनों भारत सरकार ने घोषणा की थी कि 1 अप्रैल, 2020 से देश में प्रदान की जाने वाली डिजिटल सेवाओं के लिये सभी विदेशी बिलों पर 2 प्रतिशत कर लगाया जाएगा।
 - यहाँ विदेशी बिलों से अभिप्राय उन बिलों से है जिनमें कंपिनयाँ भारत में ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की भुगतान राशि विदेश में प्राप्त करती हैं।
- यह कर ई-कॉमर्स सेवाएँ प्रदान करने वाली कंपिनयों पर भी देय होगा।
- साथ ही यह कर उन कंपनियों पर भी लागू होगा जो ऑनलाइन विज्ञापन के माध्यम से भारतीय ग्राहकों को लक्षित करती हैं।
 - ◆ उल्लेखनीय है कि यह नया कर वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गए बजट का हिस्सा नहीं था, इसे कुछ समय पूर्व बजट 2020-21 में संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था।
 - विशेषज्ञों के अनुसार, नए कर की शुरुआत महामारी के समय राजस्व संग्रहीत करने के एक उपाय के रूप में प्रतीत हो रहा है।

- उल्लेखनीय है कि कुछ समय पूर्व फ्राँस ने भी बड़ी टेक कंपनियों पर कर लागू करने की योजना बनाई थी, किंतु गूगल ने फ्राँस के इस निर्णय का विरोध किया था।
 - हालाँकि गूगल के विरोध और अमेरिकी सरकार के हस्तक्षेप के पश्चात् फ्राँस ने इस कर को कुछ समय तक टालने का निर्णय लिया है। क्यों आवश्यक है कर को टालना ?
- भारत की डिजिटल कर योजना ऐसे समय में आई है जब गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियाँ भारत में अपने व्यवसाय के विस्तार की योजना बना रही हैं, क्योंकि भारत दुनिया के तेज़ी से बढ़ते क्लाउड़ कंप्यूटिंग बाजारों में से एक है।
- क्लाउड कंप्यूटिंग के अलावा गूगल का भारत के डिजिटल भुगतान बाजार में भी एक विशेष स्थान है। कंपनी ने भारतीय ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए 'तेज़' (Tez) नाम से एक विशिष्ट डिजिटल भुगतान एप भी लॉन्च किया था, कुछ समय पश्चात् इस मोबाइल एप का नाम परिवर्तित कर 'गूगल पे' (Google Pay) कर दिया गया है।
 - ◆ अनुमानानुसार, भारत का मोबाइल भुगतान बाजार वर्ष 2023 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगा, जो कि वर्ष 2018 में 200 बिलियन डॉलर था।
- भारत का नया डिजिटल कर गूगल जैसी बड़ी कंपनियों की विस्तार परियोजनाओं के समक्ष एक बड़ी बाधा बन सकता है। यह कर ऐसे समय
 में आया है, जब विश्व की लगभग सभी कंपनियाँ COVID-19 महामारी के कारण संकट का सामना कर रही हैं।

आगे की राह

- भारत द्वारा शुरू किया गया यह नया कर भले ही कोरोनावायरस (COVID-19) के कारण उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिये
 एक उपाय हो, किंतु यह कर भारत के समक्ष कई चुनौतियाँ उत्पन्न करेगा।
- भारत और अमेरिकी के मध्य बीते कई वर्षों से कर व्यवस्था को लेकर तनाव बना हुआ है और इस नए कर के कारण दोनों देशों के संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा।
- आवश्यक है कि इस विषय को लेकर सभी हितधारकों से वार्ता की जाए और यथासंभव संतुलित उपाय खोजने का प्रयास किया जाए।

मनरेगा के तहत काम की मांग में बढ़ोतरी

चर्चा में क्यों?

मनरेगा (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act- MNREGA) के विषय में जारी आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, 5.47 करोड़ परिवारों ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में मनरेगा के तहत कार्यों की मांग की, जो कि वित्तीय वर्ष 2010-11 के पश्चात् सबसे अधिक है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में तकरीबन 5.47 करोड़ परिवारों ने मनरेगा के तहत काम की मांग की थी।

प्रमुख बिंदु

- ऑंकड़ों के अनुसार, जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था धीमी होती जा रही है मनरेगा कार्यक्रम के तहत काम की मांग बढ़ती जा रही है। इसीलिये वित्तीय वर्ष 2019-20 में मनरेगा के तहत काम की मांग 9 वर्ष के सबसे उच्चतम स्तर पर आ गई है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 में मनरेगा के तहत कार्य करने वाले लोगों की संख्या भी काफी अधिक है, इस अविध में तकरीबन 7.86 करोड़ लोग देश भर के विभिन्न स्थलों पर कार्यरत थे। यह वित्तीय वर्ष 2012-13 के बाद सबसे अधिक है।
- अन्य आँकड़ों के अनुसार, शून्य व्यय वाली ग्राम पंचायतों की संख्या में भी गिरावट आई है।
 - ♦ वित्तीय वर्ष 2019-20 में ऐसी पंचायतों की संख्या 9,144 और वित्तीय वर्ष 2018-19 में 10,978 थी।
 - उल्लेखनीय है कि भारत में कुल 2.63 लाख ग्राम पंचायतें हैं।
- शून्य व्यय वाली पंचायतों की संख्या में हो रही गिरावट से यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिक-से-अधिक पंचायतें बेरोज़गारों को अकुशल कार्य प्रदान करने के लिये मनरेगा के तहत आवंटित धन का उपयोग कर रही हैं।
- मनरेगा के तहत काम की मांग करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि के बावजूद भी इसके तहत मिलने वाली मजदूरी में कुछ खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है।

- ♦ ऑंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति औसत मनरेगा मजदूरी 182.09 रुपए थी, जो कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में 179.13 रुपए था।
- ♦ इसी दौरान सामग्री तथा अन्य संबंधित मदों पर आने वाली प्रति व्यक्ति प्रति दिन औसत लागत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 247.19 रुपए से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2019-20 में बढ़कर 263.3 रुपए हो गई।
- आँकड़ों से यह भी ज्ञात होता है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कुल 263.73 करोड़ व्यक्ति दिवस (Person Days) उत्पन्न हुए,
 जो कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में 267.96 करोड़ से थोड़ा कम है। हालाँकि मनरेगा को लेकर ये अंतिम आँकड़े नहीं है, सरकार द्वारा अंतिम आँकड़े अप्रैल माह के अंत तक प्रस्तुत किये जाएंगे।

मनरेगा

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजागार गारंटी अधिनियम अर्थात् मनरेगा को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजागार गारंटी अधिनियम, 2005 (NREGA-नरेगा) के रूप में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2010 में नरेगा (NREGA) का नाम बदलकर मनरेगा (MGNREGA) कर दिया गया।
- ग्रामीण भारत को 'श्रम की गरिमा' से परिचित कराने वाला मनरेगा रोजगार की कानूनी स्तर पर गारंटी देने वाला विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम है।
- मनरेगा कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिये 100 दिन का गारंटीयुक्त रोजगार, दैनिक बेरोजगारी भत्ता और परिवहन भत्ता (5 किमी. से अधिक दूरी की दशा में) का प्रावधान किया गया है।
 - ♦ ध्यातव्य है कि सुखाग्रस्त क्षेत्रों और जनजातीय इलाकों में मनरेगा के तहत 150 दिनों के रोजगार का प्रावधान है।
- मनरेगा एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। वर्तमान में इस कार्यक्रम में पूर्णरूप से शहरों की श्रेणी में आने वाले कुछ जिलों को छोड़कर देश के सभी जिले शामिल हैं। मनरेगा के तहत मिलने वाले वेतन के निर्धारण का अधिकार केंद्र एवं राज्य सरकारों के पास है। जनवरी 2009 से केंद्र सरकार सभी राज्यों के लिये अधिसूचित की गई मनरेगा मजदूरी दरों को प्रतिवर्ष संशोधित करती है।

COVID-19 के कारण गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में देश के कई बैंकों ने चिंता व्यक्त की है कि COVID-19 के कारण औद्योगिक गतिविधियों के रुकने से आने वाले दिनों में बैंकों की गैर निष्पादित संपत्तियों (Non-Performing Assets- NPAs)की संख्या में वृद्धि हो सकती है।

- एक अनुमान के अनुसार, पहले से ही बड़ी मात्रा में NPA का दबाव झेल रहे भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में लॉकडाउन के परिणामस्वरूप ऐसे लोन की संख्या बढ़ सकती है।
- बैंकों ने चिंता व्यक्त की है कि 14 अप्रैल को लॉकडाउन की समाप्ति के पश्चात भी कुछ क्षेत्रों कंपनियों के लिये सामान्य स्थिति में लौटना और पहले की तरह उत्पादन शुरू करना आसान नहीं होगा।
- विशेषत: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र (Micro,Small and Medium Enterprise- MSME) तथा मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर एवं ऊर्जा क्षेत्र में दिये गए लोन पर बड़ी मात्र में NPA के बढ़ने की आशंकाएँ हैं।
- बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग के बावजूद संवेदनशील क्षेत्र के संदर्भ में अपनी चिंताएँ सरकार के साथ साझा की हैं।
- ध्यातव्य है कि भारत सरकार ने COVID-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिये 24 मार्च, 2020 को अगले 21 दिनों के लिये देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। जिसके बाद अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़कर देश में लगभग सभी प्रकार की गतिविधियों (यातायात, उद्योग आदि) पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (Micro, Small and Medium Enterprise- MSME):

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र के उद्यमों को 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' के तहत दो श्रेणियों में बाँटा गया है:
 - 1. विनिर्माण उद्यम (Manufacturing Enterprise):
 - ♦ सूक्ष्म (Micro): जिनकी स्थापना के लिये 25 लाख रुपए से अधिक के निवेश की आवश्यकता न हो।
 - ♦ लघु (Small): निवेश की सीमा 25 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए के बीच।
 - ♦ मध्यम (Medium): निवेश की सीमा 5 से 10 करोड़ रुपए के बीच ।
 - 2. सेवा उद्यम (Service Enterprise):
 - ♦ सूक्ष्म (Micro): जिनकी स्थापना के लिये आवश्यक उपकरणों में कुल निवेश 10 लाख रुपए से अधिक न हो।
 - ♦ लघु (Small): निवेश की सीमा 10 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए के बीच।
 - ♦ मध्यम (Medium): निवेश की सीमा 2 से 5 करोड़ रुपए के बीच।

NPA में वृद्धि के कारण:

- विशेषज्ञों के अनुसार, हाल के दिनों में भारतीय उत्पाद बाजार में लगातार घटती मांग से जूझ रहे थे, ऐसे में देशव्यापी लॉकडाउन के बाद ऐसे उद्योगों को पुन: सामान्य स्थिति में लाना एक बड़ी चुनौती होगी।
- वर्तमान में भारत के साथ ही विश्व के कई देशों में पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन लागू है। ऐसे में वे औद्योगिक इकाइयाँ जो कच्चे माल के लिये अन्य देशों पर निर्भर है, आपूर्ति सेवा के बाधित होने से गंभीर रूप से प्रभावित होंगी।
- लॉकडाउन के कारण MSME और असंगठित क्षेत्र में कर्मचारियों के पलायन से प्रतिबंधों के हटने के बाद भी कुछ समय तक ऐसी औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन बाधित रहने की आशंकाएँ हैं।
- इसके अतिरिक्त पूँजी प्रधान क्षेत्र जैसे-हवाई यातायात, अचल संपत्ति, आभूषण आदि की मांग में भी तेजी आने में समय लग सकता है।

प्रभाव:

- वित्तीय क्षेत्र के विश्लेषकों के अनुसार, शेयर बाजार में 'तेज़ी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुओं' (Fast Moving Consumer Goods-FMCG) की अपेक्षा वित्तीय क्षेत्र और बैंक शेयर को अधिक नुकसान हुआ है।
- हाल ही में अमेरिका की रेटिंग एजेंसी 'मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस' (Moody's Investors Service) ने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को स्थिर के स्थान पर नकारात्मक की श्रेणी में रखा है क्योंकि संस्था के अनुमान के अनुसार, भारतीय आर्थिक क्षेत्र में बाधाओं के कारण आने वाले दिनों में बैंकों की संपत्तियों में गिरावट देखी जा सकती है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, वर्तमान में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में 44% लोन हाई रिजिलियंस (High Resilience) श्रेणी के उद्योगों जैसे-फार्मास्यूटिकल्स, दूरसंचार, उर्वरक, तेल रिफाइनरी, बिजली और गैस वितरण आदि तथा 52% लोन मोडरेट रिजिलियंस (Moderate Resilience) श्रेणी की कंपनियों जैसे-ऑटोमोबाइल निर्माता, विद्युत उत्पादन, सडक और निर्माण को दिया गया है।
- मात्र 4% लोन ही लीस्ट रिजिलियंट (Least Resilient) क्षेत्र जैसे- एयरलाइंस, आभूषण संबंधी कंपनियों और रियल स्टेट (Real State) आदि को दिया गया है, जिन पर इस लॉकडाउन का सबसे अधिक प्रभाव हो सकता है।

सरकार का पक्ष:

- अधिकारियों के अनुसार, वर्तमान में इस लॉकडाउन के 21 दिनों से आगे चलने की उम्मीद नहीं है और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि भारतीय अर्थव्यवस्था की तन्यकता (Resilience) बहुत अधिक है।
- सरकार द्वारा कंपनियों और बैंकों को ऋण लौटने की समय-सीमा में दी गई छूट से आर्थिक क्षेत्र को इस संकट से उबरने में सहायता प्राप्त होगी।
- इसके साथ-साथ इस चुनौती से कम-से-कम नुकसान के साथ निपटने के लिये सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में कटौती के साथ कई अन्य प्रयास किये जा रहे हैं।

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोरोनावायरस का प्रभाव

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र (United Nations-UN) के अनुसार, कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी के कारण वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था तकरीबन 1 प्रतिशत तक कम हो सकती है। साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि यदि बिना पर्याप्त राजकोषीय उपायों के आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध और अधिक बढ़ाया जाता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था और अधिक प्रभावित हो सकती है।

प्रमुख बिंदु

- संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (United Nations Department of Economic and Social Affairs- UN DESA) द्वारा किये गए विश्लेषण के अनुसार, कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बाधित कर रही है।
- ध्यातव्य है कि बीते महीने के दौरान लगभग 100 देशों ने अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को बंद कर दिया है, जिसके कारण लोगों का आवागमन और पर्यटन की गित पूरी तरह से रुक गई है, जो कि वैश्विक वृद्धि में बाधा बन गया है।
- DESA के अनुसार, 'विश्व के लगभग सभी देशों में लाखों श्रिमकों को नौकरी के संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा विभिन्न सरकारें कोरोनावायरस के प्रकोप से निपटने के लिये बड़े प्रोत्साहन पैकेजों पर भी विचार कर रही हैं, जिनके कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था और अधिक प्रभावित हो सकती है।'
 - ♦ उल्लेखनीय है कि वर्ष 2009 में वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था में 1.7 प्रतिशत की कमी आई थी।
- विदित हो कि DESA द्वारा किये गए विश्लेषण के अनुसार, कोरोनावायरस (COVID-19) के प्रकोप से पूर्व विश्व उत्पादन में वर्ष 2020 में 2.5 प्रतिशत की गति से वृद्धि होने की उम्मीद थी।

चुनौतियाँ

- अनुमान के अनुसार, यदि सरकारें आय सहायता प्रदान करने और उपभोक्ता को खर्च करने हेतु प्रेरित करने में विफल रहती हैं तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में और अधिक कमी आ सकती है।
- DESA के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोरोनावायरस (COVID-19) की गंभीरता का प्रभाव मुख्य रूप से दो कारकों पर निर्भर करेगा- लोगों की आवाजाही और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध की अविधि; और संकट के लिये राजकोषीय उपायों का वास्तविक आकार और प्रभावकारिता।
- DESA के पूर्वानुमान के अनुसार, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में लॉकडाउन ने सेवा क्षेत्र को काफी बुरी तरह से प्रभावित किया गया है,
 विशेष रूप से ऐसे उद्योग जिनमें प्रत्यक्ष वार्ता शामिल है जैसे- खुदरा व्यापार, हॉस्पिटैलिटी, मनोरंजन और परिवहन आदि।
- विश्लेषण के अनुसार, दुनिया भर के सभी व्यवसाय अपना राजस्व खो रहे हैं, जिसके कारण बेरोज्ञगारी में तेज़ी से वृद्धि होने की संभावना है।
- विश्लेषण में यह भी चेतावनी दी गई है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में लंबे समय तक आर्थिक प्रतिबंधों का नकारात्मक प्रभाव जल्द ही व्यापार और निवेश के माध्यम से विकासशील देशों को प्रभावित करेगा।
 - यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में उपभोक्ता खर्च में तेज़ी से हो रही गिरावट विकासशील देशों से उपभोक्ता वस्तुओं के आयात को प्रभावित करेगा।
- पर्यटन और कमोडिटी निर्यात पर निर्भर विकासशील देश विशेष रूप से आर्थिक जोखिम का सामना कर रहे हैं।
- इस महामारी के प्रभावस्वरूप वैश्विक विनिर्माण उत्पादन में उल्लेखनीय कमी कर सकता है और यात्रियों की संख्या में हुई तीव्र गिरावट ऐसे देशों की अर्थव्यवस्था को काफी प्रभैत करेगा जो मुख्य रूप से पर्यटन पर निर्भर हैं।

उपाय

 विश्लेषकों के अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर वायरस के प्रभाव को कम करने के लिये सही ढंग से तैयार किया गया राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज की आवश्यकता है, जिसमें वायरस के प्रसार को रोकने के लिये स्वास्थ्य व्यय को प्राथमिकता और महामारी से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना शामिल हो। • आर्थिक और सामाजिक मामलों के महासचिव के अनुसार, सभी राष्ट्रों को कुछ तात्कालिक नीतिगत उपायों की आवश्यकता है, जो न केवल महामारी को रोकने और जीवन को बचाने की दिशा में कार्य करें बिल्क समाज में सबसे कमज़ोर व्यक्ति को आर्थिक संकट से बचाने और आर्थिक विकास तथा वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में भी सहायक हों।

ई-नाम पोर्टल में संशोधन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) ने COVID-19 की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर 'ई-नाम (eNAM)' पोर्टल में संशोधन किया है।

प्रमुख बिंदु

- ई-नाम व्यापारियों को किसी दूरस्थ स्थान से बोली लगाने तथा किसानों को मोबाइल-आधारित भुगतान प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे व्यापारियों को मंडियों या बैंकों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह कृषि उपज बाजार सिमित (Agricultural Produce Market Committee APMC) में COVID-19 से सुरक्षा और सामाजिक दूरी (Social Distancing) को बनाए रखने में मदद प्रदान करेगा।
- संशोधन के पश्चात् पोर्टल में जोड़ी गईं विशेषताएँ COVID-19 से निपटने की दिशा में महत्त्वपूर्ण साबित होंगी जो इस संकट की घड़ी में किसानों को अपने खेत के पास से बेहतर कीमतों पर अपनी उपज बेचने में मदद प्रदान करेगी।
- मंडी अनाज, फल और सब्जियों की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। COVID-19 के मद्देनजर ई-नाम पोर्टल मंडियों में लोगों के आवागमन को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

ई-नाम पोर्टल में संशोधन:

- ई-नाम में गोदामों से व्यापार की सुविधा हेतु वेयरहाउस आधारित ट्रेडिंग मॉड्यूल:
 - ♦ वेयरहाउसिंग विकास और विनियामक प्राधिकरण (Warehousing Development and Regulatory Authority- WDRA) से पंजीकृत वेयरहाउस में भुगतान की सुविधा शुरू की गई है। इस सुविधा से छोटे और सीमांत किसान अपने उत्पादों का व्यापार सीधे WDRA से पंजीकृत वेयरहाउस से कर सकेंगे।
 - WDRA से पंजीकृत गोदामों में किसान अपने उत्पाद को रख सकेंगे।
 - लाभ:
 - जमाकर्ता लॉजिस्टिक खर्चों (Logistics Expenses) को बचा सकते हैं जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।
 - किसान बेहतर मूल्य पाने हेतु देशभर में उत्पाद बेच सकते हैं तथा मंडी में जाने से बच सकते हैं।
 - यदि आवश्यक हो तो किसान अपने उत्पाद को WDRA से पंजीकृत गोदामों में रखकर ऋण (Loan) प्राप्त कर सकते हैं।
 - आपूर्ति और मांग के अनुसार, उत्पाद का मूल्य निर्धारित करने में आसानी होगी।
- किसान उत्पादक संगठन ट्रेडिंग मॉड्यूल:
- Farmer Producer Organisations Trading Module:
 - ◆ 'िकसान उत्पादक संगठन ट्रेडिंग मॉड्यूल' लॉन्च िकया गया है तािक FPO अपने संग्रह केंद्रों से उत्पाद और गुणवत्ता मानकों की तस्वीर अपलोड कर खरीददारों को बोली लगाने में मदद कर सकें।
 - लाभ:
 - यह न केवल मंडियों में लोगों के आवागमन को कम करेगा बल्कि मंडियों में परेशानी मुक्त व्यापार करने में लोगों की मदद करेगा।
 - यह FPO को लॉजिस्टिक खर्च कम करने एवं मोल-भाव करने में सहायता करेगा।
 - FPO को व्यापार करने में आसानी हेतु ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान की गई है।

- लॉजिस्टिक मॉड्यूल:
 - वर्तमान में ई-नाम पोर्टल व्यापारियों को व्यक्तिगत ट्रांसपोर्टरों की जानकारी प्रदान करता है। लेकिन व्यापारियों द्वारा लॉजिस्टिक की जरूरत के मद्देनजर एक बड़ा लॉजिस्टिक एग्रीगेटर प्लेटफार्म बनाया गया है, जो उपयोगकर्त्ताओं को विकल्प प्रदान करेगा।
 - ♦ लॉजिस्टिक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपयोगकर्त्ताओं तक कृषि उत्पाद को शीघ्रता से पहुँचाया जा सकेगा।
 - लाभ:
 - यह दूर के खरीदारों के लिये ऑनलाइन परिवहन सुविधा प्रदान करके ई-नाम के तहत अंतर-राज्य व्यापार को बढ़ावा देगा।

बैंकिंग धोखाधड़ी की निगरानी हेतु विशेष विंग

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) बैंकिंग धोखाधड़ी की निगरानी करने के लिये एक विशेष विंग स्थापित करने की प्रक्रिया में है, इस विंग में मेटा-डेटा (Meta-Data) प्रोसेसिंग और विश्लेषण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रिस्क असेसमेंट (Risk Assessment) से संबंधित टीमें होंगी।

प्रमुख बिंदु

- इसके अलावा रिजर्व बैंक निजी क्षेत्र से विशिष्ट विषयों (मेटा-डेटा प्रोसेसिंग और विश्लेषण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिस्क असेसमेंट आदि) पर कार्य करने वाले विशेषज्ञों की भी सहायता लेने पर विचार कर रहा है, तािक इस विंग में शािमल होने वाले नए सदस्यों को प्रशिक्षित किया जा सके।
- अधिकारिक सूचना के अनुसार, इस विंग का गठन आगामी माह तक किया जाएगा और इसकी क्षमता लगभग 600 अधिकारियों की होगी।

कारण

- ध्यातव्य है कि बीते दिनों 'यस बैंक' संकट काफी चर्चा में रहा था और 'यस बैंक' गंभीर वित्त समस्याओं का सामना कर रहा था, जिसके कारण बैंक के खाताधारकों पर 50000 रुपए प्रतिमाह निकासी की सीमा आरोपित कर दी गई थी।
 - ऐसे में खाताधारकों के सामने मुद्रा का संकट गहरा गया है।
- उल्लेखनीय है कि बीते कुछ वर्षों में बैंकों द्वारा दिये जा रहे ऋण गैर-निष्पादित परिसंपित्तयों (Non Performing Assets-NPAs) में बदल गए हैं। 'यस बैंक' द्वारा भी रिलायंस ग्रुप, IL&FS, DHFL, जेट एयरवेज, एस्सार शिपिंग, कैफे कॉफी डे जैसी कंपनियों को लोन दिया गया, जो बाद में NPA में बदल गया।
- विश्लेषकों के अनुसार, 'यस बैंक' संकट के पश्चात् ही बैंकिंग धोखाधड़ी की निगरानी हेतु विंग की स्थापना का विचार और प्रबल हो गया है।

पृष्ठभूमि

- RBI के शीर्ष प्रबंधन द्वारा सर्वप्रथम अक्तूबर 2019 में बैंकिंग धोखाधड़ी विंग के गठन पर विचार किया गया था।
- हालाँकि, उस समय कार्य की परिस्थितियाँ काफी सख्त थीं, जिसके कारण किसी भी इतने बड़े दल का गठन नहीं किया जा सकता था।
- इस समस्या से निपटने के लिये RBI ने संपूर्ण विंग के गठन और उसमें नए लोगों को नियुक्त करने पर विचार शुरू किया, जिसमें उद्योग के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे और टीमों का नेतृत्व करेंगे।
- RBI के अनुसार, विंग की नई टीमों को नवीनतम तकनीकों में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि वे एक नए 'यस बैंक' संकट का जन्म होने से रोक सकें।

'यस बैंक' संकट

• वित्तीय संकट के पश्चात् RBI ने 5 मार्च को 'यस बैंक' के बोर्ड को निरस्त कर दिया था। साथ ही बैंक के नकद निकासी की सीमा भी निर्धारित कर दी थी।

- साथ ही RBI ने भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India-SBI) के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रशांत कुमार को 'यस बैंक' का प्रशासक नियुक्त कर दिया।
- इसके पश्चात् RBI ने 'यस बैंक' के लिये एक पुनर्निर्माण योजना का खुलासा किया, जिसमें SBI द्वारा 'यस बैंक' की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की संभावना व्यक्त की गई।
- बाद में SBI ने 'यस बैंक' में 7,250 करोड़ रुपए तक के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

आगे की राह

- बैंकिंग धोखाधड़ी की निगरानी के लिये गठित की जा रही विंग अवश्य ही भविष्य में बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने में सहायक होगी।
- आवश्यक है कि इस विंग के गठन और इसके क्रियान्वयन पर यथासंभव ध्यान दिया जाए, ताकि यह विंग भारत की बैंकिंग व्यवस्था के विकास में अपना योगदान दे सके।

भारतीय सेवा क्षेत्र पर COVID-19 का प्रभाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जारी एक मासिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, COVID-19 के कारण भारतीय सेवा क्षेत्र (Service Sector) के व्यापार में भारी गिरावट देखने को मिली है।

मुख्य बिंदुः

- 6 मार्च 2020 को जारी एक सर्वेक्षण के अनुसार, COVID-19 के कारण स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग में कमी से मार्च 2020 में भारतीय सेवा क्षेत्र में भारी गिरावट देखने को मिली है।
- मार्च 2020 में 'द आईएचएस मार्किट इंडिया सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स' (The IHS Markit India Services Business Activity Index) अर्थात भारतीय सेवा क्षेत्र के लिये क्रय प्रबंधक सूचकांक 49.3 रहा, जो फरवरी 2020 में 57.5 (लगभग 7 वर्षों में सबसे अधिक) था।
- मार्च 2020 के लिये समग्र पीएमआई उत्पादन सूचकांक (The Composite PMI Output Index) गिरकर 50.6 तक पहुँच गया जो फरवरी 2020 में 56.7 दर्ज किया गया था, जो हाल के दिनों में निजी क्षेत्र के मज़बूत उर्ध्वगामी विस्तार के विपरीत उत्पादन वृद्धि में मंदी का संकेत देता है।
- IHS के एक अर्थशास्त्री के अनुसार, वर्तमान में भारतीय सेवा क्षेत्र पर COVID-19 के प्रभाव को पूर्णरूप से नहीं समझा जा सकता क्योंकि इस सर्वेक्षण में केवल 12-27 मार्च तक के ही आँकडों को शामिल किया गया है।

सेवा क्षेत्र में गिरावट के कारण:

- भारतीय सेवा क्षेत्र स्थानीय व्यापार के अतिरिक्त बड़ी मात्रा में अन्य देशों से होने वाले व्यापार पर निर्भर करता है।
- वर्ष 2017 के आँकड़ों के अनुसार, अमेरिका के 185-190 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ग्लोबल सोर्सिंग मार्केट (Global Sourcing Market) में भारत की सॉफ्टवेयर कंपनियों की भागीदारी 55% थी।
- अप्रैल 2000 से सितंबर 2019 में भारतीय सेवा क्षेत्र सबसे अधिक विदेशी निवेश (78.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर) प्राप्त करने वाला क्षेत्र रहा।
- वर्तमान में COVID-19 के कारण वैश्विक स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों में कमी देखी गई है।
- सर्वेक्षण के अनुसार, COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिये किये गए कड़े प्रावधानों से सार्वजनिक खर्च में भी कमी आई है।
- मांग में कमी के कारण व्यापार में गिरावट को देखते हुए बहुत से संस्थानों को अपने कर्मचारियों की संख्या में भी कमी करनी पड़ी है।
- कुछ व्यावसायिक संस्थाओं के अनुसार, व्यावसायिक गतिविधियों में कमी का एक कारण बाजार में तरलता की कमी भी है।

क्रय प्रबंधक सूचकांक (Purchasing Manager's Index- PMI):

- क्रय प्रबंधक सूचकांक विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों का सूचक है।
- इसके तहत विश्व के 40 से अधिक देशों में व्यावसायिक गतिविधियों के मासिक ऑँकड़े जारी किये जाते हैं।
- इस सूचकांक में आँकड़ों को 0 से 100 के बीच दर्शाया जाता है।
- जहाँ 50 से अधिक का अर्थ है व्यावसायिक गतिविधि में बीते माह की तुलना में विस्तार/सुधार जबिक आँकड़ों का 50 से कम होना गिरावट को दर्शाता है।
- इस सूचकांक में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र के लिये आंकड़ों की गणना अलग-अलग की जाती है, जिससे एक समग्र सूचकांक (Composite Index) तैयार किया जाता है।

सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण

चर्चा में क्यों?

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India-NHAI) द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है।

प्रमुख बिंदुः

- NHAI द्वारा किसी भी वित्तीय वर्ष में किये गए राजमार्गों का निर्माण तुलनात्मक रूप से वित्तीय वर्ष 2019-20 में सबसे अधिक है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में NHAI ने 3,979 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है।
 - जबिक वित्तीय वर्ष 2018-19 में 3,380 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ था।
 - ♦ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) के राजमार्ग विकास कार्यक्रमों में से एक 'भारतमाला परियोजना' (Bharatmala Pariyojana) है।

भारतमाला परियोजना (Bharatmala Pariyojana):

- सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017-18 से भारतमाला कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की महत्त्वाकांक्षी 'भारतमाला परियोजना' के प्रथम चरण के तहत 5,35,000 करोड़ रुपये की लागत से 34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा।
- इसके अंतर्गत आर्थिक कॉरीडोर, फीडर कॉरीडोर और इंटर कॉरीडोर, राष्ट्रीय कॉरीडोर, तटवर्ती सड़कें, बंदरगाह संपर्क सड़कें आदि का निर्माण किया जाएगा।
- इस कार्यक्रम की अवधि वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 तक है। चरण-1 में कुल 34,800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाना है, जिसमें शामिल हैं:
 - 5,000 किलोमीटर राष्ट्रीय कॉरीडोर।
 - 9,000 किलोमीटर आर्थिक कॉरीडोर।
 - 6,000 किलोमीटर फीडर कॉरीडोर और इंटर कॉरीडोर।
 - 2,000 किलोमीटर सीमावर्ती सड़कें।
 - 2,000 किलोमीटर तटवर्ती सड़कें एवं बंदरगाह संपर्क सड़कें।
 - 800 किलोमीटर हरित क्षेत्र एक्सप्रेस वे।
 - 10,000 किलोमीटर अधूरे सड़क निर्माण कार्य।
- इस परियोजना के तहत निर्माण कार्य करने वाली मुख्य एजेंसियाँ इस प्रकार हैं:
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग और औद्योगिक विकास निगम तथा लोक निर्माण विभाग।

- लाभः
 - पूरे देश में सड़क संपर्क में सुधार।
 - आर्थिक गलियारों से कार्गों की त्वरित आवाजाही में वृद्धि।
 - अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि।
 - निवेश में तेज़ी एवं रोज़गार सृजन में वृद्धि होने की संभावना।

राजमार्गों के निर्माण में तेज़ी लाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- भूमि अधिग्रहण के नियम को सरल बनाना।
- भूमि अधिग्रहण तथा परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न मंज़्रियों प्राप्त होने के बाद ही परियोजनाएँ देने की अनुमित होनी चाहिये।
- अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ निकट समन्वय बनाना।
- एकमुश्त (One Time) धन उपलब्ध कराना।
- विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षा और परियोजना के कार्यान्वयन में रुकावटों की पहचान कर उन्हें दूर करना।
- सड़क क्षेत्र के ऋणों का प्रतिभूतिकरण।

फसल कटाई का मौसम और COVID-19 लॉकडाउन

चर्चा में क्यों?

COVID-19 के कारण भारत में लॉकडाउन से चावल का निर्यात तथा ओडिशा का गैर-काष्ठ वन उत्पाद (Non Timber Forest Products-NTFP) प्रभावित हुआ है।

गैर-काष्ठ वन उत्पाद (Non Timber Forest Products):

- ओडिशा के आदिवासी मार्च-जून महीने के दौरान NTFP को एकत्र करते हैं।
 - NTFP प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले ऐसे उत्पाद हैं जो एक विशेष मौसम पर निर्भर होते हैं। आदिवासी मार्च-जून महीने के दौरान कुल वार्षिक आय का 60-80% कमाते हैं।
- गर्मी के मौसम में एकत्रित प्रमुख गैर-काष्ठ वन उत्पादों में जंगली शहद, इमली, आम, तेंदू पत्ता, साल के पत्ते, महुआ के बीज, नीम के बीज, करंज के बीज, महुआ के फूल और तेजपत्ता इत्यादि शामिल हैं।
- ओडिशा के NTFP का कुल बाजार 5000 करोड़ रुपए का है।
- NTFP की बिक्री न होने से प्रभावित व्यक्ति:
 - ◆ NTFP से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ओडिशा में लगभग 10 मिलियन तथा पूरे देश में 275 मिलियन लोग जुड़े हैं।
- सुझाव:
 - ♦ ओडिशा सरकार को वन धन विकास केंद्र योजना (Van Dhan Vikash Kendra scheme) के तहत संग्रह केंद्रों को तुरंत स्थापित और सुचारु रूप से संचालन करना चाहिये।
 - ◆ वन धन विकास केंद्रों का उद्देश्य, 'लघु वन उत्पाद' (Minor Forest Produce-MFP) के संग्रह में शामिल आदिवासियों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना चाहिये।
 - आदिवासी विकास सहकारी निगम ओडिशा (Tribal Development Co-operative Corporation of Odisha), जो आदिवासी उत्पादों के विपणन की सुविधा प्रदान करता है, को आदिवासियों से संबंधित मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिये।

चावल के निर्यात में बाधाः

- COVID-19 के मद्देनज़र तथा जहाज़ों के आवागमन न होने के कारण भारतीय व्यापारियों ने चावल का निर्यात रोक दिया है।
 - भारत में लॉकडाउन के कारण परिवहन सुविधा बाधित है।
 - मार्च-अप्रैल के दौरान भारत में लॉकडाउन के कारण बंदरगाहों पर लगभग 5 लाख टन चावल रखे गए हैं।
 - भारत के निर्यात में चार से पाँच गुना की गिरावट दर्ज की गई है।
 - भारतीय चावल निर्यात में बाधा के कारण थाईलैंड जैसे प्रतिद्वंद्वी देशों ने चावल के कीमतों में भारी वृद्धि की है।
 नोट:
- भारत मुख्य रूप से बांग्लादेश, नेपाल, बेनिन और सेनेगल को गैर-बासमती चावल तथा ईरान, सऊदी अरब और इराक को प्रीमियम बासमती चावल निर्यात करता है।

श्रम समस्याः

- COVID-19 से निपटने हेतु भारत में 21 दिनों के लॉकडाउन के कारण मजदूरों की भारी कमी से फसलों की कटाई प्रभावित हुई है।
- COVID-19 से भयभीत होकर अधिकांश मजदूर अपने गाँव लौट गए हैं।
- किसानों को चिंता है कि मजदूरों की कमी के कारण यांत्रिक हार्वेस्टर को खेतों तक पहुँचाना मुश्किल है।
- उपलब्ध ट्रकों की संख्या कम होने के कारण किसान अपने उत्पाद को बाज़ार ले जाने में सक्षम नहीं है।

स्मार्ट सिटीज़ कमांड सेंटर तथा COVID- 19

चर्चा में क्यों?

नगर पालिकाओं द्वारा COVID- 19 महामारी के प्रबंधन की दिशा में 'स्मार्ट सिटी मिशन' (Smart Cities Mission) के तहत स्थापित 'एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र' (Integrated Command and Control Centres- ICCC) को 'वॉर रूम' (War Room) के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

मुख्य बिंदुः

- स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्थापित ICCC का यातायात प्रबंधन, निगरानी, उपयोगी कार्यों तथा शिकायत निवारण के समन्वय केंद्र के रूप में उपयोग किया जाता है।
- ICCC का उपयोग COVID- 19 महामारी से निपटने के लिये सरकार की अनुक्रिया (Government's Response) प्रणाली के एक भाग के रूप में किया जा रहा है।

ICCC तथा COVID- 19 प्रबंधनः

- राज्य सरकारों द्वारा ICCC का उपयोग COVID-19 महामारी के प्रबंधन संबंधी विभिन्न कार्यों में किया गया, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:
 - COVID-19 के खिलाफ कर्मचारियों को वर्चुअल ट्रेनिंग देने।
 - सार्वजिनक स्थानों की CCTV निगरानी, COVID- 19 के पॉिजिटिव मामलों की GIS मैपिंग तथा हेल्थकेयर वर्कर्स का GPS
 ट्रैकिंग करने में उपयोग करना।
 - नगर के विभिन्न क्षेत्रों में वायरस के संभावित क्षेत्रों का विश्लेषण।
 - डॉक्टरों एवं स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को आभासी प्रशिक्षण में उपयोग करना।
 - वीडियोकॉफ्रेंसिंग, टेली-काउंसिलंग, टेली-मेडिसिन में।
 - चिकित्सा सेवाओं की वास्तिवक समय पर ट्रैकिंग करने में।
 - हीट-मैपिंग तकनीकों का उपयोग करके संक्रमण रोधी योजना विकसित करना।
 - भू-स्थानिक प्रणालियों का उपयोग करके COVID-19 के मामलों की मैपिंग करना।

♦ एकीकृत डेटा डैशबोर्ड तैयार करना तथा संक्रमित लोगों के आसपास के क्षेत्रों की निगरानी करके बफर जोन स्थापित करना।

जनता के लिये सूचना उपलब्धताः

- ICCC के माध्यम से लोगों को COVID- 19 के मामलों की अपडेट सूचना प्रदान करने के लिये डैशबोर्ड के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों के स्थानिक मानचित्रण सहित COVID- 19 मामलों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
- दैनिक रिपोर्ट किये गए मामलों को तिथि, क्षेत्र, अस्पताल, आयु और लिंग के अनुसार वर्गीकृत करके पोर्टल पर अपडेट करने में ICCC का उपयोग किया जाएगा।

सरकारी विभाग के खर्चों में कटौती

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी को मद्देनजर रखते हुए इसके आर्थिक प्रभाव को न्यून करने के उद्देश्य से अपने खर्चों में कटौती शुरू कर दी है।

प्रमुख बिंदु

- सांसदों और मंत्रियों के वेतन एवं अन्य भत्तों में कटौती के पश्चात् सरकार ने सभी विभागों को अपनी पहली तिमाही की खर्च योजनाओं में
 60 प्रतिशत की कमी करने के निर्देश दिये हैं।
- सरकार द्वारा दिये गए निर्देशानुसार, प्रत्येक विभाग को अपने बजट की पुन: समीक्षा करनी होगी और उन्हें अपने बजट में भारी कटौती करनी होगी।
 - हालाँकि सरकार द्वारा दिये गए निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि सभी विभाग अपनी उन योजनाओं में से कुछ भी कटौती नहीं करेंगे, जो COVID-19 महामारी से संबंधित हैं, किंतु इनमें गैर-आवश्यक मदों के लिये कटौती की जा सकती है।
- केंद्र सरकार ने राज्यों को अभी तक इस संदर्भ में कटौती के लिये कोई भी विशिष्ट निर्देश नहीं दिये हैं, किंतु स्थिति के मद्देनजर यह कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार जल्द-ही-जल्द ही राज्यों को कटौती के लिये निर्देश जारी करेगी।
- अनुमान के अनुसार, यदि सरकार के निर्देशों का सही ढंग से पालन किया जाता है तो सरकार के खर्च में 3.34 ट्रिलियन रुपए की कटौती हो सकती है।
- विश्लेषकों के अनुसार यह कटौती आवश्यक है क्योंकि सभी अनुमानों से पता चलता है कि सरकार के कर और गैर-कर राजस्व दोनों वित्त वर्ष 2021 में बजट अनुमानों से बहुत कम आएंगे।
- आमतौर पर भारत सरकार की खर्च योजनाओं के तहत मंत्रालयों और विभागों को अपने बजट का 25 प्रतिशत हिस्सा वर्ष की 4 तिमाही में खर्च करना पडता है।
 - इसका अर्थ है कि सभी विभागों को वित्तीय वर्ष के अंत में अपने खर्चों को कम करने से रोकना है।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभागों ने अपनी व्यय योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया है, किंतु अब वित्त मंत्रालय ने उनके लिये एक संशोधित नकदी प्रबंधन योजना जारी की है, जिसमें कटौती की सलाह दी गई है।
- इस उद्देश्य के लिये सरकार ने सभी मंत्रालयों को तीन समूहों में विभाजित किया है। पहले समूह को अपने खर्च में 20 प्रतिशत की कमी करनी होगी, दूसरे समूह को अपने खर्च में 40 प्रतिशत और तीसरे समूह को खर्च में 60 प्रतिशत की कमी करनी होगी।
- बजट अनुमान के अनुसार, वित्त वर्ष 2021 के लिये सरकार ने 30.42 ट्रिलियन रुपए खर्च करने की योजना बनाई है।
 - चित्र सरकार के कुल अनुमानित खर्च में से प्रतिबद्ध ब्याज भुगतान और राज्यों के हस्तांतरण को अलग कर दिया जाता है तो इसमें 16.20
 ट्रिलियन रुपए शेष हैं।
- मज़दूरी और पेंशन सिहत अन्य प्रतिबद्ध व्यय को भी यिद इसमें से घटा दिया जाए तो लगभग 11.62 ट्रिलियन रुपए शेष बचते हैं।
- विभागों और मंत्रालय को इसी शेष राशि से आवश्यक कटौती करनी होगी।

कोरोनावायरस का आर्थिक प्रभाव

- उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र (United Nations-UN) के हालिया अनुमान के अनुसार, कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी के कारण वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था तकरीबन 1 प्रतिशत तक कम हो सकती है। साथ ही UN द्वारा यह चेतावनी भी दी गई है कि यदि बिना पर्याप्त राजकोषीय उपायों के आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध और अधिक बढ़ाया जाता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था और अधिक प्रभावित हो सकती है।
- विश्लेषण के अनुसार, यदि सरकारें आय सहायता प्रदान करने और उपभोक्ता को खर्च करने हेतु प्रेरित करने में विफल रहती हैं तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में और अधिक कमी आ सकती है।
- विकसित अर्थव्यवस्थाओं में लंबे समय तक आर्थिक प्रतिबंधों का नकारात्मक प्रभाव जल्द ही व्यापार और निवेश के माध्यम से विकासशील देशों को प्रभावित करेगा।
 - यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में उपभोक्ता खर्च में तेज़ी से हो रही गिरावट विकासशील देशों से उपभोक्ता वस्तुओं के आयात को प्रभावित करेगा।
- जाहिर है कि वैश्विक स्तर पर हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिलेगा और यदि इस समस्या को सही ढंग से संभाला नहीं गया तो भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसकी स्थिति पहले से ही अच्छी नहीं, की स्थिति और खराब हो सकती है।

लॉकडाउन के पश्चात् बेरोज़गारी दर में बढ़ोतरी

चर्चा में क्यों?

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (Centre for Monitoring Indian Economy-CMIE) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2020 में रोजगार दर (Employment Rate) 38.2% के साथ सबसे निचले स्तर पर आ गई थी।

प्रमुख बिंदु

- मार्च 2019 में श्रम भागीदारी दर (Labour Participation Rate-LPR) 42.7% थी। CMIE के अनुसार, मार्च 2020 में LPR 41.9% पर पहुँच गई थी, यह पहली बार है जब किसी माह में LPR 42% से भी नीचे आ गया है।
 - जनवरी से मार्च 2020 के बीच LPR में तकरीबन 1% की गिरावट आई है, जनवरी 2020 में LPR 42.96% था, जो कि मार्च 2020 में 41.9% पर पहुँच गया।
- मार्च 2020 में बेरोजगारी दर 8.7% पर पहुँच गई थी, जो कि बीते 43 महीनों अथवा सितंबर 2016 से सबसे अधिक है। उल्लेखनीय है कि यह दर जनवरी 2020 में 7.16% थी।
- विश्लेषकों के अनुसार, जुलाई 2017 में 3.4% के न्यूनतम बिंदु के पश्चात् से बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है, किंतु मार्च 2020 में पिछले महीने की तुलना में 98 आधार अंकों की वृद्धि, अब तक दर्ज की गई सबसे अधिक मासिक वृद्धि है।
- CMIE द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के विश्लेषण के अनुसार, जैसे-जैसे हम लॉकडाउन की अवधि की ओर बढ़ रहे हैं, रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित समस्याएँ और अधिक गंभीर होती जा रही हैं।
- CMIE के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, मार्च के अंतिम सप्ताह और अप्रैल के पहले सप्ताह में देश में बेरोज़गारी दर में 23% से भी अधिक हो गई है। ध्यातव्य है कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने भी CMIE के आँकडों की पृष्टि की है।
- वहीं इस दौरान (मार्च के अंतिम सप्ताह और अप्रैल के पहले सप्ताह) श्रम भागीदारी दर 39% पर पहुँच गई और रोजगार दर केवल 30% पर आई गई है।

रोज़गार दर (Employment Rate)

रोजगार दर किसी क्षेत्र विशिष्ट में कार्यशील आयु के लोगों की संख्या को दर्शाता है जिनके पास रोजगार है। इसकी गणना कार्यशील आबादी और कुल आबादी के अनुपात के रूप में की जाती है।

बेरोज़गारी दर (Unemployment Rate)

जब किसी देश में कार्य करने वाली जनशक्ति अधिक होती है और काम करने के लिये राजी होते हुए भी लोगों को प्रचलित मज़दूरी पर कार्य नहीं मिलता, तो ऐसी अवस्था को बेरोज़गारी की संज्ञा दी जाती है। बेरोज़गारी का होना या न होना श्रम की मांग और उसकी आपूर्ति के बीच स्थिर अनुपात पर निर्भर करता है। बेरोज़गारी दर अभिप्राय उन लोगों की संख्या से है जो रोज़गार की तलाश में हैं।

आँकडों के निहितार्थ

- मार्च माह के अंतिम सप्ताह और अप्रैल माह के पहले सप्ताह में बेरोजगारी दर में हुई बढ़ोतरी का मुख्य कारण सरकार द्वारा घोषित 21-दिवसीय लॉकडाउन को माना जा रहा है, इस लॉकडाउन अविध के कारण देश में सभी उद्योगों में आर्थिक गतिविधियाँ पूर्ण रूप से रुक गई
 हैं।
- जिसके प्रभावस्वरूप सभी क्षेत्रों में लोगों की छंटनी शुरू हो गई है।
- हालाँिक ध्यान देने योग्य यह भी है कि बेरोज़गारी दर में वृद्धि लॉकडाउन की अविध से पूर्व ही शुरू हो गई थी।
- कुछ विश्लेषकों का अनुमान है कि आँकड़ों के विपरीत भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति और अधिक खराब हो सकती है।
- RBI द्वारा मार्च के अंत में किये गए सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि लॉकडाउन के पश्चात् विनिर्माण क्षेत्र के लिये मांग काफी प्रभावित होगी।
- इसी प्रकार 'फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलरिशप एसोसिएशंस' (Federation of Automobile Dealership Associations-FADA) के अनुसार, ऑटो सेक्टर में कोरोनवायरस (COVID-19) महामारी के पश्चात् खुदरा बिक्री में 60-70% की गिरावट देखी गई है।

सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनॉमी (Center For Monitoring Indian Economy-CMIE)

- सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) की स्थापना एक स्वतंत्र थिंक-टैंक के रूप में वर्ष 1976 में की गई।
- CMIE प्राथमिक डेटा संग्रहण, विश्लेषण और पूर्वानुमानों द्वारा सरकारों, शिक्षाविदों, वित्तीय बाजारों, व्यावसायिक उद्यमों, पेशेवरों और मीडिया सिंहत व्यापार सूचना उपभोक्ताओं के पूरे स्पेक्ट्रम को सेवाएँ प्रदान करता है।

COVID-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी 'आईसीआरए लिमिटेड' (ICRA Limited) द्वारा जारी अनुमान के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 4.5% की तीव्र गिरावट देखी जा सकती है।

मुख्य बिंदुः

- COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिये देशभर में लागू लॉकडाउन को देखते हुए ICRA ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में कमी का अनुमान लगाया है।
- ICRA के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में अनुमानत: 4.5% की तीव्र गिरावट देखी जा सकती है।
- हालाँकि इसमें धीरे-धीरे सुधार की उम्मीदें हैं परंतु अर्थव्यवस्था में इस तीव्र गिरावट के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2021 में सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product- GDP) की वृद्धि दर मात्र 2% रहने का अनुमान है।

अर्थव्यवस्था में तीव्र गिरावट के कारण:

- COVID-19 के कारण चीन से होने वाले आयात के प्रभावित होने से स्थानीय और बाहरी आपूर्ति शृंखला के संदर्भ में चिंताएँ बढ़ी हैं।
- सरकार द्वारा COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिये लॉकडाउन और सोशल डिसटेंसिंग (Social Distancing) जैसे प्रयासों से औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हुआ है।
- लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी बढ़ी है, जिससे सार्वजिनक खर्च में भारी कटौती हुई है।

- लॉकडाउन के कारण कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पादन और तैयार उत्पादों के वितरण की शृंखला प्रभावित हुई है, जिसे पुन: शुरू करने में कुछ समय लग सकता है।
- उदाहरण के लिये उत्पादन स्थिगित होने के कारण मजदूरों का पलायन बढ़ा है, ऐसे में कंपिनयों के लिये पुन: कुशल मजदूरों की नियुक्ति कर पूरी क्षमता के साथ उत्पादन शुरू करना एक बड़ी चुनौती होगी। जिसका प्रभाव अर्थव्यवस्था की धीमी प्रगति के रूप में देखा जा सकता है
- खनन और उत्पादन जैसे अन्य प्राथमिक या द्वितीयक क्षेत्रों में गिरावट का प्रभाव सेवा क्षेत्र की कंपनियों पर भी पड़ा है।
 विभिन्न क्षेत्रों पर COVID-19 का प्रभाव:
- ICRA के अनुसार, जिन क्षेत्रों में इस लॉकडाउन का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से सबसे अधिक होगा उनमें विमानन कंपनियाँ, होटल और पर्यटन, ऑटो डीलरिशप, रत्न और आभूषण, खुदरा, नौ-परिवहन (Shipping), बंदरगाह सेवाओं, समुद्री भोजन (Seafood) तथा पोल्ट्री (Poultry) एवं माइक्रोफाइनेंस संस्थान आदि प्रमुख हैं।
- ऑटोमोबाइल, ऑटोपुर्जे, निर्माण सामग्री, विनिर्माण, रसायन, आवासीय संपत्ति, उपभोक्ता सामान, फार्मास्यूटिकल्स (Pharmaceuticals),
 रसद, बैंकिंग, खनन, परामर्श (Consulting), लौह धातु, कांच, प्लास्टिक, बिजली आदि क्षेत्रों में लॉकडाउन का सीमित/मध्यम प्रभाव देखने को मिल सकता है।
- ICRA के अनुमान के अनुसार शिक्षा, डेयरी उत्पाद, उर्वरक और बीज, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य और खाद्य उत्पाद, बीमा, दूरसंचार, चीनी, चाय, कॉफी और कृषि उपज आदि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लॉकडाउन का प्रभाव सबसे कम होगा।
- ICRA के अनुसार, विस्तारित मांग व्यवधान (Demand Disruption) से लंबे भुगतान चक्र को बढ़ावा मिलेगा। क्योंिक किसी भी कंपनी/इकाई की तरलता की स्थिति उसके मजबूत क्रेडिट प्रोफाइल के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे में कई कंपनियाँ अधिक-अधिक से नगदी बचाने का प्रयास करेंगी।
- इसके लिये कंपनियाँ जहाँ तक संभव हो भुगतान में विलंब करने या कंपनियाँ फोर्स मेजर जैसे प्रावधानों का प्रयोग कर भुगतान स्थगित करने का प्रयास करेंगी।

ICRA:

- आईसीआरए लिमिटेड (ICRA Limited) की स्थापना वर्ष 1991 में एक स्वतंत्र और पेशेवर निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में की गई थी।
- वर्ष 2007 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (Bombay Stock Exchange- BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (National Stock Exchange- NSE) में सूचीबद्ध होने के साथ इसे सार्वजनिक कंपनी के रूप में बदल दिया गया।
- ICRA संस्थागत और व्यक्तिगत निवेशकों /लेनदारों को जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य करती है।
- साथ ही यह वित्तीय बाजार में पारदर्शिता को बढ़ावा देने में नियामकों की सहयोग करती है।

आगामी वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति में कमी: RBI

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी मौद्रिक नीति रिपोर्ट (MPR) में कहा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index- CPI) आधारित मुद्रास्फीति, जो पिछले कुछ महीनों में बढ़ गई थी, के वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कम रहने की उम्मीद है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुः

- RBI के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फ़ीति का वित्तीय वर्ष 2020- 21 में पहली तिमाही में 4.8%, दूसरी तिमाही में 4.4%, तीसरी तिमाही में 2.7% तथा चौथी तिमाही में 2.4% तक कम होने का अनुमान है।
- यह मौद्रिक समीक्षा रिपोर्ट मार्च के अंत में हुई अनिर्धारित बैठक में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण उत्पन्न आर्थिक अनिश्चितताओं पर की गई चर्चा पर आधारित है।
- लॉकडाउन को देखते हुए मार्च तथा आगामी कुछ महीनों के लिये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) का संकलन चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

• COVID-19 के द्वारा वृहद आर्थिक प्रभाव डालने के कारण वैश्विक वित्तीय बाजार में उतार-चढ़ाव की वजह से फरवरी-मार्च 2020 तक भारतीय रुपए पर दबाव बढ़ सकता है।

मुद्रास्फीति में कमी के प्रमुख कारण

- COVID-19 के तीव्र प्रसार तथा मौजूदा लॉकडाउन के समय उच्च अनिश्चितता की स्थिति वर्तमान प्रत्याशित मांग तथा 'कोर मुद्रास्फीति' में कमी ला सकती है।
- प्रत्याशित मांग में कमी के प्रमुख कारण बेरोजगारी तथा वेतन में कटौती, ऋण भार में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय में कमी की वजह से बाजार में तरलता का अभाव है।
- लॉकडाउन के समय 'समाजिक दूरी' के परिणामस्वरूप सेवा क्षेत्र में परिवहन, मनोरंजन तथा संचार के प्रभावित होने के कारण कोर मुद्रास्फीति में कमी हो सकती है।

कोर मुद्रास्फीति (Core Inflation)

- कोर मुद्रास्फीति ऊर्जा और खाद्य वस्तुओं को छोड़कर सभी वस्तुओं और सेवाओं के दामों में बढ़ोतरी दिखाती है। सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2000-01 में इसका पहली बार उपयोग किया गया।
- यह देश की महँगाई दर को बेहतर ढंग से पिरभाषित नहीं करती, क्योंकि इसमें महँगाई में मुख्य रूप से शामिल ऊर्जा और खाद्य सामग्रियों की गणना नहीं की जाती।
- वर्ष 2015 -2016 से सरकार ने इसके एक नए प्रारूप 'कोर- कोर मुद्रास्फ़ीति' (Core -Core Inflation) का उपयोग प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत मुद्रास्फीति की गणना खाद्य सामग्रियों, ईंधन एवं प्रकाश, परिवहन एवं संचार जैसी मदों को बाहर करके की जाती है।

कुछ मामलों में मुद्रास्फीति वृद्धि के संकेत

- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अगर मानसून सामान्य रहे और अगर कोई बहिर्जात या नीतिगत झटका नहीं हो तो संरचनात्मक मॉडल के अनुसार, मुद्रास्फीति 3.6-3.8% तक बढ़ सकती है।
- RBI द्वारा मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर को 75 आधार अंकों से घटाकर 4.4% करने तथा नकद आरक्षित अनुपात (CRR) को 100 आधार अंकों से घटाकर 3% करने से भी बाजार में मौद्रिक प्रवाह में वृद्धि होने की संभावना है।
- अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में निरंतर तीव्र कमी से देश की व्यापारिक स्थित में सुधार हो सकता है, लेकिन इस चैनल द्वारा होने वाले लाभ से अभी नुकसान की भरपाई की उम्मीद नहीं है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

- CPI भारत में उपभोक्ताओं की खपत और क्रय शक्ति आदि में व्यापक अंतर की गणना करता है।
- CPI मुद्रास्फ़ीति के माइक्रो लेवल विश्लेषण के लिये इस्तेमाल की जाती है।
- उपभोक्ताओं के मध्य सामाजिक-आर्थिक अंतरों को ध्यान में रखते हुए भारत में CPI के चार प्रकार हैं:
 - ♦ औद्योगिक मज़दूरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW)
 - ♦ शहरी गैर मैनुअल कर्मचारियों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI -UNME)
 - ♦ खेतिहर मजदूरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-AL)
 - ग्रामीण क्षेत्र के मज़दूरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-RL)

आगे की राह

- COVID-19 से उत्पन्न स्थिति को जल्दी से सामान्य करना चाहिये, जिससे मजबूत पूंजी प्रवाह को पुनर्जीवित किया जा सके।
- RBI के अनुसार, रुपए में 5% की वृद्धि से मुद्रास्फीति में 20 आधार अंकों तथा सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 15 आधार अंकों की आधारभूत वृद्धि दर्ज की जा सकती है।

औद्योगिक उत्पादन में 4.5% की वृद्धि

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office -NSO) द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, फरवरी 2020 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production -IIP) 133.3 अंक रहा जो फरवरी, 2019 के मुकाबले 4.5% अधिक है। इसका मतलब यही है कि फरवरी, 2020 में औद्योगिक विकास दर 4.5% रही।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय:

- वर्ष 2019 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) तथा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (Central Statistics Office-CSO) का विलय करके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन किया गया।
- NSO का अध्यक्ष एक महानिदेशक होता है तथा यह अखिल भारतीय स्तर पर नमूना सर्वेक्षण कराने का काम करता है।

वृद्धि के प्रमुख कारण:

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में वृद्धि खनन, विद्युत् और विनिर्माण क्षेत्रों में उच्च उत्पादन के कारण हुई है।
- खनन क्षेत्र में फरवरी माह में पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में 10% की वृद्धि देखी गई, जबिक विद्युत् क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में 8.1% की वृद्धि देखने को मिलती है।
- विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन 3.2% की दर से बढ़ा है। विनिर्माण क्षेत्र के 23 में से 13 समूहों में फरवरी माह में सकारात्मक उत्पादन वृद्धि हई।
- बुनियादी धातुओं का निर्माण करने वाले उद्योगों के उत्पादन में 18% से अधिक की वृद्धि, जबकि रसायनों के उत्पादन में 8% की वृद्धि देखने को मिलती है।
- प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन में 7% से अधिक तथा मध्यवर्ती वस्तुओं के उत्पादन में 22% से अधिक की वृद्धि हुई है।

औद्योगिक उत्पादन सचकांक (IIP):

- विद्युत्, कच्चा तेल, कोयला, सीमेंट, स्टील, रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस, और उर्वरक आठ 'कोर' उद्योग हैं, जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल वस्तुओं के भार का लगभग 40% भाग रखते हैं।
- खनन, विनिर्माण और विद्युत् तीन व्यापक क्षेत्र हैं, जिनके अंतर्गत IIP के घटक सम्मिलित होते हैं।
- औद्योगिक मूल्य सूचकांक से संबंधित ऑंकड़े प्रत्येक माह NSO द्वारा संकलित और प्रकाशित किया जाते हैं।
- वर्ष 2017 में IIP का आधार वर्ष 2004-05 से परिवर्तित कर वर्ष 2011-2012 कर दिया गया।

नकारात्मक वृद्धि वाले उद्योगः

- फरवरी माह में ऑटो सेक्टर में बड़ी गिरावट के साथ उद्योग समृह 'मोटर वाहनों. टेलरों और सेमी-टेलरों के विनिर्माण' ने () 15.6 प्रतिशत की सर्वाधिक ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उत्पादन में भी लगभग 15% की नकारात्मक वृद्धि देखी गई। कुल मिलाकर, पुंजीगत वस्तुओं में लगभग 10% की गिरावट आई है।
- प्राथमिक और मध्यवर्ती वस्तुओं को छोड़कर अन्य उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में भी 6.4% की नकारात्मक वृद्धि देखने को मिलती है।

आगे की राहः

COVID -19 महामारी के कारण हुए लॉकडाउन के कारण IIP में मार्च माह में फिर से भारी गिरावट की संभावना है, क्योंकि इसके कारण अधिकांश औद्योगिक उत्पादन रुक गए।

बाज़ार हस्तक्षेप योजना

चर्चा में क्यों?

हाल में COVID- 19 महामारी के तहत लगाए गए लॉकडाउन के कारण उत्पन्न परिवहन बाधाओं को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने कृषि तथा बागवानी फसलों के जल्दी खराब होने वाले उत्पादों को बाजारों तक पहुँचाने के लिये 50 ट्रेनों को शुरू किया गया है।

मुख्य बिंदुः

- बागवानी किसानों को COVID- 19 महामारी के तहत लगाए गए लॉकडाउन के कारण सबसे अधिक कठिनाइयों तथा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।
- केंद्र सरकार ने सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को जल्दी खराब होने वाली फसलों के 'पारिश्रमिक मूल्य' (Remunerative Prices) सुनिश्चित करने के लिये 'बाजार हस्तक्षेप योजना' (Market Intervention Scheme- MIS) का क्रियान्वयन करने का निर्देश दिया है।

बाज़ार हस्तक्षेप योजना (MIS):

- बाजार हस्तक्षेप योजना का उद्देश्य, जल्दी खराब होने वाली फसलों के उत्पादकों को बाजार में लागत से कम दाम पर बिक्री के संबंध में सुरक्षा प्रदान करना है। MIS योजना को विशेष रूप से तब प्रयोग में लाया जाता है जब बिक्री का मूल्य, उत्पादन की लागत से भी काम होता है।
- इस योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, जबिक खरीद प्रक्रिया में हुए नुकसान को केंद्र तथा राज्य द्वारा 50:50 में वहन किया जाता है।
- इस योजना का प्रयोग तब किया जाता है जब फसलों की बाजार कीमतों में 'पिछले सामान्य वर्ष (Previous Normal Year: विगत वर्ष जिसमें फसलों का बाजार मूल्य सामान्य रहा हो) की तुलना में 10% या इससे अधिक की गिरावट होती है।

MIS योजना संबंधी नवीन आदेश:

- केंद्र सरकार ने 'मूल्य समर्थन योजना' के तहत की जाने वाली खरीद फसलों में कुछ अन्य फसलों को शामिल करने का निर्णय लिया है।
- नवीन आदेश का विस्तार 'भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड' (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limted- NAFED) के अलावा अन्य एजेंसी; जो दाल तथा तिलहन की खरीद करती हैं, तक किया गया है।
- प्रत्येक राज्य में नवीन आदेश योजना शुरू होने की तारीख से 90 दिनों बाद तक लागू रहेंगे।
- इसमें वर्ष 2020 की रबी फसल के लिये प्रति किसान खरीद की सीमा 25 क्विंटल से बढ़ाकर 40 क्विंटल प्रति किसान कर दी गई है।

नवीन आदेश का महत्त्वः

- लॉकडाउन के कारण शुष्क भूमि वाले क्षेत्रों में की जाने दलहन और तिलहन उत्पादों यथा- तूर, उड़द, छोले, सोयाबीन का बाजार मूल्य 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (Minimum Support Prices- MSP) से भी काफी नीचे हो गया है।
- MIS योजना के तहत दालों की खरीद, COVID- 19 महामारी के तहत घोषित राहत पैकेज के लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता करेगा। खरीदी गई दाल का उपयोग अगले तीन महीनों के लिये सभी राशन-कार्ड धारी परिवारों को एक किलो प्रति माह दाल प्रदान करने में किया जाएगा।

आगे की राहः

 यद्यपि 40 क्विंटल प्रति किसान खरीद की सीमा यह सुनिश्चित करती है कि सभी किसानों को अपनी उपज बेचने का समान मौका मिले लेकिन परिवहन प्रतिबंध के कारण किसानों को बार-बार अपने उत्पादों को सरकारी खरीद (Procurement) के लिये ले जाना मुश्किल होगा, अत: इन प्रतिबंधों में छूट प्रदान की जानी चाहिये।

अर्थव्यवस्था के लिये राहत पैकेज की मांग

चर्चा में क्यों?

रियल एस्टेट डेवलपर्स के उद्योग निकाय नरेडको (National Real Estate Development Council-NAREDCO) और उद्योग संघ एसोचैम (ASSOCHAM) ने भारत सरकार से भारतीय उद्योगों के लिये 200 बिलियन डॉलर का राहत पैकेज देने का आग्रह किया है, जो कि देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 10 प्रतिशत है।

प्रमुख बिंदु

- उद्योग निकायों का अनुमान है कि, नौकिरयों और आय के नुकसान की भरपाई करने के लिये आगामी तीन महीनों में 50-100 बिलियन डॉलर नकद धनराशि की आवश्यकता होगी।
- साथ ही यह भी आग्रह किया गया है कि आगामी तीन महीने के लिये GST में 50 प्रतिशत और पूरे वर्ष के लिये 25 प्रतिशत कमी की जाए।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे गए सिफारिश पत्र में एसोचैम (ASSOCHAM) के अध्यक्ष ने COVID-19 महामारी से लड़ने और अर्थव्यवस्था को इस महामारी के प्रभाव से बचाने के लिये कई उपाय प्रस्तावित किये हैं।
- ध्यातव्य है कि इस तरह का राहत पैकेज व्यवसायों और श्रिमकों को चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटने में मदद करेगा।
- उद्योग निकाय द्वारा लिखे गए पत्र के अनुसार, यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण होगा कि सरकार तीन उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ें (1) प्रत्यक्ष स्थानांतरण के माध्यम से कर्मचारियों और श्रमिकों को तत्काल सहायता (2) यह सुनिश्चित करना कि कंपनियों के पास मंदी से बचने के लिये पर्याप्त नकदी प्रवाह है (3) राजकोषीय और कर उपायों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिये मांग और निवेश को प्रोत्साहित करना।
- इसके अतिरिक्त दोनों निकायों ने लॉकडाउन के कारण रोजगार के नुकसान को कम करने के लिये निर्माण स्थलों पर लॉकडाउन को आंशिक रूप से हटाने का भी आग्रह किया है।
- NAREDCO ने आगामी 6 महीनों के लिये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के तहत सभी मामलों को निलंबित करने की भी मांग की है।
- ध्यातव्य है कि NBFC और IL&LF संकट के कारण देश का रियल एस्टेट सेक्टर पहले ही गंभीर संकट का सामना कर रहा है।
 - आँकड़ों के अनुसार, रियल एस्टेट सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था में तकरीबन 7 प्रतिशत का योगदान करता है और देश की लगभग 11
 प्रतिशत आबादी इसमें कार्यरत है।

नेशनल रियल स्टेट डवलपमेंट काउंसिल

(National Real Estate Development Council-NAREDCO)

- नेशनल रियल स्टेट डवलपमेंट काउंसिल (NAREDCO) की स्थापना वर्ष 1998 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तत्त्वावधान में एक स्वायत्त स्व-नियामक निकाय के रूप में की गई थी।
- NAREDCO, रियल एस्टेट और हाउसिंग उद्योग के लिये एक सर्वोच्च राष्ट्रीय निकाय है और यह एक ऐसे मंच के रूप में कार्य करता है, जहाँ सरकार, उद्योग और जनता द्वारा विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की जाती है और उनका समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है।
- इसका गठन रियल एस्टेट उद्योग में पारदर्शिता और नैतिकता को प्रेरित करने तथा असंगठित भारतीय रियल एस्टेट उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बनाने के उद्देश्य से किया गया था।

एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया

(The Associated Chambers of Commerce & Industry of India-ASSOCHAM)

• एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM) भारत के सबसे बड़े व्यापार संघों में से एक है, जिसकी स्थापना वर्ष 1920 में भारतीय उद्योग के मूल्य सृजन हेतु की गई थी।

- संपूर्ण भारत में इसके लगभग 200 से अधिक चैंबर्स तथा व्यापार संगठन हैं और 450000 से अधिक सदस्य हैं।
- एसोचैम (ASSOCHAM) ने देश के व्यापार, वाणिज्य और औद्योगिक वातावरण को आकार देने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है।
- इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक विशेष स्थान प्राप्त करने तथा वैश्विक महत्त्वाकांक्षा वाले नए भारतीय कॉरपोरेट जगत के उद्भव में एसोचैम (ASSOCHAM) का उल्लेखनीय योगदान रहा है।

लॉकडाउन के दौरान वैकल्पिक बाज़ार

चर्चा में क्यों?

COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिये देशभर में लागू लॉकडाउन के कारण अन्य क्षेत्रों के साथ कृषि उत्पादन की आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की लगभग दो दशकों पुरानी एक योजना पुन: प्रासंगिक हुई है, जिसके तहत एक वैकल्पिक बाजार के माध्यम से कृषि उत्पादों को सीधे ग्राहकों तक पहुँचाया जा सकता है।

मुख्य बिंदुः

- देशभर में लागू लॉकडाउन के कारण किसानों के लिये अपने उत्पादों को ग्राहकों तक पहुँचाना कठिन हुआ है और वर्तमान में ज्यादातर फसलों तथा सिब्जियों की कटाई का मौसम होने से कृषि उत्पादों के सही समय पर मंडियों तक न पहुँचने से कृषि क्षेत्र में भारी नुकसान होगा।
- इस योजना की शुरुआत महाराष्ट्र के 'राज्य कृषि विभाग' और 'महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड' (Maharashtra State Agricultural Marketing Board- MSAMB) के सहयोग से की गई थी।

'महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड'

(Maharashtra State Agricultural Marketing Board- MSAMB):

• महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 23 मार्च, 1984 को 'महाराष्ट्र कृषि उत्पादन विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1963' के तहत की गई।

उद्देश्य:

- कृषि उत्पाद बाजार के विकास की राज्य स्तरीय योजना बनाना।
- कृषि विपणन विकास कोष (Agricultural Marketing Development Fund) को बनाए रखना और उसका प्रबंधन करना।
- 'महाराष्ट्र कृषि उत्पादन विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1963' के प्रयोजनों और शर्तों (जैसा कि अधिनियम में निर्धारित है)
 पर बाज़ार सिमितियों को उपबंध या ऋण प्रदान करना।
- कृषि उपज के विपणन से संबंधित मामलों/योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना।

उद्देश्य:

इस योजना का उद्देश्य कृषक समूहों और 'किसान उत्पादक कंपनियों' (Farmer Producer Companies- FPC) के सहयोग से शहरी क्षेत्र में एक कम भीड़ वाले ऐसे बाज़ार की स्थापना करना है जिससे ग्राहकों तक किसानों की सीधी पहुँच को सुनिश्चित किया जा सके।

'किसान उत्पादक कंपनी' (Farmer Producer Company- FPC):

- िकसान उत्पादक कंपनी (एफपीसी) एक संयुक्त स्टॉक कंपनी और एक सहकारी संघ को मिलकर बनाई गई एक व्यवस्था है।
- इसमें एक कंपनी और एक सहकारी संगठन दोनों के गुण होते हैं।
- इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि, प्रसंस्करण, सदस्यों के लिये आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति, तकनीकी या अन्य सेवाओं के लिये परामर्श आदि उपलब्ध करना है।
- एक 'किसान उत्पादक कंपनी' में कम-से-कम 5 और अधिकतम 15 निदेशक हो सकते हैं।

कैसे काम करता है यह वैकल्पिक बाज़ार?

- इसके लिये सरकार और 'महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड' कृषक समूहों और FPCs की पहचान कर समूहों (Clusters) का निर्माण करते हैं।
- स्थानीय निकाय (Local Bodies) बाजार हेतु स्थान का चुनाव करते हैं और इन बाजारों को सीधे ग्राहकों तक अपने उत्पादों को पहुँचाने के लिये 'सहकारी आवास समितियों' (Cooperative Housing Societies) से जोड़ दिया जाता है।
- इस मॉडल.योजना के तहत कृषक समूहों और FPCs को नगरपालिका वार्डों या इलाकों में साप्ताहिक बाजार के लिये स्थान प्रदान किया जाता है।
- 🔸 कुछ उत्पादक समूहों को हाउसिंग सोसायटियों के गेट पर फल और सि्जियों के ट्रक खड़े कर अपने उत्पाद बेचने की अनुमति दी जाती है।
- इस तरह के बाजारों में सबसे ज्यादा मात्रा स्थानीय स्तर पर उत्पादित सिंब्जियों की होती है।

लाभ:

- इस मॉडल का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह कृषि व्यापार के लिये एक विकेंद्रीकृत और कृषि उत्पादों को सीधे उपभोक्ता के घर तक पहुँचाने की व्यवस्था प्रदान करता है।
- इस विकेंद्रीकृत व्यवस्था के माध्यम से उत्पादकों और उपभोक्ता के बीच से बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने में सहायता मिलती है जिसका सीधा लाभ किसानों को प्राप्त होगा।
- इसके माध्यम से मांग और आपूर्ति का बेहतर नियंत्रण किया जा सकता है।
- इसके माध्यम से किसानों में उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा।

लॉकडाउन के दौरान वैकल्पिक बाज़ार का लाभ:

- इस व्यवस्था के माध्यम से मंडियों की अपेक्षा लोगों की गतिविधि को सीमित कर COVID-19 के प्रसार की संभावनाओं को कम करने में सहायता प्राप्त होगी।
 - ◆ उदाहरण के लिये पुणे (महाराष्ट्र) में कई FPCs ने हाउसिंग सोसायिटयों तक डिलीवरी शुरू की है, साथ ही प्रशासन ने प्रत्येक जिले के लिये विशेष फोन नंबरों की व्यवस्था की है जिससे कोई भी सिब्जियों के लिये प्री-आर्डर (Pre-Order) कर सकता है।
- इस व्यवस्था के माध्यम से मंडियों और थोक बाजारों के बंद होने से कृषि उत्पादों की आपूर्ति के संदर्भ में उत्पन्न हुई अव्यवस्था को दूर करने में सहायता प्राप्त हुई है।
- मंडियों के बंद होने से देश में लगभग 100 लाख हेक्टेयर से अधिक की फसलों के खराब होने का भय था, परंतु इस व्यवस्था के माध्यम से कई राज्यों में फसलों को ऐसे बाजारों तक पहुँचाकर, किसानों को होने वाली क्षति को कम करने में मदद मिली है।

निष्कर्ष: हालाँकि खाद्य और कृषि के क्षेत्र में डिजिटल मार्केटिंग का विचार नया नहीं है परंतु अभी भी यह माध्यम छोटे व्यापारियों और किसानों को आकर्षित करने में असफल रहा है। वर्तमान में यह व्यवस्था COVID-19 के संक्रमण को कम करने के साथ ही कृषि क्षेत्र में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी बन सकती है। साथ ही भविष्य में इस माध्यम को बढ़ावा देकर देश में कृषि से जुड़ी अर्थव्यवस्था को एक नई गति प्रदान की जा सकती है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों में तरलता की कमी का संकट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में देश में COVID-19 के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) ने देश की सभी बैंकों और 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों' (Non-Banking Finance Companies- NBFC) द्वारा अपने ग्राहकों को दिये गए ऋण के भुगतान हेतु तीन महीने की अतिरिक्त छूट देने के निर्देश दिये हैं।

मुख्य बिंदुः

- RBI द्वारा बैंकों और NBFCs के द्वारा दिये गए ऋण पर तीन महीने का अतिरिक्त समय देने के निर्देश के बाद अधिकांश NBFCs पर तरलता की कमी का संकट बढ़ गया है।
- वर्तमान में बैंकों द्वारा NBFCs को दिया गया कुल बकाया ऋण 32.2% की वार्षिक वृद्धि के साथ 7,37,198 करोड़ रुपए (31 जनवरी, 2020) तक पहुँच गया है।
- वर्तमान में लॉकडाउन के दौरान उद्योगों के बंद होने और बेरोज्ञगारी के कारण ऋण के भुगतान में कमी आई है, एक अनुमान के अनुसार, जून 2020 तक NBFCs के लगभग 1.75 लाख के अतिरिक्त ऋण की अविध पूरी हो जाएगी, ऐसे में इन कंपनियों पर दबाव और भी बढ़ जाएगा।

NBFCs के वर्तमान संकट का कारण:

- वर्तमान में NBFCs द्वारा बाजार में वितरित अधिकांश धन वह है जो इन कंपनियों ने बैंकों से ऋण के रूप में लिया था।
- RBI के ऋण भुगतान पर राहत के आदेश के बाद NBFCs को दोहरी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि NBFCs को अपने ग्राहकों को दिये गए ऋण पर तीन महीने की छूट देनी पड़ रही है परंतु बैंकों ने इन कंपनियों इस छूट का लाभ देने से इनकार कर दिया है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, बैंकों द्वारा NBFCs को दिये गए ऋण पर छूट न देने से ऐसी कंपनियों की समस्याएँ और अधिक बढ़ सकती हैं, हालाँकि RBI के आदेश में NBFCs को छूट न दिये जाने की बात नहीं कही गई थी।
- पहले से ही IL&FS और DHFL संकट से जूझ रही NBFCs को इस मुद्दे पर बैंकों, RBI और वित्त मंत्रालय से भी कोई राहत नहीं मिली है।
- भारतीय वाणिज्य एंव उद्योग मंडल (ASSOCHAM) द्वारा NBFCs के लिये एक 'स्पेशल लिक्विडिटी विंडो' (Special Liquidity Window) स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था परंतु RBI ने अभी तक इस संदर्भ में कोई रुचि नहीं दिखाई।
- हालाँकि RBI ने 'टार्गेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन' (Targeted Long-Term Repo Operations- TLTRO) विंडो के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं, परंतु इसमें से केवल आधी राशि को प्राइमरी इंश्योरेंस के रूप में जारी करने के लिये रखा गया है।

प्रभाव:

- क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल (CRISIL) के अनुसार, NBFCs के पास बैंकों की तरह वित्तीय तरलता के प्रणालीगत स्रोत नहीं होते हैं,
 वे इनके लिये बडे निवेशों या होलसेल फंडिंग पर निर्भर करते हैं।
- वर्तमान में ऋण वसूली में कमी और बैंकों से किसी सहयोग के अभाव में NBFCs की समस्या बढ़ सकती है, CRISIL के अनुमान के अनुसार, जून 2020 तक इन कंपनियों पर तरलता की कमी का दबाव 25% तक बढ़ जाएगा।
- बाजार में फंड की कमी के कारण RBI द्वारा प्रस्तावित फंड का लाभ भी उच्च रेटिंग वाली कंपनियों को ही मिल सकेगा, ऐसे में कम रेटिंग वाली NBFCs जो मुख्य रूप से बैंकों पर आश्रित हैं उनके लिये यह समस्या और भी गंभीर हो जाएगी।

आर्थिक सुधारों के बाद से सबसे धीमी वृद्धि दर: विश्व बैंक

चर्चा में क्यों?

विश्व बैंक के 'दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस' (South Asia Economic Focus) आर्थिक अद्यतन के अनुसार, COVID- 19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक विकास दर की वर्ष 1991 के उदारीकरण के बाद से सबसे खराब रहने की संभावना है।

मुख्य बिंदुः

- विश्व बैंक के अनुसार, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के आठ देशों की आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2020-21 में 1.8 से 2.8% रहने का अनुमान है जो छह माह पूर्व 6.3 प्रतिशत अनुमानित थी।
- विश्व बैंक के अनुसार, वर्ष 2019 के 5.4-4.1% आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान के विपरीत, वर्ष 2020-21 में 1.5-2.8% प्रतिशत रहने का अनुमान है।
- वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 1.5% बढ़कर 2.8% होने का अनुमान है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 (अप्रैल से मार्च तक) में भारत की विकास दर 4.8-5% तक रहने का अनुमान है।

अन्य एजेंसियों का अनुमान:

- विश्व बैंक के समान अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी भारत की विकास दर कम रहने का अनुमान लगाया है।
- एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank- ADB) ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि में 4% तक कमी होने का अनुमान लगाया है।
- स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (Standard & Poor's- S&P) ने विकास दर को 5.2% के अनुमान से घटाकर 3.5% कर दिया है।
- फिच रेटिंग्स (Fitch Ratings) के अनुसार, भारत की विकास दर 2% रहने का अनुमान है, जबकि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (India Ratings & Research) ने पूर्वानुमान को संशोधित कर 5.5% से कम करके 3.6% कर दिया है।
- मूडीज (Moody's) ने कैलंडर वर्ष (Calendar Year: जनवरी से दिसंबर) 2020 के लिये अनुमान 5.3% से घटाकर 2.5% कर दिया है।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी:

साधारण शब्दों में क्रेडिट रेटिंग किसी भी देश, संस्था या व्यक्ति की ऋण लेने या उसे चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन होती है।

भारत में पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ:

- क्रिसिल (CRISIL)
- इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (India Ratings and Research)
- आईसीआरए (ICRA)
- क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च (CARE)
- ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया (Brickwork Ratings India)
- समेरा रेटिंग (SMERA)
- इंफोमेरिक्स वैल्यूएशन और रेटिंग (Infomerics Valuation and Rating)

दुनिया की बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ:

दुनिया के विभिन्न देशों या बड़ी संस्थाओं की रेटिंग दुनिया की तीन बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ; फिच, मूडीज और S&P तय करती हैं।
 इनमें S&P सबसे पुरानी एजेंसी है।

धीमी वृद्धि दर का कारण:

- COVID- 19 महामारी से घरेलू आपूर्ति श्रंखला प्रभावित होने तथा मांग में व्यवधान उत्पन्न होने से वित्त वर्ष 2021 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021) में तेज मंदी आने की संभावना है।
- वर्ष 2022 तक COVID- 19 महामारी का प्रभाव समाप्त होने की संभावना है तथा वित्त वर्ष 2022 में आर्थिक वृद्धि दर 5% रहने की उम्मीद है।

उपाय:

- वैश्विक अर्थव्यवस्था पर वायरस के प्रभाव को कम करने के लिये सही ढंग से तैयार किये गए राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज की आवश्यकता है, जिसमें वायरस के प्रसार को रोकने के लिये स्वास्थ्य व्यय को प्राथमिकता और महामारी से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना शामिल हो।
- सभी राष्ट्रों को कुछ तात्कालिक नीतिगत उपायों की आवश्यकता है, जो न केवल महामारी को रोकने और जीवन को बचाने की दिशा में कार्य करें बल्कि समाज में सबसे कमजोर व्यक्ति को आर्थिक संकट से बचाने और आर्थिक विकास तथा वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में भी सहायक हों।

दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस (South Asia Economic Focus):

- यह दक्षिण एशिया में हुए हालिया आर्थिक विकास तथा निकट भविष्य के आर्थिक दृष्टिकोण को पेश करने वाला एक अर्द्धवार्षिक आर्थिक अद्यतन (Economic Update) है।
- इसमें दक्षिण एशिया के आठ देशों- अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, और श्रीलंका को कवर किया जाता है।
- इस आर्थिक अद्यतन में दक्षिण एशियाई देशों की आर्थिक स्थिरता, विकास, तथा समृद्धि का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है।

भारत-अमेरिका डॉलर विनिमय समझौते पर बातचीत

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आर्थिक क्षेत्र में COVID-19 के प्रभावों को देखते हुए भारत सरकार आने वाले दिनों में किसी भी अनिश्चितता की स्थिति से निपटने हेतु भारत और अमेरिका के बीच एक मुद्रा विनिमय समझौते (Currency Swap Agreement) पर सहमित के लिये प्रयास कर रही है।

मुख्य बिंदुः

- विश्व में COVID-19 से प्रभावित अन्य देशों की तरह भारत में भी स्वास्थ्य के अलावा कई अन्य क्षेत्रों में भी इसके गंभीर प्रभाव देखने को मिले हैं।
- आर्थिक क्षेत्र में COVID-19 से उत्पन्न हुए दबाव के कारण मार्च और अप्रैल में अब तक भारतीय इक्विटी और ऋण बाजार में संस्थागत विदेशी निवेशकों द्वारा बड़ी मात्रा में शेयर की बिक्री देखी गई है।
- ध्यातव्य है कि हाल ही में भारतीय रुपए में भारी गिरावट देखी गई और इस दौरान भारतीय रुपए की कीमत 1 अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 76 रुपए तक हो गई थी।
- 27 मार्च, 2020 तक भारत की विदेशी मुद्रा आस्तियां (Foreign Currency Assets) 7.50 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट के साथ 439.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गई।
- भारतीय रिज्ञर्व बैंक के आँकड़ों के अनुसार, भारतीय की कुल विदेशी मुद्रा अस्तियों में से 63.7% (256.17 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का निवेश विदेशी प्रतिभूतियों (विशेषकर अमेरिकी ट्रेजरी) में किया गया है।

विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign exchange reserves):

- किसी समय में एक देश/अर्थव्यवस्था के पास उपलब्ध कुल विदेशी मुद्रा उसकी विदेशी मुद्रा संपत्ति/भंडार कहलाती है।
- किसी देश के विदेशी मुद्रा भंडार से आशय उसकी विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों, स्वर्ण भंडार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में उसके 'विशेष आहरण अधिकार' (Special Drawing Rights-SDRs) तथा रिजर्व ट्रेन्च (Reserve Tranche) आदि से है।
- विदेशी मुद्रा भंडार, राष्ट्रीय मुद्रा में गिरावट या अस्थिरता को दूर करने में केंद्रीय बैंक की सहायता करते हैं।
- भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार को 'भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934' और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत विनियमित किया जाता है।

मुद्रा विनिमय (Currency Swap):

- एक द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौता दो देशों के बीच निश्चित विनिमय दर पर दी जाने वाली एक तरह की क्रेडिट लाइन है।
- एक विनिमय समझौते (Swap Arrangement) में अमेरिकी फेडरल रिजर्व विदेशी केंद्रीय बैंक को डॉलर प्रदान करता है और वह विदेशी केंद्रीय बैंक उस समय के बाज़ार विनिमय दर के आधार पर अमेरिकी फेडरल रिज़र्व को प्राप्त हए डॉलर के बराबर अपनी मुद्रा देता है।
- इसके साथ ही दोनों पक्ष एक निश्चित समय के बाद उसी विनिमय दर के आधार पर पुन: यह मुद्रा वापस करने के लिये एक समझौता करते
- इस तरह के विनिमय में कोई बाज़ार जोखिम (Market Risk) नहीं होता है क्योंकि इसकी शर्तें पहले से ही निर्धारित होती हैं।

लाभ:

- वर्तमान में COVID-19 के कारण आर्थिक क्षेत्र में उत्पन्न हुई चुनौतियों के बीच अमेरिका के साथ मुद्रा विनिमय की सुविधा से भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) को मुद्रा अस्थिरता से निपटने में सहायता प्राप्त होगी।
- अमेरिका के साथ मुद्रा विनिमय समझौते से भारतीय मुद्रा में आयात और निवेश करने वाले व्यापारियों के आत्मविश्वास को बढावा मिलेगा।
- हालाँकि विशेषज्ञों के अनुसार, वर्तमान में भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत स्थिति में है, कच्चे तेल की गिरती कीमतें भी भारत के पक्ष में है और चालू खाते (Current Account) की स्थिति भी मजबूत हुई है, ऐसे में भारत बगैर किसी परेशानी के इस संकट से निपटने में सक्षम है, परंतु अमेरिकी फेडरल रिज़र्व के साथ 'स्वैप लाइन' (Swap Line) का होना RBI को विदेशी मुद्रा बाजार के लिये अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करेगा।

FMCG कंपनियों की क्षमताओं का आधे से भी कम उपयोग

चर्चा में क्यों?

COVID-19 के प्रसार के कारण देश में लॉकडाउन की स्थिति और 'कंटेनमेंट जोन्स' के निर्माण के कारण तीव्र बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुओं (Fast Moving Consumer Goods-FMCGs) का निर्माण करने वाली कंपनियों के अधिकांश संयत्रों में विनिर्माण गतिविधियों में कमी है।

तेजी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुएँ (FMCGs)

- FMCGs से अभिप्राय उन उत्पादों से है, जिन्हें अपेक्षाकृत कम कीमत पर किंतु तीव्रता के साथ बेचा जाता है।
- हालाँकि FMCGs की बिक्री पर परिशुद्ध लाभ अपेक्षाकृत कम होता है, लेकिन आम तौर पर इन वस्तुओं को बडी मात्रा में बेचे जाने के फलस्वरूप इन उत्पादों पर संचयी लाभ काफी अधिक होता है।
- इन वस्तुओं के सामान्य उदाहरणों में दैनिक उपयोग में आने वाली उपभोक्ता वस्तुएँ है, जैसे- साबुन, सौंदर्य प्रसाधन, ट्रथपेस्ट, शेविंग का सामान और डिटर्जेंट तथा गैर-टिकाऊ वस्तुएँ, जैसे- काँच का सामान, बल्ब, बैटरी, कागज के उत्पाद और प्लास्टिक आदि।

FMCG कंपनियों के प्रभावित होने के कारण:

- कच्चा माल, वस्तुओं और श्रम की आवाजाही प्रतिबंधित होने से, आवश्यक उत्पाद बनाने के बावजूद, FMCGs की बिक्री प्रभावित हुई है।
- FMCG कंपनियाँ पहले से ही सामान्य मंदी से उबरने की कोशिश कर रही थीं। इसलिये केवल 20 % से 40% क्षमता उपयोग ही कर पाना चिंता का विषय है।
- वर्तमान संकट से निपटने और बाजार में तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये खाद्य और स्वच्छता वस्तुओं के उत्पादन पर ही अधिक बल दिया जा रहा है।
- परिवहन सुविधाओं के बंद होने की वजह से FMCGs की आपूर्ति शृंखला प्रभावित हुई है।
- लॉकडाउन के कारण FMCGs कंपनियों में श्रिमकों की उपस्थित संख्या 25% तक ही रह गई है।

पूर्व में सरकार द्वारा की गई पहलें

- भारत सरकार द्वारा सिंगल-ब्रांड रिटेल में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और मल्टी-ब्रांड रिटेल में 51 प्रतिशत FDI को मंजूरी री दी गई है।
- भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के लिये सरल, त्विरत, सुलभ, सस्ती और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिये एक व्यापक तंत्र स्थापित करने पर विशेष बल देने के साथ एक नए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक का मसौदा तैयार किया है।
- वस्तु एवं सेवा कर (Goods &Service tax-GST) FMCGs उद्योग के लिये लाभकारी है। उदाहरण स्वरूप बुनियादी खाद्य उत्पाद जैसे दूध, चावल, गेहूं और ताजी सब्जियाँ 0% दर के अंतर्गत रखे गए हैं।
- GST से FMCG क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स को एक आधुनिक और कुशल मॉडल में परिवर्तित करने की उम्मीद है।

आगे की राहः

- आवश्यक वस्तुओं के खुदरा विक्रेताओं और विनिर्माताओं ने विभिन्न सरकारी विभागों से सिफारिशें की हैं कि आवश्यक वस्तुओं का विनिर्माण और बिक्री सुचारु रूप से जारी रहे जिससे लॉकडाउन में बंद परिवारों को आपूर्ति में कोई कमी ना आए।
- लोकडाउन की समाप्ति के पश्चात खुदरा और विनिर्माण कंपनियाँ चरणबद्ध तरीके से क्षमता उपयोग पर काम कर सकती है।

FPIs लाभांश पर उच्च प्रतिधारण / विथहोल्डिंग कर

चर्चा में क्यों?

बजट 2020-21 में 'विथहोल्डिंग कर' (Withholding Tax) के भुगतान के संबंध में उत्पन्न अनिश्चितता को हाल ही में संसद द्वारा पास किये गए 'वित्त अधिनियम', वर्ष 2020 (Finance Act, 2020) माध्यम से दूर किया गया।

मुख्य बिंदुः

- वित्त अधिनियम में स्पष्ट किया गया है कि गैर-निवासियों के लाभांश पर 20% कर की दर (प्लस अधिभार तथा उपकर) लागू होगी।
- निवासियों पर न्यून कर की दर लागू की जा सकती है यदि भारत तथा 'विदेशी पोर्टफोलियो निवेश' (Foreign portfolio investment- FPIs) निवेशक देशों के मध्य 'दोहरा कराधान अपवंचन समझौता' (Double Taxation Avoidance Agreement- DTAA) संधि है।

विथहोल्डिंग कर:

 एक ऐसी राशि है जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की आय से सीधे काटी जाती है और सरकार को व्यक्तिगत कर देयता के हिस्से के रूप में भुगतान की जाती है।

लाभांश वितरण कर (Dividend Distribution Tax):

- लाभांश वितरण कर वह कर है जो कॉर्पोरेट द्वारा अपने शेयरधारकों को दिये गए लाभांश पर देय होता है।
- एक कॉर्पोरेट इकाई के लिये उच्च लाभांश का मतलब होता है कर का अधिक बोझ।

क्यों थी अनिश्चितता की स्थिति?

- बजट 2020-21 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के DDT भुगतान के मामलें में अनिश्चितता थी। आयकर अधिनियम की धारा 195; जो स्रोत में कटौती कर (Tax Deducted at Source- TDS) या गैर-निवासियों के विथहोल्डिंग कर से संबंधित है, के तहत कर की दर को सही से निर्दिष्ट नहीं किया गया है।
- धारा 196D केवल FPIs से संबंधित है। FPIs को गैर-निवासियों के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है तथा इन पर आयकर अधिनियम की धारा 196D के तहत विथहोल्डिंग कर की दर निर्धारित की जाती है।
- धारा 196D के अनुसार लाभांश भुगतान पर 20% (प्लस अधिभार और उपकर) की दर लागू होती है तथा कर संधि के कारण FPIs की कर देयता कम होने पर भी विथहोल्डिंग कर की दर में कमी का प्रावधान नहीं है।

- जबिक FPIs के अलावा अन्य गैर- निवासियों के कर प्रावधानों को धारा 195 में संहिताबद्ध किया गया है। DTAA कर संधि के तहत
 FPIs की देनदारी 5, 10 या 15 प्रतिशत है, तो वैचारिक रूप से, कंपनियों को इसी दर पर कर भुगतान करना होता है।
- सवाल यह है कि क्या धारा 196D तथा धारा 195 को एक साथ पढ़ना चाहिये या केवल धारा 196D को जो केवल FPIs से संबंधित है।

संशोधन का महत्त्व:

• ऐसी संभावना थी कि गैर-निवासियों (FPIs के अलावा) के लिये TDS कर संधि की व्यवस्था नहीं होने पर यह 30-40 प्रतिशत तक हो सकता है। वित्त अधिनियम में संशोधन द्वारा इस मुद्दे का समाधान करने का प्रयास किया गया है।

वित्त विधेयकः

- संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते समय संविधान के अनुच्छेद 110(1)(क) की अपेक्षा को पूरा करने के लिये वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें बजट में प्रस्तावित कर लगाने, हटाने, माफ करने अथवा विनियमन का ब्यौरा दिया जाता है।
- इसमें बजट संबंधी अन्य उपबंध भी होते हैं जिन्हे धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित है, वित्त विधेयक एक धन विधेयक है।

COVID-19 के कारण मनरेगा के तहत रोज़गार में गिरावट

चर्चा में क्यों?

COVID-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिये लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण देश में 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' (मनरेगा) के तहत अप्रैल 2020 में रोजगार पाने वाले लोगों की संख्या पिछले महीनों की तुलना में घटकर मात्र 1% रह गई है।

मुख्य बिंदुः

- मनरेगा के तहत रोजगार में गिरावट को देखते हुए कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उच्चतम न्यायालय में यह मांग करते हुए एक अपील दायर की है कि सरकार को भी अन्य नियोक्ताओं/संस्थाओं की तरह ही उच्चतम न्यायलय के आदेश का पालन करते हुए लॉकडाउन के दौरान सभी मनरेगा कार्ड धारकों को पूर्ण मजद्री देनी चाहिये।
- मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2020 में अभी तक मनरेगा के तहत देशभर में मात्र 1.9 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
- वेबसाइट पर उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, लॉकडाउन लागू होने से पहले मार्च 2020 में देशभर में मनरेगा के तहत लगभग 1.6 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया जबिक फरवरी 2020 में मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या लगभग 1.8 करोड़ थी।
- अप्रैल 2020 में देश में इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज़्यादा (70,000 से अधिक) परिवारों को रोज़गार प्रदान किया गया।
- इस दौरान मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोज्ञगार उपलब्ध कराने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा, आंध्र प्रदेश में अप्रैल 2020 में मनरेगा के तहत रोज्ञगार पाने वालों की संख्या 53,000 से अधिक रही।

ग्रामीण भारत के विकास में मनरेगा की भूमिका:

- वर्ष 2005 में इस योजना के लागू होने के बाद से ही इस योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास के साथ मजदूरों के अधिकारों की जागरूकता, कार्य क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि आदि के द्वारा ग्रामीण विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।
- इस योजना के तहत आवेदन के 15 दिनों के भीतर ही आवेदक को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, 15 दिनों के भीतर रोजगार न मिलने की स्थिति में आवेदक को भत्ता दिये जाने का प्रावधान है।
- इस योजना के तहत रोज़गार प्राप्त करने वालों में एक-तिहाई (1/3) महिलाओं का होना अनिवार्य है, अत: इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के माध्यम से समाज में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने में सहायता मिली है।

- इस योजना के तहत आवेदक को स्थनीय स्तर (5 किमी. की सीमा में) पर रोजगार उपलब्ध करा कर ऐसे बहुत से लोगों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में सहायता मिली है जिनके लिये किन्हीं कारणों से रोजगार हेतु शहरों में पलायन करना संभव नहीं था।
- ग्रामीण स्तर पर आधारिक संरचना के विकास में भी इस योजना का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।

ग्रामीण रोजगार पर COVID-19 का प्रभाव:

- देश में COVID-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिये लागू लॉकडाउन के तहत अन्य उद्योगों/व्यवसायों से अलग मनरेगा के लिये कोई विशेष छूट प्रदान नहीं की गई थी।
- हालाँकि राज्यों को सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) को बनाए रखते हुए योजना को चालू रखने के निर्देश दिये गए थे।
- वर्तमान में मनरेगा के तहत देश के विभिन्न राज्यों में प्रतिदिन की मज़दूरी औसतन 209 रुपए और वर्ष में 100 दिनों के रोज़गार की गारंटी के साथ यह योजना गरीबी में रह रही एक बड़ी आबादी के लिये आजीविका का मुख्य साधन तथा ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ (Backbone) मानी जाती है।
- वर्तमान में इस योजना के तहत 7.6 करोड़ परिवारों को जॉब कार्ड प्रदान किया गया है और पिछले वर्ष लगभग 5.5 करोड़ परिवारों को इस योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराया गया था।
- लॉकडाउन के कारण मंडियों के बंद होने और कृषि उपज की आपूर्ति बाधित होने का प्रभाव इससे जुड़े रोजगारों पर भी पड़ा है।
- COVID-19 के कारण उद्योगों के बंद होने से बड़ी संख्या में भारत के विभिन्न शहरों से गाँवों की तरफ मजदूरों का पलायन हुआ है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी और कामगारों की अधिकता तथा प्रतिस्पर्द्धा के कारण ग्रामीण असंगठित क्षेत्र (दिहाड़ी, कृषि मजदूर आदि) की मजदूरी में कमी आई है।
- शहरों से होने वाले पलायन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों की वृद्धि के बीच मनरेगा जैसी योजनाओं के अंतर्गत रोजगार की कमी होना एक बड़ी चिंता का विषय है।
- मार्च 2020 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' राहत पैकेज जारी करते समय मनरेगा की मजदूरी में 20 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि करने की घोषणा की थी, परंतु COVID-19 के कारण इस योजना के तहत रोजगार न उपलब्ध होने की स्थिति में मजदूरों को इस वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाएगा।
- वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में भले ही COVID-19 के मामले अधिक न हों परंतु यदि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अस्थिरता पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में यह एक बड़ी समस्या बन सकती है।

समाधान:

- भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 14 अप्रैल, 2020 को COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिये देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई, 2020 तक पुन: बढ़ा दिया गया है, ऐसे में आर्थिक सहायता के साथ ही अन्य प्रयासों से सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गित प्रदान करने के प्रयास किये जाने चाहिये।
- जिन क्षेत्रों में COVID-19 के कारण रोजगार उपलब्ध कराना संभव न हो वहाँ मनरेगा कार्ड धारकों को बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध कराया जाना चाहिये (उदाहरण- हाल ही में ओडिशा सरकार ने मनरेगा कार्ड धारकों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिये केंद्र सरकार की अनुमित मांगी थी।)
- मनरेगा योजना की एक और बड़ी समस्या समय पर मजदूरी का भुगतान न होना है, ऐसे में सरकार को सभी बकाया मजदूरियों का समय पर भुगतान किया जाना चाहिये।
- मनरेगा के तहत महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि और इसके तहत कौशल विकास के प्रयासों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- अन्य क्षेत्रों और रोजगार के अवसरों को मनरेगा के तहत शामिल किया जाना चाहिये जिससे अधिक-से-अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।

लॉकडाउन के दौरान किसानों के लिये उपाय

चर्चा में क्यों?

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare) ने लॉकडाउन अविध के दौरान किसानों और कृषि गतिविधियों की सुविधा के लिये कई उपायों की घोषणा की है।

विभाग द्वारा किये गए उपाय

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (National Food Security Mission-NFSM) के तहत राज्यों को बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये बीजों से संबंधित सब्सिडी 10 वर्ष की अविध से कम वाले बीज के किस्मों के लिये होगी।
 - ◆ साथ ही NFSM के तहत आने वाली सभी फसलों के लिये पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर और पहाड़ी क्षेत्रों में सब्सिडी वाले घटक हेतु दृथ लेबल (Truthful Label) की अनुमित देने का भी निर्णय लिया गया है।
 - ◆ 24 मार्च, 2020 से शुरू हुई लॉकडाउन अविध के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत लगभग 8.31 करोड़ किसान परिवारों को लाभान्वित किया गया है और अब तक 16,621 करोड़ रुपए वितरित किये गए हैं।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PM-GKY) के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को वितरण के लिये लगभग 3,985 मीट्रिक टन दाल भेजी गई है।
- पंजाब में परंपरागत कृषि विकास योजना (Paramparagat Krishi Vikas Yojana-PKVY) के तहत विशेष रूप से डिजाइन की गई इलेक्ट्रिक वैन के माध्यम से घरों में जैविक उत्पादों (Organic Products) की डिलीवरी की जा रही है।
- महाराष्ट्र में 27,797 FPOs द्वारा 34 जिलों में ऑनलाइन तथा प्रत्यक्ष बिक्री माध्यम से 21,11,171 क्विंटल फल और सब्जियाँ बेची गई हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (National Food Security Mission-NFSM)

- चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिये वित्तीय वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) की शुरुआत की गई थी।
- इस मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित माध्यमों से चावल, गेंहूँ और दाल के उत्पादन में वृद्धि करना है:
 - उत्पादन क्षेत्र का विस्तार और उत्पादकता में वृद्धि
 - मिट्टी की उर्वरता को बहाल करना
 - रोज़गार के अवसर पैदा करना
 - कृषि स्तर की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना
- ध्यातव्य है कि मोटे अनाज को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत वर्ष 2014-15 में शामिल किया गया था।
 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24
 फरवरी, 2019 को लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
- इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता (Direct Income Support) उपलब्ध कराई जाती है।
- यह आय सहायता 2,000 रुपए की तीन समान किस्तों में लाभान्वित किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतिरत की जाती है, तािक संपूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

किसान उत्पादक संगठन (FPOs)

 'िकसान उत्पादक संगठनों' का अभिप्राय किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के समूह से होता है। इस प्रकार के संगठनों का प्रमुख उद्देश्य कृषि से संबंधित चुनौतियों के प्रभावी समाधान की खोज करना होता है।

- FPO प्राथमिक उत्पादकों जैसे- किसानों, दुध उत्पादकों, मछुआरों, बुनकरों और कारीगरों आदि द्वारा गठित कानूनी इकाई होती है।
- FPO को भारत सरकार तथा नाबार्ड जैसे संस्थानों से भी सहायता प्राप्त होती है।

25 गरीब देशों का ऋण भुगतान रद्द

चर्चा में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund-IMF) ने दुनिया के 25 सर्वाधिक गरीब देशों के 6 महीने के ऋण भुगतान को रद्द करने के लिये 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है, तािक उन्हें कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी से निपटने में मदद मिल सके।

प्रमुख बिंदु

- IMF के कार्यकारी निदेशक द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, IMF के कार्यकारी बोर्ड ने 19 अफ्रीकी देशों सहित अफगानिस्तान, हैती, नेपाल, सोलोमन द्वीप, ताजिकिस्तान और यमन के लिये तत्काल ऋण राहत को मंज़ूरी दी है।
 - ◆ ऋण से राहत पाने वाले 19 अफ्रीकी देशों में शामिल हैं- बेनिन (Benin), बुर्किना फासो (Burkina Faso) सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक (Central African Republic) चाड (Chad) कोमोरोस (Comoros) कांगो (Congo) द गांबिया (The Gambia) गिनी (Guinea) गिनी-बिसाऊ (Guinea-Bissau), लाइबेरिया (Liberia), मेडागास्कर (Madagascar), मलावी (Malawi), माली (Mali), मोजाम्बिक (Mozambique), नाइजर (Niger), रवांडा (Rwanda), साओ टोम एंड प्रिंसिपे (Sao Tome and Principe) सिएरा लियोन (Sierra Leone) और टोगो (Togo)।
- IMF के अनुसार, गरीब और कमज़ोर देशों को दी जा रही यह राशि IMF के कटेस्ट्रोफी कंटेनमेंट एंड रिलीफ ट्रस्ट (Catastrophe Containment and Relief Trust-CCRT) से ली जाएगी।

महत्त्व

- IMF के इस निर्णय के तहत गरीब और सर्वाधिक कमज़ोर सदस्य देशों को आगामी 6 महीनों के लिये IMF से लिये गए ऋण के दायित्व को कवर करने हेतु अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें महत्त्वपूर्ण आपातकालीन चिकित्सा और अन्य राहत प्रयासों के लिये अपने दुर्लभ वित्तीय संसाधनों के प्रयोग का अवसर मिलेगा।
- विश्लेषकों ने IMF के इस निर्णय को एक सकारात्मक कदम बताया है। ध्यातव्य है कि इनमें से अधिकांश देश वित्तीय संसाधनों की कमी से जुझ रहे हैं, जिसके कारण इन देशों के लिये कोरोनावायरस महामारी और अधिक गंभीर हो गई है।
- इन देशों को अपनी स्वास्थ्य प्रणालियों में तत्काल प्रभाव से सुधार करने की आवश्यकता है और 6 महीने के लिये ऋण को रद्द करने से इन देशों को काफी मदद मिलेगी।

कटेस्ट्रोफी कंटेनमेंट एंड रिलीफ ट्रस्ट

(Catastrophe Containment and Relief Trust-CCRT)

- कटेस्ट्रोफी कंटेनमेंट एंड रिलीफ ट्रस्ट (CCRT) IMF को किसी विशेष प्राकृतिक आपदा अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा से प्रभावित सबसे गरीब और सर्वाधिक कमज़ोर देशों के लिये ऋण राहत के लिये अनुदान प्रदान करने की अनुमति देता है।
- CCRT का गठन फरवरी 2015 में इबोला (Ebola) वायरस के प्रकोप के दौरान किया गया था।
 - ◆ उल्लेखनीय है कि हाल ही में कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी के मद्देनजर मार्च 2020 में CCRT को संशोधित किया गया था।
- CCRT के तहत ऋण से राहत प्रदान करने का उद्देश्य गरीब देशों को वित्तीय संसाधनों को आपदा के दौरान उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयोग करने के लिये प्रोत्साहित करना है ताकि आपदा से जल्द-से-जल्द निपटा जा सके।

COVID-19: आर्थिक संकट

चर्चा में क्यों?

COVID-19 लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियों में अभूतपूर्व गिरावट आई है। इसका अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों पर वर्ष 2008 के आर्थिक संकट (लेहमन संकट) से भी बुरा प्रभाव देखने को मिलता है।

असमानताएँ:

- वर्ष 2008 का आर्थिक संकट का प्रभाव धीमी गित से लंबी अविध के पश्चात् प्रकट हुए, जबिक वर्तमान संकट के समय 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा के पश्चात् आर्थिक गितिविधियों में अचानक गिरावट आई है। बिजली उत्पादन और यात्री वाहनों की बिक्री पर इसका तत्काल प्रभाव पड़ा है।
- नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर के आँकड़ों के अनुसार, 24 मार्च के पश्चात् बिजली उत्पादन में 26 प्रतिशत की गिरावट आई है। इसके विपरीत सितंबर और अक्तूबर 2008 में आर्थिक संकट के चरम पर होने के बावजूद बिजली उत्पादन स्थिर था, क्योंिक आर्थिक गतिविधियों में कोई रुकावट नहीं थी।
- दिसंबर 2008 की तिमाही में कारों की बिक्री में गिरावट आई, लेकिन बाद में इसमें तीव्र गित से सुधार भी हो गया। मार्च 2020 में यात्री कारों की बिक्री वार्षिक आधार पर 51%और मासिक आधार पर 47% कम रही। यह अब तक की सबसे तीव्र गिरावट है।
- COVID-19 संकट उत्पन्न होने के मूल कारणों में स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी कारक हैं। वर्तमान संकट से पहले चीन तथा बाद में अन्य देशों में उत्पादन की आपूर्ति शृंखला प्रभावित हुई। इसके विपरीत वर्ष 2008 की मंदी ने पहले अमेरिकी वित्तीय प्रणाली को प्रभावित किया, जिससे अमेरिका में आवास की कीमतों और उत्पादन में गिरावट आई। बाद में इसने अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग क्षेत्र और वित्तीय बाजारों के साथ वैश्विक आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया।
- वर्तमान लॉकडाउन में एक स्वैच्छिक और अस्थायी प्रावधान के साथ अर्थव्यवस्था पर रोक लगाई गई है तािक संक्रमण फैलने की दर को कम किया जा सके। 2008-09 में सभी कार्यों का उद्देश्य वित्त को पुनर्जीवित करना था तािक अर्थव्यवस्था को बढ़ती सुस्ती से बाहर निकाला जा सके। इस समय वित्तीय संस्थानों में धन की कमी प्रमुख समस्या थी।

समानताएँ

- दोनों ही संकटों के उद्भव और प्रसार में अनिश्चितता की विद्यमानता रही है। वर्तमान संकट में कोरोना वायरस के प्रसार के बारे में सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। वर्ष 2008 के संकट के समय बिना नौकरी और संपत्ति वाले अमेरिकियों को ऋण दिया गया तथा उसके बुरे प्रभावों को छुपाए जाने के कारण अनिश्चितता में वृद्धि हुई। वर्तमान में चीन पर भी COVID-19 के जोखिमों को भी छुपाए जाने का आरोप लगाया जा रहा है।
- प्रमुख देशों के स्टॉक एक्सचेंजों में उनके मूल्य के एक-चौथाई भाग तक शुरुआती गिरावट दोनों संकटों के बीच समानता है।
- वर्ष 2008 के आर्थिक संकट द्वारा 'ग्लोबल सिस्टिमक' रूप से महत्त्वपूर्ण बैकों को तथा COVID-19 द्वारा वैश्विक आपूर्ति शृंखला को प्रभावित करने के कारण दोनों समय सार्वजिनक प्राधिकरणों की भूमिका में वापसी हुई, क्योंकि सरकारों द्वारा मौद्रिक और राजकोषीय सहायता करनी पड़ी।
 - मंदी (Recession): इसके निम्नलिखित लक्षण हैं -
- अर्थव्यवस्था में मांग का निम्न स्तर।
- तुलनात्मक रूप से कम मुद्रास्फीति।
- बेरोज़गारी दर में वृद्धि।
- मज़दूरों की जबरन छंटनी।

आगे की राहः

अपने उद्भव, प्रसार और प्रभावों के मामले में परस्पर कुछ समानताओं के साथ व्यापक असमानताएँ देखने को मिलती है। COVID-19 के प्रसार को देखते हुए इसके प्रभावों के बारे में अभी से मूल्यांकन करना जल्दबाजी होगी।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2020-21

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (Sovereign Gold Bond-SGB) जारी करने का निर्णय लिया है। ये बॉन्ड छह अवधि शृंखलाओं में अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के मध्य जारी किये जाएंगे।

सॉवेरेन गोल्ड बॉन्ड की विशेषताएँ

- सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020 -2021 के नाम से ये बॉन्ड भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये जाएंगे।
- इनकी बिक्री विभिन्न व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवार (HUFs), ट्रस्ट, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थानों जैसे निकायों तक ही सीमित रहेगी।
- SGB को 1 ग्राम की बुनियादी इकाई के साथ सोने के ग्राम संबंधी गुणक में अंकित किया जाएगा।
- इनकी 8 वर्ष की समयाविध होगी और पाँचवें साल के पश्चात इससे बाहर निकलने का विकल्प रहेगा, जिसका इस्तेमाल ब्याज भुगतान की तिथियों पर किया जा सकता है।
- SGB की न्यूनतम स्वीकार्य सीमा 1 ग्राम सोना है।
- व्यक्तियों और HUFs के लिये 4 किलोग्राम तथा ट्रस्ट एवं इसी तरह के निकायों के लिये 20 किलोग्राम प्रति वित्त वर्ष (अप्रैल-मार्च) की अधिकतम सीमा होगी।
- SGB की बिक्री अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर), स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SHCIL), नामित डाकघरों और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के जिरये की जाएगी।
- संयुक्त रूप से धारण किये जाने की स्थिति में 4 किलोग्राम की निवेश सीमा केवल प्रथम आवेदक पर लागू होगी।
- बॉन्ड का मूल्य भारतीय रूपए में तय किया जाएगा। निर्गम मूल्य उन लोगों के लिये प्रति ग्राम 50 रुपए कम होगा जो इसकी खरीदारी ऑनलाइन करेंगे और इसका भुगतान डिजिटल मोड के जिरये करेंगे।
- बॉन्ड का भुगतान नकद (अधिकतम 20,000 रुपए तक), डिमांड ड्राफ्ट, चेक अथवा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के जरिये की जा सकेगी।
- निवेशकों को प्रति वर्ष 2.50 प्रतिशत की निश्चित दर से ब्याज दिया जाएगा, जो अंकित मूल्य पर हर छह महीने में देय होगा।
- इनका उपयोग ऋणों के लिये जमानत या गारंटी के रूप में किया जा सकता है।
- आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार, स्वर्ण बांड पर प्राप्त होने वाले ब्याज पर कर अदा करना होगा। किसी भी व्यक्ति को SGB के विमोचन पर होने वाले पूंजीगत लाभ को कर मुक्त कर दिया गया है।
- किसी भी निर्धारित तिथि पर बॉन्ड जारी होने के एक पखवाड़े के भीतर इनकी ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पर हो सकेगी।
- बैंकों द्वारा हासिल किये गए बॉन्डों की गिनती वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) के संदर्भ में की जाएगी।

वैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio-SLR)

- यह भारत में कार्य करने वाले सभी अनुसूचित बैंकों (देशी तथा विदेशी) की सकल जमाओं का वह अनुपात है जिसे बैंकों को अपने पास विद्यमान रखना होता है।
- यह नकद तथा गैर नकद-स्वर्ण या सरकारी प्रतिभूति किसी भी रूप में हो सकता है।
- वर्ष 2007 में इसकी 25 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा को समाप्त कर दिया गया। अब यह 25 प्रतिशत के नीचे भी रखा जा सकता है।
- SLR से बैंकों के कर्ज देने की क्षमता नियंत्रित होती है। अगर कोई बैंक मुश्किल परिस्थिति में फँस जाता है तो रिजर्व बैंक SLR की मदद से ग्राहकों के पैसे की कुछ हद तक भरपाई कर सकता है।

सॉवेरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के उद्देश्य: इस योजना के दो प्रमुख उद्देश्य हैं -

- 1. सोने की भौतिक मांग को कम करना, और
- 2. प्रतिवर्ष निवेश के उद्देश्य से आयात होने वाले सोने के एक हिस्से को वित्तीय बचत में परिवर्तित करना।

खुदरा महँगाई दर में कमी

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office-NSO) द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार खुदरा महँगाई दर मार्च महीने में घटकर 5.91% रही, जो पिछले चार महीनों का सर्वाधिक निचला स्तर है। फरवरी माह में यह दर 6.58% रही थी।

प्रमुख बिंदुः

- मार्च महीने में मुद्रास्फीति दर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा निर्धारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति लक्ष्य (2%-6%)
 के भीतर रही।
- देश भर में COVID 19 के कारण लॉकडाउन की वजह से मार्च माह से कीमत संग्रह के लिये फील्डवर्क को निलंबित कर दिया गया था। लगभग 66% डेटा कीमत उद्धरण से, जबकि शेष डेटा सिमुलेशन विधि से लिये गए।
- जारी आँकड़ों के अनुसार, देश के शहरी क्षेत्रों में खुदरा मुद्रास्फीति 5.56% तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 6.09% रही।

मुद्रास्फीति

- मुद्रास्फीति कीमतों के सामान्य स्तर में सतत् वृद्धि है। अगर किसी एक वस्तु या सेवा के दाम बढ़ जाए तो वह मुद्रास्फीति नहीं है।
- मुद्रास्फीति दर को मूल्य सूचकांक के आधार पर मापा जाता है, जो दो प्रकार के होते हैं-
 - 1. थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index-WPI)
 - 2. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index-CPI)
- मुद्रास्फीति के कारणः
 - 1. मांग जनित कारण
 - 2. लागत जनित कारण
- नियंत्रण के उपाय:
 - 1. अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को कम करना।
 - 2. उत्पादन में वृद्धि अथवा उत्पादों का आयात करना।
 - 3. उत्पादन तकनीक में सुधार कर उत्पादों की लागत कम करना।

मुद्रा स्फीति के कम होने के कारण:

- देशव्यापी लॉकडाउन के कारण मार्च महीने में उत्पादन सामग्री और कच्चे माल तथा उत्पादों की कीमत में वृद्धि कम हुई है।
- COVID-19 के तीव्र प्रसार तथा मौजूदा लॉकडाउन के समय उच्च अनिश्चितता की स्थिति वर्तमान प्रत्याशित मांग तथा 'कोर मुद्रास्फीति' में कमी ला सकती है।
- प्रत्याशित मांग में कमी के प्रमुख कारण बेरोजगारी तथा वेतन में कटौती, ऋण भार में वृद्धि, सार्वजिनक व्यय में कमी की वजह से बाजार में तरलता का अभाव है।
- लॉकडाउन के समय 'समाजिक दूरी' के परिणामस्वरूप सेवा क्षेत्र में परिवहन, मनोरंजन तथा संचार का प्रभावित होना भी मुद्रास्फीति के कम होने का प्रमुख कारण है।

संभावित प्रभाव

- RBI के लिये अर्थव्यवस्था को उबारने के लिये गैर-परंपरागत कदम उठाने या नीतिगत दर में कटौती की संभावना बनेगी।
- 'लॉकडाउन के कारण मार्च महीने में उत्पादन सामग्री, कच्चे माल और उत्पादों की कीमत में कम वृद्धि होने से आने वाले समय में खुदरा मुद्रास्फीति में और कमी आ सकती है।
 आगे की राह:
- मार्च में खुदरा महँगाई दर के मोर्चे पर मिली राहत निकट भविष्य में बदल सकती है।
- देशव्यापी बंद के दौरान शहरी खुदरा महंगाई दर में वृद्धि की संभावना है। हालॉंकि, स्थिति सामान्य होने पर इसमें सुधार आ सकता है।

निर्यात संबंधी नियमों में परिवर्तन

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने COVID-19 के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने के लिये कुछ उपायों की घोषणा की है, जिसमें निर्यात आय की प्राप्ति तथा स्वदेश भेजने की अविध में बढ़ोतरी और राज्यों को अधिक ऋण लेने की अनुमित देना शामिल है।

प्रमुख बिंदु

- मौजूदा नियमों के अनुसार, निर्यातकों द्वारा वस्तुओं और सॉफ्टवेयरों के निर्यात की पूरी राशि निर्यात की तारीख से 9 महीने के भीतर देश में वापस लाना अनिवार्य होता है।
- RBI के अनुसार, कोरोनावायरस महामारी के कारण उत्पन्न हो रहे संकट के मद्देनज़र निर्यातों पर आय की प्राप्ति तथा उस आय को स्वदेश भेजने की अवधि 9 महीने से बढ़ाकर 15 महीने कर दी गई है।
- केंद्रीय बैंक ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिये 'वेज और मीन्स एडवांस लिमिट' (Ways and Means Advances Limit-WMA Limit) की समीक्षा करने के लिये एक सलाहकार सिमिति का गठन किया है।
- RBI के अनुसार, जब तक समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करती तब तक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिये WMA लिमिट को 30 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।
- WMA लिमिट की संशोधित सीमा 1 अप्रैल, 2020 से लागू होगी और 30 सितंबर, 2020 तक मान्य होगी।
- इसके अतिरिक्त RBI ने बैंकों के लिये काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर (Counter Cyclical Capital Buffer-CCyB) के कार्यान्वयन को भी टाल दिया है।
- RBI के अनुसार, CCyB संकेतकों की समीक्षा और विश्लेषण के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि आगामी एक वर्ष की अविध के लिये CCyB को सिक्रय करना आवश्यक नहीं है।

महत्त्व

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का यह निर्णय भारतीय निर्यातकों को विस्तारित अवधि के दौरान COVID-19 महामारी से प्रभावित देशों से निर्यात आय प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।
- इसके अलावा यह निर्यातकों को विदेशों में मौजूद खरीदारों के साथ भविष्य के निर्यात अनुबंधों पर बातचीत करने के लिये अधिक समय प्रदान करेगा।

'वेज़ एंड मीन्स एडवांस' (Ways and Means Advances-WMA)

- सामान्यत: सरकारें एक पूरे वर्ष के लिये बजट का निर्माण करती हैं और उसमें सरकार की आय तथा प्राप्तियों का निर्धारण किया जाता है, किंतु कई अवसरों पर सरकार की आय उसके व्यय से कम हो जाती है।
- ऐसी स्थिति से निपटने के लिये सरकारें बाजार से ऋण लेने के स्थान पर प्रत्यक्ष तौर पर RBI से ऋण लेती हैं, जिसे 'वेज और मीन्स एडवांस' योजना कहा जाता है।
- RBI द्वारा 'वेज एंड मीन्स एडवांस' की शुरुआत वर्ष 1997 में की गई थी।

काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर (Counter Cyclical Capital Buffer-CCyB)

- कैपिटल बफर वह अनिवार्य पूंजी होती है जिसे वित्तीय संस्थानों को अन्य न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं के अतिरिक्त रखने की आवश्यकता होती है।
- काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर (CCyB) के तहत बैंकों के लिये यह अनिवार्य होता है कि वे उस समय अधिक पूँजी धारण करें जब क्रेडिट पूंजी से बढ़ रहा हो, तािक वित्तीय चक्र में गिरावट आने या अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिति खराब होने के दौरान प्रतिरोध को कम किया सके।

COVID- 19 महामारी के कारण रुपए के मूल्य में गिरावट

चर्चा में क्यों?

COVID- 19 महामारी के चलते भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 43 पैसे की गिरावट के साथ 76.87 रुपए के मुल्य स्तर पर आ गया।

मुख्य बिंदुः

- रुपए के मूल्य स्तर में यह गिरावट इसलिये आई है क्योंकि निवेशक जोखिमपूर्ण बाजारों से अपना निवेश निकालकर सुरक्षित देशों में ले जा
- घरेलू और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर COVID- 19 महामारी के प्रभावों के कारण निवेशकों की चिंता लगातार बढ़ रही हैं।
- हालाँकि 'यू. एस. डॉलर सूचकांक' (U.S. Dollar Index- USDX) का मूल्य 0.3% बढ़कर 99.19 स्तर पर पहुँच गया।

यू. एस. डॉलर सूचकांक (U.S. Dollar Index- USDX):

- USDX सूचकांक में विदेशी मुद्राओं के एक समूह या बास्केट के आधार पर अमेरिकी डॉलर का मूल्य निर्धारित किया जाता है।
- इस सूचकांक की गणना वर्तमान में विश्व की छह प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दरों के आधार पर की जाती है, जिसमें यूरो, जापानी येन, कनाडाई डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, स्वीडिश क्रोन तथा स्विस फ्रेंक शामिल है।

विदेशी विनिमय दरः

विदेशी विनिमय दर, एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा में कीमत है। यह विभिन्न देशों की मुद्राओं के बीच कड़ी है और अंतर्राष्ट्रीय लागतों और कीमतों की तुलना करने में सहायक है। उदाहरण के लिये, यदि हमें एक डॉलर के लिये 55 रुपए देने पड़ते हैं तो विनिमय की दर 55 रुपए प्रति डॉलर होगी।

विनिमय दर का निर्धारण:

अलग-अलग देशों की, मुद्रा विनिमय दर का निर्धारण करने की अलग-अलग प्रणालियाँ हैं। इसको 'लचीली विनिमय दर' (Floating Exchange Rate), 'स्थिर विनिमय दर' अथवा 'प्रतिबंधित लचीली विनिमय' दर के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

मुल्य हास तथा मुल्य वृद्धिः

विनिमय दर में वृद्धि का तात्पर्य है कि विदेशी मुद्रा डॉलर की कीमत, घरेलू मुद्रा (रुपए) के रूप में बढ़ गई है। इसे घरेलू मुद्रा (रुपए) का विदेशी मुद्रा (डॉलर) के रूप में 'मूल्य ह्वास' कहते हैं। लचीली विनिमय दर व्यवस्था के अंर्तगत, जब घरेलू मुद्रा की कीमत, विदेशी मुद्रा के रूप में बढ़ जाती है तो इसे घरेलू मुद्रा की, विदेशी मुद्रा के सापेक्ष 'मूल्य वृद्धि' कहते हैं।

विनिमय दर को प्रभावित करने वाले कारक:

- आयात और निर्यात:
 - ♦ विदेशी वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि तथा कमी, विनिमय की दर में बदलाव लाती है। यदि मांग में वृद्धि हो तो घरेलू मुद्रा में मूल्य ह्रास तथा मांग में कमी हो तो मूल्य वृद्धि देखी जाती है।
- मांग तथा आपूर्तिः
 - यह विनिमय दर, बाजार मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है।
- सट्टेबाजी (Speculation):
 - विनिमय दर केवल निर्यात और आयात की मांग एवं पूर्ति तथा परिसंपत्तियों में निवेश पर ही निर्भर नहीं करती है बल्कि विदेशी विनिमय के सट्टेबाजी पर भी निर्भर करती है, जहाँ विदेशी विनिमय की मांग मुद्रा की मूल्य वृद्धि से प्राप्त संभावित लाभ के लिये की जाती है।
 - ♦ किसी भी देश की मुद्रा एक प्रकार की पिरसंपित्त है। यदि भारतीयों को यह विश्वास हो कि ब्रिटिश पौंड के मूल्य में रुपए की अपेक्षा वृद्धि होने की संभावना है, तो वे पौंड को अपने पास रखना चाहेंगे तथा इससे पौंड की मांग बढ़ेगी।

- ब्याज की दरें और विनिमय दर:
 - ◆ अल्पकाल में विनिमय दर के निर्धारण में एक दूसरा कारक भी महत्त्वपूर्ण होता है, जिसे ब्याज दर विभेदक कहते हैं। अर्थात देशों के बीच ब्याज की दरों में अंतर होता है।
 - ♦ बैंक, बहुराष्ट्रीय निगम और धनी व्यक्ति, विशाल निधि के स्वामी होते हैं। जो अधिक आय प्राप्त करने के लिये ऊँची ब्याज दर की खोज में रहते हैं। निवेशकर्त्ता उच्च ब्याज दर की ओर आकर्षित होते हैं और अपने देश की मुद्रा को बेचकर अन्य देश की मुद्रा का क्रय करते हैं।
 - इस स्थिति में देश की मुद्रा की कम मांग होगी तथा इससे घरेलू देश की मुद्रा के मूल्य में ह्रास होगा। अत: किसी देश की आंतरिक ब्याज दर में वृद्धि होने पर घरेलू मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होगी।
- आय और विनिमय दर:
 - जब आय में वृद्धि होती है, तो उपभोक्ता के व्यय में भी वृद्धि होती है तथा इससे आयातित वस्तुओं पर व्यय में भी वृद्धि की संभावना होती है।
 - 🔷 जब आयात बढ़ता है तो इससे घरेलू मुद्रा के मूल्य में ह्रास होता है। यदि विदेशी आय में वृद्धि होती है तो घरेलू निर्यात में वृद्धि होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) का हस्तक्षेप:

- RBI मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करता है ताकि कमजोर होते रुपए तथा देश के आयात बिल को संतुलित कर सके।
- ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा RBI हस्तक्षेप करता है:
 - यह डॉलर की खरीद तथा बिक्री के माध्यम से सीधे मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप कर सकता है। अगर RBI रुपए के मूल्य को बढ़ाना चाहता है, तो वह डॉलर बिक्री कर सकता है और जब रुपए के मूल्य को नीचे लाने की आवश्यकता होती है, तो वह डॉलर खरीद सकता है।
 - केंद्रीय बैंक 'मौद्रिक नीति' (Monetary Policy) के माध्यम से रुपए के मूल्य को भी प्रभावित कर सकता है। RBI रेपो दर (जिस दर पर RBI बैंकों को उधार देता है) तथा 'तरलता अनुपात' उपायों का उपयोग कर मूल्य स्तर को समायोजित करता है।

निष्कर्षः

- वस्तुत: देखा जाए तो केवल रुपए का कमज़ोर होना चिंता की बात नहीं है। रुपए में कमज़ोरी आना तक आर्थिक विकास को प्रभावित करता है जब रुपए के कमज़ोर होने के साथ-साथ चालू खाता घाटा, मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा आदि नियंत्रण में न रहें।
- क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ के अनुसार, भारत की ऋणों के लिये विदेशी मुद्रा उधार पर कम निर्भरता अवमूल्यन के जोखिम को कम कर देती है। भारत का व्यापक घरेलू बाज़ार और स्थिर वित्तपोषण इसे बाहरी अस्थिरताओं से बचाने का कार्य करता है।

वर्ष 2020-21में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य

चर्चा में क्यों?

इस वर्ष 'सामान्य मानसून' के पूर्वानुमान के बाद, 'कृषि मंत्रालय' (Agriculture Ministry) ने वर्ष 2020-21 के लिये 298 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है।

मुख्य बिंदुः

- वर्ष 2020-21 के लिये खाद्यान उत्पादन का लक्ष्य वर्ष 2019-20 में अनुमानित उत्पादन लक्ष्य से लगभग 2% अधिक है।
- केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि सरकार मानसून-पूर्व और मानसून (जून-सितंबर) की अवधि के दौरान फसलों की बुवाई के संचालन को सुनिश्चित करने के लिये सभी आवश्यक उपाय कर रही है।

प्रमुख उत्पादन लक्ष्यः

• धान (चावल) और गेहूँ के उत्पादन का लक्ष्य वर्ष 2019-20 में उनके अनुमानित उत्पादन के स्तर पर ही रखा है। लेकिन दालों एवं मोटे अनाजों का उत्पादन लक्ष्य, अधिक रखा गया है।

- उम्मीद की गई है कि वर्ष 2020-21 में दालों एवं मोटे अनाजों के उत्पादन में वृद्धि होने से खाद्यान्न उत्पादन में भारत नवीन रिकॉर्ड को प्राप्त कर सकता है।
- खाद्यान्न की टोकरी (धान, गेहूँ, मोटे अनाज और दालों) के उत्पादन के लिये लक्ष्य निर्धारित करने के अलावा तिलहन के लिये वर्ष 2020-21 में लगभग 37 मिलियन टन से अधिक का लक्ष्य रखा है जो वर्ष 2019-20 के अनुमानित उत्पादन लक्ष्य से 3 मीट्रिक टन अधिक है। प्रमुख फसलों का उत्पादन:

मिलियन टन में उत्पादन	वर्ष 2018-19
कुल अनाज उत्पादन	285.21
चावल	116.48
गेहूँ	103.60
दाल	22.08

लॉकडाउन में किसानों को सहायता:

- लॉकडाउन अवधि के दौरान किसानों को उनकी बुवाई और कटाई के कार्यों को पूरा करने के लिये सभी प्रकार की छूट दी जा सकती है।
- सभी उर्वरक कंपनियों को अपने उत्पादों के सुचारू लाने ले जाने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- सभी राज्य, गाँव/ब्लॉक स्तरों पर फसल उत्पादों की खरीद सुनिश्चित करेंगे क्योंकि लॉकडाउन के कारण किसानों को अपने ब्लॉक से बाहर जाने की अनुमित नहीं है।
- कृषि मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन अवधि के दौरान 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन' (National Food Security Mission-NFSM), 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (PM-KISAN) योजना, 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' (PM-GKY) आदि के तहत किसानों और कृषि गतिविधियों की सुविधा के लिये कई उपायों की घोषणा की है।

आगे की राहः

खाद्य और कृषि के क्षेत्र में डिजिटल मार्केटिंग के रूप में 'वैकल्पिक बाजार' संबंधी विचारों को अपनाना चाहिये। वर्तमान में यह व्यवस्था COVID-19 के संक्रमण को कम करने के साथ ही कृषि क्षेत्र में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी बन सकती है। साथ ही भविष्य में इस माध्यम को बढ़ावा देकर देश में कृषि से जुड़ी अर्थव्यवस्था को एक नई गति प्रदान की जा सकती है।

भारतीय विनिर्माण क्षेत्र

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने विनिर्माण क्षेत्र के लिये आदेश बहियों, माल-सूचियों और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (Order books, Inventories and Capacity Utilisation Survey-OBICUS) का 49वां दौर शुरू किया है। यह सर्वेक्षण जनवरी-मार्च 2020 (2019-20 की चौथी तिमाही) के लिये आयोजित किया जा रहा है।

प्रमुख बिंद

- RBI के अनुसार, इस सर्वेक्षण के आँकड़े सर्वेक्षण पूरा होने के पश्चात् कुछ ही समय में RBI के इनपुट के साथ जारी किये जाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि RBI ने 3 अप्रैल, 2020 को विनिर्माण क्षेत्र के लिये अक्तूबर-दिसंबर 2019 के दौरान OBICUS के 48वें दौर के आँकडे जारी किये थे. इस दौरान 704 विनिर्माण कंपनियों को कवर किया गया था।
- सर्वेक्षण के 48वें संस्मरण के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही में क्षमता उपयोग (Capacity Utilisation-CU) घटकर 68.6 प्रतिशत रह गया था, जो उससे पिछली तिमाही में 69.1 प्रतिशत था।

आदेश बहियों, माल-सूचियों और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण

(Order books, Inventories and Capacity Utilisation Survey-OBICUS)

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) वर्ष 2008 से प्रत्येक वर्ष तिमाही आधार पर आदेश बहियों, माल-सूचियों और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (OBICUS) का आयोजन कर रहा है।
- यह सर्वेक्षण मौद्रिक नीति के निर्माण के लिये आवश्यक बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है।
- इस सर्वेक्षण में एक विशिष्ट तिमाही के दौरान प्राप्त हुआ नए आदेशों (New Orders), तिमाही की शुरुआत में आदेशों के संचय (Backlog) और तिमाही के अंत में लंबित आदेशों (Pending Orders) के डेटा को शामिल किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण में तिमाही के अंत में अधिनिर्मित उत्पादन (Work-in-Progress) और पूर्णरूप से निर्मित वस्तुओं (Finished Goods) का डेटा भी शामिल होता है।
- RBI द्वारा सर्वेक्षण से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के माध्यम से क्षमता उपयोग (Capacity Utilisation-CU) के स्तर का अनुमान लगाया जाता है।

भारतीय विनिर्माण क्षेत्र

- बीते कुछ वर्षों में भारतीय विनिर्माण क्षेत्र भारत में कुछ प्रमुख उच्च विकास क्षेत्रों में से एक के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष
 2014 में वैश्विक स्तर पर भारत को एक विनिर्माण हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया 'कार्यक्रम की शुरुआत की थी और भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक पहचान दिलाई थी।
- अनुमानानुसार, वर्ष 2020 के अंत तक भारत दुनिया का पाँचवाँ सबसे बड़ा विनिर्माण देश बन जाएगा, किंतु मौजूदा समय में कोरोनावायरस महामारी का प्रभाव भारत के विनिर्माण क्षेत्र पर भी पड सकता है।
- वर्ष 2017-18 के आँकड़ों के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र भारत की GDP में कुल 16.7 प्रतिशत योगदान देता है।
- 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत भारत सरकार का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत की GDP में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को 25 प्रतिशत तक बढाना है और विनिर्माण क्षेत्र में तकरीबन 100 मिलियन नए रोजगारों का निर्माण करना है।

विनिर्माण क्षेत्र का महत्त्व

- विश्व के जितने भी बड़े और संपन्न राष्ट्र हैं उनके विकास की कहानी को देखें तो ज्ञात होता है कि भारत किन मोर्चों पर पीछे रह गया है।
- दरअसल, औद्योगिक क्रांति ने समूचे विश्व को यह दिखाया कि यदि किसी देश का विनिर्माण क्षेत्र मजबूत हो तो वह किस प्रकार उच्च आय वाला देश बन सकता है।
- चीन इस तथ्य का एक प्रमुख उदाहरण है। हालाँकि कुछ ऐसे भी देश रहे हैं जिन्होंने विनिर्माण के स्थान पर सेवा क्षेत्र (Service-Sector) को बढ़ावा दिया और बेहतर विकास किया, किंतु ऐसे देश आकार और जनसंख्या की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटे हैं।
- कोई देश जितना कम विनिर्माण करता है उसका आयात उतना ही अधिक होता है। आयात और निर्यात के बीच बढ़ती दूरी व्यापार असंतुलन को बढ़ावा देती है। अत: व्यापार संतुलन को बनाए रखने में विनिर्माण क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।
- विनिर्माण क्षेत्र में कार्य करने वाला कार्यबल कौशल युक्त होता है और तकनीकी विकास के साथ उसके कौशल में और भी वृद्धि होती है।
 यदि विनिर्माण क्षेत्र आगे बढ़ता है तो श्रमबल को बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त करने के अवसरों में भी वृद्धि होती है जिससे वह कौशल युक्त बनता है।

निष्कर्ष

विनिर्माण क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। किंतु मौजूदा COVID-19 महामारी का देश के विनिर्माण क्षेत्र पर काफी अधिक प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस प्रकार आवश्यक है कि सरकार कोरोनावायरस को मद्देनजर रखते हुए देश के विनिर्माण क्षेत्र के विकास हेतु उपर्युक्त नीति का विकास करे, ताकि अर्थव्यवस्था के एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र को संकट की स्थिति से बचाया जा सके।

COVID- 19 का बैंकों के NPA पर प्रभाव

चर्चा में क्यों?

'सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों' (Public sector banks- PSBs) ने मार्च 2020 में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋणों के 'गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों' (Non-Performing Assets- NPAs) में परिवर्तित हो जाने पर केंद्र सरकार से अपनी चिंता व्यक्त की है।

मुख्य बिंदुः

- 'भारतीय रिजर्व बैंक' (Reserve Bank of India- RBI) ने परिसंपत्तियों के वर्गीकरण को महामारी के दौरान स्थिगत करने के PSBs के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।
- उधारकर्त्ता जिन्हें विशेष उल्लेख खातों -2 (Special Mention Accounts- 2- SMA-2) के रूप में वर्गीकृत किया गया था, संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली में मार्च के अंत तक 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि NPA में बदल गई। यह NPA मुख्य रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (Micro, Small and Medium Enterprises- MSMEs) से संबंधित है।

विशेष उल्लेख खाता (Special Mention Account-SMA):

- SMA खाता उधारकर्त्ताओं द्वारा ऋण दायित्वों को पूरा न कर पाने पर ऋण के प्रारंभिक तनाव (Stress) को प्रदर्शित करता है। हालाँकि इस खाते को अभी तक NPA के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है।
- इस तरह के खातों की शीघ्र पहचान से बैंक परिसंपत्ति के NPA में बदलने से पूर्व ही आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई शुरू करने में सक्षम होते हैं।
- SMA में निम्नलिखित प्रकार से ऋण/अग्रिम खातों को वर्गीकृत किया जाता है:

SMA उप-श्रेणियाँ	मूलधन या ब्याज का भुगतान में विलंब
SMA- 0	1-30 दिन
SMA- 1	31-60 दिन
SMA- 2	61- 90 दिन

गैर-निष्पादनकारी संपत्तिः

- सामान्य रूप से वह संपत्ति जिस पर ब्याज/मूलधन 90 दिनों तक बकाया हो, उसे गैर-निष्पादनकारी संपत्ति कहा जाता है।
- NPA को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है।
- सब-स्टैंडर्ड एसेट्स (Sub-¬Standard Assets):
 - ♦ 12 माह या इससे कम अविध तक NPA के रूप में बने रहने वाली संपत्ति।
- डाउटफुल एसेट्स (Doubtful Assets):
 - अगर कोई संपत्ति 12 माह तक सब-स्टैंडर्ड की श्रेणी में बनी रहे।
- लॉस एसेट्स (Loss Assets):
 - ◆ यह न वसूल की जा सकने वाली और अत्यंत कम मूल्य वाली संपत्ति होती है। बैंक द्वारा इसके परिसंपत्ति के रूप में बने रहने की पुष्टि नहीं की जाती है।

RBI का पैकेज:

- RBI ने क्रेडिट कार्ड और कार्यशील पूंजी (Working Capital) के साथ ही कृषि, खुदरा एवं सभी प्रकार के फसल ऋणों के भुगतान अविध को तीन माह के लिये बढ़ा दिया है। ये लाभ 1 मार्च से 31 मई के दौरान उपलब्ध रहेंगे।
 - ♦ कार्यशील पूंजी ऋण एक ऐसा ऋण होता है, जो कंपनी के रोज़मर्रा के कामों को पूरा करने के लिये लिया जाता है।

बैंकों का पक्षः

- बैंकों ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह RBI से आधिकारिक स्पष्टीकरण ले कि COVID- 19 प्रभाव से निपटने के लिये RBI द्वारा राहत पैकेज के हिस्से के रूप में ऋणों की वसूली पर लगाई गई रोक 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों' (Non-Banking Financial Companies- NBFC) तक विस्तारित होगी या नहीं।
- यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि RBI ने भुगतान अविध को कार्यशील पूंजी और खुदरा ग्राहकों के लिये बढ़ाया है, जबिक NBFC के पास कार्यशील पूंजी की कोई अवधारणा नहीं होती है, अत: भुगतान के नियम उन पर लागू नहीं होंगे।

NBFC तक पैकेज विस्तार का फायटा:

• पैकेज के NBFC तक विस्तार करने पर इनके द्वारा MSME को दिये गए ऋण की गारंटी सरकार द्वारा दी जाएगी। सरकार द्वारा सुनिश्चित किये जाने पर ऋण की वापसी की बैंकों को 100% गारंटी होगी।

राशन वितरण से लगभग 10 करोड़ लोग वंचित

चर्चा में क्यों?

ज्याँ द्रेज (Jean Dreze) और रीतिका खेड़ा (Reetika Khera) जैसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों के अनुसार, सार्वजिनक वितरण प्रणाली के तहत किये जा रहे राशन वितरण से लगभग 10 करोड़ लोग वंचित हैं।

प्रमुख बिंदुः

- वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) के तहत कुल आबादी के 67% हिस्से को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System) के माध्यम से राशन वितरण किया जाता है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 75% और शहरी क्षेत्रों में 50% लोग शामिल हैं।
- ध्यातव्य है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है।
 - ♦ वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लगभग 80 करोड़ लोगों को कवर किया जा रहा है।
- हालाँकि, वर्ष 2020 के लिये अनुमानित 137 करोड़ की आबादी हेतु 67% के अनुपात को लागू करने पर हम पाते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लगभग 90 करोड़ लोग कवर होने चाहिये। इसका तात्पर्य यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण से लगभग 10 करोड़ लोग वंचित होंगे।
- उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन के कारण नौकरी खो चुके लोग अब सिर्फ सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर आश्रित हैं। इन्हीं परिस्थितियों के बीच COVID-19 के कारण देशभर में लॉकडाउन की वजह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित खामियाँ सामने आई हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System-PDS):

- सार्वजिनक वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ता खाद्यान्न आम लोगों तक पहुँचाया जाता है, जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है।
- केंद्र सरकार सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराती है और उसका वितरण स्थानीय स्तर पर राज्य सरकारों द्वारा आवंटित उचित दर की दुकानों (राशन की दुकान) के द्वारा किया जाता है।

राज्यों से संबंधित आँकड़े:

- विशेषज्ञों के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन वितरण से उत्तर प्रदेश में 2.8 करोड़ लोग और बिहार में 1.8 करोड़ लोग वंचित होंगे।
 - ◆ वर्ष 2016 से जन्म और मृत्यु दर का उपयोग कर अनुमानित जनसंख्या वृद्धि दर और जनसंख्या की गणना की जा रही है, जबिक वास्तविक जनसंख्या इससे कहीं ज्यादा है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 (National Food Security Act-2013):

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक ऐतिहासिक पहल है जिसके माध्यम से निर्धनों, महिलाओं एवं बच्चों की खाद्य और पोषण सुरक्षा सनिश्चित की जाती है।
- इस अधिनियम में शिकायत निवारण तंत्र की भी व्यवस्था है। अगर कोई लोकसेवक या अधिकृत व्यक्ति इसका अनुपालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध शिकायत पर सुनवाई का प्रावधान किया गया है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत गरीबों को 2 रुपए प्रति किलो गेहँ और 3 रुपए प्रति किलो चावल देने की व्यवस्था की गई है। इस कानून के तहत व्यवस्था है कि लाभार्थियों को उनके लिये निर्धारित खाद्यान्न हर हाल में मिले, इसके लिये खाद्यान्न की आपूर्ति न होने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ते के भूगतान के नियम को जनवरी 2015 में लागू किया गया।
- इस अधिनियम के तहत समाज के अति निर्धन वर्ग के प्रत्येक परिवार को प्रत्येक माह अंत्योदय अन्न योजना में सब्सिडी दरों पर तीन रुपए, दो रुपए, एक रुपए प्रति किलो क्रमश: चावल, गेहुँ और मोटा अनाज दिया जाता है।

आगे की राहः

COVID-19 के कारण उत्पन्न इस संकट से निपटने हेतु योजनाओं के निर्माण के दौरान सावधानियाँ बरतनी होंगी। योजनाओं के निर्माण में दक्षता इस संकट से देश को बाहर निकलने में सहायक साबित हो सकती है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार

चर्चा में क्यों:

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non-Banking Financial Companies-NBFCs) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (Micro-Finance Institutions-MFIs) की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु कई उपायों की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदुः

- RBI लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (Targeted Long Term Repo Operation- TLTRO 2.0) के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non-Banking Financial Companies-NBFCs) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (Micro-Finance Institutions-MFIs) को नकदी उपलब्ध कराएगा।
- TLTRO 2.0 के तहत बैंकों को 50 हजार करोड़ रुपए दिये जाएंगे जिसमें 23 अप्रैल 2020 को TLTRO 2.0 के लिये 25 हजार करोड़ रुपए की पहली बोली लगाई जाएगी।
 - ♦ TLTRO 2.0 के तहत बैंक RBI से 4.4% की दर पर उधार लेंगे।
- बैंक RBI से जितनी राशि उधार लेंगे, उसमें से कम-से-कम 50% राशि छोटे एवं मध्यम आकर की NBFC और MFI को देनी होगी। जो इस प्रकार है:
 - ◆ 10% राशि को MFI की प्रतिभृतियों या योजनाओं में निवेश करना होगा।
 - ♦ 15% राशि को 500 करोड़ रुपए या उससे कम परिसंपत्ति वाली NBFC की प्रतिभृतियों या योजनाओं में निवेश करना होगा।
 - ◆ 25% राशि को 500-5000 करोड़ रुपए परिसंपत्ति के आकार वाली NBFC में निवेश करना होगा।
- RBI के अनुसार TLTRO 2.0 के तहत बैंक जो पैसा उधार लेंगे उसे NBFC के ग्रेड बॉन्ड (Grade Bonds), वाणिज्यिक पत्रों (Commercial Paper) और गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र (Non-Convertible Debentures) में निवेश करना होगा।
- RBI ने देश के तीन बड़े वित्तीय संस्थानों, मसलन- राष्ट्रीय आवास बैंक (National Housing Bank- NHB), नाबार्ड (National Bank for Agriculture and Rural Development- NABARD), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (Small Industries Development Bank of India- SIDBI) के लिये 50 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त संसाधन जुटाने की भी व्यवस्था की है।

- इसमें से 25 हजार करोड़ रुपए की राशि NABARD को उपलब्ध कराई जाएगी, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व ग्रामीणों क्षेत्रो में फंड उपलब्ध कराने वाले दूसरे वित्तीय संस्थानों को ज्यादा कर्ज देगा।
- ♦ 15 हजार करोड़ रुपए की राशि SIDBI को दी जाएगी, जो मझोले व छोटे उधिमयों को कर्ज वितरित करेगा।
- ◆ 10 हजार करोड़ रुपए की राशि NHB को दी जाएगी, जो आवासीय क्षेत्रों में कर्ज देगा।

अन्य बिंदुः

- हाल ही में RBI ने तरलता समायोजन सुविधा के तहत अतिरिक्त तरलता से बैंकों को हतोत्साहित करने के लिये रिवर्स रेपो दर को 25 आधार अंकों से घटाकर 3.75% कर दिया।
- 13 अप्रैल तक बैंकों द्वारा रिवर्स रेपो दर के तहत 6.9 ट्रिलियन रुपए जमा कराए गए थे।

दीर्घकालिक रेपो परिचालन (Long Term Repo Operation- LTRO)

- LTRO एक ऐसा उपकरण है जिसके तहत केंद्रीय बैंक प्रचलित रेपों दर पर बैंकों को 1-3 वर्ष की अवधि के लिये 1 लाख करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान करता है तथा कोलेटरल के रूप में सरकारी प्रतिभृतियों को लंबी अवधि के लिये स्वीकार करता है।
- RBI तरलता समायोजन सुविधा (Liquidity Adjustment Facility- LAF) और सीमांत स्थायी सुविधा (Marginal Standing Facility- MSF) के माध्यम से बैंकों को उनकी तत्काल जरूरतों हेतु 1 से 28 दिनों के लिये ऋण मुहैया कराता है, जबिक LTRO के माध्यम से RBI द्वारा रेपो रेट पर ही उनको 1 से 3 वर्ष के लिये ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (Non-Banking Financial Companies-NBFCs):

• गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी उस संस्था को कहते हैं जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत होती है और जिसका प्रमुख कार्य उधार देना तथा विभिन्न प्रकार के शेयरों, प्रतिभृतियों, बीमा कारोबार तथा चिटफंड से संबंधित कार्यों में निवेश करना होता है।

डिजिटल लेन-देन में वृद्धि

चर्चा में क्यों:

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) के अनुसार, COVID-19 के कारण देशभर में लॉकडाउन से डिजिटल लेन-देन में वृद्धि दर्ज़ की गई है।

प्रमुख बिंदुः

- RBI के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, मार्च 2020 में बैंकों में वास्तिवक समय सकल निपटान (Real Time Gross Settlement-RTGS) के तहत लेन-देन में 34% की वृद्धि हुई है। RTGS के तहत मार्च 2020 में 120.47 लाख करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ, जबिक फरवरी 2020 में 89.90 लाख करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ था।
 - ♦ RTGS एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जिसमें बैंकों के बीच भुगतान निर्देश दिन भर में रियल टाइम अर्थात् तात्कालिक रूप से और लगातार संसाधित (Processed) होते हैं।
 - ◆ यह सुविधा 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की राशि के लेन-देन हेतु उपलब्ध है। देश के उच्च मूल्य लेन-देन वाले 95% भुगतान इसी प्रणाली के माध्यम से किये जाते हैं।
- मार्च 2020 में तीसरे और चौथे सप्ताह के दौरान डिजिटल लेन-देन की संख्या 124.73 करोड़ और 224.16 करोड़ रही।
- 15-30 मार्च के बीच लोगों द्वारा गैर-लाभकारी संगठनों के माध्यम से राहत कार्य में योगदान के कारण डिजिटल लेन-देन में 64% की वृद्धि दर्ज की गई।
- मार्च 2020 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली (NPCI) द्वारा संचालित एकीकृत भुगतान प्रणाली (UPI) के माध्यम से 125 करोड़ डिजिटल लेन-देन हुए हैं।
 - ♦ हालाँकि लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आने से मार्च में डिजिटल लेन-देन की संख्या फरवरी की तुलना में कम हुई है।

- मोबाइल रिचार्ज, डायरेक्ट-टू-होम, केबल प्रसारण सेवाएँ, खुदरा बैंकिंग लेन-देन और अन्य सेवाओं के बिल भुगतान (फरवरी की तुलना में) मार्च में लगभग 19% बढ़कर 288 करोड़ हो गए।
 - NPCI द्वारा संचालित भारत बिल भुगतान प्रणाली (Bharat Bill Payment System BBPS) के माध्यम से मार्च 2020 में डिजिटल लेन-देन की संख्या 1.58 करोड़ हो गई, जो फरवरी 2020 में 1.49 करोड़ थी।
- RBI के आँकड़ों के अनुसार, नकदी आधारित सेवाओं में कमी आई है।
 - ◆ ATM से नकदी निकासी में 10.7% और डेबिट या क्रेडिट कार्ड की उपयोगिता में कमी दर्ज की गई है।
- मार्च 2020 में आधार सक्षम भुगतान सेवा (Aadhaar Enabled Payment System-AEPS) में 16.1% की गिरावट आई है।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली (National Payment Corporation of India- NPCI):

- NPCI देश में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिये एक समग्र संगठन है।
- इसे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) द्वारा भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (The Payment and Settlement Systems Act, 2007) के प्रावधानों के तहत एक मजबूत भुगतान और निपटान अवसंरचना के विकास हेतु स्थापित किया गया है।
- इसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के प्रावधानों के तहत 'गैर-लाभकारी संगठन' के रूप में शामिल किया गया है।
- NPCI की कुछ प्रमुख पहलें निम्नलिखित है:
 - एकीकृत भुगतान प्रणाली (United Payments Interface-UPI), यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत एक मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से कई बैंक खातों का संचालन, विभिन्न बैंकों की विशेषताओं को समायोजन, निधियों का निर्बाध आवागमन और व्यापारिक भुगतान किया जा सकता है।
 - ◆ भीम एप (BHIM App): इसके ज़िरये लोग डिजिटल तरीके से पैसे भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। यह UPI आधारित भुगतान प्रणाली पर काम करता है।
 - ◆ तत्काल भुगतान सेवा (Immediate Payment Service-IMPS): IMPS का इस्तेमाल 24*7 किया जा सकता है। यह सेवा ग्राहकों को बैंकों और RBI द्वारा अधिकृत प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जारीकर्त्ताओं (PPI) के माध्यम से तुरंत पैसा ट्रांसफर करने की सुविधा देती है।
 - ♦ भारत बिल भुगतान प्रणाली (Bharat Bill Payment System-BBPS): BBPS भारतीय रिजर्व बैंक की एक अवधारणात्मक प्रणाली है, जिसका संचालन NPCI द्वारा किया जाता है। यह प्रणाली सभी प्रकार के बिलों के लिये एक अंतिम भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार यह देशभर के ग्राहकों को भुगतान अंतरण, विश्वसनीयता और सुरक्षा के साथ-साथ एक बेहतर एवं सुलभ बिल भुगतान सेवा उपलब्ध कराती है।
 - चेक ट्रंगकेशन सिस्टम (Cheque Truncation System-CTS): CTS या ऑनलाइन इमेज-आधारित चेक क्लियरिंग सिस्टम, चेकों के तेजी से क्लियरिंग के लिये भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा शुरू किया गया एक चेक क्लियरिंग सिस्टम है। यह चेक के प्रत्यक्ष संचालन से संबद्ध लागत को समाप्त करता है।
 - ◆ *99#: NPCI की असंरचनात्मक पूरक सेवा डेटा (Unstructured Supplementary Service Data-USSD) आधारित मोबाइल बैंकिंग सेवा को नवंबर 2012 में शुरू किया गया था। इस सेवा की सीमित पहुँच थी तथा केवल दो TSPs (टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर) यानी MTNL एवं BSNL ही इस सेवा को मुहैया करा रहे थे। वित्तीय समावेशन में मोबाइल बैंकिंग के महत्त्व को समझते हुए *99# सेवा को 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' के भाग के रूप में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 28 अगस्त, 2014 को राष्ट्र को समर्पित किया गया।
 - ◆ NACH: 'नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस' (NACH) NPCI द्वारा बैंकों को दी जाने वाली एक सेवा है सब्सिडी, लाभांश, ब्याज, वेतन, पेंशन आदि के वितरण के लिये इसका उपयोग किया जाता है।

- ♦ आधार सक्षम भुगतान सेवा (AEPS): AEPS सेवाओं के कारण आधार से जुड़े बैंक खाते वाला कोई भी आम इंसान नकद निकासी और शेष राशि की जाँच जैसी बुनियादी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकता है, भले ही उसका खाता किसी भी बैंक में हो। इन सेवाओं का फायदा लेने के लिये आधार से जुड़े खाताधारक अपने भुगतान को पूरा करने के लिये केवल फिंगरप्रिंट स्कैन और आधार प्रमाणन के साथ अपनी पहचान को पुष्ट कर सकता है।
- ♦ नेशनल फाइनेंशियल स्विच (National Financial Switch-NFS)- NFS बैंकों के ATMs के इंटर-कनेक्टेड नेटवर्क द्वारा नागरिकों को किसी भी बैंक के ATM के माध्यम से लेन-देन की सुविधा उपलब्ध कराता है।

निगमित दिवालियापन प्रक्रिया को रोकने हेतु नया अध्यादेश

चर्चा में क्यों?

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs-MCA) ने कोरोनावायरस (COVID-19) के प्रकोप के कारण लागू किये गए देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर कंपिनयों के विरुद्ध निगमित दिवालियापन (Corporate Insolvency) की प्रक्रिया को शुरु करने के समय को 6 महीने की अविध के लिये स्थिगित करने का अध्यादेश तैयार किया है।

प्रमुख बिंदु

- कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के इस निर्णय से कंपनियों को लॉकडाउन की अविध में दिवालिया होने से बचाया जा सकेगा।
- ध्यातव्य है कि इससे पूर्व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि सरकार दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड (Insolvency and Bankruptcy Code-IBC) की धारा 7, 9 और 10 को निलंबित करेगी।
 - ◆ IBC की धारा 7 किसी कंपनी के विरुद्ध दिवालिया प्रक्रिया की शुरुआत से संबंधित है अर्थात् जब कोई कर्ज देने वाला व्यक्ति, संस्था या कंपनी, कर्ज नहीं चुकाने वाली कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिये न्यायालय में अपील दायर करता/करती है।
 - ◆ IBC की धारा 9 के अनुसार, यदि प्रचालन लेनदार (Operational Creditors) को कॉर्पोरेट देनदार से एक निश्चित अविध में भुगतान प्राप्त नहीं होता है, तो प्रचालन लेनदार कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिये न्यायालय में अपील दायर करता है।
 - ◆ IBC की धारा 10 एक कंपनी को स्वयं के विरुद्ध दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने हेतु नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (National Company Law Tribunal-NCLT) के समक्ष प्रस्ताव रखने का प्रावधान करती है।
- कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने मार्च माह में COVID-19 के प्रकोप और लॉकडाउन से प्रभावित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को राहत प्रदान करने के लिये दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया था।

IBC और निगमित दिवालियापन

- दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड, 2016 मौजूदा समय की मांग है, क्योंकि यह व्यक्तियों और निगमों, दोनों के लिये दिवालिया प्रक्रिया को व्यापक और सरल बनाता है।
- इसकी सीमा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं, जिसमें किसानों से लेकर अरबपित व्यवसायी और स्टार्टअप से लेकर बड़े कॉर्पोरेट घराने शामिल हैं।
- दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड समयबद्ध दिवाला और शोधन समाधान (लगभग 180 दिनों के भीतर, जैसी भी परिस्थिति हो) प्रदान करता है।
- यदि कोई कंपनी कर्ज़ वापस नहीं चुकाती तो IBC के तहत कर्ज़ वसूलने के लिये उस कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है।
- इसके लिये NCLT की विशेष टीम कंपनी से बात करती है और कंपनी के प्रबंधन के राजी होने पर कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है।
- इसके बाद उसकी पूरी संपत्ति पर बैंक का कब्ज़ा हो जाता है और बैंक उस संपत्ति को किसी अन्य कंपनी को बेचकर अपना कर्ज़ वसूल सकता है।

- IBC में बाजार आधारित और समय-सीमा के तहत इन्सॉल्वेंसी समाधान प्रक्रिया का प्रावधान है।
- IBC की धारा 29 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई बाहरी व्यक्ति (थर्ड पार्टी) ही कंपनी को खरीद सकता है।

आगे की राह

- विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार को प्रस्तावित अध्यादेश में निलंबन की अविध को 12 माह तक बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण अदायगी पर लगाई गई 3 माह की रोक 31 मई को समाप्त हो रही है, जिसके पश्चात् कंपनियों पर महामारी और लॉकडाउन का प्रभाव दिख सकता है।
- आवश्यक है कि अध्यादेश को पूर्ण रूप से लागू करने से पूर्व विशेषज्ञों द्वारा दिये जा रहे सुझावों पर गौर किया जाए, तािक इस अध्यादेश को यथासंभव सुधारों के साथ लागू किया जा सके।
 पैरासिटामोल फॉर्मुलेशन

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने पैरासिटामॉल से बने योगों/फॉर्मूलेशन (औषधीय उत्पादों) के निर्यात की अनुमित दी है। हालाँकि पैरासिटामोल एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (Active Pharmaceutical Ingredients- APIs) के निर्यात पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

प्रमुख बिंदु

- API किसी भी दवा का वह भाग होता है जो वांछित चिकित्सीय प्रभाव हेतु उत्तरदायी होता है।
- पैरासिटामोल एवं इसके फॉर्मूलेशन उन 13 APIs और उनके योगों में से हैं, जिन्हें विदेश व्यापार महानिदेशालय (Directorate General of Foreign Trade-DGFT) द्वारा 3 मार्च, 2020 की अधिसूचना में शामिल किया गया था।
- किसी भी ITCHS (Indian Trade Clarification based on Harmonized System) कोड के तहत FDC (फिक्स्ड डोज़ कॉम्बिनेशन) सहित पैरासिटामोल से बने फॉर्मुलों को तत्काल प्रभाव से निर्यात के लिये उपलब्ध कराया गया है।
 - ◆ FDC: एक ही ख़ुराक में निहित दो या दो से अधिक औषधियाँ, जैसे कैप्सूल या टैबलेट।
 - FDC HIV ड्रग का एक उदाहरण एट्रिप्ला/Atripla है, इसमें एफैविरेंज (Efavirenz), एमट्रिसिटाबिन (Emtricitabine) और टेनोफोविर डिसप्रॉक्सिल फ्यूमरेट (Tenofovir Disoproxil Fumarate) का एक संयोजन है।
 - ♦ ITCHS कोड को इंडियन ट्रेड क्लेरिफिकेशन (Indian Trade Clarification-ITC) के रूप में जाना जाता है, ये कोडिंग के हार्मोनाइज्ड सिस्टम (HS) पर आधारित होते हैं।
 - इन्हें भारत में आयात-निर्यात संबंधी मानकों के रूप में अपनाया गया था। भारतीय सीमा शुल्क विभाग राष्ट्रीय व्यापार आवश्यकताओं के अनुरूप आठ अंकों के ITC (HS) कोड का उपयोग करता है।
- पैरासिटामोल के योगों द्वारा निर्मित दवाओं के निर्यात की अनुमित देने का निर्णय संयुक्त राज्य अमेरिका और कई अन्य देशों में एंटीमलेरियल दवा हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन (Hydroxychloroquine- HCQ) के शिपमेंट की अनुमित के बाद आया है।
- भारत की फार्मास्युटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (फार्मेक्सिसल) के अनुसार, केंद्र सरकार को पैरासिटामोल APIs का निर्यात भी
 फिर से शुरू करना चाहिये।
- फार्मेक्सिसल को वर्ष 2004 में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था, तािक फार्मा निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके।

पैरासिटामोल

- पैरासिटामोल विश्व स्तर पर बुखार के लिये इस्तेमाल होने वाली एक सामान्य दवा है।
- COVID-19 के प्रकोप के बाद से पैरासिटामोल की मांग में व्यापक रूप से वृद्धि हुई है।
- सूत्रों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर भारत, पैरासिटामोल के अग्रणी निर्माताओं में से एक है। भारत की अनुमानित उत्पादन क्षमता प्रति माह 5,000 टन की है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (Directorate General of Foreign Trade- DGFT)

- DGFT केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) का एक संलग्न कार्यालय है।
- इसकी अध्यक्षता विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा की जाती है।
- DGFT का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। साथ ही देश के विभिन्न शहरों में इसके 38 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। इसके अतिरिक्त DGFT का एक एक्सटेंशन काउंटर (Extension Counter) इंदौर में स्थित है।
- DGFT भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ विदेश व्यापार नीति तैयार करने और उसे लागू करने का कार्य करता है। DGFT निर्यातकों को अनुमति जारी करने तथा अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से इस संबंध में उनके दायित्त्वों की निगरानी का कार्य करता है।

चीनी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की जाँच में सख्ती

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India-SEBI) ने विदेशी निवेश से जुड़े संरक्षक बैंकों को चीन से आने वाले विदेशी निवेश की निगरानी में वृद्धि करने को कहा है। सेबी ने भारतीय कंपनियों में चीनी नागरिकों या संस्थाओं के निवेश को रोकने के लिये ये निर्देश जारी किये हैं।

मुख्य बिंदुः

- सेबी ने संरक्षक बैंकों से चीन और हॉन्गकॉन्ग के साथ 11 अन्य एशियाई देशों से भारतीय कंपनियों में किये गए 'विदेशी पोर्टफोलियो निवेश' (Foreign Portfolio Investment- FPI) का विवरण मांगा है।
- 1. निवेश के क्षेत्र में संरक्षक बैंक या कस्टोडियन बैंक (Custodian Bank) से आशय उन वित्तीय संस्थाओं से है, जो चोरी या धोखाधड़ी जैसे नुकसानों को कम करने के लिये ग्राहक की प्रतिभृतियों को सुरक्षित रखने का कार्य करती हैं।
- 2. कस्टोडियन बैंक प्रतिभृतियों और अन्य संपत्तियों को इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप में सुरक्षित रखता है।
- 3. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट स्ट्रीट बैंक एंड ट्रस्ट और स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आदि भारतीय कस्टोडियन बैंक के कुछ उदाहरण हैं।
- सेबी द्वारा संरक्षक बैंकों से विदेशी निवेश के संदर्भ में मांगी गई जानकारियों में से कुछ निम्निलिखित है:
 - 1. यदि इन फंड्स का नियंत्रण चीनी निवेशकों द्वारा किया जा रहा है।
 - 2. यदि फंड का संचालक चिन्हित 13 देशों से सिक्रय है।
 - यदि फंड का लाभांश प्राप्त करने वाले निवेशकर्त्ता चिन्हित 13 देशों से संबंधित हैं, आदि।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (Foreign Portfolio Investment- FPI)

- FPI किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा किसी दूसरे देश की कंपनी में किया गया वह निवेश है, जिसके तहत वह संबंधित कंपनी के शेयर या बॉण्ड खरीदता है अथवा उसे ऋण उपलब्ध कराता है।
- FPI के तहत निवेशक शेयर के लाभांश या ऋण पर मिलने वाले ब्याज के रूप में लाभ प्राप्त करते हैं।
- FPI में निवेशक 'प्रत्यक्ष विदेशी निवेश' के विपरीत कंपनी के प्रबंधन (उत्पादन, विपणन आदि) में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होता है।
- भारत में विदेशी निवेशकों को FPI के तहत किसी कंपनी में 10% तक के निवेश की अनुमित दी गई है।

FPI पर सेबी की सख्ती का कारण:

- COVID-19 की महामारी तथा इसके प्रसार के नियंत्रण हेतु लागू लॉकडाउन के कारण देश में व्यावसायिक गतिविधियों में कमी आई है जिससे कई कंपनियों के शेयर की कीमतों में काफी गिरावट हुई है।
- ध्यातव्य है कि हाल ही में भारत सरकार ने COVID-19 के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक दबाव के बीच भारतीय कंपनियों के 'अवसरवादी अधिग्रहण' (Opportunistic Takeovers/Acquisitions) को रोकने के लिये भारत की थल सीमा से जुड़े देशों से FDI हेतु सरकार की अनुमित को अनिवार्य कर दिया था।

- सेबी द्वारा FPI के तहत विदेशी निवेश की जाँच करने का उद्देश्य सरकार द्वारा भारतीय कंपनियों के 'अवसरवादी अधिग्रहण' को रोकने की पहल को मजबूत करना है।
- वर्तमान में पोर्टफोलियो निवेश के संदर्भ में किसी विशेष प्रतिबंध के अभाव में चीनी संस्थाएँ भारतीय कंपनियों में 10% तक शेयर खरीद सकती है।
- पिछले कुछ वर्षों में भारतीय कंपनियों में चीन से होने वाले निवेश में भारी वृद्धि हुई है, वर्तमान में चीन के 16 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक
 भारत में पंजीकृत हैं और इनका शीर्ष भारतीय स्टॉक में निवेश लगभग 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है।
- गौरतलब है कि FDI का विनियमन वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) द्वारा और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का विनियमन सेबी द्वारा किया जाता है।

वैश्विक परिदृश्य:

- वर्तमान में वैश्विक स्तर पर COVID-19 की महामारी के कारण भारत की ही तरह विश्व के कई अन्य देशों में भी उद्योगों और व्यावसायिक संस्थानों को आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है।
- पिछले दो महीनों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्पेन जैसे देशों ने खराब आर्थिक स्थिति के बीच विदेशी निवेशकों द्वारा स्थानीय कंपनियों के द्वेषपूर्ण या अवसरवादी अधिग्रहण को रोकने के लिये विदेशी निवेश की नीतियों में सख्ती की है।
- वर्तमान आर्थिक चुनौतियों के बीच स्थानीय कंपनियों के हितों की रक्षा के लिये यूरोपीय संघ ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किये हैं और इटली ने भी कमजोर/संवेदनशील क्षेत्रों में निवेश को सीमित किया है।
- अमेरिका (USA) में पहले से ही एक 'इंटर एजेंसी कमिटी' (Inter-Agency Committee) विद्यमान है जो विदेशी अधिग्रहण के मामलों की समीक्षा करती है।

लाभ:

- वर्तमान में COVID-19 की चुनौती के दौरान FPI की निगरानी के संदर्भ में सेबी की पहल से भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण की गतिविधियों को रोकने में सहायता प्राप्त होगी।
- हाल के वर्षों में चीनी निजी क्षेत्र के निवेशकों व संस्थाओं द्वारा भारतीय कंपनियों में बड़ा निवेश कई मामलों में चिंता का कारण बना हुआ
 था क्योंकि चीन की निजी कंपनियों और चीनी सरकार द्वारा संरक्षित कंपनियों में अंतर करना बहुत ही कठिन है।
- भारत में चीनी निवेशकों द्वारा िकये गए निवेश का एक बड़ा भाग मोबाईल और इंटरनेट जैसे क्षेत्रों से संबंधित है, वर्तमान में इस क्षेत्र में बदलती तकनीकी एवं कठोर कानूनों के अभाव में लोगों की निजी जानकारी और अन्य जरूरी डेटा की सुरक्षा का खतरा उत्पन्न हुआ है, ऐसे में यह आवश्यक है कि विदेशी निवेश की बेहतर जाँच कर इंटरनेट तथा डेटा क्षेत्र की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

चुनौतियाँ:

- विशेषज्ञों के अनुसार, मात्र निगरानी प्रक्रिया में सख्ती से कंपनियों की निवेश प्रकिया में व्याप्त किमयों को दूर नहीं किया जा सकता है।
- FDI पर सरकार की सख्ती के बाद FPI के संदर्भ में सेबी द्वारा जारी निर्देशों में अस्पष्टता के कारण निवेशकों में तनाव बढ़ेगा और इससे विदेशी निवेश में गिरावट आने की संभावना है।

निष्कर्षः

भारत की थल सीमा से जुड़े देशों से आने वाले FDI के लिये सरकार की अनुमित को अनिवार्य बनाए जाने के बाद, FPI की जाँच में वृद्धि के सेबी के निर्देश से, COVID-19 महामारी के दौरान, भारतीय कंपनियों के कम मूल्य पर अधिग्रहण के प्रयासों पर अंकुश लगाने में सहायता मिलेगी। साथ ही इन प्रावधानों से भारतीय बाजार में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप की बेहतर निगरानी भी की जा सकेगी। परंतु निवेश संबंधी नियमों में सख्ती से चीन के साथ अन्य देशों से आने वाले विदेशी निवेश में कमी आ सकती है अत: सेबी को जल्द ही निवेशकों के बीच इन प्रावधानों को स्पष्ट करना चाहिये जिससे आवश्यक कानुनी प्रक्रिया को अपनाते हुए विदेशी निवेश को जारी रखा जा सके।

रुपए की विनिमय दर

संदर्भ

बीते कुछ महीनों में कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी के प्रसार के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऐसे में इस प्रभाव का सही और तुलनात्मक अनुमान लगाना नीति निर्माताओं के लिये काफी महत्त्वपूर्ण हो जाता है। इस संबंध में रुपए की विनिमय दर को भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति का अनुमान लगाने के लिये एक उपयुक्त मापदंड के रूप में देखा जा सकता है।

क्या होती है मुद्रा विनिमय दर (Currency Exchange Rate)?

- मुद्रा विनिमय दर का अभिप्राय घरेलू मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत से होता है।
 - ♦ उदाहरण के लिये, यदि हमें एक डॉलर प्राप्त करने के लिये 50 रुपए देने पड़ते हैं तो विनिमय दर 50 रुपए प्रति डॉलर होगी।
- ध्यातव्य है कि मुद्रा विनिमय दर ही अक्सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रय और विक्रय की सामर्थ्यता निर्धारित करती है।
- िकसी भी मुद्रा की विनिमय दर उसकी मांग और आपूर्ति की परस्पर क्रिया द्वारा निर्धारित की जाती है।
 - उदाहरण के लिये, यदि अधिक-से-अधिक भारतीय अमेरिकी सामान खरीदना चाहेंगे, तो रुपए की तुलना में अमेरिकी डॉलर की मांग अधिक होगी, जिसके प्रभावस्वरूप अमेरिकी डॉलर रुपए की अपेक्षा और अधिक मजबूत हो जाएगा।
 - 🔷 इसके विपरीत यदि भारतीय रुपए की मांग में वृद्धि होती है तो भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर की अपेक्षा अधिक मज़बूत होगा।
- उल्लेखनीय है कि कई बार एक देश का केंद्रीय बैंक विनिमय दर में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को कम करने के लिये हस्तक्षेप करता है। किंतु आर्थिक जगत में केंद्रीय बैंक अथवा सरकार के अत्यधिक हस्तक्षेप को उचित नहीं माना जाता है।
- आमतौर पर मज्ञबूत अर्थव्यवस्थाओं की मुद्रा भी काफी मज्जबूत होती है। उदाहरण के लिये, अमेरिकी अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना में काफी अधिक मज्जबूत है, जिसका प्रभाव भारतीय रुपए पर देखने को मिलता है, नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, एक अमेरिकी डॉलर लगभग 76 रुपए के समान है।
- बीते कुछ महीनों में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य में कमी आई है अर्थात् रुपए का मूल्यहास हुआ है या रुपया कमज़ोर हुआ है।
- किंतु अमेरिका दुनिया का एकमात्र देश नहीं है, भारत अमेरिका के अतिरिक्त कई अन्य देशों के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है, इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था की बेहतर समझ के लिये यह आवश्यक है कि हम यह भी देखें कि रुपया भारत के अन्य व्यापारिक साझेदारों के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है।

किन मापदंडों पर ध्यान देने की आवश्यकता है ?

- भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) 36 व्यापारिक साझेदार देशों की मुद्राओं के संबंध में रुपए की 'नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट' (Nominal Effective Exchange Rate-NEER) को सारणीबद्ध करता है।
 - ◆ यह एक प्रकार का भारित सूचकांक है अर्थात् इसमें उन देशों को अधिक महत्त्व दिया जाता है, जिनके साथ भारत अधिक व्यापार करता है।
 - ♦ इस सूचकांक में कमी रुपए के मूल्य में ह्रास को दर्शाती है, जबिक सूचकांक में बढ़ोतरी रुपए के मूल्य में अभिमूल्यन को दर्शाती है।
- RBI द्वारा जारी NEER के अनुसार, बीते कुछ समय में रुपया नवंबर 2018 के पश्चात् से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया है।
- NEER के अतिरिक्त 'रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट' (Real Effective Exchange Rate-REER) भी भारतीय अर्थव्यवस्था
 में हो रहे परिवर्तनों को मापने के लिये एक महत्त्वपूर्ण मापदंड है।
 - REER के अंतर्गत NEER में शामिल अन्य कारकों के अतिरिक्त विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में घरेलू मुद्रास्फीति को भी ध्यान में रखा जाता है, जिसके कारण इसका महत्त्व अधिक बढ़ जाता है।
- REER के संदर्भ में बीते कुछ समय में रुपया सितंबर 2019 के पश्चात् से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया है।

विनिमय दर और मुद्रास्फीति (Exchange Rate and Inflation)

• किसी भी देश की विनिमय दर को ब्याज दर तथा राजनीतिक स्थिरता जैसे कई अन्य कारण प्रभावित करते हैं। इन्ही कारकों में सबसे महत्त्वपूर्ण कारक है, मुद्रास्फीति। उदाहरण के लिये, मान लेते हैं कि पहले वर्ष में रुपए की विनिमय दर 1 रुपए प्रति डॉलर है। ◆ इस प्रकार हम 100 रुपए में 100 अमेरिकी डॉलर प्राप्त कर सकते हैं। किंतु यदि अगले वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति 20 प्रतिशत रहती है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति शून्य रहती है तो अगले वर्ष में वही 100 अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने के लिये हमें 120 रुपए की आवश्यकता होगी।

NEER बनाम REER

- NEER विदेशी मुद्राओं के संदर्भ में घरेलू मुद्रा के द्विपक्षीय विनिमय दरों का भारित औसत होता है। जबिक REER मुद्रास्फीति के प्रभावों के लिये समायोजित अन्य प्रमुख मुद्राओं के सापेक्ष घरेलू मुद्रा का भारित औसत है।
- NEER विदेशी मुद्रा बाजार के संदर्भ में देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा का एक संकेतक है।
- REER की गणना NEER में मूल्य परिवर्तन को समायोजित करने के पश्चात् की जाती है। इस प्रकार अर्थशास्त्री NEER की अपेक्षा REER को अधिक महत्त्व देते हैं।
- NEER = विशेष आहरण अधिकार (SDR) के संदर्भ में घरेलू विनिमय दर/विशेष आहरण अधिकार (SDR) के संदर्भ में विदेशी विनिमय दर
- REER = NEER × (घरेलू मूल्य सूचकांक/विदेशी मूल्य सूचकांक)
 मुद्रा का मूल्यहास (Depreciation) और अभिमूल्यन (Appreciation)
- विनिमय दर प्रणाली मुख्यत: दो प्रकार की होती हैं- स्थायी विनिमय दर प्रणाली और अस्थायी विनिमय दर प्रणाली।
- स्थायी विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत सरकार विनिमय दर का एक स्तर विशेष दर पर निर्धारित करती है। इसके विपरीत अस्थायी विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर का निर्धारण बाज़ार शक्तियों द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाता है।
- मुद्रा के मूल्यह्रास और उसके अभिमूल्यन की अवधारणा अस्थायी विनिमय दर प्रणाली वाले देशों से संबंधित है। अस्थायी विनिमय दर प्रणाली में एक मुद्रा का मूल्यह्रास तब होता है जब बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है जबिक इसकी मांग गिरती रहती है।
- जबिक मुद्रा के अभिमूल्यन का अर्थ है अन्य विदेशी मुद्राओं के संबंध में एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि। एक मुद्रा का अभिमूल्यन तब होता है जब मुद्रा की आपूर्ति विदेशी मुद्रा बाजार में उसकी मांग से कम होती है।

तेल की कीमतें शून्य से नीचे के स्तर पर

चर्चा में क्यों?

'ब्लूमबर्ग' (Bloomberg) मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, COVID- 19 महामारी के चलते संयुक्त राज्य अमेरिका के तेल बाजार में 'वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट' (West Texas Intermediate- WTI) तेल की कीमतें 40.32 डॉलर प्रति बैरल तक गिर गईं है।

मुख्य बिंदुः

- ब्लूमबर्ग के अनुसार तेल की कीमत का इतना कम स्तर पूर्व में द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद देखने को मिल था।
- वर्तमान में तेल की कीमत शून्य अंक से भी नीचे हो गई है तथा इस मूल्य पर कच्चे तेल के विक्रेता को ही प्रत्येक बैरल की खरीद पर खरीदार को 40 डॉलर का भुगतान करना पड़ रहा है।

तेल का कीमत स्तर में गिरावट:

- वर्ष 2020 की शुरुआत में 60 डॉलर प्रति बैरल के स्तर से मार्च के अंत तक 20 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ गई थी।
- मांग और आपूर्ति में अंतर; महामारी के कारण तेल बाजार, अमेरिका सिहत वैश्विक स्तर पर मांग की कमी का सामना कर रहे हैं।

समस्या की शुरुआत:

• 'पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन' (Organization of the Petroleum Exporting Countries- OPEC) जिसका नेतृत्व सऊदी अरब करता है तथा OPEC+ जिसमें रूस को भी शामिल किया जाता है, ने मिलकर मार्च माह की शुरुआत में तेल की कीमतों को स्थिर रखने के लिये आयोजित की जाने वाली 'OPEC रूस वार्ता स्थिगत' कर दी गई। परिणामस्वरूप OPEC देशों ने तेल का उत्पादन समान मात्रा में जारी रखा।

तेल की कीमतों पर प्रभाव:

- अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में सऊदी अरब और रूस के बीच सुलह के बाद तेल निर्यातक देशों ने उत्पादन में 10 मिलियन बैरल प्रति दिन कटौती करने का निर्णय लिया परंतु इसके बाद भी तेल की मांग में तेज़ी से कमी देखी गई।
- मार्च और अप्रैल के दौरान आपूर्ति-मांग के बीच संतुलन पूरी तरह खराब हो गया।

तेल की कीमत नकारात्मक कैसे?

- आपूर्ति पक्ष संबंधी समस्याः
 - यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि तेल के उत्पादन में कटौती या तेल के कुएँ को पूरी तरह से बंद करना एक कठिन निर्णय होता है,
 क्योंकि इसे फिर से शुरू करना बेहद महँगा और बोझिल कार्य होता है।
 - ♦ इसके अलावा यदि कोई देश उत्पादन में कटौती करता है तो इस देश बाजार में हिस्सेदारी (निर्यात) खोने का जोखिम रखता है।
 - कई तेल उत्पादक उत्पादन बंद करने के बजाय कम कीमतों पर भी अपने तेल से छुटकारा की बिक्री करना चाहते थे क्योंकि मई माह में तेल की बिक्री पर मामूली नुकसान की तुलना में फिर से तेल उत्पादन शुरू करना ज्यादा महँगा होगा।
- मांग पक्ष संबंधी समस्या:
 - जबिक उपभोक्ता या आयातक देश तेल अनुबंधों से बाहर आना चाहते थे क्योंिक तेल निर्यातक देश इन देशों को अधिक तेल खरीदने के
 लिये मजबूर करना चाहते थे जबिक इन देशों के पास तेल को भंडारित करने के लिये कोई जगह नहीं थी।
- अल्पकालिक समाधान:
 - ◆ खरीददार और विक्रेता दोनों पक्ष तेल अनुबंध से छुटकारा पाने चाहते थे इससे WTI तेल अनुबंध की कीमतें शून्य से भी नीचे चली गईं। अत: अल्पाविध के लिये तेल आपूर्तिकर्त्ता अनुबंधधारक देशों को 40 डॉलर प्रित बैरल का भुगतान भी करना चाहते हैं तािक तेल का उत्पादन बंद न हो।

तेल कीमतों का भविष्य:

• COVID-19 महामारी का प्रसार अभी भी लगातार हो रहा है जिससे वैश्विक तेल की मांग में प्रतिदिन गिरावट आ रही है। कुछ अनुमानों का दावा है कि आगामी तिमाही में कुल मांग 30% तक गिर जाएगी। अंत में मांग-आपूर्ति में संतुलन या असंतुलन ही तेल की कीमतों को निर्धारित करेगा।

भारत पर प्रभाव:

 भारत के क्रूड ऑयल बास्केट में WTI शामिल नहीं है। इसमें केवल ब्रेंट ऑयल (Brent Oil) तथा कुछ खाड़ी देशों का तेल शामिल हैं, इसिलये भारतीय तेल आयात पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होगा। लेकिन तेल की कीमतों में वैश्विक स्तर पर गिरावट होने से भारतीय ऑयल बास्केट की कीमतों में भी गिरावट दिखाई देती है।

आगे की राहः

- यदि सरकार तेल की कीमतों में हुई गिरावट का लाभ उपभोक्ताओं को देती है तो यह महामारी के बाद सरकार के आर्थिक कार्यक्रम में मदद करेगा क्योंकि इससे खपत में वृद्धि होगी।
- सरकारें (केंद्र और राज्यों दोनों) तेल पर उच्च कर लगाकर सरकारी राजस्व को बढ़ा सकती है।
 ब्रेंट क्रूड तथा वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट(WTI):
- ब्रेंट क्रूड ऑयल का उत्पादन उत्तरी सागर में शेटलैंड द्वीप (Shetland Islands) और नॉर्वे के बीच तेल क्षेत्रों से होती है, जबिक वेस्ट क्रूड इंटरमीडिएट (WTI) ऑयल के क्षेत्र मुख्यत: अमेरिका में अवस्थित है।
- ब्रेंट क्रूड और WTI दोनों ही लाइट और स्वीट (Light and Sweet) होते हैं।

COVID-19 के कारण भारत में प्रेषित धन रिमिटेंस में भारी गिरावट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व बैंक (World Bank) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, COVID-19 की महामारी के कारण वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर प्रवसियों द्वारा भेजे जाने वाले धन/रेमिटेंस (Remittances) में भारी गिरावट देखी जा सकती है।

मुख्य बिंदुः

- विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 में भारतीय प्रवासियों द्वारा भेजे जाने वाला रेमिटेंस 23% की गिरावट के साथ 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच सकता है।
- गौरतलब है कि वर्ष 2019 में भारत को रेमिटेंस के रूप में प्राप्त होने वाले धन में 5.5% की वृद्धि के साथ कुल 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए थे।
- इसके साथ ही विश्व के अन्य प्रमुख हिस्सों में जैसे- यूरोप और मध्य एशिया (27.5%), उप-सहारा अफ्रीका (23.1%), दक्षिण एशिया (22.1%), मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (19.6%), लैटिन अमेरिका तथा कैरेबियन (19.3%), पूर्वी एशिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र (13%) में रेमिटेंस में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है।
- विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 में पाकिस्तान का रेमिटेंस 23% की गिरावट के साथ 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच सकता है, जबिक पिछले वर्ष पाकिस्तान को 6.2% की वृद्धि के साथ रेमिटेंस के रूप में 22.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए थे।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 में बंग्लादेश के रेमिटेंस में 22%, नेपाल के रेमिटेंस में 14% और श्रीलंका के रेमिटेंस में 19% तक की गिरावट हो सकती है।

प्रेषित धन या रेमिटेंस (Remittance):

- रेमिटेंस से आशय प्रवासी कामगारों द्वारा धन अथवा वस्तु के रूप में अपने मूल समुदाय/परिवार को भेजी जाने वाली आय से हैं।
- पिछले कुछ वर्षों में वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप रेमिटेंस का महत्त्व बढ़ा है, वर्तमान में विश्व के कई विकासशील देशों में रेमिटेंस विदेशों से होने वाली आय का सबसे बडा स्रोत बन गया है।
- आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 में 'निम्न और मध्य आय वाले देशों' (Low and Middle-Income Countries-LMICs) को रेमिटेंस के रूप में लगभग 554 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हए।

देशों के विकास में रेमिटेंस का योगदान:

- कई अध्ययनों में देखा गया है कि रेमिटेंस 'निम्न और मध्य आय वाले देशों' में गरीबी दूर करने, पोषण में वृद्धि, स्वास्थ्य और मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक रहे हैं।
- साथ ही यह भी देखा गया है कि रेमिटेंस पाने वाले घरों में बाल मज़दूरी के मामलों में कमी आई है तथा शिक्षा पर होने वाले खर्च में वृद्धि हुई है।
- अन्य किसी पूंजी की तुलना में रेमिटेंस का प्रवाह स्थिर होता है और प्राय: किसी आपदा के बाद जब निजी क्षेत्र के निवेश में गिरावट आती है ऐसे समय में रेमिटेंस की मात्रा में वृद्धि देखी गई है।
- राजनीतिक संघर्ष और आतंरिक अस्थिरता से जुझ रहे देशों में रेमिटेंस अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार, वर्ष 2011 में हैती (Haiti) की जीडीपी में रेमिटेंस का योगदान 12% रहा था और वर्ष 2006 में सोमालिया के कुछ क्षेत्रों की जीडीपी में रेमिटेंस का योगदान 70% तक रहा था।

माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ (Migration and Development Brief):

- माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, प्रवासी कामगारों के संदर्भ में विश्व बैंक द्वारा तैयार की जाने वाली एक महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट है।
- इसे विश्व बैंक की प्रमुख अनुसंधान शाखा 'डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स' (Development Economics- DEC) की माइग्रेशन एंड रेमिटेंस यूनिट (Migration and Remittances Unit) द्वारा तैयार किया जाता है।

- इस रिपोर्ट को हर वर्ष दो बार जारी किया जाता है।
- यह रिपोर्ट पिछले 6 माह में माइग्रेशन और रेमिटेंस के प्रवाह तथा इससे जुड़ी नीतियों के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करने का प्रयास करती है।

रेमिटेंस में गिरावट के कारण:

- वर्तमान में COVID-19 की महामारी के कारण विश्वभर में औद्योगिक इकाइयों को भारी क्षित हुई है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी कमी
 आयी है, जिसके कारण प्रवासी कामगारों की आय में कमी के साथ काम के अवसरों में भी कटौती हुई है ।
- भारत के साथ ही दक्षिण एशिया के कई अन्य देशों के लिये मध्य पूर्व के देश रोजगार और रेमिटेंस का एक बड़ा स्रोत हैं, परंतु हाल ही में
 वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की घटती कीमतों से इन देशों की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं।
- यूरोप के कई देश प्रवासी कामगारों की एक बड़ी आबादी को रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं परंतु यूरोप के कुछ प्रमुख देश COVID-19
 महामारी से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। साथ ही COVID-19 के संक्रमण को रोकने हेतु लागू लॉकडाउन का प्रभाव यूरोप की
 मुद्रा पर भी पड़ा है।
- प्रवासी कामगारों में पेशेवर प्रशिक्षित लोगों के अतिरिक्त एक बड़ी आबादी सेवा क्षेत्र (परिवहन, होटल आदि) में काम करने वाले लोगों और अकुशल मजदूरों की है, COVID-19 के कारण वैश्विक स्तर पर बंदी के कारण कामगारों का यह वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हुआ है।

रेमिटेंस में गिरावट के नुकसान:

- वर्ष 2018 में भारत विश्व में सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश था, आँकड़ों के हिसाब से इस दौरान लगभग 170 लाख प्रवासी भारतीयों ने विश्व के कई देशों में कार्य करते हुए रेमिटेंस के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया था।
- ऐसे में वैश्विक स्तर पर रेमिटेंस में गिरावट का प्रत्यक्ष प्रभाव प्रवासी भारतीयों पर आश्रित उनके परिवारों पर पड़ेगा।
- वर्तमान में जब देश में लॉकडाउन के कारण आर्थिक क्षेत्र में तरलता की कमी हुई है ऐसे में रेमिटेंस में गिरावट से इस समस्या में अधिक वृद्धि हो सकती है।
- भारत में रेमिटेंस के रूप में प्राप्त होने वाले धन का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों से अन्य देशों (मुख्यत: अरब देशों) में गए कामगारों द्वारा भेजा जाता है, ऐसे में लंबे समय तक रेमिटेंस में कमी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है।

अन्य चुनौतियाँ:

- विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट के साथ ही देशों में संरक्षणवादी विचारधारा को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे आने वाले दिनों में प्रवासी कामगारों के लिये रोजगार के अवसरों में गिरावट देखी जा सकती है।
 - ♦ उदाहरण के लिये हाल ही में अमेरिका (USA) के राष्ट्रपति ने नए प्रवासी कामगारों के लिये कुछ प्रतिबंधों की घोषणा की है।
- अन्य देशों से रेमिटेंस भेजने पर लगने वाला खर्च प्रवासी कामगारों के लिये एक बड़ी समस्या है, वर्तमान में वैश्विक स्तर पर 200 अमेरिकी डॉलर भेजने की औसत लागत 6.8% है, जबिक उप-सहारा अफ्रीका में यह लागत औसतन 9% है।
- दक्षिण एशिया में रेमिटेंस भेजने की लागत औसतन 4.8% है, साथ ही कई क्षेत्रों में यह 3% के सतत् विकास लक्ष्य (Sustainable Development goals-SDGs) से भी कम है परंतु कुछ क्षेत्रों में प्रतिस्पर्द्धा और बेहतर विनियमन के अभाव में इसकी लागत 10% तक पहुँच जाती है।

आगे की राहः

- विशेषज्ञों के अनुसार, वर्तमान वैश्विक आपदा के समय विकासशील और विकसित देशों में गरीब और सुभेद्य लोगों के हितों की रक्षा के लिये
 प्रभावी सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण है, अत: सभी देशों द्वारा संकट के इस समय में स्थानीय नागरिकों की तरह ही प्रवासी कामगारों को भी आवश्यक सहायता उपलब्ध करानी चाहिये।
- रेमिटेंस भेजने के तरीकों को आसान बनाने तथा इसकी लागत को कम कर प्रवासी कामगारों और उनके परिवारों को महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया जा सकता है।

गैर-यूरिया उर्वरक सब्सिडी

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 'आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय सिमिति' (Cabinet Committee on Economic Affairs-CCEA) ने वर्ष 2020-21 के लिये गैर-यूरिया उर्वरकों के लिये 'पोषक तत्त्वों पर आधारित सिब्सिडी' (Nutrient Based Subsidy-NBS) दरों का निर्धारण किया है।

मुख्य बिंदुः

- केंद्र सरकार ने वर्ष 2020- 21 के लिये गैर-यूरिया उर्वरक सब्सिडी में 3% की कटौती करके 22,186 करोड़ रुपये व्यय का लक्ष्य रखा है।
- वर्ष 2019-20 में गैर-यूरिया उर्वरक सिब्सिडी की अनुमानित लागत 22,875 करोड़ रुपए थी।
- CCEA ने NBS योजना के तहत अमोनियम फॉस्फेट नामक मिश्रित उर्वरक को भी शामिल करने की मंज़ूरी दी।

पोषक तत्त्वों पर आधारित सब्सिडी (NBS) योजना:

पृष्ठभूमि:

- यह योजना 'उर्वरक और रसायन मंत्रालय' (Ministry of Fertilizers and Chemicals) के उर्वरक विभाग द्वारा वर्ष 2010 से लाग की जा रही है।
- NBS नीति के तहत सरकार फॉस्फेट और पोटाश (P & K) उर्वरकों के प्रत्येक पोषक तत्त्व जैसे- नाइट्रोजन (N), फॉस्फेट (P), पोटाश (K) और सल्फर (S) पर, सब्सिडी की एक निश्चित दर की घोषणा करती है। वर्ष 2020-21 के लिये प्रति किग्रा. सब्सिडी (रुपए में):

N (नाइट्रोजन)	P (फॉस्फोरस)	K (पोटाश)	S (सल्फर)
18.789	14.888	10.116	2.374

उद्देश्य:

- पर्याप्त मात्रा में P & K उपलब्धता।
- कृषि में उर्वरकों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करना।
- स्वदेशी उर्वरक उद्योग के विकास को बढावा देना।
- सिंब्सडी के बोझ को कम करना।

गैर-यूरिया उर्वरक सब्सिडी का निर्धारण:

- वार्षिक आधार पर सिब्सडी निर्धारित करते समय अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, विनिमय दर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमत सिहत सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है।
- इस योजना के तहत किसानों को सस्ती कीमत पर फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये की गई थी।
- उर्वरक कंपिनयों को उपर्युक्त दरों के अनुसार सिब्सिडी जारी की जाएगी, तािक वे किसानों को सस्ते दामों पर उपलब्ध करा सके।
- NBS नीति के तहत कंपनियों को उर्वरकों की 'अधिकतम खुदरा मूल्य' (Maximum Retail Price- MRP) तय करने की अनुमति है।

यूरिया के संबंध में सरकार की नीति:

- यूरिया के संबंध में किसानों को वैधानिक रूप से अधिसूचित 'अधिकतम खुदरा मूल्य' (Maximum Retail Price- MRP) पर यूरिया उपलब्ध कराया जा रहा है।
- सरकार द्वारा यूरिया निर्माता/आयातक को; यूरिया इकाइयों द्वारा किसानों या फार्म गेट तक उर्वरक उपलब्ध कराने की लागत तथा MRP के बीच के मूल्य अंतर सब्सिडी के रूप में दी जाती है।

लाभ:

 यह उर्वरक निर्माताओं तथा आयातकों को आपूर्ति संबंधी अनुबंधों को पूरा करने में मदद करेगा तथा इससे वर्ष 2020-21 के लिये उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

निष्कर्षः

• NBS को शुरू करने के पीछे का उद्देश्य उर्वरक कंपनियों के बीच उचित मूल्य पर बाजार में विविध उत्पादों की उपलब्धता के लिये प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाना था। हालांकि P & K उर्वरकों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है।

कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक

चर्चा में क्यों?

विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी 'अप्रैल कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक' (April Commodity Markets Outlook) के अनुसार, COVID-19 के कारण वर्ष 2020 में लगभग सभी कमोडिटीज़ के मूल्य में कमी आने का अनुमान है।

प्रमुख बिंदु

- विश्व बैंक के 'कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक' के अनुसार, COVID-19 महामारी के कारण ऊर्जा और धातु की कीमतें सर्वाधिक प्रभावित हुई हैं।
- हालाँकि कृषि उत्पादों की कीमतों पर इसका कुछ अधिक प्रभाव नहीं हुआ है, किंतु आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, निर्यात प्रतिबंध और सरकार द्वारा किये गए भंडारण ने आम नागरिकों के समक्ष खाद्य असुरक्षा की चुनौती उत्पन्न कर दी है।
- विश्व बैंक के अनुसार, मौजूदा समय में कमोडिटीज़ के मूल्य काफी अनिश्चित हो गए हैं और ये मुख्य रूप से महामारी की गंभीरता और उसकी अवधि पर निर्भर हो गए हैं।

कच्चे तेल की कीमतें हुईं सर्वाधिक प्रभावित

- ध्यातव्य है कि COVID-19 के प्रकोप का सर्वाधिक प्रभाव कच्चे तेल के बाजार पर देखने को मिला है, क्योंकि इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिये दुनिया भर में आंशिक या पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है, जिसके कारण दुनिया भर में पिखहन पूरी तरह से रुक गया है।
 - ज्ञात हो कि वैश्विक स्तर पर परिवहन के लिये दो-तिहाई तेल का उपयोग किया जाता है।
- वर्ष 2020 में कच्चे तेल की कीमतें औसतन 35 डॉलर प्रति बैरल होने का अनुमान है, जो तेल की मांग में अभूतपूर्व िगरावट को दर्शाता है। ध्यातव्य है कि इसी वर्ष जनवरी माह में कच्चे तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच गई थीं, जिसके पश्चात् तेल की कीमतों में 70 प्रतिशत तक गिरावट आ गई है और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन और अन्य तेल उत्पादक देश भी तेल की कीमतों में वृद्धि करने में विफल रहे हैं।
- कच्चे तेल की मांग वर्ष 2020 में लगभग 10 प्रतिशत घटने की उम्मीद है, जो बीते किसी भी गिरावट के मुकाबले दोगुना है।

औद्योगिक मांग में गिरावट का धातु की कीमत पर प्रभाव

- COVID-19 महामारी के कारण वैश्विक औद्योगिक मांग में काफी गिरावट हुई है, जिसका प्रभाव वर्ष 2020 की पहली तिमाही में अधिकांश धातु की कीमतों पर देखने को मिला है और धातु की कीमतों में काफी गिरावट आई है।
- वर्ष 2020 में धातु की कीमतों में 13 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है, क्योंकि वैश्विक मांग में कमी आई है और प्रमुख उद्योग बंद हो गए हैं।
- धातु की कीमतें मुख्य रूप से वैश्विक गतिविधियों में मंदी से प्रभावित हुई हैं, विशेष रूप से चीन में जिसकी वैश्विक स्तर पर धातु की मांग में आधे से अधिक हिस्सेदारी है।

कृषि उत्पादों की कीमतें

- अधिकांश खाद्य बाजारों में आपूर्ति पूर्ण रूप से जारी है। हालाँकि, विभिन्न देशों में खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंताएँ बढ रही है, क्योंकि आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान और निर्यात प्रतिबंध जैसे कारकों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है।
- विश्व बैंक के 'कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक' के अनुसार, मुख्य खाद्य वस्तुओं की कीमतों में जनवरी माह से लगभग 9 प्रतिशत की गिरावट आई है।

कमोडिटी बाज़ार पर COVID-19 का दीर्घकालिक प्रभाव

- विश्व बैंक के अनुसार, वस्तुओं के आयातकों और निर्यातकों को महामारी के कारण बाजारों में कुछ दीर्घकालिक बदलाव दिखने की संभावना
- इसमें परिवहन की लागतों में वृद्धि, आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव और आयात की जाने वाली वस्तुओं का घरेलू वस्तुओं के साथ प्रतिस्थापन आदि शामिल हैं।
- उदाहरण के लिये अब लोग घर से कार्य करने को अधिक वरीयता दे सकते हैं, कम यात्रा कर सकते हैं जिससे तेल की मांग में स्थायी गिरावट आ सकती है, साथ ही तेल आयात देशों के खातों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।
- सभी प्रकार की गतिविधियों पर लगे प्रतिबंध के कारण प्रदुषण काफी कम हो रहा है, यह बाज़ार उत्पादकों पर कम जीवाश्म ईंधन के उपयोग हेतु सार्वजनिक दबाव को बढा सकता है।

'कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक' (Commodity Markets Outlook)

- विश्व बैंक का 'कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक' प्रत्येक वर्ष में दो बार अप्रैल और अक्तूबर माह में प्रकाशित किया जाता है।
- इस रिपोर्ट में विश्व बैंक द्वारा ऊर्जा, कृषि, उर्वरक, धातु और कीमती धातुओं समेत प्रमुख कमोडिटीज के लिये विस्तृत बाजार विश्लेषण प्रदान किया जाता है।
- विश्व बैंक द्वारा इस रिपोर्ट में प्रमुख वस्तुओं के उत्पादन, खपत और व्यापार से संबंधित आँकड़े भी शामिल किये जाते हैं। आगे की राह
- मौजूदा समय में लगभग संपूर्ण विश्व COVID-19 वैश्विक महामारी का सामना कर रहा है। इस महामारी के कारण विश्व की तमाम आर्थिक तथा गैर-आर्थिक गतिविधियाँ प्रभावित हुई हैं और वैश्विक कमोडिटी बाज़ार भी इससे बच नहीं सका है।
- विश्व बैंक द्वारा 'कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक' में खाद्य सुरक्षा को लेकर जो चिंता ज़ाहिर की गई है, वह काफी गंभीर है और निम्न आय वाले देश इसके प्रति अपेक्षाकृत अधिक संवेदनशील हैं।
 - ♦ ध्यातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र (United Nations-UN) ने भी इस संबंध में चिंता जाहिर की है, संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार COVID-19 महामारी के कारण इस वर्ष के अंत तक लगभग दोगुने लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा की स्थिति में जा सकते हैं।
- आवश्यक है कि इस विषय से संबंधित सभी हितधारकों को एक मंच पर आकर इस मुद्दे को हल करने हेत विचार विमर्श करना चाहिये और नए उपायों की खोज करनी चाहिये।

तेल के मूल्य स्तर में गिरावट तथा चीनी उद्योग

चर्चा में क्यों?

COVID-19 महामारी के तहत लगाए गए लॉकडाउन के कारण क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट के साथ ही चीनी की कीमतों में भी तेज़ी से गिरावट देखी गई।

मुख्य बिंदुः

COVID-19 महामारी के कारण न केवल 'वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट' (West Texas Intermediate- WTI) ग्रेड के 'कच्चे तेल की कीमत शून्य से नीचे के स्तर' पर देखी गई अपितु कच्ची चीनी (Raw Sugar) की कीमतों में प्रति पाउंड 9.75 सेंट (Cents- 100 डॉलर के बराबर) की गिरावट देखी गई।

चीनी की कम मांग के कारण:

- भोजनालय, शादियों सिहत अन्य सामाजिक कार्य बंद होना।
- लोगों द्वारा आइसक्रीम तथा पेय पदार्थों का, गले के संक्रमण के डर से परहेज करना।

क्रुड ऑयल तथा चीनी उद्योग:

- चीनी की कीमतों में गिरावट का एक बड़ा कारण क्रूड ऑयल की कीमतें में गिरावट होना है। गन्ने के रस का उपयोग सामान्यत: चीनी बनाने तथा शराब के लिये किण्वित करने में किया जाता है।
- जब तेल की कीमतें अधिक होती है तो मिलें इथेनॉल; जिसका इस्तेमाल शराब बनाने में किया जाता है, को 'इथेनॉल मिश्रित ईंधन' बनाने वाली इकाइयों को बेच देती है। परंतु WTI की कीमतों में गिरावट के कारण इथेनॉल की मांग में कमी होने से चीनी की कीमतों में गिरावट देखी गई।

भारत पर प्रभाव (Impact on India):

- ब्राजील में वर्ष 2020 में बहुत अधिक गन्ना उत्पादन हुआ है साथ ही महामारी के कारण चीनी की खपत में गिरावट आई है। यह भारतीय चीनी मिलों तथा गन्ना किसानों दोनों को प्रभावित करेगा।
- हालाँकि इंडोनेशिया को चीनी के अधिक निर्यात की उम्मीद है क्योंकि इंडोनेशिया ने कच्चे चीनी पर आयात शुल्क को 15% से घटाकर 5% कर दिया है तथा इंडोनेशिया ज्यादातर कच्ची चीनी थाईलैंड से खरीदते हैं, जो वर्तमान में सूखे का सामना कर रहा है। चीनी के अलावा अन्य उद्योगों पर प्रभाव:
- चीनी उद्योग के कारण केवल चीनी की मांग/आपूर्ति प्रभावित नहीं होती है अपितु इससे शराब, पेट्रोल उद्योग तथा बायो ईंधन संबंधी सरकार की नीतियों पर दूरगामी प्रभाव होगा क्योंकि-
 - परंपरागत रूप से उद्योगों में एल्कोहल का उत्पादन चीनी के उप-उत्पाद शीरे से किया जाता है।
 - चीनी अधिशोष का उपयोग इथेनॉल-मिश्रित ईंधन कार्यक्रम में किया जाता है।

भारत में चीनी उद्योग:

- चीनी उद्योग कृषि आधारित एक महत्त्वपूर्ण उद्योग है जो लगभग 50 मिलियन गन्ना किसानों की आजीविका प्रभावित करता है। चीनी मिलों में लगभग 5 लाख कामगार परोक्ष रूप से नियोजित हैं।
- ब्राजील के बाद विश्व में भारत दूसरा बड़ा चीनी उत्पादक देश है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है।
- 31/01/2018 की स्थिति के अनुसार, देश में 735 स्थापित चीनी मिलें हैं। जिनमें 327 सहकारी, 365 निजी, 43 सरकारी नियंत्रण में है।
- गन्ना (नियंत्रण) आदेश, (Sugarcane (Control) Order) 1966 प्रारंभ में गन्ने के मूल्य को नियंत्रित करता था। इसमें वर्ष 2009 में संशोधन करके गन्ने के मूल्य निर्धारण के लिये 'सांविधिक न्यूनतम मूल्य' (Statutory Minimum Price- SMP) प्रणाली अपनाई गई। बाद में इसे भी 'उचित एवं लाभकारी मूल्य' (Fair and Remunerative Price- FRP) से प्रतिस्थापित किया गया।
- केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा चीनी उद्योग संगठनों के साथ परामर्श करके 'कृषि लागत एवं मूल्य आयोग' (Commission for Agricultural Costs and Prices- CACP) की सिफारिशों के आधार पर FRP का निर्धारण करती है।

श्रम संबंधी संसदीय समिति की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में श्रम संबंधी संसदीय समिति ने नियम-280 के तहत औद्योगिक संबंध संहिता अधिनियम, 2019 (The Industrial Relations Code-2019) पर लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

प्रमुख बिंदुः

- "छंटनी और तालाबंदी" से संबंधित प्रावधानों की जाँच कर रिपोर्ट में कहा गया है कि सिमिति मंत्रालय के इस तर्क से सहमत है कि बिजली, कोयले इत्यादि की कमी मजदूरों की वजह से नहीं होती है, इसिलये उनकी अनुपलब्धता के कारण कामकाज ठप होने की स्थिति में श्रिमिकों को मुआवजा दिया जाना चाहिये।
- सिमिति का मानना है कि बिजली की कमी, मशीनरी के टूटने की स्थिति में मजदूरों को 45 दिनों के लिये 50% मजदूरी का भुगतान उचित हो सकता है। नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच एक समझौते के बाद इस अवधि को बढाया भी जा सकता है।
- हालाँकि श्रम संबंधी संसदीय सिमिति का मानना है कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान श्रिमकों की मज़दूरी का भुगतान तब तक अनुचित होगा जब तक उद्योग पुन: पूर्ण रूप से संचालित न होने लगे। इन प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप, बाढ़, सुपर साइक्लोन इत्यादि शामिल हैं।
- कानून सभी के लिये उचित और न्यायसंगत होना चाहिये और किसी भी ऐसी परिस्थिति में जो नियोक्ता के नियंत्रण से परे हो, उसे वेतन का इतना हिस्सा प्रदान करने हेतु मजबूर नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि यह न केवल कर्मचारियों को बल्कि नियोक्ताओं को भी प्रभावित करता है।
- ध्यातव्य है की COVID-19 की वजह से देशभर में लॉकडाउन चल रहा है। अत: सिमिति ने COVID-19 को प्राकृतिक आपदा में शामिल करने का सुझाव दिया है।
- सिमिति ने सरकार से उद्योगों को हर संभव मदद करने का सुझाव प्रस्तुत किया है।

औद्योगिक संबंध संहिता अधिनियम, 2019 (The Industrial Relations Code- 2019):

- इस अधिनियम में ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 (Trade Union Act of 1926), औद्योगिक रोज्ञगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (Industrial Employment (Standing Order) Act of 1946) तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act of 1947) के प्रासंगिक प्रावधानों को मिश्रित, सरलीकृत तथा तर्कसंगत बना कर समाहित किया गया है।
- इस अधिनियम के तहत कंपनियाँ श्रमिकों को प्रत्यक्ष तौर पर एक निश्चित अविध (Fixed Term Employment) के लिये अनुबंधित कर सकती हैं।
- इस अधिनियम के तहत किसी कंपनी में 100 या उससे अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हों तो कर्मचारियों की संख्या में कमी करने हेतु सरकार से अनुमित लेनी आवश्यक होगी।
- ध्यातव्य है कि वर्ष 2018 में औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक के प्रस्तावित मसौदे में यह सीमा 300 कर्मचारियों की थी।
- हालाँिक, इसमें जोड़े गए एक प्रावधान के तहत कर्मचारियों की इस संख्या को सरकार अधिसूचना के माध्यम से बदल सकती है।
- इस अधिनियम की महत्त्वपूर्ण विशेषता निश्चित अविध के रोजगार की अवधारणा को वैधानिकता प्रदान करना है।
- अनुबंध अविध के दौरान श्रमिकों को स्थायी कर्मचारियों की तरह ही सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने का प्रावधान है।

आगे की राहः

 प्राकृतिक आपदा से देश की अर्थव्यवस्था को बचाने की ज़रूरत है परंतु वर्तमान समय में COVID-19 जैसी महामरी को ध्यान में रहते हुए श्रमिकों/कर्मचारियों के हित में भी निर्णय लेना चाहिये। साथ ही प्राकृतिक आपदा से बचाव की तैयारी न केवल सरकार का उत्तरदायित्त्व है बल्कि सभी व्यक्तियों को एक-दूसरे की मदद करनी चाहिये।

ऑपरेशन ट्विस्ट का पुन: उपयोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) द्वारा खुला बाजार परिचालन (Open Market Operations-OMO) के तहत सरकारी प्रतिभृतियों की एक साथ खरीद और बिक्री करने हेतु पुन: निर्णय लिया गया है।

प्रमुख बिंदुः

- उल्लेखनीय है कि 27 अप्रैल, 2020 से RBI ने तरलता स्थित तथा बाजार की स्थितियों की समीक्षा करके 10 हजार करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभृतियों की खरीद/बिक्री का निर्णय लिया है।
- RBI वर्ष 2026-30 के बीच परिपक्व होने वाले 10 हजार करोड़ के बॉन्ड खरीदेगी तथा इतनी ही धनराशि की ट्रेज़री बिल की बिक्री करेगा। अत: इस निर्णय से 10 वर्ष के बॉन्ड पर बॉन्ड यील्ड में 20 आधार अंक की कमी आएगी।

बॉन्ड यील्ड (Bond Yield):

• बॉन्ड यील्ड बॉन्ड पर रिटर्न मिलने वाली धनराशि है। बॉन्ड की कीमत में उतार-चढ़ाव से बॉन्ड यील्ड पर विपरीत असर पड़ता है। जब बॉन्ड की कीमत बढ़ती है तो बॉन्ड यील्ड घटता है तथा बॉन्ड की कीमत घटती है तो बॉन्ड यील्ड बढ़ता है।

ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में:

- ऑपरेशन ट्विस्ट (Operation Twist) पहली बार वर्ष 1961 में अमेरिकी डॉलर को मज़बूत करने और अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिये लाया गया था।
- 'ऑपरेशन ट्विस्ट' के अंतर्गत केंद्रीय बैंक दीर्घ अविध के सरकारी ऋण पत्रों को खरीदने के लिये अल्पकालिक प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग करता है, जिससे लंबी अविध के ऋणपत्रों पर ब्याज दरों के निर्धारण में आसानी होती है।
- 'ऑपरेशन ट्विस्ट' से अल्पकालिक प्रतिभृतियों को दीर्घकालिक प्रतिभृतियों में परिवर्तित किया जाता है।

खुला बाज़ार परिचालन (Open Market Operations-OMO):

- खुला बाजार पिरचालन (OMO) धन की कुल मात्रा को विनियमित या नियंत्रित करने के लिये मात्रात्मक मौद्रिक नीति उपकरणों में से
 एक है, जिसे RBI द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने हेतु उपयोग में लाया जाता है।
- RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री या खरीद के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति की स्थिति को समायोजित करने के लिये खुले बाजार का संचालन किया जाता है।
- केंद्रीय बैंक, आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत तरलता में कमी लाने के लिये सरकारी प्रतिभूतियाँ बेचता है और इस प्रणाली को नियंत्रित रखने के लिये सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदता है।
- RBI द्वारा अर्थव्यवस्था में रुपए के मूल्य को समायोजित करने के लिये अन्य मौद्रिक नीति उपकरणों जैसे रेपो दर, नकद आरक्षित अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात के साथ OMO का उपयोग किया जाता है।

महामारी का अर्थशास्त्र

चर्चा में क्यों?

कोरोनावायरस (COVID-19) के प्रसार को रोकने के लिये लागू िकये गए देशव्यापी लॉकडाउन के कारण लोगों की आय के स्तर में
 गिरावट आई है, जिसके परिणामस्वरूप खपत के स्तर में भी गिरावट आई है।

प्रमुख बिंदु

- जिस प्रकार देश में कोरोनावायरस का प्रकोप बढ़ रहा है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि पहले से ही धीमी गित से बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था आगामी समय में पूर्ण रूप से मंदी की चपेट में आ सकती है।
- विभिन्न संस्थाओं द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि अपेक्षाकृत काफी धीमी रह सकती है, वहीं विश्व के कुछ देश तो संकुचन की ओर भी जा सकते हैं।

गिरावट का कारण

 अन्य शब्दों में कहें तो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं (जैसे- वाहन और एयर कंडीशनर) तथा सेवाओं (जैसे- पर्यटन और पिरवहन) की समग्र मांग में गिरावट आई है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था की समग्र मांग में गिरावट का प्रभाव अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर पर पड़ा है।

- ◆ हालाँकि देश की समग्र मांग में गिरावट कोरोनावायरस महामारी से पूर्व भी देखी जा रही थी, बीते वर्ष अक्तूबर में अपनी मौद्रिक नीति रिपोर्ट में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने निजी खपत में हो रही गिरावट के रुझान पर चिंता व्यक्त की थी। इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि भारतीय अर्थव्यवस्था काफी हद तक आम लोगों द्वारा की जाने वाली मांग पर ही टिकी हुई है।
- ऐसे में प्रश्न उठता है कि मांग को बढ़ावा देने के लिये क्या किया जा सकता है ? अधिक मांग के लिये लोगों को अधिक पैसे की आवश्यकता होगी, किंतु भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से ही वित्तीय संकट से जुझ रही है।

अर्थव्यवस्था को बचाने हेतृ किये गए प्रयास

- कोरोनावायरस जिनत मंदी की आशंका को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अर्थव्यवस्था की वित्तीय प्रणाली में तरलता को बढ़ावा देने की भरपूर कोशिश कर रहा है। RBI ने वित्तीय बाजार से सरकारी बॉन्ड (Government Bonds) खरीद कर वित्तीय बाजार को तरलता प्रदान की है।
 - ♦ हालाँकि जोखिम-से-प्रभावित होने के कारण अधिकांश बैंक नए ऋण प्रदान करने को तैयार नहीं हैं और नए ऋण प्रदान किये बिना अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ावा देना काफी मुश्किल कार्य है।
- भारतीय समाज के संवेदनशील और गरीब वर्ग को सहायता प्रदान करने और भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने के लिये केंद्र सरकार ने भी
 1.70 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है।
- इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी अपने स्तर पर काफी प्रयास किये जा रहे हैं।

चुनौतियाँ

- सरकार के वित्तीय साधन पहले से ही काफी दबाव का सामना कर रहे हैं और सरकार का राजकोषीय घाटा अनुमेय सीमा को पार चुका है।
 - सरकार की कुल आय और व्यय में अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। इससे पता चलता है कि सरकार को कामकाज चलाने के लिये कितनी उधारी की जरूरत होगी।
- इस प्रकार यदि सरकार को किसी प्रकार का राहत पैकेज प्रदान करना है, तो उसे एक बड़ी राशि उधार लेनी होगी, जिससे सरकार का राजकोषीय घाटा और अधिक बढ़ जाएगा।
- मौजूदा पिरिस्थितियों में देश की सभी आर्थिक और गैर-आर्थिक गितिविधियाँ पूरी तरह से रुक गई हैं और सरकार को कर एवं गैर-कर राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है, जिससे सरकार के लिये स्वास्थ्य एवं कल्याण पर अधिक खर्च करना चुनौतीपूर्ण बन गया है।
- इसके अलावा यदि सरकार बाजार से उधार लेना भी चाहे तो आवश्यक है कि बाजार में भी उतना पैसा होना चाहिये, किंतु मौजूदा आँकड़े दर्शाते हैं कि घरेलू परिवारों की बचत काफी कम है और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वे सरकार की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
 - ◆ विदित हो की विदेशी निवेशक भी अमेरिका जैसी सुरक्षित अर्थव्यवस्था में निवेश कर रहे हैं और ऐसे अनिश्चितता के समय में ऋण देने को तैयार नहीं हैं।
- इस प्रकार बाजार में इतना धन नहीं है कि वह सरकार की ऋण संबंधी अवश्यकताओं को पूरा सके।
- विश्लेषकों के अनुसार, आने वाले समय में पिरिस्थितियाँ और भी खराब हो सकती हैं और अर्थव्यवस्था के सामान्य होने की प्रक्रिया काफी धीमी और कठिनाई से भरी हो सकती है।

'प्रत्यक्ष' मुद्रीकरण- एक उपाय के रूप में

- कई विश्लेषक मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए सरकारी घाटे के 'प्रत्यक्ष' मुद्रीकरण (Direct Monetisation) को एक बेहतर उपाय के रूप में देखा रहे हैं।
- उदाहरण के लिये एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करें जिसमें सरकार वित्तीय प्रणाली को नजरअंदाज करते हुए प्रत्यक्ष तौर पर RBI के साथ व्यवहार करती है और उसे सरकारी बाण्ड्स (Government Bonds) के बदले में नई मुद्रा छापने के लिये कहती है।
 - → नई मुद्रा छापने के एवज़ में RBI को सरकारी बाण्ड्स प्राप्त होते हैं जो कि RBI की परिसंपत्ति हैं, क्योंकि ऐसे बाण्ड्स निर्दिष्ट तिथि पर निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने के लिये सरकार के दायित्त्व का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- अब सरकार के पास खर्च करने के लिये आवश्यक नकदी होगी और सरकार विभिन्न उपायों जैसे- गरीबों के लिये प्रत्यक्ष हस्तांतरण, अस्पतालों का निर्माण और छोटे एवं मध्यम उद्यमों के श्रिमिकों को मजदूरी सिब्सिडी प्रदान करने आदि के माध्यम से अर्थव्यवस्था में तनाव को कम कर सकेगी।
- इस प्रकार सरकार के राजकोषीय घाटे को कम करने के लिये नई मुद्रा को छापना 'प्रत्यक्ष' मुद्रीकरण है, यह 'अप्रत्यक्ष' मुद्रीकरण से काफी अलग होता है, इसमें RBI 'ओपन मार्केट ऑपरेशन्स' (Open Market Operations-OMOs) के माध्यम से अर्थव्यवस्था को तरलता प्रदान करने का प्रयास करता है।

यूनाइटेड किंगडम (UK) में 'प्रत्यक्ष' मुद्रीकरण

9 अप्रैल, 2020 को UK में, बैंक ऑफ इंग्लैंड (Bank of England) ने UK सरकार को प्रत्यक्ष मुद्रीकरण की सुविधा प्रदान की थी, किंतु बैंक ऑफ इंग्लैंड के मौजूदा गवर्नर एंड्रयू बेली (Andrew Bailey) ने अंतिम क्षण तक इस कदम का विरोध किया था।

'प्रत्यक्ष' मुद्रीकरण की सीमाएँ

- राजकोषीय घाटे के 'प्रत्यक्ष' मुद्रीकरण की अवधारणा आर्थिक जगत में एक अत्यंत विवादास्पद विषय है। हाल ही में RBI के पूर्व गवर्नर डी सुञ्बाराव ने सरकार को 'प्रत्यक्ष' मुद्रीकरण के प्रति आगाह किया था।
- सामान्यत: यह उपकरण सरकार को उस समय समग्र मांग में बढ़ोतरी करने का अवसर प्रदान करता है जब निजी मांग में गिरावट आई है, जैसा कि मौजूदा स्थिति में हो रहा है, किंतु यदि सरकार इस उपकरण के प्रयोग को सही समय पर बंद नहीं करती तो यह एक और बड़े संकट को उत्पन्न कर सकता है।
- इस नए पैसे का प्रयोग कर सरकार आम लोगों की आय में बढ़ोतरी का प्रयास करती है और अर्थव्यवस्था में निजी मांग को बढ़ावा देती है।
 और इस प्रकार अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है।
- ध्यातव्य है कि मुद्रास्फीति में वृद्धि एक सीमा तक सही है, क्योंकि यह व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है, किंतु यदि सरकार समय पर 'प्रत्यक्ष' मुद्रीकरण को नहीं रोकती है तो अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो सकती है।
- उच्च मुद्रास्फीति और उच्च सरकारी ऋण अर्थव्यवस्था में व्यापक स्तर पर अस्थिरता उत्पन्न कर सकते हैं।

आगे की राह

- कोरोनावायरस महामारी के कारण भारत समेत संपूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था संकट का सामना कर रही है। विभिन्न आर्थिक संकेत दर्शाते हैं
 कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इस महामारी का दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है।
- ऐसे समय में आवश्यक है कि भारत में विभिन्न विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों को मिलाकर एक समूह का गठन किया जाए जो इस विषय पर विचार-विमर्श करें कि महामारी और महामारी के पश्चात् किन उपायों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को मंदी में जाने से बचाया जा सकता है।
- साथ ही हमें विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संस्थानों के साथ मिलकर भी कार्य करना होगा।

आधार सीडिंग की अवधि में छूट

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN Scheme) के तहत असम एवं मेघालय राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने के लिये डेटा की आधार सीडिंग की अनिवार्य आवश्यकता में 31 मार्च, 2021 तक छूट देने को मंज़्री प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

• नियमों के अनुसार, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN Scheme) के तहत लाभ की राशि केवल PM-किसान पोर्टल पर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा अपलोड किये गए लाभार्थियों के आधार सीडेड (Aadhaar Seeded) डेटा के जिस्ये ही जारी की जाती है।

• हालाँकि, असम एवं मेघालय राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों को 31 मार्च, 2020 तक इस नियम से छूट प्रदान की गई थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है। इस राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को छूट प्रदान करने का मुख्य कारण यह है कि उस समय इनका इनका आधार डेटाबेस काफी कम था।

आवश्यकता

- केंद्र सरकार द्वारा किये गए आकलन के अनुसार, असम, मेघालय, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के पात्र के डेटा की आधार सीडिंग के कार्य को पूरा करने में अभी बहुत अधिक समय लगेगा।
- अत: यदि डेटा की आधार सीडिंग की अनिवार्य आवश्यकता में छूट की अविध को बढाया नहीं जाता है तो इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थी 1 अप्रैल, 2020 के बाद से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे।
- इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में लाभार्थी किसानों की कुल संख्या, जिन्हें अब तक कम-से-कम एक किस्त का भुगतान किया गया है, असम में 27,09,586, मेघालय में 98,915 और लद्दाख समेत जम्मू-कश्मीर में 10,01,668 है।

आधार सीडिंग (Aadhaar Seeding) और इसका महत्त्व

- आधार सीडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्षेत्र विशिष्ट के निवासियों के आधार नंबर को सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा वितरण डेटाबेस में शामिल किया जाता है ताकि सेवा वितरण के दौरान डेटाबेस के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान आसानी से की जा सके।
- ध्यातव्य है कि आधार नंबर स्वयं में एक अनूठा नंबर होता है और यह एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवनकाल में परिवर्तित नहीं होता है, इस प्रकार उस व्यक्ति की पहचान करने के लिये यह सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प होता है।
- आधार का प्रयोग किये बिना किसी लाभार्थी को लाभ हस्तांतिरत करने के लिये सरकार/संस्था को बैंक खाता नंबर, IFSC कोड और बैंक शाखा विवरण आदि की आवश्यक होती है, किंतु यिद इस कार्य के लिये आधार डेटाबेस का प्रयोग किया जाता है तो इस कार्य को केवल 12 अंकों के नंबर के साथ पूरा किया जा सकता है।
- इसके माध्यम से प्रशासनिक बोझ कम किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी, 2019 को लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
- आरंभ में यह योजना केवल लघु एवं सीमांत किसानों (2 हेक्टेयर से कम जोत वाले) के लिये ही शुरू की गई थी, किंतु योजना लागू होने के कुछ समय पश्चात् कैबिनेट द्वारा लिये गए निर्णय के उपरांत यह योजना देश भर के सभी किसानों हेतु लागू कर दी गई।
- इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की दर से आय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह आय सहायता 2,000 रुपए की तीन समान किस्तों में लाभान्वित किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की जाती है, तािक संपूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

इंडोनेशिया के समुद्री क्षेत्र में चीन का हस्तक्षेप

चर्चा में क्यों?

हाल के वर्षों में दक्षिण चीन सागर में स्थित अन्य देशों की समुद्री सीमाओं में चीनी मछुआरों और तटरक्षकों की गतिविधियों में वृद्धि हुई है। चीन का बढ़ता हस्तक्षेप इस क्षेत्र में मछुआरों के साथ-साथ देशों की संप्रभु सरकारों के लिये एक बड़ी चुनौती बन गया है।

मुख्य बिंदुः

- पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी और आर्थिक क्षेत्र में विकास के साथ ही चीन ने अपनी सैन्य शक्ति में भी महत्त्वपूर्ण वृद्धि की है और इसके प्रयोग से वह क्षेत्र में अपनी सीमा के विस्तार के लिये करता रहा है।
- फरवरी 2020 में चीनी तटरक्षकों के सहयोग से चीन के मछुआरों ने इंडोनेशिया के नातुना सागर क्षेत्र में प्रवेश किया जिसके कारण स्थानीय मछुआरों को पीछे हटना पड़ा।
- हालाँकि चीन स्वयं नातुना सागर क्षेत्र पर इंडोनेशिया के अधिकार को स्वीकार करता है परंतु चीनी विदेश मंत्रालय इसे 'ट्रेडिशनल फिशिंग ग्राउंड (Traditional Fishing Ground) बताता है।
- इंडोनेशिया की समुद्री सीमा में प्रवेश कर चीन के मछुआरे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन तो करते ही हैं साथ ही चीनी मछुआरों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले स्टील उपकरण समुद्री जैव प्रणाली को भी नष्ट कर देते हैं।

इंडोनेशिया की प्रतिक्रियाः

- जनवरी 2020, में नातुना द्वीपसमूह की यात्रा के दौरान इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने क्षेत्र में अपने अधिकार और इंडोनेशिया की संप्रभुता की बात को दोहराया था।
- इस दौरान इंडोनेशिया की वायु सेना और नौसेना ने क्षेत्र में अपनी उपस्थिति के माध्यम से चीन को कड़ा संदेश देने का प्रयास किया।
- स्थानीय लोगों के अनुसार, इंडोनेशियाई राष्ट्रपति के दौरे के अगले ही दिन चीनी मछुआरे और चीनी तट रक्षक पुन: क्षेत्र में वापस आ गए और वे यहाँ कई दिनों तक रहे।
- हालाँकि इंडोनेशिया के मत्स्य मंत्री (Fisheries Minister) ने इंडोनेशिया की समुद्री सीमा में किसी भी प्रकार के चीनी हस्तक्षेप से इनकार किया है।

दक्षिण चीन सागर और इन-डैश लाइन विवाद

(South China Sea and Nine-Dash Line Dispute):

- एक अनुमान के अनुसार, विश्व के कुल समुद्री व्यापार का 30% दक्षिण चीन सागर से होकर गुजरता है।
- वर्ष 2017 में इस समुद्री मार्ग से प्रतिवर्ष होने वाले व्यापार की कीमत 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक बताई गई थी।
- मलक्का जलसंधि (Malacca Strait) से होते हुए यह क्षेत्र हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला सबसे संक्षिप्त मार्ग प्रदान करता है।
- 🔸 दक्षिण चीन सागर को समुद्री जैव-विविधता के साथ ही खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार के रूप में देखा जाता है।
- वर्ष 1949 से ही चीन 'नाइन-डैश लाइन' (क्षेत्र के मानचित्र पर चीन द्वारा खींची गई 9 आभासी रेखाएँ) के माध्यम से दक्षिण चीन सागर के अधिकांश भाग (लगभग 80%) पर अपने अधिकार का दावा करता रहा है।

वैश्विक प्रतिक्रियाः

 इंडोनेशिया के अलावा क्षेत्र के अन्य देशों जैसे- वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस आदि ने दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक हस्तक्षेप का विरोध किया है।

- वर्ष 2013 में फिलीपींस ने अपने समुद्री क्षेत्र में चीन के हस्तक्षेप को 'संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि' (UN Convention on the Law of the Sea-UNCLOS), 1982 के तहत स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (Permanent Court of Arbitration-PCA) में चुनौती दी।
- PCA ने जुलाई 2016 के अपने फैसले में दक्षिण चीन सागर में चीन के हस्तक्षेप को गलत बताया।

स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (Permanent Court of Arbitration- PCA):

- स्थायी मध्यस्थता न्यायालय एक अंतर-सरकारी संगठन है।
- इसकी स्थापना प्रथम 'हेग शांति सम्मेलन' (Hague Peace Conference) के दौरान वर्ष 1899 में की गई थी।
- इसका उद्देश्य राष्ट्रों के बीच विवादों के निपटारे के लिये मध्यस्थता व अन्य सेवाएँ प्रदान करना था।
- वर्तमान में विश्व के 122 देश इस संस्था से जुड़े हए हैं।
- भारत वर्ष 1950 में इस संस्था में शामिल हुआ था।
- इसका मुख्यालय हेग (Hague), नीदरलैंड में स्थित है।
- न्यायालय के अनुसार, फिलीपींस के समुद्री क्षेत्र में चीन का हस्तक्षेप फिलीपींस के संप्रभु अधिकारों का उल्लंघन है, साथ ही ऐसी गतिविधियाँ 'संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि' (UNCLOS) के भी खिलाफ हैं।
- PCA के निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन इन निर्णय का विरोध करता है और वह इस निर्णय के आधार पर किसी भी दावे या कार्रवाई को स्वीकार नहीं करेगा।
- क्षेत्र के देशों के अतिरिक्त विश्व के कई अन्य देशों (जैसे-अमेरिका) ने दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक नीति का विरोध किया है।

भारत पर प्रभाव:

- हालाँकि भारत अन्य देशों के मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति का समर्थन करता है, परंतु दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन की कार्रवाई का प्रभाव भारत के व्यापारिक एवं सामरिक हितों पर पड़ सकता है।
- हाल के वर्षों में भारत ने अपनी एक्ट ईस्ट नीति के तहत पूर्वी एशिया के देशों के साथ अपने संबंधों को और मज़बूत करने का प्रयास तेज किया है।
- इस पहल के तहत भारत ने क्षेत्र के कई देशों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया है।
- उदाहरण के लिये वियतनाम ने दक्षिण चीन सागर के अपने अधिकार क्षेत्र में भारत को 7 तेल ब्लॉक (Oil Block) देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।
- इसके अतिरिक्त भारत ने ब्रूनेई के साथ भी ऊर्जा संधि पर हस्ताक्षर किये हैं।

आगे की राहः

- दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक सैन्य गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिये संयुक्त राष्ट्र (United Nation) और आसियान (ASEAN) जैसे मंचों पर सामृहिक वैश्विक प्रयासों में में वृद्धि की जानी चाहिये।
- दक्षिण चीन सागर में चीनी मछुआरों द्वारा प्राकृतिक संपदा का अनियंत्रित दोहन और चीन सरकार द्वारा कृत्रिम द्वीपों के निर्माण आदि से समुद्री
 पारिस्थितिकी तंत्र को भारी क्षित हो रही है, अत: ऐसे मुद्दों को वैश्विक मंचों पर उठाया जाना चाहिये।
- क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए भारत को क्वाड (QUAD) जैसे बहु-राष्ट्रीय समूहों के माध्यम से निरंतर संयुक्त नौ-सैनिक अभ्यासों का आयोजन करना चाहिये।

भारत-चीन कूटनीतिक संबंधों को 70 वर्ष

चर्चा में क्यों?

1 अप्रैल, 2020 को भारत-चीन राजनियक संबंधों की स्थापना को 70 वर्ष हो गए हैं।

मुख्य बिंदुः

- पिछले 70 वर्षों में चीन-भारत संबंधों में कुछ मामूली टकरावों के बावजूद लगातार प्रगाढ़ता देखी गई है तथा दोनों देश एक असाधारण विकास पथ से होकर गुज़रे हैं।
- 1950 के दशक में, दोनों देशों के नेताओं द्वारा राजनियक संबंध स्थापित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया तथा संयुक्त रूप से 'शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पाँच सिद्धांतों' (Five Principles of Peaceful Coexistence) की वकालत की।
- दोनों देश शांति तथा मैत्रीपूर्ण परामर्श के माध्यम से सीमा विवाद के प्रश्न को हल करने तथा द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करने के पक्षधर हैं।

भारत-चीन संबंधों की पृष्ठभूमि:

- 1 अप्रैल, 1950 को भारत-चीन के मध्य राजनियक संबंध स्थापित किये गए। भारत चीन के जनवादी गणराज्य (People's Republic of China- PRC) के साथ संबंध स्थापित करने वाला पहला गैर-समाजवादी देश था। उस समय "हिंदी-चीनी भाई-भाई" एक तिकया कलाम (Catchphrase) बन गया।
- वर्ष 1954 में, चीनी प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया। भारत- चीन ने संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किये तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पाँच सिद्धांतों की संयुक्त रूप से वकालत की। उसी वर्ष, भारतीय प्रधान मंत्री ने चीन का दौरा किया। नेहरू, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के बाद, चीन का दौरा करने वाले प्रथम गैर-समाजवादी देश की सरकार के प्रमुख थे।
- वर्ष 1955 में, प्रीमियर झोउ एनलाई (Premier Zhou Enlai) तथा प्रधान मंत्री नेहरू सिहत 29 देशों ने एशियाई-अफ्रीकी सम्मेलन बांडुंग, इंडोनेशिया में भाग लिया तथा संयुक्त रूप से एकजुटता, मित्रता और सहयोग के भावना की वकालत की।
- वर्ष 1962 में सीमा संघर्ष से द्विपक्षीय संबंधों को गंभीर झटका लगा तथा उसके बाद वर्ष 1976 मे भारत-चीन राजनियक संबंधों को फिर से बहाल किया। इसके बाद के समय में द्विपक्षीय संबंधों में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिला।
- वर्ष 1988 में भारतीय प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने द्विपक्षीय संबंधों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया शुरू करते हुए चीन का दौरा किया। दोनों पक्ष सीमा विवाद के प्रश्न के पारस्परिक स्वीकार्य समाधान निकालने तथा अन्य क्षेत्रों में सिक्रय रूप से द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करने के लिये सहमत हुए। वर्ष 1992 में, भारतीय राष्ट्रपित आर. वेंकटरमन भारत गणराज्य की स्वतंत्रता के बाद से चीन का दौरा करने वाले प्रथम भारतीय राष्ट्रपित थे।
- वर्ष 2003 में भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेयी ने चीन का दौरा किया। दोनों पक्षों ने भारत-चीन संबंधों में सिद्धांतों और व्यापक सहयोग पर घोषणा (The Declaration on the Principles and Comprehensive Cooperation in China-India Relations) पर हस्ताक्षर किये।
- वर्ष 2008 में भारतीय प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने चीन का दौरा किया। दोनों सरकारों द्वारा '21 वीं सदी के लिये एक साझा विजन' पर सहमति व्यक्त की।
- वर्ष 2011 को 'चीन-भारत विनिमय वर्ष' तथा वर्ष 2012 को 'चीन-भारत मैत्री एवं सहयोग का वर्ष' के रूप में मनाया गया। दोनों पक्षों ने पीपल-टू-पीपल संपर्क तथा सांस्कृतिक विनिमय गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित की तथा 'भारत-चीन सांस्कृतिक संपर्क विश्वकोश' के संयुक्त संकलन के लिये एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
- वर्ष 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन का दौरा किया इसके बाद चीन ने भारतीय आधिकारिक तीर्थयात्रियों के लिये नाथू ला दर्रा खोलने का फैसला किया। भारत ने चीन में भारत पर्यटन वर्ष मनाया।
- वर्ष 2018 में चीन के राष्ट्रपित तथा भारतीय प्रधानमंत्री के बीच बुहान में 'भारत-चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन' का आयोजन किया गया। उनके बीच गहन विचार-विमर्श हुआ और वैश्विक और द्विपक्षीय रणनीतिक मुद्दों के साथ-साथ घरेलू और विदेशी नीतियों के लिये उनके संबंधित दृष्टिकोणों पर व्यापक सहमित बनी। अनौपचारिक बैठक ने दो नेताओं के बीच आदान-प्रदान का एक नया मॉडल स्थापित किया और द्विपक्षीय संबंधों के इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया।
- वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री तथा चीन के राष्ट्रपति बीच चेन्नई में 'दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन' आयोजित किया गया। इस बैठक में, 'प्रथम अनौपचारिक सम्मेलन' में बनी आम सहमति को और अधिक दृढ़ किया गया।
- वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच राजनियक संबंधों की स्थापना की 70 वीं वर्षगांठ है तथा भारत-चीन सांस्कृतिक तथा पीपल-टू-पीपल संपर्क का वर्ष भी है।

भारत-चीन सहयोग

- राजनैतिक तथा राजनियक संबंध:
 - भारत तथा चीन के शीर्ष नेताओं द्वारा दो अनौपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किये गए तथा वैश्विक एवं क्षेत्रीय महत्त्व के मुद्दों पर गहन विचारों का आदान-प्रदान किया।
 - दोनों देशों के बीच उच्च-स्तरीय यात्राओं का लगातार आदान-प्रदान, अंतर-संसदीय मैत्री समूह स्थापना, सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधियों की बैठक आदि का आयोजन समय-समय पर किया जाता रहा है।
 - भारत तथा चीन के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक चिंताओं के विभिन्न विषयों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिये लगभग 50 संवाद तंत्र हैं।
- अर्थव्यवस्था एवं व्यापार:
 - दोनों देश स्थायी एवं उच्च-गुणवत्ता युक्त आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, वैश्विक बहुपक्षीय व्यापार तंत्र की सुरक्षा करने, वैश्विक शासन प्रणाली के सुधार को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय जोखिमों से सुरक्षा करने की दिशा में कार्य कर रहें हैं।
 - ◆ 21 वीं सदी के प्रारंभ से अब तक भारत और चीन के बीच होने वाला व्यापार 3 बिलियन डॉलर से बढ़कर लगभग 100 बिलियन डॉलर (32 गुना) हो गया है। वर्ष 2019 में भारत तथा चीन के बीच होने वाला व्यापार की मात्रा 92.68 बिलियन डॉलर थी।
 - ♦ भारत में औद्योगिक पार्कों, ई- कॉमर्स तथा अन्य क्षेत्रों में 1,000 से अधिक चीनी कंपिनयों ने अपना निवेश किया है। कंपिनयाँ भी चीन के बाजार में सिक्रय रूप से विस्तार कर रही हैं। चीन में निवेश करने वाली दो-तिहाई से अधिक भारतीय कंपिनयाँ लगातार मुनाफा कमा रही हैं।
 - ◆ 2.7 बिलियन से अधिक लोगों के संयुक्त बाजार तथा दुनिया के 20% के सकल घरेलू उत्पाद के साथ, भारत तथा चीन के लिये आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग में व्यापक संभावनाएँ हैं। भारत में चीनी कंपनियों का संचयी निवेश 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:
 - भारतीय कंपिनयों ने चीन में तीन सूचना प्रौद्योगिकी कॉरिडोर स्थापित िकये हैं, जो सूचना प्रौद्योगिकी तथा उच्च प्रौद्योगिकी में भारत-चीन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।
- रक्षा क्षेत्र:
 - भारत तथा चीन के बीच हैंड-इन-हैंड (Hand-in-Hand) संयुक्त आतंकवाद-रोधी अभ्यास के अब तक 8 दौर आयोजित किये जा चुके हैं।
- पीपुल-टू-पीपुल एक्सचेंज:
 - दोनों देशों ने कला, प्रकाशन, मीडिया, फिल्म और टेलीविजन, संग्रहालय, खेल, युवा, पर्यटन, स्थानीयता, पारंपरिक चिकित्सा, योग, शिक्षा और थिंक टैंक के क्षेत्र में आदान-प्रदान तथा सहयोग पर बहुत अधिक प्रगति की है।
 - ♦ दोनों देशों ने सिस्टर नगरों (Sister Cities) तथा प्रांतों के 14 जोड़े स्थापित किये हैं। फ़ुजियान प्रांत और तिमलनाडु को सिस्टर प्रांतों के रूप में जबिक चिनझोऊ (Quanzhou) एवं चेन्नई नगर की सिस्टर नगरों के रूप में विकसित किया जाएगा।
 - ♦ भाषा सीखना भारत में एक लोकप्रिय प्रवृत्ति बनती जा रही है अत: दोनों देशों के भाषा संस्थानों के मध्य लगातार सहयोग बढ़ रहा है।

अंतर्निहित विवादित मुद्देः

- कुछ बुनियादी मुद्दों पर दोनों देशों के संबंधों के मध्य बढ़ा अंतराल देखने को मिलता है: सीमा/क्षेत्रीय विवाद, जैसे- पोंगोंग त्सो मोरीरी झील का विवाद, 2019, डोकलाम गितरोध, 2017, अरुणाचल प्रदेश में आसिफला क्षेत्र पर विवाद।
- परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (Nuclear Suppliers Group- NSG) में भारत का प्रवेश, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)
 में भारत की स्थायी सदस्यता आदि पर चीन का प्रतिकृल रुख।
- बेल्ट एंड रोड पहल (Belt and Road Initiative) संबंधी विवाद, जैसे चीन-पाकिस्तान आर्थिक गिलयारे (China Pakistan Economic Corridor- CPEC) विवाद।

- सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर चीन द्वारा पाकिस्तान का बचाव एवं समर्थन।
- चीन ने हिंद- प्रशांत महसागरीय क्षेत्र में भारत (QUAD का सदस्य) की भूमिका पर भी असंतोष जाहिर किया है।

विवाद समाधान रणनीतिः

- हम अतीत से कुछ प्रेरणा और अनुभव सीख सकते हैं तथा निम्निलिखित कदम उठा सकते हैं-
 - पहला, नेताओं के रणनीतिक मार्गदर्शन का पालन करें।
 - दूसरा, मैत्रीपूर्ण सहयोग की सामान्य प्रवृत्ति को समझें।
 - तीसरा, पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग की गित का विस्तार करें।
 - चौथा, अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मामलों पर समन्वय को बढ़ाना चाहिये।
 - पाँचवाँ, आपसी मतभेदों का उचित प्रबंधन करना होगा।

आगे की राहः

- विकासशील देशों में केवल चीन तथा भारत ऐसे देश है जिनकी जनसंख्या एक अरब से अधिक है तथा ये दोनों देश राष्ट्रीय कायाकल्प
 (National Rejuvenation) के ऐतिहासिक मिशन के साथ ही विकासशील देशों के सामूहिक उत्थान प्रक्रिया को गित देने में
 महत्त्वपूर्ण प्रेरक की भूमिका निभा सकते हैं।
- वर्तमान समय में 70 वर्ष पुराने राजनियक संबंध स्थापित के पीछे की मूल आकांक्षा को फिर से जागृत करने तथा अच्छे पड़ोसी व दोस्ती, एकता और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।
 निष्कर्षः
- भारत की 'वसुधैव कुटुम्बकम' तथा चीनी दर्शन 'सार्वभौमिक शांति' तथा 'सार्वभौमिक प्रेम' की अवधारणा एक दूसरे की पूरक हैं। ये प्राचीन प्राच्य ज्ञान आज भी उतनी ही प्रासंगिक है।
- 'ड्रैगन-एलीफेंट टैंगो' (Dragon-Elephant Tango) अगले 70 वर्षों में बेहतर भविष्य तथा मानव जाति के साझा भविष्य के निर्माण में एक नया अध्याय लिखने की दिशा में आगे बढ़ रहें हैं।

ऑपरेशन संजीवनी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय वायु सेना (Indian Air Force- IAF) ने 'ऑपरेशन संजीवनी' (Operation Sanjeevani) के माध्यम से आवश्यक दवाइयों तथा अस्पताल के उपयोग संबंधी 6.2 टन सामग्री को मालदीव पहुँचाया।

मुख्य बिंदुः

- दवाइयों तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं को भारत में आठ आपूर्तिकर्ताओं से खरीदा गया था, लेकिन COVID- 19 महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के कारण किसी अन्य माध्यम से इन्हे मालदीव ले जाना संभव नहीं हो सकता था।
- मालदीव की सरकार के अनुरोध पर, वायुसेना ने 'ऑपरेशन संजीवनी' प्रारंभ किया तथा परिवहन विमान C-130J के माध्यम से मालदीव की उड़ान से पहले नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और मदुरै में हवाई अड्डों से इन दवाओं को एयर-लिफ्टिंग की।
- कुछ समय पूर्व ही भारत ने सेना के 14-सदस्यीय मेडिकल दल को एक वायरल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिये मालदीव भेजा था। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा मालदीव को 5.5 टन आवश्यक दवाएँ उपहार के रूप में भेंट की गईं।

सरकार की अन्य पहल:

 COVID- 19 महामारी पर कार्य कर स्वास्थ्य किमयों की सुरक्षा से संबंधित उपकरणों का आयात करने में भारतीय फार्मास्युटिकल कंपनियों की मदद करने के लिये भी भारत सरकार ने कदम उठाए हैं। इसके लिये भारत सरकार ने एयर इंडिया की शंघाई तथा हांगकांग कार्गों उड़ान संचालित करने के लिये चीन से मंज़्री प्राप्त कर ली है।

ऑपरेशन नीर (Operation Neer):

- 04 सितंबर 2014 को माले (मालदीव) को अपने मुख्य RO प्लांट के खराब होने से गंभीर पेयजल संकट का सामना करना पडा। संयंत्र के पुन: चालु होने तक शहर को प्रतिदिन केवल 100 टन पानी के साथ निर्वाह करना पड रहा था।
- मालदीव सरकार के अनुरोध पर, भारतीय वायुसेना ने तीन C-17 तथा तीन IL- 76 विमानों को दिल्ली से अराक्कोनम (Arakkonam) तथा उसके बाद माले तक एयरलिफ्ट करने के लिये तैनात किया गया। 05-07 सितंबर के बीच, IAF ने माले को 374 टन पीने के पानी की आपूर्ति की।

ऑपरेशन कैक्टस (Operation Cactus):

- 3 नवंबर, 1988 की रात को भारतीय वायु सेना ने मालदीव के लिये इस अभियान को शुरू किया। मालदीव द्वारा भाडे के आक्रमणकारियों (Mercenary Invasion) के खिलाफ सैन्य मदद की अपील करने पर IAF के IL-76s, An-2s, An-32s ने त्रिवेंद्रम से मालदीव के लिये उडान भरी, जबकि IAF मिराज 2000s द्वारा आसपास के द्वीपों पर निगरानी की गई।
- इस ऑपरेशन ने भारतीय वायुसेना की सामरिक एयरलिफ्ट क्षमता को प्रदर्शित किया।

ऑपरेशन राहत (Operation Rahat):

- अरब बलों के गठबंधन (Coalition Arab Forces) ने मार्च 2015 में यमन में हवाई हमले शुरू कर दिये। ऐसे में यमन के विभिन्न स्थानों पर फँसे 4000 से अधिक भारतीय नागरिकों को तत्काल निकाले जाने की आवश्यकता थी।
- भारतीय नागरिकों की निकासी के लिये विदेश मंत्रालय, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और एयर इंडिया की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन को पूरा करने पर कार्य किया।

ओपेक-रूस वार्ता स्थगित

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कच्चे तेल की घटती कीमतों को लेकर 'पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन'- ओपेक (Organization of the Petroleum Exporting Countries- OPEC) और रूस के बीच होने वाली वार्ता को अगले सप्ताह तक के लिये स्थिगत कर दिया गया है।

मुख्य बिंदुः

- रूस और सऊदी अरब के बीच कुछ मतभेदों के कारण 4 अप्रैल, 2020 को प्रस्तावित इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है।
- हाल ही में वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट को देखते हुए ओपेक+ (समूह के स्थायी सदस्य और अन्य देश) देशों ने तेल उत्पादन में कटौती करने का निर्णय लिया था।
- परंतु रूस ने वर्ष 2018 के समझौते के विपरीत पुन: तेल उत्पादन में कटौती करने से इनकार कर दिया था।
- इसके बाद सऊदी अरब ने कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि कर दी, जिससे बाजार में तेल की उपलब्धता अधिक होने के कारण कच्चे तेल के मुल्य में अभृतपूर्व गिरावट देखी गई है।
- तेल उत्पादक देशों के बीच वर्तमान में चल रहे विवाद के कारण ब्रेंट क्रूड ऑयल (Brent Crude Oil) का मूल्य 2 अप्रैल, 2020 को घटकर लगभग 33 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक पहुँच गया था।

'पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन'

(Organization of the Petroleum Exporting Countries- OPEC):

- OPEC एक स्थायी अंतर-सरकारी संगठन है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1960 में इराक में आयोजित बगदाद सम्मेलन (10-14 सितंबर, 1960) के दौरान की गई थी।
- ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेज़ुएला इस संगठन के पाँच संस्थापक सदस्य हैं।

- वर्तमान में इस संगठन के सदस्य देशों की संख्या 14 है।
- OPEC के अनुसार, इस संगठन का उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादकों के लिये उचित और स्थिर कीमतों को सुरक्षित करने, उपभोक्ता राष्ट्रों को पेट्रोलियम की एक कुशल, किफायती तथा नियमित आपूर्ति एवं तेल उद्योग में निवेश करने वालों के लिये एक उचित लाभ को सुनिश्चित करने हेतु सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों के समन्वय और एकीकरण को बढ़ावा देना है।
- OPEC का मुख्यालय वियना (आस्ट्रिया) में स्थित है।

तेल कीमतों में गिरावट के कारण:

- वर्तमान में वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की मांग में कमी को देखते हुए तेल उत्पादक देशों के बीच उत्पादन में कटौती लाने के लिये किसी सहमित का अभाव।
- रूस द्वारा तेल उत्पादन में कटौती लाने से इनकार करने पर सऊदी अरब ने अपना तेल उत्पादन 9.8 मिलियन बैरल प्रति दिन से बढ़ाकर
 12.3 मिलियन बैरल प्रति दिन करने की घोषणा कर दी थी।
- इसके अतिरिक्त COVID-19 के कारण वर्तमान में विश्व के अनेक देशों में औद्योगिक गतिविधियों को स्थगित करना पड़ा है, जिससे तेल की मांग में गिरावट और तेज़ हुई है।
- ध्यातव्य है कि चीन विश्व का सबसे बड़ा तेल आयात करने वाला देश है, दिसंबर 2019 में COVID-19 के शुरूआती मामलों की पुष्टि के बाद देश में यातायात और अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध के कारण चीन ने तेल के आयात में भारी कटौती की है।
- COVID-19 के कारण वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों पर प्रतिबंधों के कारण विमानन ईंधन (Aviation Turbine Fuel) की खपत में अभृतपूर्व कमी आई है।

तेल कीमतों में गिरावट के प्रभाव:

- तेल उत्पादन क्षेत्र की कंपनियों का मुनाफा तेल निकासी (Oil Extraction) की लागत पर निर्भर करता है।
- वर्तमान में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में तेल उपलब्ध है परंतु पिछले कुछ वर्षों से तेल निकासी की लागत में वृद्धि हुई है और इसका प्रभाव कंपनियों के मुनाफे पर भी पड़ा है, ऐसे में तेल की कीमतों में गिरावट से इस क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
- 'हेंस और बून ऑयल पैच बैंकरप्सी मॉनिटर रिपोर्ट' (Haynes and Boone's Oil Patch Bankruptcy Monitor Report) के अनुसार, वर्ष 2015 (जबसे तेल कीमतों में गिरावट देखी गई) से उत्तरी अमेरिका की 208 तेल उत्पादक कंपनियों ने स्वयं को दिवालिया घोषित किया।
- कच्चे तेल की कीमतों में कमी से तेल के निर्यात पर आश्रित अर्थव्यवस्थाओं (जैसे- ईरान, वेनुजुएला, रूस आदि) को गंभीर क्षति होगी।
- तेल की कीमतों में आई गिरावट का प्रभाव निर्यात पर आश्रित देशों की अर्थव्यवस्था के साथ ही उनकी राजनीति पर भी देखने को मिलेगा, ऐसे में अधिक समय तक तेल की कीमतों में गिरावट का प्रभाव देश की आतंरिक एवं क्षेत्रीय स्थिरता पर भी पड़ सकता है। तेल की कीमतों में गिरावट से भारत पर प्रभाव:
- कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से तेल के आयात पर होने वाले सरकारी खर्च में कमी आई है।
- मार्च 2014 और अप्रैल 2020 के बीच भारत में आयात होने वाले कच्चे तेल का मूल्य प्रति बैरल 107 अमेरिकी डॉलर से घटकर 21 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गया है।
- हालाँकि मार्च 2014 और फरवरी 2020 के बीच खुदरा तेल बिक्री की कीमतों में बहुत कमी नहीं हुई है, उदाहरण के लिये इस अविध के दौरान देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में लगभग 1.82 रुपए प्रति लीटर की ही कमी की गई।
- जबिक इसी अविध के दौरान तेल की बिक्री के माध्यम से केंद्र सरकार को शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली राशि में दोगुनी वृद्धि (10.38 रूपए से लगभग 23 रुपए प्रति लीटर) हुई है।
- मार्च 2020 में वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में गिरावट को देखते हुए केंद्र सरकार ने भारत में बिकने वाले तेल पर उत्पाद शुल्क (Excise Duty) में लगभग 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि कर दी, परिणामत: भारतीय बाज़ार में मिलने वाले तेल की कीमत में कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिला।

उत्पाद शुल्क (Excise Duty) में वृद्धि का कारण:

- COVID-19 के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभावों से पहले ही सरकार राजकोषीय घाटे की समस्या से जुझ रही थी।
- लगभग चार वर्ष पहले लागू 'वस्तु और सेवा कर' (Goods and Services Tax- GST) से अपेक्षा के अनुरूप शीघ्र ही अधिक कर (Tax) इकट्ठा नहीं किया जा सका है।
- इस दौरान उपभोक्ता मांग में गिरावट को देखते हुए आयकर में कटौती जैसे माध्यमों से उपभोक्ताओं को अधिक मुद्रा उपलब्ध कराने की मांग तेज हुई है।
- वर्तमान में सरकार के लिये आयकर में कटौती करना बहुत मुश्किल है अत: सरकार ने करदाताओं को नई दरों वाले आयकर स्लैब का विकल्प उपलब्ध कराया है।
- वर्तमान में उपभोक्ता मंहगाई में वृद्धि का कारण खाद्य पदार्थों एवं अन्य वस्तुओं की खराब आपूर्ति रही है, उपभोक्ता मंहगाई पर तेल की बढ़ी कीमतों का कोई विशेष प्रभाव नहीं रहा है।
- इसे देखते हुए वर्तमान में सरकार ने तेल की कीमतों को स्थिर रखकर, तेल से अर्जित लाभ के माध्यम से अपने वित्तीय घाटे को कम करने का प्रयास किया है।
- 24 मार्च, 2020 के लॉकडाउन के पहले की एक रिपोर्ट के अनुसार, केवल हालिया उत्पाद शुल्क वृद्धि से ही सरकार को वित्तीय वर्ष 2020-21 में 43,000 करोड़ रुपए का लाभ होने का अनुमान है।

देश में तेल की आपूर्ति पर COVID-19 का प्रभाव:

- वर्तमान में COVID-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिये देशभर लागू लॉकडाउन के परिणामस्वरुप पेट्रोल और डीजल की खपत में 50% तक की कमी आई है तथा विमानन ईंधन (Aviation Turbine Fuel) की बिक्री लगभग शून्य रही है।
- इसे देखते हुए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (Indian Oil Corporation- IOCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Hindustan Petroleum Corporation Limited- HPCL) जैसी भारतीय तेल परिशोधन कंपनियों ने आगामी अप्रैल माह के लिये कच्चे तेल के आयात में 50% तक की कमी करने का फैसला किया है जबिक वर्तमान में निर्यातक एक बैरल तेल 20 अमेरिकी डॉलर या उससे कम में भी देने के लिये तैयार हैं।
- भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Bharat Petroleum Corporation Limited- BPCL) रिफाइनरी निदेशक के अनुसार, वर्तमान में हमारी रिफाइनरियाँ (Refineries) केवल 80% क्षमता पर कार्य कर रहीं हैं और भविष्य में इसके और कम होने की उम्मीदें है, जिसके कारण हमें अतिरिक्त आयात को रद्द या विलंबित करना अथवा कहीं और बेचना पडेगा।
- वर्तमान में IOCL ने भी कच्चे तेल के कुल परिशोधन में अपनी क्षमता की एक-तिहाई कमी की है।
- IOCL ने पश्चिमी देशों के निर्यातकों से फोर्स मेजर (Force Majeure) नियमों के तहत तेल के आयत को कम करने का आग्रह किया है, कंपनी के अनुसार, COVID-19 के नियंत्रण के लिये देशव्यापी लॉकडाउन के कारण पेट्रोल की बिक्री में 54% और डीजल की बिक्री में 63% की गिरावट देखने को मिली है।

निष्कर्ष: वर्तमान में कच्चे तेल की घटती कीमतें तेल उत्पादक देशों के लिये एक बड़ी चिंता का विषय बन गईं हैं, यदि तेल की उत्पादन सीमा को लेकर उत्पादक देशों में शीघ्र ही कोई सहमित नहीं बनती तो यह समस्या और भी जिटल हो सकती है। परंतु आर्थिक क्षेत्र में दबाव झेल रही भारत सरकार के लिये अपने वित्तीय घाटे को कम करने का यह सबसे उपयुक्त समय है, आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा में कमी भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में सहायता प्राप्त होगी।

भारत-USA आयात शुल्क विवाद

चर्चा में क्यों?

भारत ने स्टील और एल्युमीनियम उत्पादों के डेरिवेटिव (Derivative) पर आयात शुल्क (Import Duties) बढ़ाने पर विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सेफगार्ड मैकेनिज़्म (Safeguard Mechanism) के तहत अमेरिका के साथ मंत्रणा की है।

प्रमुख बिंदुः

- इस वर्ष (2020) जनवरी में अमेरिका ने घोषणा की थी कि स्टील और एल्युमीनियम के डेरिवेटिव टैरिफ वृद्धि के अधीन होंगे। इसके पश्चात् मार्च 2018 में घोषित टैरिफ वृद्धि को पहले के सेफगार्ड मीजर्स (Safeguard Measures) के विस्तार के रूप में माना जा रहा है।
- भारत अमेरिका के इन मीजर्स को 'जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, 1994' (General Agreement on Tariffs and Trade 1994) और 'एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड' (Agreement on Safeguards) के तहत एक सेफगार्ड मीजर्स मानता है।
- एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड के प्रावधान के अनुसार, एक WTO सदस्य देश जो एक सुरक्षा उपाय लागू करने का प्रस्ताव करता है, उसको अन्य
 प्रभावित सदस्य देशों के साथ परामर्श के लिये पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिये।
- हालांकि परामर्श/मंत्रणा विश्व व्यापार संगठन की विवाद निपटान प्रणाली के तहत नहीं आते हैं।
- इस प्रकार भारत इस प्रकरण में अमेरिका से निर्यात प्रभावित होने की स्थिति में उचित व्यापार मुआवजे का निर्धारण करने के उपायों की मांग कर रहा है। जिससे भारत अपने भुगतान संतुलन को ठीक कर सके।
- भारत अमेरिका से इस संबंध में अमेरिका से त्वरित प्रतिक्रिया की अपेक्षा कर रहा है जिससे वर्तमान वैश्विक मंदी की स्थिति में अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधारने के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई कर सके।
- ध्यातव्य है कि इससे पहले मार्च 2018 में, जब अमेरिका ने स्टील पर 25 प्रतिशत और एल्युमीनियम पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया था तब भी भारत और अमेरिका के मध्य आयात शुल्क को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।

विश्व व्यापार संगठन

- WTO को स्थापना की भूमिका वर्ष 1944 में आयोजित ब्रेटनवुड्स सम्मेलन (Bretton Woods Conference) से जुड़ी है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वैश्विक वित्तीय प्रणाली की आधारशिला रखी। इसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund- IMF) और विश्व बैंक (World Bank) की स्थापना की गई।
- विश्व के सभी देशों को व्यापार के लिये एक मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद 1948 में बनाए गए गैट (General Agreement on Tarrifs & Trade-GATT) के स्थान पर 1 जनवरी, 1995 को WTO की स्थापना हुई थी।
- WTO विश्व में व्यापार संबंधी अवरोधों को दूर कर वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना मराकेश संधि के तहत की गई थी।
- यह सामान्य परिषद (General Council) का काम भी देखती है, जो कि विभिन्न देशों के राजनियकों से मिलकर बनती है और संस्था के प्रतिदिन के कामों को देखती है। इसमें होने वाले फैसलों को लागू कराने के लिये सभी सदस्य देशों के हस्ताक्षर जरूरी हैं।
- वर्तमान में विश्व के अधिकतम देश इसके सदस्य हैं। सदस्य देशों का मंत्रिस्तरीय सम्मेलन इसके निर्णयों के लिये सर्वोच्च निकाय है, जिसकी बैठक प्रत्येक दो वर्षों में आयोजित की जाती है।
- 29 जुलाई, 2016 को अफगानिस्तान इसका 164वाँ सदस्य बना।
- इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है।

ग्लोबल पेटेंट रेस में शीर्ष स्थान पर चीन

चर्चा में क्यों?

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (World Intellectual Property Organization- WIPO) के अनुसार, वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन करने में चीन प्रथम स्थान पर था।

प्रमुख बिंदुः

- वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन करने में प्रथम स्थान पर चीन, जबिक द्वितीय स्थान पर अमेरिका था।
 - जापान आवेदन की रैंकिंग में तीसरे स्थान पर, इसके बाद जर्मनी और दक्षिण कोरिया थे।

- वर्ष 2019 में चीन ने पेटेंट हेतू 58,990 आवेदन किये थे, जबकि अमेरिका ने 57,840 आवेदन किये थे।
 - केवल 20 वर्षों में चीन के आँकड़ों में 200 गुना की वृद्धि हुई है।
 - एशिया से लगभग 52.4% पेटेंट हेत् आवेदन किये गए हैं।
- वर्ष 1970 में पेटेंट सहयोग संधि प्रणाली (Patent Cooperation Treaty system) की स्थापना के बाद से अमेरिका प्रत्येक वर्ष सबसे अधिक आवेदन करने वाला देश था।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (World Intellectual Property Organization -WIPO):

- WIPO बौद्धिक संपदा सेवाओं, नीति, सूचना और सहयोग के लिये एक वैश्विक मंच है। यह संगठन 191 सदस्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र की एक स्व-वित्तपोषित एजेंसी है।
- इसका उद्देश्य एक संतुलित एवं प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रणाली के विकास हेतु करना है जो सभी के लाभ के लिये नवाचार और रचनात्मकता को सक्षम बनाता है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1967 में की गई थी एवं इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विटजरलैंड में है।

पेटेंट सहयोग संधि (Patent Cooperation Treaty-PCT):

- पेटेंट सहयोग संधि वर्ष 1970 में संपन्न एक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कानून संधि है, जिसमें 150 से अधिक देश शामिल हैं।
- यह प्रत्येक अनुबंधित देशों में आविष्कारों की रक्षा के लिये पेटेंट आवेदनों को दाखिल करने हेतू एक एकीकृत प्रक्रिया प्रदान करती है।
- PCT के तहत दायर पेटेंट आवेदन को अंतर्राष्टीय आवेदन या PCT आवेदन कहा जाता है।
- पेटेंट सहयोग संधि का उपयोग:
 - ♦ विश्व के प्रमुख निगमों, शोध संस्थानों और विश्वविद्यालयों द्वारा की गई खोजों पर एकाधिकार हेतु पेटेंट सहयोग संधि का उपयोग किया जाता है।
 - ♦ स्क्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा व्यक्तिगत आविष्कार के संरक्षण हेतु पेटेंट सहयोग संधि का उपयोग किया जाता है।

पेट्रोलियम उत्पादन में कटौती

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सऊदी अरब में आयोजित G-20 देशों की वर्चुअल बैठक (Virtual Meeting) में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देशों ने खनिज तेल की गिरती कीमतों को नियंत्रित करने के लिये आपसी सहमित से अपने दैनिक तेल उत्पादन में कटौती करने का फैसला किया है।

मुख्य बिंद:

- 10 अप्रैल, 2020 को आयोजित G-20 देशों की वर्चअल बैठक में विश्व के प्रमुख तेल उत्पादक देशों सऊदी अरब, रूस, अमेरिका आदि ने खनिज तेल की घटती कीमतों में स्थिरता लाने के लिये वैश्विक तेल आपूर्ति में कटौती करने पर सहमति जाहिर की है।
- इस बैठक में पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (OPEC) के देशों के साथ ही समूह के अन्य अनौपचारिक सदस्यों (OPEC+) के बीच हुए समझौते के तहत कच्चे तेल की वर्तमान वैश्विक आपूर्ति में 10% की कटौती की जाएगी।
- साथ ही OPEC संगठन ने विश्व के अन्य देशों से भी अपने तेल उत्पादन में 5% की कटौती करने की मांग की है।
- अमेरिका के ऊर्जा सचिव के अनुसार, वर्ष 2020 के अंत तक अमेरिका के तेल उत्पादन में 2-3 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कटौती की जा सकती है।
- इस समझौते के तहत सऊदी अरब और रूस मई और जून के बीच अपने पेट्रोलियम उत्पादन में 2.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कटौती करेंगे तथा इराक अपने पेट्रोलियम उत्पादन में 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कटौती करेगा।
- सऊदी अरब और रूस ने इस बात पर सहमित जाहिर की कि तेल के उत्पादन में इस कटौती का आधार अक्तूबर 2018 के 11 मिलियन बैरल प्रतिदिन को माना जाएगा, हालाँकि अप्रैल 2020 में सऊदी अरब का तेल उत्पादन बढकर 12.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहँच गया था।

G-20 समूह:

- G-20 या ग्रुप ऑफ ट्वेंटी (Group of Twenty) अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी।
- G-20 का उद्देश्य साझा आर्थिक, राजनीतिक और स्वास्थ्य चुनौतियों के निपटने के लिये वैश्विक नेताओं को एकजुट करना है।
- G-20 समूह में कुल 20 सदस्य (19 देश+ यूरोपीय संघ) हैं।
- G-20 नेताओं के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2008 में वाशिंगटन डी.सी. (अमेरिका) में किया गया था।
- G-20 सदस्य देश सामूहिक रूप से विश्व के आर्थिक उत्पादन का लगभग 80%, वैश्विक जनसंख्या का दो-तिहाई (2/3) और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तीन-चौथाई (3/4) भाग का प्रतिनिधित्त्व करते हैं।
- प्रतिवर्ष G-20 के सदस्यों में से किसी एक देश को अगले एक वर्ष के लिये समूह का अध्यक्ष चुना जाता है, वर्तमान में G-20 की अध्यक्षता सऊदी अरब (1 दिसंबर 2019 से 30 नवंबर 2020 तक) के पास है।
- G-20 देशों के 15 वें शिखर सम्मेलन का आयोजन 21-22 नवंबर 2020 तक सऊदी अरब की राजधानी 'रियाद' में किया जाएगा।

तेल की कीमतों में गिरावट के कारण:

- वर्तमान में वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की मांग में कमी के दौरान प्रमुख उत्पादक देशों के बीच तेल उत्पादन में कटौती को लेकर कोई सहमित न बन पाने के कारण तेल बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है।
- COVID-19 की महामारी ने पेट्रोलियम बाजार की समस्याओं को और अधिक बढ़ा दिया है, COVID-19 के संक्रमण को रोकने के लिये विश्व के अधिकांश देशों में उत्पादन और दैनिक गतिविधियों के प्रतिबंधित होने से कच्चे तेल की मांग में अतिरिक्त गिरावट देखने को मिली है।
- पेट्रोलियम उत्पादकों के लिये सार्वजिनक हवाई यातायात क्षेत्र एक बड़ा बाजार रहा है, परंतु COVID-19 के कारण वैश्विक स्तर पर घरेलू
 और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के स्थिगित होने से विमानन ईंधन की मांग में अत्यधिक गिरावट आई है।

भारत पर प्रभावः

- भारत विश्व के सबसे बड़े तेल आयातक देशों में से एक है, ऐसे में तेल कीमतों में गिरावट से विदेशी मुद्रा में बचत की जा सकेगी।
- वर्तमान में COVID-19 की चुनौती के बीच तेल की कीमतों में गिरावट से सरकार के वित्तीय घाटे को कम करने में सहायता मिलेगी।
- हालाँकि लंबे समय तक तेल की कीमतों में गिरावट से तेल के निर्यात पर आधारित देशों की अर्थव्यवस्थाओं को क्षित होगी, जिसका प्रभाव इन देशों को होने वाले भारतीय निर्यात पर पड सकता है।
- तेल उत्पादक देशों की अर्थव्यवस्था में गिरावट से इन देशों में रह रहे 'अनिवासी भारतीयों' (Non Resident Indian- NRI) के माध्यम से प्राप्त होने वाले प्रेषित धन (Remittance) में कमी के साथ बेरोजगारी में वृद्धि की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।

चुनौतियाँ:

- COVID-19
 - ◆ वर्तमान में अन्य उद्योगों के साथ ही पेट्रोलियम उत्पादकों के लिये भी COVID-19 की महामारी एक बड़ी समस्या बनी हुई है, वैश्विक स्तर पर तेल की मांग में वृद्धि के बगैर कीमतों को स्थिर करना उत्पादकों के लिये एक बड़ी चुनौती होगी।
- आपसी सहमति का अभाव :
 - ◆ मैक्सिको ने इस बात पर जोर दिया कि वह अपने तेल उत्पादन में OPEC+ द्वारा प्रस्तावित मात्रा (4,00,000 बैरल प्रतिदिन) की एक-चौथाई (1/4) कटौती ही करेगा। हालाँकि मैक्सिको के राष्ट्रपति के अनुसार, अमेरिका ने मैक्सिको की सहायता करने के लिये अमेरिकी तेल उत्पादन में मैक्सिको के हिस्से की कटौती करने का प्रस्ताव किया है।
 - ♦ नार्वे और कनाडा (गैर OPEC+ देश) ने इस समझौते के लागू होने की स्थिति में अपने उत्पादन में कटौती करने के संकेत दिये है।

• रूस के अनुसार, कनाडा अपने पेट्रोलियम उत्पादन में 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कटौती कर सकता है परंतु कनाडा के 'प्राकृतिक संसाधन मंत्री' (Natural Resources Minister) के अनुसार, G-20 बैठक में मंत्रियों के बीच तेल कीमतों में स्थिरता लाने हेतु उत्पादन में कटौती पर सहमति बनी थी परंतु इसकी मात्रा पर कोई चर्चा नहीं हुई थी।

निष्कर्ष: यद्यपि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के तात्कालिक रूप में भारत के लिये कई सकारात्मक परिणाम दिखाई देते हैं परंतु यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो तेल निर्यातक देशों के साथ ही भारत के लिये भी यह एक बड़ी चुनौती बन सकती है। वर्तमान में पेट्रोलियम उद्योग वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण अंग है, ऐसे में वैश्विक अर्थव्यवस्था की सतत् वृद्धि के लिये कच्चे तेल की कीमतों का स्थिर होना बहुत ही आवश्यक है।

ADB द्वारा 2.2 बिलियन डॉलर की सहायता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'एशियाई विकास बैंक' (Asian Development Bank- ADB) के अध्यक्ष ने COVID- 19 महामारी के प्रति अनुक्रिया के लिये भारत को 2.2 बिलियन डॉलर की आर्थिक मदद करने का आश्वासन दिया है।

मुख्य बिंदुः

- ADB ने भारत सिहत विकासशील सदस्य देशों की आपातकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिये लगभग 6.5 बिलियन डॉलर के प्रारंभिक पैकेज की घोषणा की है।
- ADB अध्यक्ष द्वारा COVID- 19 महामारी के प्रबंधन की दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की प्रशंसा भी की गई।

आर्थिक मदद की आवश्यकताः

- महामारी के कारण वैश्विक आर्थिक विकास दर कमज़ोर होने से भारत के व्यापार तथा विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान पैदा हो रहा है।
- महामारी के कारण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम आकार के उद्योगों (micro, small, and medium- MSME) के साथ-साथ देश के औपचारिक तथा अनौपचारिक श्रमिकों की आजीविका प्रभावित हो रही है। ऐसे में इन क्षेत्रों को आर्थिक मदद की बहुत अधिक आवश्यकता है।

आर्थिक मदद का महत्त्वः

 ADB द्वारा घोषित आर्थिक उपाय, गरीबों तथा व्यवसायकर्त्ताओं को काफी राहत तथा प्रोत्साहन प्रदान करेंगे एवं वर्तमान आर्थिक संकट से उबरने में तेज़ी से मदद करेंगे।

आर्थिक मदद का स्वरूप:

 सहायता राशि स्वास्थ्य क्षेत्र, गरीबों लोगों पर महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने, अनौपचारिक कार्यकर्त्ताओं, MSME तथा वित्तीय क्षेत्र को मदद के रूप में दी जाएगी।

ADB द्वारा भारत की प्रशंसा:

- COVID- 19 महामारी के प्रबंधन की दिशा में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किये गए निम्निलखित उपायों की ADB द्वारा प्रशंसा की गई:
- 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकालीन कार्यक्रम'।
- व्यवसाय के क्षेत्र में कर छूट तथा राहत उपाय।
- 1.7 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक राहत पैकेज।
- तीन सप्ताह के लॉकडाउन से प्रभावित गरीबों, महिलाओं तथा श्रमिकों को प्रदान की गई तत्काल सहायता।

आगे की राहः

• ADB ने कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर भारत की सहायता राशि को और बढ़ाया जाएगा तथा ADB सहायता राशि प्रदान करने के विभिन्न मार्गों यथा- आपातकालीन सहायता, नीति-आधारित ऋण (Policy-based Loans), बजट समर्थन आदि का सहारा ले सकता है।

एशियाई विकास बैंक (ADB):

- एशियाई विकास बैंक (ADB) एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी।
- ADB का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। वर्तमान में ADB में 68 सदस्य हैं, जिनमें से 49 एशिया-प्रशांत क्षेत्र के हैं।
- ADB में शेयरों का सबसे बडा अनुपात जापान का है।

ADB का कार्यक्षेत्रः

- इसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
- ADB विकासशील देशों की उन परियोजनाओं को समर्थन प्रदान करता है जो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के सहयोग के माध्यम से आर्थिक और विकास की दिशा में कार्य करती है।
- 'ADB रणनीति 2030' (ADB Strategy 2030) में 'एशिया-प्रशांत क्षेत्र' की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार ADB के कार्यों को निर्धारित किया गया है।

सार्क COVID- 19 आपातकालीन निधि पर मतभेद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन' (South Asian Association for Regional Cooperation-SAARC) देशों द्वारा स्थापित 'सार्क COVID- 19 आपातकालीन निधि' (SAARC COVID-19 Emergency Fund) के प्रबंधन में नेतृत्व को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद देखने को मिले हैं।

मुख्य बिंदुः

- पाकिस्तान ने सार्क COVID- 19 आपातकालीन निधि में 3 मिलियन का योगदान देने का वचन दिया है लेकिन साथ ही मांग की है कि इस पहल को सार्क संगठन के नियंत्रण में स्थापित करना चाहिये।
- भारत सरकार ने पाकिस्तान के इस निर्णय के बाद कहा कि "सामूहिक रूप से COVID- 19 महामारी से लड़ने में प्रत्येक सार्क सदस्य-राष्ट्र की गंभीरता का अंदाजा उनके व्यवहार से लगाया जा सकता है।"

सार्क COVID-19 आपातकालीन निधि:

- 15 मार्च, 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री के आग्रह पर COVID-19 की चुनौती से निपटने की रणनीति पर विचार-विमर्श के लिये सार्क समूह के सदस्य देशों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया।
- कॉन्फ्रेंस में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा COVID- 19 महामारी की चुनौती से निपटने के लिये 'सार्क COVID- 19 आपातकालीन निधि' स्थापित किये जाने का प्रस्ताव रखा गया।
- भारतीय प्रधानमंत्री ने इस फंड के लिये भारत की तरफ से शुरुआती सहयोग के रूप में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की।
- इसके बाद नेपाल और अफगानिस्तान दोनों ने 1-1 मिलियन डॉलर, मालदीव ने 200,000 डॉलर भूटान ने 100,000 डॉलर, बांग्लादेश ने 1.5 मिलियन डॉलर तथा श्रीलंका 5 मिलियन डॉलर का योगदान देने का वचन दिया।

पाकिस्तान का तर्कः

- पािकस्तान ने हाल में हुए सार्क देशों के व्यापार अधिकारियों के 'आभासी सम्मेलन' का बिहिष्कार किया तथा भारत के नेतृत्व में किसी भी
 प्रकार के सहयोग करने से मना कर दिया है।
- पाकिस्तान का मानना है कि COVID- 19 प्रबंधन की दिशा में कोई भी पहल केवल तभी प्रभावी हो सकती है जब भारत के बजाय सार्क संगठन के सचिवालय द्वारा इस दिशा में सभी कार्यों का प्रबंधन किया जाए।

भारत का तर्क:

- भारत सरकार का मानना है कि COVID- 19 महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिये तुरंत कार्यवाई करने की आवश्यकता है लेकिन सार्क सचिवालय मार्ग के माध्यम से कार्य करने में अनेक प्रक्रियागत औपचारिकताओं का पालन करना होगा। जबकि COVID-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया निधि का गठन ही तुरंत कार्रवाई करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
- भारत का मानना है कि आगे सार्क सदस्य देशों को 'सार्क COVID-19 आपातकालीन निधि' की प्रतिबद्धताओं के समय, तरीके तथा कार्यान्वयन के बारे में निर्णय लेना है।

आगे की राहः

भारत पर कई बार ये आरोप लगे हैं कि भारत अपनी मज़बूत स्थिति का उपयोग कर क्षेत्र के देशों पर अपना वर्चस्व कायम रखना चाहता है। वर्तमान के अनिश्चिततापूर्ण वातावरण में भारत के लिये एक जिम्मेदार पड़ोसी के रूप में अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन कर क्षेत्र के देशों के बीच अपनी एक सकारात्मक छवि प्रस्तुत करने का यह महत्त्वपूर्ण अवसर है।

स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग' रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO), अंतरराष्ट्रीय नर्स परिषद (International Council of Nurses- ICN) और 'नर्सिंग नाउ कैंपेन' (Nursing Now campaign) द्वारा 'स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग' नामक एक रिपोर्ट जारी की गई है।

मुख्य बिंदुः

- स्वास्थ्य क्षेत्र में नर्सों की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण रही है, स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले लोगों में नर्सों की हिस्सेदारी 59% से अधिक (27.9 मिलियन) है। यह संख्या स्वास्थ्य क्षेत्र में और विशेषकर वर्तमान वैश्विक संकट में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है।
- 7 अप्रैल, 2020 को जारी इस रिपोर्ट में सार्वभौमिक स्वास्थ्य और देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य, गैर-संचारी रोगों, आपातकालीन तैयारी तथा प्रतिक्रिया आदि के संदर्भ में राष्ट्रीय एवं वैश्विक लक्ष्यों की प्राप्ति में नर्सों के महत्त्वपूर्ण योगदान को रेखांकित किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय नर्स परिषद (International Council of Nurses- ICN):

- ICN की स्थापना वर्ष 1899 में की गई थी।
- ICN वैश्विक स्तर पर नर्सों के प्रतिनिधत्त्व के साथ, एक पेशे के रूप में नर्सिंग की प्रगति, नर्सों के हितों की रक्षा के लिये कार्य करती है।
- वर्तमान में विश्व के 130 से अधिक राष्ट्रीय नर्स संघ ICN में सक्रिय सदस्य के रूप में शामिल हैं।
- ICN के द्वारा प्रतिवर्ष 12 मई को 'फ्लोरेंस नाइटिंगेल' (Florence Nightingale) के जन्मदिवस की वर्षगाँठ के दिन को 'विश्व नर्सिंग दिवस' के रूप में मनाया जाता है।
 - वैश्विक स्तर पर नर्सों की स्थिति:
- इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में वैश्विक स्तर पर नर्सों का अनुपात प्रति हजार लोगों पर लगभग 36.9 (अलग-अलग क्षेत्रों में कुछ अंतर के साथ) है।
- रिपोर्ट के अनुसार, अफ्रीकी महाद्वीप की तुलना में अमेरिकी महाद्वीप में नर्सों की संख्या 10 गुना अधिक है।
- जहाँ अमेरिकी देशों में यह अनुपात प्रति 10,000 की जनसंख्या पर लगभग 83.4 है वहीं अफ्रीका के देशों में नर्सों का अनुपात प्रति 10,000 की जनसंख्या पर मात्र 8.7 (लगभग) है।
- रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर 5.7 मिलियन नर्सों की कमी हो जाएगी।
- वर्तमान में COVID-19 की आपदा को देखते हुए इंग्लैंड की 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा' (National Health Service- NHS) ने नौकरी छोडकर जा चुकी नर्सों से स्वयं को पुन: पंजीकृत कर इस आपदा से निपटने में उनकी सहायता करने का आग्रह किया है।

- रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में विश्व में नर्सों की संख्या में सबसे बड़ी कमी दक्षिण-पूर्वी एशिया क्षेत्र के देशों में है, वहीं अमेरिका और यूरोप के देशों में नर्स के रूप में कार्य कर रहे कर्मचारियों की बढ़ती उम्र एक बड़ी समस्या है।
- पूर्वी भूमध्यसागर, यूरोप और अमेरिकी महाद्वीप के कुछ उच्च आय वाले देश पूर्ण रूप से प्रवासी नर्सों पर आश्रित हैं।
 भारत में नर्सों की स्थितिः
- वर्ष 2018 के ऑँकड़ों के अनुसार, भारत में नर्सों की संख्या 15.6 लाख और सहायक नर्सों की संख्या लगभग 7.72 लाख थी।
- इनमें से पेशेवर नर्सों (Professional Nurses) की हिस्सेदारी 67% हैं और भारत में प्रतिवर्ष लगभग 3,22,827 ऐसे छात्र नर्सिंग में स्नातक पूरा करते हैं जिन्होंने कम-से-कम चार वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
- भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले लोगों में नर्सों की हिस्सेदारी सबसे अधिक 47% है, इसके अतिरिक्त डॉक्टर (23.3%), दंतिचिकित्सक (5.5%) और फार्मासिस्ट (24.1%) हैं।
- वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य क्षेत्र में नर्सों के रूप में कार्यरत कर्मचारियों में महिलाओं की संख्या अधिक (90%) है, भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र में महिला नर्सों की हिस्सेदारी 88% है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में नर्सों का योगदान:

- WHO के अनुसार, मरीजों को गुणवत्तापूर्ण पूर्ण देखभाल सुनिश्चित करने, संक्रमण को रोकने और नियंत्रित करने तथा रोगाणुरोधी प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance) का मुकाबला करने में नर्सों की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।
- ICN के अनुसार, चीन के हुबेई प्रांत में COVID-19 की महामारी से निपटने में सहायता के लिये चीन के अन्य हिस्सों से 28,000 से अधिक नर्सों हुबेई प्रांत में जाकर अपनी सेवाएँ दी थी।
- ICN के अनुसार, नर्सों के योगदान के परिणामस्वरूप अब तक 44,000 (चीन द्वारा जारी कुल संक्रमितों की संख्या का लगभग आधा) से अधिक लोगों को COVID-19 से ठीक किया जा सका है।
- वर्तमान में COVID-19 की चुनौती में जहाँ स्वच्छता, शारीरिक दूरी और सतह कीटाणुशोधन संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिये अति आवश्यक है ऐसे में नर्सों की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण हो जाती है।
- COVID-19 के नियंत्रण हेतु कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिये सुरक्षा उपकरणों जैसे-दस्ताने, मास्क आदि की कमी और मानसिक तनाव एक बड़ी चुनौती है।

चुनौतियाँ:

- नर्सों को अपने कार्यस्थलों पर खतरनाक बीमारियों के संक्रमण के साथ ही कम वेतन, लंबी अविध तक काम, भेदभाव और अन्य कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- पिछले कुछ वर्षों में भारत में कई बार नर्सों ने न्यूनतम वेतन और अधिक समय तक कार्य करने पर भी उपयुक्त भुगतान न मिलने जैसी समस्याओं को उठाया है।
- वर्ष 2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें राजधानी दिल्ली में कार्यरत नर्सों के लिये न्यूनतम वेतन 20,000 करने को कहा गया था।
- ऐसे ही मामले में वर्ष 2017 में केरल के निजी अस्पतालों में कार्य करने वाली नर्सों ने सुप्रीम कोर्ट की सिमिति के सुझाव के अनुरूप न्यूनतम वेतन न दिये जाने को लेकर विरोध किया।

समाधान:

- इन समस्याओं के समाधान के लिये सरकार को देश के विभिन्न भागों में निर्संग से जुड़े शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर निवेश में वृद्धि करनी चाहिये।
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में कार्यरत नर्सों के लिये राष्ट्रीय मानकों के आधार पर वेतन प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिये।
- सेवाकाल के दौरान नर्सों के प्रशिक्षण और उनकी समस्याओं के समाधान के लिये विशेष तंत्र की व्यवस्था की जानी चाहिये।

COVID-19 इंडो-यू.एस. आभासी नेटवर्क

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत-अमेरिका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम (Indo-U.S. Science and Technology Forum-IUSSTF) ने COVID-19 से निपटने हेतु आभासी नेटवर्क पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया है।

प्रमुख बिंदुः

- इस आभासी नेटवर्क का नाम 'COVID-19 इंडो-यू.एस. आभासी नेटवर्क (COVID-19 Indo-U.S. Virtual Networks)'
 - 🔷 इसका उद्देश्य विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की मदद से वैक्सीन, उपकरण इत्यादि को शीघ्रता से विकसित करना है।
- इस प्रस्ताव के तहत भारत और अमेरिका के वैज्ञानिक तथा इंजीनियर मौजूदा बुनियादी ढाँचे और धन का लाभ उठाकर एक आभासी तंत्र के माध्यम से COVID-19 से निपटने हेतु संयुक्त रूप से अनुसंधान का कार्य करेंगे।

आभासी नेटवर्क के प्रकार:

- ज्ञान अनुसंधान और विकास नेटवर्क:
 - ♦ यह नेटवर्क भारत और अमेरिका के वैज्ञानिकों को अकादिमक और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में संयुक्त रूप से अनुसंधान करने तथा अनुसंधान एवं शिक्षा के एकीकरण को प्रोत्साहित करने में सक्षम बनाएगा।
- सार्वजनिक-निजी आभासी नेटवर्क:
 - भारत और अमेरिका के वैज्ञानिकों को अकादिमक एवं उद्योग के पूर्व-व्यावसायिक अनुसंधान और विकास गतिविधियों पर सहयोग करने में सक्षम बनाता है।

आभासी नेटवर्क हेतु पात्रताः

- संघीय एजेंसियों/फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित भारतीय और अमेरिकी शैक्षणिक संस्थान, प्रयोगशाला और उद्योग जो सक्रिय रूप से COVID-19 से निपटने हेतु अनुसंधान में लगी हुई हैं।
- प्रत्येक प्रस्ताव में कम-से-कम एक भारतीय और एक अमेरिकी संस्थान शामिल होना चाहिये।
- परियोजना के निष्पादन में सभी भागीदारों की बौद्धिक और वित्तीय हिस्सेदारी होनी चाहिये।

अनुसंधान हेत् वित्तीय योगदानः

- भारत में प्रत्येक अनुसंधान हेतु लगभग 25-50 लाख रुपए तक तथा अमेरिका में 33-66 हजार डॉलर तक दिये जाएंगे।
- वित्तीय योगदान 18 महीने की अवधि के लिये उपलब्ध होगा।

भारत-अमेरिका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम

(Indo-U.S. Science & Technology Forum-IUSSTF):

- IUSSTF को मार्च 2000 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक समझौते के तहत स्थापित किया गया था।
- यह एक स्वायत्त द्विपक्षीय फोरम है इसका उद्देश्य संयुक्त रूप से सरकार, शिक्षा एवं औद्योगिक क्षेत्रों के बीच आपसी तालमेल के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और नवाचार को बढ़ावा देना है। इस फोरम को दोनों देशों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।
- भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science & Technology) और संयुक्त राज्य अमेरिका का अमेरिकी राज्य विभाग (The U.S. Department of State) इस कार्यक्राम से संबंधित नोडल विभाग हैं।
- IUSSTF एक विकसित कार्यक्रम है जो सामयिक विषयों पर दोनों देशों के वैज्ञानिक समुदायों के लिये संगोष्ठी, कार्यशालाओं और सम्मेलनों का आयोजन कराता है।

आगे की राहः

• विश्व जब COVID-19 जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है तो यह आवश्यक हो जाता है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समुदाय साथ काम करें और इस वैश्विक चुनौती से निपटने हेतु संसाधन साझा करें।

आसियान देशों का आभासी सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में COVID-19 के प्रसार को रोकने हेतु आसियान (Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) देशों का आभासी सम्मेलन संपन्न हुआ है।

प्रमुख बिंदुः

- गौरतलब है कि इस आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम द्वारा की गई।
 - इस सम्मेलन में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के प्रमुखों ने हिस्सा लिया है। इसके अलावा तीन आसियान सहयोगी देश चीन, जापान और दक्षिण कोरिया ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया।
- वियतनाम ने सम्मेलन में दक्षिण पूर्व एशियाई नेताओं से COVID-19 से निपटने हेतु एक आपातकालीन कोष स्थापित करने का आग्रह किया है।
 - इस आपातकालीन कोष का उपयोग दवाओं के भंडारण, चिकित्सा उपकरण, परीक्षण इत्यादि क्षेत्रों में किया जाएगा ताकि भविष्य में COVID-19 जैसी महामारी से निपटा जा सके।

COVID-19 से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:

- वियतनाम के अनुसार, आसियान देशों की कुल जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 30% है।
- COVID-19 के कारण लोगों का जीवन, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति और सामाजिक सुरक्षा प्रभावित हुए हैं।
- COVID-19 से आसियान देशों का पर्यटन क्षेत्र और निर्यात पर निर्भर अर्थव्यवस्था अत्यधिक प्रभावित हुई है।
- इस वर्ष थाइलैंड की अर्थव्यवस्था में 5.3% की कमी आ सकती है जोिक पिछले 22 साल में सबसे भयावह होगी। उल्लेखनीय है कि थाइलैंड आसियान देशों में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

आसियान देशों में COVID-19 का प्रभाव:

- वियतनाम में पहली बार आयोजित होने वाली फार्मूला-1 रेस (Formula-1 race) COVID-19 के कारण रद्द कर दी गई।
- वियतनाम में COVID-19 से संक्रमित लोगों की संख्या काफी कम है और यहाँ पर अभी तक एक भी मृत्यु नहीं हुई है।
 - 🔷 थाईलैंड में संक्रमण के 2,500 से अधिक मामले हैं और यहाँ पर अभी तक 40 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

आगे की राहः

- वियतनाम द्वारा प्रस्तावित आपातकालीन कोष COVID-19 जैसी महामारी से निपटने में सहायक साबित हो सकते है।
- सभी आसियान देशों को आपसी समन्वय के साथ इस महामारी से निपटने में उचित कदम उठाने होंगे।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की फंडिंग पर रोक

चर्चा में क्यों?

कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी से निपटने में विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization-WHO) की भूमिका पर प्रश्निचह्न लगाने के पश्चात् हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपित डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को दी जाने वाली फंडिंग (Funding) पर रोक लगाने की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि इससे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपित ने WHO की फंडिंग को कुछ समय के लिये रोकने की धमकी दी थी।
- अमेरिका का यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब कोरोनावायरस संपूर्ण विश्व को काफी बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है, आँकड़ों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर कोरोना संक्रमण के कुल मामले 20 लाख के पार जा चुके हैं, इसके अतिरिक्त तकरीबन 134000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
- ज्ञात हो कि 500 मिलियन डॉलर के साथ अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का सबसे बड़ा योगदानकर्त्ता है और मौजूदा समय
 में अमेरिका ही कोरोनावायरस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित है। नवीनतम आँकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कोरोनावायरस संक्रमण के
 लगभग 600000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और तकरीबन 28000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

कारण

- अमेरिका के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) अपने दायित्त्वों का निर्वाह करने में विफल रहा है और संगठन ने वायरस के बारे
 में चीन के 'दुष्प्रचार' को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण संभवत: वायरस ने और अधिक गंभीर रूप धारण कर लिया है।
- विदित हो कि अमेरिका ने कई अवसरों पर कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी के कुप्रबंधन और वायरस के प्रसार को रोकने में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की भूमिका पर प्रश्निचह्न लगाए हैं। अमेरिका का मत है कि WHO यथासमय और पारदर्शी तरीके से वायरस से संबंधित सूचना एकत्र करने और उसे साझा करने में पूरी तरह से विफल रहा है।

प्रभाव

- विशेषज्ञों के अनुसार, महामारी के इस महत्त्वपूर्ण समय पर फंडिंग को रोकना न केवल वैश्विक निकाय के कामकाज को प्रभावित करेगा बल्कि मानवता को भी चोट पहुँचाएगा।
- अमेरिका WHO की कुल फंडिंग में 15 प्रतिशत का योगदान देता है और अमेरिका द्वारा फंडिंग को रोकना WHO की कार्यप्रणाली को तो प्रभावित करेगा ही बल्कि यह संपूर्ण विश्व की स्वास्थ्य प्रणाली को भी प्रभावित करेगा।
- साथ ही इसके कारण वैश्विक स्तर पर महामारी के विरुद्ध हो रहे प्रयास भी कमज़ोर होंगे।
- कई निम्न और मध्यम-आय वाले देश जो मार्गदर्शन तथा सलाह के अतिरिक्त परीक्षण किट और मास्क जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के लिये WHO पर निर्भर हैं, पर भी अमेरिका के इस निर्णय का प्रभाव पड़ेगा।

'अमेरिका प्रथम' नीति

- कई विश्लेषक अमेरिका के इस निर्णय को अमेरिका की 'अमेरिका प्रथम' (America First) नीति का हिस्सा मान रहे हैं।
- ध्यातव्य है कि जब से राष्ट्रपित ट्रंप ने पदभार संभाला है, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक संस्था यूनेस्को (UNESCO), जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये वैश्विक समझौते और ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया है, इसके अतिरिक्त राष्ट्रपित डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राष्ट्र की माइग्रेशन संधि का भी विरोध कर रहे हैं।
- इसके अतिरिक्त ट्रंप प्रशासन ने वर्ष 2017 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (United Nations Population Fund) के वित्तपोषण में और वर्ष 2018 में फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था के वित्तपोषण में कटौती की घोषणा की थी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की फंडिंग

- विश्व स्वास्थ्य संगठन का वित्त पोषण मुख्य रूप से सदस्य-देशों, लोकोपकारी संगठनों और संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न संगठनों द्वारा किया जाता है।
- WHO द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, संगठन को 35.41 प्रतिशत फंड सदस्य-देशों (जैसे अमेरिका) के स्वैच्छिक योगदान से, 9.33 प्रतिशत फंड लोकोपकारी संगठनों के योगदान से और लगभग 8.1 प्रतिशत संयुक्त राष्ट्र के संगठनों के योगदान से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त शेष फंडिंग कई अन्य माध्यमों से आती है।
- सदस्य देशों द्वारा दिये जाने वाले स्वैच्छिक योगदान में भारत की तकरीबन 1 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

WHO द्वारा फंड का प्रयोग

• विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा इस धन राशि का प्रयोग स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के लिये किया जाता है। उदाहरण के लिये WHO ने अपने वित्तीय वर्ष 2018-19 के कुल बजट का 19.36 प्रतिशत पोलियो उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रमों पर खर्च किया गया था, इसके अतिरिक्त आवश्यक स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की बढ़ती पहुँच पर संगठन ने 8.77 प्रतिशत खर्च किया था।

आगे की राह

- विशेषज्ञों के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप का दावा पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) व्यक्तिगत रूप से किसी भी देश में जाकर जाँच नहीं कर सकता है और वह पूर्ण रूप से सदस्य-राज्यों द्वारा साझा की गई सूचना पर निर्भर करता है।
- दावे के विपरीत WHO लगातार सदस्य-देशों से आग्रह करता रहा है कि वे अपनी परीक्षण पद्धित में तेज़ी लाएँ और अधिक-से-अधिक लोगों को ट्रेस करने, क्वारंटाइन करने की व्यवस्था करें।
- अपनी असफलताओं के लिये पूर्ण रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन को जिम्मेदार ठहराना किसी भी दृष्टिकोण से तर्कसंगत नहीं है और यह निर्णय अमेरिका को अपनी प्रशासनिक विफलताओं को छिपाने में मदद नहीं कर सकता है।
- मुसीबत के समय में दूसरों को जिम्मेदार ठहराने के स्थान पर सभी हितधारकों को एक मंच पर आकर इस समस्या का हल खोजने का प्रयास करना चाहिये, तािक लगातार बढ़ रही मौतों और संक्रमण की संख्या को कम किया जा सके।

ब्रेक्ज़िट और COVID-19

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund- IMF) प्रमुख ने ब्रिटेन को COVID-19 की अनिश्चितता से उत्पन्न हुई चुनौतियों को कम करने के लिये 'पोस्ट ब्रेक्जिट ट्रांजिसन पीरियड' (Post Brexit Transition Period) में वृद्धि करने की सलाह दी है।

मुख्य बिंदुः

- IMF प्रमुख के अनुसार, वर्तमान में जब COVID-19 की महामारी के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है ऐसे समय में ब्रिटेन को इस अनिश्चितता को दूर करने के लिये आवश्यक कदम उठाने चाहिये।
- ब्रिटेन के लिये यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद ट्रांजिसन पीरियड 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त हो जाएगा, ऐसे में बिना किसी व्यापारिक समझौते के दोनों तरफ से आयात और निर्यात प्रभावित होगा।
- वर्तमान COVID-19 की महामारी के कारण यह समस्या और भी जटिल हो गई है।
- इससे पहले IMF ने चेतावनी जारी की थी कि इस वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्ष 1930 की मंदी के बाद सबसे तीव्र गिरावट की ओर बढ़ रही है।

पोस्ट ब्रेक्ज़िट ट्रांज़िसन पीरियड (Post Brexit Transition Period):

- 31 जनवरी, 2020 को ब्रिटेन के यूरोपीय संघ (European Union -EU) से औपचारिक रूप से अलग होने के बाद ब्रिटेन यूरोपीय संसद और यूरोपीय कमीशन से अलग हो गया है, परंतु वह अगले 11 महीनों (31 दिसंबर, 2020) तक यूरोपीय कस्टम यूनियन और एकल बाजार/सिंगल मार्केट (Single Market) का हिस्सा बना रहेगा।
- अर्थात् इस दौरान EU और ब्रिटेन के बीच लोगों की आवाजाही और मुक्त व्यापार की अनुमित पूर्व की तरह बनी रहेगी।
- इस अवधि के दौरान दोनों पक्षों के बीच व्यापार, वीजा और अन्य मामलों पर आवश्यक समझौते किये जाएंगे।
- वर्ष 1993 में यूरोपीय संघ की स्थापना के बाद ब्रिटेन इस संगठन से अलग होने वाला पहला सदस्य है।

ब्रिटेन पर COVID-19 का प्रभाव:

वर्तमान में ब्रिटेन विश्व के उन देशों में शामिल है जिनमें COVID-19 का सबसे गंभीर प्रभाव देखने को मिला है।

- ब्रिटेन में COVID-19 के कारण मृत्यु का पहला मामला 28 फरवरी, 2020 को सामने आया था और वर्तमान में ब्रिटेन में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1 लाख से अधिक तथा मृतकों की संख्या 14,000 से अधिक हो गई है।
- इतने कम समय में बड़ी संख्या में लोगों और कुछ स्वास्थ्य कर्मियों में COVID-19 संक्रमण के फैलने से ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (National Health Service- NHS) पर दबाव बढ गया है।
- COVID-19 का प्रभाव स्वास्थ्य के साथ अन्य क्षेत्रों पर भी देखने को मिला है,
- एक अनुमान के अनुसार, वर्तमान वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में ब्रिटेन की GDP में 35% तक गिरावट हो सकती है और बेरोजगारी में 10% (लगभग 20 लाख) की वृद्धि देखने को मिल सकती है।
- ब्रिटेन में लागू लॉकडाउन के कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में देश के विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों और व्यवसायों में भारी नुकसान होने का अनुमान है, इनमें विनिर्माण (-55%), भवन निर्माण (-70%), होलसेल, खुदरा और वाहनों की बिक्री (-50%), आवास तथा भोजन (-85%) आदि प्रमुख हैं।
- साथ ही इस वित्तीय वर्ष में ब्रिटेन के राजकोषीय घाटे में 218 बिलियन पाउंड की वृद्धि का अनुमान है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी एक वर्ष का सबसे बडा राजकोषीय घाटा होगा।

बेक्जिट का ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:

- ब्रिटेन 31 जनवरी, 2020 को औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ से अलग हो गया है ऐसे में 31 दिसंबर, 2020 को ट्रांजिसन पीरियड के समाप्त होने से पहले ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच किसी व्यापार समझौते का लागू होना बहुत आवश्यक होगा।
- वर्तमान में ब्रिटेन के कुल निर्यात में से 46% की खपत यूरोपीय बाजार में होती है ऐसे में ट्रांजिसन पीरियड के बाद बिना किसी व्यापार समझौते के ब्रिटिश निर्यात को बड़ा नुकसान हो सकता है।
- 'संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन' (United Nations Conference on Trade and Development-UNCTAD) के अनुमान के अनुसार, बिना किसी समझौते की स्थिति में ब्रिटेन को व्यापार कर के रूप में 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो सकता है।
- UNCTAD के अनुमान के अनुसार, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते की स्थिति में भी ब्रिटेन के निर्यात में 9% की गिरावट देखी जा सकती है।
- यूरोपीय संघ से अलग होने पर ब्रिटेन को कई अन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जिसका प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से देश की अर्थव्यवस्था में दिखाई देगा। जैसे- ब्रिटेन के नागरिकों को अन्य यूरोपीय देशों में नौकरी या व्यापार करने में कठिनाई, अन्य EU देशों के कम वेतन पर कार्य करने वाले कुशल श्रमिकों की कमी आदि।
- EU देशों के बीच आवाजाही की छूट के कारण कई ब्रिटिश कंपनियों ने अपने कारखाने कम उत्पादन लागत वाले अन्य EU देशों में खोल रखे थे, EU से अलग होने पर इनके उत्पादन की लागत में वृद्धि होगी।
- बिना किसी मजबूत व्यापार समझौते के ब्रिटेन में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना एक बड़ी चुनौती होगी। ब्रेक्जिट के बाद अन्य EU देशों की कई बड़ी कंपनियों ने ब्रिटेन में अपने कार्यालय बंद करने शुरू कर दिये है, जिससे ब्रिटेन में बड़ी मात्रा बेरोजगारी में वृद्धि होगी।
- उत्तरी आयरलैंड (युनाइटेड किंगडम का हिस्सा) और आयरलैंड गणराज्य सीमा समाधान के लिये ब्रिटेन और EU के बीच मुक्त व्यापार समझौता ही सबसे उपयुक्त उपाय होगा परंतु ऐसा न होने पर ब्रिटेन के लिये इस समस्या का समाधान करना एक बड़ी चुनौती होगी।

ब्रेक्ज़िट और COVID-19:

- COVID-19 की अनिश्चितता ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर ब्रेक्जिट के प्रभावों को कई गुना बढ़ा दिया है।
- ब्रेक्जिट के कारण EU से वापस आकर ब्रिटेन में नौकरियों की तलाश कर रहे युवाओं को COVID-19 के कारण रोज़गार न मिलने से देश में बेरोजगारी की वृद्धि होगी।
- EU से अलग होने के बाद ब्रिटेन में कई तरह की योजनाओं की शुरुआत भी की गई थी परंतु COVID-19 के कारण इनमें देरी के साथ ही इनकी लागत भी बढ़ने का अनुमान है।

- ब्रिटिश सरकार की पूर्व योजना के अनुसार, ब्रेक्जिट के बाद उद्योगों की मदद के लिये कई तरह के राहत पैकेज जारी करने का अनुमान था परंतु वर्तमान राजकोषीय घाटे और अर्थव्यवस्था की गिरावट को देखते हुये, किसी बड़े राहत पैकेज की संभावना बहुत कम हो गई है।
- हाल ही में EU और ब्रिटेन के द्वारा जारी एक साझा बयान में दोनों पक्षों के भविष्य के संबंधों पर चर्चा के लिये सप्ताह भर चलने वाली तीन बैठकों की घोषणा की गई, ये क्रमश: 20 अप्रैल, 11 मई और 1 जून को प्रारंभ होंगी।

अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय सिमिति की बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय सिमिति (International Monetary and Financial Committee-IMFC) और विश्व बैंक-अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विकास सिमिति (Development Committee) की बैठक में भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति की बैठक

- यह बैठक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund-IMF) के प्रबंध निदेशक के 'वैश्विक नीतिगत एजेंडे'
 पर आधारित थी, जिसका शीर्षक था 'असाधारण परिस्थितियाँ असाधारण कदम' (Exceptional Times Exceptional Action)।
- बैठक के दौरान IMFC के सदस्यों ने COVID-19 से निपटने के लिये सदस्य देशों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों और उपायों पर सिमिति को अपडेट किया तथा इसके साथ ही वैश्विक तरलता एवं सदस्य देशों की वित्तपोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिये IMF द्वारा प्रस्तुत किये गए संकट-निपटान पैकेज पर भी अपने-अपने विचार व्यक्त किये।
- वित्त मंत्री ने बैठक में अपने संबोधन के दौरान स्वास्थ्य संकट से निपटने के साथ-साथ इसके प्रभावों को कम करने के लिये भारत सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों को रेखांकित किया।
- ध्यातव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय सिमिति, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की मंत्रिस्तरीय सिमिति है।
 विकास सिमिति की बैठक
- बैठक में निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की आबादी को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारत COVID-19 का एक बड़ा हॉटस्पॉट बन सकता था, किंतु स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने और वायरस के प्रसार को रोकने में सरकार की भूमिका ने ऐसा नहीं होने दिया।
- सोशल डिस्टेंसिंग, यात्रा प्रतिबंध, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में वर्क फ्रॉम होम (WFH) की नीति, परीक्षण, स्क्रीनिंग और उपचार सुविधाओं में बढ़ोतरी जैसे महत्त्वपूर्ण उपायों ने सरकार को कोरोनावायरस के प्रभाव को कम करने में मदद की है।
- वित्त मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि वैश्विक समुदाय का एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते भारत जरूरतमंद देशों को महत्त्वपूर्ण दवाइयाँ और आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध करा रहा है और भविष्य में स्थिति के अनुसार ऐसा करता रहेगा।
- विकास सिमिति (Development Committee) की बैठक विश्व बैंक तथा IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (Boards of the Governors) की बैठक के साथ ही दोनों संस्थानों के कार्यों की प्रगित पर चर्चा करने के लिये प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है।

इस संदर्भ में सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम

- ध्यातव्य है कि हाल ही में कोरोनावायरस (COVID-19) से लड़ने और स्वास्थ्य प्रणाली को मज़बूत करने के लिये 2 अरब डॉलर (15,000 करोड़ रुपए) का आवंटन किया था। इस आपातकालीन पैकेज का उद्देश्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आर्थिक तौर पर सहायता प्रदान करना था।
- गरीबों एवं बुनियादी सुविधाओं से वंचित लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिये 23 अरब डॉलर (1.70 लाख करोड़ रुपए) की राशि के सामाजिक सहायता उपायों की एक योजना की घोषणा की थी।
 - सरकार द्वारा घोषित इस पैकेज का उद्देश्य निर्धनतम लोगों को भोजन आदि की सुविधा प्रदान कर उनकी भरसक मदद करना है, तािक उन्हें आवश्यक आपूर्ति या वस्तुओं को खरीदने और अपनी अनिवार्य जरूरतों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

- देश की विभिन्न छोटी बड़ी कंपनियों को कोरोनावायरस (COVID-19) के प्रभाव से बचाने हेतु केंद्र सरकार ने वैधानिक एवं नियामकीय अनुपालन में कंपनियों को राहत देने के लिये कई प्रावधान किये हैं।
- इस संबंध में RBI द्वारा भी कई उपायों की घोषणा की गई है, जिनमें रेपो रेट तथा रिवर्स रेपो रेट में कटौती करना और ऋणों की किस्त अदायगी में तीन माह की छूट प्रदान करना शामिल है।

आगे की राह

- कोरोनावायरस वैश्विक समुदाय के समक्ष एक गंभीर चुनौती के रूप में उभर कर आया है और सभी देश इस वायरस से यथासंभव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
- भारत समेत दुनिया भर के कई देशों ने वायरस का मुकाबला करने के लिये विभिन्न उपायों की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन के दूसरे चरण को भी लागू कर दिया है।
- हालाँकि इन प्रयासों के बावजूद देश में दिन-ब-दिन संक्रमित लोगों और संक्रमण के कारण मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है।
 इसके अलावा देश के कई स्थानों से आवश्यक बुनियादी ज़रूरतों जैसे- मास्क और सैनिटाइज़र की कमी के मामले भी सामने आ रहे हैं।
- नीति निर्माताओं को इस मुद्दों को जल्द-से-जल्द सुलझाने का प्रयास करना चाहिये और नीति के निर्माण के साथ-साथ उसके कार्यान्वयन पर भी ध्यान देना चाहिये।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में सख्ती

चर्चा में क्यों?

हाल ही में COVID-19 के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियों को देखते हुए भारत सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी कंपनियों में भारत की थल सीमा (Land Border) से जुड़े पड़ोसी देशों से 'प्रत्यक्ष विदेशी निवेश' (Foreign Direct Investment- FDI) के लिये सरकार की अनुमित को अनिवार्य कर दिया है।

मुख्य बिंदुः

- उद्योग संवर्द्धन और आतंरिक व्यापार विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ऐसे सभी विदेशी निवेश के लिये सरकार की अनुमित की आवश्यकता होगी जिनमें निवेश करने वाली संस्थाएँ या निवेश से लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति भारत के साथ थल सीमा साझा करने वाले देशों से हो।
- हालाँकि इस परिवर्तन के बाद भी अन्य विदेशी संस्थाएँ या नागरिक (इस परिवर्तन के तहत चिन्हित देशों के अतिरिक्त) FDI नियमों के तहत प्रतिबंधित क्षेत्रों/गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में पहले की तरह निवेश कर सकेंगे।
- वर्तमान में भारत 7 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से थल सीमाएँ साझा करता है।
- इसके अतिरिक्त वर्तमान संशोधन के बाद पाकिस्तान का कोई नागरिक या संस्थान रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और FDI नियमों के तहत प्रतिबंधित क्षेत्रों/गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में सरकार की अनुमति के बाद ही निवेश कर सकेगा।

विदेशी निवेश पर सख्ती के कारण:

- केंद्र सरकार द्वारा यह निर्णय COVID-19 के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक दबाव के बीच भारतीय कंपनियों के 'अवसरवादी अधिग्रहण' (Opportunistic Takeovers/Acquisitions) को रोकने के लिये लिया गया है।
- हाल ही में हाऊसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड (HDFC Ltd.) ने जानकारी दी थी कि वर्तमान में कंपनी में चीन के केंद्रीय बैंक 'पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना' (People's Bank of China) की हिस्सेदारी बढ़कर 1.1% तक पहुँच गई।
- भारत की कंपनियों में चीनी निजी क्षेत्र द्वारा निवेश में वृद्धि भारतीय नियामकों के लिये एक बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि चीनी सरकार के नियंत्रण की कंपनियों और निजी क्षेत्र में अंतर कर पाना बहुत कठिन है।
- चीनी निजी क्षेत्र की कई कंपनियाँ चीनी सरकार की योजनाओं और सेंसरशिप (Censorship) जैसे प्रयासों में प्रमुख भूमिका निभाती हैं।

भारत में चीनी निवेश:

- हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2014 तक भारतीय कंपनियों में कुछ चीनी निवेश मात्र 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जिसमें से अधिकांश चीन की सरकारी कंपनियों द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) क्षेत्र में किया गया निवेश था।
- वर्ष 2017 तक यह निवेश पाँच गुना से अधिक की वृद्धि के साथ 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया और मार्च, 2020 में भारतीय कंपनियों में चीनी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं का निवेश बढ़कर 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया था।
- वर्ष 2017 शंघाई की 'फोसुन' (Fosun) नामक कंपनी द्वारा हैदराबाद स्थित 'ग्लैंड फार्मा' (Gland Farma) में 1.09 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ कंपनी में उसकी हिस्सेदारी बढकर 74% हो गई।
- पिछले कुछ वर्षों में चीन की निजी क्षेत्र की कंपनियों ने भारत बाजार में दूरसंचार, पेट्रोकेमिकल, सॉफ्टवेयर और आईटी (IT) जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश में वृद्धि की है।
- पिछले कुछ वर्षों में भारत के मोबाइल उद्योग में चीन की पहुँच बढ़ी है और भारतीय ऊर्जा क्षेत्र की 4 में से 3 कंपनियाँ चीनी उत्पादों पर निर्भर हैं।
- फरवरी 2020 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, चीन की कई बड़ी कंपनियों जैसे-अलीबाबा (Alibaba) और टेंसेंट (Tencent) ने कम-से-कम 92 भारतीय स्टार्टअप में निवेश कर रखा है।
- इनमें से अधिकांश निवेश निजी क्षेत्र द्वारा किये गए छोटे निवेश (अधिकांश लगभग 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर) हैं, जिससे यह निवेश तात्कालिक संदेह से बचे रहते हैं।

लाभ:

- इस परिवर्तन के बाद विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले विदेशी निवेश की बेहतर निगरानी की जा सकेगी।
- केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद वर्तमान में COVID-19 से प्रभावित भारतीय कंपनियों में चीनी हस्तक्षेप की वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकेगा।

हानि और चुनौतियाँ:

- 'व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन' (United Nations Conference on Trade and Development-UNCTAD) की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में भारत विश्व में सबसे अधिक विदेशी निवेश प्राप्त करने वाले शीर्ष के 10 देशों में शामिल था।
- नियमों में सख्ती के कारण निश्चित ही भारत में होने वाले विदेशी निवेश में कमी आएगी और इसका सबसे अधिक प्रभाव तकनीकी और इंटरनेट से जुड़ी कंपनियों पर होगा।
- विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में निवेश करने वाली बड़ी संख्या उन कंपनियों की भी है जो अमेरिका या हॉन्गकॉन्ग जैसे देशों में पंजीकृत हैं।
- वेंचर कैपिटल फंड (Venture Capital Fund) और कुछ अन्य निवेशों के मामलों में अंतिम लाभार्थियों की राष्ट्रीयता की पहचान करना एक बड़ी चुनौती होगी।

COVID-19 पर UN का संकल्प

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सभी देशों के लिये दवाओं, टीकों और चिकित्सा उपकरणों तक न्यायसंगत तथा निष्पक्ष पहुँच सुनिश्चित करने और COVID-19 से लड़ने के लिये आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति के अनुचित भंडार को रोकने का आह्वान करते हुए सर्वसम्मित से एक संकल्प को अपनाया है।

प्रमुख बिंदु

• मैक्सिको-ड्राफ्टेड रेजोल्यूशन (Mexico-Drafted Resolution) में सभी सदस्य देशों में महत्त्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति तथा दवाओं और टीकों का प्रवाह सुनिश्चित करने लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रभावी बहुपक्षवाद के महत्त्व को मान्यता दी है, तािक सभी देशों पर कोरोनावायरस (COVID-19) के प्रतिकृल प्रभाव को कम किया जा सके।

- यह संकल्प सदस्य देशों को COVID-19 के टीके और दवाओं के अनुसंधान तथा उसके वित्तपोषण को बढ़ाने देने हेतु सभी संबंधित हितधारकों के साथ कार्य करने को प्रोत्साहित करता है।
- इस संकल्प में COVID-19 का मुकाबला करने के लिये डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने और वैज्ञानिक आधार पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की भी बात की गई है।
- यह संकल्प COVID-19 महामारी पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया दूसरा संकल्प है।
- इससे पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संपूर्ण वैश्विक समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले COVID-19 को समाप्त करने के लिये गहन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान करते हुए प्रस्ताव पारित किया था।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहले प्रस्ताव में सभी सदस्य राष्ट्रों और अन्य संबंधित हितधारकों को तत्काल ऐसे कारकों को समाप्त करने हेतु कदम उठाने का आह्वान किया गया है जो सुरक्षित, प्रभावी एवं सस्ती आवश्यक दवाओं, टीकों, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों तथा चिकित्सा उपकरणों तक आसान पहुँच में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के निहितार्थ

- विश्लेषकों के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के उक्त संकल्प COVID-19 को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिये महत्त्वपूर्ण साबित हो सकता है।
- COVID-19 को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए संकल्प आपदा और महामारी को नियंत्रित करने और उसके प्रसार को रोकने के लिये संयुक्त राष्ट्र की भूमिका की पुष्टि करते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए संकल्पों में COVID-19 के विरुद्ध लड़ाई में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की अग्रणी और महत्त्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया है।
 - ध्यातव्य है कि हाल ही में अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) पर कोरोनावायरस महामारी के कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए उसकी फंडिंग पर रोक लगा दी थी।
- हालिया संकल्प में संयुक्त राष्ट्र महासचिव से अनुरोध किया गया कि वह विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर आवश्यक कदम उठाएँ, ताकि दवाओं, टीकों और चिकित्सा उपकरणों तक वैश्विक पहुँच को बढ़ावा दिया जा सके।

आगे की राह

- विश्व के लगभग सभी देश COVID-19 महामारी से जूझ रहे हैं, ऐसे समय में आवश्यक है कि सही हितधारक एक मंच पर आकर इस महामारी से लड़ने का प्रयास करें।
- संयुक्त राष्ट्र समेत विश्व के तमाम बड़े संगठन इस महामारी से लड़ने में अपनी-अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। आवश्यक है कि इन संगठनों
 द्वारा किये जा रहे प्रयासों को सराहा जाए, क्योंकि यह समय इस संगठनों के लिये भी काफी महत्त्वपूर्ण है।

भारत के लिये हिंद महासागर आयोग का महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'हिंद महासागर आयोग' (Indian Ocean Commision- IOC) में भारत को 'पर्यवेक्षक' के रूप में शामिल किया गया।

मुख्य बिंदुः

- IOC द्वारा आयोग के 34वीं मंत्रिपरिषद बैठक (6 मार्च 2020) में भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया।
- IOC देश मुख्यत: 'पश्चिमी हिंद महासागर' (Western Indian Ocean- WIO) क्षेत्र में स्थित हैं।
- 'पश्चिमी हिंद महासागर' एक रणनीतिक क्षेत्र है जो अफ्रीका के दक्षिण-पूर्वी तट को न केवल हिंद महासागर से अपितु अन्य महत्त्वपूर्ण महासागारों से भी जोड़ता है।

हिंद महासागर आयोग (IOC):

- 'हिंद महासागर आयोग, एक अंतर-सरकारी संगठन है जो 'दक्षिण-पश्चिमी हिंद महासागर' क्षेत्र में बेहतर सागरीय-अभिशासन (Maritime Governance) की दिशा में कार्य करता है तथा यह आयोग पश्चिमी हिंद महासागर के द्वीपीय राष्ट्रों को सामूहिक रूप से कार्य करने हेतु मंच प्रदान करता है।
- IOC की स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय एबेने (Ebene) मॉरिशस में अवस्थित है।
- वर्तमान में हिंद महासागर आयोग में पाँच देश; कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरीशस, रियूनियन (फ्राँस के नियंत्रण में) और सेशल्स शामिल हैं।
- वर्तमान में भारत के अलावा इस आयोग के चार पर्यवेक्षक- चीन, यूरोपीय यूनियन, माल्टा तथा इंटरनेशनल ऑर्गनाइज्रेशन ऑफ ला फ्रांसोफोनी (International Organisation of La Francophonie- OIF) हैं।
- हाल ही में IOC ने समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में नेतृत्व का प्रदर्शन किया है। चूँकि भारत तथा हिंद महासागर के तटीय देशों के मध्य संबंधों का निर्धारण समुद्री सुरक्षा के आधार पर किया जाता है। अत: भारत के लिये IOC के महत्त्व को समुद्री सुरक्षा के आधार पर समझा जाना चाहिये।

IOC की प्रमुख पहलः

यूरोपीय संघ का मेस (MASE) कार्यक्रम:

- MASE कार्यक्रम वर्ष 2013 में यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ किया गया था। जिसका उद्देश्य दक्षिणी-पूर्वी अफ्रीका और हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना था। MASE कार्यक्रम के तहत IOC ने दो क्षेत्रीय केंद्रों के साथ पश्चिमी हिंद महासागर की निगरानी और नियंत्रण के लिये एक तंत्र स्थापित किया है।
- क्षेत्रीय समुद्री सूचना संलयन केंद्र:
 - ♦ मेडागास्कर में स्थित 'क्षेत्रीय समुद्री सूचना संलयन केंद्र' (Regional Maritime Information Fusion Center-RMIFC) का निर्माण समुद्री गितिविधयों की निगरानी और सूचना साझाकरण एवं विनिमय को बढ़ावा देकर समुद्री डोमेन के प्रति जागरूकता में वृद्धि करना था।
 - ♦ सेशेल्स में स्थित क्षेत्रीय समन्वय संचालन केंद्र (Regional Coordination Operations Centre- RCOC) RMIFC के माध्यम से एकत्रित जानकारी के आधार पर समुद्र में संयुक्त रूप से समन्वित हस्तक्षेप की सुविधा प्रदान करेगा।
- सोमालिया तट पर पाइरेसी पर संपर्क समूह:
 - ♦ IOC ने वर्ष 2018 और 2019 में 'सोमालिया तट पर पाइरेसी पर संपर्क समूह' (Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia- CGPCS) के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

भारत की भूमिका:

- IOC समुद्री सुरक्षा की दिशा में मज़बूती से कार्य कर रहा है लेकिन इसे मजबूत क्षेत्रीय नेतृत्त्वकर्त्ता की आवश्यकता है। भारत ने एक मज़बूत पर्यवेक्षक के रूप में IOC में शामिल होकर इस संगठन के प्रति अपनी रुचि जाहिर की है।
- भारत पश्चिमी हिंद महासागर के समुद्री देशों की समुद्री क्षमता निर्माण में मदद कर सकता है।
- भारत, पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र के देशों की 'अनन्य आर्थिक क्षेत्र' (Exclusive Economic Zone- EEZ) क्षेत्र में गश्त करने की क्षमता विकसित करने में सहायता कर सकता है।

आगे की राहः

- सोमालिया के तट पर समुद्री डकैती को रोकने सिहत क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा संगठन को समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रभावी ढाँचे के रूप में देखा जा रहा है।
- IOC में भारत के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने से भारत को न केवल राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी अपितु हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में अन्य देशों की भी सहायता प्रदान कर सकेगा।

अमेरिकी H-1B वीजा नियमों में सख्ती

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिका (USA) में COVID-19 के कारण बेरोजगारी में हो रही वृद्धि को देखते हुए H-1B वीजा सहित प्रवासी कामगारों से जुड़ी अन्य सभी योजनाओं को स्थगित करने की मांग तेज़ हुई है।

मुख्य बिंदुः

- अमेरिकी राष्ट्रपति को भेजे पत्र में एक अमेरिकी सांसद ने COVID-19 के कारण बढती बेरोज़गारी के दौरान अमेरिकी कामगारों की आय और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने हेतु H-1B, H4, L1, B1, B2, 'ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम' (Optional Practical Training Program) और प्रवासी श्रमिकों से जुड़ी अन्य योजनाओं पर रोक लगाने की मांग की है।
- ध्यातव्य है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने देश में अगले 90 दिनों के नए ग्रीन कार्ड जारी किये जाने पर रोक लगा दी थी।
- इसके अतिरिक्त देश में COVID-19 की महामारी के दौरान अमेरिकी कामगारों के हितों की रक्षा हेतू अमेरिकी राष्ट्रपति ने 22 अप्रैल, 2020 को एक उद्घोषणा जारी की थी।
- इस उद्घोषणा की धारा-6 में अमेरिका के श्रम (Labor), राज्य (State) और होमलैंड सिक्योरिटी (Homeland Security) सचिवों को उद्घोषणा जारी होने के 30 दिनों के अंदर अमेरिकी कामगारों को प्राथमिकता देने और उनके रोजगार के संदर्भ में अतिरिक्त सुझाव देने को कहा गया था।

आव्रजन को स्थगित करने का कारण:

- वर्तमान में COVID-19 की महामारी के कारण विश्व के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा है।
- अमेरिकी नेताओं के अनुसार, इस महामारी के कारण अमेरिका में लगभग 26 मिलियन लोग बेरोजगार हुए हैं।
- एक अनुमान के अनुसार, वर्तमान में अमेरिका में लगभग 30 लाख लोग H-1B वीजा पर रहकर काम करते हैं और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये अमेरिकी सरकार को अन्य देशों के कामगारों से H-1B के लगभग 2,75,000 आवेदन प्राप्त हुए थे।
- जानकारों के अनुसार, लगभग 24% H-1B वीजाधारक प्रतिवर्ष ग्रीन कार्ड के लिये आवेदन करते हैं।
- अमेरिका में बेरोजगारी में हो रही वृद्धि के साथ सरकार पर प्रवासी कामगारों को देश में आने से रोकने के लिये दबाव बढ़ा है।

H-1B वीज़ा (H-1B Visa):

- H-1B अमेरिकी सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक वीजा है, जिसके तहत अन्य देशों के कुशल कामगारों को एक निश्चित अवधि के लिये अस्थाई रूप से अमेरिका में रहकर कार्य करने की अनुमित दी जाती है।
- H-1B वीजा प्राप्त करने हेतु कुछ न्यूनतम शैक्षिक मानक भी सुनिश्चित किये गए है। जैसे- स्नातक या समकक्ष डिग्री होना अथवा नियोक्ता द्वारा निर्धारित योग्यता आदि।
- वर्तमान में अमेरिकी सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम H-1B वीजा जारी किये जाने की सीमा 65,000 सुनिश्चित की गई है।
- हालाँकि अमेरिकी शिक्षण संस्थानों से परास्नातक या इससे उच्चतर डिग्री वाले पहले 20,000 आवेदकों को इससे छूट दी गई है।

स्वास्थ्य कर्मियों को राहत:

- एक अन्य अमेरिकी सांसद जॉश हार्डर (Josh Harder) ने 'कांग्रेस की प्रवर समिति' (Congressional Select Committee) को लिखे एक पत्र में समिति को H-1B वीजा पर कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को संरक्षण प्रदान करने के लिये आवश्यक कदम उठाने की मांग की है।
- सांसद जॉश हार्डर के अनुसार वे एक विधेयक पर कार्य कर रहे हैं जिससे COVID-19 के दौरान नौकरी गँवाने वाले H-1B वीजाधारक स्वास्थ्य कर्मियों के 60 दिन के ग्रेस पीरियड (Grace Period) में वृद्धि की जा सके।
 - ◆ वर्तमान में अमेरिका में बजट की कमी के कारण नौकरी गँवाने वाले प्रवासी स्वास्थ्य कर्मियों को 60 दिनों के अंदर दूसरी नौकरी शुरू करनी होती है अन्यथा उन्हें देश छोड़ना पड़ेगा।

कारण

- एक अनुमान के अनुसार, वर्तमान में अमेरिकी स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत लगभग 17% स्वास्थ्य कर्मी अन्य देशों से आए हुए प्रवासी नागरिक हैं।
- वर्तमान में आर्थिक दबाव के कारण अमेरिका के कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने पर विवश हुए हैं।
- H-1B वीजा नियमों के कारण कई स्वास्थ्य कर्मियों को अमेरिका से बाहर जाना पड़ सकता है, ऐसे में पहले से ही स्वास्थ्य कर्मियों की कमी से जूझ रहे क्षेत्रों की समस्याएँ और बढ़ जाएँगी।

भारत पर प्रभाव:

- भारत के बहुत से युवा कामगार अमेरिका में कार्य करने और अमेरिकी नागरिकता पाने के लिये H-1B वीजा का रास्ता अपनाते हैं।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये अमेरिकी सरकार को प्राप्त हुए 2,75,000 आवेदनों में 67% भारत से भेजे गए थे।
- अमेरिका द्वारा H-1B वीजा संबंधी नियमों में सख्ती भारतीय कामगारों और कंपनियों के लिये एक बड़ी समस्या है।
- साथ ही ऐसे भारतीय जिनकी नागरिकता H-1 B नवीनीकरण (Renewal) हेतु प्रक्रियाधीन होगी उनके लिये वीजा नियमों में संशोधन चिंता का कारण बन सकते हैं।

समाधान:

- विशेषज्ञों के अनुसार, COVID-19 की महामारी से वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई गिरावट के परिणामस्वरूप आने वाले दिनों में विश्व के बहुत से देश स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा के लिये आव्रजन में अधिक-से-अधिक कमी करने का प्रयास करेंगे।
- ऐसे में सरकार को देश में रोज़गार के नए अवसर उत्पन्न करने पर विशेष ध्यान देना होगा।
- देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देकर नए संसाधनों का विकास कर इस समस्या को कुछ हद तक कम किया जा सकता है।
- सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) क्षेत्र की कई कंपनियों जैसे-TCS आदि एक नए मॉडल पर कार्य कर रहीं हैं जिसके तहत आधे से अधिक कर्मचारियों को घर से कार्य करने की सुविधा होगी, इसके माध्यम से भारत में रह रहे कामगार विश्व के अन्य देशों में स्थित कंपनियों में अपनी सेवाएँ दे पाएँगे।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

दूरसंचार नेटवर्क क्षमता में वृद्धि की आवश्यकता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कोरोनावायरस की रोकथाम हेतु लागू 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान देश में इंटरनेट डेटा ट्रैफिक में अत्यधिक वृद्धि को देखते हुए 'टॉवर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन' ने देश के दूरसंचार नेटवर्क क्षमता में शीघ्र ही वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

मुख्य बिंदुः

- टॉवर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन (Tower and Infrastructure Providers Association- TAIPA)
 के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से लॉकडाउन और अधिकतर लोगों के घर से काम करने के कारण देश में डाटा ट्रैफिक में कम-से-कम 30%
 की वृद्धि हुई है।
- इस दौरान देश के कुछ शहरों जैसे-बंगलूरु और हैदराबाद में सेल्युलर नेटवर्क डेटा ट्रैफिक में 70% तक की वृद्धि देखने को मिली है।

टॉवर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन

(Tower and Infrastructure Providers Association-TAIPA):

- TAIPA 'भारतीय संस्था पंजीकरण अधिनियम' (Indian Society registration act), 1860 के तहत पंजीकृत एक उद्योग प्रतिनिधि निकाय है।
- इसकी स्थापना वर्ष 2011 में की गई थी।
- यह संस्था टेलीकॉम क्षेत्र के विकास के लिये नीति निर्माताओं, नियामकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य हितधारकों के बीच समन्वय तथा विचार-विमर्श को बढ़ावा देने का कार्य करती है।
- TAIPA के अनुसार, देश में इंटरनेट डेटा की मांग को पूरा करने और दूरसंचार सेवाओं की 24x7 आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण और मज़बूत बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता है।
- ध्यातव्य है कि कोरोनावायरस के प्रसार पर नियंत्रण के लिये 24 मार्च, 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा देश में अगले 21 दिनों के लिये संपूर्ण लॉकडाउन लागू किये जाने की घोषणा की गई थी।
- इस दौरान कुछ अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों (उद्योग, यातायात आदि) पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया।
- लॉकडाउन के दौरान अधिकतर कंपिनयों ने इंटरनेट के माध्यम से घर पर रहकर काम करने का विकल्प अपनाया, जिसके कारण पिछले कुछ दिनों में सेल्युलर नेटवर्क डेटा ट्रैफिक में अत्यधिक वृद्धि हुई है।
- साथ ही स्कूलों और कॉलेजों द्वारा लॉकडाउन के दौरान ई-लर्निंग जैसी पहल की शुरुआत के कारण दूरसंचार क्षेत्र पर दबाव बढ़ा है।

टेलीकॉम क्षेत्र के कमज़ोर बुनियादी ढाँचे के कारण:

• TAIPA महानिदेशक के अनुसार, देश के 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से मात्र 16 ने ही बड़े पैमाने पर 'राइट ऑफ वे' पॉलिसी, 2016 के अनुरूप अपनी नीतियाँ बनाई हैं।

भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम (Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016):

 भारत सरकार द्वारा ये नियम 'भारतीय तार अधिनियम (Indian Telegraph Act),1885' के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोबाइल टावर और भूमिगत अवसंरचना (ऑप्टिकल फाइबर) को विनियमित करने के लिये बनाए गए थे।

- इन नियमों के तहत मोबाइल टावर लगाने, ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का लाइसेंस और अनुमित देने तथा समयबद्ध तरीके से विवादों को निपटाने की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।
- भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम को नवंबर 2016 में लागू किया गया था।
- हाल के वर्षों में टेलीकॉम क्षेत्र में सिक्रय बहुत सी कंपनियाँ घाटे में रही हैं और बकाया समायोजित सकल राजस्व (Adjusted Gross Revenue-AGR) के विवाद के कारण टेलीकॉम क्षेत्र की कंपनियाँ भारी दबाव में रहीं हैं।
- पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी विकास, सस्ती टेलीकॉम सुविधाओं (स्मार्टफोन, डेटा शुल्क) की उपलब्धता और विभिन्न सरकारी तथा
 गैर-सरकारी सेवाओं के ऑनलाइन होने से इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है।

समाधान:

- TAIPA द्वारा 'दूरसंचार विभाग' (Department of Telecommunication- DoT) के सिचव और राज्य सिचवों को लिखे पत्र में बढ़े इंटरनेट ट्रैफिक के दबाव से निपटने के लिये देश के दूरसंचार नेटवर्क क्षमता में शीघ्र ही वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
- TAIPA के अनुसार, देश के दूरसंचार नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिये वर्तमान अवसंरचना के उन्नयन के साथ ही नए उपकरणों की मात्रा में भी वृद्धि करनी होगी।
- इसके तहत नेटवर्क टॉवर, सेल ऑन वील्स (Cell on Wheels) और ऑप्टिकल फाइबर केबल तंत्र के विकास पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

इलेक्ट्रोनिक्स विनिर्माण हेतु योजनाएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक घटक और सेमीकंडक्टर (Semiconductor) विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये 48,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि की तीन नई योजनाओं को मंज़्री दी है।

प्रमुख बिंदु

- पहली योजना-
 - ♦ सर्वप्रथम केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिये 'उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (production-linked incentive-PLI)' योजना को स्वीकृति दी है।
 - इस योजना में उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया गया है, तािक घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सके और मोबाइल फोन के विनिर्माण तथा एसेंबली, परीक्षण, मार्किंग एवं पैकेजिंग सिहत विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों के क्षेत्र में व्यापक निवेश आकर्षित किया जा सके।
 - इस योजना के तहत भारत में निर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री (Incremental Sales) पर पात्र कंपनियों को आधार वर्ष के बाद के पाँच वर्षों की अविध के दौरान 4 से 6 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
 - प्रस्तावित योजना से मोबाइल फोन के विनिर्माण और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों के क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों को काफी लाभ प्राप्त होगा जिससे देश में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन संभव हो सकेगा।
 - सरकार ने इस योजना पर लगभग 41000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव किया है।

पृष्ठभूमि:

इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जे इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिये काफी आवश्यक हैं। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग संघ के अनुसार, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों का बाजार वित्त वर्ष 2018-19 में 1,31,832 करोड़ रुपए डॉलर का था।

- दूसरी योजना-
 - केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंज़र की गई दूसरी योजना देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टरों को प्रोत्साहन देने से संबंधित है।

- ♦ इसका योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टरों के माध्यम से विश्वस्तरीय अवसंरचना के साथ-साथ साझा सुविधाओं को विकसित करना है।
- ◆ इस योजना के तहत मैदानी इलाकों में न्यूनतम 200 एकड क्षेत्र में फैले हुए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर्स और पहाडियों एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों में न्यूनतम 100 एकड़ में फैले हुए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर्स को 70 करोड़ रुपए प्रति 100 एकड़ की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- ♦ इसके अलावा इस योजना में साझा सुविधा केंद्र (Common Facility Centre) के लिये उनकी परियोजना लागत का 75 प्रतिशत तक वित्त पोषण करने का प्रावधान है, जो कि 75 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा।
- इस योजना का कुल परिव्यय 8 वर्ष की अविध के दौरान 3762.25 करोड़ रुपए है।

पृष्ठभूमि

भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन वित्त वर्ष 2014-15 के 1,90,356 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2018-19 में 4,58,006 करोड़ रुपए पर पहुँच गया है। वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी 1.3 प्रतिशत (वर्ष 2012) से बढ़कर 3.0 प्रतिशत (वर्ष 2018) हो गई। वर्तमान में भारत की GDP में इसका योगदान 2.3 प्रतिशत है।

- तीसरी योजना-
 - केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण के संवर्द्धन योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला का गठन करने वाली वस्तुओं के विनिर्माण हेतु पूंजीगत व्यय का 25 प्रतिशत वित्तीय प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव को मंज़्री दी है।
 - ◆ इस योजना से इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों की घरेलु विनिर्माण के लिये अक्षमता को दूर करने के अलावा देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पारिस्थितिको को मज़बूत बनाने में भी मदद मिलेगी।
 - इस योजना की कुल लागत लगभग 3,285 करोड़ रुपए है।

बीसीजी वैक्सीन का COVID-19 पर प्रभाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में डॉक्टरों और वैज्ञानिकों द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार, जिन देशों में बेसिल कैलमेट गुएरिन (Bacille Calmette Guerin-BCG) वैक्सीन के टीकाकरण का कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित हुआ है, वहाँ COVID-19 से कम मौतें हुई हैं।

बीसीजी वैक्सीन नीति और COVID-19 से मौतें:

- मध्यम और उच्च आय वाले देश:
 - ♦ मध्यम और उच्च आय वाले 55 देशों को इस विश्लेषण के लिये चुना गया। ऐसे देश जहाँ BCG वैक्सीन के टीकाकरण का कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित हुआ वहाँ COVID-19 के कारण मृत्यु दर 0.78% प्रति मिलियन है।
 - ♦ मध्यम और उच्च आय वाले ऐसे 5 देश जहाँ BCG के टीकाकरण का कार्यक्रम नहीं हुआ वहाँ COVID-19 के कारण मृत्यु दर 16.39% प्रति मिलियन है।
- निम्न और मध्यम आय वाले देश:
 - ◆ निम्न और मध्यम आय वाले देशों को विश्लेषण से बाहर रखा गया है। इन देशों में COVID-19 का परीक्षण दर कम होने के कारण यहाँ मृत्यु के कुल मामले स्पष्ट नहीं हैं।
- भारत के संदर्भ में:
 - ♦ भारत को विश्लेषण में शामिल नहीं किया गया है हालाँकि उक्त अध्ययन के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत में BCG वैक्सीन के टीकाकरण का कार्यक्रम सुचारू रूप संचालित होने के कारण मृत्यु दर अत्यधिक कम है।

बीसीजी वैक्सीन

BCG तपेदिक और सांस से जुड़ी बीमारियों को रोकने वाला टीका है। BCG को जन्म के बाद से छह महीने के बीच लगाया जाता है। COVID-19 से प्रभावित देश और BCG:

- वर्ष 1947 से ही जापान में BCG के टीकाकरण का कार्यक्रम संचालित हो रहा है। शुरुआती दौर में चीन के बाद COVID-19 से संक्रमित देशों में से एक होने के बावजूद जापान में सामाजिक दूरी (Social Distancing) को सख्त रूप में लागू नहीं किया गया था। 29 मार्च तक जापान में 1655 लोग संक्रमित तथा 65 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
- वर्ष 1984 में ईरान में BCG के टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू किया गया था। यहाँ पर 36 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति अत्यधिक असुरक्षित हैं। ईरान में अभी तक कम से कम 3000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
- स्पेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली और नीदरलैंड में BCG के टीकाकरण के कार्यक्रम हेतु कोई नीति नहीं है। इन देशों में COVID-19 से लोगों की मृत्यु अत्यधिक संख्या में हुई है।
 - इनमें से कई देशों में BCG के टीकाकरण कार्यक्रम का संचालन नहीं होता है क्योंकि वयस्कों में TB के प्रति BCG हमेशा असरदार साबित नहीं होने के साथ ही माइकोबैक्टीरियम की अन्य प्रजातियों से संक्रमण बढ़ने का खतरा होता है।
- ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका स्वास्थ्य कर्मियों पर BCG का टीकाकरण करने जा रहे हैं। इस टीकाकरण से यह अनुमान लगाने की कोशिश की जा रही है कि BCG से COVID-19 पर कैसा प्रभाव पड़ता है।

तपेदिक (Tuberculosis-TB):

- माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस (Mycobacterium Tuberculosis) नामक बैक्टीरिया के कारण तपेदिक होता है।
- हस्तांतरणः
 - ◆ TB एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा के माध्यम से फैलता है।
- विश्व क्षय रोग दिवस हर साल 24 मार्च को तपेदिक के बारे में सार्वजिनक जागरूकता बढ़ाने तथा वैश्विक तपेदिक महामारी को समाप्त करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिये मनाया जाता है।

कोरोनावायरस का जीनोम अनुक्रमण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific and Industrial Research-CSIR) सिहत सभी राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं को कोरोनावायरस पर परीक्षण करने की अनुमित दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research- ICMR) द्वारा अनुमित के पश्चात्
 'वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद' की प्रयोगशालाओं के पास अब वायरस के नमूनों तक पहुँच होगी जिससे जीनोम अनुक्रमण किया जा सकेगा।
- 7 अप्रैल तक भारत कोरोनावायरस (SARS-CoV-2) के नौ जीनोम अनुक्रमों को 'ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंज़ा डेटा' (Global Initiative on Sharing All Influenza Data-GISAID) के साथ साझा कर चुका है।

ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंज़ा डेटा

Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID)

• GISAID, विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization-WHO) द्वारा विभिन्न देशों हेतु जीनोम संबंधी डेटा साझा करने के लिये वर्ष 2008 में शुरू किया गया एक सार्वजनिक मंच है।

- एकत्रित डेटा में इन्फ्लुएंजा वायरस अनुक्रम, उनसे संबंधित नैदानिक और महामारी संबंधी डेटा, भौगोलिक और साथ ही प्रजाति-विशेष डेटा भी शामिल है।
- इस सार्वजिनक मंच द्वारा एकत्रित डेटा शोधकर्त्ताओं को वायरस के विकास, उसके प्रसार और अंतत: महामारी बनने की संभावना को समझने में मदद प्रदान करता है।
- गौरतलब है कि भारत द्वारा साझा किये गए ये सभी अनुक्रम पुणे स्थित 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी' (National Institute of Virology) द्वारा तैयार किये गए हैं।
- अनुमित प्राप्त होने के पश्चात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के दो क्षेत्रीय केंद्रों मसलन- 'सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी' (Center for Cellular and Molecular Biology- CCMB) और 'इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी' (Institute of Genomics and Integrative Biology- IGIB) द्वारा भी इस वायरस का जीनोम अनुक्रमण किया जा रहा है।

अन्य देशों की प्रगति

- मनुष्यों से पृथक किये गए कोरोनावायरस के 3,086 अनुक्रम अब तक 57 देशों द्वारा साझा किये जा चुके हैं जिसमें अमेरिका ने सबसे अधिक 621 अनुक्रम, इसके बाद यूनाइटेड किंगडम ने 350, बेल्जियम ने 253 और चीन ने 242 साझा किये हैं। जीनोम अनुक्रमण से लाभ
- SARS-CoV-2 के जीनोम अनुक्रमण से यह समझने में सहायता प्राप्त होगी कि वायरस कहाँ से आया है इसके साथ ही भारत में इस वायरस के अलग-अलग उपभेदों और उसके प्रसार के तरीकों को समझने में भी आसानी होगी।
- ध्यातव्य है कि भारत द्वारा किया जा रहा जीनोम अनुक्रमण वायरस के अध्ययन में मदद प्रदान करने के साथ ही टीकों और दवाओं के परीक्षण में भी उपयोगी साबित होगा।

COVID-19 से निपटने में IITs का योगदान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (Indian Institutes Of Technologies-IITs) ने COVID-19 से निपटने हेतु विभिन्न प्रकार की तकनीकें विकसित की हैं।

प्रमुख बिंदुः

- विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने वेंटिलेटर, परीक्षण किट, स्वास्थ्य किमयों के लिये व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (Personal Protective Equipment- PPE) से संबंधित तकनीक विकसित की हैं।
- इन तकनीकों की लागत कम होने के साथ ही यह COVID-19 के प्रसार को रोकने में मील का पत्थर साबित होंगीं।
 विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों का योगदान इस प्रकार है:
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-दिल्ली:
 - IIT दिल्ली के शोधकर्त्ताओं ने COVID-19 का पता लगाने के लिये परीक्षण किट विकसित की है। इससे COVID-19 की जाँच
 में आने वाला खर्च बहुत कम हो सकता है।
 - ◆ उल्लेखनीय है कि 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी' (National Institute of Virology) पुणे द्वारा इस किट का परीक्षण किया जा रहा है।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान- गुवाहाटी:
 - ♦ IIT गुवाहाटी ने फेस शील्ड (Face Shield) का प्रोटोटाइप विकसित किया है।

फेस शील्ड (Face Shield):

- फेस शील्ड का उपयोग चेहरे को ढकने में किया जाता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, डॉक्टर और दूसरे स्टॉफ इसे पहनकर COVID-19 पीड़ितों का इलाज कर सकेंगे। इसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (Personal Protective Equipment-PPE) के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान- कानपुर:
 - ◆ IIT कानपुर की इनक्यूबेटर कंपनी 'नोका रोबोटिक्स' (Nocca Robotics) ने एक सस्ते वेंटिलेटर का निर्माण किया है। इस कंपनी के इनोवेटर्स की टीम ने वेंटिलेटर का एक प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है। इस वेंटिलेटर की लागत करीब 70 हजार रुपए होगी, जबिक वर्तमान में बाजार में मौजूद वेंटिलेटर की कीमत लगभग 4 लाख रुपए है।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान- हैदराबाद:
 - ◆ IIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने WHO के दिशा-निर्देशों के आधार पर एक फार्मूला विकसित किया है, जिससे बड़े पैमाने पर सैनिटाइजर का उत्पादन किया जा सकता है।
 - ♦ IIT हैदराबाद ने वेंटिलेटर का विकल्प भी तैयार किया है। शोधकर्त्ताओं ने एक बैग वाल्व मास्क (Bag Valve Masks) विकसित किया है, जो आपातकालीन स्थिति में रोगियों हेतु सहायक साबित हो सकता है।

इंजीनियरिंग संस्थानों का सुझाव:

• प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों ने प्रोटोटाइप (Prototypes) के उत्पादन को बढ़ाने और लॉकडाउन के कारण कच्चे माल की खरीद में आने वाली कठिनाइयों को कम करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के साथ साझेदारी करने में सरकार की सहायता मांगी है।

आगे की राहः

• COVID-19 से बचाव की तैयारी न केवल सरकार का उत्तरदायित्व है बल्कि सभी संस्थानों, संगठनों, निजी और सार्वजिनक क्षेत्रों, यहाँ तक कि सभी व्यक्तियों को आकिस्मिक और अग्रिम तैयारी की योजनाएँ बनाना चाहिये।

कंप्यूटर आधारित नैनोमैटीरियल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी (Institute of Nano Science and Technology- INST) के शोधकर्त्ताओं ने सुपरहाई पीजोइलेक्ट्रिसटी (Superhigh Piezoelectricity) के साथ नैनो-मटीरियल के कंप्यूटर आधारित डिजाइन निर्मित किये हैं जो भविष्य में अगली पीढ़ी के अल्ट्राथिन (Ultrathin) नैनो-ट्रांजिस्टरों (Nano-Transistors) से युक्त बेहद छोटे आकार के बिजली उपकरणों के बुनियादी तत्त्व साबित हो सकते हैं।

मुख्य बिंदुः

- दो आयामी (2D) सामग्रियों में पीजोइलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल के बारे में पहली बार वर्ष 2012 में सैद्धांतिक रूप से परिकल्पना की गई थी।
 किंतु बाद में वर्ष 2014 में इसका प्रयोग वास्तविक रूप से मोनोलेयर (Monolayer) में किया गया।
 पीजोइलेक्ट्रिसिटी (Piezoelectricity):
- कुछ ठोस पदार्थों (जैसे क्रिस्टल, सिरामिक तथा हिड्डयाँ, डीएनए एवं विभिन्न प्रकार के प्रोटीन आदि जैविक पदार्थ) पर यांत्रिक प्रतिबल लगाने पर उन पर आवेश एकत्र हो जाता है। इसी को पीजोइलेक्ट्रिसटी (Piezoelectricity) कहते हैं तथा इस प्रभाव को पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव (Piezoelectric Effect) कहा जाता है।
- सामान्य अर्थों में दाब से उत्पन्न होने वाली बिजली को पीजोइलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसके अनुप्रयोगों में गैस लाइटर, प्रेशर गेज, सेंसर आदि आते हैं जिन्होंने दैनिक जीवन को आसान बना दिया है।

- तब से ग्राफीन (Graphene) जैसी दो आयामी सामग्रियों में पीजोइलेक्ट्रिसटी के इस्तेमाल को बढावा देने वाले अनुसंधान में वृद्धि हुई है। हालाँकि अब तक की अधिकांश दो आयामी सामग्रियों में मुख्य रूप से इन-प्लेन पीजोइलेक्ट्रिसिटी ही दिखाई देती है किंतु उपकरण आधारित अनुप्रयोगों के लिये आउट-ऑफ-प्लेन पीजोइलेक्ट्रिसिटी वांछित है और इसकी मांग भी है।
- वहीं हाल ही में भारतीय शोधकर्ताओं ने नैनोस्केल एवं अमेरिकन केमिकल सोसाइटी (Nanoscale and American Chemical Society) में प्रकाशित अपनी शोध रिपोर्ट में दो आयामी नैनो संरचना में एक मोनोलेयर को दूसरे पर चढ़ाने के माध्यम से सुपरहाई-आउट-ऑफ-प्लेन पीजोइलेक्ट्रिसिटी (Superhigh Out-of-Plane Piezoelectricity) के अनुप्रयोग की नई तकनीक प्रदर्शित की है।
- पीजोइलेक्ट्रिसिटी का ऐसा प्रयोग दो आयामी वान डर वाल्स हेटेरोस्ट्रक्चर (van der Waals Heterostructure- vdWH) तकनीक पर आधारित है जिसमें दो आयामी मोनोलयर शामिल किये जाते हैं।
 - ◆ नैनो सामग्रियों के डिज़ाइन की यह एक नई तकनीक है जहाँ परस्पर पूरक गुणों वाले विभिन्न मोनोलेयर्स को एक साथ जोडकर उनकी आंतरिक सीमाओं को विस्तार दिया जाता है।
 - ♦ जब vdWH का गठन करने के लिये दो मोनोलेयर को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है तो विभिन्न कारक इलेक्ट्रॉनिक गुणों को प्रभावित करते हैं। दो स्थापित मोनोलेयर के बीच उच्च चार्ज घनत्व अंतर के कारण इंटरफेस में उत्पन्न होने वाले द्विध्रव (Dipoles) इंटरलेयर क्षेत्र में बाहर निकल जाते हैं।
 - परिणामस्वरूप इनमें आउट-ऑफ-प्लेन पीजोइलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल को देखा जा सकता है।
- शोधकर्त्ताओं ने अनुमान लगाया है कि उनके द्वारा डिजाइन की गई सामग्रियों के आउट-ऑफ-प्लेन पीजोइलेक्ट्रिसिटी गुणांक 40.33 pm/V के उच्च स्तर तक पहुँच सकते हैं जो आमतौर पर उद्योगों में उपयोग किये जाने वाली अन्य सामग्रियों जैसे- वुरजाईट एआईएन (wurziteAlN) (5.1 pm/V) एवं गैलियम नाइट्राइड (GaN) (3.1 pm/V) की तुलना में बहुत अधिक है।

उपयोग:

- बाजार में छोटे आकार के बिजली उपकरणों की बढ़ती मांग के कारण सुपरफास्ट अल्ट्राथिन नैनो उपकरण एवं नैनो-ट्रांजिस्टरों की मांग में भी लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में भविष्य में सूक्ष्म आकार के बिजली उपकरणों के लिये ये बुनियादी मैटीरियल बन सकते हैं।
- कंप्यूटर एवं लैपटॉप के मदर बोर्ड में उपयोग किये जाने वाले ट्रांजिस्टर समय के साथ अधिक पतले एवं सक्ष्म हो रहे हैं। ऐसे में पीजोइलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच समन्वय के माध्यम से इन अल्ट्राथिन अगली पीढ़ी के नैनो-ट्रांजिस्टर में पीजोइलेक्ट्रिक नैनोमैटेरियल्स का उपयोग किया जा सकता है।
 - इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी (INST):
- मोहाली (चंडीगढ़) स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी (INST) भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science & Technology) के तहत एक स्वायत्त संस्थान है।
- इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम-1860 (Society Registration Act-1860) के तहत जनवरी 2013 में स्थापित किया गया था।

कॉम्पैक्ट मॉलिड स्टेट सेंसर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के कुछ शोधकर्ताओं नें जल में उपस्थित भारी धातु आयनों (Heavy Metal Ions) की पहचान के लिये एक 'कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर' (Compact Solid-State Sensor) के विकास में सफलता प्राप्त की है।

मुख्य बिंदः

कर्नाटक के बंगलुरू में स्थित 'नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र' (Centre for Nano and Soft Matter Sciences-CeNS) में शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक 'कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर' के विकास में सफलता प्राप्त की है, जिससे जल में उपस्थित भारी धातु आयनों जैसे- लेड (Lead) आयन (Pb2+) की पहचान की जा सकती है।

• अध्ययन के दौरान देखा गया कि इस सेंसर के माध्यम से बहुत ही आसानी से जल में उपस्थित भारी धातु आयनों की पहचान की जा सकती है, हालाँकि शोधकर्त्ताओं की टीम इस सेंसर की चयनात्मकता (Selectivity) में और अधिक सुधार का प्रयास कर रही है।

'नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र' (Centre for Nano and Soft Matter Sciences- CeNS):

- 'नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र' भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology- DST) के तहत एक स्वायत्त शोध संस्थान है।
- यह संस्थान कर्नाटक की राजधानी बंगलुरू में स्थित है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1991 में प्रख्यात तरल क्रिस्टल वैज्ञानिक 'प्रो. एस. चंद्रशेखर' के द्वारा कर्नाटक में 'सेंटर फॉर लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च' (Centre for Liquid Crystal Research) नामक वैज्ञानिक संस्था के रूप में की गई थी।
- वर्ष 2014 में इसके कार्य क्षेत्र में वृद्धि की गई तथा इसका नाम बदलकर 'नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र' कर दिया गया था।
- इस संस्थान के शोध क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की धातु, सेमीकंडक्टर नैनोस्ट्रक्चर (semiconductor nanostructures), तरल क्रिस्टल, जैल, झिल्लियाँ (Membranes) और हाइब्रिड मैटेरियल (Hybrid Material) आदि प्रमुख हैं।

कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर:

- इस सेंसर में लगी झिल्ली (Film) को एक ग्लास सबस्ट्रेट (Substrate) पर बने मैंगनीज डोप्ड जिंक सल्फाइड क्वांटम डॉट्स (Manganese Doped Zinc Sulfide Quantum Dots) और रिड्यूस्ड ग्राफीन ऑक्साइड (Reduced Graphene Oxide- RGO) के कंपोजिट पदार्थ के माध्यम से तैयार किया गया है।
- ये क्वांटम डॉट्स जल में घुलनशील हैं और उच्च फोटोल्युमिनिसेंस (~30%) क्वांटम दक्षता होने के कारण यह ल्युमिनिसेंस आधारित सेंसिंग के लिये सबसे उपयुक्त हैं।
- जैसे ही भारी धातु आयनों (पारा, सीसा, कैडिमयम आदि) से युक्त जल सेंसर में लगी कंपोज़िट फिल्म के संपर्क में आते हैं, फिल्म से होने वाला उत्सर्जन कुछ ही सेकेंड में बुझ जाता है जिससे जल में भारी धातु आयनों की उपस्थिति की पृष्टि होती है।

लाभ:

- इस सेंसर में प्रयुक्त क्वांटम डॉट्स को हाथ में पकड़ी जा सकने वाली छोटी अल्ट्रावायलेट लाइट (254nm) के माध्यम से भी उत्तेजित/
 सिक्रिय किया जा सकता है, जिसके कारण सुदूर क्षेत्रों में भी आसानी से इसका प्रयोग किया जा सकता है।
- यह सेंसर जल में उपस्थित भारी धातु आयनों के सूक्ष्मतम कणों {0.4 पार्ट्स प्रति बिलियन (Parts Per Billion- ppb) तक } की पहचान करने में सक्षम है।
- जल में उपस्थित भारी आयनों की उपस्थिति से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान को देखते हुए लंबे समय से कुशल और आसानी से प्रयोग किये
 जा सकने वाले परीक्षण उपकरण की आवश्यकता बनी हुई थी ऐसे में इस उपकरण की सहायता से दूरस्थ क्षेत्रों में जल प्रदूषण की पहचान कर इसके निवारण के लिये आवश्यक कदम उठाए जा सकेंगे।

जल में भारी धातु आयनों की उपस्थिति के नुकसान:

- जल में एक निश्चित मात्रा से अधिक भारी धातु आयनों की उपस्थिति के स्वास्थ्य पर कई हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी आसानी से शरीर में जमा हो जाते हैं और इन्हें किसी रासायनिक या जैविक प्रक्रिया से निकालना बहुत कठिन होता है।
- मानव शरीर में अधिक भारी धातु आयनों की उपस्थिति मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकती है, साथ ही इसके कारण रक्त की संरचना में परिवर्तन, फेफड़े, गुर्दे, यकृत और अन्य महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान हो सकता है।
- लंबे समय तक कुछ विशेष भारी धातुओं या उनके यौगिकों के संपर्क में रहने से कैंसर जैसी बीमारियाँ भी हो सकती है।
- साथ ही प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे- निदयों, झीलों में अधिक भारी धातु आयनों की उपस्थिति वन्य जीवों और प्रजातीय विविधता को क्षिति हो सकती है।

भारी धातु आयन प्रदुषण के मुख्य स्रोत:

- अगस्त 2019 में 'केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय' (Ministry of Jal Shakti) द्वारा जारी 'स्टेटस ऑफ ट्रेस एंड टॉक्सिक मेटल्स इन इंडियन रिवर्स' (Status of Trace and Toxic Metals in Indian Rivers) के अनुसार, भारतीय निदयों में धात् प्रदूषण के कुछ प्रमुख स्रोत खनन, चरम शोधन, उर्वरक, कागज, बैटरी, विद्युत लेपन आदि से जुड़ी औद्योगिक इकाइयाँ हैं।
- औद्योगिक केंद्रों से होने वाला उत्सर्जन, निदयों या प्राकृतिक जल स्रोतों में औद्योगिक केंद्रों से छोड़ा जाने वाला हानिकारक दुषित जल और अपशिष्ट पदार्थ प्रदूषण में वृद्धि का एक बड़ा कारण हैं।
- इसके अतिरिक्त घरों से निकलने वाला गंदा पानी, कृषि उर्वरकों से होने वाला प्रदूषण, कचरे के बड़े ढेर से होने वाला रिसाव और वाहनों से होने वाला उत्सर्जन भी बडी मात्रा में प्रदूषण में वृद्धि करता है।

आगे की राहः

- औद्योगिक इकाईयों से निकलने वाले अपशिष्ट को निदयों में छोड़ने से पहले उनका रासायनिक और जैविक परिशोधन किया जाना चाहिये।
- जल प्रदूषण से संबंधित कुशल और कड़े कानूनों तथा नियमों को लागू कर उनके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिये।
- औद्योगिक केंद्रों और कृषि से होने वाले प्रदूषण तथा निदयों में हानिकारक प्रदूषण स्तर की नियमित निगरानी की जानी चाहिये।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं COVID-19

चर्चा में क्यों?

हाल ही में COVID-19 के परीक्षण हेतु इटली और भारत के कुछ छात्रों द्वारा संयुक्त रूप से एक एप विकसित किया गया है।

प्रमुख बिंदुः

- इस एप द्वारा लोगों की आवाज (Voice) के आधार पर COVID-19 का परीक्षण किया जा सकता है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence- AI) पर आधारित इस एप द्वारा COVID-19 से संक्रमित 300 व्यक्तियों का परीक्षण किया गया जिसमें इस तकनीक की सटीकता 98% पाई गयी।
- गौरतलब है कि भारतीय विज्ञान संस्थान (Indian Institute of Science-IISc), बैंगलोर की एक टीम भी खाँसी और ख़्सन ध्वनियों के विश्लेषण के आधार पर COVID-19 हेतु परीक्षण पर कार्य कर रही है।

एप की कार्यप्रणाली:

- एप पर माइक्रोफोन से बात करने से लोगों के आवाज की आवृत्ति और शोर को कई मापदंडों में एप द्वारा वर्गीकृत कर दिया जाता है।
- एक सामान्य व्यक्ति तथा COVID-19 से संक्रमित व्यक्ति के आवाज की आवृत्ति और शोर की तुलना कर यह निर्धारित किया जाता है कि व्यक्ति संक्रमित है या नहीं।

लाभ:

- यह एप COVID-19 से संक्रमित लोगों की पहचान करने हेतु प्राथमिक स्तर के परीक्षण को शीघ्रता से करने में सक्षम है।
 - प्राथमिक स्तर के परीक्षण में सकारात्मक परिणाम वाले व्यक्ति को ही अगले चरण के परीक्षण हेत प्रयोगशाला में भेजा जाएगा।
- एप की सहायता से किया जाने वाला परीक्षण नि:शुल्क होगा।
- सरकार को COVID-19 से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों (Hotspot Regions) की पहचान करने में मदद मिलेगी।

चुनौतियाँ:

हाल के दिनों में देश में COVID-19 से संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है ऐसे में यह अति आवश्यक है कि शीघ्र ही अधिक-से-अधिक संक्रमित लोगों की पहचान की जाए। परंतु इस एप के बारे में लोगों को बताना/प्रचार-प्रसार करना तथा एप की कार्यप्रणाली से अवगत कराना एक बड़ी चुनौती होगी।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence-AI):

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जो कंप्यूटर के इंसानों की तरह व्यवहार करने की धारणा पर आधारित है। इसके जनक जॉन मैकार्थी हैं।
- यह मशीनों की सोचने, समझने, सीखने, समस्या हल करने और निर्णय लेने जैसी संज्ञानात्मक कार्यों को करने की क्षमता को सूचित करता है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शोध की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है कृत्रिम तरीके से विकसित बौद्धिक क्षमता।
- इसके ज़िरये कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है, जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर संचालित करने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क कार्य करता है।
- AI पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक (Purely Reactive), सीमित स्मृति (Limited Memory), मस्तिष्क सिद्धांत (Brain Theory) एवं आत्म-चेतन (Self Conscious) जैसी अवधारणाओं पर कार्य करता है।

कर्नाटक में अंगूर की कृषि और COVID- 19

चर्चा में क्यों?

'COVID- 19' महामारी के कारण कर्नाटक राज्य में जूस तथा शराब बनाने वाली इकाइयों के बंद हो जाने के कारण लगभग 3,500 टन फलों की अभी तक कटाई/हार्वेस्टिंग नहीं की गई है।

मुख्य बिंदुः

- किसान जिनको पिछले वर्ष अंगूर की कृषि से आय हुई थी, उन्हें इस वर्ष भी अच्छी आय की उम्मीद थी लेकिन उनकी उम्मीदें COVID-19 महामारी के तहत लगाए गए लॉकडाउन के कारण धूमिल हो गईं।
- बंगलूरु ब्लू किस्म, ज्यादातर जूस और शराब/स्प्रिट बनाने के काम आती है।

बंगलौर ब्लू (Bangalore Blue):

- प्रिसिद्ध बंगलौर ब्लू/नीले अंगूर की किस्म है जो मुख्यत: कर्नाटक की राजधानी बंगलूरु के आस-पास उगाई जाती है।
- बंगलौर ब्लू की कृषि मुख्यत: बंगलूरु के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा चिकबल्लापुर (Chickballapur) और कोलार जिलों के लगभग 4.500 हेक्टेयर में 150 वर्षों से की जा रही है।
- भौगोलिक रूप से विशिष्ट फसल किस्म होने के कारण बागवानी विभाग ने इस स्थानिक किस्म के लिये 'भौगोलिक संकेतक' (Geographical Indications- GI) की मांग के बाद वर्ष 2013 में GI टैग प्रदान किया गया।
- राज्य सरकार ने शराब नीति 2012 के तहत बंगलीर ब्लू से बनी शराब को फोर्टिफाइड शराब के रूप में मान्यता दी है।
- फोर्टीफाइड वाइन (Fortified Wine):
 - यह फ्रूट वाइन से अलग होती है क्योंिक इसमें फलों से निकली शराब में अतिरिक्त स्प्रिट मिलाई जाती है।

भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication):

• GI टैग का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिये किया जाता है, जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। इन उत्पादों की विशिष्ट विशेषता एवं प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है।

GI टैग की वैधताः

एक GI टैग एक दशक के लिये वैध होता है, जिसके बाद इसे अगले 10 वर्षों के लिये नवीनीकृत किया जा सकता है।

भारत में GI टैग को मंज़्री:

• भारत में GI टैग को 'भौगोलिक संकेतक (माल पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम' (Geographical Indication of Goods (Registration and Protection) Act) द्वारा नियंत्रित किया जाता है,जो वर्ष 1999 में अस्तित्त्व में आया।

2019 के प्रमुख GI टैग

- 'पालनी पंचतीर्थम' (Palani Panchamirtham), तिमलनाडुः
 - एक प्रकार का 'प्रसादम' या मंदिरों में दिया जाने वाला धार्मिक प्रसाद है।
- तावलोहपुआन (Tawlhlohpuan), मिजोरम:
 - एक उत्तम गुणवत्ता की कपड़ा बुनाई प्रणाली।
- मिजो पुंची (Mizo Puanchei)- मिजोरमः
 - एक प्रकार की शॉल, जिसका कपड़ा सबसे रंगीन माना जाता है।
- तिरूर (Tirur) पान, केरल:
 - औषधीय तथा सांस्कृतिक उपयोग

2019 के अन्य GI टैग:

GI टैग का नाम	संबंधित राज्य
उड़ीसा रसगुल्ला	उड़ीसा
कंधमाल हल्दी (कृषि)	उड़ीसा
कोडाइकनाल मलाई पूंडु (कृषि)	तमिलनाडु
पांडूम (हैंडीक्राफ्ट)	मिज़ोरम
नागोतेरह (हैंडीक्राफ्ट)	मिज़ोरम 🔍
हमाराम (हैंडीक्राफ्ट)	मिज़ोरम
गुलबर्गा तूर (कृषि	कर्नाटक
आयरिश व्हिस्की (विनिर्माण)	आयरलैंड
खोला मिर्च (कृषि)	गोवा
मिशमी टेक्सटाइल (हैंडीक्राफ्ट)	अरुणाचल प्रदेश
डिंडीगुल ताला (विनिर्माण)	तमिलनाडु
कंडांगी साड़ी (हैंडीक्राफ्ट)	तमिलनाडु
श्रीविल्लिपुत्तुर पलकोवा (खाद्य वस्तु)	तमिलनाडु
काजी नेमू (कृषि)	असम

GI टैग और ट्रिप्स समझौता:

- 'भौगोलिक संकेतक' को 'बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं' (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPS) के अंतर्गत शामिल किया जाता है।
- विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization-WTO) के सदस्य के रूप में भारत ने 'भौगोलिक संकेतक (माल और पंजीकरण) अधिनियम, 1999' को लागू किया है जो 15 सितंबर, 2003 से प्रभावी हो गया है।

GI टैग का महत्त्व:

- बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क आदि के समान ही भौगोलिक संकेतक टैग धारकों को भी समान अधिकार तथा सुरक्षा प्रदान की जाती है।
- यह संकेत प्राप्त होने पर उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता सुनिश्चित होती है।
- GI टैग प्रदान करना किसी विशिष्ट उत्पाद के उत्पादक को संरक्षण प्रदान करता है जो कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनके मूल्यों को निर्धारित करने में सहायता करता है।

गामा-किरण फ्लक्स परिवर्तनशीलता

चर्चा में क्यों:

हाल ही में भारतीय तारा भौतिकी संस्थान (Indian Institute of Astrophysics-IIA) के शोधकर्त्ताओं ने विभिन्न प्रकार के ब्लेजर (Blazars) पर 'गामा-िकरण फ्लक्स परिवर्तनशीलता' (Gamma-ray Flux Variability) का अध्ययन किया है।

प्रमुख बिंदुः

- यह शोध कार्य 'जर्नल एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स' (Journal Astronomy and Astrophysics) में प्रकाशित हुआ है।
- शोधकर्त्ताओं द्वारा 'गामा-किरण फ्लक्स परिवर्तनशीलता' (100 MeV से 300 GeV) की विभिन्न विशेषताओं का यह अध्ययन ब्लैक होल के करीब होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।
 - ध्यातव्य है कि 'गामा-िकरण फ्लक्स पिरवर्तनशीलता' के बारे में अब तक ज्यादा खोज नहीं की गई है।
- उल्लेखनीय है कि अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल (Black Hole) होता है जिसका द्रव्यमान लाखों या अरबों सूर्य के बराबर होता है।
- इस विशाल ब्लैक होल के चारों ओर गैस, धूल और तारकीय मलबे (Stellar Debris) जमा होते हैं।
 - मलबों के ब्लैक होल में गिरते ही इनकी गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा (Gravitational Energy) सिक्रय गैलिक्टक नाभिक (Active Galactic Nuclei-AGN) के रूप में प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है।
 - ◆ AGN के लगभग 15% भाग अवेशित कणों को उत्सर्जित करते हैं। इन कणों को जेट कहते हैं।
 - ब्लेजर (Blazars) दरअसल एक AGN ही होते हैं जिनके जेट पर्यवेक्षक के संरेखिय होते है।
 - इन उत्सर्जित कणों की गित लगभग प्रकाश की गित (लगभग 3300,000 किमी. प्रित सेकंड) के बराबर होती है।
- भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के शोधकर्त्ता फ्लक्स के आयाम (Amplitude) और समय (Time) से संबंधित विभिन्न विशेषताओं को चिह्नित कर विभिन्न प्रकार के ब्लेजर के बीच आयाम और समय में समानता/अंतर की खोज कर रहे हैं।

अध्ययन के लाभ

- 'गामा-िकरणों के उद्गम स्थल को चिह्नित कर पाना' उच्च ऊर्जा खगोल भौतिकी की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। यह विचार शोधकर्त्ताओं द्वारा किये गए इस अध्ययन के पीछे महत्त्वपूर्ण प्रेरक शक्ति है।
- इस अध्ययन से प्राप्त परिणाम ब्लेजर में उच्च ऊर्जा गामा-रे उद्गम स्थल खोजने की समस्या में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करेगा। इस प्रकार यह ब्लेजर पर ज्ञान की वृद्धि के लिये प्रासंगिक होगा।
- गामा िकरण बैंड के इस अध्ययन से उच्च ऊर्जा उत्सर्जन वाली जगह और उच्च ऊर्जा उत्सर्जन प्रक्रिया का पता लगाने में मदद प्राप्त हो सकती है।

ब्लेज़र (Blazars):

ब्लेज़र ब्रह्मांड में सबसे चमकदार और ऊर्जावान वस्तु है। वर्ष 1990 में एक अध्ययन में यह पाया गया कि इनसे गामा-िकरणें उत्सर्जित होती
 हैं।

गौरतलब है कि वर्ष 2008 में अमेरिका द्वारा प्रक्षेपित 'फर्मी गामा-किरण स्पेस टेलीस्कोप' (Fermi Gamma-ray Space Telescope) एक निश्चित समय सीमा में ब्लेज़र की 'प्रवाह परिवर्तनशीलता विशेषताओं' की जाँच करने में सक्षम है।

गामा-किरण बैंड (Gamma-ray Band):

गामा-किरण बैंड विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम (Bands Of The Electromagnetic Spectrum) के बैंड में से एक है।

भारतीय तारा भौतिकी संस्थान (Indian Institute of Astrophysics-IIA):

- भारतीय तारा भौतिकी संस्थान 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग' के तहत एक स्वायत्त संस्थान है।
- यह संस्थान खगोलशास्त्र, तारा भौतिकी एवं संबंधित भौतिकी में अनुसंधान के लिये समर्पित एक प्रमुख संस्थान है।
- इसका मुख्यालय बंगलूरु में है।

बैक्टीरिया की पहचान हेत् पोर्टेबल सेंसर का विकास

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पुणे स्थित 'अगरकर अनुसंधान संस्थान' (Agharkar Research Institute- ARI) के शोधकर्ताओं ने बैक्टीरिया की पहचान करने हेतु एक संवेदनशील और किफायती सेंसर का विकास करने में सफलता प्राप्त की है।

मुख्य बिंदु

- ARI के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित इस पोर्टेबल उपकरण के माध्यम से 1 मिमी. के नमूने में मात्र 10 बैक्टीरिया कोशिकाओं के होने पर भी केवल 30 मिनट में इसकी पहचान की जा सकती है।
- शोधकर्त्ताओं ने इस उपकरण को 'बग स्निफर' (Bug Sniffer) नाम दिया है।
- वर्तमान में शोधकर्ता 'एस्चेरिचिया कोलाई' (Escherichia Coli) और 'सैल्मोनेला टाइफिम्युरियम' (Salmonella Typhimurium) बैक्टीरिया को अलग कर उनकी पहचान करने की विधि पर कार्य कर रहें हैं। इसके लिये शोधकर्त्ताओं द्वारा 'लूप-मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लिफिकेशन' (Loop-mediated isothermal amplification- LAMP) तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है।
- इस शोध के लिये 'भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद' (Indian Council of Medical Research- ICMR) द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

'एस्चेरिचिया कोलाई' (Escherichia Coli or E. Coli):

- एस्चेरिचिया कोलाई खाद्य पदार्थों, मनुष्यों तथा जानवरों की आँत में पाया जाने वाला एक जीवाणु है।
- यद्यपि ये जीवाणु अधिकांशत: हानिकारक नहीं होते हैं, परंतु इनमें से कुछ 'डायरिया' जैसे रोग का कारण बन सकते हैं जबिक कुछ अन्य के संक्रमण से श्वसन संबंधी बीमारी और निमोनिया जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं।

'सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम'(Salmonella Typhimurium):

- सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, सैल्मोनेला समूह का एक रोगजनक जीवाणु है।
- यह मनुष्य और जानवर दोनों को प्रभावित कर सकता है।
- पक्षियों के मल से यह एक पक्षी से दूसरे पक्षी तक पहुँच जाता है।
- इसके संक्रमण से व्यक्ति की आँत में सूजन हो जाती है, जो दस्त, उल्टी, बुखार और पेट में ऐंठन आदि का कारण बनती है।

कार्य प्रणालीः

इस बायोसेंसर में बैक्टीरिया की पहचान करने के लिये सिंथेटिक पेप्टाइड्स (Synthetic Peptides), चुंबकीय नैनोकणों (Magnetic Nanoparticles) और क्वांटम डॉट्स (Quantum Dots) का प्रयोग किया गया है।

- शोधकर्त्ताओं ने इस उपकरण के लिये तांबे के तार और पॉली (डाइमेथिलसिलॉक्सेन) से बने माइक्रो चैनल्स (Microchannels) युक्त एक चिप का विकास किया है।
- परीक्षण के दौरान पहले इस उपकरण के माध्यम से बैक्टीरिया की पहचान करने के लिये पेप्टाइड्स से जुड़े चुंबकीय नैनो कणों को बैक्टीरिया के साथ मैक्रोचैनल्स से होते हुए प्रवाहित होने दिया गया।
- इसके पश्चात् इस पर बाहरी मैग्नेटिक फील्ड सिक्रय कर पेप्टाइड्स से जुड़े बैक्टीरिया को अलग और स्थिर कर लिया गया।
- इसके अंतिम चरण में क्वांटम डॉट्स से जुड़े पेप्टाइड्स को पुन: मैक्रोचैनल्स से गुजारा गया।
- जीवाणुओं को पकड़ने के बाद 'क्वांटम डॉट्स से जुड़े पेप्टाइड्स' (Quantum-Dot-Tagged Peptides) के कारण मैक्रोचैनल्स से तीव्र और स्थिर (लगातार) प्रतिदीप्ति होती है।

लाभ:

- रोगजनक जीवाणुओं की पहचान के लिये वर्तमान में उपलब्ध पारंपिरक तकनीकें उतनी संवेदनशील नहीं हैं और वे कोशिकाओं की कम संख्या होने पर इनकी पहचान नहीं कर सकती।
- इसके अतिरिक्त पारंपरिक तकनीक के प्रयोग में अधिक समय और श्रम लगता है, जबिक ARI शोधकर्त्ताओं द्वारा निर्मित उपकरण के माध्यम से 1 मिमी. के नमूने पर मात्र 10 कोशिकाओं के होने पर भी इनकी पहचान केवल 30 मिनट में की जा सकती है।
- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, यह उपकरण काफी किफायती है और इसे बनाने के लिये आवश्यक सामग्री आसानी से प्राप्त है।
- इस उपकरण के उपयोग से सबसे आम रोगजनक जीवाणु 'एस्चेरिचिया कोलाई' और 'सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम' की आसानी से पहचान की जा सकती है।
- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, नैनोसेंसर और इसे विकसित करने हेतु किये गए शोध से शीघ्र 'लैब-ऑन-ए-चिप डायग्नोस्टिक्स' (Lab-On-A-Chip Diagnostics) से जुड़ी नई संभावनाएँ खुलेगीं।

अगरकर अनुसंधान संस्थान' (Agharkar Research Institute- ARI)

- ARI भारत सरकार के 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग' (Department of Science and Technology- DST) के तहत एक स्वायत्त संस्थान है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1946 में 'महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस' (Maharashtra Association for the Cultivation of Science) के रूप में की गई थी।
- वर्ष 1992 में इस संस्थान के संस्थापक 'प्रो. एस. पी. अगरकर' के सम्मान में इसका नाम बदलकर 'अगरकर अनुसंधान संस्थान' कर दिया
 गया।
- वर्तमान में इस संस्थान में 'जैव-विविधता और जीवाश्म विज्ञान', बायोएनेर्जी (Bioenergy), बायोप्रोस्पेक्टिंग (Bioprospecting), डेवलपमेंटल बायोलॉजी (Developmental Biology), जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग (Genetics & Plant Breeding) तथा नैनोबायोसिस (Nanobiosis) जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास का कार्य किया जाता है।

विद्युत उत्प्रेरक ऊर्जा रूपांतरण उपकरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (Institute of Nano Science and Technology-INST) के वैज्ञानिकों ने पर्यावरण के अनुकुल विद्युत-उत्प्रेरक ऊर्जा रूपांतरण उपकरण विकसित किया है जिसकी लागत भी कम होगी ।

प्रमुख बिंदुः

• यह शोध कार्य अमेरिकन केमिकल सोसाइटी (American Chemical Society) द्वारा 'जर्नल इनआर्गेनिक केमिस्ट्री' (Journal Inorganic Chemistry) में प्रकाशित किया गया है।

- ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रिया (Oxygen Reduction Reaction- ORR) के तहत विद्युत-उत्प्रेरक ऊर्जा रूपांतरण उपकरण की खोज की गई है जो आयरन (Fe), मैंगनीज़ (Mn), नाइट्रोज़न (N) और कार्बन (C) पर आधारित है।
- यह उपकरण मछली के गलफड़ों से बनाया गया है जिसकी संरचना अद्वितीय छिद्रयुक्त (Unique Porous) होती है।
 - ◆ उष्म उपचार के बाद यह एक बेहतर इलेक्ट्रोड तथा विद्युत चालक (कार्बन नेटवर्क) की तरह कार्य करता है।
- यह कम लागत वाली विद्युत-उत्प्रेरक ऊर्जा रूपांतरण उपकरण प्लैटिनम-कार्बन उत्प्रेरक (Platinum On Carbon Catalyst) से बेहतर है। साथ ही इस उपकरण का pH मान एक से कम या 13 से ज्यादा या सात हो सकता है।
 - ♦ pH (हाइड्रोजन की क्षमता-Potential of Hydrogen):
 - pH जल की अम्लता और क्षारीयता (Acidic and Basic) मापने का पैमाना है। pH पैमाना 0-14 तक होता है। pH का मान 7 से कम होने पर जल अम्लीय, 7 से अधिक होने पर जल क्षारीय तथा 7 होने पर जल उदासीन होता है। उत्प्रेरक (Catalyst):
- वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक एवं मात्रात्मक रूप में बिना परिवर्तित हुए रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि करते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं।

वैज्ञानिकों का प्रयोगः

- विद्युत-उत्प्रेरक ऊर्जा रूपांतरण उपकरण की मदद से एक जिंक-एयर बैटरी (Zn–air battery) तैयार की गई जो एक लंबी अवधि के बाद भी चार्ज-डिस्चार्ज हो रही थी तथा यह उत्प्रेरक प्लैटिनम-कार्बन उत्प्रेरक से बेहतर कार्य करता है।
- ullet इस प्रयोग से वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि आयरन (${
 m Fe}$) और मैंगनीज़ (${
 m Mn}$) के कारण यह बेहतर कार्य करता है।

उपकरण के लाभ:

- 'जैव-प्रेरित कार्बन नैनोस्ट्रक्चर' नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) और भंडारण प्रौद्योगिकियों (Storage Technologies) जैसे ईंधन सेल, जैव ईंधन सेल और मेटल-एयर बैटरी के उर्जा रूपांतरण में सहायक होंगी। नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy):
- यह ऐसी ऊर्जा है जो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती है। इसमें सौर ऊर्जा, भू-तापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल शक्ति ऊर्जा और बायोमास के विभिन्न प्रकारों को शामिल किया जाता है।
- उल्लेखनीय है कि यह कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है और इसे लगातार नवीनीकृत किया जा सकता है।
- नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों (जो कि दुनिया के काफी सीमित क्षेत्र में मौजूद हैं) की अपेक्षा काफी विस्तृत भू-भाग में फैले हुए हैं और ये सभी देशों में काफी आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं।

नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (Institute of Nano Science and Technology-INST):

- मोहाली (पंजाब) स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी (INST) भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology-DST)के तहत एक स्वायत्त संस्थान है।
- इसकी स्थापना भारत में नैनो मिशन के अंतर्गत नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिये की गई है।
- इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम-1860 के तहत पंजीकृत किया गया था।

नैनोब्लिट्ज़-3D

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटेरियल्स' (International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials-ARCI) और 'नैनोमैकेनिक्स इंक'. (Nanomechanics Inc.) के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से नैनोब्लिट्ज-3D (NanoBlitz 3D) नामक एक तकनीक विकसित की है।

प्रमुख बिंदुः

- गौरतलब है कि इस तकनीक की मदद से मल्टी फेज एलाय (Multi-phase Alloys), कम्पोजिट (Composite), मल्टी-लेयरड कोटिंग (Multi-layered Coatings) जैसे विभिन्न पदार्थों की विशेषताओं को चित्रित किया जा सकता है।
- नैनोब्लिट्ज-3D की सहायता से एक बार में 1000 उच्च गित वाले नैनो-इंडेंटेशन परीक्षण (Nano-indentation Tests) किये जा सकते हैं।
 - → नैनो-इंडेंटेशन परीक्षण: नैनो-इंडेंटेशन परीक्षण से पदार्थों के यांत्रिक गुण जैसे कठोरता, प्रत्यास्थता और पतली कोटिंग्स की विभंजन कठोरता का मूल्यांकन किया जाता है।
- पदार्थों की कठोरता और प्रत्यास्थता संबंधित आँकड़ों को प्राप्त करने हेतु प्रत्येक नैनो-इंडेंटेशन परीक्षण को एक सेकंड से भी कम समय लगता है।
- नैनोब्लिट्ज-3D को 'इंटीग्रेटेड कम्प्यूटेशनल मैटेरियल इंजीनियरिंग (Integrated Computational Material Engineering-ICME)' की मदद से विकसित किया गया है ।

कठोरता (Hardness):

- कठोरता किसी वस्तु की एक ऐसी विशेषता है, जो बाह्य बल की उपस्थिति में अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती है।
 प्रत्यास्थता (Elasticity):
- प्रत्यास्थता किसी वस्तु की एक ऐसी विशेषता है, जो वस्तु पर बाह्य बल लगाने से किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है तथा जैसे ही बाह्य बल हटा लिया जाता है वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस आने का प्रयत्न करती है।

नैनोब्लिट्ज़-3D की विशेषताएँ:

- नैनोब्लिट्ज-3D तकनीक की मदद से पदार्थों का परीक्षण कर हजारों आँकड़े कुछ ही घंटो में प्राप्त किये जा सकते हैं। साथ ही इन पदार्थों से संबंधित आँकड़ों को मशीन लिर्निंग (Machine Learning-ML) एल्गोरिदम की सहायता से प्रसंस्कृत किया जा सकता है।
- नैनोब्लिट्ज-3D की उच्च गित मानिचत्रण क्षमताओं का उपयोग कर आकार में एक माइक्रोमीटर (या उससे अधिक) के पदार्थों की संरचना संबंधी विशेषताएँ शीघ्रता से प्राप्त की जा सकती हैं। उल्लेखनीय है कि यह तकनीक मल्टीस्केल मैकेनिक्स को समझने और पदार्थों (Hierarchical Materials) के विकास में सहायक साबित हो सकती है।

इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटेरियल्स (International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials- ARCI):

- वर्ष 1997 में स्थापित इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटेरियल्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology-DST) का एक स्वायत्त अनुसंधान और विकास केंद्र है।
- इसका मुख्यालय हैदराबाद एवं पिरचालन संबंधी कार्य चेन्नई और गुरुग्राम में होते हैं।
- ARCI का उद्देश्य:
 - उच्च गुणवत्ता वाले पदार्थों की खोज।
 - भारतीय उद्योग में प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण करना।

डीप न्यूड' संबंधी मुद्दा

चर्चा में क्यों?

भारत के साइबर क्राइम अधिकारी उन एप और वेबसाइटों पर नज़र रख रहे हैं जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) एल्गोरिदम का उपयोग करके आम लोगों की नग्न तस्वीरें बनाते हैं।

प्रमुख बिंदुः

- डीप न्यूड (Deep Nude) के बारे में:
- कंप्यूटर की सहायता से बनाई गई नग्न तस्वीरों और वीडियो को डीप न्यूड कहा जाता हैं। साइबर अपराधी कृत्रिम बुद्धिमत्ता सॉफ्टवेयर की
 मदद से वीडियो, ऑडियो और तस्वीरों पर नग्न सामग्री अध्यारोपित कर देते हैं।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता एल्गोरिदम का उपयोग कर किसी व्यक्ति के बोलने के तरीके, सिर तथा चेहरे की गतिविधियों को किसी अन्य व्यक्ति के साथ अध्यारोपित कर देने से यह बताना मुश्किल हो जाता है कि यह वीडियो/तस्वीरें सही हैं या गलत। कंप्यूटर द्वारा तैयार की गईं इन वीडियो/ तस्वीरों की सत्यता की जाँच गहन विश्लेषण से ही की जा सकती है।
- वर्ष 2017 में पहली बार एक व्यक्ति द्वारा 'डीप फेक' (Deepfake) नाम से अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया पर नग्न सामग्री पोस्ट की गई तत्पश्चात दुनियाभर में इस तरह के एप और वेबसाइटों को बनाने का चलन बढ़ गया। इनमें से प्रमुख एप फेसएप (FaceApp) और डीप न्यूड (Deep Nude) हैं।

डीप न्यूड का प्रभावः

 'फयेत्तिवले स्टेट यूनिवर्सिटी' (Fayetteville State University) के अनुसार, साइबर स्पेस (Cyber Space) में डीप न्यूड द्वारा आधुनिक तरीके से धोखाधड़ी की जाती है। वर्तमान में धोखाधड़ी फर्जी खबर, फर्जी ई-मेल/फिशिंग अटैक, सोशल इंजीनियरिंग साइबर अटैक, इत्यादि के माध्यम से की जाती है।

फिशिंग (Phishing):

इस प्रकार के साइबर हमलों में हैकर, लोगों को मोबाइल संदेश या ई-मेल इस उद्देश्य से भेजता है तािक उनकी गोपनीय जानकारियों को चुराया जा सके। उदाहरण के लिये, हैकर आपको ऐसा ई-मेल भेज सकता है जो किसी विश्वसनीय स्रोत जैसे- बैंक अथवा सरकार आदि द्वारा प्रसारित प्रतीत होता हो, परंतु असल में वह संदेश ऐसे ही किसी अन्य संदेश की कॉपी होता है और आप जैसे ही अपनी गोपनीय जानकारियाँ उसमें भरते हैं, वैसे ही वे जानकारियाँ हैकर के पास पहुँच जाती हैं।

क्या डीप फेक वैधानिक है?

- दुनिया के कई देशों में डीपफेक की वैधानिकता जिटल है। अमेरिका के संदर्भ में बात करें तो, यदि किसी व्यक्ति को डीपफेक द्वारा परेशान किया जाता है तो वह मानहानि का दावा करने के साथ ही नग्न सामग्री को इंटरनेट से हटाने हेतु बाध्य कर सकता है।लेकिन अमेरिका में मौजूदा कानूनी प्रावधान किसी व्यक्ति को धर्म, अभिव्यक्ति और याचिका के अधिकार से संबंधित स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। अत: इंटरनेट से सामग्री को हटाने हेतु बाध्य करना प्रथम संशोधन (अमेरिकी संविधान) का उल्लंघन है।
- साइबर सिविल राइट्स इनिशिएटिव (Cyber Civil Rights Initiative) के अनुसार, अमेरिका के 46 राज्यों में 'रिवेंज पॉर्न'
 (किसी को परेशान कर बदलना लेना) से संबंधित कानून है।

निष्कर्षः

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता विगत कई दशकों से चर्चा के केंद्र में रहा एक ज्वलंत विषय है। वैज्ञानिक इसके अच्छे और बुरे परिणामों को लेकर समय-समय पर विचार-विमर्श करते रहते हैं। जहाँ दुनिया तकनीक के माध्यम से तेज़ी से बदल रही है वहीं इसने कई नई समस्याओं को भी जन्म दिया है, जिनका समाधान करने के लिये नित नए उपाय अपनाए जाने चाहिये।
- साइबर दुनिया के गलत इस्तेमाल पर अंकुश लगाना जरूरी है। साइबर सुरक्षा और सोशल मीडिया के दुरुपयोग का मुद्दा ऐसा है, जिसकी और अनदेखी नहीं की जानी चाहिये। विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के जिरये गलत सामग्री के साझा करने से लोगों के निजता के अधिकार का हनन होता है, ऐसे में इसके खिलाफ कड़ा नियमन करने तथा साइबर अपराधों और हमलों को लेकर काफी सजग रहने की आवश्यकता है।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

COVID- 19 और प्रवासी श्रमिक शिविर

चर्चा में क्यों?

COVID- 19 महामारी के चलते देश में लगाए गए 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए गृह मंत्रालय ने राज्यों को राजमार्गों पर तत्काल राहत शिविर लगाने तथा नियमित चिकित्सा जाँच के आदेश दिये हैं।

मुख्य बिंदुः

- मंत्रालय ने राज्यों को श्रमिकों एवं बेघर लोगों के लिये अस्थायी आवास, भोजन, कपड़े, चिकित्सा देखभाल आदि का प्रबंधन करने तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (State Disaster Response Funds- SDRF) का उपयोग करने के लिये अधिकृत किया है।
- गृह मंत्रालय ने COVID- 19 महामारी को 'अधिसूचित आपदा' (Notified Disaster) के रूप में मानने का फैसला किया है।
- इसके अलावा मंत्रालय ने राज्यों को शिविरों में लोगों को प्रदत्त सुविधाओं, 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' (Pradhan Mantri Garib Kalyan- PMGKY) के तहत प्रदत्त राहत पैकेज आदि के बारे में जानकारी देने के निर्देश दिया है।

महत्त्वः

- इस कदम के बाद राज्य सरकारें SDRF अधिसूचित आपदाओं के लिये उपलब्ध SDRF निधि का उपयोग COVID- 19 महामारी के प्रबंधन में कर सकेंगे।
- यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य रह कि SDRF को अगले वित्त वर्ष के लिये पहले से ही लगभग 29,000 करोड़ का आवंटन किया जा चुका है।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF):

- 'आपदा प्रबंधन अधिनियम', 2005 (Disaster Management Act, 2005) की धारा 48 (1) (a) के तहत राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) का गठन किया गया है।
- SDRF राज्य सरकार के पास उपलब्ध प्राथमिक निधि होती है जो अधिसूचित आपदाओं के प्रति तत्काल प्रतिक्रिया करने तथा राहत प्रदान करने के व्यय को पूरा करने में काम आती है।
- केंद्र सरकार द्वारा वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, दो समान किश्तों में निधि जारी की जाती है।
- केंद्र, सामान्य श्रेणी के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिये SDRF आवंटन में 75% और विशेष श्रेणी राज्यों (पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर) के लिये 90% योगदान देता है।
 SDRF में अधिसूचित आपदाएँ:
- चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, मेघ प्रस्फुटन, कीट हमला, तुषार तथा शीत लहर।

राजधानी में मार्च माह में रिकॉर्ड नमी

चर्चा में क्यों?

मौसम विभाग द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, दिल्ली- NCR (National Capital Region) मार्च 2020, रिकॉर्ड इतिहास में सबसे नमी युक्त रहा।

मुख्य बिंदुः

- सामान्यत: दिल्ली- NCR में मार्च माह में 15.8 मिमी. वर्षा होती है जबिक इस वर्ष 109.6 मिमी. वर्षा हुई, जो सामान्य से 589% अधिक थी। इससे पूर्व मार्च 2015 में सर्वाधिक, 97.4 मिमी वर्षा हुई थी।
- मार्च माह इस बार ठंड से युक्त भी रहा, जिसका अधिकतम तापमान 28.2°C रहा, जो सामान्य से 1.4°C कम था।
- औसत न्यूनतम तापमान 15°C रहा, जो औसत से 0.6°C कम है।

NCR की वायु गुणवत्ता में सुधार:

'केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' (Central Pollution Control Board- CPCB) की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली-NCR की वायु गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार देखने को मिला है।

वायु गुणवत्ता सुधार के संभावित कारण:

- तेज हवाओं, वर्षा तथा COVID- 19 महामारी के चलते बंद रही गैर-आवश्यक सेवाओं के कारण इस बार राजधानी में वायु गुणवत्ता में सुधार देखा गया।
- पार्टीकुलेट मैटर (Particulate Matter- PM) तथा NOx के उत्सर्जन (जो दिल्ली- NCR में प्रमुख प्रदूषक कारक हैं) में प्रमुख योगदान देने वाले स्रोत लॉकडाउन के दौरान बंद रहे।
- रिपोर्ट के अनुसार, 23 मार्च को दिल्ली-NCR में 'वायु गुणवत्ता सूचकांक' (Air Quality Index- AQI) 'मध्यम' (Moderate) स्तर पर था, जिसमें लॉकडाउन के वाद व्यापक सुधार देखने को मिला तथा लॉकडाउन के कुछ दिनों बाद वायु गुणवत्ता 'संतोषजनक' (Satisfactory) स्तर पहुँच गई।
- 28 से 29 मार्च के बीच तेज हवा तथा मिश्रण ऊँचाई में वृद्धि के कारण दिल्ली, गाजियाबाद तथा नोएडा में AQI 'अच्छा' (Good) स्तर पर पाया गया।

सामान्य हास दरः

सामान्य परिस्थितियों में ऊँचाई बढ़ने के साथ-साथ तापमान घटता जाता है। जिस दर से यह तापमान कम होता है, इसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं।

मिक्सिंग हाइट (Mixing Height):

- यह वायु तथा निलंबित कणों की सतह के ऊपर लंबवत मिश्रण की ऊँचाई को बताता है। यह ऊँचाई वायुमंडलीय तापमान प्रोफाइल के अवलोकन से निर्धारित होती है।
- पृथ्वी की सतह से उठने वाली वायु प्रकोष्ठ में एक निश्चित दर (शुष्क-एडियाबेटिक लैप्स दर) से तापमान में परिवर्तन होता है। जब तक वायु प्रकोष्ठ का तापमान आसपास के परिवेश के तापमान से अधिक गर्म होता है, तब तक ताप मे ह्रास जारी रहता है परंतु जब वायु प्रकोष्ठ पर्यावरण के तापमान से अधिक ठंडा हो जाता है तो आगे ताप पतन देखने को नहीं मिलता है तथा यह ऊँचाई मिक्सिंग हाइट को निर्धारित करती है।
- उच्च मिक्सिंग हाइट होने पर प्रदूषण में कमी आती है।

वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी

चर्चा में क्यों?

कोरोनावायरस (COVID-19) के विरुद्ध जंग में एकजुटता प्रदर्शित करने के लिये हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लोगों ने न केवल मिट्टी के दीपक और मोमबत्तियाँ जलाए बल्कि कई लोगों ने पटाखे भी फोड़े जिसके कारण राजधानी दिल्ली का प्रदूषण स्तर अचानक से दोगुना हो गया है।

प्रमुख बिंद्

- दरअसल वैश्विक चुनौती के रूप में उभर रहे कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने भारत सरकार ने 21-दिवसीय देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसके कारण राजधानी दिल्ली समेत देश भर में सभी गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई थी।
- इन गितविधियों पर पूरी तरह से रोक के कारण देश भर के सभी शहरों में प्रदूषण का स्तर काफी नीचे आ गया था।
- ऑकड़ों के अनुसार, पटाखे फूटने से पूर्व दिल्ली का PM2.5 स्तर 48.6 माइक्रोग्राम प्रित घन मीटर ($\mu g/m3$) था, जो कि पटाखों के फूटने के पश्चात् 90.9 माइक्रोग्राम प्रित घन मीटर ($\mu g/m3$) पर पहुँच गया था।
 - 🔷 कुछ समय पश्चात् यह 101 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर (μg/m3) पर पहुँच गया।
- NCR के प्रदूषण स्तर में भी इसी प्रकार की वृद्धि देखी गई, जहाँ गाजियाबाद में सबसे अधिक प्रदूषण दर्ज िकया गया।
 - आँकड़ों के अनुसार, पटाखों के फूटने के पश्चात् गाजियाबाद में PM2.5 का स्तर 131.3 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर (μg/m3) पर पहुँच गया था।
- पटाखों का प्रभाव शहरों के दैनिक वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index-AQI) पर भी देखने को मिला है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board-CPCB) के अनुसार, दिल्ली का AQI रविवार को 102 (मध्यम) के स्तर से बढ़कर सोमवार को 142 (मध्यम) पर पहुँच गया।
- सबसे अधिक बढ़ोतरी गाजियाबाद में दर्ज की गई, जो रिववार को 124 (मध्यम) के स्तर से बढ़कर सोमवार को 181 (मध्यम) पर पहुँच गया।

PM2.5

PM2.5 का आशय उन कणों या छोटी बूँदों से होता है जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर (0.000001 मीटर) या उससे कम होता है और इसीलिये इसे PM2.5 के नाम से भी जाना जाता है।

आगे की राह

- लगातार बढ़ता वायु प्रदूषण आधुनिक समाज के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, जिसे जल्द-से-जल्द सुलझाए बिना समाज का समावेशी विकास सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।
- प्रधानमंत्री द्वारा मिट्टी के दीपक और मोमबत्तियों के माध्यम से एकजुटता प्रदर्शित करने की बात की गई थी, किंतु कुछ लोगों द्वारा इसे गलत रूप में लिया, जिसके प्रभावस्वरूप प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है।
- आवश्यक है कि आम लोगों को प्रदूषण और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे विषय के प्रति जागरूक किया जाए।

पेंच टाइगर रिज़र्व में बाघ की मौत: COVID-19 संबंधी आशंका

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'पेंच टाइगर रिज़र्व' में (Pench Tiger Reserve) में 10 वर्षीय बाघ की मौत के बाद 'राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण' (National Tiger Conservation Authority- NTCA) के अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित है कि क्या बाघ में COVID- 19 महामारी का परीक्षण किया जाना चाहिये।

मुख्य बिंदुः

- एक रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका के एक चिड़ियाघर में बाघ की मौत निश्चित रूप से COVID- 19 महामारी के संक्रमण के कारण हुई है।
- इसके बाद 'केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण' (Central Zoo Authority- CZA) और NTCA ने दिशा-निर्देश जारी किये हैं कि चिड़ियाघरों में अधिकतम सतर्कता बरती जाए तथा बाघ के व्यवहार और लक्षणों पर 24/7 बंद सर्किट कैमरों से निगरानी रखी जाए।

बाघ की मौत के संभावित कारण:

- बाघ को तेज बुखार होने के बाद एंटीबायोटिक्स दी गई, लेकिन उसकी सेहत में सुधार नहीं हुआ तथा बाद में बाघ की मृत्यु हो गई। यद्यपि अभी भी बाघ की मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि नहीं हुई है।
- अभी बाघ के सैंपल का राइनोट्रेकाइटिस (Rhinotracheitis) का परीक्षण किया जाएगा जो बाघ में वायरल संक्रमण तथा श्वसन संबंधी विकार का कारण बनता है।
- जो लोग मृत बाघ को संभालने तथा इसके पोस्टमार्टम में शामिल थे, उनका COVID- 19 संक्रमण का परीक्षण किया जाएगा।

आगे की राहः

- कैट फैमिली के मांसाहारी जानवरों, गंधबिलाव (Ferret), प्राइमेट्स जैसे स्तनधारियों की सावधानीपूर्वक निगरानी की जानी चाहिये।
- बीमार जानवरों का सैंपल लेकर COVID- 19 संक्रमण का परीक्षण किया जाना चाहिये।
- COVID-19 के लक्षणों के अनुरूप बाघों का अवलोकन किया जाना चाहिये जैसे कि नाक से पानी बहना, खांसी आना और सांस फूलना आदि।
- बाघों को संभालने वाले कर्मियों का भी नियमित परीक्षण किया जाना चाहिये तािक उनमें COVID- 19 संक्रमण का पता लग सके।

पश् स्वास्थ्य संस्थानः

पशु स्वास्थ्य संस्थान	अवस्थिति		
राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (National Institute of High Security Animal) भोपाल (मध्य प्रदेश)			
Disease)			
राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र (National Research Centres on Equines)	हिसार (हरियाणा)		
रोग अनुसंधान और निदान केंद्र (Centre for Animal Disease Research And इज्जतनगर, (उत्तर प्रदेश)			
Diagnosis (CADRAD)			

पेंच टाईगर रिज़र्व:

संरक्षित क्षेत्र का नाम	•	पेंच टाईगर रिजर्व (मध्य प्रदेश)
वनमंडल का नाम	•	कोर जोन (इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच मोगली अभयारण्य) एवं बफर जोन
		(पेंच टाइगर रिजर्व)
जैव विविधता संरक्षण का इतिहास	•	पेंच टाईगर रिजर्व एवं इसके आसपास का क्षेत्र रूडियार्ड किपलिंग के प्रसिद्ध 'द जंगल बुक'
		का वास्तविक कथा क्षेत्र है।
	•	वर्ष 1977 में पेंच अभ्यारण्य क्षेत्र तथा वर्ष 1983 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया।
	•	वर्ष 1992 में भारत सरकार द्वारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच अभ्यारण्य एवं कुछ अन्य वन क्षेत्रों
		को सम्मिलित करके देश का 19वाँ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व बनाया गया।
	•	वर्ष 2002 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान एवं पेंच अभ्यारण्य का नाम क्रमश: इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच
		राष्ट्रीय उद्यान एवं पेंच मोगली अभ्यारण्य रखा गया।
वनों के प्रकार	•	पेंच टाइगर रिज़र्व में पाये जाने वाले वनों को निम्नानुसार तीन भागों में बाँटा गया है :
		♦ ऊष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन।
		 ऊष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती सागौन वन।
		 ऊष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मिश्रित वन।

वन्यजीव पैनल का आभासी सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड' (National Board for Wildlife- NBWL) की स्थायी सिमिति द्वारा पहली बार वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की गई।

मुख्य बिंदुः

- बैठक में NBWL ने 11 राज्यों से जुड़ी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को मंज़्री दी।
- वनों या संरक्षित रिजर्व क्षेत्रों में आने वाली परियोजनाओं को सरकार की 'पर्यावरणीय मंज़ूरी प्रक्रिया' (Environmental Clearance Process- ECP) के एक भाग के रूप में NBWL के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

आभासी सम्मेलन तथा पर्यावरणीय मंज़्री:

- सम्मेलन से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार, अधिकाँश परियोजनाओं सम्मेलन के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की गई, यद्यपि आभासी सम्मेलनों के साथ कुछ समस्याएँ भी जुड़ी होती हैं:
 - आभासी सम्मेलन में प्रस्तावित परियोजनाओं की अवस्थिति को दर्शाने वाले मानिचत्रों की जाँच करना मुश्किल होता है, क्योंकि बैठक के कुछ औपचारिक मिनटों में परियोजना का विस्तृत रूप से अवलोकन करना संभव नहीं है।

पर्यावरण मंज़्री प्रक्रिया (ECP):

- एक परियोजना के लिये पर्यावरण मंज़ूरी प्राप्त करने के लिये एक पर्यावरण प्रभाव आकलन (Environment Impact Assessment- EIA) रिपोर्ट तैयार की जाती है।
- किसी परियोजना के लिये राज्य नियामकों की मंज़ूरी अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate- NOC) जारी करने से पहले 'जन सुनवाई' आयोजित की जाती है तथा प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में रहने वाले लोगों की चिंताओं को सुना जाता है।
- परियोजना को पर्यावरणीय मंज़ूरी के लिये एक आवेदन पत्र को EIA रिपोर्ट के साथ (EIA रिपोर्ट जन सुनवाई संबंधी जानकारी तथा NOC शामिल हो) आगे केंद्र या राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाता है।
- अगर परियोजना A श्रेणी की है तो इसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forests and Climate Change- MoEFCC) को प्रस्तुत किया जाता है।
- अगर पिरयोजना B श्रेणी की है तो इसे राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाती है।
- A और B श्रेणी की परियोजनाओं की मंज़्री के लिये जमा किये गए दस्तावेजों का विश्लेषण केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के नियंत्रण में विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (Expert Appraisal Committee- EAC) या संबंधित राज्य पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरणों (State Environmental Impact Assessment Authorities- SEIAAs) के द्वारा किया जाता है।
- सिमिति की सिफारिशों को अंतिम अनुमोदन या अस्वीकृति के लिये MoEFCC को भेजा जाता है।

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (National Board for Wildlife- NBWL):

- 'वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम', 1972 (Wild Life Protection Act, 1972) के तहत वर्ष 2003 में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन किया गया था।
- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड वन्य पारस्थितिकी से संबंधित मामलों में सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है। यह निकाय वन्य जीवन से जुड़े मामलों तथा राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आस-पास निर्माण या अन्य परियोजनाओं की समीक्षा करता है।
- NBWL की स्थायी सिमिति (Standing Committee) की अध्यक्षता पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा की जाती है।
 - ◆ स्थायी सिमिति, संरिक्षित वन्यजीव क्षेत्रों या इस क्षेत्रों के आसपास के 10 किमी के भीतर आने वाली सभी पिरयोजनाओं को मंज़ूरी देती है।

हरित प्रमाण पत्रों की बिक्री में उछाल

चर्चा में क्यों?

नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों (Renewable Energy Certificates-RECs) की बिक्री मार्च महीने में 79% से अधिक बढ़कर 8.38 लाख यूनिट पहुँच गई। पिछले साल मार्च महीने में यह संख्या 4.68 लाख यूनिट थी।

प्रमुख बिंदुः

- आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (Indian Energy Exchange-IEX) में मार्च महीने में 5.2 लाख इकाई RECs का कारोबार हुआ, जबिक पिछले साल इसी महीने में यह संख्या 2.25 लाख थी।
- पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (Power Exchange of India Limited-PXIL) ने मार्च महीने में 3.18 लाख इकाई RECs की रिकॉर्ड बिक्री की. जो मार्च 2019 में 2.43 लाख थी।
- IEX और PXIL 'RECs तथा बिजली' के कारोबार में सलग्न हैं।
- IEX के आँकड़ों के अनुसार, सौर ऊर्जा और दूसरे नवीकरणीय ऊर्जा से संबद्ध RECs की आपूर्ति मांग की तुलना में अधिक रही। खरीद के लिये इस साल मार्च में 6.93 लाख RECs की मांग थी, जबिक बिक्री के लिये 26.84 लाख RECs उपलब्ध थी।
- PXIL में खरीद के लिये 3.73 लाख RECs की मांग हुई , जबिक बिक्री के लिये 5.59 लाख से अधिक यूनिट उपलब्ध थी नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र
- RECs एक बाजार आधारित उपकरण है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से एक मेगावाट घंटा बिजली (MWh) उत्पन्न होने पर एक REC का निर्माण होता है
- जो इकाइयाँ स्वयं स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में सीधे निवेश करने की स्थिति में नहीं हो, वे इन प्रमाण पत्रों में निवेश के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को घटाने का प्रयास करती हैं।
- इसका मुख्य उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढावा देना और नवीकरणीय ऊर्जा बाज़ार का विकास करना है।
- यह उत्पादकों को परंपरागत बिजली की तरह नवीकरणीय स्रोतों से अपनी बिजली बेचने के लिये वैकल्पिक स्वैच्छिक मार्ग प्रदान करता है तथा कार्बन उत्सर्जन कम करने को बाध्य कंपनियों को उनके RPO (Renewal Energy Obligation) को पूरा करने में सहायता करता है।

स्वच्छ विकास तंत्र (Clean Development Mechanism-CDM)

- क्योटो प्रोटोकॉल में वर्णित CDM विकसित एवं विकासशील देशों के बीच अपनाया जाता है।
- इसके अंतर्गत उत्सर्जन कटौती या उत्सर्जन नियत्रंण हेतु प्रतिबद्ध कोई विकसित देश (Annexure-I पार्टीज़) या उनकी कंपनियाँ, अन्य विकासशील देशों में उत्सर्जन कटौती वाले प्रोजेक्ट में निवेश कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकती हैं।
- ऐसे प्रोजेक्ट एक विक्रय योग्य सर्टिफाइड उत्सर्जन कटौती (Certified Emmission Reduction) यूनिट खरीद सकते है। यह कार्बन क्रेडिट कहलाता है
- यह एक टन कार्बन डाईऑक्साइड के बराबर होता है, जिसकी गणना क्योटो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये की जा सकती है RECs से लाभ:
- RECs कंपनियों, संस्थानों और व्यक्तियों को उनके कार्बन पदिचह्न (Carbon Footprint) को कम करने, स्वच्छ ऊर्जा का समर्थन करने तथा प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को कम करने का वैकल्पिक तरीका प्रदान करता है।
- REC की खरीद नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने के बराबर है। यह नवीकरणीय ऊर्जा बाज़ार का समर्थन करता है।
- यह कंपनियों को कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा नवीकरणीय ऊर्जा के लिये अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।

चुनौतियाँ

RECs बाजार का विकास RPO के सख़्त अनुपालन के बिना नहीं हो सकता। केंद्रीय स्तर पर RPO निगरानी प्रणाली द्वारा समय पर कार्रवाई का अभाव देखा गया है।

- RECs के बाजार में मांग और आपूर्ति के मध्य बड़ा असंतुलन विद्यमान है। मांग की तुलना में आपूर्ति अधिक है। इससे पता चलता है की बाजार में स्वैच्छिक भागीदारों की कमी है।
- नवीकरणीय ऊर्जा बाजार के डिजाइन से संबंधित मुद्दे भी प्रमुख चुनौती हैं, जैसे-उत्पादकों को RECs के अंतर्गत पंजीकृत किया जाता है, लेकिन उन्हें केवल दो प्रकार के RECs- सौर और गैर-सौर जारी किये जा रहे हैं।

आगे की राहः

 राज्य द्वारा RPO के सख्त प्रवर्तन करवाने के साथ ही RECs के बारे में जागरूकता पैदा करने की भी आवश्यकता है। RECs बाजार में स्वैच्छिक भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

लॉकडाउन हटाने का उचित समय

चर्चा में क्यों?

'नॉवल कोरोनावायरस' अर्थात SARS- CoV- 2 पहले ही लाखों लोगों को प्रभावित कर चुका है तथा अभी वायरस के संक्रमण के मामलों में कमी होने की संभावना नजर नहीं आ रही है, ऐसे में वैज्ञानिक समुदाय के बीच लॉकडाउन अविध को लेकर बहस चल रही है।

मुख्य बिंदुः

- लॉकडाउन के चलते नागरिकों, पुलिस तथा ग्रामीणों के समूहों के बीच झड़प देखने को मिल रही है तथा अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है।
- दूसरी तरफ 'समूह प्रतिरक्षा सीमा' (Herd Immunity Threshold) के बिना लॉकडाउन को हटाना विनाशकारी हो सकता है।

'मूल प्रजनन अनुपात' (Basic Reproductive Ratio- Ro):

- एक संक्रमित व्यक्ति से वायरस का प्रसार अनेक अन्य असंक्रमित व्यक्तियों को हो सकता है। इस संख्या को 'मूल प्रजनन अनुपात' (Basic Reproductive Ratio- BRR) अर्थात R- नॉट (R-nought) कहा जाता है जबकि R0 के रूप में लिखा जाता है।
- Ro का मान जितना अधिक होगा महामारी उतनी ही अधिक संक्रामक होती है।
- Ro को तीन संख्याओं का उत्पाद माना जाता है:
 - संक्रमित व्यक्ति के उन दिनों की संख्या जिसमें वह दूसरों को संक्रमित कर सकता है।
 - संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की संख्या।
 - संपर्क में आए व्यक्ति के संक्रमित होने की संभावना।
- SARS- CoV- 2 वायरस में R- नॉट का मान 2 से 3 के बीच होने का अनुमान है। खसरे (Measles) से पीड़ित एक व्यक्ति 12-18 अन्य व्यक्तियों जबिक इन्फ्लूएंजा (Influenza) से पीड़ित व्यक्ति लगभग 1-4 व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है।
- इसे एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिये R- नॉट का मान 2 है तथा संक्रमण की अवधि 10 दिन है। ऐसे में पहला संक्रमित व्यक्ति 2 अन्य लोगों को संक्रमित करेगा। जिनमें से प्रत्येक 2 अन्य (कुल 22) को संक्रमित करेंगें। इन 4 व्यक्तियों में से प्रत्येक 2 अन्य (23) को संक्रमित करेंगें और इसी तरह 10 दिनों में एक संक्रमित व्यक्ति 2,046 व्यक्तियों को संक्रमित करेगा।

Ro को काम रखने के तरीके:

- R-नॉट को कम रखने का सबसे आसान तरीका है कि खुद को हर दूसरे व्यक्तियों से दूर रखा जाए। केवल उन लोगों से दूरी बनाना पर्याप्त नहीं है जो संक्रमण के लक्षण दिखाते हैं अपितु हमें हर दूसरे व्यक्ति से दूरी बनाकर रखनी होती है।
- कई सामान्य दिखाई देने वाले व्यक्ति वास्तव में संक्रमण के लक्षण प्रकट किये बिना संक्रमित हो सकते हैं। इसलिये जिस तरह R- नॉट COVID-19 के प्रसार को प्रभावित करता है, उसी तरह हमारा व्यवहार भी R- नॉट को प्रभावित करता है।

Ro तथा हर्ड इम्युनिटी (Herd Immunity):

- हर्ड इम्युनिटी से आशय- "िकसी समाज या समूह के कुछ प्रतिशत लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास के माध्यम से किसी संक्रामक रोग के प्रसार को रोकना है।"
- जब िकसी व्यक्ति में वायरस का संक्रमण होता है तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली सिक्रय हो जाती है। एक बार संक्रमण के बाद हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इन वायरसों की पहचान कर लेता है तथा भिविष्य में शरीर की सुरक्षा के लिये इनकी पहचान को याद रखता है। अगली बार जब वायरस शरीर को संक्रमित करने की कोशिश करता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र वायरस पहचानने तथा इससे शरीर की सुरक्षा करने में सक्षम होता है।
- एक व्यक्ति जो वायरस संक्रमित है या इस रोग ठीक हो चुका है उस व्यक्ति में फिर से संक्रमित होने की संभावना कम-से-कम अगले कई महीनों या वर्षों तक नहीं रहती है।
- इसिलये जैसे-जैसे संक्रमण समुदाय में फैलता है, संक्रामक लोगों की संख्या लगातार कम होती जाती है, क्योंकि समुदाय के लोगों ने संक्रमण की बढ़ती संख्या के कारण पहले ही प्रतिरक्षा प्राप्त कर ली होती है। इसे हर्ड इम्युनिटी (Herd Immunity) कहा जाता है।

हर्ड इम्युनिटी तथा वैक्सीन में संबंध:

- हर्ड इम्युनिटी को टीकाकरण के द्वारा भी बढ़ाया जा सकता है। भारत ने पोलियो का उन्मूलन करने में हर्ड इम्यूनिटी का उपयोग किया गया
 था।
- यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि यदि SARS- CoV- 2 वायरस के लिये कोई टीका उपलब्ध होता तो इससे बड़ी संख्या में व्यक्तियों को संक्रमित हुए बिना ही हर्ड इम्युनिटी वाले लोगों की संख्या को बढ़ाया जा सकता था।
 हर्ड इम्युनिटी तथा महामारी की समाप्ति:
- जब समुदाय में हर्ड इम्युनिटी वाले लोगों की संख्या बढ़ती है, तो अनेक संक्रमित व्यक्ति संक्रामक अवधि के दौरान दूसरे व्यक्ति को संक्रमित नहीं कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में R- नॉट औसतन एक से कम होगा, जिससे संक्रमण के कुछ ही नवीन मामले सामने आएंगे।
- मौजूदा संक्रमण के मामले या तो ठीक हो जाएंगे या उनकी मृत्यु हो जाएगी। इससे रोग का प्रसार धीमा हो जाएगा तथा महामारी कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगी।

श्रंखला अंतराल (Series Interval) एवं COVID- 19:

 दो संक्रमित व्यक्तियों में वायरस संक्रमण के लक्षणों के प्रकट होने के समय अंतराल की अविध को श्रृंखला अंतराल कहा जाता है। यह अंतराल हमें वायरस के प्रसार के बारे में सूचित करता है। यह अंतराल जितना कम होता है, वायरस के समुदाय में प्रसार की गित उतनी ही अधिक होती है।

श्रृंखला अंतराल तथा हर्ड इम्युनिटी में संबंध:

- SARS- CoV- 2 वायरस के लिये श्रृंखला अंतराल अवधि 5 से 7 दिनों के बीच होती है वहीं इन्फ्लूएंजा के लिये यह अवधि 1.3 दिन होती है। इसलिये इन्फ्लूएंजा वायरस, SARS- CoV- 2 वायरस की तुलना में छह गुना अधिक तेज़ी से प्रसारित होता है।
- हालाँकि यह COVID- 19 के बारे में अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि शृंखला अंतराल अधिक होने के कारण महामारी का समुदाय में धीरे-धीरे प्रसार होता है तथा लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात हर्ड इम्यूनिटी धीरे- धीरे विकसित हो पाती है जिससे COVID- 19 महामारी के लंबे समय तक चलने की संभावना है।

लॉकडाउन की अवधि कब तक?

- हम यह जानते हैं कि वर्तमान लॉकडाउन को हमेशा के लिये नहीं लगाया जा सकता है। हम इस बारे में कभी भी निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि सभी लोगों ने प्रतिरक्षा प्राप्त की है। अत: लॉकडाउन को कुछ नियमों के साथ हटाने पर विचार करना चाहिये। लॉकडाउन को सुरक्षित रूप से हटाया जा सकता है, जब देश में व्यक्तियों का एक निश्चित अनुपात प्रतिरक्षा विकसित कर ले।
- गणितीय रूप में इसे एक निश्चित संख्या से निर्धारित किया जाता है, जिसे 'समूह प्रतिरक्षा सीमा' (Herd Immunity Threshold) कहा जाता है। यह उन लोगों की संख्या को दर्शाता है जिन पर संक्रमण का प्रभाव और संचार नहीं हो सकता।
- वर्तमान में उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर COVID-19 के लिये यह सीमा लगभग 60% है।

आगे की राहः

• यह सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल है कि देश के दो-तिहाई लोगों ने प्रतिरक्षा हासिल कर ली है। हम उन भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जहाँ COVID- 19 महामारी ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। इन क्षेत्रों में लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिये तथा निगरानी, परीक्षण और संक्रमण को रोकने के लिये अधिक सख्ती दिखानी चाहिये।

महामारियों का ऐतिहासिक स्वरुप

चर्चा में क्यों?

COVID- 19 महामारी ने इस बहस को पुन: चर्चा में ला दिया है कि पूरे इतिहास काल में मानव समाज और राजनीति को महामारियों ने कैसे आकार दिया है।

मुख्य बिंदुः

- 6वीं शताब्दी के 'जस्टिनियन प्लेग' (Justinian Plague) से लेकर 20वीं शताब्दी के स्पेनिश फ्लू तक की महामारियों ने अनेक साम्राज्यों का पतन करने के साथ ही सामाजिक उथल-पुथल पैदा की है।
- यहाँ कुछ बड़ी महामारियों पर नजर डालते हैं जिन्होंने मानव इतिहास को प्रभावित किया है।

जस्टिनियन प्लेग (Justinian Plague):

- यह रिकॉर्ड किये गए इतिहास में सबसे घातक महामारियों में से है जिसकी उत्पित मिस्र में 6वीं शताब्दी में हुई थी। इसका प्रसार तेज़ी से पूर्वी रोमन साम्राज्य में हो गया। प्लेग का नाम पूर्वी रोमन साम्राज्य से तात्कालिक सम्राट जिस्टिनियन के नाम पर 'जिस्टिनियन प्लेग' पड़ा।
- इस महामारी के कारण लगभग 25 से 100 मिलियन लोग मारे गए। इस महामारी के समय पूर्वी रोमन साम्राज्य में इटली, रोम और उत्तरी अफ्रीका सहित संपूर्ण भूमध्यसागरीय तट शामिल था।
- 750 ईस्वी तक प्लेग का बार-बार प्रकोप रहा जिससे पूर्वी रोमन साम्राज्य आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गया तथा प्लेग के प्रकोप के समाप्त होने तक रोमन साम्राज्य ने यूरोप में जर्मन-भाषी फ्रैंक्स क्षेत्र खो दिया तथा मिस्र एवं सीरिया अरब साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया

ब्लैक डेथ (Black Death):

- ब्लैक डेथ महामारी को मानव इतिहास में दर्ज सबसे घातक महामारी माना जाता है। इस महामारी का प्रभाव 14वीं शताब्दी के दौरान यूरोप
 और एशिया महाद्वीपों में रहा।
- इस महामारी के दौरान 75 से 200 मिलियन लोग मारे गए। इसकी शुरुआत 1340 के प्रारंभिक दशक से मानी जाती है जिसका प्रभाव चीन, भारत, सीरिया और मिस्र के बाद 1347 में यूरोप तक हो गया। इस महामारी के कारण यूरोप की लगभग 50% आबादी खत्म हो गई।
- इस महामारी के स्थायी आर्थिक और सामाजिक प्रभाव रहे:
 - महामारी के लिये यूरोप में यहूदियों को जिम्मेदार ठहराया गया तथा यहीं से यूरोप में यहूदियों का उत्पीड़न प्रारंभ हुआ।
 - ◆ ब्लैक डेथ के बाद कैथोलिक चर्च का प्रभाव कम हो गया तथा मनुष्य के ईश्वर के साथ संबंधों को चुनौती दी गई।

स्पैनिश फ़्लू (Spanish Flu):

- स्पैनिश फ़्लू, महामारी का प्रभाव प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम चरण के दौरान रहा। यह 20वीं शताब्दी की सबसे घातक महामारी थी जिसमें लगभग 50 मिलियन लोगों की मौत हुई थी। स्पैनिश फ्लू को सबसे पहले यूरोप में दर्ज किया गया, जिसका बाद में अमेरिका और एशिया में तेज़ी से प्रसार हुआ। भारत में इस महामारी से लगभग 17 से 18 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई।
- महामारी का प्रमुख प्रभाव प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम पर रहा। हालाँकि फ्लू से विश्व युद्ध में शामिल दोनों तरफ लोग मारे गए थे परंतु जर्मन और ऑस्ट्रियाई सेनाएँ इससे बुरी तरह से प्रभावित हुई।

COVID-19:

• COVID- 19 का क्या प्रभाव रहा ? यह अभी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी भी इस महामारी का प्रभाव जारी है। COVID- 19 महामारी के कारण लगभग 2 मिलियन लोग संक्रमित तथा लगभग 1,26,000 से लोग मारे जा चुके हैं। रोज़गार, आर्थिक वृद्धि आदि पर COVID- 19 महामारी के प्रभाव अभी से दिखाई दे रहे हैं।

COVID-19 के लिये इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन का विकास

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'कोशिकीय व आण्विक जीव विज्ञान केंद्र' (Centre for Cellular and Molecular Biology- CCMB) के शोधकर्त्ताओं ने जानकारी दी है कि वे कोरोनावायरस से निपटने के लिये निष्क्रिय विषाणु आधारित वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन (Inactivated Virus Vaccine) के निर्माण का प्रयास कर रहे हैं।

मुख्य बिंदुः

- इनएक्टिवेटेड वैक्सीन अपनी सुरक्षा और निर्माण की आसान प्रक्रिया के लिये जानी जाती है।
- शोधकर्ताओं के अनुसार, यह वैक्सीन कोरोनावायरस के प्रसार और इसके दुष्प्रभावों को रोकने का सबसे उपयुक्त उपाय है।
- वर्तमान में विश्व के अनेक संस्थान इस बीमारी से लड़ने के लिए वैक्सीन के विकास में लगे हुये हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organaisation- WHO) से विश्व भर से ऐसे 42 से अधिक संस्थाओं की सूची तैयार की है, जो इस बीमारी की वैक्सीन पर कम कर रहें हैं।

इनएक्टिवेटेड वैक्सीनः

- इस प्रक्रिया में पहले बड़ी संख्या में विषाणुओं का संवर्द्धन किया जाता है और फिर उन्हें रासायनिक प्रक्रिया या ऊष्मा (Heat) से मार दिया जाता है।
- यद्यपि इस रोगजनक या पैथोजेन (Pathogen) को मार दिया जाता है या उसकी प्रजनन क्षमता को नष्ट कर दिया जाता है परंतु इसके बहुत से अंग/हिस्से जुड़े हुए होते हैं। जैसे- स्पाइक प्रोटीन (Spike Protein) जिसकी सहायता से यह कोशिकाओं में प्रवेश करता है।
- इसके अतिरिक्त प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा पहचाने जाने वाले एंटीजेन (Antigen) को भी सुरक्षित छोड़ दिया जाता है।
- जब इस मृत जीवाणु को मानव शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इसे जीवित समझ कर कुछ एंटीबॉडीज (Antibodies) के उत्सर्जन के माध्यम से प्रतिक्रिया करती है, जो इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन (Inactivated Virus Vaccine) के रूप में कार्य करती है।
- पोलियो और रेबीज़ के लिये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का निर्माण/विकास इसी प्रकार किया गया था।

लाभ:

- मृत होने के कारण यह रोगजनक (Pathogen) तो प्रजनन नहीं कर पाता है और यहाँ तक कि व्यक्ति में किसी हल्की सी भी बीमारी का विकास नहीं कर पाता। अत: यह उन लोगों को भी दी जा सकती है जिनकी रोग -प्रतिरोधक क्षमता मज़बूत नहीं होती जैसे- बुजुर्ग या सह-रुग्णता (Co-Morbidity) से संबंधित रोगों से ग्रसित लोग आदि।
- CCMB निदेशक के अनुसार, यदि हम बड़ी संख्या में विषाणुओं का संवर्द्धन कर उसे निष्क्रिय करते हैं तो यह इस बीमारी से संक्रमित लोगों के उपचार में प्रयोग किया जा सकेगा।
- पोलियो और रेबीज की वैक्सीन निर्माण में इस तकनीकी की सफलता के बाद इस क्षेत्र में उपयुक्त विशेषज्ञता उपलब्ध है।
- कोशिका संवर्द्धन की सही तकनीकी की पहचान से COVID-19 के उपचार की दावा के निर्माण में भी सहायता मिलेगी।

चुनौतियाँ:

मानव शरीर के बाहर इस विषाणु का विकास करना एक बड़ी तकनीकी चुनौती है।

- अभी तक कोरोनावायरस का विकास सिर्फ मानव शरीर में पाया गया है, ऐसे में मानव शरीर से बाहर इस विषाणु के विकास/संवर्द्धन के लिये उपयुक्त कोशिकाओं की पहचान कारण एक बड़ी चुनौती होगी।
- वर्तमान में इस विषाणु के कृत्रिम विकास के लिये CCMB द्वारा 'अफ्रीकन ग्रीन मंकी' (African Green Monkey) में पाए जाने वाले उपकला ऊतक परतों (Epithelial Cell Line) का प्रयोग किया जा रहा है।
- परीक्षणों के दौरान इन उतकों की निगरानी की जाएगी, यदि इनमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है, जैसे-कोशिकाओं का निष्क्रिय होना या वायरस का अलग होना तो यह प्रयोग सफल माना जाएगा।

जैव-चिकित्सा अपशिष्टों का वैज्ञानिक निस्तारण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण' (National Green Tribunal- NGT) ने COVID-19 की महामारी को देखते हुए देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (Bio-Medical Waste) के अवैज्ञानिक निस्तारण (Unscientific Disposal) से उत्पन्न जोखिम को कम करने हेतु आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये हैं।

मुख्य बिंदुः

- NGT के अनुसार, देश के 2.7 लाख स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में से मात्र 1.1 लाख को ही 'जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Bio-Medical Waste Management Rules- BMWM Rules), 2016' के तहत अधिकृत किया गया है।
- ऐसे में COVID-19 की महामारी को देखते हुये जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के अवैज्ञानिक निस्तारण से उत्पन्न जोखिम को कम करने हेतु 'राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों' और 'प्रदूषण नियंत्रण समितियों' को इस अंतर को कम करने के लिये प्रयास करने होंगे।
- इसके अतिरिक्त 'केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' (Central Pollution Control Board- CPCB) ने भी 'राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों' और प्रदूषण नियंत्रण सिमितियों को COVID-19 के दौरान जैव-अपिशप्टों के निस्तारण के लिये जरूरी दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (Bio-Medical Waste):

- जैव चिकित्सा अपशिष्ट से आशय मनुष्यों या पशुओं के उपचार, चिकित्सीय जाँच या चिकित्सा से जुड़े शोध कार्यों या उत्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाले अपशिष्टों से है।
 - उदाहरण: संक्रमित रक्त या कोशिका नमूने, सीरिंज (सुई), बैंडेज, दस्ताने, मास्क या अन्य उपकरण आदि।
- भारत में मार्च 2016 में लागू 'जैव-चिकित्सा अपिशष्ट प्रबंधन नियम, 2016' के तहत जैव-चिकित्सा अपिशष्ट को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

जैव-अपशिष्टों के निस्तारण हेतु CPCB के दिशा-निर्देश:

- COVID-19 संक्रमित मरीजों के लिये अलग आइसोलेशन वार्ड (Isolation Ward) वाले अस्पतालों को जैव-चिकित्सा अपिशष्ट प्रबंधन नियम- 2016, के तहत वार्ड में कलर कोडेड (Colour Coded) कूड़ेदान/बैग रखने जैसे प्रयासों के माध्यम से जैव-चिकित्सा अपिशष्ट को अलग रखने की व्यवस्था करनी चाहिये।
- COVID-19 आइसोलेशन वार्ड से अपशिष्टों को एकत्रित करते समय अतिरिक्त सावधानी के रूप में दो परतों (Double Layer) वाले बैग या एक साथ दो बैग का इस्तेमाल किया जाना चाहिये।
- अपिशष्टों को 'कॉमन बायो-मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोज़ल फैसिलिटीज' (Common Bio-medical Waste Treatment and Disposal Facilities- CBMWTFs) पर भेजने से पहले अलग भंडारण कक्ष में रखा जाना चाहिये या इसे आइसोलेशन वार्ड से सीधे CBWTF कलेक्शन वैन में रखा जा सकता है।
- COVID-19 आइसोलेशन वार्ड से अपशिष्टों को निकालने के लिये प्रयोग होने वाले कूड़ेदान, ट्रॉली आदि पर 'COVID-19' लेबल लगाया जाना चाहिये और वार्ड से निकलने वाले अपशिष्टों का अलग रिकार्ड रखा जाना चाहिये।

COVID-19 वार्ड में प्रयोग किये जाने वाले कूड़ेदान, ट्रॉली आदि की 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट (Sodium Hypochlorite) वाले घोल से प्रतिदिन सफाई की जानी चाहिये।

कॉमन बायो-मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोज़ल फैसिलिटीज़' (Common Bio-medical Waste Treatment and Disposal Facilities-CBMWTFs):

- CBMWTF अपशिष्ट निस्तारण के वे संयंत्र/केंद्र होते हैं जहाँ स्वास्थ्य क्षेत्र से निकलने वाले जैव- चिकित्सा अपशिष्टों के दृष्प्रभावों को कम करने के लिये वैज्ञानिक मानकों के तहत उनका निस्तारण किया जाता है।
- वर्तमान में देश के 28 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 200 अधिकत CBMWTF सक्रिय हैं. जबकि 7 राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों (गोवा, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम) में कोई CBMWTF नहीं है।

क्वारंटीन कैंप से निकलने वाले जैव-अपशिष्टों का निस्तारण:

- CPCB ने स्पष्ट किया कि क्वारंटीन कैंप/सेंटर से आशय उन स्थानों से है जहाँ स्थानीय प्रशासन या अस्पताल के निर्देशों पर COVID-19 से संक्रमित या संक्रमण की आशंका वाले व्यक्तियों को 14 या इससे अधिक दिनों तक रहने को कहा गया है।
- क्वारंटीन कैंप से निकलने वाले सामान्य ठोस अपशिष्ट को स्थानीय शहरी निकाय द्वारा नियक्त कर्मचारी को दिया जाना चाहिये या ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के प्रचलित तरीकों से इसका निस्तारण किया जा सकता है।
- क्वारंटीन कैंप से निकलने वाले जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण के लिये क्वारंटीन कैंप का संचालक/संरक्षक नजदीकी CBMWTF संचालक को सुचित करेगा, CBMWTF संचालक की जानकारी स्थानीय प्रशासन के पास उपलब्ध होगी।
- क्वारंटीन कैंप/क्वारंटीन होम या होम केयर से निकलने वाले जैव-चिकित्सा अपशिष्ट को 'ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016' के तहत 'घरेलू खतरनाक अपशिष्ट' (Domestic Hazardous Waste) के रूप में चिन्हित किया जाएगा और इसका निस्तारण 'जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम', 2016 के नियमों के तहत किया जाएगा।
- CPCB के अनुसार, ये दिशा-निर्देश वर्तमान में COVID-19 के संदर्भ में उपलब्ध जानकारी और अन्य संक्रामक बीमारियों जैसे-HIV, H1N1 आदि के उपचार के दौरान बने संक्रामक अपशिष्टों के प्रबंधन में अपनाए गए तरीकों पर आधारित हैं। आवश्यकता पडने पर इनमें परिवर्तन किये जा सकते हैं।

चुनौतियाँ:

- फरवरी 2019 में संसद में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में भारत में लगभग 200 CBMWTFs संचालित हैं, जो कि हमारी वर्तमान आवश्यकता के सापेक्ष बहुत ही कम हैं।
- NGT की जाँच के अनुसार, देश में 2.7 लाख स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में से मात्र 1.1 लाख को ही 'जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016' के तहत अधिकृत किया गया है।
- ऐसे में यह आँकड़े वर्तमान में COVID-19 के संक्रमण की प्रकृति को देखते हुए एक गंभीर चुनौती की ओर संकेत करते हैं।
- वर्तमान में देश के बहुत से छोटे शहरों और कस्बों में अपशिष्ट प्रबंधन के लिये निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जाता है, इन क्षेत्रों में COVID-19 के जैव-चिकित्सा अपशिष्टों का वैज्ञानिक मानकों के तहत निस्तारण न होने से COVID-19 संक्रमण का खतरा बढ सकता है।

आगे की राहः

- COVID-19 के संक्रमण को रोकने में मानव संपर्क को कम करने के साथ ही जैव चिकित्सा अपशिष्टों से इस बीमारी के संक्रमण को रोकना बहुत ही आवश्यक है।
- छोटे कस्बों और नगरों में अपशिष्ट प्रबंधन और निस्तारण में लगे कर्मचारियों को उच्च कोटि के सुरक्षा उपकरणों के साथ ही मानकों के अनुरूप अपशिष्टों के निस्तारण के लिये प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिये।
- वर्तमान में COVID-19 से संक्रमित या संक्रमण की संभावना वाले लोगों को क्वारंटीन कैंप या उनके घरों में रखा गया है, अत: ऐसे व्यक्तियों की देखभाल कर रहे लोगों को जैव-चिकित्सा अपशिष्ट और इसके वैज्ञानिक निस्तारण के तरीकों के संदर्भ में जागरूक किया जाना चाहिये।

मानव गतिविधियों के कारण उत्पन्न महामारी

चर्चा में क्यों?

ग्वेनाएल वोर्क (Gwenael Vourc'h) नामक एक फ्रांसीसी सार्वजनिक अनुसंधान संस्थान के अनुसार, COVID-19 जैसी महामारी मानव गतिविधियों के कारण उत्पन्न होती है।

प्रमुख बिंदुः

- गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environmental Programme- UNEP) की रिपोर्ट के अनुसार, इंसानों को होने वाले 60% संक्रामक रोगों के मूल स्रोत जानवर होते हैं। इबोला (Ebola), एचआईवी (HIV), एवियन इन्फ्लूएंजा (Avian influenza-AI), फ्लू (Flu), जीका (Zika), सार्स (SARS) जैसी बीमारियों की वजह से अब यह आँकडा 75% हो गया है।
 - उल्लेखनीय है कि जानवरों से मनुष्यों को होने वाली बीमारी को जूनोसिस रोग (Zoonoses) कहते हैं। तपेदिक (Tuberculosis), रेबीज (Rabies), टोक्सोप्लासमोसिस (Toxoplasmosis), मलेरिया (Malaria) जैसी बीमारियाँ जानवरों से मनुष्यों में फैलती हैं।

पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव एक वज़ह:

- UNEP की रिपोर्ट के अनुसार, पर्यावरणीय परिवर्तन या पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव के कारण जूनोसिस रोग उत्पन्न हुए हैं।
- पिछले 50 वर्षों के दौरान प्रकृति के परिवर्तन की दर मानव इतिहास में अभूतपूर्व है तथा प्रकृति के परिवर्तन का सबसे महत्त्वपूर्ण कारण भूमि उपयोगिता में परिवर्तन है।
- जनसंख्या बढ़ने के साथ ही अत्यधिक मात्रा में प्राकृतिक संसाधन का दोहन करना, अत्यधिक पैदावार हेतु कृषि में खाद का उपयोग करना, मानव द्वारा जंगलों एवं अन्य स्थानों पर अतिक्रमण करना, इत्यादि पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव के कारण हैं।

जुनोसिस रोग पर विशेषज्ञों का मतः

- COVID-19 चमगादड़ या पैगोंलिन से उत्पन्न हुआ है इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है लेकिन यह स्पष्ट है कि COVID-19 जानवरों से ही उत्पन्न हुआ है। साथ ही उत्पन्न संक्रमणों में से चमगादड़ से लगभग तीन-चौथाई संक्रमण उत्पन्न होते हैं।
- COVID-19 वर्ष 2019 के अंत में चीन के वुहान शहर से उत्पन्न हुआ है।
- पालतू जानवरों को अत्यधिक प्रतिजैविक पदार्थ देने तथा पालतू जानवरों से मनुष्यों के अत्यधिक संपर्क से जूनोसिस रोग उत्पन्न होता है।
 प्रमुख जूनोज रोग निम्नलिखित हैं:
- इबोला (Ebola):
 - ◆ इबोला वायरस की खोज सबसे पहले वर्ष 1976 में इबोला नदी के पास हुई थी जो अब कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। अफ्रीका में फ्रूट बैट चमगादड़ इबोला वायरस के वाहक हैं जिनसे पशु (चिम्पांजी, गोरिल्ला, बंदर, वन्य मृग) संक्रमित होते हैं। मनुष्यों को या तो संक्रमित पशुओं से या संक्रमित मनुष्यों से संक्रमण होता है, जब वे संक्रमित शारीरिक द्रव्यों या शारीरिक स्नावों के निकट संपर्क में आते हैं। इसमें वायु जिनत संक्रमण नहीं होता है।
- जीका (Zika):
 - जीका विषाणु एडीज मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करता है। जिका का पहला मामला वर्ष 1952 में आया था। वर्ष 2007 तक यह केवल अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता था। उसके बाद धीरे-धीरे यह अन्य स्थानों में भी फैलने लगा। 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे सार्वजिनक स्वास्थ्य के लिये आपात घोषित कर दिया।
- ह्यूमन इम्यूनो डिफिसिएंसी वायरस (Human Immunodeficiency Virus-HIV):
 - ♦ HIV शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में CD-4, जो कि एक प्रकार का व्हाइट ब्लड सेल (T-Cells) होता है, पर हमला करता है। शरीर में प्रवेश करने के बाद एचआईवी वायरस की संख्या में तीव्र वृद्धि होती है और यह CD-4 कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है, इस प्रकार यह मानव प्रतिरक्षा प्रणाली (Human Immune System) को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाता है। कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण एक व्यक्ति में संक्रमण और कैंसर की संभावना अधिक रहती है।

आगे की राहः

- COVID-19 की व्यापक चुनौतियों को देखते हुए इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिये प्रयास किये जाने की आवश्यकता है तथा साथ ही यह सुनिश्चित करना भी ज़रूरी है कि देश में किये जाने वाले चिकित्सा संबंधी शोधों में सभी मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाए।
- यह सत्य है कि मज़बूत आधारिक संरचना के अभाव में किसी भी समाज के लिये विकास करना अपेक्षाकृत काफी मुश्किल होता है, परंत् इस तथ्य का पालन करते हुए पर्यावरण को पूर्णत: नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अत: यह आवश्यक है कि यदि कभी देश के विकास और पर्यावरण के मध्य द्वंद्व उत्पन्न हो तो विवेक के साथ इस विषय पर विचार किया जाए और ऐसे वैकल्पिक रास्तों की तलाश की जाए जो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हमें विकास की नई दिशा दिखाएँ।



भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

कावेरी नदी प्रदूषण तथा लॉकडाउन

चर्चा में क्यों?

'कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' (Karnataka State Pollution Control Board- KSPCB) के अनुसार COVID-19 महामारी के कारण हाल ही में लागू किये गए 21-दिन के लॉकडाउन का कठोरता से अनुपालन के चलते पुराने मैसूर क्षेत्र में कावेरी तथा अन्य निदयों के प्रदूषण में गिरावट आई है।

मुख्य बिंदुः

- KSPCB के अनुसार, कावेरी तथा उसकी सहायक निदयों के जल की गुणवत्ता के में इतना अधिक सुधार देखा गया है कि इस प्रकार की जल गुणवत्ता इन निदयों में दशकों पूर्व पाई जाती थी।
- लॉकडाउन के दौरान औद्योगिक और धार्मिक गितविधियों पर रोक से निदयों में प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद मिली है।

औद्योगिक प्रदूषकः

• निदयों में खतरनाक औद्योगिक तत्त्वों जैसे- लेड, फ्लोराइड, फेकल कॉलीफॉर्म (Faecal Coliform) तथा अन्य अत्यधिक खतरनाक निलंबित ठोस पदार्थों का स्तर बहुत अधिक था, परंतु लॉकडाउन के चलते निदयों में प्रदूषण के स्तर में काफी गिरावट आई है।

धार्मिक गतिविधियों के कारण प्रदूषण:

प्रतिदिन कम-से-कम 3,000 लोग श्रीरंगपट्टनम नगर के विभिन्न घाटों तथा मंदिरों में जाते हैं तथा कावेरी में पौधों के पत्तों, मालाएँ, मिट्टी के घड़े, नारियल, देवताओं की तस्वीरें, कपड़े, पॉलिथीन कवर, बचे हुए भोजन तथा अन्य पूजा सामग्री को डंप करते हैं।

जल प्रदूषणः

जल की भौतिक रासायनिक तथा जैविक विशेषताओं में हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करने वाले परिवर्तन को जल प्रदूषण कहते हैं।

जल प्रदूषण के प्रकार:

- जल प्रदूषण को उनके उत्पत्ति स्रोत के आधार पर निम्निलिखित प्रकार से वर्गीकृत जा सकता है-
 - औद्योगिक प्रदूषक
 - कृषि जनित प्रदूषक
 - नगरीय प्रदूषक
 - प्राकृतिक प्रदूषक

जल प्रदूषण के निर्धारक:

- भौतिक निर्धारक:
 - इसमें तापमान, घनत्व, निलंबित ठोस कण आदि शामिल हैं।
- रासायनिक निर्धारक:
 - ◆ इनका निर्धारण घुलित ऑक्सीजन, जैविक ऑक्सीजन मांग, रासायनिक ऑक्सीजन मांग, अम्लता का स्तर आदि के आधार पर किया जाता है।

- जैविक निर्धारकः
 - इसका निर्धारण कॉलीफॉर्म की संख्या जिसे कॉलीफॉर्म MPN (Most Probable Number) के रूप में जाना जाता है, के आधार पर किया जाता है।

आगे की राहः

देश में जल प्रदूषण को नियंत्रित करने तथा उसकी गुणवत्ता को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये वर्ष 1974 में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम बनाया गया। जल प्रदूषण के भिन्न-भिन्न स्रोत हैं ऐसे में इनके प्रभावी नियंत्रण के लिये उत्पन्न होने वाले स्रोतों को बंद कर समुचित प्रबंधन एवं शोधन उपचार द्वारा शुद्ध किया जाना आवश्यक है।

कावेरी नदी:

- उद्गम स्थल:
 - यह कर्नाटक में पश्चिमी घाट की ब्रह्मिगरी पहाड़ से निकलती है।
- अपवाह बेसिन:
 - यह कर्नाटक और तिमलनाड राज्यों से बहकर बंगाल की खाडी में गिरती है। यह नदी एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे 'दक्षिण भारत का बगीचा' (Garden of Southern India) कहा जाता है।
- सहायक नदियाँ:
 - अर्कवती, हेमवती, लक्ष्मणतीर्थ, शिमसा, काबिनी, भवानी, हरंगी आदि।

मानसून-पूर्व फसल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में COVID-19 महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के चलते कर्नाटक सहित अनेक राज्यों में मानसून-पूर्व फसल (Premonsoon Crop) के प्रभावित होने की संभावना है।

मुख्य बिंदुः

- सामान्यत: मानसुन-पूर्व फसलों की बुवाई का कार्य अप्रैल के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ हो जाता है। आधिकारिक सुत्रों के अनुसार कुछ स्थानों पर बुवाई का कार्य पूरा कर लिया गया है, लेकिन यह कई स्थानों पर शुरू ही नहीं किया गया है।
- लॉकडाउन के चलते लोग घरों के अंदर रुके हुए हैं, इससे श्रम, बीज एवं उर्वरकों की आपूर्ति में कमी आई है।
- उत्तरी कर्नाटक के सिंचित क्षेत्रों में धान की बेल्ट में किसान फसल की कटाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन किसानों को श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
- यद्यपि जिला प्रशासन का कहना है कि वह बीज और उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये डीलरों के साथ लगातार काम कर रहा है।

कर्नाटक राज्य में फसल उत्पादन:

कर्नाटक राज्य में मुख्यत: रागी तथा मक्का (खरीफ फसल) का उत्पादन किया जाता है तथा रागी उत्पादन में यह अग्रणी राज्य है। राज्य में मानसून पूर्व मौसम में हरे चने, काले चने तथा तिल की खेती मैसूर, चामराजनगर, मांड्या तथा हासन जिलों में की जाती है।

मानसून पूर्व फसलों का महत्त्व:

ग्रीष्मकाल-पूर्व की फसलों की कटाई के बाद पौधों के ठूँठों (Stubs) को खेत में छोड़ दिया जाता है इससे मानसून के समय जब किसान खेत तैयार करते हैं तो इन पौधों के ठुँठ हरी खाद में बदल जाते हैं, जो मानसुन फसलों के लिये लाभप्रद होते हैं। यद्यपि मानसुन पूर्व फसल का कर्नाटक राज्य के कुल कृषि उत्पादन में 10% से कम योगदान है परंतु फिर भी इसका बहुत अधिक महत्त्व है।

- मानसून पूर्व की फसल वर्षा सिंचित क्षेत्रों (rain-fed regions) में शुरुआती बारिश पर निर्भर करती है, लेकिन जिन किसानों के पास अपनी सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध है वे किसान बारिश का इंतजार नहीं करते हैं।
- कृषि में उत्पादन में उचित समय पर कृषि क्रियाओं यथा- बुवाई, जुताई, तथा कटाई का बहुत अधिक महत्त्व होता है। यदि बुवाई में देरी होती है, तो इससे उपज और समग्र उत्पादकता को नुकसान होता है।

ग्रीष्म ऋतुः

- मार्च में सूर्य के कर्क रेखा की ओर आभासी बढ़त के साथ ही उत्तरी भारत में तापमान बढ़ने लगता है। अप्रैल, मई व जून में उत्तरी भारत में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु होती है। भारत के अधिकांश भागों में तापमान 30° से 32° सेल्सियस तक पाया जाता है। मार्च में दक्कन पठार पर दिन का अधिकतम तापमान 38° सेल्सियस हो जाता है, जबिक अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में यह तापमान 38° से 43° सेल्सियस के बीच पाया जाता है। मई में ताप पेटी और अधिक उत्तर में खिसक जाती है, जिससे देश के उत्तर-पश्चिमी भागों में 48° सेल्सियस के आसपास तापमान का होना असामान्य बात नहीं है।
- दक्षिणी भारत में ग्रीष्म ऋतु मृदु होती है तथा उत्तरी भारत जैसी प्रखर नहीं होती। दक्षिणी भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण यहाँ के तापमान को उत्तरी भारत में प्रचलित तापमानों से नीचे रखती है। अत: दक्षिण में तापमान 26° से 32° सेल्सियस के बीच रहता है।

भारत में शस्य प्रतिरूप:

- कालिक संदर्भ में भारत में रबी, खरीफ और जायद तीन शस्य ऋतुएँ हैं ।
- रबी फसल:
 - ♦ इनको शीत ऋतु में अक्तूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों आदि मुख्य रबी की फसलें हैं।
 - ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं। उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हिरयाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश में गेहूँ और अन्य रबी फ़सलों के उत्पादन के लिये महत्त्वपूर्ण राज्य हैं।
 - ♦ शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फ़सलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है।
- खरीफ फसल:
 - ♦ देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और सितंबर-अक्तूबर में काट ली जाती हैं। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर,अरहर, मूँग, उड़द, कपास, जूट, मूँगफली और सोयाबीन शामिल हैं।
- जायद फसलः
 - ◆ रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। इस ऋतु में मुख्यत: तरबूज, खरबूज, खीरे, सिब्जियों और चारे की फसलों की खेती की जाती है।

नासा द्वारा भू-जल एवं मृदा-नमी का मानचित्रण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी 'राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन' (National Aeronautics and Space Administration- NASA) तथा नेब्रास्का-लिंकन यूनिवर्सिटी (University of Nebraska-Lincoln: UNL) द्वारा मृदा नमी तथा भू-जल नमी स्थिति पर उपग्रह आधारित वैश्विक मानिचत्र विकसित किये गए हैं।

मुख्य बिंदुः

• इन वैश्विक मानिचत्रों को जारी करने में नासा तथा जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट फॉलो ऑन (German Research Center for Geosciences' Gravity Recovery and Climate Experiment Follow On (GRACE- FO) उपग्रहों के आँकड़ों का उपयोग किया गया है।

- जल वितरण में पिरवर्तन के उपग्रह आधारित अवलोकन को जल तथा ऊर्जा चक्र आँकड़ों के साथ एकीकृत कंप्यूटर आधारित मॉडल तैयार किया गया था।
- इस मॉडल का उपयोग करके निम्निलिखित तीन मृदा स्तरों में जल वितरण संबंधी मानिचत्र तैयार किये गए हैं:
 - ♦ सतही मृदा (Surface Soil) नमी।
 - पौधों के जड़ क्षेत्र (Root Zone) में मृदा नमी (लगभग तीन फीट मिट्टी के ऊपर)।
 - ♦ उथले भ्-जल (Shallow Groundwater)।

जड़ क्षेत्र (Root Zone):

जड़ क्षेत्र एक पौधे की जड़ों के आसपास ऑक्सीजन तथा मृदा का क्षेत्र है। चूंकि जड़ें पौधे की संवहनीय प्रणाली का प्रारंभिक बिंदु होती हैं,
 अत: जड़ क्षेत्र को समझना और उसका पता लगाना बागवानी का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।

सतही मृदा (Surface Soil):

- मृदा को उसकी गहराई के आधार पर निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है:
 - 1. छिछली मृदा (Shallow Soil):

जब मुदा की गहराई 22.5 सेमी से कम हो। केवल उथली जड़ वाली फसलें ऐसी मुदा में उगाई जाती हैं, जैसे- धान की फसल।

2. मध्यम गहरी मृदा (Medium Deep Soil):

जब मृदा की गहराई 22.5 से 45 सेमी के मध्य हो। मध्यम गहराई की जड़ों वाली फसलें इस प्रकार की मिट्टी में उगाई जाती हैं। जैसे- गन्ना 3. गहरी मृदा (Deep soil):

जब मृदा की गहराई 45 सेमी से अधिक हो। लंबी और गहरी जड़ों वाली फसलें इस प्रकार की मिट्टी में उगाई जाती हैं। जैसे- आम, नारियल।

उथला भू-जल (Shallow groundwater):

• ऐसी स्थिति जिसमें मौसमी उच्च भू-जल तालिका (Groundwater Table) या संतृप्त मृदा का स्तर भूमि सतह से 3 फीट से भी कम गहराई पर हो।

मानचित्रण का महत्त्वः

- ये मानचित्र किसी भी भू-परिदृश्य में नमी और भू-जल की स्थिति पर 8.5 मील तक का रिजॉल्यूशन उपलब्ध कराने में सक्षम हैं।
- नवीन मानिचत्रों का उद्देश्य विश्व के सभी देशों को एक समान भू-जल-निगरानी बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराना है (विशेष रूप से अविकसित देशों में)।
- इन संकेतकों पर आधारित आँकड़ों की साप्ताहिक उपलब्धता से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इन आँकड़ों के माध्यम से उपयुक्त कृषि
 फसलों के चयन तथा पैदावार का अनुमान लगाने में मदद मिलेगी।
- अब तक पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण एशिया और भारत में सूखे की निगरानी का कार्य ग्रेविटी रिकवरी और क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट फॉलो-ऑन (Gravity Recovery and Climate Experiment Follow-On) आधारित वैश्विक मानचित्रों तथा अन्य उपकरणों का उपयोग करके किया जा रहा था। वैज्ञानिक समुदाय का मानना है कि इस परियोजना के माध्यम से उपलब्ध आँकड़ें नमी तथा शुष्कता की स्थिति को अच्छे से समझने में सहायता करेंगे।
- ये वैश्विक मानचित्र अमेरिका के राष्ट्रीय शुष्कता केंद्र के डेटा पोर्टल के माध्यम से सभी उपयोगकर्ताओं के लिये स्वतंत्र रूप से उपलब्ध रहेंगे।
- ये मानचित्र जनसंख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, जल खपत के बेहतर प्रबंधन में सहायक होंगे।

भारत में प्रवास (Migrant in India)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में COVID- 19 महामारी के चलते लगाए गए 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के बाद शहरों से भारी संख्या में प्रस्थान करने वाले उन प्रवासी कामगारों को चर्चा में ला दिया है, जो काम के लिये अपने गृह राज्यों से बाहर रहते हैं।

मुख्य बिंदुः

- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में आंतरिक प्रवासियों की कुल संख्या 45.36 करोड़ है, जो देश की जनसंख्या का लगभग 37% है।
- हाल ही में लॉकडाउन के कारण लोगों का व्यापक पलायन (Mass Exodus) देखने को मिला, जिसका प्रमुख कारण अंतर-राज्य प्रवासियों द्वारा बड़े पैमाने पर किया गया आवागमन है।
 भारत की जनगणना में प्रवास की गणना दो आधारों पर की जाती है:
- जन्म का स्थान:
 - यदि जन्म का स्थान, गणना स्थान से भिन्न है; इसे जीवनपयर्तं प्रवासी के रूप में जाना जाता है।
- निवास का स्थानः
 - ♦ यदि निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है; इसे निवास के पिछले स्थान से प्रवासी के रूप में जाना जाता है।
- प्रवास की धाराएँ:
 - ♦ इसे आंतरिक प्रवास (देश के भीतर) तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास (देश के बाहर) में वर्गीकृत किया जाता है।
 - आंतरिक प्रवास के अंतर्गत चार धाराओं की पहचान की गई है:
 - 1. ग्रामीण से ग्रामीण
 - 2. ग्रामीण से नगरीय
 - 3. नगरीय से नगरीय
 - 4. नगरीय से ग्रामीण

प्रवास तथा व्यवसाय:

- देश में अंतर-राज्य प्रवास के आधिकारिक आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन विकासशील समाजों का अध्ययन केंद्र (Centre for the Study of Developing Societies- CSDS) द्वारा वर्ष 2011 की जनगणना, NSSO सर्वेक्षण तथा आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर वर्ष 2020 के लिये प्रवास के अनुमानित आँकड़े जारी किये हैं। CSDS के अनुसार, देश में अंतर-राज्य प्रवासीयों की संख्या लगभग 65 मिलियन हैं, जिनमें से लगभग 33% श्रमिक वर्ग है।
- अनुमानों के अनुसार, इन प्रवासी श्रमिकों में से 30% अल्पकालिक श्रमिक (Casual Workers) हैं तथा अन्य 30 प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले नियमित कार्मिक हैं।
- इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर्स को इन आँकड़ों में शामिल कर लिया जाए तो 12-18 मिलियन लोग ऐसे हैं जो अपने मूल स्थान से अन्य राज्यों में रह रहे हैं। एक अध्ययन के अनुसार भारत के बड़े नगरों की लगभग 29% आबादी दैनिक मज़दूरी करने वाले लोगों की है तथा ये लोग पुन: अपने गृह- राज्यों में वापस जाना चाहते हैं।

प्रवास का स्थानिक वितरण:

• कुल प्रवासियों में उत्तर प्रदेश और बिहार में अंतर-राज्य प्रवासियों का प्रतिशत क्रमश: 25% तथा 14% है। इसके बाद राजस्थान (6%) तथा मध्य प्रदेश (5%) का स्थान है।

प्रवासी श्रमिकों की आय:

• CSDS द्वारा किये सर्वेक्षण के अनुसार, इन प्रवासी श्रमिकों की आय निम्नलिखित प्रकार से पाई गई:

मासिक घरेलू आय (रुपए में)	श्रमिकों का प्रतिशत
2,000 से कम	22%
2,000-5,000	32%
5,000-10,000	25%
10,000 और 20,000	13%
20,000 से अधिक	8%

प्रवास एवं नगरः

- लॉकडाउन के बाद सर्वाधिक अंतर-राज्यीय प्रवास संकट दिल्ली, मुंबई, सूरत जैसे शहरों में देखा गया। दिल्ली में प्रवासन दर 43% है, जिनमें से 88% अंतर-राज्यीय तथा 63% ग्रामीण-नगरीय प्रवासी हैं। मुंबई में प्रवासन की दर 55% है, जिसमें से 46% अंतर-राज्यीय तथा 52% ग्रामीण-नगरीय प्रवासी हैं। सूरत में प्रवासन दर 65% है, जिनमें से 50% अंतर-राज्यीय तथा 76% ग्रामीण-नगरीय प्रवासी हैं।
- वर्ष 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, जिले-से-जिले प्रवास में प्रवासियों का सबसे अधिक अप्रवास गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश), गुरुग्राम जैसे नगरीय-जिलों में हैं।
- किसी जिले से उत्प्रवास (बाहर प्रवास करने वाले कामगारों) को देखा जाए तो इसमें मुज:फ़्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर जैसे जिले सर्वोच्च स्थान पर हैं।

शृद्ध-प्रवास दर (Net Migration Rate- NMR):

- NMR, िकसी क्षेत्र में आने वाले तथा उस स्थान को छोड़कर िकसी अन्य स्थान पर जाकर रहने वाले लोगों की संख्या के बीच अंतर होता है। यदि िकसी क्षेत्र से बाहर प्रवास करने वालों की संख्या, आने वाले प्रवासियों से अधिक हो तो उसे धनात्मक शुद्ध प्रवासन दर कहते हैं।
- बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे अपेक्षाकृत कम विकसित राज्यों में शुद्ध-प्रवास (Net Out Migration) उच्च है। दिल्ली में सर्वाधिक प्रवासी आते हैं। जबकि उत्तर- प्रदेश तथा बिहार राज्यों से बाहर प्रवसन करने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है।
- आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि महाराष्ट्र, गोवा तथा तिमलनाडु का प्रमुख शुद्ध प्रवासन प्राप्तकर्ता जबिक झारखंड और मध्य प्रदेश का शुद्ध प्रवासन दाता राज्य है।

प्रवास तथा लैंगिकता में संबंध:

महिला प्रवासी श्रमिकों की सबसे अधिक हिस्सेदारी निर्माण क्षेत्र में है (शहरी क्षेत्रों में 67%, ग्रामीण क्षेत्रों में 73%), जबिक सबसे अधिक पुरुष प्रवासी श्रमिक भागीदारी सार्वजनिक सेवाओं (पिरवहन, डाक, सार्वजनिक प्रशासन सेवाएँ) तथा आधुनिक सेवाओं (वित्तीय मध्यस्थता, अचल संपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य) में है।

निष्कर्षः

 प्रवासी आबादी अपने गाँव-आधारित जातीय संबंधों को न तो पूरी तरह से बरकरार रखती है और न ही पूरी तरह से त्याग देती है, इस कारण वे आजीविका के स्रोत से सैकड़ों किलोमीटर दूर लौटना चाहते हैं। अत: सरकार को ऐसे श्रमिकों की आर्थिक तथा आवागमन दोनों तरह से सहायता करनी चाहिये।

लॉकडाउन तथा मानसून पूर्वानुमान प्रणाली

चर्चा में क्यों:

देश में लॉकडाउन के चलते नागरिक विमान उड्डयन पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण 'भारतीय मौसम विज्ञान विभाग' (India Meteorological Department- IMD) की मानसून पूर्वानुमान प्रणाली प्रभावित हो सकती है।

मुख्य बिंदुः

- विश्व की मौसम एजेंसियों द्वारा मौसम पूर्वानुमान के गतिशील मॉडल (Dynamical Model) में ऊपरी वायुमंडल के तापमान एवं हवा की गित मापन के आँकड़ों का उपयोग किया जाता है तथा इसके लिये उड्डयन आधारित विमान रिले डेटा (Aircraft Relay Data) का उपयोग किया जाता है।
- मार्च माह के मध्य से भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रतिबंधित करना शुरू कर दिया था तथा 24 मार्च तक घरेलू हवाई यात्रा पर भी पूर्णतया रोक लगा दी गई। इससे विमान रिले डेटा की प्राप्ति में उत्पन्न समस्या के कारण इस वर्ष IMD अपने पारंपरिक सांख्यिकीय पूर्वानुमान प्रणाली (Statistical Forecast System) के आधार पर मौसम पूर्वानुमान जारी करेगा।

मानसून पूर्वानुमान के मॉडलः

- सांख्यिकीय मॉडल (Statistical System):
 - ◆ IMD वर्ष 2010 तक केवल इसी मॉडल का उपयोग मौसम पूर्वानुमान जारी करने में करता था।
 - इस मॉडल में उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी प्रशांत के बीच समुद्र की सतह की तापमान प्रवणता, भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में गर्म पानी की मात्रा, यूरेशियन बर्फ का आवरण जैसे मानसून के प्रदर्शन से जुड़े जलवायु मापदंडों को शामिल किया जाता था।
 - ◆ उपरोक्त मापदंडों के फरवरी और मार्च के आँकड़ों की सौ वर्ष से अधिक के वास्तविक वर्षा के आँकड़ों से तुलना करने के बाद (सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग करते हुए) किसी एक विशेष वर्ष के मानसून का पूर्वानुमान लगाया जाता था।
- गतिशील मॉडल (Dynamical Model):
 - वर्ष 2015 से ही मानसून पूर्वानुमान हेतु एक गतिशील प्रणाली का परीक्षण शुरू किया गया। इस प्रणाली में कुछ निश्चित स्थानों की भूमि और समुद्र के तापमान, नमी, विभिन्न ऊँचाई पर वायु की गति जैसे मापदंडों के आधार पर मौसम का अनुमान लगाया जाता है।
 - इस प्रणाली से प्राप्त ऑकड़ों की गणना शक्तिशाली कंप्यूटरों के माध्यम से की जाती है। साथ ही मौसम के पूर्वानुमान में भौतिकी समीकरणों का भी प्रयोग किया जाता है।
- एसेंबल प्रेडिक्शन सिस्टम (Ensemble Prediction Systems- EPS):
 - अगामी दस दिनों तक मौसम पूर्वानुमान करने के लिये IMD द्वारा EPS का उपयोग करता है अर्थात लघु अविध के मौसम पूर्वानुमान में इसका बहुत महत्त्व है।

मौसम पूर्वानुमान तथा सुपर कंप्यूटरः

- प्रत्यूष:
 - वर्तमान में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, (Indian Institute of Tropical Meteorology- IITM) पुणे में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर लगाया गया है जिसे प्रत्यूष कहा जाता है। इसकी गति 4.0 पेटाफ्लॉप्स है।
- मिहिर:
 - ♦ नेशनल सेंटर फॉर मीडियम-रेंज वेदर फोरकास्टिंग (National Centre for Medium Range Weather Forecasting- NCMRWF) में मिहिर नामक सुपर कंप्यूटर लगाया गया है, जिसकी गति 2.8 पेटाफ्लॉप्स है।

आगे की राहः

 उड्डयन प्रणाली आधारित रिले डाटा तापमान में होने वाले त्वरित परिवर्तन तथा तिड़तझंझा की चेतावनी देने के लिये सहायक होते हैं। इन ऑकड़ों की लंबे समय तक अनुपलब्धता मौसम की प्रवृत्ति तथा भिवष्य के जलवायु पैटर्न की गणना को बेहतर तरीके से समझने की वैज्ञानिक क्षमता को नुकसान पहुँचा सकती है। अत: इन ऑकड़ों की शीघ्र प्राप्ति की दिशा में कार्य कर गितशील मौसम पूर्वानुमान की दिशा में कार्य करना चाहिये।

आयनमंडल आधारित भूकंपीय निगरानी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology- DST) के एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान 'भारतीय भू-विज्ञान संस्थान' (Indian Institute of Geology- IIG) के वैज्ञानिकों द्वारा आयनमंडल से भूकंपीय स्रोतों की विशेषताओं का पता लगाने के लिये अधिक तीव्रता वाले भूकंपों का अध्ययन किया गया है।

मुख्य बिंदुः

 यह शोध IIG के अंत:विषय कार्यक्रम 'कपलेड लिथोस्फीयर-एटमॉस्फियर- आयनोस्फियर-मैग्नेटोस्फीयर सिस्टम' (CLAIMS) का एक भाग है।

CLAIMS:

• CLAIMS भूकंप के साथ-साथ सुनामी जैसी विवर्तनिक प्रक्रियाओं के दौरान वातावरण में ऊर्जा हस्तांतरण संबंधी शोध कार्यों पर केंद्रित है।

CLAIMS का उद्देश्य:

- सह-भूकंपीय आयनमंडलीय कंपन (CIP) का स्थानिक वितरण, उपकेंद्र के आसपास भूमि विरूपण पैटर्न को अच्छी तरह से प्रतिबिंबित कर सकता है तथा CIP का वितरण आयनमंडलीय भेदी बिंदु (Ionospheric piercing point- IPP) ऊँचाई पर अनुमानित है। CLAIMS के माध्यम से इनका संयुक्त अध्ययन किया जाता है।
- सह-भूकंपीय आयनमंडलीय अव्यवस्था/कंपन (Co-seismic Ionospheric Perturbations- CIP) का निर्धारण ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (Global Positioning System- GPS) द्वारा मापित कुल इलेक्ट्रॉन सामग्री (Total Electron Content- TEC) का उपयोग करके किया गया। TEC एक रेडियो ट्रांसमीटर तथा रिसीवर के मार्ग के मध्य मौजूद इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या है।
- IIG के वैज्ञानिकों ने हाल ही में आए भूकंपों यथा- वर्ष 2012 में हिंद महासागर, वर्ष 2015 में नेपाल तथा वर्ष 2016 के ऑस्ट्रेलिया-प्रशांत क्षेत्र के भूकंप का आयनमंडल पर प्रभाव का अध्ययन किया है।
- IIG के वैज्ञानिकों ने गैर-विवर्तनिकी कारकों को आयनमंडल में उत्पन्न सह-भूकंपीय आयनमंडलीय अव्यवस्था का प्रमुख कारण माना है।

सह भू-कंपीय आयनमंडल अव्यवस्था/कंपन (CIP):

- सामान्यत: जब कोई भूकंप आता है तो भू–पर्पटी में उत्पन्न उभार के कारण वायुमंडल में दबाव तरंगें (Compressional Waves) बनती हैं।
- ये तरंगें अपने उत्पत्ति क्षेत्र (अधिकेन्द्र) के ऊपर स्थित वायुमंडल के कम घनत्व वाले क्षेत्र में तेज़ी से फैलती हैं तथा वायुमंडलीय ऊँचाई के साथ इसके आयाम में वृद्धि होती है।
- आयनमंडल में पहुँच कर ये तरंगें आयनमंडलीय इलेक्ट्रॉन घनत्व को पुनर्वितरित करती हैं तथा इलेक्ट्रॉन घनत्व अव्यवस्था (Electron Density Perturbations- EDP) उत्पन्न करती हैं, जिसे सह भू-कंपीय आयनमंडल अव्यवस्था/कंपन (CIP) के रूप में भी जाना जाता है।

CIP का अध्ययनः

- CIP की विशेषताओं का अध्ययन करने में विभिन्न आयनमंडलीय ध्विनक तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन वैश्विक नौपरिवहन उपग्रह प्रणाली (Global Navigation Satellite System- GNSS) आधारित तकनीक व्यापक स्थानिक तथा कालिक जानकारी प्रदान करता है।
- CIP मुख्यत: गैर विवर्तनिक दबाव प्रक्रियाओं यथा- उपग्रह ज्यामिति, भू-चुंबकीय क्षेत्र ध्वनिक तरंग युग्मन, आयनमंडल में आयनीकरण घनत्व आदि द्वारा नियंत्रित होता है, जिसका निर्धारण अनुरेखण मॉडल के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

CIP निर्धारण में चुनौतियाँ:

• आयनमंडल एक अत्यधिक गतिशील क्षेत्र है। आयनमंडल के इलेक्ट्रॉन घनत्व में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था का पता आयमंडल के ऊपरी (जैसे- सौर, भू-चुंबकत्व) या नीचे (जैसे- निचले वायुमंडलीय, भूकंपीय आदि) की विभिन्न गतिविधियों के आधार पर लगाया जाता है। CIP की पहचान करते समय यही एक बड़ी चुनौती है।

अध्ययन का महत्त्व:

- यह अध्ययन CIP निर्माण के पीछे के कारणों की पहचान करने के क्रम में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- अध्ययन बताता है कि CIP को गैर-विवर्तनिकी प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिये।
- अध्ययन आयनमंडल आधारित उपकरणों के डिजाइन करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

आयनमंडल:

- वायुमंडल संस्तरों में आयनमंडल 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं।
 अत: इस वायुमंडलीय परत को आयनमंडल के रूप में जाना जाता है।
- पृथ्वी द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगे इस संस्तर द्वारा वापस लौटा दी जाती है। यहाँ ऊँचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है।

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा 'यूजेन्स' ऋण पत्र जारी करने की सुविधा का विस्तार

चर्चा में क्यों?

बिजली क्षेत्र के उपभोक्ताओं को राहत देने और कोयले की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited- CIL) ने ईंधन आपूर्ति समझौते (Fuel Security Agreement) के तहत अग्रिम नकद भुगतान की बजाय भविष्य में एक निश्चित अविध में भुगतान की सुविधा वाला (यूजेन्स) ऋण पत्र जारी करने की सुविधा प्रदान की है। CIL ने इस वर्ष के अप्रैल महीने से गैर बिजली क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिये भी ऐसी ही एक व्यवस्था की शुरुआत की है।

क्या हैं यूजेन्स ऋण पत्र:

- यूजेन्स (या स्थिगित) ऋण पत्र विशिष्ट प्रकार के ऋण पत्र हैं जो ऋण पत्र में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के पश्चात पूर्व निर्धारित समयाविध अथवा भविष्य में देय होते हैं।
- इस पसंदीदा वित्तीय साधन में क्रेता और विक्रेता के बीच विश्वास प्रमुख तत्त्व होता है।
- लेटर ऑफ क्रेडिट में ऋण परिपक्वता और वास्तविक भुगतान की अवधि निर्धारित कर दी जाती है। इसका दोनों पक्षों द्वारा संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाता है।

यूजेन्स ऋण पत्र के लाभः

- यह क्रेता के लिये एक लचीला वित्तीय उपकरण है जो उसकी कार्यशील पूंजी में वृद्धि करने के साथ ही विक्रेता को भुगतान किये जाने से पहले ही बेचने के लिये स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।
- खरीददार को ब्याज मुक्त कार्यशील पूंजी मिलने तथा कुशल कार्यशील पूंजी प्रबंधन से पूंजी चक्र को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।
- खरीदार को भुगतान प्राप्त करने से पहले ही माल प्राप्त होने के कारण माल की गुणवत्ता की जाँच हो जाती है।

यूजेन्स ऋण पत्र की सीमाएँ:

- खरीददार को क्रेडिट अविध देने से विक्रेता को कार्यशील पूंजी का प्रबंधन करना होता है।
- यूजेन्स ऋण पत्र का उपयोग आमतौर पर तब िकया जाता है जब खरीदार की ऋण साख अधिक हो या वह क्रेता का बाजार हो। इस कारण विक्रेता यूजेन्स ऋण पत्र की उदार शर्तों के लिये सहमत हो जाता है

बिजली और गैर- बिजली उपभोक्ताओं को होने वाले लाभ:

- इससे बिजली क्षेत्र के उपभोक्ताओं को राहत तो मिलेगी ही साथ ही विद्युत् प्रणाली में तरलता भी बढ़ाई जा सकेगी।
- इससे बिजली उत्पादकों को कार्यशील पूंजी चक्र को बेहतर बनाने में काफी मदद मिलेगी।
- कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित होने के साथ ही कोयले के उपभोक्ताओं को बहुप्रतीक्षित राहत मिलेगी।
- तरलता में वृद्धि के कारण गैर बिजली उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।

कोल इंडिया लिमिटेड (CIL)

- राज्य के स्वामित्त्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी नवंबर, 1975 में अस्तित्व में आई।
- अपनी स्थापना के वर्ष में 79 मिलियन टन (MT) के साधारण उत्पादन वाली कोल इंडिया लिमिटेड आज विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक तथा सबसे बड़े कॉपोरेट नियोक्ता में से एक है।
- यह एक महारत्न कंपनी है जो राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों का परिचालन एवं विस्तार करने हेतु भारत सरकार द्वारा विशेषाधिकार प्राप्त है।

भारत में कोयला उत्पादन

- भारत में कुल विद्युत् उत्पादन में कोयले का योगदान 54% है।
- भारत के कुल संचित भंडार का 99% कोयला गोंडवाना संरचना में पाया जाता है, जिसका निर्माण कार्बोनिफेरस एवं पर्मियन काल में हुआ।
 शेष कोयला टर्शियरी काल का है
- गोंडवाना कोयला क्षेत्र मुख्य रूप से दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, पेंच, वर्धा आदि नदी घाटियों का कोयला क्षेत्र है-
 - 🔷 दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र- झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा आदि कोयला क्षेत्र।
 - ♦ सोन घाटी कोयला क्षेत्र- मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया, तातापानी कोयला क्षेत्र।
 - महानदी घाटी कोयला क्षेत्र- छत्तीसगढ़ एवं ओडिसा में कोरबा एवं तालचर क्षेत्र।
 - गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र- तेलंगाना में सिंगरेनी कोयला क्षेत्र।
 - 🔷 वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र- महाराष्ट्र में चंद्रपुर, यवतमाल और नागपुर क्षेत्र।
- टर्शियरी कोयला क्षेत्र मेघालय, ऊपरी असम, अरुणाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर में विस्तृत है।

विद्युत् उत्पादन में विभिन्न ऊर्जा स्त्रोतों का योगदान:

ऊर्जा स्रोत	कुल विद्युत् उत्पादन में योगदान (प्रतिशत में)
तापीय ऊर्जा	62.8
कोयला	54.2
लिग्नाइट	1.7
गैस	6.9
डीजल	0.1
जल ऊर्जा (नवीकरणीय)	12.4
परमाणु ऊर्जा	1.9
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत	23.5

नगरीय-ग्रामीण अंतराल में कमी के लिये 'सिलेज' संबंधी विचार

चर्चा में क्यों?

COVID- 19 के प्रसार को रोकने के तहत लगाए गए लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में प्रवास की विपरीत धारा (Reverse Migration: सामान्य प्रवास के ठीक विपरीत स्थिति) देखने को मिली।

मुख्य बिंदुः

- विपरीत प्रवास के दौरान जहाँ कई लोगों को अपना व्यवसाय छोड़ना पड़ा वहीं इसके विपरीत अनेक लोग ज्ञान-युग की तकनीकों (Knowledge-era Technologies) के माध्यम से घर से कार्य (Work From Home) जारी रखने में सक्षम हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों में प्रवास को रोकने के लिये नगर तथा ग्रामों के बीच 'ज्ञान आधारित सेतु' (Knowledge Bridge) का निर्माण किया जाना चाहिये।

नगरीय प्रवास का ग्रामीण क्षेत्रों पर प्रभाव:

- बेहतर अवसरों का अभाव:
 - → नगरीय क्षेत्रों में प्रवास, नगर में उपलब्ध बेहतर अवसरों का एक स्वाभाविक परिणाम है, परंतु इस प्रवास के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन में बहुत अधिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई है।
- संसाधनों का केंद्रीकरण:
 - संसाधनों के केंद्रीकरण के पीछे कई कारक हैं-
 - ♦ औद्योगिक युग की गतिशीलता, जिसने बड़े पैमाने पर उत्पादन को बढ़ावा देकर संसाधनों के संकेंद्रण को बढ़ाया है।
 - नगरीय क्षेत्रों में उच्च शिक्षा केंद्रों में लगातार वृद्धि होने कारण केवल नगरीय क्षेत्रों में ही अच्छी नौकरियों में वृद्धि हुई है।
- जनसांख्यिको लाभांश आधारित विकास:
 - भारत में आर्थिक विकास मुख्यत: जनसांख्यिकीय लाभांश तथा भारतीय बाजार के बड़े आकार के कारण देखने को मिला है जबिक अनेक देशों में आर्थिक विकास मुख्यत: प्रौद्योगिकी के आधार पर हुआ है।
- नीति निर्माण में ग्रामीण क्षेत्रों की अवहेलना:
 - ♦ दुग्ध उत्पादन की दिशा में आनंद डेयरी तथा चीनी सहकारी सिमितियों का निर्माण जैसे कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो आर्थिक विकास प्रक्रियाओं में हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों की अवहेलना की गई है।

ज्ञान आधारित तकनीक द्वारा नगरीय-ग्रामीण अंतर को कम करना:

- वर्तमान में हम ज्ञान युग (Knowledge Era) में रह रहे हैं। ज्ञान-युग आधारित प्रौद्योगिकी, औद्योगिक-युग की प्रौद्योगिकी के विपरीत 'लोकतंत्रीकरण' (उदाहरण के लिये सोशल मीडिया) तथा 'विकेंद्रीकरण' (घर से कार्य करना) को बढ़ावा देती है।
- 'इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स', 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' जैसी तकनीकों में प्रशिक्षित लोग नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी स्थान से इन क्षेत्रों के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं।
- ज्ञान युग आधारित तकनीकों का उपयोग ग्रामीण युवाओं की 'क्षमता निर्माण' में करना चाहिये। ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक अवसर उपलब्ध होने चाहिये क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र अर्थव्यवस्था के तीनों (कृषि, विनिर्माण और सेवाओं) क्षेत्रों से लाभ उठा सकते हैं।

'सिलेज' संबंधी विचार (The Idea of Cillage):

- सिलेज (Cillage) पद दो शब्दों नगर (City) तथा ग्राम (Village) से मिलकर बना है। अर्थात 'नगरीय ग्राम क्षेत्र'।
- ज्ञान युग में समग्र शिक्षा, प्रौद्योगिकी तथा आजीविका के संदर्भ में ग्रामीण युवाओं की क्षमता निर्माण पर जोर दिया जाता है।
- इसके लिये नगर तथा ग्रामों के बीच 'ज्ञान आधारित सेतु' (Knowledge Bridge) का निर्माण किया जाना चाहिये तथा ऐसे वातावरण निर्माण किया जाना चाहिये जिसमें नगरों तथा ग्रामों के बीच समान संयोजन हो। इस अवधारणा को ही 'सिलेज' कहा जाता है।
- नगर और ग्राम के बीच ज्ञान के अंतराल को कम करने से दोनों क्षेत्रों के मध्य आय के अंतर में भी कमी आएगी।

सिलेज की प्राप्ति के लिये आवश्यक पहल:

'सिलेज' के लिये आवश्यक पारिस्थितियों के निर्माण के लिये समग्र शिक्षा, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास, प्रबंधन तथा ग्रामीण आजीविका में वृद्धि के लिये 'एकीकृत दृष्टिकोण' की आवश्यकता होगी।

COVID- 19 तथा 'सिलेज' की अवधरणा:

- COVID- 19 महामारी के दौरान देखी गई प्रवास की विपरीत धाराओं को ग्रामीण अनुभव तथा कौशल के एक सेट के रूप में देखा जा सकता है।
- इसे नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच दो-तरफा पुल के रूप में देखा जा सकता हैं लेकिन इसके लिये अनेक प्रयास करने की आवश्यकता है।
- इसके लिये निम्नलिखित पहल आवश्यक हैं;
 - नवीन कौशल आधारित प्रशिक्षण।
 - नवीन उद्यम प्रारंभ करने के लिये प्रौद्योगिकी एवं सहायता प्रणाली की सुविधा प्रदान करना।
 - आजीविका को समर्थन देने के लिये तात्कालिक उपाय करना।

निष्कर्षः

COVID-19 संकट के कारण सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है तथा इसका सभी क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अत: सामान्य स्थिति में लौटने के लिये सभी को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है।

IMD का मानसून संबंधी अनुमान

चर्चा में क्यों?

'भारत मौसम विज्ञान विभाग' (India Meteorological Department- IMD) के अनुसार, वर्ष 2020 में सामान्य मानसून रहने की संभावना है।

मुख्य बिंद:

- IMD के अनुसार वर्ष 2020 में सामान्य मानसून (अगस्त तथा सितंबर में सामान्य से अधिक) रहने की संभावना है।
- IMD दो-चरणीय मानसून पूर्वानुमान जारी करता है:
 - ♦ पहला पूर्वानुमान अप्रैल माह में जबिक दूसरा मई माह के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाता है। मई माह में विस्तृत मानसून पूर्वानुमान जारी किया जाता है।

सामान्य वर्षा की परिभाषा में बदलाव:

- 'लंबी अवधि के औसत' (Long Period Average- LPA) वर्षा का उपयोग, मानसून की 'सामान्य वर्षा' की गणना करने में किया जाता है। LPA वर्ष 1961-2010 की अवधि के दौरान हुई वर्षा का औसत मान है। LPA के आधार पर पूरे देश में मानसून की सामान्य वर्षा 88 सेमी है।
- 'सामान्य वर्षा' (Normal Rainfall) की परिभाषा को फिर से परिभाषित किया गया है। इसे 89 सेमी. से घटाकर 88 सेमी. कर दिया गया है। मानसून मौसमी में वर्षा के सामान्य से \pm 5% विचलन के साथ के 'सामान्य वर्षा' होने की संभावना है। सामान्य मानसून के आधार:
- मानसून पूर्वानुमान के मॉडल:
 - ♦ मानसून पूर्वानुमान के 'गतिकीय मॉडल' (Dynamical Model) जो सुपर कंप्यूटर पर आधारित है, के अनुसार, इस बार मानसून के समय सामान्य से अधिक वर्षा होने की उच्च संभावना (70%) है।
 - ♦ 'सांख्यिकीय मॉडल' (Statistical Models) के अनुसार, इस बार सामान्य मानसून की 41% संभावना है जबिक इस मॉडल पर पूर्ववर्ती वर्षों में 33% संभावना रहती थी।

- अल-नीनो (El-Nino):
 - ♦ भारत में 'अल-नीनो' के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है जबिक, 'ला-नीना' के कारण अत्यधिक वर्षा होती है।
 - ♦ IMD के अनुसार इस बार अल-नीनो का भारतीय मानसून पर नगण्य प्रभाव रहेगा।
- हिंद महासागर द्विध्रुव (Indian Ocean Dipole- IOD):
 - ◆ IOD भी भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। सकारात्मक IOD के दौरान मानसून की वर्षा पर सकारात्मक और नकारात्मक IOD के दौरान मानसून की वर्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
 - पूर्वानुमान के अनुसार, 'हिंद महासागर द्विध्रुव' के 'तटस्थ' रहने की उम्मीद है।

सामान्य मानसून का महत्त्वः

- खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धिः
 - ◆ वर्षा अच्छी होने का सबसे अच्छा प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ता है। जहाँ सिंचाई की सुविधा मौजूद नहीं है, वहाँ वर्षा होने से अच्छी फसल होने की संभावना बढ़ जाती है।
- विद्युत संकट में कमी:
 - यदि वर्षा कम हो और जलस्तर कम हो जाए तो बिजली उत्पादन भी प्रभावित होता है।
- जल संकट का समाधान:
 - अच्छे मानसून से पीने के पानी की उपलब्धता संबंधी समस्या का भी काफी हद तक समाधान होता है। दूसरे, भूजल का भी पुनर्भरण होता है।

आगे की राहः

 वर्षा के पूर्वानुमान से, सरकार तथा किसानों को बेहतर रणनीति बनाने में सहायता मिलती है। सरकार इसके माध्यम से सूखा या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिये सुरक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए बेहतर तैयारियाँ कर सकती है।

भूकंपीय ध्वनि में परिवर्तन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे (British Geological Survey-BGS) के वैज्ञानिकों ने कोरोनवायरस (COVID-19) लॉकडाउन के बीच पृथ्वी की भूकंपीय ध्विन (Earth's Seismic Noise) और कंपन (Vibrations) में परिवर्तन की सूचना दी है।

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि इससे पूर्व बेल्जियम के रॉयल ऑब्ज़र्वेटरी (Royal Observatory) के भूकंपीय विशेषज्ञों ने भूकंपीय शोर के स्तर में 30-50 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की थी।
- ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार, अब दुनिया भर के भूकंपीय विशेषज्ञों ने भूकंपीय ध्विन और कंपन के स्तर में गिरावट संबंधी अध्ययन शुरू कर दिया है।
 - भूकंपीय ध्वनि (Seismic Noise)
- भू-विज्ञान (Geology) में भूकंपीय ध्विन को भीड़ के कारण उत्पन्न हुए सतह के अपेक्षाकृत लगातार कंपन को संदर्भित करता है।
- भूकंपीय ध्विन (Seismic Noise) भूकंपीय यंत्र द्वारा दर्ज िकये गए संकेतों का अवांछित घटक (Unwanted Component) होती है। उल्लेखनीय है कि भूकंपीय यंत्र वह वैज्ञानिक उपकरण है जो जमीनी गित जैसे- भूकंप, ज्वालामुखी प्रस्फुटन और विस्फोट आदि को रिकॉर्ड करता है।
- भूकंपीय ध्विन में मानव गतिविधियों जैसे परिवहन और विनिर्माण के कारण उत्पन्न होने वाला कंपन शामिल होता है,, और यह ध्विन वैज्ञानिकों के लिये मूल्यवान भूकंपीय डेटा के अध्ययन को अपेक्षाकृत मुश्किल बनाती है।

 भू-विज्ञान के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों जैसे कि तेल अन्वेषण, जलविज्ञान और भूकंप इंजीनियरिंग में भी भूकंपीय ध्विन का अध्ययन किया जाता है।

भूकंपीय ध्वनि में कमी के कारण?

- बेल्जियम के रॉयल ऑब्ज़र्वेटरी (Royal Observatory) द्वारा किये गए अध्ययन के अनुसार, कोरोनोवायरस (COVID-19)
 महामारी से निपटने के लिये दुनिया भर में लॉकडाउन के उपायों को लागू किये जाने के कारण पृथ्वी की भूकंपीय ध्विन में कमी आई है।
- रॉयल ऑब्ज़र्वेटरी के अनुसार, भूकंप मापी यंत्रों का प्रयोग कर भूकंप से होने वाले सतह के कंपन को मापा जाता है। यह यंत्र अपेक्षाकृत काफी संवेदनशील होते हैं, जिसके कारण यह कंपन के अन्य स्रोतों मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली ध्वनियों जैसे-सडक यातायात, मशीनरी और यहाँ तक कि लोगों के चलने की ध्विन को भी मापता है।
 - ये सभी गतिविधियाँ कंपन उत्पन्न करती हैं जो पृथ्वी के माध्यम से भूकंपीय तरंगों के रूप में फैलती हैं।
- रॉयल ऑब्ज़र्वेटरी के वैज्ञानिकों ने UK स्थित भूकंपीय स्टेशनों पर लॉकडाउन की शुरुआत से दो सप्ताह की अविध में दिन के औसत ध्विन स्तर की तुलना वर्ष की शुरुआत के औसत ध्विन स्तर से की, जिससे यह ज्ञात हुआ कि लगभग सभी भूकंपीय स्टेशनों पर उक्त अविध के दौरान भूकंपीय ध्विन में औसतन 10-15 प्रतिशत की कमी आई है।
 - भूकंपीय ध्वनि में कमी का महत्त्व
- मानव गितविधि के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय ध्विन उच्च आवृत्ति (1-100 हर्ट्ज़ के मध्य) की होती हैं और यह पृथ्वी की सतही परतों के माध्यम से यात्रा करती हैं।
- आमतौर पर, भूकंपीय गतिविधि को सही ढंग से मापने और भूकंपीय ध्विन के प्रभाव को कम करने के लिए, भू-वैज्ञानिक अपने यंत्रों को पृथ्वी की सतह से 100 मीटर नीचे रखते हैं।
- हालाँकि लॉकडाउन के पश्चात् से भूकंपीय ध्विन में कमी आई है और वैज्ञानिक पृथ्वी की सतह पर से भी भूकंपीय गितविधियों को मापने में सक्षम हैं।
- कम भूकंपीय ध्विन के कारण कम शोर के स्तर के कारण वैज्ञानिक उम्मीद कर रहे हैं कि वे अब अपने उपकरणों के माध्यम से उन छोटे भूकंपों का भी पता लगा सकेंगे जिनके बारे में अब तक मौजूदा उपकरणों के माध्यम से जानना संभव नहीं था।

गोदावरी वैली एरिया और COVID-19

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी आबादी के बीच COVID-19 परीक्षण करने के लिये आंध्र प्रदेश सरकार को निर्देश देने के लिये सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है।

प्रमुख बिंदु

- याचिका में कहा गया है कि गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र, जहाँ आदिवासी आबादी निवास कर रही हैं, पोलावरम सिंचाई परियोजना (Polavaram Irrigation Project) वाले क्षेत्र के समीप है।
- गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ तक विस्तारित है।
- आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर पोलावरम सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिये COVID-19 महामारी के कारण लागू किये गए लॉकडाउन के आदेश का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है।
- अभी भी बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक परियोजना स्थल पर बिना सैनिटाइजर और मास्क के काम कर रहे हैं। समस्या यह है कि ये श्रमिक आदिवासी आबादी के करीब निवास करते है।
- आदिवासी लोगों, जो घने जंगलों और नदी घाटी के अन्य अनुसूचित क्षेत्रों में रहते हैं, के बीच जागरूकता की कमी ने उनके बीच COVID-19 संक्रमण के खतरे को और अधिक गंभीर बना दिया है।
- कोंडा रेडिस (Konda reddis), कोयस (Koyas) और कोलम (Kolam) गोदावरी घाटी में रहने वाली लोकप्रिय जनजातियाँ हैं। कोंडा रेड्डी और कोलम विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) का हिस्सा हैं।

विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समृह (Particularly Vulnerable Trial Groups- PVTGs)

- PVTGs (पूर्व में आदिम जनजातीय समूह/PTG के रूप में वर्गीकृत) भारत सरकार द्वारा किया जाने वाला वर्गीकरण है जो विशेष रूप से निम्न विकास सूचकांकों वाले कुछ समुदायों की स्थितियों में सुधार को सक्षम करने के उद्देश्य से सृजित किया गया है।
- इसका सृजन ढेबर आयोग की रिपोर्ट (1960) के आधार पर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जनजातियों के विकास दर में असमानता थी।
- ऐसे समूह की प्रमुख विशेषताओं में आदिम-कृषि प्रणाली का प्रचलन, शिकार और खाद्य संग्रहण का अभ्यास, शून्य या नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि, अन्य जनजातीय समूहों की तुलना मंण साक्षरता का अत्यंत निम्न स्तर आदि शामिल हैं।
- 1000 से कम व्यक्तियों की आबादी वाले PVTGs हैं: बिरिजया (झारखंड), सेंटीनलीज, ग्रेट अंडमानी, ओंगे, शोम्पेन (अंडमान, निकोबार), बिरहोर (छतीसगढ़, झारखंड), असुर (बिहार, झारखंड), मनकीडिया (ओडिशा), चोलानैक्कन (केरल), सावर (बिहार), राजी (उत्तराखंड), सौरिया पहाडिया (बिहार, झारखंड), कोरवा (बिहार, झारखंड), टोडा (कर्नाटक), कोटा (तिमलनाडु)।

गोदावरी नदी

- यह सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है।
- इसकी लंबाई लगभग 1,500 कि.मी. है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय निदयों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र (नदी द्रोणी का 50 प्रतिशत भाग), मध्य प्रदेश, उडीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है।
- गोदावरी में अनेक सहायक निदयाँ मिलती हैं, जैसे- पूर्णा, वर्धा, प्राणिहता, मंजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक निदयाँ बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे 'दक्षिण गंगा' के नाम से भी जाना जाता है।

आयनमंडलीय इलेक्ट्रॉन घनत्व पूर्वानुमान का नवीन मॉडल

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार के 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग' (Department of Science & Technology) के स्वायत्त संस्थान 'भारतीय भू-चुम्बकत्व संस्थान' (Indian Institute of Geomagnetism- IIG), नवी मुंबई, के शोधकर्त्ताओं ने आयनमंडलीय इलेक्ट्रॉन घनत्व की भविष्यवाणी करने वाले एक नवीन मॉडल विकसित किया है।

मुख्य बिंदुः

- IIG के वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन घनत्व परिवर्तन के पूर्वानुमान के लिये एक नवीन 'आर्टीफिशियल न्यूरल नेटवर्क आधारित वैश्विक आयनमंडलीय मॉडल' (Artificial Neural Networks based global Ionospheric Model- ANNIM) विकसित किया है।
- 'आर्टीफिशियल न्यूरल नेटवर्क' (ANN) पैटर्न की पहचान, वर्गीकरण, क्लस्टिरिंग, सामान्यीकरण, रैखिक और गैर-रैखिक डेटा फिटिंग और टाइम सीरिज़ के अनुमान जैसी समस्याओं के समाधान के लिये मानव मस्तिष्क या जैविक न्यूरॉन्स में होने वाली प्रक्रियाओं का स्थान लेता है।

आयनमंडलीय परिवर्तनशीलताः

- संचार और नौवहन के लिये आयनमंडलीय इलेक्ट्रान घनत्व परिवर्तनशीलता की निगरानी काफी अहम है। आयनमंडलीय परिवर्तनशीलता व्यापक स्तर पर सौर जनित कारकों तथा वातावरण की प्रक्रियाओं, दोनों द्वारा प्रभावित होती है।
- वैज्ञानिकों ने सैद्धांतिक और अनुभवजन्य तकनीकों के उपयोग से आयनमंडलीय मॉडल विकसित करने की कोशिश की है, हालाँकि इलेक्ट्रॉन घनत्व का सटीक अनुमान लगाना अभी तक चुनौतीपूर्ण कार्य बना हुआ है।

शोध का महत्त्वः

 IIG शोधकर्त्ताओं द्वारा विकसित मॉडल को आयनमंडलीय अनुमानों में एक संदर्भ मॉडल के रूप में उपयोग किया जा सकता है और इसमें 'ग्लोबल नैविगेशन सैटेलाइट सिस्टम' (Global Navigation Satellite System- GNSS) की पोजिशनिंग खामियों की गणना में प्रयोग होने की पूरी क्षमता है।

आयनमंडल:

• वायुमंडल संस्तरों में आयनमंडल 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं। अत: इस वायुमंडलीय परत को आयनमंडल के रूप में जाना जाता है।

महत्त्वः

- आयनमंडल इसलिये महत्त्वपूर्ण है क्योंिक यह संचार और नेिवगेशन के लिये उपयोग की जाने वाली रेिडयो तरंगों को परावर्तित और संशोधित करता है।
- आयनमंडल एक अत्यधिक गतिशील क्षेत्र है। आयनमंडल के इलेक्ट्रॉन घनत्व में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था का पता आयमंडल के ऊपरी (जैसे- सौर, भू-चुंबकत्व) या नीचे (जैसे- निचले वायुमंडलीय, भूकंपीय आदि) की विभिन्न गतिविधियों के आधार पर लगाया जाता है।

आयनमंडल के संस्तर/क्षेत्र:

- सौर विकिरण की वर्णक्रमीय परिवर्तनशीलता (Spectral Variability) और वायुमंडल में विभिन्न घटकों (यथा- गैसों के प्रकार) के घनत्व के कारण आयनमंडल में अनेक संस्तर यथा D, E, F आदि का निर्माण हो जाता है।
- आयनमंडल 3 परतों में इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ऊपरी यानि F संस्तर क्षेत्र में सबसे अधिक होता है। F संस्तर दिन और रात दोनों के दौरान मौजूद रहता है।
- दिन के दौरान यह सौर विकिरण द्वारा तथा रात्री के समय ब्रह्मांडीय किरणों द्वारा आयिनत रहती है। रात्री के समय D संस्तर गायब तथा E संस्तर कमज़ोर हो जाता है।
- D संस्तर अल्फा तथा हार्ड एक्स-रे विकिरण, E संस्तर सॉफ्ट एक्स-रे तथा कुछ पराबैंगनी तथा F संस्तर पराबैंगनी विकिरणों को परावर्तित कर सकता है।

क्लासिकल स्वाइन बुखार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, पूर्वी असम के कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन बुखार (Classical Swine Fever) के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सूअरों की मृत्यु हुई है।

प्रमुख बिंदुः

- गौरतलब है कि क्लासिकल स्वाइन बुखार को हॉग हैजा (Hog Cholera) के नाम से भी जाना जाता है। यह एक संक्रामक बुखार है जो सूअरों के लिये जानलेवा साबित होता है।
 - अफ्रीकी स्वाइन बुखार एक अन्य प्रकार का स्वाइन बुखार है।
- स्वाइन फ्लू से मनुष्य संक्रमित होते हैं, जबिक इसके विपरीत क्लासिकल स्वाइन बुखार से केवल सूअर ही संक्रमित होते हैं। समय रहते सूअरों के उचित टीकाकरण से ही इसे नियंत्रित किया जा सकता है।

अफ्रीकी स्वाइन बुखार:

- अफ्रीकी स्वाइन बुखार एक गंभीर संक्रामक रोग है जो घरेलू और जंगली सूअरों को प्रभावित करता है।
- यह रोग जीवित या मृत सूअरों, घरेलू या जंगली और इनसे बने मांस उत्पादों द्वारा फैलता है।
- इस रोग का कोई एंटीडोट या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है।

रोकथाम और नियंत्रण:

- संक्रमित सूअरों के शवों को 3-4 फीट गहरे गढ़े में दफनाया या जलाया जाना चाहिये।
- CSF के प्रकोप को रोकने हेतु सख्त और कठोर स्वच्छता उपचार लागू करना चाहिये।

आर्थिक पहलु:

- 20 वीं पशुधन जनगणना, 2012-2019 के अनुसार, असम में सबसे अधिक सूअर पाले जाते हैं।
 - असम में पॉर्क (स्अर का कच्चा मांस) का वार्षिक बाजार मूल्य 1 बिलियन डॉलर है।
 - ♦ देश में उत्पादित 4.26 लाख मीट्रिक टन पोर्क में से 65% से अधिक पोर्क की खपत असम तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों में होती है।
- क्लासिकल स्वाइन बुखार की वजह से देश को लगभग 4.299 बिलियन रुपए का वार्षिक नुकसान होता है।

लैपिनाइज्ड क्लासिकल स्वाइन बुखार वैक्सीन:

- भारत में इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिये वर्ष 1964 से यूके आधारित एक लैपिनाइजड़ क्लासिकल स्वाइन बुखार वैक्सीन का उपयोग किया जा रहा है।
- इस वैक्सीन का निर्माण बड़ी संख्या में खरगोशों को मार कर किया जाता है।
- देश में लैपिनाइज्ड क्लासिकल स्वाइन बुखार वैक्सीन की प्रति वर्ष 22 मिलियन खुराक की जरूरत हैं वहीं लैपिनाइज्ड वैक्सीन का उत्पादन प्रति वर्ष सिर्फ 1.2 मिलियन खुराक ही हो पाता है।
- हाल ही में भारत में भी क्लासिकल स्वाइन बुखार से बचाने हेतु 'एक स्वास्थ्य पहल' (One Health Initiative) के तहत एक नई वैक्सीन विकसित की गई है।



सामाजिक न्याय

लॉकडाउन और घरेलू हिंसा

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women-NCW) के अनुसार, कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिये लागू किये गए देशव्यापी लॉकडाउन के पश्चात् से अब तक लिंग-आधारित हिंसा और घरेलू हिंसा के मामलों में दोगुनी वृद्धि हुई है।

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि कोरोनावायरस (COVID-19) ने वर्तमान में वैश्विक समाज के समक्ष एक संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर दी है। तमाम देशों की सरकारें अपनी-अपनी सक्षमता के अनुसार इस वायरस से लड़ने का प्रयास कर रही हैं।
- इसी कडी में भारत सरकार ने भी कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से 21-दिवसीय देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी।
- इस देशव्यापी लॉकडाउन के कारण कई लोग बेरोजगारी, वेतन में कटौती और जबरन अलगाव के कारण तनावपूर्ण स्थिति का सामना कर रहे हैं, जिसके प्रभावस्वरूप महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा में भी वृद्धि हुई है।
- राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, जहाँ एक ओर मार्च के पहले सप्ताह (2-8 मार्च) में महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा के 116 मामले सामने आए वहीं मार्च के अंतिम सप्ताह (23 मार्च - 1 अप्रैल) में ऐसे मामलों की संख्या बढ़कर 257 हो गई।
- इस अवधि के दौरान बलात्कार अथवा बलात्कार के प्रयास के मामले में तेज़ी से वृद्धि देखी गई और ये 2 से बढ़कर 13 पर पहुँच गए हैं।
- इसके अलावा महिलाओं की शिकायतों के प्रति पुलिस की उदासीनता के मामलों में भी लगभग तीन गुना वृद्धि हुई है, आँकड़ों के अनुसार, मार्च के पहले सप्ताह में ऐसी शिकायतों की संख्या 6 थी जो अंतिम सप्ताह में बढ़कर 16 पर पहुँच गईं।
- NCW के अनुसार, इस प्रकार की शिकायतों में वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि लगभग संपूर्ण पुलिस व्यवस्था देशव्यापी लॉकडाउन को लागू करने में व्यस्त है।
- इसी प्रकार 'गरिमा के साथ जीने का अधिकार' (अनुच्छेद-21) से संबंधित शिकायतें भी 35 से बढ़कर 77 अर्थात् लगभग दोगुनी हो गई हैं। ऐसे मामले लिंग, वर्ग अथवा जाति या उनमें से तीनों के आधार पर भेदभाव से संबंधित हो सकते हैं।
- सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के उक्त मामले मौजूदा स्थिति का सही ढंग से प्रस्तुतिकरण नहीं करते हैं, क्योंकि घरेलू हिंसा से संबंधित अधिकांश मामले घरों की दीवारों के अंदर ही रह जाते हैं।

घरेलू हिंसा और भारत

- घरेलु हिंसा अर्थातु कोई भी ऐसा कार्य जो किसी महिला एवं बच्चे (18 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिका) के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन पर संकट, आर्थिक क्षति और ऐसी क्षति जो असहनीय हो तथा जिससे महिला व बच्चे को दु:ख एवं अपमान सहन करना पड़े, इन सभी को घरेलु हिंसा के दायरे में शामिल किया जाता है।
- घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत प्रताड़ित महिला किसी भी वयस्क पुरुष को अभियोजित कर सकती है अर्थात उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज करा सकती है।
- यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट के अनुसार, लगभग दो-तिहाई विवाहित भारतीय महिलाएँ घरेलू हिंसा की शिकार हैं और भारत में 15-49 आयु वर्ग की 70 प्रतिशत विवाहित महिलाएँ पिटाई, बलात्कार या जबरन यौन शोषण का शिकार हैं।

- महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा का मुख्य कारण मूर्खतापूर्ण मानसिकता है कि महिलाएँ पुरुषों की तुलना में शारीरिक और भावनात्मक रूप से कमज़ोर होती हैं।
- यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में घरेलू हिंसा का सामना किया है तो उसके लिये इस डर से बाहर आ पाना अत्यधिक कठिन होता है।
 अनवरत रूप से घरेलू हिंसा का शिकार होने के बाद व्यक्ति की सोच में नकारात्मकता हावी हो जाती है। उस व्यक्ति को स्थिर जीवनशैली की मुख्यधारा में लौटने में कई वर्ष लग जाते हैं।
- घरेलू हिंसा का सबसे बुरा पहलू यह है कि इससे पीड़ित महिला मानिसक आघात से वापस नहीं आ पाती है। ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है कि महिला या तो अपना मानिसक संतुलन खो बैठती है या फिर अवसाद का शिकार हो जाती है।

राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women-NCW)

- राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में किया
 गया था।
- NCW का उद्देश्य महिलाओं की संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना, उनके लिये विधायी सुझावों की सिफारिश करना, उनकी शिकायतों का निवारण करना तथा महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों में सरकार को सलाह देना है।
- भारत में महिलाओं की स्थिति पर बनी एक सिमिति ने इस आयोग के गठन से लगभग दो दशक पूर्व इसके गठन की सिफारिश की थी, तािक इसके माध्यम से महिलाओं की शिकायतों का निवारण कर उनके सामािजक व आर्थिक विकास को गित दी जा सके।

लॉकडाउन के दौरान महिला सुरक्षा के लिये विशेष दिशा-निर्देश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिये देशभर में लागू लॉकडाउन के दौरान महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से जुड़े विभिन्न संस्थानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की और महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये।

मुख्य बिंदुः

- केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री (Union Women and Child Development Ministe) ने 8 अप्रैल, 2020 को विभिन्न संस्थानों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक के माध्यम से महिला सुरक्षा के लिये आवश्यक कदम उठाए जाने तथा इसके लिये विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को बढाने का निर्देश दिया।
- ध्यातव्य है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने COVID-19 की महामारी के दौरान महिला हिंसा की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए विश्व के सभी देशों से महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देने और COVID-19 पर नियंत्रण की नीति में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक परिवर्तन करने को कहा था।
- राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission of Women) के अनुसार, 24 मार्च के बाद पहले हफ्ते में ही घरेलू हिंसा और सेक्सुअल असॉल्ट (Sexual Assault) के मामलों में दोगुनी वृद्धि हुई है और इस दौरान पुलिस शिथिलता के ममलों में तीन गुना वृद्धि दर्ज़ की गई है।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, हाल के दिनों में चीन में घरेलू हिंसा की हेल्पलाइन पर शिकायतों की संख्या में तीन गुना बढ़ोतरी हुई है, मलेशिया और लेबनान में पिछले वर्ष के तुलना में ऐसे मामलों में दोगुनी वृद्धि हुई है तथा इस दौरान ऑस्ट्रेलिया में घरेलू हिंसा के लिये सहायता की ऑनलाइन सर्च की संख्या पिछले पाँच वर्षों की तुलना में सर्वाधिक रही है।

महिला उत्पीडन के मामलों पर COVID-19 का प्रभाव:

- राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार, हाल में फोन के माध्यम से हेल्पलाइन पर मिलने वाली शिकायतों में कमी आई है, आयोग को प्राप्त ज्यादातर शिकायतों ईमेल द्वारा भेजी गई हैं।
- विशेषज्ञों के अनुसार, लॉकडाउन के कारण घरेलू हिंसा के मामलों में अपराधी (Abuser) के हमेशा घर पर रहने के कारण महिलाएँ फोन करने या बाहर जाकर सहायता माँगने में असमर्थ रही हैं।

- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत घरेलू हिंसा के मामलों में पुलिस फर्स्ट रिस्पॉडंर (First Responder) नहीं होती बल्कि ऐसे मामलों के लिये स्थापित परामर्श केंद्र शिकायतकर्त्ता की सहायता करते हैं।
- परंतु लॉकडाउन के कारण इन केंद्रों का संचालन प्रभावित हुआ है, जिससे हिंसा के ऐसे मामलों में पीडि़तों की समस्या और भी गंभीर हो गई है।

सरकार के प्रयास:

- केंद्रीय मिहला एवं बाल विकास मंत्री ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि पीड़ितों को विधिक और मनोसमिजिक सहायता उपलब्ध कराने वाले 'वन स्टॉप सेंटर्स' स्थानीय स्वास्थ्य टीम और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़े हुए हों। जिससे लॉकडाउन के बावजूद भी पीड़ितों को आसानी से ये सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा सके।
- उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह भी सुनिश्चित करें कि सभी 'वन स्टॉप सेंटर'(One Stop Center) 'राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान' (National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences or NIMHANS) से जुड़े हुये हों जिससे पूरे देश में महिलाओं की विशेष समस्याओं के लिये परामर्शदाताओं की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।
- राज्य स्तर पर मिहला सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये राज्य-स्तर पर गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से डिजिटल-गवर्नेंस (Digital Governence) को बढ़ावा दिया जाना चाहिये, जिससे ऐसे मामलों में सूचना और सहायता की कोई कमी न होने पाए।
- केंद्रीय मंत्री ने गैर-सरकारी संगठनों को महिलाओं में सुरक्षा की भावना को बढ़ाने के लिये एक दिन में कम-से-कम 10 महिलाओं से फोन पर बात करने का सुझाव दिया।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान

(National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences or NIMHANS):

- NIMHANS मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में रोगी देखभाल और अकादिमक खोज का एक बह-विषयक संस्थान है।
- वर्ष 1974 में मैसूर (कर्नाटक) सरकार द्वारा स्थापित मानसिक अस्पताल और केंद्र सरकार द्वारा स्थापित 'अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान' को मिलाकर NIMHANS की स्थापना की गई थी।
- यह संस्थान बंगलूर (कर्नाटक) में स्थित है।
- वर्ष 1994 में केंद्र सरकार ने इस संस्थान के योगदान को देखते हुए इसे शैक्षिक स्वायत्तता के साथ मानद विश्वविद्यालय (Deemed University) का दर्जा प्रदान किया
- वर्ष 2012 में 'राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान बंगलौर अधिनियम, 2012' के माध्यम से इसे 'राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान' (Institute of National Importance) घोषित किया गया।
- यह संस्थान मानिसक स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, मौजूदा सुविधाओं में सुधार और मानिसक स्वास्थ्य के राष्ट्रीय कार्यक्रम की रणनीति तैयार करने में केंद्र तथा राज्य सरकारों को परामर्श देने का कार्य भी करता है।

आगे की राहः

- सरकार को महिला सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न सेवाओं (हेल्पलाइन, परामर्श केंद्र आदि) को अतिआवश्यक सेवाओं (Essential Services) के श्रेणी में रखना चाहिये, जिससे किसी आपदा की स्थिति में भी इनका निर्बाध संचालन सुनिश्चित किया जा सके।
- मिहला सुरक्षा और घरेलू हिंसा पर काम करने वाले स्वयंसेवी संस्थानों और जमीनी कार्यकर्त्ताओं के लिये बेहतर संसाधन और सुविधाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिये।
- हिंसा के अतिरिक्त सामान्य मामलों में भी देश में महिलाओं के शारीरिक और मानिसक स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत करना अति आवश्यक है।
- मिहला अधिकारों को बढ़ावा देने के साथ ही घरेलू कामों में पुरुषों की बराबर भागीदारी के माध्यम से एक सकारात्मक माहौल बनाया जाना चाहिये।

महिलाओं के प्रति हिंसा में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

यूनाइटेड नेशंस वुमन (United Nations Women) संगठन के अनुसार, संपूर्ण विश्व में COVID-19 के कारण महिलाओं के प्रति हिंसा में वृद्धि हुई है।

प्रमुख बिंदुः

- अर्जेंटीना, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, साइप्रस, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में महिलाओं के प्रति हिंसा में वृद्धि हुई है।
- लगभग 90 देशों में लॉकडाउन के कारण सुरक्षा, स्वास्थ्य, और धन की कमी से उत्पन्न तनाव हिंसा को बढ़ावा दे रहा है।
- भारत के संदर्भ में:
 - ♦ भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women- NCW) ने लिंग आधारित हिंसा में दो गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की है।
 - ◆ NCW द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, जहाँ एक ओर मार्च के पहले सप्ताह (2-8 मार्च) में महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा के 116 मामले सामने आए वहीं मार्च के अंतिम सप्ताह (23 मार्च 1 अप्रैल) में ऐसे मामलों की संख्या बढ़कर 257 हो गई।
 - ◆ इस अविध के दौरान बलात्कार अथवा बलात्कार के प्रयास के मामले में तेज़ी से वृद्धि देखी गई और ये 2 से बढ़कर 13 पर पहुँच गए हैं।

COVID-19 से उत्पन्न चुनौतियाँ:

- COVID-19 से पहले भी घरेलू हिंसा मानवाधिकार के उल्लंघनों में से एक था।
 - ◆ ध्यातव्य है कि वर्ष 2019-20 के दौरान विश्व में 243 मिलियन महिलाओं और लड़िकयों (15-49 वर्ष की आयु) के साथियों द्वारा यौन या शारीरिक हिंसा की गई। इसी तरह COVID-19 का प्रकोप जारी रहा तो हिंसा में वृद्धि होने की संभावना है।
- घरेलू हिंसा के व्यापक विश्लेषण ने पहले से मौजूद आँकड़ों पर प्रश्न चिह्न लगाया है।
 - ♦ 40% से भी कम ऐसी महिलाएँ हैं जो हिंसा का शिकार होने पर मदद मांगती हैं या अपराध की शिकायत करती हैं। मदद मांगने वाली इन महिलाओं में से 10% से भी कम पुलिस के पास जाती हैं।
- कई देशों में महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने के लिये कोई कानून नही है।
 - वर्तमान समय में प्रत्येक 4 में से 1 देश में महिलाओं के प्रित हिंसा को रोकने हेतु कोई कानून नहीं है।

आगे की राहः

- हिंसा की शिकार महिलाओं हेतु हेल्पलाइन तैयार करना, मनोसामाजिक (Psycho-social) मदद प्रदान करना और ऑनलाइन काउंसलिंग जैसे कदम सहायक साबित हो सकते है।
- प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान जैसे एसएमएस, ऑनलाइन उपकरण और नेटवर्क का उपयोग समाज के उत्थान के लिए किया जाना चाहिये।
- महिलाओं और जमीनी स्तर के कार्यकर्त्ताओं के संगठन और समुदायों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की आवश्यकता है।
- पुलिस और न्याय प्रणाली में महिलाओं और लड़िकयों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये साथ ही विशेष परिस्थितियों के अलावा अपराधियों हेतु दंड-मुक्ती का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिये।

यूनाइटेड नेशंस वुमन (United Nations Women):

- वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 'यूनाइटेड नेशंस वीमेन' का गठन किया गया।
- यह संस्था महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण के क्षेत्र में कार्य करती है।
- इसके तहत संयुक्त राष्ट्र के 4 अलग-अलग प्रभागों के कार्यों को संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है:

- महिलाओं की उन्नित के लिये प्रभाग (Division for the Advancement of Women -DAW)
- ♦ महिलाओं की उन्नित के लिये अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (International Research and Training Institute for the Advancement of Women -INSTRAW)
- ♦ लैंगिक मुद्दों और महिलाओं की उन्नित पर विशेष सलाहकार कार्यालय (Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women-OSAGI)
- ♦ महिलाओं के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कोष (United Nations Development Fund for Women-UNIFEM)

जनजातियों हेतु जागरूकता अभियान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India-TRIFED) ने COVID-19 से निपटने हेत् आभासी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

प्रमुख बिंदुः

- इस आभासी प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (United Nations Children's Fund-UNICEF) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation-WHO) ने भागीदारी की।
- TRIFED के सदस्यों और स्वयं सहायता समुहों (Self Help Groups-SHGs) से जुडे लोगों को वेबिनार (Webinar) प्लेटफार्म के माध्यम से COVID-19 से बचाव हेतु आभासी प्रशिक्षण दिया गया, जैसे-
 - ♦ समुदाय को सामाजिक दूरी (Social Distancing) के बारे में जागरूक करना।
 - ♦ गैर-काष्ठ वन उत्पाद (Non Timber Forest Produce-NTFP) को एकत्र करते समय क्या करें तथा क्या न करें।
 - व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने, कैशलेस प्रणाली को अपनाने इत्यादि के बारे में जागरूक करना।

वेबिनार (Webinar):

वेबिनार एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से इंटरनेट पर संगोष्ठियाँ/सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा सकते हैं या उनमें भाग लिया जा सकता है।

- उल्लेखनीय है कि TRIFED ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के #iStandWithHumanity पहल के घटक स्टैंड विथ ट्राइबल फैमिली (Stand With Tribal Families) के साथ जुड़ने के लिये फाउंडेशन से संपर्क किया है।
 - स्टैंड विथ ट्राइबल फैमिली, जनजाति समुदायों के लिये भोजन और राशन प्रदान करेगा।

प्रशिक्षण के उद्देश्य:

- 27 राज्यों में जनजाति क्षेत्रों को शामिल करते हुये 18,000 से अधिक प्रतिभागियों तक पहुँच स्थापित करना।
- जनजातीयों और उनकी अर्थव्यवस्था को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनकी आजीविका सुनिश्चित करने हेत् कुछ सक्रिय उपायों को शुरू करना।
- एक डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से वन धन सामाजिक दूरी (Van Dhan Social Distancing) जागरूकता के तहत 15.000 SHGs को आजीविका केंद्रों के रूप में बढावा देना।
 - वर्तमान में 27 राज्यों और 1 केंद्रशासित प्रदेश में कुल 1205 वन धन विकास केंद्र (Van Dhan Vikas Kendras-VDVK) का संचालन किया जा रहा हैं, जिनमें 18,075 वन धन स्वयं सहायता समूह शामिल हैं। इस योजना से 3.6 लाख से अधिक जनजाती क्षेत्रों के लोग जुड़े हैं।

गैर-काष्ठ वन उत्पाद (Non Timber Forest Products):

जनजातियाँ मार्च-जून महीने के दौरान NTFP को एकत्र करते हैं।

- NTFP प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले ऐसे उत्पाद हैं जो एक विशेष मौसम पर निर्भर होते हैं। जनजातियाँ मार्च-जून महीने के दौरान कुल वार्षिक आय का 60-80% कमाते हैं।
- गर्मी के मौसम में एकत्रित प्रमुख गैर-काष्ठ वन उत्पादों में जंगली शहद, इमली, आम, तेंदू पत्ता, साल के पत्ते, महुआ के बीज, नीम के बीज, करंज के बीज, महुआ के फूल और तेजपत्ता इत्यादि शामिल हैं।

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ

(Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India-TRIFED):

- भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (TRIFED) की स्थापना वर्ष 1987 में हुई। यह राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष संगठन है जो जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्य करता है।
- ट्राइफेड का मुख्यालय दिल्ली में है और इसके 13 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं।

COVID-19 और सफाई कर्मियों की सुरक्षा

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation-NSKFDC) ने स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि सभी सफाई कर्मचारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (Personal Protective Equipment-PPE) प्रदान किए जाएँ ताकि वे कोरोनोवायरस (COVID-19) महामारी के दौरान सुरक्षित रह सकें।

प्रमुख बिंदु

- NSKFDC द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार, अनौपचारिक श्रमिकों समेत स्वच्छता कार्यकर्त्ता और अपिशष्ट संग्राहक आदि लोगों के उन साइलेंट ग्रुप्स (Silent Groups) में से हैं जो कोरोनोवायरस (COVID-19) के प्रसार को रोकने के लिये अथक रूप से कार्य कर रहे हैं।
- विश्लेषकों के अनुसार, जब दूसरों की सुरक्षा के लिये अपने जीवन को खतरे में डालने का प्रश्न होता है, तो वर्तमान समय में सभी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिसकर्मियों के समान ही देखा जाना चाहिये।
- सभी स्थानीय निकायों को स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये एक मानक संचालन प्रक्रिया स्थापित करने का निर्देश दिया गया है।
- सभी स्थानीय निकायों को COVID-19, सोशल डिस्टेंसिंग मापदंड और एहतियाती उपाय जैसे विषयों पर सफाई कर्मचारियों के लिये अनिवार्य दिशा-निर्देश देने को भी कहा गया है।
- इसके अतिरिक्त स्थानीय निकायों को स्वच्छता बनाए रखने में मदद करने के लिये सफाई कर्मचारियों को मास्क, दस्ताने, गमबूट (Gumboot) और जैकेट के साथ-साथ साबुन और हैंड सैनिटाइज़र प्रदान करने का भी आदेश दिया गया है।

स्थानीय स्वशासन की अवधारणा

- लोकतंत्र का सही अर्थ होता है सार्थक भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही। जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन भागीदारी और जवाबदेही दोनों को सुनिश्चित करता है।
- स्थानीय स्वशासन की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि यह देश के आम नागरिकों के सबसे करीब होती है और इसलिये यह लोकतंत्र में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने में सक्षम होती है।
- स्थानीय सरकार का क्षेत्राधिकार एक विशेष क्षेत्र तक सीमित होता है और यह उन्हीं लोगों के लिये कार्य करती है जो उस क्षेत्र विशेष के निवासी हैं।
- स्थानीय निकाय राज्य सरकार के अधीन आती है और उसका नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण भी राज्य सरकार द्वारा ही किया जाता है।

COVID-19 और सफाई कर्मचारी

- स्वास्थ्य कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों के अलावा सफाई कर्मियों का समूह भी मौजूदा समय में कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी संकट से अग्रिम पंक्ति में लड़ रहा है।
- ये लोग प्रत्येक दिन अपनी जान को जोखिम में डालते हैं और हमारी सड़कों, पार्कों, सार्वजिनक स्थानों, सीवरों, सेप्टिक टैंकों, समुदायों तथा सार्वजिनक शौचालयों को साफ तथा स्वच्छ रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वायरस के प्रसार को रोकने में मदद करते हैं।
- सफाई किमयों की महत्ता के बावजूद भी सरकार और आम लोगों द्वारा इन्हें अनदेखा किया जा रहा है। देश के सफाई किमयों के पास पर्याप्त बुनियादी सुरक्षा उपकरण तक मौजूद नहीं हैं, जिसके कारण ये लोग इस वायरस के प्रति काफी संवेदनशील हो गए हैं।
- शिक्षा के अभाव में सफाई कर्मियों के मध्य कोरोनावायरस के संक्रमण के प्रति जागरूकता का भी अभाव देखा जा रहा है।
- इसके अलावा यदि सफाई कर्मचारी कोरोनावायरस से संक्रमित होते हैं तो उनको अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं और बीमा जैसी अनिवार्य आवश्यकताओं की कमी का सामना करना पड़ेगा।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम

(National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation-NSKFDC)

- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (NSKFDC) की स्थापना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कंपनी अधिनियम, 1956 (Companies Act, 1956) की धारा 25 के तहत 24 जनवरी, 1997 को एक 'गैर-लाभकारी कंपनी' के रूप में की गई थी।
- यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्त्वधीन कंपनी है।
- NSKFDC संपूर्ण भारत में सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों के सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिये एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्यरत है।
- लक्षित समूह के उत्थान हेतु ऋण आधारित एवं गैर-ऋण आधारित योजनाओं के क्रियान्वयन के अतिरिक्त NSKFDC मैनुअल स्कैवेंजिंग (Manual Scavenging) के उन्मूलन में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
 - कसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के हाथों से मानवीय अपशिष्टों (human excreta) की सफाई करने या सर पर ढोने की प्रथा को हाथ से मैला ढोने की प्रथा या मैनुअल स्कैवेंजिंग (Manual Scavenging) कहते हैं।

पुणे में अस्थायी राशन कार्ड की व्यवस्था

चर्चा में क्यों?

पुणे जिला परिषद (Pune Zilla Parishad) ने जिले में 80,000 से अधिक गैर-दस्तावेजी (Undocumented) लोगों को अस्थायी 'राशन कार्ड' प्रदान करने का निर्णय लिया है, तािक वे सार्वजिनक वितरण प्रणाली (Public Distribution System-PDS) के तहत खाद्यान्न प्राप्त कर सकें।

प्रमुख बिंदु

- पुणे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के अनुसार, क्षेत्र विशिष्ट में 80000 से अधिक लोग ऐसे हैं जो आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका पास किसी अन्य राज्य का 'राशन कार्ड' है।
- जिला परिषद ने ऐसे लोगों के लिये इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ खाता खोलने हेतु आधार-आधारित प्रमाणीकरण (Aadhaar-Based Authentication) का उपयोग करने की योजना बनाई है।
- पुणे जिला परिषद के अनुसार, लाभार्थियों की पहचान करने का कार्य प्रत्येक गाँव के पुलिस पाटिल (Police Patil) को दिया गया है, जो कि गाँव में आने वाले बाहरी लोगों का रिकॉर्ड रखता है।

- पुणे जिला परिषद की इस योजना के केवल यह सत्यापित किया जाएगा कि लाभार्थी इस योजना का पात्र है अथवा नहीं, यदि वह पात्र होता है तभी उसे अस्थायी राशन कार्ड प्रदान किया जाएगा।
- लोगों को एक स्थान पर एकत्रित होने से रोकने के लिये जिला परिषद राशन की होम डिलीवरी करने की भी योजना बना रही है। अनुमान के अनुसार, इस योजना के तहत लगभग 120 टन अनाज वितरित किया जाएगा।
- पुणे जिला परिषद की यह योजना शरद भोजन योजना (Sharad Bhojan Yojana) के दायरे और पहुँच को बढ़ाएगी, जिसके तहत पुणे जिले में लोगों को रियायती दरों पर पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है। लाभ
- उल्लेखनीय है कि महामारी के कारण लागू किये गए लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को सरकारी लाभ पहुँचाने में मदद करने के लिये यह अपनी तरह का पहला नवाचार है।
- यह योजना ग्राम पंचायत स्तर पर अनाज की होम डिलीवरी को भी सक्षम करेगी और इस योजना से आदिम जनजातियों और ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित व्यक्तियों को भी लाभ मिल सकेगा, जो प्राय: इस प्रकार के लाभों के दायरे से बाहर रह जाते हैं।
- कई राज्यों के लिये लॉकडाउन में फँसे प्रवासियों को PDS अनाज समेत अन्य लाभ प्रदान करना बड़ी चुनौती बन गया है, मुख्य तौर पर उन लोगों के संबंध में जो आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने में असमर्थ हैं।
- ध्यातव्य है कि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी सिंहत भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने सुझाव दिया था कि PDS के माध्यम से राशन की सुविधा आम लोगों तक पहुँचाने के लिये सरकार को 'अस्थायी राशन कार्ड' की व्यवस्था करनी चाहिये जिससे लोगों को इस मुश्किल दौर में राहत प्रदान की जा सके।

लॉकडाउन और खाद्य संकट

- कोरोनावायरस से संबंधित चिंताएँ देश में प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, देश में कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों
 की संख्या 17000 के पार पहुँच गई है और इस वायरस के कारण कुल 559 लोगों की मृत्यु हो गई है।
- कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिये केंद्र सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन के दूसरे चरण की घोषणा की है, जिसके कारण देश भर में लगभग सभी प्रकार की गतिविधियाँ पूरी तरह से रुक गई हैं, जिसके कारण दैनिक मज़दूर और देश के गरीब वर्ग के लिये अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना भी चुनौती बन गया है।
- भारतीय समाज का एक बड़ा वर्ग कोरोनावायरस और इसके कारण लागू किये गए लॉकडाउन से काफी अधिक प्रभावित हुआ है और उसे एक जून के भोजन के लिये भी संघर्ष करना पड रहा है।
- इस संबंध में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस वर्ग के अधिकांश लोगों के पास सरकार द्वारा किये गए उपायों का लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेज भी नहीं, जिसके कारण वे लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।

आगे की राह

- मौजूदा समय एक गंभीर संकट का समय है और ऐसे समय में आवश्यक है कि एक साथ मिलकर इस महामारी से लड़ने का प्रयास किया जाए और इस संबंध में देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे नवाचारों को सराहा जाए।
- पुणे जिला परिषद द्वारा लागू की गई योजना सराहनीय है, उचित होगा यदि परिषद द्वारा किये जा रहे प्रयासों का यथासंभव अध्ययन किया जाए और इसे आवश्यक परिवर्तन के साथ देशव्यापी स्तर पर लागू करने की व्यवस्था की जाए।

भारत में बढ़ता इस्लामोफोबिया: OIC

चर्चा में क्यों?

'इस्लामिक सहयोग संगठन' (Organisation of Islamic Cooperation-OIC) के 'स्वतंत्र स्थायी मानविधिकार आयोग' (Independent Permanent Human Rights Commission- IPHRC) ने एक ट्वीट के माध्यम से भारत में बढ़ते 'इस्लामोफोबिया' (Islamophobia) पर चिंता व्यक्त की है।

मुख्य बिंदुः

- OIC ने 'अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून' (International Human Rights Law) के तहत भारतीय सरकार से मुस्लिम अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा के लिये तत्काल कदम उठाने के लिये आग्रह किया है।
- IPHRC का ट्वीट भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 'COVID- 19' महामारी के दौरान 'एकता और भाईचारे' पर बल देने वाले संदेश के बाद आया है।

इस्लामोफोबिया (Islamophobia):

'इस्लामोफोबिया' से तात्पर्य इस्लाम या मुसलमानों के प्रति पूर्वाग्रह या पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना है।

COVID- 19 और इस्लामोफोबिया:

- मार्च 2020 में दिल्ली में मुस्लिमों ('तब्लीगी जमात') की एक धार्मिक सभा आयोजित की गई थी। इस आयोजन को भारत में पाए गए कई
 COVID- 19 के पॉजिटिव मामलों से जोड़ा गया। मीडिया के अलावा सोशल मीडिया पर लोगों ने भारत में COVID- 19 महामारी को जानबूझकर फैलाने के लिये तब्लीगी जमात और मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया।
- इससे पहले 'संयुक्त राज्य अमेरिका के धार्मिक स्वतंत्रता आयोग' (U.S. Commission on International Religious Freedom- USCIRF) ने भारत, पाकिस्तान और कंबोडिया की इन देशों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते खतरे की आलोचना की थी।
- USCIRF ने अपनी रिपोर्ट में सरकार की आलोचना की है कि अहमदाबाद के एक अस्पताल में COVID- 19 रोगियों को धार्मिक आधार पर अलग रखा गया था।
- USCIRF की रिपोर्ट के अनुसार, भारत वर्ष 2009 से 'विशेष चिंता का देश' के साथ टियर- 2 में बना हुआ है।

USCIRF:

- USCIRF एक स्वतंत्र, द्विदलीय अमेरिकी संघीय आयोग है, जो दुनिया में धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के सार्वभौमिक अधिकार का बचाव करने के लिये समर्पित है।
- USCIRF धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन संबंधी तथ्यों तथा परिस्थितियों की समीक्षा करता है और राष्ट्रपित, राज्य सिचव एवं कांग्रेस को नीतिगत सिफारिशें करता है। USCIRF के आयुक्तों को अमेरिका के राष्ट्रपित तथा कांग्रेस (अमेरिकी संसद) के दोनों राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त किया जाता है।

भारत सरकार का पक्षः

 भारत सरकार ने USCIRF द्वारा लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया है और USCIRF पर भारत में COVID- 19 के प्रसार से निपटने की दिशा में अपनाए गए पेशेवर चिकित्सा प्रोटोकॉल पर भ्रामक रिपोर्ट फैलाने का आरोप लगाया है।

IOC और भारत:

- पिछले कुछ वर्षों में भारत ने लगातार इस्लामिक देशों खासकर सऊदी अरब, ओमान, कतर और UAE के साथ अपने संबंधों में सुधार किया है।
- मार्च 2019 को IOC के विदेश मंत्रियों की परिषद् का 46वाँ सत्र अबूधाबी में आयोजित किया गया। भारत को IOC की इस बैठक के उद्घाटन सत्र में बतौर 'गेस्ट ऑफ ऑनर' आमंत्रित किया गया।
- हालाँिक बाद में IOC ने जम्मू कश्मीर पर एक प्रस्ताव पारित कर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया।

आगे की राहः

 भारत का एक धर्मिनरपेक्ष लोकतंत्र के रूप में लंबा इतिहास रहा है, जहां हर धर्म के धार्मिक समुदाय पनपे हैं। संविधान धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, और देश की स्वतंत्र न्यायपालिका ने न्यायशास्त्र के माध्यम से धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान की है। अत: COVID- 19 जैसी महामारी में सभी धर्मों के लोगों को एक साथ मिलकर समस्या का सामना करना चाहिये।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जारी 180 देशों के 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक' (World Press Freedom Index) 2020 में भारत 142वें स्थान पर पहुँच गया है, जबिक बीते वर्ष भारत इस सूचकांक में 140वें स्थान पर था।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (Reporters Without Borders) नामक गैर-सरकारी संगठन द्वारा जारी किये जाने वाला यह सूचकांक विश्व के कुल 180 देशों और क्षेत्रों में मीडिया और प्रेस की स्वतंत्रता को दर्शाता है।
- 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020' में पहले स्थान पर नॉर्वे (Norway) है, जो कि वर्ष 2019 में भी पहले स्थान पर था। इसके अतिरिक्त दूसरा स्थान फिनलैंड (Finland) को और तीसरा स्थान डेनमार्क (Denmark) को प्राप्त हुआ है।
 - ♦ इस सूचकांक में 180वें स्थान पर उत्तर कोरिया (North Korea) है, जो कि बीते वर्ष 179वें स्थान पर था।
- भारत के पड़ोसी देशों में भूटान (Bhutan) को 67वाँ स्थान, म्याँमार (Myanmar) को 139वाँ स्थान, पाकिस्तान (Pakistan) को 145वाँ स्थान, नेपाल (Nepal) को 112वाँ स्थान, अफगानिस्तान (Afghanistan) को 122वाँ स्थान, बांग्लादेश (Bangladesh) को 151 वाँ स्थान और चीन (China) को 177वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक

- विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रत्येक वर्ष रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) द्वारा जारी किया जाता है। RSF द्वारा जारी 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक' का प्रथम संस्करण वर्ष 2002 में प्रकाशित किया गया था।
- इस सूचकांक में पत्रकारों के लिये उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के आधार पर 180 देशों की रैंकिंग की जाती है।
- यह सूचकांक बहुलतावाद के मूल्यांकन, मीडिया की स्वतंत्रता, विधायी ढाँचे की गुणवत्ता और प्रत्येक देश तथा क्षेत्र में पत्रकारों की सुरक्षा पर आधारित मीडिया स्वतंत्रता की स्थिति का एक सरल विवरण प्रस्तुत करता है।

भारतीय परिदृश्य

- RSF द्वारा एकत्रित आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 में भारत में किसी भी पत्रकार की मृत्यु नहीं हुई, जबिक वर्ष 2018 में देश में कुल 6 पत्रकारों की मृत्यु हुई है।
- हालाँकि इसके बावजूद देश में अभी भी लगातार मीडिया की स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है, जिसमें पत्रकारों के विरुद्ध पुलिस हिंसा और आपराधिक समूहों या भ्रष्ट स्थानीय अधिकारियों द्वारा उकसाए गए विद्रोह शामिल हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत में जो लोग एक विशेष विचारधारा का समर्थन करते हैं वे अब राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे सभी विचारों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनके विचार से मेल नहीं खाती हैं। इसके अतिरिक्त देश में उन सभी पत्रकारों के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है, जो सरकार और राष्ट्र के बीच के अंतर को समझते हुए अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं।
 - महिला पत्रकार की स्थिति में इस प्रकार के अभियान और अधिक गंभीर हो जाते हैं।
- रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि भारत में आपराधिक धाराओं को उन लोगों खासकर पत्रकारों के विरुद्ध प्रयोग किया जा रहा है, जो अधिकारियों की आचोलना कर रहे हैं। उदाहरण के लिये बीते दिनों देश में पत्रकारों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A (राजद्रोह) के प्रयोग के कई मामले सामने आए हैं।

मीडिया की स्वतंत्रताः क्यों आवश्यक ?

- प्रेस या मीडिया, सरकार और आम नागरिकों के मध्य संचार के माध्यम के रूप में कार्य करता है। मीडिया नागरिकों को सार्वजनिक विषयों के संदर्भ में सूचित करता और सभी स्तरों पर सरकार के कार्यों की निगरानी करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
- ध्यातव्य है कि किसी भी लोकतंत्र में सूचना की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार होता है, किंतु आँकड़े दर्शाते हैं कि दुनिया की लगभग आधी आबादी की स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट की गई सूचना और समाचार तक कोई पहुँच नहीं है।

- कई बार ऐसे प्रश्न पुछे जाते हैं कि हम पत्रकारों की स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं की जाएगी तो नागरिकों पर हो रहे अत्याचारों से लडना, नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करना और पर्यावरण जैसे विभिन्न मुद्दों को संबोधित करना किस प्रकार संभव हो सकेगा।
- रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) के अनुसार, वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर अब तक कुल 10 पत्रकारों की हत्या कर दी गई है और 228 पत्रकारों को कैद कर लिया गया है। वहीं इस वर्ष अब तक 116 नागरिक पत्रकारों को भी कैद कर लिया गया है।

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स

- रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी संगठन है, जो सार्वजनिक हित में संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, यूरोपीय परिषद, फ्रैंकोफोनी के अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मानव अधिकारों पर अफ्रीकी आयोग के साथ सलाहकार की भूमिका निभाता है।
- रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को रिपोर्टर्स संस फ्रंटियर (Reporters Sans Frontières-RSF) के नाम से भी जाना जाता है।
- इसका मुख्यालय पेरिस में है।

नाबालिगों के लिये मृत्युदंड की सजा पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सऊदी अरब ने नाबालिगों द्वारा किये गए अपराधों के लिये मृत्युदंड की सजा के प्रावधान को समाप्त कर दिया है, ध्यातव्य है कि इससे पूर्व सऊदी अरब में कोडे अथवा चाबुक मरने की सजा को प्रतिबंधित कर दिया गया था।

प्रमुख बिंदु

- नाबालिगों के लिये मृत्युदंड की सजा को समाप्त करना सऊदी अरब के शाही परिवार द्वारा किये गए मानवाधिकार सुधारों की श्रृंखला में एक नवीनतम कदम है।
- यह घोषणा सऊदी अरब के राष्ट्र समर्थित मानवाधिकार आयोग द्वारा की गई है। आयोग के अनुसार, नवीनतम सुधार यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो नाबालिंग के तौर पर अपराध करता है, उसे मृत्युदंड की सजा न दी जाए।
- मृत्युदंड के स्थान पर उस नाबालिंग अपराधी को अधिकतम 10 वर्ष के लिये जुवेनाइल डिटेंशन फैसिलिटी (Juvenile Detention Facility) में भेजा जाएगा।

सऊदी अरब- एक क्रूर देश के रूप में

- मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल (Amnesty International) ने ईरान और चीन के बाद सऊदी अरब को लोगों को मरने वाले दुनिया के सबसे क्रूर देश के रूप में सूचीबद्ध किया है।
- एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा कि सऊदी अरब में वर्ष 2019 में लगभग 184 लोगों को मृत्युदंड की सजा दी गई थी।
 - 🔷 वर्ष 2019 में मृत्युदंड देने वाले शीर्ष देशों में चीन (1000 मृत्यु); ईरान (251 मृत्यु); सऊदी अरब (184 मृत्यु); इराक (100 मृत्यु) और मिस्र (32 मृत्यु) शामिल हैं।
- सऊदी अरब में जिन लोगों को मृत्युदंड की सजा दी गई, उनमें से अधिक लोगों को नशीली दवाओं और हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया
- एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में सऊदी अरब में अल्पसंख्यक शिया मुस्लिमों के विरुद्ध राजनीतिक हथियार के तौर पर मृत्युदंड के बढ़ते उपयोग पर चिंता जाहिर की थी।
 - 🔷 एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार 23 अप्रैल, 2019 को सऊदी अरब में 37 लोगों की सामृहिक रूप से मृत्यु कर दी गई, जिनमें से 32 शिया पुरुष थे, जिन्हें 'आतंकवाद' के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

कोड़े अथवा चाबुक मरने की सजा प्रतिबंधित

नाबालिगों के लिये मृत्युदंड को प्रतिबंधित करने से पूर्व सऊदी अरब ने कोड़े अथवा चाबुक मारने की सजा पर भी प्रतिबंध लगा दिया था।

- इस प्रकार की सजा को समाप्त करने से पूर्व इसका प्रयोग हत्या, शांति भंग करना, समलैंगिकता, शराब का प्रयोग करने, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने और इस्लाम का अपमान करने जैसे अपराधों के लिये किया जाता था।
 - ◆ वर्ष 2018 में महिला ड्राइवरों पर प्रतिबंध हटाए जाने से पूर्व, ड्राइविंग करने वाली किसी भी महिला को कोड़े मारने की सजा दी जा सकती थी।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में ब्लॉगर रायफ बदावी (Raif Badawi) को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई थी और साथ ही 'इस्लाम का अपमान' करने के आरोप में उन्हें 1,000 चाबुक की सजा भी दी गई थी।

मौजूदा समय में मृत्युदंड

- मृत्युदंड (Capital Punishment) विश्व में किसी भी तरह के दंड कानून के तहत किसी व्यक्ति को दी जाने वाली उच्चतम सजा होती है। मानवाधिकार के दृष्टिकोण से मृत्युदंड सदैव ही एक विवादास्पद मुद्दा रहा है।
- मृत्युदंड का प्रावधान मानव समाज में आदिम काल से लेकर आज तक उपस्थित है, किंतु इसके पीछे के कारणों और इसके निष्पादन के तरीकों में समय के साथ निरंतर बदलाव आता गया।
 - मृत्युदंड का पहला उल्लेख ईसा पूर्व अठारहवीं सदी के 'हम्मूराबी की विधान संहिता' में मिलता है जहाँ 25 प्रकार के अपराधों के लिये
 मृत्युदंड का प्रावधान था।
- एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार, वर्ष 2017 तक 106 देश ऐसे थे जहाँ मृत्युदंड की सजा का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। वहीं 7 देश ऐसे हैं जो असाधारण परिस्थितियों में गंभीर अपराधों के लिये मृत्युदंड की सजा की अनुमित देते हैं, जैसे कि युद्ध के समय में किये गए अपराध।
- विश्व में कुल 56 देश ऐसे है जिन्होंने अपने कानून में मृत्युदंड की सजा को बरकरार रखा है या अधिकारियों द्वारा इसका प्रयोग करने के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
- यह एक प्रचलित अवधारणा है कि समय के साथ दंड विधान भी अधिक नरम होते जाते हैं और क्रूरतम प्रकृति की सजा क्रमश: चलन से बाहर हो जाती है।
- वहीं ऐसा कोई भी अध्ययन नहीं है जो यह स्पष्ट करता हो कि अपराध को रोकने में मृत्युदंड आजीवन कारावास की अपेक्षा अधिक कारगर है। अत: मात्र कल्पनाओं के आधार पर मृत्युदंड को अधिक कठोर नहीं माना जा सकता।
- इसके विपरीत मृत्युदंड के समर्थकों का मत है कि हत्या करने वाला व्यक्ति किसी के जीवन जीने का अधिकार छीन लेता है जिसके कारण उसके जीवन का अधिकार भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार मृत्युदंड एक प्रकार का प्रतिकार होता है। आगे की राह
- सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में देश को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से कई सामाजिक और आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई है।
- हालाँकि यह सिर्फ एक शुरुआत ही है और सऊदी अरब में मानवाधिकार तथा समाज सुधार के क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है।
- अंतत: महात्मा गांधी ने कहा है कि 'नफरत अपराधी से नहीं, अपराध से होनी चाहिये'।

कला एवं संस्कृति

तब्लीगी जमात

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इस्लामिक संगठन तब्लीगी जमात संगठन उस समय चर्चा में रहा, जब इस संगठन के दिल्ली मुख्यालय में आयोजित एक धार्मिक मंडली के एक दर्जन से अधिक लोग COVID-19 से पाजिटिव पाए गए।

मुख्य बिंदुः

- निजामुद्दीन (दिल्ली) में मार्च के शुरुआत में होने वाली तब्लीगी जमात की सभा में इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों से कम-से-कम 2,000 लोग शामिल हुए थे।
- समूह के नेता के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 'महामारी रोग अधिनियम' (Epidemic Disease Act- EDA) के तहत मामला दर्ज किया है।

तब्लीगी जमात का उद्धवः

- तब्लीगी जमात (अर्थात धर्म प्रचारकों की सोसाइटी) की स्थापना देवबंद इस्लामिक विद्वान मोहम्मद इलियास अल-कंधलावी ने मेवात (भारत) में वर्ष 1926 में की थी।
- मेवात उत्तर-पश्चिमी भारत में हरियाणा और राजस्थान राज्यों का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है।

संगठन का लक्ष्यः

- भारत ने 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में 'देवबंद विचारधारा' तथा 20 वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में हिंदू धर्म में पुनरुत्थानवादी आंदोलनों जैसे- 'शुद्धि आंदोलन' आदि देखने को मिले। इसी समय एक धार्मिक पुनरुत्थानवादी संगठन के रूप में तब्लीगी जमात की स्थापना की गई।
- इस संगठन का लक्ष्य मुस्लिम समाज के पुनरुत्थान के लिये समर्पित प्रचारकों का एक समूह स्थापित करना था जो 'सच्चे' इस्लाम को पुनर्जीवित करने की दिशा में कार्य करें।
- संगठन ने स्थापना के शुरुआती समय में अपने नेताओं की मुख्य शिक्षाओं तथा जीवन शैली के आधार पर इस्लाम में विश्वास जगाने की दिशा में कार्य किया।

संगठन का विस्तार:

- तब्लीगी जमात की स्थापना मेवात क्षेत्र में की गई थी। वहाँ मुस्लिमों में 'मेव समुदाय' (जो की मूलत: राजपूत जातीय समूह से संबंधित थे) ने इस संगठन की परंपराओं का पालन किया।
- ब्रिटिश भारत में संगठन का तेज़ी से विस्तार हुआ तथा नवंबर 1941 में आयोजित इस संगठन के वार्षिक सम्मेलन में लगभग 25,000 लोगों ने भाग लिया।
- विभाजन के बाद पाकिस्तान तथा पूर्वी पाकिस्तान (बाद में बांग्लादेश निर्माण) में यह संगठन काफी मजबूत हुआ। वर्तमान समय मे बांग्लादेश में तब्लीगी जमात की सबसे बडी राष्ट्रीय शाखा है।
- वर्तमान में यह संगठन 150 से अधिक देशों में कार्य कर रहा है तथा इन देशों में इसके लाखों अनुयायी हैं।

संगठन की विचारधारा:

तब्लीगी जमात ने मुस्लिमों से पैगंबर की तरह जीवन जीने को कहा। वे सूफी इस्लाम की विचारधारा का धार्मिक आधार पर विरोध करते हैं।
 वे अपने सदस्यों को पैगंबर की तरह कपड़े पहनने (पतलून जो टखने से ऊपर होने चाहिये) का समर्थन करते हैं। पुरुष आमतौर पर अपने ऊपरी होंठ की मूँछों को साफ तथा लंबी दाढी रखते हैं।

इस संगठन का मुख्य कार्य मुस्लिम धर्म के 'शुद्धिकरण' पर केंद्रित था न कि अन्य धर्मों के लोगों को इस्लाम में परिवर्तित करने पर।

संगठन की संरचनाः

- संगठनात्मक ढाँचा बहुत ही सामान्य है। संगठन के अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व आमिर नामक नेता द्वारा किया जाता है, जो हमेशा समूह के संस्थापक मोहम्मद इलियास अल-कांधलावी से संबंधित होते हैं। वर्तमान नेता मौलाना साद कांधलवि है जो इस संगठन के संस्थापक के पोते हैं।
- समूह में एक शूरा परिषद (Shura Council) भी होती है, जो की एक सलाहकार परिषद का कार्य करती है।

संगठन की गतिविधियाँ:

- तब्लीगी जमात ख़ुद को एक गैर-राजनीतिक तथा धार्मिक हिंसा का समर्थन न करने वाले संस्थान के रूप में देखती है। इस समुदाय का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद ने सभी मुसलमानों को अल्लाह का संदेश देने की आज्ञा दी है तथा तब्लीगी लोग इसका अपने कर्तव्य के रूप में पालन करते हैं।
- वे खुद को छोटे जमातों (समाज) में विभाजित करते हैं और इस्लाम के संदेश को मुस्लिमों तक पहुँचाने के लिये दुनिया भर की यात्रा करते हैं। इस यात्रा के दौरान वे स्थानीय मस्जिदों में ठहरते हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मुद्देः

- समूह शांतिपूर्ण तरीके से कार्य करता है और यह मुख्यत: मुस्लिम समुदाय के लिये कार्य करता है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (National Security Advise- NSA) के अनुसार संगठन में रहस्यवाद की संस्कृति है, जो इस संगठन के प्रति संदेह पैदा करता है।
- आंदोलन को सरकार द्वारा कभी नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखा गया लेकिन तब्लीगी जमात को कुछ मध्य एशियाई देशों जैसे कि उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और कजािकस्तान में प्रतिबंधित कर दिया गया है, उनका मानना है कि इस संगठन द्वारा चलाया जाने वाला शुद्धतावादी आंदोलन, चरमपंथी को बढ़ावा देता है।

अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संस्कृति मंत्रालय (Ministry of Culture) ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (Intangible Cultural Heritage-ICH) की राष्ट्रीय सूची लॉन्च की है।

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि भारत में अनोखी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) परंपराओं का भंडार है, जिनमें से 13 को यूनेस्को (UNESCO) द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी मान्यता दी है।
- अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) की राष्ट्रीय सूची का उद्देश्य भारतीय अमूर्त विरासत में निहित भारतीय संस्कृति की विविधता को नई पहचान प्रदान करना है।
 - 🔷 इस राष्ट्रीय सूची का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के विभिन्न राज्यों में मौजूद अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्त्वों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- उल्लेखनीय है कि यह पहल संस्कृति मंत्रालय के विजन 2024 (Vision 2024) का एक हिस्सा भी है।
- अमृतं सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिये युनेस्को के वर्ष 2003 के कन्वेंशन (Convention) का अनुसरण करते हुए संस्कृति मंत्रालय ने इस सूची को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को प्रकट करने वाले पाँच व्यापक डोमेन में वर्गीकृत किया है-
 - अमृत सांस्कृतिक विरासत के एक वाहक के रूप में भाषा सहित मौखिक परंपराएँ और अभिव्यक्ति;
 - प्रदर्शन कला:

- सामाजिक प्रथाएँ, अनुष्ठान और उत्सवः
- प्रकृति एवं ब्रह्मांड के विषय में ज्ञान तथा अभ्यास:
- पारंपरिक शिल्प कौशल।
- अब तक इस राष्ट्रीय सूची में 100 से अधिक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) परंपराओं और तत्त्वों को शामिल किया गया है, इसमें भारत की 13 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें भी शामिल हैं जिन्हें यूनेस्को (UNESCO) ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप मान्यता दी है।
- संस्कृति मंत्रालय द्वारा इस राष्ट्रीय सूची को समय के साथ अपडेट किया जाएगा। अमृर्त संस्कृति?
- अमूर्त संस्कृति किसी समुदाय, राष्ट्र आदि की वह निधि है जो सदियों से उस समुदाय या राष्ट्र के अवचेतन को अभिभूत करते हुए निरंतर समृद्ध होती रहती है।
- अमूर्त सांस्कृतिक समय के साथ अपनी समकालीन पीढियों की विशेषताओं को अपने में आत्मसात करते हुए मौजूदा पीढ़ी के लिये विरासत के रूप में उपलब्ध होती है।
- अमूर्त संस्कृति समाज की मानसिक चेतना का प्रतिबिंब है, जो कला, क्रिया या किसी अन्य रूप में अभिव्यक्त होती है।
- उदाहरणस्वरूप, योग इसी अभिव्यक्ति का एक रूप है। भारत में योग एक दर्शन भी है और जीवन पद्धति भी। यह विभिन्न शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। युनेस्को (UNESCO) और भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत
- यूनेस्को की स्थापना वर्ष 1945 में स्थायी शांति बनाए रखने के रूप में "मानव जाति की बौद्धिक और नैतिक एकजुटता" को विकसित करने के लिये की गई थी।
- यूनेस्को सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्त्व के स्थलों को आधिकारिक तौर पर विश्व धरोहर की मान्यता प्रदान करती है।
 - ध्यातव्य है कि ये स्थल ऐतिहासिक और पर्यावरण के लिहाज़ से भी महत्त्वपूर्ण होते हैं।
- भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 38 मूर्त विरासत धरोहर स्थल (30 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित) हैं और 13 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं।
- यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में शामिल हैं (1) वैदिक जप की परंपरा (3) रामलीला, रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन (3) कृटियाट्टम, संस्कृत थिएटर (4) राममन, गढवाल हिमालय के धार्मिक त्योहार और धार्मिक अनुष्ठान, भारत (5) मुदियेट्टू, अनुष्ठान थियेटर और केरल का नृत्य नाटक (6) कालबेलिया लोक गीत और राजस्थान के नृत्य (7) छऊ नृत्य (8) लद्दाख का बौद्ध जप: हिमालय के लद्दाख क्षेत्र, जम्मु और कश्मीर, भारत में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ (9) मणिपुर का संकीर्तन, पारंपरिक गायन, नगाडे और नृत्य (10) पंजाब के ठठेरों द्वारा बनाए जाने वाले पीतल और तांबे के बर्तन (11) योग (12) नवरोज, नोवरूज, नोवरोज, नाउरोज, नौरोज, नौरेज, नूरुज, नोवरूज, नवरूज, नेवरूज, नोवरूज (13) कुंभ मेला।

आंतरिक सुरक्षा

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने तब्लीगी जमात (Tablighi Jamaat) से जुड़े छह लोगों पर अस्पताल में महिला स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National Security Act- NSA) के तहत कार्यवाही करने का फैसला लिया है।

मुख्य बिंदुः

- नर्सों ने उनके साथ अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया तथा इसकी शिकायत जिला चिकित्सा अधीक्षक से की है। इसके बाद अधीक्षक द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को इस घटना के बारे में जानकारी दी गई।
- पुलिस ने उन छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जो दिल्ली में तब्लीगी जमात की मंडली में शामिल हुए थे तथा बाद में उन्हें गाजियाबाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA):

- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) का उपयोग केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा निवारक निरोध उपायों के रूप में किया जाता है।
- NSA िकसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न करने से रोकने हेतु केंद्र या राज्य सरकार को व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है।
- सरकार किसी व्यक्ति को आवश्यक आपूर्ति एवं सेवाओं के रखरखाव तथा सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने से रोकने के लिये NSA के अंतर्गत कार्यवाही कर सकती है।
- किसी व्यक्ति को अधिकतम 12 महीने हिरासत में रखा जा सकता है। लेकिन सरकार को मामले से संबंधित नवीन सबूत मिलने पर इस समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है।

निवारक निरोध (Preventive Detention)

भिवष्य के अपराध करने या अभियोजन से बचने के लिये किसी व्यक्ति की हिरासत में लिया जाना निवारक में शामिल है। यह 'गिरफ्तारी'
 (Arrest) से अलग होता है। गिरफ्तारी तब की जाती है जब किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगाया जाता है।

NSA की पृष्टभूमि:

- भारत में निवारक निरोध कानून की शुरुआत औपनिवेशिक युग के बंगाल विनियमन- III, 1818 (Bengal Regulation- III, 1818) से मानी जाती है। इस कानून के माध्यम से सरकार, किसी भी व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रियाओं से गुज़रे बिना सीधे ही गिरफ्तार कर सकती थी।
- एक सदी बाद ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट, 1919 (Rowlatt Acts-1919) को लागू किया, जिसके तहत बिना किसी परीक्षण (Trial) के संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने की अनुमति दी गई।
- स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1950 में निवारक निरोधक अधिनियम (Preventive Detention Act- PDA) बनाया गया, जो 31 दिसंबर, 1969 तक लागू रहा।
- वर्ष 1971 में आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (Maintenance of Internal Security Act- MISA) लाया गया जिसे वर्ष 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया। बाद मां काँग्रेस सरकार द्वारा पुन: NSA लाया गया।

NSA के साथ विवाद:

- मूल अधिकारों से टकराव:
 - ♦ सामान्यत: जब िकसी व्यक्ति को गिरफ्तार िकया जाता है, तो उसे कुछ मूल अधिकारों की गारंटी दी जाती है। इनमें गिरफ्तारी के कारण को जानने का अधिकार शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 22 (1) में कहा गया है िक एक गिरफ्तार व्यक्ति को परामर्श देने के अधिकार से वंचित नहीं िकया जा सकता है।
- आपराधिक प्रक्रिया संहिता से टकराव:
 - ◆ आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code- Cr.PC) की धारा 50 के अनुसार गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार तथा जमानत के अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिये। इसके अलावा Cr.PC की धारा 56 तथा 76 के अनुसार गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर एक व्यक्ति को अदालत में पेश किया जाना चाहिये। इनमें से कोई भी अधिकार NSA के तहत हिरासत में लिये गए व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है।
- आँकड़ों की अनुपलब्धताः
 - ♦ 'राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो' (National Crime Records Bureau- NCRB); जो देश में अपराध संबंधी आँकड़े
 एकत्रित तथा उनका विश्लेषण करता है, NSA के तहत आने वाले मामलों को अपने आँकड़ों में शामिल नहीं करता है क्योंकि इन
 मामलों में कोई FIR दर्ज नहीं की जाती है। अत: NSA के तहत किये गए निवारक निरोधों की सटीक संख्या के आँकड़े उपलब्ध
 नहीं हैं।

आगे की राहः

- वर्तमान समय कानून पर पुनर्विचार करने का है, क्योंकि अपने अस्तित्व के चार दशकों में NSA हमेशा राजनीतिक दुरुपयोग के कारण चर्चा में रहता है।
- मूल अधिकारों तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के मध्य संतुलित तथा पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाए जाने; जिसमें NCRB को NSA के तहत आने वाले मामलों को अपने आँकड़ों में शामिल करना भी शामिल हो, की आवश्यकता है।

साइबर अपराध के प्रति संवेदनशील स्वास्थ्य संगठन

चर्चा में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (The International Criminal Police Organisation-Interpol) ने सदस्य देशों को चेतावनी दी है कि साइबर अपराधी रैंसमवेयर का उपयोग करके COVID-19 के विरुद्ध लड़ रहे अस्पतालों और अन्य संस्थानों को नुकसान पहुँचा सकते हैं।

प्रमुख बिंदु

- भारत समेत 194 देशों को भेजे गए अलर्ट में इंटरपोल ने कहा है कि इससे पूर्व COVID-19 महामारी से लड़ रहे तमाम संगठन भी रैंसमवेयर के हमले का शिकार हो चुके हैं।
- ध्यातव्य है कि इंटरपोल की साइबर क्राइम थ्रैट रिस्पॉन्स टीम (Cybercrime Threat Response Team) ने वायरस के विरुद्ध जंग लड़ रहे प्रमुख संगठनों और उनके बुनियादी ढाँचे पर रैंसमवेयर हमलों की संख्या में हो रही वृद्धि का पता लगाया था।
- इंटरपोल के अनुसार, साइबर अपराधी अस्पतालों और चिकित्सा सेवाओं को डिजिटल रूप से बाधित करने के लिये रैंसमवेयर का प्रयोग कर रहे हैं और अस्पतालों को उनकी महत्त्वपूर्ण फाइलों और प्रणालियों तक पहुँचने से रोकते हैं ताकि इसके एवज में उन्हें कुछ राशि मिल सके।
- मौजूदा समय में रैंसमवेयर मुख्य रूप से ई-मेल के माध्यम से फैलाए जा रहे हैं, जिनके अंतर्गत एक सरकारी संस्था का नाम लेकर कोरोनावायरस के बारे में जानकारी या सलाह देने का झूठा दावा किया जाता है, जो प्राप्तकर्त्ता को एक लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक करने के लिये प्रोत्साहित करता है।

• इंटरपोल के अनुसार, इन साइबर हमलों को रोकने के लिये रोकथाम और शमन प्रयास (Prevention and Mitigation Efforts) काफी महत्त्वपूर्ण हैं।

रैंसमवेयर (Ransomware)

रैंसमवेयर एक प्रकार का दर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होता है जिसका उद्देश्य अधिक-से-अधिक धन अर्जित करना होता है। इसे इस प्रकार बनाया जाता है कि वह किसी भी कंप्यूटर की सभी फाइलों को इनक्रिप्ट (Encrypt) कर देता है।

कारण

- चूँकि दुनिया भर के अस्पताल और चिकित्सा संगठन कोरोनावायरस से पीड़ित लोगों की देखभाल में लगे हुए हैं, जिसके कारण वे साइबर अपराध के प्रति काफी संवेदनशील हो गए हैं।
- अपराधियों का मकसद अस्पताल को उनकी महत्त्वपूर्ण फाइलों और प्रणालियों तक पहुँचने से रोकना है, क्योंकि अस्पतालों को उनकी महत्त्वपूर्ण फाइलों और प्रणालियों से दूर करने से इस संकट की स्थिति में आवश्यक चिकित्सा प्रक्रिया में देरी होगी, जिससे अपराधियों को इसके बदले कुछ राशि प्राप्त हो सकेगी।
 - ध्यातव्य है कि इस दौरान प्रक्रिया में देरी होने के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है।

अपराध के पैटर्न में बदलाव

- इसके अलावा इंटरपोल ने चेतावनी दी है कि महामारी के कारण अधिकांश लोग घर से काम कर रहे हैं, जिसके कारण अपराध के पैटर्न में बदलाव आया है।
 - लॉकe लॉकडाउन के कारण घरों में होने वाली चोरी में कमी देखने को मिली है।
- सोशल मीडिया और कई अन्य एप्स के माध्यम से इंग्स के व्यापार में भी काफी बढ़ोतरी हुई है।
- राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women-NCW) के आँकड़े दर्शाते हैं कि कोरोनावायरस के कारण लागू किये गए लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा और महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा में काफी वृद्धि हुई है।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन

(The International Criminal Police Organisation-Interpol)

- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (International Criminal Police Organization- Interpol) एक अंतर-सरकारी संगठन है जो 194 सदस्य देशों के पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करने में मदद करता है।
- प्रत्येक सदस्य देश में इंटरपोल का नेशनल सेंट्रल ब्यूरो (NCB) होता है। यह उन देशों के राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन को अन्य देशों और सामान्य सचिवालय से जोडता है।
 - ♦ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation-CBI) को भारत के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो (National Central Bureau) के रूप में नामित किया गया है।
- सामान्य सचिवालय सदस्य देशों को कई प्रकार की विशेषज्ञता और सेवाएँ प्रदान करता है।
- इसका मुख्यालय ल्यों, फ्राँस (Lyon, France) में है।

सीरियाई युद्ध में रासायनिक हमलों के पीछे सीरियाई वायु सेना

चर्चा में क्यों?

'रासायनिक हथियारों के निषेध के लिये संगठन' (The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons- OPCW) ने नवीनतम जाँच एवं पहचान टीम (Investigation and Identification Team- IIT) ने निष्कर्ष निकाला है कि मार्च 2017 में सीरियाई वायू सेना द्वारा रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया गया था।

- जाँच और पहचान टीम (IIT) ने निष्कर्ष निकाला कि सरकारी बलों ने गृह युद्ध के दौरान अन्य कुछ अवसरों पर क्लोरीन को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था।
- यद्यपि सीरिया की सरकार ने किसी भी प्रकार के रासायनिक हथियारों के प्रयोग संबंधी घटना से साफ मना कर दिया है।

जाँच एवं पहचान टीम:

- IIT की स्थापना OPCW के सदस्य देशों द्वारा वर्ष 2019 में की गई थी। जाँच और पहचान टीम (IIT) सीरियाई अरब गणराज्य में रासायनिक हथियारों के उपयोग करने वाले अपराधियों की पहचान करने की दिशा में कार्य करती है।
- IIT रासायनिक हथियार संबंधी सूचनाओं की पहचान और रिपोर्ट करता है, जिनको OPCW के फैक्ट-फाइंडिंग मिशन (Fact-Finding Mission- FFM) द्वारा निर्धारित किया गया है।

रासायनिक हथियार:

 यह डिलीवरी सिस्टम जैसे बम अथवा तोपखाने में प्रयुक्त एक जहरीला रसायन होता है। सामान्य शब्दों में इन शस्त्रों को रासायनिक शस्त्र (chemical weapon - CW) कहा जाता है जिसमें जहरीले रसायन का उपयोग किया जाता है। रासायनिक शस्त्र, जनसंहार करने वाले शस्त्रों का एक प्रकार है।

IIT द्वारा निकाले गए निष्कर्ष:

- IIT के अनुसार वर्ष 2017 में सीरियाई युद्ध के दौरान 3 बार रासायनिक हथियारों का उपयोग किया गया:
 - ◆ प्रथम, 24 मार्च को सीरियाई वायु सेना के Su- 22 सैन्य विमान से दक्षिणी लतामीना (Latamina) में एक M4000 हवाई बम गिराया था, जिसमें सिरेन (Sarin) का प्रयोग किया गया।
 - दूसरा, 25 मार्च को सीरियाई वायु सेना के हेलिकॉप्टर से लतामीना अस्पताल पर एक सिलेंडर गिराया जिसमें क्लोरीन गैस का प्रयोग किया गया था।
 - ♦ तीसरा, 30 मार्च को, सीरियाई वायु सेना के Su-22 से दक्षिणी लतामीना में सरिन युक्त एक M4000 हवाई बम गिराया गया।

सरिन गैसः

- जर्मन वैज्ञानिकों द्वारा वर्ष 1938 में सिरन नामक रासायिनक हथियार को तैयार किया गया। इसे हानिकारक कीटों को मारने के लिये एक कीटनाशक के रूप में तैयार किया गया था। परंतु वर्तमान समय में यह एक सबसे खतरनाक 'नर्व गैस' मानी जाती है।
- रासायनिक संरचना में यह दूसरे नर्व एजेंट जैसा ही है। तरल रूप में यह गंधहीन और रंगहीन होती है। वाष्पशील होने के कारण यह आसानी से गैस में परिवर्तित हो जाती है।

आगे की राहः

- FFM के अनुसार इस बात के पर्याप्त आधार है कि जहरीले रसायनों का हथियार के रूप में उपयोग किया गया तथा रसायन में प्रतिक्रियाशील क्लोरीन का उपयोग किया गया था लेकिन किसी देश को इसका दोषी ठहराना FFM के अधिदेश (Mandate) क्षेत्र में नहीं है।
- IIT न्यायिक या अर्द्ध-न्यायिक निकाय नहीं है जो किसी देश को अपने निष्कर्षों के आधार पर अपराधी घोषित कर सके अत; अब OPCW की कार्यकारी परिषद एवं सदस्य देशों तथा संयुक्त राष्ट्र महासचिव को आगे की कार्यवाई करनी है।

रासायनिक हथियारों के निषेध के लिये संगठन

(Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons- OPCW)

- 'रासायनिक हथियार निषेध संगठन' (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons- OPCW) संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समर्थित एक स्वतंत्र संस्था (संयुक्त राष्ट्र संघ से स्वतंत्र) है, यह रासायनिक हथियार कंवेंशन (Chemical Weapons Convention- CWC) के प्रावधानों को क्रियान्वित करती है।
- 29 अप्रैल, 1997 को अस्तित्त्व में आया तथा इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है।

- OPCW में 193 हस्ताक्षरकर्ता देश हैं, जो वैश्विक आबादी के 98% का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- इज्ञरायल ने संधि पर हस्ताक्षर तो किये हैं लेकिन रासायिनक हथियार अभिसमय की पुष्टि नहीं की है।
- 14 जनवरी, 1993 को भारत सीडब्ल्यूसी के लिये एक मूल हस्ताक्षरकर्त्ता बना।

OPCW के कार्यः

- अंतर्राष्ट्रीय सत्यापन के तहत सभी मौजूदा रासायनिक हथियारों को नष्ट करना।
- रासायनिक हथियारों को फिर से उभरने से रोकने के लिये रासायनिक उद्योग की निगरानी करना।
- रासायनिक हथियारों के खतरों से सदस्य देशों की सुरक्षा तथा सहायता प्रदान करना।
- कंवेंशन के कार्यान्वयन को मजबूत करने तथा रसायन विज्ञान के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।

रक्षा खरीद स्वीकृति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिका ने भारत को 155 मिलियन डॉलर की AGM-84L हार्पून ब्लॉक II एयर मिसाइलों और MK-54 ऑल-अप राउंड लाइटवेट टॉरपीडों की बिक्री को मंजूरी दी है।

प्रमुख बिंदुः

- 10 AGM-84L हार्पून ब्लॉक II एयर मिसाइल (AGM-84L Harpoon Block II Air Missiles) की अनुमानित कीमत 92 मिलियन डॉलर है, जबिक 16 MK-54 ऑल-अप राउंड लाइटवेट टॉरपीडो (MK 54 All Up Round Lightweight Torpedoes) और तीन MK-54 एक्सरसाइज टॉरपीडो (MK 54 Exercise Torpedoes) की कीमत 63 मिलियन डॉलर है।
- AGM-84L हार्पून ब्लॉक II एयर मिसाइलों का विनिर्माण बोइंग (Boeing) कंपनी द्वारा तथा MK-54 ऑल-अप राउंड लाइटवेट टॉरपीडों का विनिर्माण रेथियॉन (Raytheon) कंपनी द्वारा किया जाएगा।
- पेंटागन के अनुसार, हार्पून मिसाइल समुद्री सीमा की रक्षा हेतु सतह से सतह पर वार करने के लिये P-8I विमान में प्रयुक्त की जाएगी।

पेंटागन (Pentagon):

पेंटागन संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग जिसमें तीनों थलसेना, नौसेना और वायु सेना शिमल हैं, का मुख्यालय है। पेंटागन में 14 जनवरी,
 1943 से कार्य प्रारंभ कर दिया गया था।

लाभ:

- मिसाइल और टॉरपीडो से भारत को क्षेत्रीय खतरों से निपटने में मदद मिलेगी साथ ही यह देश की रक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करेगा।
- इस रक्षा खरीद स्वीकृति से भारत की विदेश नीति और भारत-अमेरिका रणनीतिक संबंध मज्ञबूत होंगे।
 - ♦ यह रक्षा खरीद स्वीकृति हिंद-प्रशांत एवं दक्षिण एशिया क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता, शांति और आर्थिक प्रगति के लिये महत्त्वपूर्ण होगी।

AGM-84L हार्पून ब्लॉक II एयर मिसाइल (AGM-84L Harpoon Block II air missiles):

- AGM-84L हार्पून ब्लॉक II एयर मिसाइल (पेलोड क्षमता: 500 पाउंड) विमानों और बंदरगाहों या औद्योगिक स्थलों तथा बंदरगाहों पर स्थित जहाजों को नष्ट करने में सक्षम है।
- यह मिसाइल प्रत्येक मौसम में कार्य करने में सक्षम है।
- यह रडार से बचने में सक्षम है तथा इसका वजन 1,160 पाउंड है।
- यह मिसाइल 67 नॉटिकल मील दूर स्थित किसी लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट कर सकती है।

इस मिसाइल में एयर-ब्रीदिंग टर्बोजेट इंजन (Air-breathing Turbojet Engine) तथा सॉलिड-प्रोप्लेंट बूस्टर (Solid-propellant Booster) का प्रयोग किया गया है।

MK-54 ऑल-अप राउंड लाइटवेट टॉरपीडो

(MK 54 All Up Round Lightweight Torpedoes):

- रेथियॉन द्वारा वर्ष 2004 में टॉरपीडो मिसाइलों का विनिर्माण शुरू किया गया था।
- यह मिसाइल परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों को नष्ट करने में सक्षम है। जहाजों के सतह, फिक्स्ड-विंग विमानों और हेलीकॉप्टरों द्वारा टॉरपीडो मिसाइल को प्रक्षेपित किया जाता है।
- MK 46 टॉरपीडो को संशोधित कर MK-54 ऑल-अप राउंड टॉरपीडो बनाया गया है जिसका वज़न कम है।
- Mk 50 टारपीडो का उन्नत सोनार ट्रांसीवर (Advanced Sonar Transceiver) और Mk 46 का प्रोपल्शन सिस्टम (Propulsion System) को Mk 54 में उपयोग किया गया है।

साइबर धोखाधड़ी और COVID-19

चर्चा में क्यों:

COVID-19 के कारण वैश्विक स्तर पर बढ़ते साइबर अपराधों से निपटना समाज और प्रशासन/सरकार के समक्ष एक चुनौती भरा कदम होगा।

प्रमुख बिंदुः

- उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन के कारण अधिकांश कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं।
 - चित्र किसी संगठन/संस्था के पास वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (Virtual Private Network- VPN) नहीं है तो घर से कार्य कर रहे कर्मचारियों को सार्वजनिक प्लेटफार्मों के उपयोग से संगठन/संस्था के गोपनीय डेटा का गलत प्रयोग हो सकता है।
- सूचना एवं तकनीक की मदद से फर्जी तरीके से लोगों के अकाउंट से पैसे निकालने की घटना दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

साइबर धोखाधड़ी के हालिया मामले:

- पीएम-केयर्स फंड की नकली UPI:
 - ◆ ध्यातव्य है कि प्रधानमंत्री ने COVID-19 से निपटने हेतु पीएम-केयर्स फंड लॉन्च किया था।
 - पीएम-केयर्स फंड को लेकर एक अलर्ट जारी किया गया है जिसके अनुसार, कुछ अपराधियों द्वारा पीएम-केयर्स फंड की नकली UPI आईडी बनाई है।

एकीकृत भुगतान प्रणाली (Unified Payments Interface-UPI):

- यह एक ऐसी प्रणाली है जो एक मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से कई बैंक खातों का संचालन, विभिन्न बैंकों की विशेषताओं को समायोजित, निधियों का निर्बाध आवागमन और व्यापारियों का भुगतान कर सकता है।
- फेसबुक धोखाधड़ी:
 - ♦ फर्जी फेसबुक खातों के कई मामले सामने आ रहे हैं, जहाँ कथित तौर पर लोगों के फेसबुक अकाउंट को हैक कर पैसे की मांग की जा रही है।
- ज़ूम एप (Zoom App):
 - जूम एप को भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (Indian Computer Emergency Response Team
 CERT-In) ने 'मध्यम सुरक्षा रेटिंग (ऐसा एप जिसमें सुरक्षा संबंधी खामियाँ हों)' का एप बताया है।
 - उपयोगकर्त्ताओं द्वारा जूम एप को माइक्रोफोन, वेब-कैम और डेटा स्टोरेज तक पहुँचने की अनुमित देने से निजी डेटा चोरी होने की घटना सामने आई है।

ज़ूम एप (Zoom App):

• ज़ूम एप एक फ्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप है। इसके जरिये यूजर एक बार में अधिकतम 100 लोगों के साथ बात कर सकता है। एप में वन-टू-वन मीटिंग और 40 मिनट की ग्रुप कॉलिंग की सुविधा है।

समाधान:

- भुगतानः
 - भुगतान करते समय UPI ID का सत्यापन करना, मोबाइल चोरी होने पर UPI ID को शीघ्रता से ब्लॉक करवाना, RBI द्वारा जारी KYC के दिशा-निर्देशों का पालन करना।
- सोशल मीडियाः
 - गोपनीयता की रक्षा के लिये सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करना।
- वीडियोकांफ्रेंसिंगः
 - गोपनीय बैठकों में मुफ्त एप द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करने से बचना, संगठन/संस्था के कार्य हेतु वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग करना।

इंटरपोल की सलाहः

- लोगों को संदिग्ध ई-मेल खोलने और गैर-मान्यता प्राप्त ई-मेल और अनुलग्नकों में लिंक पर क्लिक करने से बचने के साथ ही नियमित रूप से बैकअप फाइल तैयार करने, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करने, सॉफ्टवेयर को अपडेट रखने, आदि की सिफारिश की जाती है।
- इंटरपोल ने चिकित्सा उत्पादों के बारे में झूठे या भ्रामक विज्ञापनों की उभरती प्रवृत्ति, महामारी के दौरान फर्जी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की स्थापना, इत्यादि के बारे में चेतावनी दी है।

नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक और COVID-19

चर्चा में क्यों:

लद्दाख, दमन और दीव तथा पुदुचेरी को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने COVID-19 से निपटने हेतु 50,000 से अधिक नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को तैनात किया है।

प्रमुख बिंदुः

- राजस्थान, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और असम में सबसे ज्यादा नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को तैनात किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि वर्तमान में जिलाधिकारी के अधीन तैनात ये नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक (Civil Defence Volunteers) COVID-19 के दिशा-निर्देशों और नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु स्थानीय प्रशासन की मदद कर रहे हैं।
- स्वयंसेवक ब्लॉक स्तर तक सरकार की नीतियों, सुविधाओं और सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं।

स्वयंसेवकों का योगदानः

- प्रवासी श्रमिकों/अन्य व्यक्तियों के लिये सामुदायिक रसोई (Community Kitchens) और आश्रयों की स्थापना करना।
- व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (Personal Protection Equipment- PPE), मास्क, सैनिटाइजर का वितरण करना।
- स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं की मदद तथा सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) और स्वच्छता संबंधी मुद्दे के बारे में लोगों को जागरूक करना।
- राशन वितरण, दवा, चिकित्सा उपकरण इत्यादि की आपूर्ति में मदद करना।
- COVID-19 से संक्रमित लोगों की पहचान कर उन्हें एकांत में रखना।

नागरिक सुरक्षा (Civil Defence) के बारे में:

- नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक 'नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968' और संबंधित नियमों और विनियमों के तहत कार्य करते हैं।
 - ◆ नागरिक सुरक्षा का कार्य आपातकालीन परिस्थितियों से तत्काल निपटना, जनता की रक्षा करना, आपदा से नष्ट या क्षितग्रस्त हुए सेवाओं और सुविधाओं को बहाल करना इत्यादि है।
- नागरिक सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2009 के द्वारा 'नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों' को अतिरिक्त भूमिका के रूप में आपदा प्रबंधन के तहत शामिल किया गया था।
- नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 की धारा 4 के तहत राज्य सरकार स्थानीय प्रशासन की मदद करने हेतु नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों से कार्य ले सकती है।
 - ♦ नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर या उपायुक्त के अधीन कार्य करते हैं।
- उद्देश्य:
 - लोगों की रक्षा करना, आपदा के दौरान संपत्ति को नुकसान होने से बचाना, उत्पादन की निरंतरता बनाए रखना, लोगों का मनोबल ऊँचा रखना इत्यादि।
 - युद्ध और आपातकालीन स्थितियों के दौरान आतंरिक क्षेत्रों की रक्षा करना, सशस्त्र बलों की सहायता करना, नागरिकों को लामबंद करना और प्रशासन की मदद करना।
 - 🔷 परमाणु हथियार, जैविक और रासायनिक युद्ध तथा प्राकृतिक/मानव निर्मित आपदाओं के दौरान लोगों की रक्षा करना।
- केंद्र द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता:
 - ♦ केंद्र सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा (Civil Defence) हेतु उत्तर-पूर्वी राज्यों (असम को छोड़कर) के लिये कुल वार्षिक व्यय का 50% तथा अन्य राज्यों (असम को शामिल करते हुए) को कुल वार्षिक व्यय की 25% आर्थिक सहायता दी जाती है।



चर्चा में

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र और सार्वजनिक भविष्य निधि National Savings Certificate and Public Provident Fund

भारत सरकार ने 31 मार्च, 2020 को राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (National Savings Certificate-NSC) और सार्वजनिक भविष्य निधि (Public Provident Fund-PPF) सिंहत अन्य छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Schemes) पर ब्याज दरों में कटौती की।

मुख्य बिंदुः

- आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, एक से तीन वर्ष की सावधि जमा (Fixed Deposite) पर ब्याज दर में 1.4% की कटौती करके 5.5% कर दिया गया है। पहले सावधि जमा पर 6.9% ब्याज मिलता था। वहीं पाँच वर्ष की सावधि जमा पर ब्याज दर 7.7% से घटाकर 6.7% कर दी गई।
- वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही अर्थात् अप्रैल-जून की अविध के लिये सार्वजिनक भविष्य निधि (PPF) पर ब्याज दर को 7.9% से घटाकर 7.1% कर दिया गया है। वहीं राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (NSC) की दर को 7.9% से घटाकर 6.8% कर दिया।

सार्वजनिक भविष्य निधि (Public Provident Fund-PPF):

- सार्वजिनक भिवष्य निधि (PPF) योजना एक दीर्घकालिक निवेश विकल्प है जो निवेश की गई राशि पर आकर्षक ब्याज दर और रिटर्न प्रदान करता है। अर्जित ब्याज एवं रिटर्न आयकर के तहत कर योग्य नहीं हैं।
- वर्ष 1968 में भारत में सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) को निवेश के रूप में छोटी बचत जुटाने के उद्देश्य से लाया गया था।
- इसे बचत-सह-कर बचत निवेश वाहन (Savings-Cum-Tax Savings Investment Vehicle) भी कहा जा सकता है जो आय पर लगने वाले वार्षिक करों की बचत करके सेवानिवृत्त कोष (Retirement Corpus) का निर्माण करता है।
- भारत में PPF का न्यूनतम कार्यकाल 15 वर्ष है जिसे व्यक्ति की इच्छानुसार 5 वर्ष की एक पूर्ण-अवधि के तहत बढ़ाया जा सकता है।

राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (National Savings Certificate-NSC):

- राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (NSC) एक निश्चित आय निवेश योजना है जिसे किसी भी डाकघर में शुरू किया जा सकता है।
- यह ग्राहकों मुख्य रूप से मध्यम आय वाले निवेशकों के लिये आयकर में बचत करने के उद्देश्य से निवेश करने के लिये एक बचत बांड
 (Savings Bond) है।
- भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 1950 के दशक में भारत सरकार द्वारा राष्ट्र-निर्माण हेतु धन एकत्र करने के लिये राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों
 पर अधिक जोर दिया गया था।

किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra) पर लगाने वाली ब्याज दर जो पहले 7.6% थी उसे अब 6.9% कर दिया गया है।

किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra- KVP):

- 'इंडिया पोस्ट; (India Post) ने वर्ष 1988 में किसान विकास पत्र (KVP) को एक छोटी बचत प्रमाण पत्र योजना के रूप में पेश किया था।
- उद्देश्यः इसका प्राथमिक उद्देश्य लोगों में दीर्घकालिक वित्तीय अनुशासन को प्रोत्साहित करना है।
- वर्ष 2014 में इस योजना में किये गए संशोधन के अनुसार, इसकी स्वामित्त्व अवधि को बढ़ाकर 118 महीने (9 वर्ष एवं 10 महीने) कर दिया गया है।
- इसमें न्यूनतम निवेश 1000 रुपए है किंतु इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। इसके जमाकर्त्ताओं का धन 118 महीनों में दोगुना हो सकता है।

- बालिका-केंद्रित सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi scheme) पर ब्याज दर को 8.4% से घटाकर 7.6 % कर दिया गया है।
- छोटी बचत योजनाओं के लिये ब्याज दरों को तिमाही आधार पर अधिसूचित किया जाता है।

गौरतलब है कि COVID-19 महामारी के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee-MPC) द्वारा रेपो दर (Repo Rate) में 75 आधार अंकों की कटौती कर 4.4% जबिक रिवर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate) में 90 आधार अंकों की कटौती करके 4% कर दिये जाने के बाद भारत सरकार ने छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Schemes) पर ब्याज दरों में कटौती की है।

सोडियम हाइपोक्लोराइट Sodium Hypochlorite

हाल ही में COVID-19 के मद्देनजर शहरों से अपने घरों की ओर लौट रहे प्रवासी मजदूरों पर उत्तरप्रदेश के बरेली जिले में सैनिटाइज करने के उद्देश्य से उन पर सोडियम हाइपोक्लोराइट (Sodium Hypochlorite) का छिड़काव किया गया।

मुख्य बिंदुः

- आमतौर पर सोडियम हाइपोक्लोराइट का इस्तेमाल ब्लीचिंग एजेंट के रूप में तथा स्विमिंग पूल की साफ-सफाई करने में भी किया जाता है।
 - एक सामान्य ब्लीचिंग एजेंट के रूप में सोडियम हाइपोक्लोराइट का उपयोग विभिन्न प्रकार की सफाई और कीटाणरोधी उद्देश्यों के लिये किया जाता है।
- सोडियम हाइपोक्लोराइट में हानिकारक क्लोरीन गैस होती है जो कीटाणुनाशक होती है। किसी विलयन में सोडियम हाइपोक्लोराइट की अधिक सांद्रता मनुष्य के शरीर को नुकसान पहुँचाती है।
 - घरों में उपयोग किये जाने वाले सामान्य ब्लीच में आमतौर पर 2-10% सोडियम हाइपोक्लोराइट का मिश्रण होता है।
- जिस विलयन में सोडियम हाइपोक्लोराइट की मात्रा अत्यंत कम अर्थात् 0.25-0.5% होती है उस विलयन का उपयोग त्वचा के घावों जैसे-कटने या खरोंच के इलाज के लिये किया जाता है।
- वहीं जिस विलयन में सोडियम हाइपोक्लोराइट की मात्रा 0.05% होती है उसका उपयोग कभी-कभी हैंडवाश के रूप में उपयोग किया जाता
- एक आम ब्लीचिंग पाउडर को रासायनिक रूप से सोडियम हाइपोक्लोराइट नहीं बल्कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइट कहा जाता है।
- सोडियम हाइपोक्लोराइट संक्षारक (Corrosive) है अर्थात् इसका उपयोग मोटे तौर पर कठोर सतहों को साफ करने में किया जाता है।
- डॉक्टरों द्वारा सोडियम हाइपोक्लोराइट को मनुष्यों के ऊपर छिड़काव करने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि इसका 0.05% विलयन आँखों के लिये अत्यंत हानिकारक हो सकता है। वहीं इसका 1% विलयन मनुष्य की त्वचा को नुकसान पहुँचा सकता है।
- यदि सोडियम हाइपोक्लोराइट मनुष्य शरीर के अंदर चला जाता है तो यह फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुँचा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देश:
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) ने कठोर सतहों पर नोवेल कोरोनोवायरस की किसी भी उपस्थिति को साफ करने के लिये लगभग 2-10% सांद्रता वाले ब्लीच विलयनों की सिफारिश की है।
- इस विलयन से कठोर सतहों को साफ करने से न केवल उन्हें नोवेल कोरोनावायरस से कीटाणुरहित किया जा सकता है बल्कि फ्लू, खाद्य जनित बीमारियों को भी रोकने में मदद मिल सकती है।

साइंटेक एयरआन Scitech Airon

COVID-19 महामारी के मद्देनज़र महाराष्ट्र के पुणे में स्थित स्टार्ट-अप ने महाराष्ट्र के अस्पतालों को कीटाणुरहित करने के लिये साइंटेक एयरआन (Scitech Airon) तकनीक का विकास किया है।

- साइंटेक एयरआन एक निगेटिव आयन जेनरेटर (Negative Ion Generator) है। आयन जेनरेटर मशीन का एक घंटे का परिचालन कमरे के 99.7% वायरसों को खत्म कर सकता है।
- साइंटेक एअरऑन ऑयोनाइजर मशीन प्रति 8 सेकेंड में लगभग 100 मिलियन ऋण आवेशित आयन पैदा कर सकती है।
- ऑयोनाइज्ञर द्वारा उत्पादित निगेटिव आयन हवा में तैरते फफूंद, एलर्जी पैदा करने वाले सूक्ष्म कण, बैक्टीरिया, पराग-कण, धूल इत्यादि के इर्द-गिर्द एक क्लस्टर बना लेते हैं और रासायनिक अभिक्रिया द्वारा इन्हें निष्क्रिय कर देते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया में अत्यधिक प्रतिक्रियाशील ओएच (OH) समूह जिसे हाइड्रॉक्सिल रेडिकल्स (Hydroxyl Radicals) कहा जाता है और एचओ (HO) समूह जिसे वायुमंडलीय डिटरजेंट (Atmospheric Detergent) के रूप में जाना जाता है, का निर्माण होता है।
- इन डिटरजेंट विशेषताओं के कारण वायरस, बैक्टीरिया एवं एलर्जी पैदा करने वाले तत्त्वों के बाहरी प्रोटीन को विघटित कर दिया जाता हैं जिससे हवा के द्वारा फैलने वाले रोगों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। जिससे शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है और यह प्रतिरोध क्षमता आयन वातावरण से बाहर अगले 20-30 दिनों के लिये सहायक हो सकती है।
- यह कार्बन मोनोक्साइड (कार्बन डाइकॉक्साइड से 1000 गुना अधिक हानिकारक), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाष्पशील कार्बिनक यौगिकों जैसे गैस प्रदूषकों को भी विघटित कर सकती है।
- कोविड-19 पॉजिटिव मामलों और संदिग्धों के कारण जो स्थान संक्रमित हो गए हैं उन्हें यह कीटाणुरहित कर सकता है और वायु को प्रदूषण रहित कर सकता है।
- इस तकनीक को भारत सरकार के द्वारा शुरू किये गए निधि (NIDHI) एवं प्रयास (PRAYAS) कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है।

निधि कार्यक्रम (NIDHI Program):

- भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Science & Technology department- DST) द्वारा ज्ञान-आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित नवाचारों एवं विचारों को लाभदायक स्टार्ट-अप में बदलने के उद्देश्य से निधि कार्यक्रम (NIDHI Program) शुरू किया गया है।
- निधि (NIDHI) का पूर्ण रूप 'नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हारनेसिंग इनोवेशंस' (National Initiative for Developing and Harnessing Innovations) है।
- इस कार्यक्रम के तहत अन्वेषकों एवं उद्यमियों के लिये इन्क्यूबेटर्स (Incubators), सीड फंड (Seed Fund), एक्सेलेरेटर्स (Accelerators) और 'प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट' (Proof of concept) अनुदान की स्थापना के कार्यक्रम शुरू किये गए हैं।
- NIDHI में 8 घटक होते हैं जो अपने विचार से बाजार चरण तक किसी स्टार्टअप को उसके प्रत्येक चरण में समर्थन करते हैं।
- पहले घटक 'प्रयास' (PRAYAS) का उद्घाटन 2 सितंबर, 2016 को किया गया था जिसका लक्ष्य इनोवेटर्स को उनके स्टार्ट-अप से संबंधित विचारों के प्रोटोटाइप बनाने के लिये प्रोत्साहित करना है।

प्रयास (PRAYAS):

- NIDHI के तहत 'प्रयास' (PRAYAS) कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका पूर्ण रूप 'प्रमोटिंग एंड एक्सेलेरेटिंग यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स' (Promoting and Accelerating Young and Aspiring innovators & Startups) है।
- PRAYAS कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर्स (Technology Business Incubators-TBI) नवप्रवर्तनकर्त्ताओं एवं उद्यमियों को 'प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट' और विकासशील प्रोटोटाइप के लिये अनुदान के साथ-साथ अन्य सहायता भी प्रदान करते हैं।
 - ◆ PRAYAS केंद्र की स्थापना के लिये एक टेक्नोलॉजी बिज्ञनेस इनक्यूबेटर्स (TBI) को अधिकतम 220 लाख रूपए प्रदान किये जाते हैं, जिसमें प्रयास शाला (PRAYAS SHALA) के लिये 100 लाख रूपए तथा प्रयास (PRAYAS) केंद्र की परिचालन लागत के लिये 20 लाख रूपए और प्रोटोटाइप विकसित करने के लिये एक इनोवेटर को 10 लाख रूपए दिये जाते हैं।

COVID-19 फैक्ट-चेक यूनिट

COVID-19 Fact-Check Unit

COVID-19 महामारी के मद्देनजर भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) और पत्र सूचना कार्यालय (Press Information Bureau-PIB) ने 2 अप्रैल, 2020 को एक वेब पोर्टल COVID-19 फैक्ट-चेक यूनिट (COVID-19 Fact-Check Unit) की स्थापना की।

मुख्य बिंदुः

- यह वेब पोर्टल COVID-19 से संबंधित सूचनाएँ प्रदान करने के लिये लोगों के ईमेल संदेशों को प्राप्त करेगा एवं उनकी सटीकता से जाँच करने के बाद प्रतिक्रिया भेजेगा।
- भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं पिरवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) ने COVID-19
 महामारी के किसी भी तकनीकी पहलू से संबंधित नागिरकों के संदेह को स्पष्ट करने के लिये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
 (AIIMS) जैसे संस्थानों के पेशेवरों को मिलाकर एक तकनीकी समृह का गठन किया है।
 - ♦ यह तकनीकी समूह वेब पोर्टल 'COVID-19 फैक्ट-चेक यूनिट' के माध्यम से नागरिकों को सूचनाएँ प्रेषित करेगा।
 - ♦ हाल ही में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रवासी मज़दूरों से संबंधित मनोवैज्ञानिक मुद्दों से निपटने के लिये दिशा-निर्देश भी जारी किये हैं।
- इसके अतिरिक्त पत्र सूचना कार्यालय (PIB) COVID-19 से निपटने के लिये भारत सरकार के निर्णयों एवं इस दिशा में किये जा रहे प्रयासों पर नागरिकों को सूचित करने के लिये प्रत्येक दिन रात 8 बजे एक दैनिक बुलेटिन भी जारी करेगा।
 - पहला बुलेटिन 1 अप्रैल, 2020 को शाम 6:30 बजे जारी किया गया था।

पत्र सूचना कार्यालय (Press Information Bureau-PIB):

- पीआईबी (PIB) भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रम, पहल तथा उपलिब्धियों के बारे में समाचार-पत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सूचना देने वाली प्रमुख एजेंसी है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1919 में वायसराय लार्ड चेम्सफोर्ड के समय की गई थी। वर्तमान में इसके 8 क्षेत्रीय कार्यालय और 34 शाखाएँ हैं।

विंबलडन टूर्नामेंट Wimbledon Tournament

1 अप्रैल, 2020 को 'ऑल इंग्लैंड क्लब; (All England Club) ने COVID-19 महामारी के कारण विंबलडन टूर्नामेंट-2020 (Wimbledon Tournament-2020) को रद्द कर दिया।

- विंबलडन टूर्नामेंट को 29 जून, 2020 से 12 जुलाई, 2020 तक लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में खेला जाना था।
- चैंपियनशिप विंबलंडन (Championships Wimbledon) जिसे आमतौर पर विंबलंडन या द चैंपियनशिप (The Championships) के रूप में जाना जाता है, विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है।
- प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1915-18 और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1940-45 की अविध को छोड़कर वर्ष 1877 से प्रत्येक वर्ष इस टूर्नामेंट का आयोजन लंदन के विंबलडन में स्थित ऑल इंग्लैंड क्लब में किया जाता है।
- विंबलडन टूर्नामेंट का अगला संस्करण 28 जून से 11 जुलाई, 2021 के मध्य आयोजित किया जाएगा।
- गौरतलब है कि COVID-19 महामारी के कारण पहले ही टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympic) को एक वर्ष आगे बढ़ा दिया गया है जबिक 'नेशनल कॉलेजिएट एथलेटिक एसोसिएशन' (National Collegiate Athletic Association-NCAA) ने पुरुषों एवं महिलाओं के बास्केटबॉल टूर्नामेंट-2020 को भी रद्द कर दिया है।

- ♦ NCAA एक गैर-लाभकारी संगठन है जो 1268 उत्तरी अमेरिकी संस्थानों एवं सम्मेलनों के द्वारा छात्र एथलीटों की मदद करता है।
- ♦ यह संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में कई कॉलेजों व विश्वविद्यालयों के एथलेटिक कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है।
- ♦ इस संगठन का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के इंडियानापोलिस (Indianapolis) में है।

सकल जीएसटी राजस्व Gross GST Revenue

1 अप्रैल, 2020 को जारी केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Union Finance Ministry) के आँकड़ों के अनुसार, मार्च 2019 की तुलना में मार्च 2020 के सकल जीएसटी राजस्व (Gross GST Revenue) में 8% की कमी दर्ज की गई।

मुख्य बिंदुः

- वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान मार्च 2020 में वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax- GST) संग्रह 97597 करोड़ रुपए हुआ है जो चार महीने के बाद 1 लाख करोड़ रुपए के लक्षित स्तर से नीचे आ गया है।
 - मार्च 2020 में हुआ राजस्व संग्रह फरवरी महीने में संचालित व्यवसाय पर आधारित है। अत: ये आँकड़े COVID-19 के पूर्ण प्रभाव एवं भारत में कई व्यावसायिक क्षेत्रों के निर्णायक लाकडाउन से प्रभावित नहीं हैं।
 - हालाँकि मार्च 2019 की तुलना में घरेलू लेनदेन से जीएसटी राजस्व में 4% की गिरावट आई, वहीं माल के आयात पर वसूले गए कर में 23% की गिरावट आई।
- फरवरी GSTR-3B रिटर्न दाखिल करने में भी 7% की गिरावट आई जबिक पिछले दो महीनों में दर्ज 83 लाख से अधिक की तुलना में 31 मार्च, 2020 तक केवल 76.5 लाख रिटर्न दर्ज किये गए हैं। जो दर्शाता है कि COVID-19 के कारण हुए लॉकडाउन से तरलता की कमी के कारण कई व्यवसाय जीएसटी का भुगतान नहीं कर पाए हैं।

प्रत्यक्ष कर संग्रहः

- वहीं भारत सरकार ने वर्ष 2019-20 के दौरान प्रत्यक्ष करों के रूप में 10.27 ट्रिलियन रुपए का संग्रह किया। इसकी वजह से कर संग्रह के संशोधित अनुमान (Revised Estimates- RE) की तुलना में 1.45 ट्रिलियन रुपए या 12.2 % की कमी दर्ज की गई।
- आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार 31 मार्च, 2020 तक प्रत्यक्ष करों के तहत एकत्रित सकल राशि 12.11 ट्रिलियन रुपए थी। इसमें 1.83 ट्रिलियन रुपए की कर छूट को शामिल किया गया था। इस प्रकार 11.70 ट्रिलियन रुपए के संशोधित अनुमानों के विपरीत निवल संग्रह 10.27 ट्रिलियन रुपए था।
- केंद्र सरकार ने निगम कर (Corporation Tax) के रूप में 5.56 ट्रिलियन रूपए और व्यक्तिगत आयकर के रूप में 4.58 ट्रिलियन रूपए प्राप्त किये हैं। शेष कर संग्रह में अन्य छोटे कर जैसे कि प्रतिभूति विनिमय कर (Securities Transaction Tax-STT) शामिल हैं। वहीं पिछले दो वर्षों की तुलना में प्रत्यक्ष कर संग्रह सबसे कम हुआ है। निगम कर (Corporation Tax):
- भारत में इस कर का भुगतान कंपनी कानून 1956 के तहत पंजीकृत कंपिनयों द्वारा अर्जित किये गए शुद्ध लाभ पर किया जाता है।

प्रतिभृति विनिमय कर (Securities Transaction Tax- STT):

- प्रतिभूति विनिमय कर (SST) भारत में स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री पर लगाया गया कर है।
 - ◆ प्रतिभूति व्यापार योग्य निवेश इंस्ट्र्मेंट (Tradable Investment Instruments) जैसे- शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, इिक्वटी-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड आदि हैं। इन्हें या तो किसी कंपनी द्वारा या भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है।
- इस कर को वर्ष 2004 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया था और यह 1 अक्टूबर, 2004 से प्रभावी हुआ।

मूक नायक Mooknayak

31 मार्च, 1990 को भारत के संविधान के निर्माता डॉ. बी.आर. अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था जिन्होंने वर्ष 1920 में समाचार पत्र मूक नायक (Mooknayak) की स्थापना की थी।

- डॉ. बी.आर. अंबेडकर द्वारा मूक नायक समाचार पत्र का प्रकाशन 31 जनवरी, 1920 में की गई थी जिसने भारत में एक मुखर एवं संगठित दिलत राजनीति की नींव रखी। इस समाचार पत्र का प्रकाशन मराठी भाषा में किया जाता था।
- इस समाचार पत्र की मदद से जाति-विरोधी राजनीति की एक नई शुरुआत की घोषणा की गई जिसने क्षेत्र, भाषा एवं राजनीतिक सीमाओं को तोड कर राष्ट्रवादी परिदृश्य में विकास प्रक्रिया के साथ समागम किया।
- वर्ष 1920 में मूक नायक के प्रकाशन ने भारत में जाति एवं अस्पृश्यता पर सामाजिक-राजनीतिक विमर्श में विशिष्ट बदलाव को प्रेरित किया।
- मूक नायक को प्रत्येक शनिवार को बंबई (वर्तमान मुंबई) से प्रकाशित किया जाता था। इस अखबार का शीर्षक संभवत: मराठी भक्ति कि तुकाराम द्वारा लिखित उद्धरण से प्रेरित था।
- मूकनायक के पहले आधिकारिक संपादक पांडुरंग नंदराम भटकर (Pandhurang Nandram Bhatkar) थे।

मूल्य निर्धारण एवं संसाधन इकाई Price Monitoring & Resource Unit

1 अप्रैल, 2020 को राष्ट्रीय औषिध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (National Pharmaceutical Pricing Authority-NPPA) ने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में मूल्य निर्धारण एवं संसाधन इकाई (Price Monitoring & Resource Unit-PMRU) की स्थापना की।

मुख्य बिंदुः

• केरल, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मिजोरम की तरह जम्मू एवं कश्मीर 12वाँ राज्य/संघ शासित प्रदेश बन गया है जहाँ मूल्य निर्धारण एवं संसाधन इकाई (PMRU) की स्थापना की गई है।

मूल्य निर्धारण एवं संसाधन इकाई (Price Monitoring & Resource Unit- PMRU)

- यह दवा मूल्य की निगरानी के लिये स्थापित एक पंजीकृत सोसायटी है और संबंधित राज्यों के राज्य औषि नियंत्रक (State Drug Controller) के प्रत्यक्ष नियंत्रण एवं पर्यवेक्षक के तहत कार्य करेगी।
 - इस पंजीकृत सोसायटी का अध्यक्ष राज्य के स्वास्थ्य सिचव होंगे तथा सहयोगी सिचव औषध नियंत्रक (Drugs Controller)
 होंगे।
 - इसके अन्य सदस्यों में एक राज्य सरकार का प्रतिनिधि, निजी दवा कंपनियों के प्रतिनिधि तथा उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मंचों के लोग शामिल किये जाएंगे।
- इस इकाई को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) द्वारा अपने आवर्ती एवं गैर-आवर्ती खर्चों के लिये वित्त पोषित किया जाएगा।

मूल्य निर्धारण एवं संसाधन इकाई के कार्यः

- सस्ती कीमतों पर दवाओं की उपलब्धता एवं पहुँच सुनिश्चित करने में राष्ट्रीय औषिध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) और राज्य औषिध नियंत्रक की मदद करना।
- सभी के लिये दवाओं की उपलब्धता एवं सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिये शिक्षा एवं संचार (Education & Communication-IEC) गतिविधियाँ के साथ-साथ सेमिनार का आयोजन, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं अन्य जानकारी उपलब्ध करना।
- दवाओं के नमूने एकत्र करना, दवाओं से संबंधित डेटा एकत्र करना एवं उसका विश्लेषण करना तथा औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (Drug Price Control Order- DPCO) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने के लिये दवाओं की उपलब्धता एवं अधिक मूल्य निर्धारण के संबंध में रिपोर्ट बनाना।

सनराइज़ मिशन SunRISE Mission

30 मार्च, 2020 को राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतिरक्ष प्रशासन (National Aeronautics and Space Administration-NASA) ने सूर्य की उत्पत्ति तथा सूर्य पर होने वाले विशाल मौसमी अंतिरक्ष तूफान जिन्हें 'सौर कण तूफान' कहा जाता है, के बारे में अध्ययन करने के लिये सनराइज मिशन (SunRISE Mission) की घोषणा की।

उद्देश्य:

- सूर्य की उत्पत्ति तथा सौर कण तूफान (Solar Particle Storms) का अध्ययन करना।
- सौर प्रणाली की क्रियाविधि से संबंधित जानकारी इकट्ठा करना।

मुख्य बिंदुः

- सनराइज (SunRISE) का पूर्ण रूप 'सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट' (Sun Radio Interferometer Space Experiment) है।
- सनराइज में छह क्यूबसैट (CubeSats) शामिल हैं जो एक बड़े रेडियो टेलीस्कोप के रूप में काम करेंगे।
- सनराइज सौर प्रणाली की क्रियाविधि से संबंधित जानकारी इकट्ठा करेगा। जिससे चंद्रमा एवं मंगल पर जाने वाले अंतिरक्ष यात्रियों की रक्षा करने में मदद मिल सकती है।

बजट:

सनराइज़ मिशन के लिये नासा ने \$ 62.6 मिलियन के बजट की घोषणा की है।

सनराइज़ की कार्यप्रणाली:

- इस मिशन का डिज़ाइन छह सौर-संचालित क्यूबसैट पर निर्भर करता है जो सौर गतिविधि से उत्सर्जित कम आवृत्ति वाले रेडियो चित्रों का निरीक्षण करता है और उन्हें नासा के डीप स्पेस नेटवर्क (NASA's Deep Space Network) के माध्यम से साझा करता है।
- क्यूबसैट्स का समूह पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर एक दूसरे से 6 मील की दूरी पर उड़ेगा जहाँ रेडियो संकेतों को अवरुद्ध करके सनराइज द्वारा निरीक्षण किया जायेगा।
- जहाँ विशाल सौर कण उत्पन्न होते हैं उनके पिनपॉइंट के आधार पर छह क्यूबसैट एक साथ मिलकर 3D मैप विकसित करेंगे जिससे यह पता लगाया जा सके कि वे अंतरिक्ष में बाहर की ओर विस्तार करते हुए कैसे विकसित होते हैं।
- इसके अतिरिक्त छह व्यक्तिगत अंतरिक्ष यान भी मैपिंग के लिये मिलकर काम करेंगे। गौरतलब है कि नासा ने 11 महीने के अवधारणात्मक अध्ययन का संचालन करने के लिये अपने मिशन ऑफ ऑपर्च्युनिटी (Mission of Opportunity) कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में अगस्त 2017 में दो मिशन चुने थे। सनराइज उन दो मिशनों में से एक था।

काउंटरसाइक्लिकल कैपिटल बफर्स Countercyclical Capital Buffers

• हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने घोषणा की है कि COVID-19 के प्रकोप के कारण अर्थव्यवस्था में आई मंदी के दौरान बैंकों को 'काउंटरसाइक्लिकल कैपिटल बफर्स' (Countercyclical Capital Buffers- CCyB) को सिक्रय करने की आवश्यकता नहीं है।

काउंटरसाइक्लिकल कैपिटल बफर्स (CCvB):

- कैपिटल बफर (Capital Buffer) एक अनिवार्य पूंजी है जिसे वित्तीय संस्थानों द्वारा अन्य न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं के अतिरिक्त बफर के रूप में रखने की जरूरत होती है।
- वहीं CCyB व्यापार चक्र से संबंधित जोखिमों को दूर करने के लिये एक बैंक द्वारा रखी जाने वाली पूँजी है।
- उद्देश्यः इसका उद्देश्य आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव से होने वाले नुकसान से बैंकिंग क्षेत्र की रक्षा करना है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 फरवरी, 2015 को काउंटरसाइक्लिकल कैपिटल बफर (CCyB) की रूपरेखा तैयार की थी जिसमें यह सलाह दी गई थी कि जब विपरीत परिस्थितियाँ सामने आयेंगी तो CCyB को सिक्रय किया जाएगा।
- यह रूपरेखा मुख्य संकेतक के रूप में क्रेडिट-टू-जीडीपी गैप (Credit-To-GDP Gap) की परिकल्पना करती है जिसका उपयोग अन्य पूरक संकेतकों के साथ संयोजन में किया जाता है।

इस परिकल्पना के तहत बैंकों को अनुकूल समय में पूंजी का एक बफर बनाने को कहा जाता है जिसका उपयोग विपरीत समय में महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह को बनाए रखने के लिये किया जाता है।

बेसल III (Basel III) मानदंड:

बेसल III (Basel III) मानदंडों के अनुसार जब बैंकों द्वारा दिये गए ऋण की वापसी नहीं होती है तो बैंकों को अर्थव्यवस्था में मंदी के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिये बैंकों के पास स्वयं की अतिरिक्त पूंजी होनी चाहिए।

अगस्त्यावनम बायोलॉजिकल पार्क Agasthyavanam Biological Park

केरल वन विभाग, COVID-19 के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं विभिन्न समुहों को वनोत्पाद बेचने के लिये अगस्त्यावनम बायोलॉजिकल पार्क (Agasthyavanam Biological Park- ABP) एवं इसके आसपास के क्षेत्रों से आदिवासियों द्वारा एकत्र वनोत्पादों की खरीद कर रहा है।

मुख्य बिंदुः

- वर्ष 1997 में स्थापित अगस्त्यावनम बायोलॉजिकल पार्क (ABP) केरल में एक वन्यजीव अभ्यारण्य है।
- यह पार्क केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम (त्रिवेंद्रम) के पास स्थित है। यह नेय्यर वन्यजीव अभ्यारण्य (Neyyar Wildlife Sanctuary) और पेप्पारा वन्यजीव अभ्यारण्य (Peppara Wildlife Sanctuary) से जुड़ा हुआ है।
- इस पार्क का नाम अगस्त्यामलाई अगस्त्याकूडम (Agasthyamalai Agasthyakoodam) पर्वत शिखर के नाम पर रखा गया है जो पार्क से कुछ ही दूरी पर स्थित है।

अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिज़र्व (Agasthyamala Biosphere Reserve):

- अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिज़र्व भारत के पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी छोर में स्थित है और इसमें समुद्र तल से 1,868 मीटर ऊँची चोटियाँ शामिल हैं।
- यह 3,500 वर्ग किमी. क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसके अंतर्गत तिमलनाडु के तिरुनेलवेली एवं कन्याकुमारी जिले तथा केरल के तिरुवनंतपुरम एवं कोल्लम जिले आते हैं जो एक उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी वन तंत्र का निर्माण करते हैं।
- अगस्त्यावनम बायोलॉजिकल पार्क 23 वर्ग किमी. के क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें 17.5 वर्ग किमी. के क्षेत्र में घने जंगल विकसित करने हेतु प्राकृतिक पुनुरुत्थान के लिये आरक्षित किया गया है। तथा पार्क के शेष क्षेत्र को व्यवस्थित संरक्षण कार्यक्रमों के लिये छोड़ दिया गया है।
- अगस्त्यावनम बायोलॉजिकल पार्क स्थानिक औषधीय पौधे एवं समृद्ध जैव विविधता के लिये प्रसिद्ध है।

जियोफेंसिंग Geofencing

हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (Indian Telegraph Act, 1885) की धारा 5(2) के प्रावधानों के तहत जियो-फेंसिंग (Geofencing) के उल्लंघन के मामले में दूरसंचार विभाग से निर्दिष्ट मोबाइल फोन नंबरों की जानकारी प्राप्त करने के लिये कहा है।

- भारत सरकार देशभर में COVID-19 मामलों को ट्रैक करने के लिये भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम (Indian Telegraph Act) के तहत प्रत्येक 15 मिनट में दूरसंचार कंपनियों से सूचनाएँ प्राप्त कर रही है।
 - 🔷 भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत राज्य या केंद्र सरकार किसी आपात स्थिति या लोक सुरक्षा के हित में उपभोक्ता के मोबाइल फोन डेटा की जानकारी प्राप्त करने के लिये अधिकृत है।

COVID-19 क्वारंटाइन चेतावनी प्रणाली (COAS):

- इन सूचनाओं के लिये दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications- DoT) ने COVID-19 क्वारंटाइन चेतावनी प्रणाली (COVID-19 Quarantine Alert System- CQAS) नामक एप्लिकेशन के बारे में सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ एक मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure- SOP) साझा की है।
 - इस एप्लिकेशन के माध्यम से COVID-19 संक्रमित व्यक्ति के क्वारंटाइन से बाहर जाने या आइसोलेशन का उल्लंघन करने की स्थिति में उस व्यक्ति के मोबाइल फोन सेल टॉवर के आधार पर किसी अधिकृत सरकारी एजेंसी द्वारा ई-मेल व एसएमएस अलर्ट के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकेगा।
 - ♦ CQAS दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और कंपनियों द्वारा प्रदान किये गए स्थानिक डेटा के आधार पर उन्हें अलग करते हुए मोबाइल नंबरों की एक सूची तैयार करेगा जिससे जियोफेंसिंग का निर्माण किया जा सके।

जियोफेंसिंग (Geofencing):

- जियोफेंसिंग किसी भौगोलिक क्षेत्र के लिये एक आभासी परिधि होती है। यह एक स्थान-आधारित सेवा है जिसमें किसी एप या अन्य सॉफ़्टवेयर जैसे- GPS, RFID, वाई-फाई या सेलुलर डेटा का उपयोग किया जाता है।
- जब एक मोबाइल डिवाइस या RFID टैग एक भौगोलिक सीमा जिसे जियोफेंस (Geofence) के रूप में जाना जाता है, के आसपास स्थापित एक आभासी सीमा में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है तो उस डिवाइस को उसमें इंस्टाल प्रोग्राम के आधार पर ट्रैक किया जा सकता है।
- जियोफेंसिंग की 300 मीटर की परिधि तक सटीक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- COVID-19 मामलों को ट्रैक करने हेतु जियोफेंसिंग का उपयोग करने वाले राज्यों में केरल पहला राज्य है।

सीमाएँ:

जियोफेंसिंग तभी काम करेगी जब क्वारंटाइन व्यक्ति के पास एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया या रिलायंस जियो के नेटवर्क का उपयोग करने वाला मोबाइल फोन हो।

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी National Investigation Agency

4 अप्रैल, 2020 को राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (National Investigation Agency- NIA) ने असम के बारपेटा में जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश (Jama'atul Mujahideen Bangladesh- JMB) संगठन के दो आरोपियों के खिलाफ गुवाहाटी स्थित एनआईए की विशेष अदालत में पहली अनुपूरक चार्जशीट दायर की।

गौरतलब है कि जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश नामक संगठन पर भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये सदस्यों की भर्ती एवं प्रशिक्षण देने तथा बर्दवान ब्लास्ट केस में शामिल होने जैसे कई आरोप लगाये गए हैं।

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (National Investigation Agency):

- राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जाँच एजेंसी है।
- इसका गठन राष्ट्रीय जाँच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में आतंकवादी गतिविधियों की जाँच करना है। यह केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी (Central Counter Terrorism Law Enforcement Agency) के रूप में कार्य करती है।
- यह निम्नलिखित मामलों में अपराधों की जाँच एवं अभियोग चलाने की केंद्रीय एजेंसी है:
 - ♦ भारत की संप्रभुता, सुरक्षा एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को प्रभावित करने वाले अपराध।
 - परमाण् और परमाण् प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अपराध।
 - उच्च गुणवत्तायुक्त नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी।

- यह अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों, अभिसमयों और संयुक्त राष्ट्र एवं इसकी एजेंसियों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रस्तावों का कार्यान्वयन करती है।
- 🔹 इसका मुख्यालय नई दिल्ली में तथा क्षेत्रीय शाखाएँ हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर और जम्मू में हैं।
- हाल ही में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी अधिनियम, 2008 में संशोधन करते हुए संसद द्वारा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019 पारित किया गया। जिसमें NIA को अतिरिक्त आपराधिक मामलों जैसे- जाली मुद्रा या बैंक नोटों से संबंधित अपराध, प्रतिबंधित हथियारों का निर्माण या बिक्री, साइबर आतंकवाद, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम (Explosive Substances Act), 1908 के तहत अपराधों की भी जाँच करने की अनुमित देने का प्रावधान किया गया है।

एंटी स्मॉग गन Anti-smog Gun

उच्चतम न्यायालय द्वारा 13 जनवरी, 2020 को दिये गए आदेश के बाद राजधानी दिल्ली में 14 बड़ी निर्माण परियोजना स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन (Anti-smog Gun) उपकरण लगाए गए हैं।

मुख्य बिंदुः

- 13 जनवरी, 2020 को उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा था कि जिन परियोजनाओं में राज्य या केंद्र से पर्यावरणीय मंज़ूरी की आवश्यकता होती है और वे परियोजनाएँ 20,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, उनमें एंटी-स्मॉग गन की अनिवार्यता होगी। इसके निर्णय के अनुसार, दिल्ली में 47 बड़ी परियोजनाओं में इन एंटी-स्मॉग गन को स्थापित किया जाना था।
- न्यायालय ने निर्देश दिया है कि दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों (National Capital Regions- NCR) में बड़े निर्माण स्थल, सड़क निर्माण क्षेत्र, खनन गतिविधि वाले क्षेत्र, कच्चे क्षेत्रों में बड़े पार्किंग स्थल, बड़े सार्वजिनक समारोह, विध्वंस गतिविधि वाले क्षेत्र एवं धूल-धूसरित यातायात गलियारों पर एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जाना चाहिये।

प्रदूषक भुगतान नीति (Polluter Pays Policy):

• वहीं न्यायालय ने इन स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन की स्थापना की लागत को संतुलित करने के लिये एक प्रदूषक भुगतान नीति (Polluter Pays Policy) तैयार करने का आदेश भी दिया था। जिसका अर्थ है कि जो लोग प्रदूषण पैदा करते हैं उन्हें मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिये इसे प्रबंधित करने की लागत वहन करनी चाहिये।

एंटी-स्मॉग गन (Anti-smog Gun):

- एंटी-स्मॉग गन एक ऐसा उपकरण है जो वायु प्रदूषण को कम करने के लिये हवा में नेबुलाइज्ड (Nebulised) जल की बूंदों का छिडकाव करता है।
- वाहन पर स्थापित एंटी-स्मॉग गन एक पानी की टंकी से जुड़ा हुआ होता है जो धूल एवं अन्य कणों को जमीन पर लाने के लिये हवा में 50 मीटर की ऊँचाई तक पानी का छिड़काव करता है। इस उपकरण को शहर में कहीं भी ले जाया जा सकता है।
- यह एक प्रकार की कृत्रिम वर्षा होती है जिससे छोटे धूलकणों (मुख्य प्रदूषक पीएम 2.5) को नीचे भूमि पर लाने में मदद मिलती है। गौरतलब है कि अक्टूबर महीने के अंतिम सप्ताह से दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुँच जाती है जिसके कुछ समय के लिये हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी के अंतर्गत दर्ज की जाती है। दिल्ली में वायु प्रदूषण एवं स्मॉग तीन इनपुटों (स्थानीय स्तर पर प्रदूषकों का उत्सर्जन, अन्य राज्यों एवं क्षेत्रों से उत्सर्जित प्रदूषकों का परिवहन, मौसम संबंधी कारक जैसे- हवा की गित एवं तापमान) का परिणाम है।

राष्ट्रीय कैडेट कोर National Cadet Corps

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने 2 अप्रैल, 2020 को बताया कि राष्ट्रीय कैडेट कोर (National Cadet Corps- NCC) ने एक्सरसाइज एनसीसी योगदान (Exercise NCC Yogdan) के तहत COVID-19 से निपटने में शामिल विभिन्न एजेंसियों के राहत प्रयासों को बढ़ाने हेतु अपने कैडेट्स के अस्थायी रोजगार के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

- दिशा-निर्देशों के अनुसार, कैडेट को कानून एवं व्यवस्था की स्थिति से निपटने या सिक्रय सैन्य कर्तव्यों के लिये या कोरोना संवेदनशील क्षेत्रों में नियोजित नहीं किया जाना चाहिये।
- रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल वरिष्ठ डिविजन स्वयंसेवी कैडेटों को ही नियुक्त किया जाएगा और उन्हें भी स्थायी प्रशिक्षक स्टाफ या एक सहयोगी एनसीसी अधिकारी की देखरेख में 8-20 के छोटे समूहों में नियुक्त किया जाना चाहिये।
- रक्षा मंत्रालय के अनुसार एनसीसी कैडेटों के परिकल्पित कार्यों में हेल्पलाइन प्रबंधन, कॉल सेंटर, राहत सामग्री, दवाएँ, भोजन जैसी आवश्यक वस्तुओं का वितरण, सामुदायिक सहायता, डेटा प्रबंधन एवं सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के लिये कतार में खड़े होने की व्यवस्था करना तथा यातायात प्रबंधन शामिल हैं।
- स्वैच्छिक सेवा देने के इच्छुक ऐसे कैडेटों की नियुक्ति के लिये राज्य सरकारों, जिला प्रशासन को राज्य एनसीसी निदेशालयों के माध्यम से अपनी आवश्यकताएँ प्रेषित करनी होंगी। इसका विवरण एनसीसी निदेशालय, समूह मुख्यालय, इकाई स्तर पर राज्य सरकार, स्थानीय नागरिक प्राधिकरण के साथ समन्वित किया जाएगा। कैडेटों को ड्यूटी पर तैनात करने से पहले जमीनी हालात एवं निर्धारित आवश्यकताओं को सुनिश्चित किया जाना जरूरी है।

राष्ट्रीय कैडेट कोर (National Cadet Corps- NCC):

- भारत में NCC की स्थापना 15 जुलाई, 1948 को राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (The National Cadet Corps Act 1948) के तहत हुई थी।
- NCC का आदर्श वाक्य- एकता और अनुशासन (Unity and Discipline) है, जिसे 12 अक्टूबर, 1980 को आयोजित केंद्रीय सलाहकार समिति में अपनाया गया था।
- NCC तीन साल की होती है- पहले साल 'A', दूसरे साल 'B' और तीसरे साल 'C' ग्रेड का प्रमाण पत्र दिया जाता है। NCC समूह का नेतृत्व 'लेफ्टिनेंट जनरल' रैंक का अधिकारी करता है और पूरे देश में ऐसे कुल 17 अधिकारी हैं।
- देश में इसकी कुल 788 टुकड़ियाँ हैं, इनमें से 667 सेना की, 60 नौसेना और 61 वायु सेना की हैं।
- NCC का मुख्यालय नई दिल्ली में है।

गौरतलब है कि रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत एनसीसी देश का सबसे बड़ा वर्दीवाला युवा संगठन है जो विभिन्न स्तर की सामाजिक सेवा एवं सामुदायिक विकास की गतिविधियाँ संचालित करता है।

कोरोना बॉन्ड Corona Bond

हाल ही में इटली के प्रधानमंत्री ने COVID-19 के कारण उत्पन्न आर्थिक स्थिति से निपटने के लिये यूरोपीय संघ (European Union- EU) द्वारा जारी किये जाने वाले कोरोना बॉन्ड (Corona Bond) का समर्थन किया।

- कोरोना बॉन्ड एक संयुक्त ऋण हैं जो यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को जारी किये जाते हैं।
- यह यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देशों द्वारा सामूहिक रूप से लिया गया ऋण होता है।
- कोरोना बॉन्ड के तहत दिया जाने वाला ऋण यूरोपीय निवेश बैंक (European Investment Bank) द्वारा दिया जाता है।
- गौरतलब है कि इटली, स्पेन जैसे देश जिन्हें COVID-19 की वजह से गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा रहा है, ये देश असाधारण स्थिति से निपटने के लिये यूरोपीय संघ से इस तरह के आर्थिक उपायों की मांग कर रहे हैं।
- यूरोपीय संघ के नौ देश स्पेन, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, लक्जमबर्ग, आयरलैंड, पुर्तगाल, ग्रीस एवं स्लोवेनिया इस तरह के बॉन्ड की सिफारिश कर रहे हैं। जबकि जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया एवं फिनलैंड जैसे यूरोपीय संघ के कुछ देशों ने इस तरह के विचार का विरोध किया है।

राउंड ट्रिपिंग Round Tripping

04 अप्रैल, 2020 को उच्चतम न्यायालय ने प्रमुख समाचार प्रसारण कंपनी 'नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड' (New Delhi Television Limited- NDTV) के खिलाफ राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी आयकर पुनर्मुल्यांकन नोटिस को रद्द कर दिया।

गौरतलब है कि आयकर विभाग ने NDTV पर जुलाई 2007 में अपने यू.के. की सहायक कंपनी एनएनपीएलसी (NNPLC) के माध्यम से \$100 मिलियन की राशि के स्टेप-अप कूपन बॉन्ड जारी करने के संबंध में 'राउंड ट्रिपिंग' (Round Tripping) का आरोप लगाया था।

राउंड ट्रिपिंग' (Round Tripping):

- राउंड ट्रिपिंग से अभिप्राय उस धन से है जो विभिन्न चैनलों के माध्यम से देश के बाहर जाता है और फिर यही धन विदेशी निवेश के रूप में देश में वापस आता है। इसमें ज्यादातर काला धन शामिल है और इसका इस्तेमाल अक्सर स्टॉक प्राइस में हेर-फेर करने के लिये किया जाता
- राउंड ट्रिपिंग अक्सर लेन-देन की एक श्रृंखला के माध्यम से की जाती है इसका कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं होता है जो इसे गार (General Anti-Avoidance Rules-GAAR) के दायरे में लाता हो।
- यह धन ऑफशोर निधयों में निवेश किया जा सकता है जिसे बदले में भारतीय परिसंपत्तियों में निवेश किया जाता हैं। वहीं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स (GDR) एवं पार्टिसिपेटरी नोट्स (P- Notes) जैसे कुछ अन्य मार्ग हैं जिनका उपयोग अतीत में किया गया है।

ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स (GDR):

ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स मध्यस्थों जैसे विदेशी कंपनियों में निवेश की सुविधा के लिये बैंक द्वारा जारी किये गए प्रतिभृति प्रमाणपत्र (Securities Certificates) हैं। एक GDR किसी विदेशी कंपनी के कुछ निश्चित शेयरों का प्रतिनिधित्त्व करता है जिनकी ट्रेडिंग स्थानीय स्टॉक एक्सचेंज में नहीं की जाती है।

पार्टिसिपेटरी नोट्स (P- Notes):

- पी-नोट्स या ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रमेंट्स (ODIs) पंजीकृत एफ.पी.आई. (FPIs) द्वारा विदेशी निवेशकों, हेज फंड और विदेशी संस्थानों को जारी किये जाते हैं, जो सेबी में पंजीकृत हुए बिना भारतीय शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं।
- उल्लेखनीय है कि विदेशों में दी जाने वाली कर रियायतों के कारण राउंड ट्रिपिंग को बढ़ावा मिलता है।

MyGov कोरोना हेल्पडेस्क MyGov Corona Helpdesk

भारत सरकार की समर्पित व्हाट्सएप चैटबॉट MyGov कोरोना हेल्पडेस्क (MyGov Corona Helpdesk) का उपयोग अब तक 2 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं द्वारा किया गया है।

उद्देश्य:

इसका उद्देश्य नागरिकों को COVID-19 से संबंधित सूचनाओं का समय-समय पर अपडेट प्रदान करना एवं इससे संबंधित नागरिकों के प्रश्नों का जवाब देना है।

- इस चैटबॉट को भारत सरकार द्वारा 20 मार्च, 2020 को लॉन्च किया गया था।
- इस चैटबॉट का विकास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट कंपनी हैप्टिक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड (Haptik Infotech Pvt Ltd) द्वारा किया गया है जिसके 87% शेयर रिलायंस जियो के पास हैं।
- COVID-19 से संबंधित गलत सूचना तथा अफवाहों को दूर करना इस चैटबॉट का प्राथमिक लक्ष्य है। इसके लिये हैप्टिक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने व्हाट्सएप नंबर +919013151515 भी प्रदान किया है।

- यह सेवा शुरू में अंग्रेजी भाषा में शुरू की गई थी किंतु देश में लाखों हिंदी भाषी उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिये बाद में इसमें हिंदी भाषा को भी जोड़ा गया।
- MyGov कोरोना हेल्पडेस्क का उपयोग सभी व्हाट्सएप उपयोगकर्त्ता मुफ्त में कर सकते हैं।

महावीर जयंती Mahavir Jayanti

06 अप्रैल, 2020 को भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति ने महावीर जयंती (Mahavir Jayanti) के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएँ दी।

मुख्य बिंदुः

- महावीर जयंती जैन धर्म में सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है।
- महावीर जयंती वर्धमान महावीर (Vardhamana Mahavira) के जन्म का प्रतीक है। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ (Parshvanatha) के उत्तराधिकारी थे।
- जैन ग्रंथों के अनुसार, भगवान महावीर का जन्म चैत्र महीने में अर्द्धचंद्र के 13वें दिन हुआ था।
- यह त्योहार जैन समुदाय द्वारा जैन धर्म के अंतिम आध्यात्मिक शिक्षक की स्मृति में व्यापक रूप से मनाया जाता है। इस उत्सव पर भगवान महावीर की मूर्ति के साथ निकलने वाले जुलूस को 'रथ यात्रा' (Rath Yatra) कहा जाता है। स्तवन या जैन प्रार्थनाओं को याद करते हुए भगवान महावीर की प्रतिमाओं को एक औपचारिक स्नान कराया जाता है जिसे अभिषेक (Abhisheka) कहा जाता है।

भगवान महावीर:

- महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम (वैशाली) में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार एवं माता त्रिशला जो विज्ञ संघ में लिच्छवी राजकुमारी तथा लिच्छवि राजा चेटक की बहन थी। विज्ञ संघ आधुनिक बिहार में वैशाली क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
- भगवान महावीर का संबंध इक्ष्वाकु वंश (Ikshvaku Dynasty) से माना जाता है। इनके बचपन का नाम वर्धमान था जिसका अर्थ है 'जो बढता है'।
- उन्होंने 30 वर्ष की आयु में सांसारिक जीवन को त्याग दिया और 42 वर्ष की आयु में ज्रम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य (Kaivalya) अर्थात् संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त किया।
- महावीर ने अपने शिष्यों को पंच महाव्रतों अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्य (शुद्धता) एवं अपरिग्रह (गैर लगाव) की शिक्षा दी और उनकी शिक्षाओं को जैन आगम (Jain Agamas) कहा गया।
- 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु (निर्वाण) 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी (राजगीर) में हुई। मल्लराजा सृस्तिपाल के राज प्रसाद में भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था।
- जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है जबकि आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे।
- जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण है।
- जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा उदयिन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक थे।
- मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया।

बाबू जगजीवन राम Babu Jagjivan Ram

भारतीय प्रधानमंत्री ने 05 अप्रैल, 2020 को गरीबों के अधिकारों के लिये संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगजीवन राम (Babu Jagjivan Ram) को उनकी 113वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

- बाबू जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल 1908 को ब्रिटिश भारत के भोजपुर (बिहार) में हुआ था।
- 🕨 जगजीवन राम जिन्हें 'बाबूजी' के नाम से जाना जाता है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के प्रमुख कार्यकर्त्ता एवं राजनीतिज्ञ थे।
- वर्ष 1928 में कलकत्ता (अब कोलकाता) के वेलिंगटन स्क्वायर में एक मजदूर रैली के दौरान इनकी मुलाकात नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हुई।
- वर्ष 1931 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से बी.एस.सी की डिग्री हासिल की जहाँ उन्होंने अपने साथ होने वाले भेदभाव के मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये सम्मेलनों का आयोजन किया तथा महात्मा गांधी द्वारा शुरू किये गए अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में भी भाग लिया।
- उन्होंने वर्ष 1935 में अखिल भारतीय शोषित वर्ग लीग (All India Depressed Classes League) की नींव रखने में अहम योगदान दिया था जो अछूतों के लिये समानता के अधिकारों को प्राप्त करने हेतु एक समर्पित संगठन था।
- वे वर्ष 1937 के चुनाव में बिहार विधानसभा के लिये चुने गए जिसके बाद उन्होंने ग्रामीण मजदूर आंदोलन (Rural Labour Movement) की शुरुआत की।

मंत्रित्वकाल की प्रमुख घटनाएँ:

- बाबू जगजीवन राम वर्ष 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में सबसे युवा मंत्री बने जिन्हें श्रम मंत्री की जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की वकालत की।
- वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान वे भारत के रक्षा मंत्री थे जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था।
- केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने एवं भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण के लिये उन्हें याद किया जाता है।
- हालाँकि उन्होंने आपातकाल के दौरान (1975-77) तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का समर्थन किया किंतु वर्ष 1977 में कांग्रेस छोड़ दी और जनता पार्टी में शामिल हो गए। और बाद में उन्होंने जनता पार्टी सरकार में भारत के उप प्रधानमंत्री (1977-79) के रूप में कार्य किया।

कांग्रेस (J) का गठनः

 जनता पार्टी से निराश होकर उन्होंने अपनी पार्टी कांग्रेस (J) बनाई। वर्ष 1986 में अपनी मृत्यु तक वह संसद सदस्य बने रहे। वह बिहार राज्य के सासाराम संसदीय क्षेत्र से चुने गए थे। वर्ष 1936-1986 तक संसद में उनका निर्बाध प्रतिनिधित्व एक विश्व रिकॉर्ड है।

विरासत:

 उनके दाह संस्कार स्थान को समता स्थल (Samata Sthal) का नाम दिया गया और उनकी जयंती को समरस दिवस (समानता दिवस) के रूप में मनाया जाता है।

विश्व स्वास्थ्य दिवस World Health Day

प्रति वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाने वाला विश्व स्वास्थ्य दिवस (World Health Day) लोगों को स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक करने के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) द्वारा शुरू की गयी एक पहल है।

थीम:

• इस वर्ष के लिये विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम 'नर्सों एवं मिडवाइफों का समर्थन करें' (Support Nurses and Midwives) है।

उद्देश्य:

 इसका उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य एवं उससे संबंधित समस्याओं पर विचार-विमर्श करना तथा विश्व में समान स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ स्वास्थ्य संबंधी अफवाहों एवं मिथकों को दूर करना है।

मुख्य बिंदुः

प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्थापना दिवस (7 अप्रैल, 1948) की वर्षगांठ पर विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रथम विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ष 1948 में आयोजित हुई थी तथा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 1950 में हुई थी।
- हालाँकि वर्ष 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल (Florence Nightingale) की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य
 में नर्स एवं मिडवाइफ के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष (International Year of Nurse and Midwife) के रूप में घोषित किया गया
 है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा आठ अभियानों को आधिकारिक रूप से चिह्नित किया गया है। जिनमें विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व
 मलेरिया दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व टीकाकरण सप्ताह, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व एड्स दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस
 और विश्व रक्तदाता दिवस शामिल हैं।
- इस दिवस के अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 'स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020' (State of the World's Nursing Report 2020) भी जारी की गई।
 - इस रिपोर्ट में नर्सिंग कार्यबल की एक वैश्विक तस्वीर प्रदान की गई और सभी के लिये स्वास्थ्य के उद्देश्य से इस कार्यबल के योगदान को बढ़ावा देने का समर्थन किया गया।

गौरतलब है कि वर्तमान में वैश्विक स्तर पर COVID-19 से निपटने में नर्स एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मी सबसे आगे हैं।

ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी Tropical Butterfly Conservatory

तितली एवं उसके पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से तिमलनाडु के तिरुचिरापल्ली (Tiruchirappalli) में ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंज़र्वेटरी (Tropical Butterfly Conservatory- TBC) का विकास किया गया है।

ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंज़र्वेटरी (TBC):

- अवस्थितिः
 - ◆ TBC अपर अनाइकट रिज़र्व फॉरेस्ट (Upper Anaicut Reserve Forest) में स्थित है जो तिरुचिरापल्ली में कावेरी और कोल्लीडम (Kollidam) निदयों के बीच स्थित है।

कोल्लीडम (Kollidam) नदीः

- कोल्लीडम दक्षिण-पूर्वी भारत की एक नदी है। यह श्रीरंगम (Srirangam) द्वीप पर कावेरी नदी की मुख्य शाखा से अलग होकर पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
- क्षेत्रफल:
 - यह 27 एकड़ में फैला है और इसे एशिया का सबसे बड़ा तितली पार्क माना जाता है।

मुख्य बिंदुः

- इसकी शुरुआत नवंबर 2015 में की गई थी। इसका मुख्य लक्ष्य तिरुचिरापल्ली ज़िले में तितिलयों के महत्ता का प्रचार-प्रसार करना तथा पर्यावरणीय शिक्षा के माध्यम से क्षेत्र की जैव विविधता के संरक्षण के प्रयास करना है।
- यहाँ एक बाहरी कंजर्वेटरी 'नक्षत्र वनम' (Nakshatra Vanam) और भीतरी कंजर्वेटरी 'रासी वनम' (Rasi Vanam) के साथ-साथ गैर अनुसूचित तितली प्रजातियों के लिये एक प्रजनन प्रयोगशाला भी है।
- इस क्षेत्र में अब तक लगभग 109 तितली प्रजातियाँ दर्ज की जा चुकी हैं।

तितलियों का महत्वः

चूँिक तितिलयाँ प्रकृति में खाद्य वेब (Food Web) का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं इसिलये पारिस्थितिक संतुलन के लिये इन प्रजाितयों
 की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। वे परागण की प्रक्रिया के द्वारा वैश्विक खाद्य श्रृंखला में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

विभिन्न खतरे:

तितलियों की विविधता के लिये प्रमुख खतरे निम्नलिखित हैं- आवासीय क्षेत्र का कम होना, अत्यधिक चराई, जंगलों में आग एवं खेतों में कीटनाशकों के प्रयोग तथा कृषि एवं शहरी पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश, क्षरण एवं विखंडन।

द ग्रेट डिप्रेशन The Great Depression

COVID-19 महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है जिसके परिणामस्वरूप कुछ विशेषज्ञों ने इस आर्थिक संकट की तुलना 'द ग्रेट डिप्रेशन' (The Great Depression) से करनी शुरू कर दी है।

मुख्य बिंद:

- ग्रेट डिप्रेशन, वर्ष 1929 में संयुक्त राज्य अमेरिका से शुरू हुआ एक बड़ा आर्थिक संकट था जिसका प्रभाव विश्व भर में वर्ष 1939 तक रहा।
- इसकी शुरुआत 24 अक्टूबर, 1929 से हुई, विश्व इतिहास में इस दिन को 'ब्लैक गुरुवार' (Black Thursday) के रूप में जाना जाता है जब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक की कीमतों में 25% तक की गिरावट दर्ज की गईं।
- स्टॉक की कीमतों में गिरावट के मुख्य कारणों में सकल मांग में कमी, गलत मौद्रिक नीतियाँ एवं इन्वेंट्री स्तरों में एक अनपेक्षित वृद्धि थी।

प्रभाव:

- संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादों की कीमतों एवं वास्तविक उत्पादन में गिरावट आई। औद्योगिक उत्पादन 47%, थोक मूल्य सूचकांक 33% तथा वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 30 % तक की गिरावट दर्ज की गई।
- गोल्ड मानकों (Gold Standard) जो निश्चित विनिमय दरों द्वारा विश्व की अधिकांश मुद्राओं से संबंधित हैं, के कारण अमेरिका से शुरू इस मंदी का प्रभाव विश्व के अन्य देशों में भी फैल गया।
- इसके कारण विश्व के अधिकतर देशों में लोगों के सामने रोजगार का संकट तथा अपस्फीति (Deflation) एवं उत्पादन का संकुचन
- वर्ष 1929 से वर्ष 1933 के बीच अमेरिका में बेरोजगारी दर 3.2% से बढ़कर 24.9% हो गई। वहीं ब्रिटेन में यह वर्ष 1929 से वर्ष 1932 के बीच 7.2% से बढ़कर 15.4% हो गई।
- यूरोप में फासीवाद के उदय का प्रमुख कारण इस महामंदी के कारण उत्पन्न आर्थिक ठहराव को माना जाता है जिसके परिणामस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध हुआ।
- इस महामंदी का वैश्विक स्तर के वित्तीय संस्थानों एवं नीति निर्धारकों पर गहरा प्रभाव पड़ा परिणामत: गोल्ड मानकों को समाप्त कर दिया गया।

भारत पर प्रभाव:

- वैश्विक आर्थिक संकट के कारण कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट आई जो भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी और औपनिवेशिक नीति निर्माताओं द्वारा रुपये का अवमूल्यन न करने से एक गंभीर क्रेडिट संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो गई।
- वर्ष 1930 में भारत में फसल कटाई के दौरान इस महामंदी के प्रभाव दिखाई देने लगे जिसके तरंत बाद महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 के अप्रैल महीने में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था।
- देश के कई हिस्सों में 'नो रेंट' (No Rent) अभियान शुरू किये गए और बिहार एवं पूर्वी यूपी में किसान सभाएँ शुरू हुई।
- कृषि क्षेत्र में उत्पन्न इस अशांति ने कांग्रेस को ग्रामीण भारत में एक मजबत समर्थन का आधार प्रदान किया जिसकी पहँच अभी तक ग्रामीण भारत में नहीं थी।

पिंक सुपरमून Pink Supermoon

खगोलशास्त्रियों के अनुसार, इस वर्ष 7 अप्रैल को आकाश में पिंक सुपरमून (Pink Supermoon) घटना देखी जा सकेगी जो वर्ष 2020 की सबसे बड़ी एवं सबसे चमकदार पूर्णिमा होगी।

सपरमृन:

- नासा के अनुसार, एक सुपरमून तब होता है जब एक पूर्ण चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है।
- जब पूर्ण चंद्रमा पृथ्वी से निकटतम बिंदु पेरिजी (Perigee) पर दिखाई देता है तो यह एक नियमित पूर्णिमा की तुलना में अधिक उज्जवल एवं बड़ा होता है। जिसे 'सुपरमून' कहा जाता है।
 - ♦ पृथ्वी से सबसे दूर बिंदु को अपोजी (Apogee) कहा जाता है, यह पृथ्वी से लगभग 405,500 किलोमीटर दूर है। वहीं पेरिजी (Perigee) पृथ्वी से लगभग 363,300 किलोमीटर दूर है।
- इस वर्ष का पहला सुपरमून 9 मार्च को हुआ था और अंतिम 7 मई, 2020 को होगा।

पिंक सुपरमून:

- चंद्रमा मूल रूप से गुलाबी रंग का नहीं होता है। इसे पिंक सुपरमून नाम पिंक वाइल्डफ्लावर (Pink Wildflowers) से मिला है जो उत्तरी अमेरिका में वसंत ऋतु में खिलते हैं।
- इसे पास्कल मून (Paschal Moon) भी कहा जाता है क्योंकि ईसाई कैलेंडर में ईस्टर (Easter) के लिये तारीख की गणना करने में इसका उपयोग किया जाता है। पास्कल मून के बाद पहला रविवार ईस्टर रविवार है।

COVID-19 सामुदायिक गतिशीलता रिपोर्ट COVID-19 Community Mobility Report

हाल ही में गूगल ने लोगों एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों को COVID-19 से संबंधित सामाजिक दूरी प्रतिमानों की प्रतिक्रियाओं को समझने के उद्देश्य से 'COVID-19 सामुदायिक गतिशीलता रिपोर्ट (COVID-19 Community Mobility Report)' जारी की है।

मुख्य बिंदुः

- इस रिपोर्ट में 131 देशों को शामिल किया गया है। इन देशों के विभिन्न स्थानों जैसे-औषधालय, पार्क, कार्यस्थल, खुदरा विक्रेता केंद्रों इत्यादि में लोगों के आवागमन को आधार मानकर रिपोर्ट तैयार की गई है।
- यह रिपोर्ट विश्व में COVID-19 से निपटने हेतु सामाजिक दूरी (Social Distancing) को एक महत्त्वपूर्ण कार्रवाई के रूप दर्शाती है।
- इस रिपोर्ट को कंपनी के गोपनीय प्रोटोकॉल एवं नियमों के अनुसार तैयार किया गया है।

गूगल (Google):

• संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित गूगल एक सर्च इंजन कंपनी है जिसकी स्थापना वर्ष 1998 में सेर्जे ब्रिन (Sergey Brin) व लैरी पेज (Larry Page) ने की थी।

भारत के संदर्भ में:

- भारत में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू तथा उसके बाद 21 दिनों के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर भीड़-भाड़ वाले स्थलों जैसे- रेस्त्रां, पार्कों एवं कार्यस्थलों में लोगों का आवागमन अत्यंत कम हुआ है जबिक आवासीय क्षेत्रों में लोगों का आवागमन बढ़ गया है।
- इस रिपोर्ट के माध्यम से भारत सरकार को COVID-19 से निपटने हेतु आगे की रणनीतियों को बनाने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि इस रिपोर्ट में चीन एवं ईरान से संबंधित आँकड़ों को सम्मिलित नहीं किया गया है। इन देशों में गूगल सेवाएँ प्रतिबंध हैं।

साइटोकिन स्टॉर्म Cytokine Storm

हाल ही में नोवेल कोरोनवायरस के कारण होने वाले रोग COVID-19 से संक्रमित व्यक्तियों की जाँच में पता चला है कि इस संक्रमण से ग्रसित व्यक्तियों में साइटोकिन स्टॉर्म (Cytokine Storm) की संभावना सबसे अधिक है।

साइटोकिन स्टॉर्म (Cytokine Storm):

- एक साइटोकिन स्टॉर्म प्रतिरक्षी कोशिकाओं एवं उनके सिक्रय यौगिकों (साइटोकिन्स) का अति उत्पादन है जो फ्लू संक्रमण में अक्सर फेफडों में सक्रिय प्रतिरक्षी कोशिकाओं के बढने से संबंधित होता है।
- परिणामस्वरूप रोगी के फेफड़ों की सूजन एवं उसके फेफड़ों में द्रव बनने से श्वसन संकट उत्पन्न हो सकता है और वह एक सेकेंड्री बैक्टीरियल निमोनिया से ग्रसित हो सकता है। जिससे अक्सर रोगी की मृत्यू हो जाती है।

साइटोकिन स्टॉर्म के लक्षण:

- साइटोकिन स्टॉर्म किसी संक्रमण, ऑटो-इम्युन स्थिति या अन्य बीमारियों के कारण हो सकता है। इसके प्रारंभिक संकेतों एवं लक्षणों में तेज बुखार, शरीर में सूजन एवं लालिमा, गंभीर थकान एवं मितली (Nausea) आदि शामिल हैं।
- साइटोकिन स्टॉर्म कोरोनोवायरस संक्रमित रोगियों में कोई विशेष लक्षण नहीं हैं। यह एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है जो अन्य संक्रामक एवं गैर-संक्रामक रोगों के दौरान भी हो सकती है।

प्रतिरक्षा प्रणाली में साइटोकिन्स की भिमका:

- साइटोकिन्स प्रोटीन को संकेत देते हैं जो स्थानीय उच्च सांद्रता (Local High Concentrations) में कोशिकाओं द्वारा जारी किये जाते हैं। साइटोकिन स्टॉर्म या साइटोकिन स्टॉर्म सिंडोम में प्रतिरक्षा कोशिकाओं के अति उत्पादन संबंधी विशेषता होती है और इस प्रक्रिया में शिथिलता का कारण स्वयं साइटोकिन्स होते हैं।
- एक तीव्र प्रतिरक्षा अभिक्रिया (Severe Immune Reaction) जो रक्तप्रवाह में बहुत अधिक साइटोकिन्स के स्नाव के लिये अग्रणी होती है, हानिकारक हो सकती है क्योंकि प्रतिरक्षी कोशिकाओं की अधिकता स्वस्थ ऊतक पर भी हमला कर सकती है। साइटोकिन स्टॉर्म सिंड्रोम एक COVID-19 रोगी को कैसे प्रभावित करता है?
- किसी भी फ्लू संक्रमण के मामले में एक साइटोकिन स्टॉर्म फेफड़ों में सिक्रय प्रतिरक्षी कोशिकाओं की वृद्धि के साथ संबंधित होता है जो एंटीजन से लड़ने के बजाय, फेफड़ों की सूजन एवं द्रव निर्माण तथा श्वसन संकट की स्थिति उत्पन्न करता है।

साइटोकिन स्टॉर्म के पूर्व उदाहरण:

इसे वर्ष 1918-20 में 'स्पैनिश फ्लू' महामारी के दौरान रोगी की मृत्यु होने के संभावित प्रमुख कारणों में एक माना जाता है। इस महामारी से विश्व भर में 50 मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। और हाल के वर्षों में H1N1 'स्वाइन फ्लू' व H5N1 'बर्ड फ्लू' के मामलों में भी इसके लक्षण देखने को मिले थे।

'स्ट्रैंडेड इन इंडिया' पोर्टल 'Stranded in India' Portal

COVID-19 वैश्विक महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति में भारत के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की पहचान, सहायता एवं सुविधा के लिये भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय (Ministry of Tourism) ने 31 मार्च, 2020 को 'स्ट्रैंडेड इन इंडिया' पोर्टल ('Stranded in India' Portal) की शुरूआत की।

- इस पोर्टल के माध्यम से पर्यटकों को अपनी बुनियादी संपर्क जानकारी प्रदान करनी होगी तथा उनके द्वारा सामना किये जा रहे मुद्दों (यदि कोई हो तो) की प्रकृति को बताना होगा।
- इस पोर्टल के शुरू होने के शुरूआती 5 दिनों में देश भर में 769 विदेशी पर्यटकों ने इस पर पंजीकरण किया। प्रत्येक राज्य सरकार एवं केंद्रशासित प्रदेश ने ऐसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिये एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की है।
- केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के 5 क्षेत्रीय कार्यालय पोर्टल पर भेजे जाने वाले अनुरोधों के अनुरूप विदेशी पर्यटकों को आवश्यक सहायता पहुँचाने के लिये इन नोडल अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय कर रहे हैं।

ई-वे बिल E-way Bill

COVID-19 के मद्देनज़र राज्यों द्वारा अपने राज्यों की सीमाओं को बंद करने का निर्णय लेने के बाद देश भर में फंसे ट्रकों की स्थित को देखते हुए ट्रांसपोर्टरों ने एक्स्पायर्ड ई-वे बिल (E-way Bill) पर संभावित दंड को लेकर चिंता जताई है।

मुख्य बिंदुः

- लाकडाउन के कारण ट्रक ड्राइवरों के पास ट्रांजिट या गोदामों में माल के लिये ई-वे बिल की अविध समाप्त हो रही है और उन्हें नियत तारीख
 पर नवीनीकृत भी नहीं किया जा सकता है।
- अधिसूचित ई-वे बिल नियमों के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्त्ता को इन सामानों की आवाजाही के लिये ई-वे बिल पोर्टल पर पूर्व ऑनलाइन पंजीकरण की आवश्यकता होती है।
- ई-वे बिल से संबंधित नियम यह भी निर्दिष्ट करते हैं कि पारंपरिक खेप हेतु परिमट एक दिन के लिये (100 किमी. के लिये माल की आवाजाही हेतु) मान्य है और बाद के दिनों में उसी अनुपात में परिमट जारी किये जाते हैं।
 - कर अधिकारियों के पास कर चोरी की जाँच करने के लिये पारगमन के दौरान किसी भी समय ई-वे बिल की जाँच करने का अधिकार होता है।
- सामान्य तौर पर ई-वे बिल की वैधता को बढ़ाया नहीं जा सकता है किंतु एक आयुक्त केवल कुछ श्रेणियों के लिये अधिसूचना जारी करके
 वैधता अविध को बढ़ा सकता है।
 - यदि वैध ई-वे बिल निर्गमित िकये बिना माल ले जाया जाता है तो कर अधिकारी उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना या कर की राशि जो
 भी अधिक हो, लगा सकते है। ऐसी स्थिति में माल साथ उस वाहन को भी हिरासत में लिया जा सकता है।

ई-वे बिल:

- ई-वे बिल, जी.एस.टी. के तहत एक बिल प्रणाली है जो वस्तुओं के हस्तांतरण की स्थिति में जारी की जाती है। इसमें हस्तांतिरत की जाने वाली वस्तुओं का विवरण तथा उस पर लगने वाले जी.एस.टी. की पूरी जानकारी होती है।
- नियमानुसार 50000 रुपए से अधिक मूल्य की वस्तु, जिसका हस्तांतरण 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक किया जाना है, उस पर इसे आरोपित करना आवश्यक होता है। नागरिकों की सुविधा के लिये लिक्विड पेट्रोलियम गैस, खाद्य वस्तुओं, गहने इत्यादि 150 उत्पादों को इससे मुक्त रखा गया है।

समाधान Samadhan

07 अप्रैल, 2020 को भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resources Development) ने COVID-19 एवं भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिये समाधान (Samadhan) चैलेंज की शुरुआत की।

उद्देश्य:

- इस ऑनलाइन चैलेंज का उद्देश्य छात्र छात्राओं में नए प्रयोगों एवं नई खोज करने की क्षमता को परखना तथा उस प्रयोग या खोज का परीक्षण करने के लिये एक मज़बूत मंच उपलब्ध कराना है।
 शामिल संस्थान:
- इस ऑनलाइन चैलेंज में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का इनोवेशन सेल एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (All India Council for Technical Education-AICTE) तथा फोर्ज (Forge) इनक्यूबेटर एवं इनोवेशियोक्युरिस (InnovatioCuris) जैसे स्टार्ट अप शामिल हैं।

मुख्य बिंदुः

• इस चैलेंज में भाग लेने वाले छात्र-छात्राएँ ऐसे उपायों की खोज करेंगे जिससे सरकारी एजेंसियों, स्वास्थ्य सेवाओं, अस्पतालों एवं अन्य सेवाओं को असमय आई चुनौतियों का त्विरत समाधान उपलब्ध करवाया जा सके।

- इसके अलावा इस ऑनलाइन चैलेंज के द्वारा नागरिकों को जागरूक करने, उन्हें प्रेरित करने, किसी भी संकट को रोकने एवं लोगों को आजीविका प्राप्त करने हेतु मदद करने का काम भी किया जाएगा।
- इस कार्यक्रम की सफलता इसमें भाग लेने वाले प्रतियोगियों के विचारों पर निर्भर करती है जो तकनीकी एवं व्यावसायिक रूप से ऐसे समाधान निकालें जो कोरोनावायरस जैसी महामारी से निपटने में सक्षम हो।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद Indian Council for Cultural Relations

9 अप्रैल, 2020 को 'भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद' (Indian Council for Cultural Relations- ICCR) अपना 70वाँ स्थापना दिवस मनाया।

मख्य बिंद:

- COVID-19 के मद्देनज़र इस अवसर पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अधिकतर कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किये गए।
- विश्व के विभिन्न देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जैसे-
 - ◆ जकार्ता (इंडोनेशिया) स्थित ICCR केंद्र तबला शिक्षकों की मदद से तबला की ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कर रहा है।
 - सियोल, कोलंबो, तेहरान, ताशकंद, मैक्सिको, द हेग, जकार्ता एवं सिडनी में स्थित ICCR केंद्रों द्वारा ऑनलाइन योग कक्षाएँ भी संचालित की जा रही हैं।
 - ◆ मास्को (रूस) में भारतीय महाकाव्यों एवं पौराणिक कथाओं से परिचय कराने के लिये अमर चित्र कथा (Amar Chitra Katha) पुस्तकों का उपयोग किया जा रहा है।
 - दार-ए-सलाम (तंजानिया) में आभासी प्लेटफार्मों का उपयोग करके सूर्य नमस्कार कक्षाएँ भी संचालित की गयी।
- वर्तमान में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद विश्व भर में 36 सांस्कृतिक केंद्रों का संचालन कर रही है।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (Indian Council for Cultural Relations- ICCR):

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) की स्थापना 9 अप्रैल, 1950 को स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी।

उद्देश्य:

- भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-
 - ♦ भारत के अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों के निर्माण तथा कार्यान्वयन में सिक्रय रूप से भाग लेना ।
 - भारत एवं अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों तथा आपसी समझ को बढ़ावा देना।
 - विभिन्न देशों एवं नागरिकों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढावा देना।
- भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद सांस्कृतिक कूटनीति के माध्यम से भारत की विदेश नीति को एक सुदृढ़ आधार प्रदान करती है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

मधुबन Madhuban

गुजरात के जूनागढ़ ज़िले के एक किसान-वैज्ञानिक वल्लभभाई वसरमभाई मरवानिया (Vallabhhai Vasrambhai Marvaniya) ने गाजर की एक जैव-सशक्त किस्म 'मधुबन' (Madhuban) को विकसित किया है जिसमें बीटा कैरोटीन (β-carotene) एवं लौह तत्व की उच्च मात्रा मौजूद है।

- मधुबन उच्च पौष्टिकता वाली गाजर की एक किस्म है जिसमें बीटा-कैरोटीन (277.75 मिलिग्राम प्रति किलो) तथा लौह तत्व (276.7 मिलीग्राम प्रति किलो) मौजूद हैं।
- भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान 'नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन' (National Innovation Foundation) ने वर्ष 2016-17 के दौरान जयपुर स्थित राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान (Rajasthan Agricultural Research Institute- RARI) में मधुबन गाजर का सत्यापन परीक्षण किया था। जिसमें पाया गया था कि मधुबन गाजर की उपज 74.2 टन प्रति हेक्टेयर है और पौधे का बायोमास 275 ग्राम प्रति पौधा है।

उपज प्रति हेक्टेअर:

- जूनागढ़ जिले के 200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में इसकी खेती की गई है। जहाँ इसकी औसत पैदावार 40-50 टन प्रति हेक्टेयर है। स्थानीय किसानों के लिये यह किस्म आय का प्रमुख स्रोत बन गई है।
- पिछले 3 वर्षों के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के लगभग 1000 हेक्टेयर में मधुबन गाजर की खेती की जा रही है।

उपयोग:

• इसका उपयोग विभिन्न मूल्य वर्द्धित उत्पादों जैसे- गाजर चिप्स, जूस एवं अचार आदि के लिये भी किया जा सकता है। गौरतलब है कि भारत के राष्ट्रपति ने फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन (Festival of Innovation- FOIN)- 2017 कार्यक्रम में वल्लभभाई वसरमभाई मरवानिया को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। वहीं उनके इस असाधारण कार्य के लिये वर्ष 2019 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।

केंद्रीय भंडार Kendriya Bhandar

COVID-19 के कारण लागू किये गए राष्ट्रव्यापी लाकडाउन के मद्देनजर केंद्रीय भंडार (Kendriya Bhandar) ने 8 अप्रैल, 2020 को जरूरतमंद परिवारों की मदद करने के लिये 'आवश्यक किट्स' (Essentials Kits) पहुँचाने की अनुठी पहल शुरू की है।

मुख्य बिंदुः

- वर्तमान में केंद्रीय भंडार द्वारा दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों के लिये 2200 आवश्यक किट्स (Essentials Kits) सौंपी गई हैं।
- प्रत्येक िकट में 9 वस्तुएँ (3 किलोग्राम चावल, 3 किलोग्राम गेहूँ आटा, 2 किलोग्राम दाल, 1 लीटर खाद्य तेल, 500 ग्राम पोहा, 1 किलोग्राम नमक, साबुन, 3 पैकेट बिस्कुट) शामिल हैं।

केंद्रीय भंडार (Kendriya Bhandar):

• केंद्रीय भंडार (KENDRIYA BHANDAR) के नाम से संचालित केंद्र सरकार के कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी लिमिटेड (Central Government Employees Consumer Cooperative Society Ltd.) को वर्ष 1963 में एक कल्याणकारी परियोजना के रूप में स्थापित किया गया था।

उद्देश्य:

- केंद्रीय भंडार केंद्र सरकार के कर्मचारियों एवं आम जनता की सेवा करने के उद्देश्य से उचित मूल्यों पर दैनिक आवश्यकताओं की गुणवत्तापूर्ण वस्तुएँ उपलब्ध कराने तथा अपने खुदरा दुकानों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रभावी भूमिका निभाने का कार्य कर रहा है। केंद्रीय भंडार नेटवर्क:
- केंद्रीय भंडार दिल्ली, महाराष्ट्र, तिमलनाडु, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल, दमन, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एवं चंडीगढ़ में 114 स्टोर का नेटवर्क संचालित कर रहा है।

गौरतलब है कि केंद्रीय भंडार (Kendriya Bhandar) भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (Union Ministry of Personnel, Public Grievances, Pensions) के तहत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel and Training- DoPT) के अंतर्गत आता है।

ग्रेट बैरियर रीफ Great Barrier Reef

मार्च, 2020 में आस्ट्रेलिया की जेम्स कुक यूनिवर्सिटी (James Cook University) द्वारा किये गए एक व्यापक सर्वेक्षण में पाया गया कि समुद्री तापमान बढ़ने से केवल पाँच वर्षों में 2,300 किलोमीटर के ग्रेट बैरियर रीफ (Great Barrier Reef) को तीसरे बड़े प्रवाल विरंजन (Coral Bleaching) का सामना करना पड़ा है।

मुख्य बिंदुः

- सर्वेक्षण में बताया गया है कि पहली बार ग्रेट बैरियर रीफ के सभी तीनों क्षेत्रों- उत्तरी, मध्य और अब दक्षिणी क्षेत्रों के बड़े हिस्से में भी व्यापक प्रवाल विरंजन हुआ है।
- वर्ष 1998 में पहली बार ग्रेट बैरियर रीफ में प्रवाल विरंजन की घटना को देखा गया था तब से तापमान में वृद्धि जारी है जिससे प्रवाल को ठीक होने के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं मिली।
- पहली बार वर्ष 2016 में ग्रेट बैरियर रीफ के उत्तरी क्षेत्र में व्यापक प्रवाल विरंजन हुआ था वहीं वर्ष 2017 में तापमान में वृद्धि के कारण इसके मध्य क्षेत्र में व्यापक प्रवाल विरंजन की घटना दर्ज की गई। इस वर्ष प्रवाल विरंजन की यह विस्तार प्रक्रिया इसके दक्षिणी क्षेत्र में फैल
- ग्रेट बैरियर रीफ में प्रवाल विरंजन की क्षति फरवरी महीने में सबसे अधिक हुई जब मासिक समुद्री तापमान उच्चतम स्तर पर होता है।

ग्रेट बैरियर रीफ (Great Barrier Reef):

- ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी एवं प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति है।
- यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर-पूर्वी तट में मरीन पार्क के समानांतर 1400 मील तक फैली हुई है।
- इसे वर्ष 1981 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था।
- गौरतलब है कि ग्रेट बैरियर रीफ के कारण ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था को पर्यटन राजस्व से प्रति वर्ष लगभग 4 बिलियन डॉलर का लाभ प्राप्त होता है।

आर्मीवार्म Armyworm

COVID-19 के मद्देनजर असम राज्य के धेमाजी (Dhemaji) जिले में आर्मीवार्म (Armyworm) के कारण ग्रीष्मकालीन धान की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

- राष्ट्रव्यापी लाकडाउन के कारण असम के धेमाजी जिले के जिन क्षेत्रों में फसल की कटाई नहीं हो पाई थी वहाँ आर्मीवार्म कैटरपिलर (Armyworm Caterpillar) के हमले से फसल को नुकसान हुआ है।
- कीट-पतंगों की कई प्रजातियों के लार्वल स्टेज (Larval Stage) वाले आर्मीवार्म कैटरिपलर में तीव्र भूख होती है, कीटविज्ञानशास्त्री (Entomologists) बताते हैं कि यह कैटरपिलर पौधों की 80 से अधिक प्रजातियों को खाता है।
- कृषि वैज्ञानिक मानते हैं कि इस कैटरिपलर हमले के पीछे मौसम भी एक कारक है क्योंकि मानसून पूर्व की बारिश ने असम में कृषि के लिये विपरीत स्थिति उत्पन्न कर दी है। वहीं असम में अभी तापमान काफी अधिक है और वर्षा न होने पर आर्मीवार्म कीट फसलों को अधिक नुकसान पहुँचा सकते हैं।

आर्मीवार्म (Armyworm):

- आर्मीवार्म धान की फसल को नुकसान पहुँचाने वाले कैटरिपलर हैं। इसकी कम-से-कम तीन प्रजातियाँ हैं जो एशिया महाद्वीप में धान की फसल को नुकसान पहुँचाती हैं। ये निम्नलिखित हैं-
 - ♦ राइस स्वार्मिंग कैटरपिलर (Rice Swarming Caterpillar)
 - ♦ कॉमन कटवार्म (Common Cutworm)
 - ♦ राइस ईयर-कटिंग कैटरपिलर (Rice Ear-cutting Caterpillar)
- आर्मीवॉर्म धान के पौधे के आधार (जड़ के पास) पर पत्तियों एवं नई रोपी गई फसल को काटकर खाता है।
- भारी वर्षा के बाद सूखे की अविध आर्मीवॉर्म के विकास के लिये अनुकूल पिरिस्थितियाँ उत्पन्न करती है।
- सूखे खेतों में आर्मीवॉर्म मिट्टी या चावल के पौधों के आधार में पाए जा सकते हैं।

कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य Koundinya Wildlife Sanctuary

09 अप्रैल, 2020 को आंध्रप्रदेश के गंगावरम मंडल में स्थित कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य (Koundinya Wildlife Sanctuary) में एक जंगली हाथी को बचाया गया।

कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य के बारे में:

- भारत के आंध्रप्रदेश राज्य में स्थित कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य एक वन्यजीव अभयारण्यएवं एक हाथी अभयारण्य भी है।
- यह एशियाई हाथियों की आबादी वाला आंध्र प्रदेश का एकमात्र अभयारण्य है। हाथियों को पुनर्स्थापित करने के लिये इस अभयारण्य को वर्ष 1990 में स्थापित किया गया था जो प्रतिकृल परिस्थितियों के कारण 200 वर्ष पहले इस स्थान से पलायन कर गए थे।
- इस अभयारण्य में पलार नदी (Palar River) की दो सहायक नदियाँ कैंडिन्या (Kaindinya) और कैंगल (Kaigal) बहती हैं।

पलार नदी (Palar River):

- पलार दक्षिण भारत की एक नदी है जिसका उद्गम कर्नाटक राज्य के चिक्काबल्लापुरा (Chikkaballapura) जिले में नंदी पहाड़ियों से होता है।
- बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले यह नदी दक्षिण भारत के तीन राज्यों कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तिमलनाडु से होकर प्रवाहित होती है।
- इस अभयारण्य में दो जलप्रपात कल्याण रेवु जलप्रपात (जिसे कल्याण ड्राइव जलप्रपात भी कहा जाता है) और कैगल जलप्रपात भी स्थित हैं।
- इस अभयारण्य में कटीली झाड़ियों के साथ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन (Dry Deciduous Forests) पाये जाते हैं।
 - ♦ इन वनों में कुछ महत्त्वपूर्ण वनस्पतियों के अंतर्गत अल्बिजिया अमारा (Albizia Amara), अकेसिया (Acacia), लगेरस्ट्रोमिया (Lagerstroemia), फिकस (Ficus), बाँस एवं संतालुम एल्बम (Santalum album) आते हैं।
 - ◆ यहाँ पाए जाने वाले कुछ जीव-जंतुओं में एशियाई हाथी, यलो थ्रोटेड बुलबुल (Yellow-throated Bulbul), स्लोथ बियर,
 पैंथर, चीतल, सांभर, जंगली बिल्ली, सियार, लोरिस आदि पाए जाते हैं।

दूरस्थ रोगी स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली Remote Patient Health Monitoring System

COVID-19 संक्रमण के गंभीर मामलों से निपटने के लिये भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (Bharat Electronics Ltd.) और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (All India Institute of Medical Sciences) द्वारा एक दूरस्थ रोगी स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली (Remote Patient Health Monitoring System) का विकास किया है।

- इस प्रणाली को COVID-19 संक्रमित व्यक्ति के घरों या अस्पतालों में स्थापित किया जा सकता है जिससे स्वास्थ्य देखभाल करने वाले कर्मचारियों को संक्रमित होने से बचाया जा सके।
- इस प्रणाली के विकास से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (Personal Protective Equipment) और लाजिस्टिक्स की बढ़ती मांग में कमी आयेगी।
- इस प्रणाली में ऐसे नान- इनवेसिव सेंसर का प्रयोग किया गया है जो COVID-19 संक्रमित व्यक्ति की पहचान करने में सक्षम हैं। जिसके
 तहत ये व्यक्ति के तापमान, पल्स रेट, SPO2 या संतृप्त ऑक्सीजन स्तर तथा श्वसन दर की जाँच करते हैं।
- भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) द्वारा प्रदान किये गए इनपुट के आधार पर इस प्रणाली का विकास प्रूफ ऑफ कांसेप्ट (Proof of Concept) माडल के तहत किया गया हैं।

इस प्रणाली की क्रिया विधि:

- लोगों में COVID-19 के लक्षण दिखने के बाद ऋषिकेश स्थित एम्स में भर्ती होने के लिये एक मोबाइल एप और वेब ब्राउज्जर विकसित किया गया है। एम्स रोगी के लक्षणों का अध्ययन करेगा और चिकित्सीय विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन के आधार पर महत्त्वपूर्ण मापदंडों के साथ आविधक निगरानी के लिये एक स्वास्थ्य निगरानी किट रोगी को सौंपी जाएगी।
- रोगी के मोबाइल फोन या इंटीग्रल जीएसएम सिम कार्ड का उपयोग करके रोगी की अवस्थिति के साथ उसके स्वास्थ्य मापदंडों को नियमित रूप से क्लाउड स्टोरेज पर एक केंद्रीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (command & control centre- CCC) पर अपलोड किया जाता है।
- यदि रोगी में संक्रमण फैलने के मापदंड एक निश्चित सीमा से अधिक है तो डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर चिकित्सा अधिकारियों एवं स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों को संदेश के रूप में सतर्क करेगा।
- यह विभिन्न रंग के कोड के माध्यम से रोगी की गंभीरता की स्थित को भी दर्ज करेगा।
- कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर की मदद से राज्य में COVID-19 के संदिग्ध व्यक्तियों या संक्रमित व्यक्तियों के भु-वितरण का रेखांकन भी किया जा सकेगा।

चित्रा एक्रीलोसोर्ब सेक्रेशन सालिडिफिकेशन सिस्टम Chitra Acrylosorb Secretion Solidification System

हाल ही में श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी (Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology- SCTIMST) के वैज्ञानिकों ने संक्रमित श्वसन स्रावों के सुरक्षित प्रबंधन तथा शरीर के अन्य द्रवों को ठोस में बदलने एवं उनका कीटाणुशोधन करने के लिये एक अत्यधिक कुशल सुपर एब्सॉरबेंट (Superabsorbent) सामग्री विकसित की है।

- एक्रिलोसोर्ब शुष्क वजन की तुलना में कम-से-कम 20 गुना अधिक वजन वाले तरल पदार्थ को अवशोषित कर सकता है और इसमें स्व-स्थानीय विसंक्रमण के लिये एक विसंदूषण (Decontamination) भी होता है।
- तरल पदार्थ के छलकाव से बचने के लिये इस सामग्री से भरे कंटेनर दूषित तरल पदार्थ को ठोस में बदल कर उसे स्थिर करेंगे जिससे संक्रमित/
 दूषित तरल पदार्थ को फैलने से रोका जा सकेगा और इसको कीटाणुरहित भी किया जा सकेगा।
- ठोस रूप में परिवर्तित होने के बाद इसे भस्मीकरण द्वारा अन्य बायोमेडिकल अपशिष्ट की तरह ही विघटित किया जा सकता है। जिससे अस्पतालों में कर्मचारियों के लिये संक्रमण के जोखिम को कम किया जा सकता है।
- एक विकसित प्रणाली के तहत सक्शन कैनिस्टर्स (Suction Canisters), डिस्पोज़ेबल स्पिट बैग्स (Disposable Spit Bags) की डिजाइन 'एक्रीलोसोर्ब प्रौद्योगिकी' द्वारा किया गया है। जिनके अंदर एक्रीलोसोर्ब सामग्री भरी हुई है।

- एक्रीलोसौर्ब सक्शन कनस्तर आईसीयू रोगियों या वार्डों में उपचारित प्रचुर तरल श्वसन स्त्राव पदार्थ का संग्रह करेगा।
- यह कंटेनर स्पिल-प्रूफ होगा और इसे बायोमेडिकल अपशिष्टों की तरह सामान्य भस्मीकरण प्रणाली के जरिये निपटान के लिये सुरक्षित एवं अनुकूल बनाते हुए उपयोग के बाद सील किया जा सकता है।

श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी (SCTIMST):

 श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी (SCTIMST) भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology- DST) के तहत एक स्वायत्तशासी संस्थान है।

गौरतलब है कि COVID-19 रोगियों से संक्रमित स्नावों का निपटान प्रत्येक अस्पताल के लिये एक बड़ी चुनौती है। ऐसे अपशिष्टों का संग्रहण एवं निपटान सफाई कर्मचारियों को बहुत अधिक जोखिम में डाल देता है। जिससे संक्रमण फैलने का खतरा अधिक रहता है।

स्वच्छता-एमओएचयूए एप Swachhata-MoHUA App

9 अप्रैल, 2020 को केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs) ने COVID-19 संकट से निपटने के लिये मौजूदा स्वच्छता-एमओएचयूए एप (Swachhata-MoHUA App) के संशोधित संस्करण को लॉन्च करने की घोषणा की।

मुख्य बिंदुः

- पहले से ही स्वच्छता-एमओएचयूए एप का प्रयोग स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत एक शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म के रूप में किया जा रहा है जिसके देश भर में 1.7 करोड़ से अधिक शहरी उपयोगकर्त्ता हैं।
 - ◆ नागरिकों को उनके संबंधित शहरी स्थानीय निकाय (Urban Local Bodies- ULBs) द्वारा अपनी COVID-19 संबंधित शिकायतों का निवारण करने में सक्षम बनाने के लिये इस एप को संशोधित एवं मजबूत किया गया है।
- हालाँकि इस एप में COVID-19 से संबंधित नई श्रेणियों के जोड़ने से एप की मौजूदा श्रेणियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अत: नागरिक किसी भी श्रेणी में अपनी शिकायतें प्रेषित कर सकते हैं।
- इस एप के संशोधित संस्करण में निम्नलिखित नौ अतिरिक्त श्रेणियों को शामिल किया गया है।
 - ◆ COVID-19 के दौरान फॉगिंग/स्वच्छता के लिये अनुरोध।
 - ◆ COVID-19 के दौरान क्वारंटाइन का उल्लंघन।
 - ♦ COVID-19 के दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन।
 - ◆ COVID-19 के संदिग्ध मामले की रिपोर्ट करें।
 - ◆ COVID-19 के दौरान भोजन का अनुरोध करें।
 - ♦ COVID-19 के दौरान आश्रय का अनुरोध करें।
 - ♦ COVID-19 के दौरान चिकित्सा सुविधा का अनुरोध करें।
 - ◆ COVID-19 रोगी परिवहन के लिये सहायता का अनुरोध करें।
 - ♦ क्वारंटाइन क्षेत्र से अपशिष्ट उठाने का अनुरोध करें।
- स्वछता एप एक प्रभावी डिजिटल टूल के रूप में कार्य करता है जो नागरिकों को अपने शहरों की स्वच्छता में सिक्रय भूमिका निभाने तथा शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies- ULBs) की जवाबदेही तय करने में सक्षम बनाता है।

गौरतलब है कि घर, समाज एवं देश में स्वच्छता को जीवनशैली का अंग बनाने के लिये स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्तूबर, 2014 में की गई थी। इस अभियान में दो उप-अभियान शामिल हैं- स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) तथा स्वच्छ भारत अभियान (शहरी)। इस अभियान में जहाँ ग्रामीण इलाकों के लिये 'पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय' व 'ग्रामीण विकास मंत्रालय' जुड़े हुए हैं, वहीं शहरों के लिये शहरी विकास मंत्रालय जिम्मेदार है।

भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान Bharat Padhe Online Campaign

10 अप्रैल, 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Union Ministry of Human Resource Development) ने भारत के ऑनलाइन शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार हेतु लोगों के विचार जानने के उद्देश्य से एक सप्ताह तक चलने वाला भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान (Bharat Padhe Online Campaign) शुरू किया है।

उद्देश्य:

 इस अभियान का उद्देश्य भारत के सर्वश्रेष्ठ युवा बौद्धिक वर्ग को आमंत्रित करना है तािक ऑनलाइन शिक्षा की बाधाओं को दूर करते हुए उपलब्ध डिजिटल शिक्षा प्लेटफार्मों को बढ़ावा देकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ सुझाव/समाधान साझा किये जा सकें एवं उपलब्ध डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्मों को बढावा दिया जा सके।

मुख्य बिंदुः

- इस अभियान में छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है।
- जो छात्र वर्तमान में स्कूलों या उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे हैं वे विभिन्न पाठ्यक्रमों में मौजूदा डिजिटल प्लेटफार्मों से दैनिक आधार पर जुड़े हुए हैं। वे इस अभियान से जुड़कर मौजूदा ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म में क्या कमी है और इसे कैसे अधिक आकर्षक बनाया जा सकता हैं, से संबंधित सुझावों को भेज सकते हैं।
- इस अभियान के माध्यम से देश भर के शिक्षक भी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता एवं अनुभव के साथ योगदान देने के लिये आगे आ सकते हैं।

नेबरिंग राइट्स लॉ Neighbouring Rights Law

हाल ही में फ्राँस के प्रतिस्पर्द्धा नियामक (Competition Regulator) ने 'नेबरिंग राइट्स लॉ' (Neighbouring Rights Law) के तहत कहा है कि गूगल (Google) कंपनी को अपनी कंटेंट सामग्री प्रदर्शित करने के लिये मीडिया समूहों को भुगतान करना शुरू करना चाहिये, जिससे यूरोप के नए डिजिटल कॉपीराइट कानून के अनुपालन के लिये महीनों तक मना करने के बाद बातचीत शुरू करने का आदेश दिया जा सके।

मुख्य बिंदुः

- गूगल कंपनी ने यह कहते हुए अनुपालन करने से इनकार कर दिया कि सर्च परिणामों में लेख, चित्र एवं वीडियो तभी दिखाए जाएंगे जब मीडिया समूह तकनीकी दिग्गजों को बिना किसी शुल्क के उनका उपयोग करने की सहमित दें। यदि वे मना करते है तो एक शीर्षक एवं सामग्री के लिये केवल एक अनावृत लिंक दिखाई देगा।
- गूगल की प्रमुख स्थिति इंटरनेट वेबसाइटों पर महत्वपूर्ण ट्रैफिक लाने की है जो प्रकाशकों एवं समाचार एजेंसियों के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण एवं निर्णायक होता है क्योंकि वे अपनी आर्थिक कठिनाइयों के कारण अपने डिजिटल पाठकों को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं।

नेबरिंग राइट्स लॉ (Neighbouring Rights Law):

- 'नेबरिंग राइट्स लॉ' यूरोप के नए डिजिटल कॉपीराइट कानून में उल्लिखित है। यह समाचार प्रकाशकों को यह सुनिश्चित करने के लिये
 बनाया गया है कि जब वेबसाइटों, सर्च इंजन एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके काम को दिखाया जाए तो उन्हें मुआवजा दिया जायेगा।
- 'नेबरिंग राइट्स लॉ' 24 जुलाई, 2019 को लागू हुआ था जिसका उद्देश्य प्रेस प्रकाशकों एवं समाचार एजेंसियों के पक्ष में पुनर्भुगतान हेतु मूल्य के बँटवारे को फिर से परिभाषित करने के लिये प्रकाशकों, समाचार एजेंसियों एवं डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच संतुलित वार्ता हेतु शर्तों को निर्धारित करना है।

गौरतलब है कि नवंबर, 2019 में फ्राँस में कई प्रेस प्रकाशक यूनियनों एवं समाचार एजेंसी एगेंस फ्राँस-प्रेस (Agence France-Presse) द्वारा गूगल के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन मामले में शिकायत दर्ज कराई गई थी।

नाड़ी NAADI

COVID-19 से संक्रमित व्यक्तियों या देश भर में लोगों की आवाजाही पर नज़र रखने के कार्य को आसान बनाने के लिये सी-डैक (C-DAC) ने एक डेटा विज्ञान आधारित उपकरण नाड़ी (NAADI) तैयार किया है।

मुख्य बिंदुः

- नाड़ी (NAADI) का पूर्ण रूप National Analytical Platform for Dealing with Intelligent Tracing, Tracking and Containment है।
- यह उपकरण देश भर में COVID -19 रोगियों या क्वारंटाइन लोगों के आवागमन को ट्रैक करने में मदद करेगा।
- इस उपकरण द्वारा उत्पन्न जानकारी एक मीटर तक सटीक होगी जो चिकित्सा पेशेवरों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों एवं डेटा वैज्ञानिकों के लिये सहायक होगी।

NAADI में प्रयोग की गई तकनीक:

• C-DAC द्वारा विकसित किये गए इस उपकरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुपर कंप्यूटर (Supercomputer using Artificial Intelligence), मशीन लर्निंग (Machine Learning), हेल्थकेयर एनालिटिक्स आधारित रिसर्च (Healthcare Analytics based Research) अर्थात् COVID-19 (SAMHAR) का प्रयोग किया गया है।

SAMHAR परियोजनाः

- भारत सरकार की SAMHAR परियोजना राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (National Supercomputing Mission) के साथ साझेदारी में संचालित की जा रही है।
- इसकी शुरुआत COVID-19 से निपटने हेतु स्टार्टअप्स एवं उद्योगों के सहयोग से एक तीव्र सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम एवं अनुसंधान समुदाय के निर्माण के उद्देश्य से की गई थी।

सेंटर फॉर डवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग

(Centre for Development of Advanced Computing: C-DAC)

- सी-डैक (C-DAC) सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) के अंतर्गत एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसायटी है।
- वर्ष 2003 में नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ER&DCI इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (तिरुवनंतपुरम) तथा भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी केंद्र (Centre for Electronics Design and Technology of India- CEDTI) का सी-डैक (C-DAC) में विलय कर दिया गया था।
- भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर, परम-8000 वर्ष 1991 में C-DAC द्वारा ही बनाया गया था

मेरु जात्रा Meru Jatra

COVID-19 के मद्देनजर जारी राष्ट्रव्यापी लाकडाउन के कारण ओडिशा के गंजम जिला प्रशासन ने 13 अप्रैल, 2020 को महाविशूब संक्रांति (Mahavishub Sankranti) के अवसर पर मंदिरों में मेरु जात्रा (Meru Jatra) उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया।

मुख्य बिंदुः

• मेरु जात्रा 21 दिन तक चलने वाली तपस्या के अंत का प्रतीक है जिसे 'दंड नाता' (Danda Nata) के नाम से जाना जाता है।

दंड नाता (Danda Nata) उत्सवः

• यह 21 दिनों तक चलने वाला एक मौसमी लोक नृत्य उत्सव है जो दक्षिणी ओडिशा में 'चैत्र' महीने में मनाया जाता है।

- जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है 'दंड' एक प्रकार की स्व-पीड़ा है, जिसे दांडू (त्योहार में भाग लेने वाले लोग) देवी काली को अपनी श्रद्धांजिल देने के लिये करते हैं। यह भगवान शिव एवं देवी पार्वती की पूजा करने का भी एक रूप है।
- इस उत्सव के अवसर पर लोग गर्मियों की दोपहर में धूल तथा शाम को तालाब में नृत्य करते हैं। इसके अलावा मध्यरात्रि में 'दांडू' लोग आग पर चलते हैं।
- इस त्योहार की उत्पत्ति ओडिशा में बौद्ध धर्म के पतन के बाद 8वीं से 9वीं ईस्वी के बीच मानी जाती है।
- ओडिशा प्रशासन ने मार्च, 2020 में ही 'दंड नाता' पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंिक मंदिर के चारों ओर घूमने वाली मंडली COVID-19
 से संक्रमित हो सकती थी। जिससे अन्य लोगों में भी संक्रमण फैल सकता था।
- महाविशूब संक्रांति को ओडिया नव वर्ष की शुरुआत के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन ओडिशा के तारा तारिणी पहाड़ी मंदिर (Tara Tarini Hill Shrine) एवं अन्य मंदिरों में विशाल उत्सव का आयोजन होता है।
- महाविशूब संक्रांति को पाना संक्रांति के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत में बौद्धों एवं हिंदुओं का पारंपरिक नववर्ष उत्सव है।
 - ♦ इस उत्सव की तारीख लुनिसोलर (lunisolar) कैलेंडर के सौर चक्र से निर्धारित की जाती है जो मेष (Mesha) के पारंपरिक सौर मास के पहले दिन के रूप में होता है। यह चंद्र मास बैसाख की पूर्णिमांता प्रणाली (Purnimanta System) के समान है।
- महाविशूब संक्रांति हिंदुओं द्वारा वैशाखी (उत्तर एवं मध्य भारत), बोहाग बिहू (असम एवं पूर्वोत्तर भारत), पोहेला बोइशाख (पश्चिम बंगाल), विशु (केरल) एवं पुथंडु (तिमलनाडु) जैसे अन्य स्थानों पर मनाए जाने वाले नये वर्ष के त्योहारों के समान है।

पट्टचित्र Pattachitra

COVID-19 के कारण ओडिशा के रघुराजपुर गाँव में पट्टचित्र (Pattachitra) चित्रकारी पर आधारित लोगों की आजीविका को नुकसान हो रहा है।

- चित्रकला की पट्टचित्र शैली ओडिशा के सबसे पुराने एवं लोकप्रिय कला रूपों में से एक है।
- पट्टिचत्र का नाम संस्कृत शब्दों 'पट्ट' (कैनवास/कपड़ा) और 'चित्र' (चित्रण करना) से लिया गया है। पट्टिचत्र कैनवास पर की जाने वाली एक ऐसी चित्रकला है जिसमें समृद्ध रंगों का प्रयोग, रचनात्मक रूपांकन और डिजाइनों तथा सरल विषयों का चित्रण किया जाता है। इस चित्रकला में शामिल कुछ प्रमुख विषय:
- इस कला के माध्यम से प्रस्तुत कुछ लोकप्रिय विषय हैं- थिया बिधया जगन्नाथ मंदिर का चित्रण; कृष्ण लीला भगवान कृष्ण के रूप में जगन्नाथ का एक बच्चे के रूप में अपनी शक्तियों का प्रदर्शन; दासबतारा पट्टी - भगवान विष्णु के दस अवतार; पंचमुखी - भगवान गणेश का पाँच मुख वाले देवता के रूप में चित्रण।
- पट्टिचत्र को कपड़े पर चित्रित करते समय कैनवास को पारंपिरक तरीके से तैयार किया जाता है। इसके आधार (बेस) को नरम, सफेद, चाक पाउडर और इमली के बीज से बने गोंद के साथ लेपन करके तैयार किया जाता है।
- इस चित्रकला में सबसे पहले पेंटिंग के किनारे को तैयार किया जाता है फिर हल्के लाल एवं पीले रंग का उपयोग करके स्केच बनाया जाता है। इसमें आमतौर पर सफेद, लाल, पीले और काले रंग इस्तेमाल किये जाते हैं।
- पेंटिंग को जलप्रतिरोधी, टिकाऊ एवं चमकदार बनाने के लिये इसे चारकोल की जलती आग के ऊपर रखा जाता है और सतह पर लाह/लाख (lacquer) लगाया जाता है।
- ओडिशा और पश्चिम बंगाल की पट्टिचित्र चित्रकारी में अधिक अंतर होने के कारण इन्हें अलग-अलग भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication) प्रदान किया गया है। ओडिशा के पट्टिचित्र को उड़ीसा पट्टिचित्र (Orissa Pattachitra) के रूप में पंजीकृत किया गया है। जबिक पश्चिम बंगाल के पट्टिचित्र को बंगाल पट्टिचित्र (Bengal Patachitra) के रूप में पंजीकृत किया गया है।

यानोमामी जनजाति Yanomami Tribe

हाल ही में COVID-19 से ब्राजील की यानोमामी जनजाति (Yanomami Tribe) के एक 15 वर्षीय लड़के की मौत हो जाने के कारण इस जनजाति में COVID-19 संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ गई है।

मुख्य बिंदुः

- ब्राजील 300 से अधिक नृजातीय समूहों के अनुमानित 8,00,000 जनजाति लोगों का निवास स्थान है। जिनमें यानोमामी जनजाति की संख्या
 27,000 के आसपास है।
- यानोमामी जिसे योनामोमो या यानोमामा भी कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका के वेनेज़ुएला एवं ब्राज़ील की सीमा पर अमेज़न वर्षावन में निवास करते हैं।
- यानोमामी जनजाति अपने परिवारों के साथ गाँवों में निवास करते हैं। इनके गाँवों का आकार भिन्न-भिन्न होता है किंतु आमतौर पर इन गाँवों में 50 से 400 लोग होते हैं।
 - ◆ इस बड़े पैमाने पर सामूहिक व्यवस्था में पूरा गाँव एक ही छत के नीचे निवास करता है जिसे शाबोनोस (Shabonos) कहा जाता है। जो एक विशिष्ट अंडाकार आकृति होती है। शाबोनोस गाँव की परिधि का निर्माण करता है।
- यानोमामी जनजाति अमेजन वर्षावन आधारित संसाधनों पर अधिक निर्भर है, इन्हें बागवानी करने वाले समूहों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। वे स्लैश एंड बर्न कृषि/बागवानी के तहत केले एवं अन्य फल उगाते हैं और जानवरों एवं मछलियों का शिकार करते हैं।
- इस जनजाति में बहुपतित्त्व प्रथा प्रचलित है हालाँकि यहाँ की अन्य जनजातियों में बहुपत्नी प्रथा भी देखने को मिलती है।
- इन्हें शिकारी, मछली पकड़ने वाले एवं बागवानी विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। जबकि महिलाएँ अपनी मुख्य फसल के रूप में बगीचों में कसावा की खेती करती हैं।
- 1980 के दशक के दौरान, स्वर्ण खिनकों द्वारा इनकी भूमि पर कब्ज़ा करने के कारण यानोमामी जनजाति को नुकसान उठाना पड़ा। जिससे कई जनजातीय लोगों की मृत्यु हो गई, कई गाँवों को नष्ट कर दिया गया और उन्हें उन बीमारियों से अवगत कराया जिनके पास कोई प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं थी।

युक्ति पोर्टल

YUKTI Portal

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Union Human Resource Development Ministry) ने 12 अप्रैल, 2020 को ज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के साथ COVID-19 का मुकाबला करने के लिये एक युक्ति (YUKTI) वेब पोर्टल लॉन्च किया।

युक्ति (YUKTI):

• युक्ति (YUKTI) का पूर्ण रूप 'Young India combating Covid-19 with Knowledge, Technology and Innovation' (युवा भारत ज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के साथ COVID-19 का मुकाबला करें) है।

उद्देश्य:

 इस पोर्टल के माध्यम से भारत सरकार का प्राथिमक उद्देश्य शारीरिक एवं मानिसक दोनों तरह से देश के अकादिमक समुदाय को स्वस्थ रखना है और छात्रों के लिये उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण वातावरण को निर्मित करना है।

- युक्ति भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रयासों एवं पहलों की निगरानी व रिकॉर्ड करने के लिये एक यूनीक पोर्टल तथा डैशबोर्ड है। यह पोर्टल COVID-19 से संबंधित विभिन्न चुनौतियों को व्यापक तरीके से कवर करेगा।
- यह पोर्टल बड़े पैमाने पर शैक्षणिक समुदाय को सेवाओं के प्रभावी वितरण के लिये गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों मापदंडों को कवर करेगा।
- यह पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय और देश के विभिन्न संस्थानों के बीच दो तरफा संचार चैनल (Two-way Communication Channel) भी स्थापित करेगा ताकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षण संस्थानों को आवश्यक सहायता प्रणाली प्रदान कर सके।

वायनाड वन्यजीव अभयारण्य Wayanad Wildlife Sanctuary

13 अप्रैल, 2020 को केरल के वायनाड वन्यजीव अभयारण्य (Wayanad Wildlife Sanctuary) में एक नर बाघ मृत पाया गया।

मुख्य बिंदुः

- वायनाड वन्यजीव अभयारण्य केरल राज्य के वायनाड जिले में अवस्थित है।
- इसका क्षेत्रफल लगभग 344 वर्ग किमी. है जिसमें चार वन रेंज सुल्तान बथेरी (Sulthan Bathery), मुथांगा (Muthanga), कुरिचिअट (Kurichiat) और थोलपेट्टी (Tholpetty) शामिल हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी।

भौगोलिक अवस्थिति:

- वायनाड वन्यजीव अभयारण्य की भौगोलिक अवस्थित इसलिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह कर्नाटक के उत्तर-पूर्वी भाग में बांदीपुर टाइगर रिज़र्व और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जैसे अन्य संरक्षित क्षेत्रों के साथ दक्षिण-पूर्व में तिमलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिज़र्व को पारिस्थितिक और भौगोलिक निरंतरता (Ecological And Geographic Continuity) प्रदान करता है।
- वायनाड वन्यजीव अभयारण्य मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान और शांत घाटी के साथ नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है।
- इस अभयारण्य में विश्व की एशियाई हाथियों (Asiatic Elephant) की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। यह केरल का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है।
- यह अभयारण्य दक्कन के पठार का हिस्सा है और यहाँ की वनस्पित में मुख्य रूप से पर्णपाती वन तथा अर्द्ध-सदाबहार वृक्षों के चरागाह हैं।
- केरल के वायनाड जिले में काबिनी और उसकी तीन सहायक निदयाँ (पनामारम, मनंथावादि और कालिंदी) प्रवाहित होती हैं। केरल के पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली काबिनी कावेरी नदी की महत्त्वपूर्ण सहायक नदी है।

129वीं अंबेडकर जयंती 129th Ambedkar Jayanti

भारतीय प्रधानमंत्री ने डॉ. बी. आर. अंबेडकर (Dr. B. R. Ambedkar) को उनकी 129वीं जयंती (14 अप्रैल) पर श्रद्धांजिल दी।

- डॉ. बी. आर. अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल, 1891 को ब्रिटिश कालीन मध्य प्रांत (वर्तमान मध्य प्रदेश में) के महू में हुआ था।
- उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय (Columbia University) और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और कानून, अर्थशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान में अपने शोध के लिये ख्याति प्राप्त की।
- वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून एवं न्याय मंत्री तथा भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार थे।
- 'बाबा साहब' के नाम से लोकप्रिय डॉ. बी. आर. अंबेडकर विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। जिन्होंने भारत में दिलत बौद्ध (Dalit Buddhist) आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों (दिलतों) के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया।
- भारत सरकार अधिनियम, 1919 का प्रस्ताव तैयार कर रही साउथबोरो सिमिति (Southborough Committee) के समक्ष अंबेडकर ने अछूतों एवं अन्य धार्मिक समुदायों के लिये अलग निर्वाचक मंडल एवं उनको आरक्षण देने का तर्क दिया था।
- वर्ष 1920 में उन्होंने साप्ताहिक पत्र मूकनायक का प्रकाशन शुरू किया जिसने भारत में एक मुखर एवं संगठित दलित राजनीति की नींव रखी। इस समाचार पत्र का प्रकाशन मराठी भाषा में किया जाता था।
- वर्ष 1921 तक जब तक वह एक राजनेता नहीं बने थे तब तक अंबेडकर ने एक अर्थशास्त्री के रूप में काम किया। अंबेडकर द्वारा हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत किये गए विचारों पर ही भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का गठन किया गया। उन्होंने अर्थशास्त्र पर तीन किताबें लिखीं:
 - ♦ ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन एवं वित्त (Administration and Finance of the East India Company)

- ♦ ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास (The Evolution of Provincial Finance in British India)
- ♦ रुपए की समस्या: इसका मूल और इसका समाधान (The Problem of the Rupee: Its Origin and Its Solution)
- उन्होंने अपने पहले संगठित प्रयास के तौर पर वर्ष 1924 में एक केंद्रीय संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा (Bahishkrit Hitakarini Sabha) की स्थापना थी जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक सुधार को बढ़ावा देना था।
- उन्हें वर्ष 1925 में आल-यूरोपियन साइमन कमीशन के साथ काम करने के लिये बॉम्बे प्रेसीडेंसी समिति में नियुक्त किया गया था।
- वर्ष 1927 में अंबेडकर ने अस्पृश्यता के खिलाफ सिक्रय आंदोलन शुरू किया। जिसमें उन्होंने दिलतों के लिये सार्वजनिक पेयजल संसाधनों की उपलब्धता तथा हिंदु मंदिरों में प्रवेश के अधिकारों के लिये संघर्ष किया।
- वर्ष 1930 में अंबेडकर ने कालाराम मंदिर (Kalaram Temple) सत्याग्रह चलाया। जिसमें लगभग 15000 स्वयंसेवकों ने भाग लिया जो नासिक (महाराष्ट्र) के सबसे बड़े जुलूसों में से एक है।
- वर्ष 1932 में ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक पंचाट (Communal Award) में 'शोषित वर्ग' के लिये एक अलग निर्वाचक मंडल के गठन की घोषणा की। जिसका महात्मा गांधी ने विरोध किया। परिणामस्वरूप 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर (हिंदुओं में शोषित वर्गों की ओर से) और मदन मोहन मालवीय (शेष हिंदुओं की ओर से) के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किये गए।
- वर्ष 1936 में अंबेडकर द्वारा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी (ILP) की स्थापना की गई जिसने केंद्रीय विधान सभा के लिये वर्ष 1937 के बॉम्बे प्रांतीय चुनाव में हिस्सा लिया।
- 29 अगस्त, 1947 को अंबेडकर को भारत के संविधान का गठन करने के लिये संविधान प्रारूप सिमित (Constitution Drafting Committee) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
- वर्ष 1956 में उन्होंने दलितों के सामृहिक धर्मांतरण की शुरुआत करते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया।
- वर्ष 1956 में अंबेडकर द्वारा लिखी गई आखिरी किताब बौद्ध धर्म से संबंधित थी इस किताब का नाम था 'द बुद्ध एंड हिज धम्म' (The Buddha and His Dhamma)। उल्लेखनीय है कि यह किताब उनकी मृत्यु के बाद वर्ष 1957 में प्रकाशित हुई थी। मुंबई के दादर में स्थित चैत्य भूमि बी.आर अंबेडकर की समाधि स्थली है।
- वर्ष 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

कोलैबकैड CollabCAD

अटल इनोवेशन मिशन (Atal Innovation Mission), नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Centre- NIC) ने 13 अप्रैल, 2020 को संयुक्त रूप से कोलैबकैड (CollabCAD) सॉफ्टवेयर लॉन्च किया।

उद्देश्य:

इस पहल का उद्देश्य देश भर में अटल टिंकरिंग लैब (Atal Tinkering Lab-ATL) के छात्रों को रचनात्मकता एवं कल्पना के मुक्त प्रवाह के साथ 3D डिज़ाइन बनाने और संशोधित करने के लिये एक मंच प्रदान करना है।

- यह कंप्यूटर सक्षम सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक सहयोगी नेटवर्क है जो 2D प्रारूपण एवं 3D उत्पाद डिजाइन के विवरण से संपूर्ण इंजीनियरिंग समाधान प्रदान करता है।
- यह सॉफ्टवेयर छात्रों को पूरे नेटवर्क में डेटा निर्मित करने में सक्षम बनाता है और समवर्ती तरीके से भंडारण एवं विज्ञअलाइजेशन के लिये समान प्रारूप के डेटा तक पहुँच को सुनिश्चित करता है।
- नीति आयोग द्वारा कार्यान्वित अटल इनोवेशन मिशन नवाचार एवं उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार की प्रमुख पहल है।
- स्कूल स्तर पर अटल इनोवेशन मिशन (AIM) भारत के सभी जिलों में अटल टिंकरिंग लैब (ATL) की स्थापना कर रही है।

- अब तक अटल इनोवेशन मिशन (AIM) ने अटल टिंकरिंग लैब (ATL) की स्थापना के लिये 33 विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में फैले देश भर के कुल 14916 स्कूलों का चयन किया है।
- देश भर में स्थापित अटल टिंकरिंग लैब (ATL) नवीनतम विचारों एवं रचनात्मकता को सुधारने के लिये बच्चों को एक मंच प्रदान करते हैं।

रोंगाली बिह Rongali Bihu

14 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री ने असम के लोगों को रोंगाली बिहू (Rongali Bihu) और असमिया नव वर्ष की शुरुआत के अवसर पर शुभकामनाएँ दी।

मुख्य बिंदुः

- रोंगाली बिहू या हाट बिहू (Haat Bihu) असमिया नव वर्ष (Assamese New Year) को चिह्नित करता है।
- यह मुख्य रूप से असम तथा पूर्वोत्तर भारत के अन्य हिस्सों में असमिया लोगों द्वारा मनाया जाता है।
- माना जाता है कि 'बिहू' शब्द की उत्पत्ति 'बिशू' से हुई है जिसका अर्थ 'शांति के लिये पूछना' है। जबकि 'रोंगाली' शब्द की उत्पत्ति 'रोंग' से हुई है जिसका अर्थ खुशी और उत्सव मनाना होता है।
- आमतौर पर इसे अप्रैल महीने के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। यह उत्सव असम के विभिन्न समुदायों को एकजुट करता है तथा विविधता को बढावा देता है।
- भारत में यह वैशाख महीने की विषुव संक्रांति (Vishuva Sankranti) या स्थानीय रूप से 'बोहाग' (भास्कर कैलेंडर) के सात दिन बाद मनाया जाता है।
- असम में बिहू के तीन प्रकार बोहाग बिहू (Bohag Bihu) या रोंगाली बिहू, कटि बिहू (Kati Bihu) या कोंगाली बिहू (Kongali Bihu) और माघ बिहू (Magh Bihu) या भोगाली बिहू (Bhogali Bihu) हैं। प्रत्येक त्योहार ऐतिहासिक रूप से धान की फसलों के एक अलग कृषि चक्र को दर्शाता है।
- बिहू शब्द का प्रयोग बिहू नृत्य का प्रयोग करने के लिये भी किया जाता है और बिहू लोक गीतों को बिहू गीत भी कहा जाता है।

आर्थिक वृद्धि Economic Growth

14 अप्रैल, 2020 को COVID-19 वैश्विक महामारी के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund-IMF) ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिये भारत की आर्थिक वृद्धि दर 1.9% रहने का अनुमान लगाया है।

मुख्य बिंदुः

- वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3% की वृद्धि होने का अनुमान लगाया है।
- भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा बताई गई आर्थिक वृद्धि दर अन्य अर्थशास्त्रियों एवं विश्व बैंक द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुरूप है। जैसे:

संस्थान	वित्त वर्ष	अर्थव्यवस्था में वृद्धि (अनुमान)
गोल्डमैन सैक्स (Goldman Sachs)	2020-21	1.6%
विश्व बैंक (World Bank)	2020-21	1.5-2.8%

भारत की आर्थिक वृद्धि दर 1.9% पर रहने का अनुमान लगाने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना है। हालाँकि यह वर्ष 1991 के भुगतान संकट के बाद से आर्थिक वृद्धि की सबसे धीमी गति होगी।

• वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने आर्थिक पुनर्मूल्यांकन में वित्त वर्ष 2020-21 के लिये चीन की आर्थिक वृद्धि दर 1.2% जबिक अगले वित्त वर्ष 2021-22 के लिये 9.2% रहने का अनुमान लगाया है।

गौरतलब है कि वर्ष 1991 के बाद भारत की आर्थिक वृद्धि में इतनी अधिक गिरावट पहली बार देखने को मिली। वर्ष 1991 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 1.1% तक पहुँच गई थी जिसके कारण तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार को आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनानी पड़ी थी।

ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान Operation Lifeline UDAN

COVID-19 के कारण हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर सबसे दूरस्थ स्थानों पर भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) ने ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान (Operation Lifeline UDAN) लॉन्च किया।

मुख्य बिंदुः

- इस ऑपरेशन के तहत COVID-19 के कारण हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में आवश्यक चिकित्सा सुविधाएँ पहुँचाने के लिये उड़ानें संचालित की जा रही हैं।
- इन उड़ानों का संचालन एयर इंडिया, अलायंस एयर (Alliance Air), भारतीय वायु सेना, पवन हंस (Pawan Hans) एवं निजी कैरियर्स द्वारा किया जा रहा है।
- इसके तहत राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों के लिये आवश्यक जरूरतें जैसे- एंज़ाइम, चिकित्सा उपकरण, परीक्षण किट एवं पीपीई, मास्क, दस्ताने एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है।
- इसके तहत भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र, द्वीपीय क्षेत्रों एवं पहाड़ी राज्यों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। एयर इंडिया एवं भारतीय वायु सेना
 (IAF) ने मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर भारत एवं द्वीपीय क्षेत्रों के लिये आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में सहयोग
 किया है।
- वर्तमान में ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान के तहत मेडिकल कार्गो एक दिन में 108 टन माल की आवश्यक आपूर्ति कर रहे हैं।
- एयर इंडिया को अन्य देशों के लिये महत्त्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये समर्पित कार्गो उड़ानों को संचालित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

विश्व चगास रोग दिवस World Chagas Disease Day

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization-WHO) द्वारा 14 अप्रैल, 2020 को पहली बार विश्व चगास रोग दिवस (World Chagas Disease Day) मनाया गया।

• गौरतलब है कि 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly) ने 24 मई, 2019 को चगास रोग दिवस के पदनाम को मंज़री दी।

उद्देश्य:

इस दिवस का उद्देश्य चगास रोग के बारे में जागरूकता फैलाना है।

- यह बीमारी धीरे-धीरे फैलती है और यह मुख्य रूप से उन गरीब लोगों को प्रभावित करती है जिनके पास उचित स्वास्थ्य देखभाल की कमी होती है। इसलिये इसे साइलेंट एवं साइलेंस्ड (Silent And Silenced) बीमारी भी कहा जाता है।
- इस बीमारी का 'चगास' नाम डॉ कार्लोस रिबेइरो जस्टिनिआनो चगास (Dr Carlos Ribeiro Justiniano Chagas) के नाम से लिया गया है, जिन्होंने 14 अप्रैल, 1909 को ब्राजील में इस बीमारी के पहले रोगी का निदान किया था।
- इसे एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी (Neglected Tropical Disease- NTD) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जिसका अर्थ है कि यह विश्व के विकासशील देशों में कम आय वाली आबादी को प्रभावित करती है।

- इस रोग को अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस (American Trypanosomiasis) भी कहा जाता है। यह बीमारी विशेषकर लैटिन अमेरिका में सबसे ज्यादा गरीबी से ग्रस्त समुदायों को नुकसान पहुँचाती है।
- चगास रोग ट्रायटोमिन (Triatomine) नामक एक कीड़े के काटने से होता है जो व्यक्ति के चेहरे पर काटता है इसलिए इसे 'किसिंग बग' (Kissing Bug) भी कहा जाता है।
- यह संक्रामक रोग है जो ट्रायटोमिन में मौजूद प्रोटोजन पैरासाइट से होता है किंतु यह सर्दी एवं फ्लू की तरह संक्रामक रोग नहीं है अर्थात् यह एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं पहुँचता है।

क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म Crowdfunding Platform

COVID-19 महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी लाकडाउन के मद्देनजर ऑनलाइन क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म (Crowdfunding Platform) लोगों की वित्तीय सहायता के स्रोत के रूप में उभरा है।

मुख्य बिंदुः

• COVID-19 महामारी के कारण ऑनलाइन फंडिंग अभियान किसी शहर में फँसे हुए प्रवासियों एवं दैनिक मज़दूरी पाने वाले मज़दूरों की सामुदायिक रसोई तक पहुँच बनाने में मदद कर रहा है किंतु अब क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म ट्रांसजेंडर समुदायों, सर्कस कलाकारों, उबर ड्राइवरों, फूड डिलीवरी किमेंयों, ग्रामीण कारीगरों, नर्तक एवं स्वच्छंद श्रिमकों की सहायता के लिये आगे आ रहे हैं।

क्राउडफंडिंग (Crowdfunding):

- क्राउडफंडिंग किसी व्यक्ति या संगठन के लिये धन जुटाने के उद्देश्य से परिवार, मित्रों, अजनिबयों, व्यवसायों आदि के माध्यम से फंड एकत्र करने का एक तरीका है।
- क्राउडफंडिंग के तहत जागरूकता फैलाने के लिये लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं परिणामत: वे धन इकट्ठा करने के पारंपिरक तरीकों की तुलना में अधिक संभावित दाताओं तक पहुँच सकते हैं।

क्राउडफंडिंग के मुख्य प्रकारः

- पीयर-टू-पीयर लेंडिंग (Peer-to-peer lending): अधिकांश लोग एक कंपनी को पैसा इस समझ के साथ देते हैं कि पैसा ब्याज के साथ चुकाया जाएगा। यह बैंक से पारंपरिक उधार लेने के समान है बजाय इसके कि बहुत सारे निवेशकों से उधार लिया जाए।
- इक्विटी क्राउडफंडिंग (Equity crowdfunding): निवेश के बदले में एक व्यवसाय में कई निवेशकों को हिस्सेदारी बेची जाती है। यह स्टॉक एक्सचेंज या उद्यम पूंजी पर सामान्य स्टॉक को कैसे खरीदा या बेचा जाता है, के विचार के सामान है।
- पुरस्कार-आधारित क्राउडफंडिंग (Rewards-Based Crowdfunding): व्यक्ति अपने योगदान के बदले में एक गैर-वित्तीय पुरस्कार जैसे कि माल या सेवाओं को प्राप्त करने के लिये दान करता है।
- दान आधारित क्राउडफंडिंग (Donation-based crowdfunding): व्यक्ति बिना किसी वित्तीय या भौतिक रिटर्न देने वाली
 एक विशिष्ट धर्मार्थ परियोजना के बड़े वित्तपोषण उद्देश्य को पूरा करने के लिये छोटी मात्रा में दान करते हैं।
- लाभ-बँटवारा/राजस्व-बँटवारा (Profit-sharing/Revenue-sharing): व्यवसाय धन के बदले भविष्य में मुनाफे या राजस्व को लोगों के साथ साझा कर सकते हैं।
- ऋण-प्रतिभूति क्राउडफंडिंग (Debt-securities crowdfunding): व्यक्ति कंपनी द्वारा जारी ऋण सुरक्षा जैसे कि बॉन्ड में निवेश करते हैं।
- हाइब्रिड मॉडल (Hybrid models): यह व्यवसायों को एक से अधिक क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्मों के तत्वों को संयोजित करने का अवसर प्रदान करता है।
- इन प्लेटफार्मों के माध्यम से धन इकट्ठा करके ऐसे कमज़ोर लोगों की मदद की जा रही है। जिनके COVID-19 महामारी के कारण आर्थिक आय के साधन बंद हो गए हैं।
- इन प्लेटफार्मों में 100 करोड़ रुपए से अधिक की निधि की सुविधा प्रदान की गई है। आमतौर पर ऑनलाइन क्राउडफंडिंग अभियान फंड जुटाने के लिये शुल्क लेते हैं।

 COVID-19 के दौरान क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म का प्राथिमक उद्देश्य जरूरतमंदों को भोजन प्रदान करना रहा है उसके बाद स्वास्थ्य किर्मयों के लिये व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण हेतु धन जुटाना है।

निहंग Nihang

हाल ही में पंजाब राज्य के पटियाला में निहंग (Nihang) सिखों के एक समूह ने पंजाब पुलिस के एक अधिकारी पर हमला किया।

मुख्य बिंदुः

- निहंग सिख योद्धाओं का एक वर्ग है जो नीले वस्त्र, तलवार एवं भाले जैसे पुरातन हथियारों तथा स्टील की खूंटियों से सजाई गई पगड़ी धारण करते हैं।
- मूल रूप से 'निहंग' शब्द संस्कृत भाषा के 'नि:शांक' से उपजा है जिसका अर्थ भय रहित, निष्कलंक, पवित्र, जिम्मेदार और सांसारिक लाभ एवं आराम के प्रति उदासीन होता है।
- माना जाता है कि वर्ष 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा खालसा के निर्माण के लिये निहंग समूह का गठन किया गया था।
- ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्नल जेम्स स्किनर (1778-1841) के अनुसार, खालसा सिखों को दो समूहों में विभाजित किया गया था।
 - पहले वे जो नीले पोशाक पहनते हैं जो गुरु गोबिंद सिंह युद्ध के समय पहनते थे।
 - दूसरे वे जो किसी भी रंग की पोशाक पहनते थे।
- ये दोनों समूह योद्धाओं की जीवनशैली का अनुसरण करते थे। निहंग (जो नीले वस्त्र धारण करते हैं) सख्ती से खालसा आचार संहिता का पालन करते हैं।
- निहंग सांसारिक गुरु के प्रति कोई निष्ठा नहीं रखते हैं। वे अपने गुरुद्वारों के ऊपर भगवा रंग के झंडे के बजाय नीले रंग का झंडा (नीला निशान साहिब) फहराते हैं।

ऐतिहासिक संदर्भः

- वर्ष 1715 के बाद जब मुगलों द्वारा बड़े पैमाने पर सिखों की हत्याएँ की गई तथा अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह दुर्रानी (1748-65)
 के हमले के दौरान सिख पंथ की रक्षा करने मंर निहंगों की प्रमुख भूमिका थी।
- निहंगों ने अमृतसर के अकाल तख्त पर सिखों के धार्मिक मामलों को भी नियंत्रित किया। वे स्वयं को किसी भी सिख प्रमुख के अधीनस्थ नहीं मानते थे और इस तरह उन्होंने अपना स्वतंत्र अस्तित्त्व बनाए रखा।
- अमृतसर के अकाल तख्त में उन्होंने सिखों की भव्य परिषद (सरबत खालसा) का आयोजन किया और प्रस्ताव (गुरमाता) पारित किया।
- जून 1984 में ऑपरेशन ब्लूस्टार (Operation Bluestar) के दौरान कुछ निहंगों जैसे- अजीत सिंह पोहला ने आतंकवादियों को खत्म करने के लिये पंजाब पुलिस का साथ दिया था।

प्राइमोर्डियल ब्लैक होल Primordial Black Hole

हाल ही में पुणे स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स (IUCAA) के एक वैज्ञानिक युगल ने प्राइमोर्डियल ब्लैक होल (Primordial Black Holes-PBH) का अध्ययन किया है जो ब्रह्मांड (जब यह तेजी से विस्तार कर रहा था) के गतिज ऊर्जा स्तरों में एक छोटे से टकराव के परिणामस्वरूप पैदा हुए थे।

- प्राइमोर्डियल ब्लैक होल हॉट बिग बैंग (Hot Big Bang) चरण के दौरान निर्मित हुए थे।
- यह माना जाता है कि ये बड़े पैमाने पर तारों के पतन जो किसी सामान्य ब्लैक होल को संदर्भित करते हैं, के विपरीत विकिरणों के पतन के परिणामस्वरूप बनते हैं।
- प्राइमोर्डियल ब्लैक होल 3000 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत हो सकता है या एक परमाणु के नाभिक की तरह बेहद छोटा हो सकता है।

हालिया अध्ययन का निष्कर्ष:

- हालिया अध्ययन ने पुष्टि की है कि गतिज ऊर्जा में इस मामूली वृद्धि के परिणामस्वरूप कई प्राइमोर्डियल ब्लैक होल का जन्म तथा शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों का उत्सर्जन भी हुआ है।
- लगभग 14 बिलियन वर्ष पहले जब हॉट बिग बैंग चरण (Hot Big Bang Phase) शुरू हुआ, ब्रह्मांड तेजी से सिक्रय हुआ तथा त्वरित गति से विस्तार किया।
- विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रह्मांड की यह घातीय वृद्धि एकसमान ऊर्जा क्षेत्र एवं घनत्व की मौजूदगी से हुई क्योंकि ब्रह्मांड कॉस्मिक इन्फ्लेशन (Cosmic Inflation) चरण से गुजरा था।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, जैसे-जैसे समय बीतता रहा है इंफ्लेशन क्षेत्र में प्रचलित यह एक समान ऊर्जा समाप्त हो गई है। परिणामस्वरूप ब्रह्मांड के सामान्य रूप से मंद होने की दर फिर से शुरू हो गई।

स्वयं प्रभा टीवी चैनल Swayam Prabha TV Channel

भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development) ने COVID-19 से उत्पन्न चुनौतीपूर्ण स्थिति से शिक्षार्थियों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिये जिनके पास इंटरनेट की पहुँच नहीं है उनको स्वयं प्रभा टीवी चैनल (Swayam Prabha TV Channel) के माध्यम से पाठ्यक्रम से संबंधित व्याख्यान प्रसारित करेगा।

मुख्य बिंदुः

- स्वयं प्रभा 32 DTH चैनलों का एक समूह है जो GSAT-15 उपग्रह का उपयोग कर 24X7 आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिये समर्पित है।
- इस चैनल को भास्कराचार्य इंस्टीट्रयूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो-इंफॉर्मेटिक्स (BISAG), गांधी नगर (गुजरात) से जोडा गया है। इस चैनल के माध्यम से एनपीटीईएल, आईआईटी, यूजीसी, सीईसी, इग्नू, एनसीईआरटी और एनआईओएस द्वारा सामग्री प्रदान की जाती है।
- गांधी नगर (गुजरात) स्थित सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क (INFLIBNET) केंद्र इसके वेब पोर्टल का रखरखाव करता है।

सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क (INFLIBNET) केंद्र:

- INFLIBNET केंद्र, गुजरात के गांधीनगर में स्थित मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) का एक स्वायत्त अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र है।
- प्रत्येक दिन कम-से-कम 4 घंटे के लिये विषय वार नई सामग्री अपलोड होगी जो दिन में 5 बार दोहराई जाएगी, जिससे छात्रों को अपनी सुविधानुसार समय चुनने में मदद मिलेगी।

डीटीएच चैनल निम्नलिखित को कवर करेंगे:

- उच्चतर शिक्षा: स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री जैसे कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रदर्शन कला, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कानून, चिकित्सा, कृषि आदि जैसे विविध विषयों को कवर करती है।
- स्कूल शिक्षा (१-12 स्तर): शिक्षकों के प्रशिक्षण के साथ-साथ भारत के बच्चों के लिये शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिये मॉड्यूल जो उन्हें विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं, शुरू किये गए हैं और पेशेवर डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश के लिये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी उनकी मदद करते हैं।
- पाठ्यक्रम आधारित पाठ्यक्रम: ये चैनल भारत एवं विदेशों में जीवनभर सीखने वाले भारतीय नागरिकों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। गौरतलब है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु पहले से ही स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंडस (SWAYAM) पोर्टल का संचालन कर रहा है।

'देखो अपना देश' वेबिनार श्रृंखला 'DEKHO APNA DESH' WEBINAR SERIES

भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 14 अप्रैल, 2020 से 'देखो अपना देश' वेबिनार श्रृंखला ('DEKHO APNA DESH' WEBINAR SERIES) शुरू की।

उद्देश्य:

• इस वेबिनार श्रृंखला का उद्देश्य भारत के कई गंतव्यों पर जानकारी देना तथा अतुल्य भारत की संस्कृति एवं विरासत की गहरी एवं विस्तृत जानकारी प्रदान करना है।

मुख्य बिंदुः

- इस श्रृंखला का पहला वेबिनार 'सिटी ऑफ सिटीज़- दिल्ली की पर्सनल डायरी' पर केंद्रित था। जिसमें दिल्ली के लंबे इतिहास से अवगत कराया गया था क्योंकि इसमें दिल्ली के 8 शहरों के बारे में विस्तार से बताया गया था।
- यह वेबिनार पर्यटन मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म- इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पर अतुल्य भारत के नाम से उपलब्ध होगा।
- इस श्रृंखला का अगला वेबिनार 16 अप्रैल, 2020 को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक उपलब्ध कराया जाएगा और यह आगंतुकों को अद्भुत शहर कोलकाता (City Of Kolkata) के बारे में विस्तार से परिचय कराएगा।

वेबिनार (WEBINAR):

- वेब कॉन्फ्रेंसिंग शब्द का उपयोग विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं के लिये किया जाता है। इसमें वेब कास्ट, वेबिनार (वेब सेमिनार) एवं पीयर-लेवल वेब मीटिंग शामिल हैं।
- इसे इंटरनेट प्रौद्योगिकियों द्वारा संभव बनाया गया है और इसमें एक प्रेषक से कई रिसीवरों तक संचार एवं बहु स्तरीय संचार के लिये वास्तविक समय बिंदु की अनुमति प्रदान की गई है।

खरीफ फसलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन: 2020 National Conference on Kharif Crops: 2020

16 अप्रैल, 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (Union Minister of Agriculture and Farmers' Welfare) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खरीफ फसलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की।

उद्देश्य:

 इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर खरीफ की खेती के लिये तैयारियों के बारे में राज्यों के परामर्श से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना एवं उचित कदम उठाना था।

- इस सम्मेलन में कहा गया कि सभी राज्यों को खरीफ फसलों से संबंधित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये और किसानों की आय दोगुनी करने का काम मिशन मोड में लिया जाना चाहिये।
- वर्ष 2020-21 के लिये खाद्यान्न का लक्ष्य 298 मिलियन टन निर्धारित किया गया है। जो वर्ष 2019-20 के लिये 291 मिलियन टन था।
- इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा दो योजनाओं (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना)
 पर मुख्य रूप से जोर दिया गया।
- सम्मेलन में बताया गया कि अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर (All India Agri Transport Call Centre) को यह सुनिश्चित करने के लिये शुरू किया गया है कि लॉकडाउन के कारण कृषि प्रभावित न हो।
- इस सम्मेलन में COVID-19 के मद्देनज़र लॉकडाउन की स्थिति से निपटने के लिये कुछ अन्य पहलों पर भी चर्चा की गई। जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना के तहत 'प्रित बूँद अधिक फसल' (Per Drop More Crop) की गहनता पर जोर दिया जा रहा
 है।
- पीएम-आशा योजना: इस योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) उत्पादन लागत से कम-से-कम 2 गुना के स्तर पर तय किया जाना है।
- COVID-19 के कारण मंडियों में भीड़ कम करने एवं किसानों को अपनी उपज बेचने में मदद करने के लिये ई-नाम (e-NAM) पहल के लिये नए परिचालन दिशा-निर्देश तैयार किये गए हैं।

त्रिशूर पूरम उत्सव Thrissur Pooram Festival

COVID-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए केरल में आयोजित होने वाले त्रिशूर पूरम उत्सव (Thrissur Pooram Festival) को पहली बार रद्द कर दिया गया है।

मुख्य बिंदुः

- इस वर्ष त्रिशूर पूरम उत्सव 2 मई को आयोजित किया जाएगा किंतु COVID-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लाकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है परिणामत: केरल सरकार ने इसे रद्द करने का निर्णय लिया।
- COVID-19 के कारण आमतौर पर अप्रैल से शुरू होने वाली वार्षिक पूरम प्रदर्शनी को भी रद्द कर दिया गया है।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान त्रिशूर पूरम उत्सव को सीमित तौर पर आयोजित किया गया था किंतु इस बार इसे पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है।

त्रिशूर पूरम उत्सव (Thrissur Pooram Festival):

- त्रिश्र पूरम भारत के केरल राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक हिंदू त्योहार है।
- इसे प्रत्येक वर्ष त्रिशूर के वडक्कुनाथन मंदिर (Vadakkunnathan Temple) में पूरम दिन (मलयालम कैलेंडर के अनुसार पूरम वह दिन होता है जब मेडम (Medam) महीने में चंद्रमा पूरम तारे के साथ उदय होता है।) पर आयोजित किया जाता है। यह सभी पूरम में सबसे बड़ा एवं सबसे प्रसिद्ध है।

ऐतिहासिक संदर्भः

- त्रिशूर पूरम उत्सव के लिये राजा राम वर्मा का योगदान उल्लेखनीय है जो कोचीन के महाराजा (1790–1805) थे और सक्थान थामपुरन (Sakthan Thampuran) के नाम से मशहूर थे।
- त्रिशूर पूरम की शुरुआत से पहले, केरल में सबसे बड़ा मंदिर उत्सव अरट्टुपुझा (Aarattupuzha) में आयोजित एक दिवसीय उत्सव था जिसे अरट्टुपुझा पूरम (Arattupuzha Pooram) के नाम से जाना जाता था।

प्रतिभागी:

- त्रिशूर के मुख्य मंदिरों जैसे- परमेक्कानु देवी (Paramekkavu Devi) मंदिर और तिरुवंबादि श्री कृष्ण (Thiruvambadi Sri Krishna) मंदिर में भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करनी होती है।
- उपर्युक्त दोनों मंदिर उत्सव के दौरान एक-दूसरे का विरोध करते हैं और उनकी 'हाथियों की टीम' एक दूसरे के साथ छठे दिन हाथी जुलूस,
 आतिशबाजी एवं समग्र सांस्कृतिक प्रतिनिधित्त्व के माध्यम से प्रतिस्पर्द्धा करती है।
 - पंद्रह हाथियों का एक भव्य प्रदर्शन इस त्योहार के सबसे प्रमुख पहलुओं में से एक है। इन पंद्रह हाथियों को स्वर्ण धागों से सजाया जाता है।
 - आतिशबाजी केरल के मंदिर समारोहों का एक अभिन्न हिस्सा है किंतु त्रिशूर पूरम को केरल में 'सभी उत्सवों की माँ' (Mother of All Festivals) के रूप में संदर्भित किया जाता है जो आतिशबाजी एवं मंदिर के उत्सवों की जननी है।

चित्रा जीनलैम्प-एन Chitra GeneLAMP-N

केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने एक नैदानिक परीक्षण किट चित्रा जीनलैम्प-एन (Chitra GeneLAMP-N) विकसित की है जो कम लागत पर 2 घंटे में COVID-19 की पृष्टि कर सकती है।

श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान एवं
 प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology) के तहत कार्य करता है।

मुख्य बिंदुः

• चित्रा जीनलैम्प-एन, SARS-CoV-2N-जीन के लिये अत्यधिक विशिष्ट है और यह जीन के दो क्षेत्रों का पता लगा सकते हैं जो यह सुनिश्चित करता है कि वायरल जीन का एक क्षेत्र अपने मौजूदा प्रसार के दौरान उत्परिवर्तन से गुजरता है या नहीं।

- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research's- ICMR) के अंतर्गत केरल के अलप्पुझा में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (NIV) द्वारा किये गए परीक्षण बताते हैं कि चित्रा जीनलैम्प-एन 100% सटीक है और इसके द्वारा किये गए परीक्षण RT-PCR किट द्वारा किये गए परीक्षण के परिणामों से मैच करते हैं।
- भारत में COVID-19 परीक्षण के लिये, ICMR को इसे मंज़ूरी देने का अधिकार दिया गया है जिसके निर्माण के लिये CDSCO से लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है।
- भारत में मौजूदा पीसीआर किट से स्क्रीनिंग के लिये ई-जीन और पुष्टि के लिये आरडीआरपी-जीन (Rdrp-Gene) का पता लगाते हैं।
 चित्रा जीनलैम्प-एन किट से जीन टेस्टिंग के खर्च में काफी कमी आएगी और स्क्रीनिंग टेस्ट के बिना ही पुष्टि हो सकेगी।
- इस किट के माध्यम से COVID-19 संक्रमण का पता लगाने का समय केवल 10 मिनट है जबकि अंतिम परिणाम देने में 2 घंटे तक का समय लग जाता है।
- इस किट में एक बार में कुल 30 नमूनों का परीक्षण किया जा सकता है जिससे प्रत्येक दिन अधिक संख्या में नमूनों की जाँच की जा सकती है।
- इस चित्रा जीनलैम्प-एन परीक्षण किट के अलावा उपरोक्त संस्थान ने विशिष्ट RNA निष्कर्षण किट (RNA Extraction Kits) भी विकसित किये हैं।
- उपरोक्त तकनीक को एम/एस अगप्पे डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड (M/S Agappe Diagnostics Ltd), एर्नाकुलम में निर्माण के लिये हस्तांतरित किया गया है जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों के साथ इन-विट्रो डायग्नोस्टिक्स (In-Vitro Diagnostics) की एक अग्रणी कंपनी है।

पत्रकारिता राहत कोष Journalism Relief Fund

गूगल (Google) कंपनी ने 15 अप्रैल, 2020 को कहा कि वह COVID-19 महामारी के दौरान अपने परिचालन हेतु संघर्षरत स्थानीय समाचार आउटलेट्स की मदद के लिये एक आपातकालीन फंड 'पत्रकारिता राहत कोष' (Journalism Relief Fund) लॉन्च करेगा।

मुख्य बिंदुः

- गूगल कंपनी का पत्रकारिता राहत कोष मीडिया क्षेत्र को सहयोग देने के लिये है जो COVID-19 महामारी के दौरान वैश्विक उपभोक्ताओं की कमी, गहन आर्थिक मंदी एवं विज्ञापन राजस्व में गिरावट से जुझ रहा है।
- यह वित्तीय सहायता गूगल समाचार पहल के हिस्से के रूप में COVID-19 महामारी के आर्थिक संकट से प्रभावित स्थानीय समाचार-पत्रों के लिये है।
- न्यूयॉर्क टाइम्स ने अनुमान लगाया है कि स्वास्थ्य संकट और बाद में इसके आर्थिक प्रभाव के परिणामस्वरूप समाचार आउटलेट्स ने 28,000 नौकरियों में कटौती की है।
- वहीँ 30 मार्च, 2020 को फेसबुक ने कोरोनावायरस महामारी से वैश्विक स्तर पर संकट से जूझ रहे समाचार संस्थाओं को समर्थन देने के लिये \$ 100 मिलियन की घोषणा की थी।

विश्व धरोहर दिवस World Heritage Day

प्रत्येक वर्ष विश्व भर में 'इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स' (ICOMOS) द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस (World Heritage Day) के रूप में मनाया जाता है।

थीम:

• इस वर्ष के लिये विश्व धरोहर दिवस की थीम 'साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी' (Shared Cultures, Shared Heritage, Shared Responsibility) है।

उद्देश्य:

• इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक विरासत की विविधता के महत्त्व के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा भविष्य के लिये संरक्षित करना है।

मुख्य बिंदुः

- वर्ष 1982 में 'इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स' (ICOMOS) ने सुझाव दिया कि 18 अप्रैल को स्मारक एवं स्थलों के लिये अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिये।
- इस प्रस्ताव को वर्ष 1983 में यूनेस्को (UNESCO) की 22वीं आम सभा द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत, स्मारकों के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना एवं उनका संरक्षण करना था। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्युमेंट्रस एंड साइट्स (ICOMOS):
- इस संगठन की स्थापना 'वेनिस चार्टर' (Venice Charter) में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर की गई थी, जिसे स्मारक एवं स्थलों के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिये वर्ष 1964 के अंतर्राष्ट्रीय चार्टर के रूप में भी जाना जाता है।
- वैश्विक स्तर पर COVID-19 प्रकोप के कारण इस वर्ष इस दिवस को इंटरनेट के माध्यम से मनाने का निर्णय लिया है। जिसमें आभासी सम्मेलन, ऑनलाइन व्याख्यान, प्रेस विज्ञप्ति एवं सोशल मीडिया अभियान जैसी कई गतिविधियाँ शामिल की गई हैं।

किसान रथ Kisan Rath

17 अप्रैल, 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Union Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare) ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में विघटन (विशेष रूप से खराब होने वाली उपज के लिये) को कम करने के लिये किसान रथ (Kisan Rath) मोबाइल ऐप्लिकेशन लॉन्च किया।

मुख्य बिंदुः

- इस मोबाइल एप्लिकेशन को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Centre) द्वारा विकसित किया गया है जो किसानों एवं व्यापारियों को उनकी उपज को स्थानांतरित करने के लिये वाहनों को खोजने में मदद करेगा।
- इस नेटवर्क में प्राथिमक एवं द्वितीयक पिरवहन दोनों को शामिल किया गया है।
 - प्राथमिक परिवहन में वे वाहन शामिल किये गए हैं जो कृषि उपज को खेत से मंडियों, स्थानीय गोदामों या किसान उत्पादक संगठनों (Farmer Producer Organisations) के संग्रह केंद्रों तक लेकर जाते हैं।
 - ◆ द्वितीयक परिवहन में वे वाहन शामिल किये गए हैं जो कृषि उत्पादों को स्थानीय मंडियों से लेकर राज्यस्तरीय मंडियों/राज्य के बाहर की मंडियों, प्रसंस्करण इकाइयों, रेलवे स्टेशनों, गोदामों या थोक विक्रेताओं तक लेकर जाते हैं।
- इस एप्लिकेशन के माध्यम से किसान समूहों द्वारा संचालित कस्टम हायिरंग केंद्रों से ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर्स के माध्यम से 5 लाख ट्रकों के साथ-साथ 20,000 ट्रैक्टरों को ऑन-बोर्ड किया जाएगा अर्थात् इस किसान रथ (Kisan Rath) मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से किसानों एवं व्यापारियों को 5 लाख से अधिक ट्रकों और 20,000 ट्रैक्टरों के नेटवर्क से जोड़ा जायेगा। इन वाहनों में प्रशीतित वाहन (Refrigerated Vehicle) भी उपलब्ध कराए जायेंगे।

त्रिमेरेसुरुस सालाज़ार Trimeresurus Salazar

हाल ही में साँपों की एक नई प्रजाति 'त्रिमेरेसुरुस सालाजार' (Trimeresurus Salazar) जो सरीसृप की पाँचवीं प्रजाति है, को अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजा गया है।

मुख्य बिंदुः

• ग्रीन पिट वाइपर त्रिमेरेसुरुस सालाजार, ट्राइमेरासुरस लेसेपडे (Trimeresurus Lacepede) वर्ग से संबंधित है जिसमें 'जहरीले नागों के साथ-साथ पारिस्थितिक रूप से विविध प्रजातियाँ' शामिल हैं।

- पिट वाइपर अत्यधिक विषैले साँप होते हैं जिन्हें आँख एवं नासिका के बीच हीट-सेंसिंग पिट (Heat-Sensing Pit) अंगों द्वारा पहचाना जाता है।
- अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली ग्रीन पिट वाइपर (Green Pit Viper) की इस नई प्रजाति का उल्लेख हॉलीवुड की प्रसिद्ध मूवी सीरिज़ हैरी पॉटर में किया गया है।
 - ♦ इसका वैज्ञानिक नाम त्रिमेरेसुरुस सालाजार, सालाजार स्लीथेरिन (Salazar Slytherin) के नाम से प्रेरित है। जो जे.के. राउलिंग (J.K. Rowling) की काल्पनिक हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्ड़ी (Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry) के सह-संस्थापक थे।
- इसे अरुणाचल प्रदेश के पक्के-केसांग (Pakke-Kessang) ज़िले के पक्के टाइगर रिजर्व (Pakke Tiger Reserve) में खोजा गया है।

भारत के सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क Software Technology Parks of India

COVID-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से उत्पन्न चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 16 अप्रैल, 2020 को भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों (Software Technology Parks of India- STPI) से संचालित छोटी आईटी इकाइयों को किराये के भुगतान से राहत प्रदान की है। जिनमें अधिकतर 'टेक एमएसएमई' (Tech MSME) या स्टार्टअप शामिल हैं।

मुख्य बिंदुः

- भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) ने देश के STPI परिसरों में स्थित इन इकाइयों को 01.03.2020 से 30.06.2020 तक यानी 4 महीने की अविध के लिये किराये में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है।
 - ♦ इन 4 महीने की अवधि के दौरान इन इकाइयों को प्रदान की गई किराये में छूट का कुल अनुमानित खर्च लगभग 5 करोड़ रुपए है।
- भारत का सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (STPI) भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्तशासी सोसायटी है और इसके देश भर में 60 केंद्र हैं।
- भारत सरकार का यह निर्णय इन 60 STPI केंद्रों से संचालित लगभग 200 IT/ITeS आधारित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को लाभ प्रदान करेगा।
- भारत सरकार का यह प्रयास लगभग 3000 IT/ITeS कर्मचारियों के हित में है जिनकी जीविका प्रत्यक्ष तौर पर इन इकाइयों से जुड़ी हुई है।

करतारपुर साहिब Kartarpur Sahib

हाल ही में भारत ने पाकिस्तान से कहा कि 19 अप्रैल, 2020 को आए तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हुए करतारपुर साहिब (Kartarpur Sahib) गुरुद्वारे के परिसर का पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कराई जाए।

मुख्य बिंदुः

- करतारपुर साहिब, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 550वीं जयंती से जुड़े वर्ष भर के उत्सवों से संबंधित है और पिछले कुछ महीनों
 में भारत एवं पाकिस्तान के बीच करतारपुर गिलयारे का संचालन शुरू होने के बाद यह पाकिस्तान में सिख तीर्थयात्रा का एक प्रमुख केंद्र बन
 गया है।
- ऐतिहासिक करतारपुर साहिब गुरुद्वारा पाकिस्तान के नारोवाल जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताए थे।

रावी नदी:

 रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कॉंगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलती है। यह नदी भारत के हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर से होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है।

- यह नदी पाकिस्तान के झांग जिले में चिनाब नदी में मिल जाती है, जहाँ इस पर थीन बाँध बना हुआ है।
- यह पंजाब क्षेत्र (पंजाब का अर्थ 'पाँच निदयों' से संबंधित है) में सिंधु नदी प्रणाली की छह निदयों में से एक है। भारत- पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि के तहत रावी का पानी भारत को आवंटित किया गया है।
- पाकिस्तान में स्थित यह गुरुद्वारा भारत-पाकिस्तान सीमा से लगभग 3-4 किमी. दूर है और पाकिस्तान के लाहौर से लगभग 120 किमी. उत्तर-पूर्व में है।
- वर्ष 1999 में गुरुद्वारे की मरम्मत और बहाली के बाद इसे तीर्थयात्रियों के लिये खोला गया और तब से सिख जत्थे नियमित रूप से यहाँ आते रहते हैं।

एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम Integrated Disease Surveillance Programme

19 अप्रैल, 2020 को G-20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान भारत ने बताया कि एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (Integrated Disease Surveillance Programme- IDSP) जो महामारी प्रवण रोगों के लिये एक राष्ट्रव्यापी निगरानी प्रणाली है, को COVID-19 से निपटने के लिये सिक्रय कर दिया गया है तथा इसे विशेष डिजिटल इनपुट के साथ और मजबूत किया जा रहा है।

मुख्य बिंदुः

IDSP, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Affairs) की एक पहल है जिसकी शुरुआत वर्ष 2004 में विश्व बैंक (World Bank) की सहायता से की गई थी।

IDSP का उद्देश्य:

- रोगों की प्रवृत्ति पर नजर रखने हेतु महामारी प्रवण रोगों के लिये विकेंद्रीकृत प्रयोगशाला आधारित आईटी आधारित रोग निगरानी प्रणाली को मजबूत करना।
- प्रशिक्षित रैपिड रिस्पांस टीम (Rapid Response Team- RRTs) के माध्यम से शुरुआती चरण में प्रकोपों का पता लगाना एवं प्रतिक्रिया देना।

कार्यक्रम के घटकः

- केंद्र, राज्य एवं जिला स्तर पर निगरानी इकाइयों की स्थापना के माध्यम से निगरानी गतिविधियों का एकीकरण एवं विकेंद्रीकरण करना।
- मानव संसाधन विकास हेत् रोग निगरानी के सिद्धांतों पर राज्य एवं ज़िला निगरानी अधिकारियों, रैपिड रिस्पांस टीम एवं अन्य मेडिकल तथा पैरामेडिकल स्टाफ का प्रशिक्षण करवाना।
- डेटा के संग्रह, एकत्रीकरण, संकलन, विश्लेषण और प्रसार के लिये सूचना व संचार तकनीक का उपयोग करना।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को मज़बृत बनाना।
- ज़ुनोटिक (Zoonotic) रोगों के लिये अंतर क्षेत्रीय समन्वय स्थापित करना।

COVID-19 मुक्त राज्य

COVID-19 Free State

19 अप्रैल, 2020 को भारतीय राज्य गोवा COVID-19 मुक्त राज्य बन गया।

मुख्य बिंदुः

गोवा में 3 अप्रैल. 2020 से COVID-19 से संबंधित कोई भी नया केस सामने नहीं आया है परिणामत: गोवा देश का पहला ग्रीन जोन राज्य (Green Zone State) बन गया है।

- गौरतलब है कि COVID-19 से निपटने के लिये भारत सरकार ने देश के ज़िलों को अब तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है:
 - ♦ संवेदनशील जिले (Hotspot Districts): जहाँ COVID-19 से संबंधित पॉजिटिव मामलों की संख्या अधिक दर्ज की गई है।
 - ♦ गैर संवेदनशील जिले (Non Hotspot Districts): जहाँ COVID-19 से संबंधित पॉजिटिव मामलों की संख्या कुछ कम दर्ज की गई है।
 - ♦ ग्रीन जोन (Green Zone): जहाँ कुछ समय से COVID-19 से संबंधित पॉजिटिव मामलों की कोई उपस्थिति दर्ज नहीं की गई
- उल्लेखनीय है कि तटीय राज्य गोवा में COVID-19 से संबंधित कुल सात पॉजिटिव मामले आये थे जिन्हें चिकित्सकों की देख-रेख में क्वारंटाइन कर दिया गया था।

गोवाः कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य

- गोवा, कोंकण के रूप में उल्लेखित क्षेत्र के अंतर्गत भारत के दक्षिण-पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य है।
- भारत का पश्चिमी घाट भौगोलिक रूप से गोवा को दक्कन उच्चभूमि (Deccan Highland) से पृथक करता है।
- यह उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व एवं दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है।
- वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात 19 दिसंबर, 1961 को भारतीय सेना के 'ऑपरेशन विजय' के तहत गोवा, दमन और दीव द्वीपों का भारतीय संघ में विलय हो गया। जिसके बाद इन तीनों क्षेत्रों का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन किया गया।
- 30 मई, 1987 को केंद्र शासित प्रदेश का विभाजन हुआ और गोवा को भारत का 25वाँ राज्य बनाया गया।
- इस राज्य की सबसे महत्त्वपूर्ण निदयाँ जुआरी और मंडोवी हैं। जुआरी नदी के मुहाने पर मोर्मुगाओ बंदरगाह दक्षिण एशिया में सबसे अच्छे प्राकृतिक बंदरगाह में से एक है।

पोस्ट-इंटेंसिव केयर सिंड्रोम Post-Intensive Care Syndrome

हाल के कुछ दिनों में COVID-19 के कारण जो लोग ICU में भर्ती हुए थे उनमें से कई रोगी ICU से निकलने के बाद 'पोस्ट-इंटेंसिव केयर सिंड्रोम' (Post-Intensive Care Syndrome- PICS) से ग्रसित हो रहे हैं।

'पोस्ट-इन्टेसिव केयर सिंडोम' क्या है?

- इस सिंड्रोम से ग्रसित रोगी में कुछ शारीरिक, वैचारिक एवं मानसिक गिरावट देखने को मिलती है।
- ऐसे रोगियों को 'न्यूरोमस्कुलर' (Neuromuscular) कमजोरी का अनुभव हो सकता है अर्थात् उसे चलने-फिरने में परेशानी हो सकती है।
- मनोवैज्ञानिक विकलांगता किसी व्यक्ति में अवसाद, चिंता एवं अभिघात के बाद तनाव विकार (Post-Traumatic Stress Disorder- PTSD) के रूप में उत्पन्न हो सकती है।

लक्षण:

- PICS के सर्वाधिक सामान्य लक्षण दुर्बलता, थकान, चलने-फिरने में कष्ट, चिंता या अवसाद, यौन अक्षमता, अनिद्रा आदि हैं।
- गौरतलब है कि उपरोक्त लक्षण स्वास्थ्य लाभ के पश्चात् कुछ महीने या वर्षों तक रोगी में मौजूद रहते हैं।

'पोस्ट-इंटेंसिव केयर सिंड़ोम' का कारण क्या है?

- यदि कोई रोगी बहुत दिनों तक कृत्रिम श्वास प्रणाली के सहारे रहता है तो उसे 'सेप्सिस' (Sepsis) हो जाता है और साथ ही कई अंग निष्क्रिय हो जाते हैं।
- उल्लेखनीय है कि कृत्रिम श्वास प्रणाली पर रहने वाले 33% रोगियों की मांसपेशियाँ दुर्बल हो जाती हैं। इस स्थिति को ICU से उत्पन्न माँसपेशी दुर्बलता (ICU-Acquired Muscle Weakness- ICUAW) कहा जाता है। ऐसे रोगियों में आधे को सेप्सिस हो जाता है और जो रोगी ICU में कम-से-कम एक सप्ताह तक रहते हैं उनमें आधे रोगियों को ICUAW हो सकता है।

• ICU से निकलने वाले रोगियों में 30-80% को संज्ञानात्मक कार्यों के निष्पादन में कठिनाई होती है तथा मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट एवं अनिद्रा जैसी बीमारियाँ देखने को मिलती हैं।

बचाव:

- रोगी को बेहोश करने वाली औषिध की सीमित मात्रा दी जानी चाहिये, उन्हें शीघ्र ही चलने-िफरने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये तथा तीव्र शारीरिक एवं व्यावसायिक उपचार देना चाहिये।
- जहाँ तक संभव हो रोगियों को दर्द की दवाओं की सबसे कम खुराक दी जानी चाहिये और उन्हें अवसाद, चिंता एवं PTSD के उपचार के साथ-साथ फेफड़ों या हृदय पुनर्वास उपचार पर रखा जाना चाहिये।

एकीकृत कमांडर्स सम्मेलन Unified Commanders Conference

COVID-19 के कारण 22 एवं 23 अप्रैल को होने वाला भारतीय सेना का एकीकृत कमांडर्स सम्मेलन (Unified Commanders Conference- UCC) स्थिगत कर दिया गया है।

मुख्य बिंदुः

- एकीकृत कमांडर्स सम्मेलन रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में होने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। इसमें तीन सेना प्रमुख, सेना के विरष्ठ अधिकारी,
 रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल होते हैं।
- यह वार्षिक सम्मेलन 'संयुक्त मुद्दों' पर तीनों सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के बीच शीर्ष स्तर पर चर्चा के लिये एक मंच प्रदान करता है।
- इस सम्मेलन में भारत की रक्षा नीति, रक्षा सिद्धांत और परिचालन चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की जाती है।

सिविल सेवा दिवस- 2020 Civil Service Day- 2020

21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस (Civil Service Day) के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजिल अर्पित की जिन्होंने भारत के प्रशासनिक ढाँचे की कल्पना की और प्रगति-उन्मख एवं करुणामय प्रणाली के निर्माण पर जोर दिया।

उद्देश्य:

 इस दिवस का उद्देश्य भारतीय प्रशासिनक सेवा, राज्य प्रशासिनक सेवा के सदस्यों द्वारा स्वयं को नागरिकों के लिये समर्पित एवं वचनबद्ध करना है। यह दिन सिविल सेवकों को बदलते समय की चुनौतियों के साथ भिवष्य के बारे में आत्मिनरीक्षण एवं सोचने का अवसर प्रदान करता है।

पृष्ठभूमि

- सिविल सेवा दिवस के रूप में 21 अप्रैल की तारीख इसलिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि 21 अप्रैल, 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में प्रशासिनक सेवा के प्रोबेशनरी अधिकारियों को संबोधित करते हुए सिविल सेवकों को 'भारत का स्टील फ्रेम '(Steel Frame of India) कहा था।
- सिविल सेवा दिवस को पहली बार दिल्ली के विज्ञान भवन में 21 अप्रैल, 2006 को मनाया गया था।
- ब्रिटिश काल में 'सिविल सेवा' (Civil Service) शब्द का प्रयोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक नौकरियों में शामिल नागरिक कर्मचारियों के लिये किया जाता था।
- भारत में सिविल सेवा की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स (Warren Hastings) द्वारा रखी गई थी किंतु बाद में चार्ल्स कॉर्नवॉलिस (Charles Cornwallis) द्वारा इसमें अधिक सुधार किये गए इसलिये उन्हें 'भारत में नागरिक सेवाओं के पिता' (Father of Civil Services in India) के रूप में जाना जाता है।

'लोक प्रशासन में विशिष्टता के लिये प्रधानमंत्री पुरस्कार'

• सिविल सेवा दिवस के इस अवसर पर 'लोक प्रशासन में विशिष्टता के लिये प्रधानमंत्री पुरस्कार' (Prime Minister's Awards for Excellence in Public Administration) प्रदान किये जाते हैं।

- ये पुरस्कार नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करते हुए, भारत सरकार के लिये बेहतर काम करने हेतु सिविल सेवकों के लिये एक प्रेरणा के रूप में काम करते हैं।
- ये पुरस्कार जिला इकाइयों में सरकारी योजनाओं और नवाचार को बढ़ावा देने के लिये प्रदान किये जाते हैं। इसके अंतर्गत राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है-
 - पहले समूह में पूर्वोत्तर भारत के आठ राज्य तथा तीन पहाड़ी राज्य (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर) शामिल किये गए है।
 - दूसरे समृह में शेष 18 राज्य शामिल किये गए हैं।
 - तीसरे समृह में 7 संघ शासित प्रदेश शामिल किये गए हैं।

(राज्यों का यह वर्गीकरण जम्मू-कश्मीर राज्य के विभाजन से पूर्व का है)

सुबनिसरी नदी पर बेली / बैली पुल Bailey Bridge Over Subansiri River

हाल ही में सीमा सड़क संगठन (Border Roads Organisation- BRO) ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनिसरी जिले में सुबनिसरी नदी के ऊपर दापोरीजो (Daporijo) में 430 फीट लंबे बेली/बैली पुल का उन्नयन किया।

मुख्य बिंदुः

- अभी तक इस पुल का वजन 24 टन था जिसे अपग्रेड करके 40 टन किया गया है, जिससे भारी वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी।
- सीमा सड़क संगठन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में निर्मित इस रणनीतिक पुल के माध्यम से भारत- चीन के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात लगभग 3,000 सैनिकों को पर्याप्त मात्रा में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हो सकेगी और विवादित क्षेत्रों में आकस्मिकता के दौरान त्वरित सैन्य मदद सुनिश्चित कराई जा सकेगी।
- यह पुल आसपास के लगभग 451 गाँवों में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करने में मदद करेगा और ऊपरी सुबनिसरी जिले में बुनियादी ढाँचे के विकास में सहायक होगा।
- यह पुल भारी तोपों का भार सहन करने में सक्षम है जिन्हें वास्तिवक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control- LAC) तक आसानी से पहुँचाया जा सकता है।
- इस पुल का निर्माण सीमा सड़क संगठन, रक्षा मंत्रालय और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच समन्वय एवं सहयोग से पूरा किया गया है।

रणनीतिक महत्त्वः

- यह पुल सुबनिसरी नदी पर बने दो पुलों में से एक है जो अरुणाचल प्रदेश के दापोरीजो (Daporijo) क्षेत्र को शेष राज्य से जोड़ता है।
- यह पुल और अरुणाचल प्रदेश के तामिन (Tamin) के पास निर्मित अन्य पुल इस क्षेत्र के 600 से अधिक गाँवों तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के आसपास के 3000 सैन्य कर्मियों को मदद पहुँचाने में सक्षम है जिसमें असिफला (Asaphila) और माजा (Maza) विवादित क्षेत्र भी शामिल हैं। गौरतलब है कि भारत-चीन के मध्य वर्ष 2017 में डोकलाम विवाद ने इस क्षेत्र में भी संवेदनशीलता बढ़ा दी थी।
- भारत और चीन के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा की लंबाई 3488 किलोमीटर है जिसमें 1126 किलोमीटर अकेले अरुणाचल प्रदेश के साथ संबद्ध है।

सुबनिसरी नदी (Subansiri River):

- सुबनिसरी नदी का उद्गम तिब्बत के हिमालयी क्षेत्र से होता है। यह भारत में अरुणाचल प्रदेश से होती हुई दिक्षण में असम घाटी तक बहती है जहाँ यह लखीमपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है।
- इसे 'स्वर्ण नदी' भी कहा जाता है और यह अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है।
- सुबनिसरी नदी को 'व्हाइट वॉटर राफ्टिंग' (White Water Rafting) के लिये भारत की सबसे महत्त्वपूर्ण निदयों में से एक माना जाता है।
- इसकी सहायक नदियाँ सिए (Sie) और कमला (Kamla) हैं।

न्यू डेवलपमेंट बैंक New Development Bank

20 अप्रैल, 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्यू डेवलपमेंट बैंक (New Development Bank- NBD) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया।

मुख्य बिंदुः

- इस बैठक में भारतीय वित्त मंत्री ने एक विश्वसनीय वैश्विक वित्तीय संस्थान के रूप में न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सराहना की जो अधिक सतत् एवं समावेशी दृष्टिकोण को अपनाकर अपने निर्दिष्ट प्रयोजन को सफलतापूर्वक पूरा कर रहा है।
- वैश्विक महामारी COVID-19 पर चर्चा करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने ब्रिक्स देशों को लगभग 5 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिये 'न्यू डेवलपमेंट बैंक' द्वारा किये गए प्रयासों की सराहना की, जिसमें COVID-19 महामारी से निपटने के लिये भारत को 1 अरब डॉलर की आपातकालीन सहायता देना भी शामिल है।

न्यु डेवलपमेंट बैंक (NBD):

• न्यू डेवलपमेंट बैंक (NBD) को ब्रिक्स (BRICS) के सदस्य देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) द्वारा वर्ष 2014 में स्थापित किया गया था।

उद्देश्य:

 इसका उद्देश्य ब्रिक्स एवं अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं तथा विकासशील देशों में बुनियादी ढाँचे एवं सतत् विकास परियोजनाओं के लिये व्यापक संसाधन जुटाना है जिससे वैश्विक प्रगति व विकास के लिये बहुपक्षीय एवं क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा वर्तमान में किये जा रहे प्रयासों में तेज़ी लाई जा सके।

न्यू डेवलपमेंट बैंक (NBD) द्वारा भारत को दी गई वित्तीय मददः

- न्यू डेवलपमेंट बैंक (NBD) ने अब तक भारत की 14 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है जिनमें 4,183 मिलियन डॉलर की राशि निहित है।
- उल्लेखनीय है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की पहली वार्षिक बैठक वर्ष 2016 में चीन के शंघाई शहर में आयोजित की गई थी। जबिक इसकी दूसरी वार्षिक बैठक वर्ष 2017 में नई दिल्ली (भारत) में आयोजित की गई थी।

पृथ्वी दिवस-2020 Earth Day-2020

प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस (Earth Day) मनाया जाता है।

शीम•

• इस वर्ष पृथ्वी दिवस का थीम 'जलवायु कार्रवाई' (Climate Action) है।

उद्देश्य:

इसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है।

- इस वर्ष अर्थात् 22 अप्रैल, 2020 को पृथ्वी दिवस के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1970 में अमेरिकी सीनेटर गेलोर्ड नेल्सन (Gaylord Nelson) ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पृथ्वी दिवस की शुरुआत की थी जिसके बाद से विश्व में पृथ्वी दिवस मनाने की प्रक्रिया शुरू हुई।
- अमेरिकी सीनेटर गेलोर्ड नेल्सन (Gaylord Nelson) को 'पृथ्वी दिवस के जनक' के रूप में जाना जाता है।
- वर्ष 1970 में पहले पृथ्वी दिवस की शुरुआत के साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका में कई महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय कानून पारित किये गए, जिनमें वर्ष 1970 में स्वच्छ वायु अधिनियम, स्वच्छ जल अधिनियम एवं लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियमन के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (Environmental Protection Agency- EPA) का गठन भी शामिल था। इसके बाद विश्व के अनेक देशों में ऐसे ही पर्यावरणीय कानून पारित किये गए।

- पहले पृथ्वी दिवस को आधुनिक पर्यावरण आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है और अब इसे विश्व भर में जन जागरूकता आंदोलन के रूप में मान्यता दी गई है। जिसमें 192 देशों के अरबों नागरिक पृथ्वी के संरक्षण का संकल्प लेते हैं। इस दिन उत्तरी ध्रुव में वसंत तो दक्षिणी ध्रुव में शरद ऋतु होती है।
- गौरतलब है कि इसके अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के कारण वर्ष 2016 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु ऐतिहासिक पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर के लिये पृथ्वी दिवस (22 अप्रैल, 2016) के दिन को ही चुना गया था।

ई-रक्तकोष पोर्टल e-RaktKosh Portal

COVID-19 की स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (Union Minister of Health and Family Welfare) ने 21 अप्रैल, 2020 को बताया कि प्रत्येक रक्त समूह के वर्तमान भंडार की रियल टाइम स्थिति की निगरानी के लिये ऑनलाइन पोर्टल 'ई-रक्तकोष' (e-RaktKosh) का उपयोग किया जा रहा है।

मुख्य बिंदुः

- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने ब्लड बैंकों में रक्त की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों
 के स्वास्थ्य विभागों को पत्र लिखा है क्योंकि थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया (Sickle Cell Anemia) और हीमोफीलिया जैसे रक्त विकारों से पीड़ित लोगों के लिये नियमित रूप से रक्त-आधान काफी अहम है।
- COVID-19 प्रबंधन हेतु सहयोगी दृष्टिकोण के तहत, इंडियन रेड क्रॉस (Indian Red Cross) ने रक्त सेवाओं के लिये दिल्ली में एक 24X7 नियंत्रण कक्ष शुरू किया है।

ई-रक्तकोष पोर्टल:

- ई-रक्तकोष की शुरुआत 7 अप्रैल, 2016 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी।
- यह एक एकीकृत ब्लड बैंक प्रबंधन सूचना प्रणाली (Blood Bank Management Information System) है, जिसे सभी हितधारकों के साथ विकसित किया गया है। यह वेब-आधारित तंत्र राज्य के सभी ब्लड बैंकों को एक ही नेटवर्क से एकीकृत करता है।
 - एकीकृत ब्लड बैंक प्रबंधन सूचना प्रणाली का तात्पर्य विभिन्न सिक्रय डेटा की प्राप्ति, सत्यापन, भंडारण तथा परिसंचरण और रक्तदान एवं आधान सेवा (Transfusion Service) के बारे में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त जानकारी से है।
- यह एप्लिकेशन न केवल एक मोबाइल पर निकटतम ब्लड बैंक की जानकारी प्रदान करेगा बल्कि किसी दिये गए क्षेत्र में विशेष रक्त समूह की उपलब्धता के बारे में भी बतायेगा।
- ई-रक्तकोष, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट (Drug & Cosmetic Act), राष्ट्रीय रक्त नीति (National Blood Policy) के मानकों और रक्त के उचित संग्रह एवं दान तथा प्रभावी प्रबंधन व दान किये गए रक्त की गुणवत्ता एवं मात्रा की निगरानी के दिशा-निर्देशों को लागू करता है।

COVID इंडिया सेवा COVID India Seva

22 अप्रैल, 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने COVID-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिये परस्पर संवादात्मक प्लेटफॉर्म 'COVID इंडिया सेवा' (COVID India Seva) की शुरुआत की।

उद्देश्य:

 इसका उद्देश्य COVID-19 जैसी संकट की स्थिति के दौरान रियल टाइम में पारदर्शी ई-गवर्नेंस सेवाओं को सिक्रय करना और बड़े पैमाने पर नागरिकों के प्रश्नों का उत्तर देना है।

मुख्य बिंदुः

• यह (@CovidIndiaSeva) एक डैशबोर्ड के माध्यम से कार्य करता है जो बड़ी मात्रा में ट्वीट् किये गए मैसेजों को संशोधित करने में मदद करता है उन्हें समाधान योग्य बनाता है और फिर उन्हें रियल टाइम समाधान के लिये संबंधित प्राधिकरण को सौंपता है।

- इसकी मदद से प्रशिक्षित विशेषज्ञ, नागरिकों के साथ संचार के लिये एक प्रत्यक्ष चैनल निर्मित करके बड़े पैमाने पर आधिकारिक सार्वजनिक स्वास्थ्य जानकारी साझा करेंगे।
- गौरतलब है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापक प्रश्नों एवं सार्वजिनक स्वास्थ्य सूचनाओं से संबंधित नागरिकों के प्रश्नों के जवाब दिया जायेगा। जिससे लोगों को व्यक्तिगत संपर्क विवरण या स्वास्थ्य रिकॉर्ड विवरण साझा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

संयम Saiyam

हाल ही में पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने स्मार्ट सिटीज मिशन (Smart Cities Mission) के तहत 'संयम' (Saiyam) नाम से एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया है।

मुख्य बिंदुः

- इस एप्लिकेशन का प्रयोग प्रभावी रूप से होम-क्वारंटाइन नागरिकों को ट्रैक करने और यह सुनिश्चित करने के लिये कि वे वास्तव में घर में रह रहे हैं या नहीं, में किया जाएगा।
- इस मोबाइल एप्लिकेशन में जीपीएस ट्रैकिंग सुविधा होने के कारण जब भी क्वारंटाइन नागरिक अपना घर छोड़ता है तो यह शहरी प्रशासन को सतर्क करता है।
- जिससे इस एप की मदद से शहरी प्रशासन मॉनिटरिंग सेल से रियल टाइम के आधार पर नागरिकों के आवागमन की निगरानी कर सकता है
 और आवागमन को लाल, पीले या हरे रंग के रूप में चिह्नित कर सकता है।
 - लाल रंग: व्यक्ति लंबी अवधि के लिये बाहर गया है।
 - पीला रंग: व्यक्ति सीमित क्षेत्र में सीमित समय के लिये गया है।
 - हरा रंग: व्यक्ति घर की सीमा तक ही सीमित है।
- इसके अतिरिक्त पुणे के शहरी प्रशासन ने दैनिक आधार पर होम-क्वारंटाइन लोगों की जाँच करने हेतु पाँच क्षेत्रों के लिये टीमों की नियुक्ति की है।
- ये टीमें हाल ही में विदेशों से लौटने वाले और COVID-19 के उपचार के बाद डिस्चार्ज होने वाले लोगों की नियमित जाँच करेंगी।
 तदनुसार, ये टीमें क्वारंटाइन लोगों से स्वास्थ्य की स्थिति और उनके संपर्क में आए व्यक्तियों के विवरण पर जानकारी मांगेंगी। तथा यह भी जाँचेंगी कि क्या उनके लिये अलग भोजन, बिस्तर, बर्तन, कपडे और वॉशरूम प्रदान किये जाते हैं या नहीं।
- इस प्रकार पुणे शहरी प्रशासन ने होम-क्वारंटाइन नागरिकों की निगरानी के लिये प्रौद्योगिकी समाधान के पुरक प्रशासनिक उपाय किये हैं।

नूर Noor

22 अप्रैल, 2020 को ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर (Noor) को सफलतापूर्वक लॉन्च किया।

मुख्य बिंदुः

- इस सैन्य उपग्रह का प्रक्षेपण ईरान के मध्य रेगिस्तान (Central Desert) से किया गया।
 - ♦ मध्य रेगिस्तान (Central Desert) को फारसी भाषा में दश्त-ए-काविर (Dasht-e-Kavir) भी कहा जाता है।
- गौरतलब है कि ईरान द्वारा किया गया यह प्रक्षेपण अमेरिका और ईरान के मध्य परमाणु समझौते और जनवरी, 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले
 में मारे गए सैन्य जनरल कासिम सुलेमानी को लेकर दोनों देशों के मध्य बढ़ते तनाव के बाद किया गया है।

रावी नदी पर 484 मीटर लंबा स्थायी पुल 484 Meter Permanent Bridge on Ravi River

हाल ही में सीमा सड़क संगठन (Border Roads Organisation- BRO) ने देश के बाकी हिस्सों से पंजाब के कासोवाल एन्क्लेव (Kasowal Enclave) को जोड़ने के लिये रावी नदी पर 484 मीटर लंबे एक नए स्थायी पुल का निर्माण किया है।

मुख्य बिंदुः

- 484 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण प्रोजेक्ट चेतक (Project Chetak) के तहत 49 सीमा सड़क कार्यबल (Border Roads Task Force- BRTF) द्वारा किया गया है।
- इस पुल की निर्माण लागत 17.89 करोड़ रुपए (आवागमन मार्ग को छोड़कर) है।
- इस पुल के निर्माण से पहले लगभग 35 वर्ग किलोमीटर का यह क्षेत्र (कासोवाल एन्क्लेव) सीमित भार क्षमता के पंटून पुल के माध्यम से जुड़ा था।
- प्रत्येक वर्ष यह पंटून पुल मानसून से पहले ही ध्वस्त हो जाता था या रावी नदी की तेज धाराओं में बह जाता था। जिसके कारण मानसून के दौरान नदी के पार हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि का उपयोग किसान नहीं कर पाते थे।

विद्यादान 2.0 VidyaDaan 2.0

22 अप्रैल, 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री (Union HRD Minister) ने नई दिल्ली में ई-लर्निंग सामग्री को विकसित करने और उसमें योगदान करने के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 (VidyaDaan 2.0) का शुभारंभ किया।

मुख्य बिंदुः

- विद्यादान ई-लर्निंग सामग्री को विकसित करने तथा योगदान करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने के लिये एक सामान्य राष्ट्रीय कार्यक्रम है। जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु स्कूल एवं उच्च शिक्षा दोनों के लिये ई-लर्निंग संसाधनों का विकास हो सके।
- विद्यादान में एक कंटेंट आधारित टूल है जो किसी भी कक्षा (1 से 12 तक) के लिये राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्दिष्ट किसी भी विषय हेतु (जैसे- स्पष्टीकरण वीडियो, प्रस्तुतियाँ, योग्यता आधारित विषय-वस्तु, क्विज आदि) रिजस्टर करने और योगदान करने के लिये योगदानकर्त्ताओं को एक व्यवस्थित इंटरफेस प्रदान करता है।
- इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में विभिन्न शिक्षाविदों एवं शैक्षिक संगठनों को पाठ्यक्रम के अनुसार ई-लर्निंग सामग्री विकसित करने और इसमें योगदान देने के लिये जोड़ा जाएगा।
- देश भर के लाखों बच्चों को कभी-भी और कहीं-भी सीखने में मदद करने के लिये इस शिक्षण सामग्री का उपयोग दीक्षा एप (DIKSHA App) के माध्यम से किया जायेगा।
- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दीक्षा प्लेटफॉर्म का उपयोग सितंबर 2017 से 30 से अधिक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रियाओं को बढ़ाने के लिये किया जा रहा है।

एंथुरियम Anthurium

हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम की एक महिला नवप्रवंतक डी वासिनी बाई (D Vasini Bai) ने 'क्रॉस-पॉलिनेशन' (Cross-Pollination) के जरिये अत्यधिक बाजार मूल्य वाले फूल एंथुरियम (Anthurium) की दस किस्मों को विकसित किया है।

- एंथुरियम (Anthurium) रंगों की एक व्यापक श्रृंखला में उपलब्ध सुंदर दिखने वाले पौधों का एक विशाल समूह है। इसका उपयोग घरों के भीतर सजावटी पौधों के रूप में किया जाता है जिसके कारण इसकी विभिन्न किस्मों की माँग अधिक है।
- देश में समान कृषि जलवायु क्षेत्रों में इसके उत्पादन के लिये 'नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन' (National Innovation Foundation) ने बंगलूरु के भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (Indian Institute of Horticultural Research-IIHR) में टिशू कल्चर तकनीक (Tissue Culture Technique) के माध्यम से इसकी विभिन्न किस्मों को तैयार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- एंथुरियम घरेलू उपयोग में लाये जाने वाले विश्व के प्रमुख फूलों में से एक है। ये दिखने में सुंदर होने के साथ-साथ आस-पास की हवा को भी शुद्ध करते हैं और फॉर्मेल्डिहाइड, अमोनिया, टाल्यूईन (Toluene), जाइलीन और एलर्जी जैसे हानिकारक वायुजन्य रसायनों को हटाते हैं।

हवा से जहरीले पदार्थों को हटाने की विशेषता के कारण नासा (NASA) ने इसे 'हवा शुद्ध करने वाले पौधों' की सूची में रखा है।

डी वासिनी बाई का योगदान:

- डी वासिनी बाई द्वारा विकसित की गई इन किस्मों की विशिष्टता बड़े एवं मध्यम आकार के फूल हैं जिनमें असामान्य रंग संयोजनों के साथ स्पैथ (Spathe) और स्पैडिक्स (Spadix) (हल्के एवं गहरे नारंगी, मैजेंटा, हरे एवं गुलाबी रंग का संयोजन, गहरे लाल एवं सफेद रंग) हैं।
- उन्होंने नालीदार एस्बेस्टस शीट का उपयोग करके सीमित स्थान पर छोटे पौधे उगाने के लिये एक नई विधि भी विकसित की है।
 - ◆ उन्होंने उगाए गए छोटे पौधों को रोपने के लिये मिट्टी के गमलों के बजाय कंक्रीट के गमलों का उपयोग किया। इस विधि ने उन्हें सीमित स्थान पर अधिक पौधे उगाने में मदद की।
- एंथुरियम किस्मों को विकसित करने के लिये डी वासिनी बाई को मार्च 2017 में राष्ट्रपति भवन में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन-इंडिया द्वारा आयोजित नौवीं राष्ट्रीय द्विवार्षिक प्रतियोगिता में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- नेशानल इनोवेशन फाउंडेशन-इंडिया ने तिमलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयंबटूर में किस्म संबंधी परीक्षण कार्यक्रम के तहत छह मूल किस्मों के साथ डी वासिनी बाई की किस्मों के लिये वैधता परीक्षण की सुविधा प्रदान की। जिसके तहत विकसित किस्में विभिन्न रंगों तथा इनके चमकदार पत्ते माध्यम एवं बड़े दिल के आकार के रूप में विशिष्ट होते हैं।

उल्लेखनीय है कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन-इंडिया ने बंगलूरु के भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान और देश के समान कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों में टिशू कल्चर तकनीक के जिरये डोरा (Dora), जॉर्ज (George), जे.वी. पिंक (JV Pink) और जे.वी. रेड (JV Red) जैसी अत्यधिक बाजार मुल्य वाली किस्मों का बडे पैमाने पर उत्पादन करने की सुविधा भी प्रदान की है।

COVID-19 रिसर्च कंसोर्टियम COVID-19 Research Consortium

20 अप्रैल, 2020 को जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Biotechnology) और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (Biotechnology Industry Research Assistance Council) ने COVID-19 रिसर्च कंसोर्टियम के लिये प्राप्त आवेदनों के आधार पर बहु-स्तरीय समीक्षा प्रक्रिया जारी रखने और उपकरणों, नैदानिक, वैक्सीन बनाने वालों, चिकित्सीय और अन्य हस्तक्षेपों से जुड़े 16 प्रस्तावों के लिये वित्तपोषण की सिफारिश की है।

- COVID-19 रिसर्च कंसोर्टियम के लिये आवेदन का पहला चरण 30 मार्च, 2020 को समाप्त हुआ और शिक्षा एवं उद्योग जगत से लगभग 500 आवेदन प्राप्त हुए थे।
- COVID-19 से निपटने हेतु वैक्सीन तैयार करने के लिये विभिन्न प्लेटफॉर्मों का उपयोग करने वाले प्रस्तावों तथा ऐसे प्रस्ताव जो वैक्सीन विकास के विभिन्न चरणों में हैं, पर त्विरत निर्णय सुनिश्चित के लिये रिसर्च कंसोर्टियम के माध्यम से एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। इन प्रस्तावों को राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन (National Biopharma Mission) के तहत वित्तपोषित किया जायेगा।
- इसके लिये दोनों श्रेणियों- उच्च जोखिम वाले समूहों की तत्काल सुरक्षा के लिये मौजूदा वैक्सीन के उद्देश्य का फिर से निर्धारण और नए वैक्सीन के विकास प्रस्तावों पर विचार किया गया था।
 - → नोवल कोरोनावायरस सार्स सीओवी-2 (SARS-CoV-2) के खिलाफ DNA वैक्सीन के विकास को आगे बढ़ाने के लिये कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड (Cadila Healthcare Ltd) को वित्तपोषण के समर्थन की सिफारिश की गई है।
 - ◆ COVID-19 की वैक्सीन के लिये भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड (Bharat Biotech International Ltd) की सिफारिश की गई है जो निष्क्रिय रेबीज वेक्टर प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगा।
 - इसके अलावा, तीसरे चरण के लिये उच्च जोखिम वाले लोगों में पुनर्संयोजित BCG वैक्सीन (VPM1002) के मानव नैदानिक परीक्षणों के अध्ययन के लिये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Serum Institute of India Private Limited) की सिफारिश की गई है।

- नए वैक्सीन के विकास के मूल्यांकन की जिम्मेदारी निभाने वाली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, सार्स सीओवी- 2 (SARS-CoV-2) के खिलाफ वैक्सीन विकास को समर्थन प्रदान करेगी। इस संस्थान को भी वित्तीय सहायता प्रदान करने की सिफारिश की गई है।
- स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने तथा आण्विक (Molecular) एवं रैपिड डायग्नोस्टिक परीक्षण किटों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न कंपनियों जैसे- माईलैब डिस्कवरी सलूशन प्राइवेट लिमिटेड, ह्यूवेल लाइफसाइंसेज, यूबायो बायो टेक्नोलॉजी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, धीति लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, मैगजीनोम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, बिगटेक प्राइवेट लिमिटेड और याथुम बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, को वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।

नोट:

- उल्लेखनीय है कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Biotechnology), भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Science & Technology) के अंतर्गत आता है।
- जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (Biotechnology Industry Research Assistance Council), भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा स्थापित एक गैर-लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।

अंबुबाची मेला Ambubachi Mela

COVID-19 के कारण इस वर्ष गुवाहाटी (असम) के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेला (Ambubachi Mela) का आयोजन नहीं किया जायेगा।

मुख्य बिंदुः

- इस मेले का आयोजन गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पीठासीन देवी की वार्षिक माहवारी (Annual Menstruation) को दर्शाने वाले त्योहार के अवसर पर किया जाता है।
- पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कामाख्या मंदिर का निर्माण दानव राजा नरकासुर ने करवाया था। यह मंदिर नीलाचल पहाड़ियों (Nilachal Hills) के ऊपर अवस्थित है जिसका उत्तरी भाग ब्रह्मपुत्र नदी के तटीय ढाल तक जाता है।
 - ♦ किंतु इस मंदिर से संबंधित वर्ष 1565 के बाद के प्राप्त अभिलेखों में इसका पुनर्निर्माण कोच (Koch) साम्राज्य के राजा नर नारायण (Nara Narayana) ने कराया था।
- कामाख्या, 51 शक्तिपीठों में से एक है जो शक्ति पंथ के अनुयायियों के लिये एक पिवत्र स्थल है। शक्ति पंथ में ईश्वर की पूजा माता या देवी के रूप में की जाती है।
- उल्लेखनीय है कि COVID-19 के कारण पिछली 6 शताब्दियों में पहली बार इस उत्सव का आयोजन नहीं किया जायेगा।

अंबुबाची मेला (Ambubachi Mela):

- असम राज्य के गुवाहाटी शहर में आयोजित होने वाला यह पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है।
- अंबुबाची मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष 21-25 जून के मध्य (असम के अहार (Ahaar) महीने में) जब सूर्य मिथुन राशि में होता है,
 किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मेले के दौरान तीन दिन के लिये देवी के रजस्वला (Menstruation) होने के कारण कामाख्या मंदिर के कपाट स्वयं बंद हो जाते हैं।

तुलोनी बिया (Tuloni Biya):

- ऐसा माना जाता है कि कामाख्या मंदिर में वार्षिक माहवारी (Annual Menstruation) को चिह्नित करने वाले कर्मकांड आधारित इस त्योहार के कारण भारत के अन्य हिस्सों की तुलना में असम में मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाएँ कम हैं।
- असम में लड़िकयों में नारित्त्व (Womanhood) की प्राप्ति एक रस्म के साथ मनाई जाती है जिसे तुलोनी बिया (Tuloni Biya) कहा जाता है जिसका अर्थ 'छोटी शादी' है।

भारत के अन्य हिस्सों में इसी तरह की प्रथाएँ:

केरल के अल्लेप्पी (Alleppey) ज़िले के चेंगन्नूर (Chengannur) शहर में देवी मंदिर (Devi Temple) में इसी तरह की प्रथा का पालन किया जाता है। इसके तहत देवी के मासिक धर्म की अवधि के दौरान मंदिर को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस National Panchayati Raj Day

भारतीय प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल, 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (National Panchayati Raj Day) के अवसर पर COVID-19 से निपटने में ग्रामीण भारत के योगदान की सराहना की।

मुख्य बिंदुः

- प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।
 - ♦ पंचायती राज दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2010 में हुई थी। 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक पहचान मिली।
 - 🔷 इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग-९ जोडा गया था। मृल संविधान में भाग-९ के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा (अनुच्छेद 243) की गई है। भाग-9 में 'पंचायतें' नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243-243ण (243-243O) तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध हैं।
 - ♦ 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल (e-Gram swaraj Portal):

- इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एकीकृत ई-ग्रामस्वराज पोर्टल (e-Gramswaraj Portal) और मोबाइल एप लॉन्च किया।
 - यह पोर्टल भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj) की एक नई पहल है जो सभी ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (Gram Panchayat Development Plans) को तैयार करने एवं क्रियांवयन के लिये एकल इंटरफेस प्रदान करने के साथ-साथ रियल टाइम निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।

स्वामित्त्व योजना (Swamitva scheme):

- इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वामित्त्व योजना (Swamitva Scheme) का भी शुभारंभ किया।
- यह योजना पंचायती राज मंत्रालय, राज्य पंचायती राज विभाग, राज्य राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन तकनीकी द्वारा नवीनतम सर्वेक्षण विधियों के उपयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में रिहायशी जमीनों के सीमांकन के लिये संपत्ति सत्यापन का समाधान करेगी।

पुरस्कार:

- पंचायती राज मंत्रालय सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार के लिये बेहतर कार्यों को मान्यता और पंचायतों को प्रोत्साहन देने के तहत देश भर में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायतों एवं राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कृत करता है। इसके तहत निम्नलिखित तीन पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं:
 - नाना जी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार
 - बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार
 - ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार

मिल्क टी अलायंस Milk Tea Alliance

हाल के कुछ दिनों में सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं द्वारा एक अनौपचारिक शब्द 'मिल्क टी अलायंस' (Milk Tea Alliance) का प्रयोग बहुत किया जा रहा है।

मुख्य बिंदुः

- इस शब्द का प्रयोग थाईलैंड के सोशल मीडिया उपयोगकर्ता ताइवान एवं हांगकांग देशों की संप्रभुता का समर्थन करने के लिये कर रहे हैं।
 - अपने स्वयं के राजनियक एवं आर्थिक लाभ के लिये तथा दिक्षण-पूर्वी एशियाई क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करने के लिये थाईलैंड के सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने अन्य दिक्षण-पूर्व एशियाई देशों के सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को इसमें शामिल होने के लिये प्रेरित किया।
- 'मिल्क टी अलायंस' एक अनौपचारिक शब्द है जो सोशल मीडिया उपयोगकर्त्ताओं द्वारा गढ़ा गया है क्योंकि इस क्षेत्र (दक्षिण-पूर्वी एशियाई)
 में चीन को छोडकर शेष सभी देशों में दुध के साथ चाय का सेवन किया जाता है।
- इस ऑनलाइन युद्ध में सोशल मीडिया पर चीन को एक बाहरी देश के रूप में तथा 'मिल्क टी अलायंस' के सभी देशों के ध्वजों को एक साथ दिखाते हुए मीम्स बनाए गए।

इस ऑनलाइन युद्ध की शुरुआत क्यों हुई?

- इस ऑनलाइन युद्ध की शुरुआत एक थाई ट्विटर पोस्ट से हुई जिसमें सवाल किया गया था कि क्या चीन के वुहान में स्थित एक प्रयोगशाला में कोरोनोवायरस का उद्भव हुआ था ?
 - 🔷 ऐसे ही कुछ संबंधित ट्वीट ताइवान एवं हांगकांग के लोगों द्वारा भी किये गए थे।
- परिणामतः चीन समर्थक सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने थाईलैंड पर 'गरीब' और 'पिछड़ा' राष्ट्र होने का आरोप लगाया तथा थाईलैंड के राजा एवं प्रधानमंत्री का अपमान भी किया था।

देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य Dehing Patkai Wildlife Sanctuary

हाल ही में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ (National Board for Wild Life- NBWL) ने असम में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य (Dehing Patkai Wildlife Sanctuary) के एक हिस्से सालेकी (Saleki) में कोयला खनन की सिफारिश की।

मुख्य बिंदुः

- नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ (NBWL) ने जुलाई 2019 में खनन क्षेत्र का आकलन करने के लिये एक सिमित बनाई थी।
- नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ (NBWL) भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change- MoEFCC) के अंतर्गत कार्य करता है।
- सालेकी में कोयला खनन कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited) की एक इकाई नार्थ-ईस्टर कोल फील्ड (North-Easter Coal Field- NECF) द्वारा किया जायेगा।
- सालेकी, देहिंग पटकाई एलीफेंट रिजर्व (Dehing Patkai Elephant Reserve) का एक हिस्सा है जिसमें देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य के 111.19 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले वर्षा वन और शिवसागर, डिब्रूगढ़ एवं तिनसुकिया जिलों में कई आरक्षित वन शामिल हैं।

देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य (Dehing Patkai Wildlife Sanctuary):

- देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुिकया जिलों में स्थित है और 111.19 वर्ग िकमी (42.93 वर्ग मील) वर्षा वन क्षेत्र को कवर करता है।
- यह असम घाटी के उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन का एक हिस्सा है और इसमें तीन भाग- जेयपोर (Jeypore), ऊपरी देहिंग नदी (Upper Dehing River) और डिरोक वर्षावन (Dirok Rainforest) शामिल हैं।
- इसे जून, 2004 को एक अभयारण्य घोषित किया गया था। यह अभयारण्य देहिंग पटकाई एलीफेंट रिज़र्व का भी हिस्सा है।
- असम में वर्षा वन डिब्रूगढ़, तिनसुिकया और शिवसागर जिलों में 575 वर्ग िकमी (222 वर्ग मील) से अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं।
 - ♦ इन वनों के एक हिस्से को असम सरकार द्वारा वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था जबिक एक अन्य हिस्सा डिब्रू डोमाली एलीफेंट रिजर्व (Dibru Deomali Elephant Reserve) के अंतर्गत आता है।

- ◆ इन वर्षा वनों का विस्तार अरुणाचल प्रदेश के तिरप एवं चांगलांग जिलों में भी है। विस्तृत क्षेत्र और घने जंगलों के कारण इन वनों को अक्सर 'पूर्व का अमेजन' कहा जाता है।
- ◆ उल्लेखनीय है कि देहिंग पटकाई भारत में उष्णकिटबंधीय तराई वर्षा वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र है।

कृषि कल्याण अभियान Krishi Kalyan Abhiyaan

23 अप्रैल, 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (Union Minister for Agriculture & Farmers Welfare) ने बताया कि कृषि कल्याण अभियान (Krishi Kalyan Abhiyaan) के तीसरे चरण में किसानों की आय दोगुनी करने हेतु विविध कृषि पद्यतियों के लिये लगभग 17 लाख किसानों को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई गई है।

मुख्य बिंदुः

- कृषि कल्याण अभियान को देश के 112 आकांक्षी जिलों में लागू किया जा रहा है। कृषि कल्याण अभियान के अब तक दो चरण पूरे हो चुके
 हैं जिसमें 11.05 लाख किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) द्वारा प्रशिक्षित किया गया है।
- केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने तथा कृषि की तकनीकों में सुधार करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2018 में कृषि कल्याण अभियान (Krishi kalyan Abhiyaan) की शुरूआत की थी।
- कृषि कल्याण अभियान आकांक्षी जिलों (Aspirational Districts) के 1000 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक 25 गाँवों में चलाया जा रहा है। इन गाँवों का चयन ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नीति आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया है।
 - ♦ जिन जिलों में गाँवों की संख्या 25 से कम है, वहाँ के सभी गाँवों को (1000 से अधिक आबादी वाले) इस योजना के तहत कवर किया जा रहा है।
 - एक जिले के 25 गाँवों में समग्र समन्वय और कार्यान्वयन उस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र (Krishi Vigyan Kendra) द्वारा किया जा रहा है।

रिवर्स वैक्सीनोलॉजी Reverse Vaccinology

हाल ही में 'द तिमलनाडु डॉ. एम.जी.आर मेडिकल यूनिवर्सिटी' (The Tamil Nadu Dr. MGR Medical University), चेन्नई ने 'रिवर्स वैक्सीनोलॉजी' (Reverse Vaccinology) के माध्यम से सार्स-CoV-2 (COVID-19) से निपटने के लिये एक संभावित वैक्सीन को विकसित करने का प्रयास किया है।

- शोध के पहले चरण में, एक सिंथेटिक पॉलीपेप्टाइड विकसित किया गया है जो वायरल जीनोम को बाँध सकता है और अनुसंधान के अगले चरण में जाने के लिये पूरी तरह से तैयार है। यह प्रक्रिया रिवर्स वैक्सीनोलॉजी (Reverse Vaccinology) कहलाती है।
- इसमें जैव सूचना विज्ञान का उपयोग करते हुए वायरल जीनोम अनुक्रम के साथ काम किया जाता है। जिसके तहत एक सिंथेटिक पॉलीपेप्टाइड की पहचान की गई है जो वायरल जीनोम को बाँध सकता है।
- अगले चरण में, ऊतक सेल लाइनों पर इस पॉलीपेप्टाइड का परीक्षण किया जाएगा।
- शोधकर्त्ताओं का मानना है कि यह केवल पहला चरण है किंतु अध्ययन से पता चला है कि यह वैक्सीन 70% तक सही है। किंतु इसको अंतिम चरण तक पहुँचने में अभी कम-से- कम एक वर्ष लगेगा।
- विश्व भर में, इससे पहले रिवर्स वैक्सीनोलॉजी का उपयोग करके मेनिंगोकोकल (Meningococcal) और स्टाफ्यलोकोकल (Staphylococcal) संक्रमणों के लिये वैक्सीन निर्मित की गई थी।

मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एवं डायग्नोस्टिक्स लैबोरेटरी Mobile Virology Research and Diagnostics Laboratory

भारत के रक्षा मंत्री (Defence Minister) ने 23 अप्रैल, 2020 को एक मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स लैबोरेटरी (Mobile Virology Research and Diagnostics Laboratory- MVRLL) का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जिरये उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदुः

- इस मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च लैब का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation- DRDO) ने हैदराबाद के ESIC हॉस्पिटल, और निजी उद्योगों के साथ मिलकर विकसित किया है।
- MVRDL जैव-सुरक्षा स्तर (Bio-Safety Level) अर्थात् BSL-3 लैब और BSL-2 लैब का संयोजन है और इसे 15 दिनों के रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। यह एक दिन में 1000-2000 नमूनों की जाँच कर सकता है।
- यह मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च लैब COVID-19 के निदान और वायरस संवर्द्धन में ड्रग स्क्रीनिंग हेतु, प्लाज्मा थेरेपी, टीके के प्रति रोगियों की व्यापक प्रतिरक्षा प्रोफाइलिंग आदि में सहायक होगी।
- यह लैबोरेटरी विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation- WHO) और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research- ICMR) के जैव सुरक्षा मानकों का अनुपालन करती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों को पूरा किया जा सके।
- इस तरह के पहले MVRDL को 'ESIC हॉस्पिटल' के परामर्श से हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमरत (Research Centre Imarat- RCI) द्वारा विकसित किया गया था। इसे देश में कहीं भी स्थापित किया जा सकता है।

रिसर्च सेंटर इमरत (Research Centre Imarat- RCI):

- रिसर्च सेंटर इमरत (RCI) हैदराबाद में स्थित एक DRDO प्रयोगशाला है।
- यह प्रयोगशाला मिसाइल सिस्टम, गाइडेड हथियार और भारतीय सशस्त्र बलों के लिये उन्नत एवियोनिक्स (Avionics) के अनुसंधान एवं विकास में अहम भूमिका निभाती है।
- इसकी स्थापना डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने वर्ष 1988 में की थी।

पिच ब्लैक 2020 Pitch Black 2020

COVID-19 के कारण ऑस्ट्रेलिया में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 (Pitch Black 2020) को रद्द कर दिया गया है।

- यह अभ्यास विश्व भर की सेनाओं को एक साथ सहभागिता करने का एक अवसर प्रदान करता है।
- इससे पहले भारतीय वायुसेना ने पिच ब्लैक 2018 में पहली बार भाग लिया था।
- 'अभ्यास पिच ब्लैक' रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स (Royal Australian Air Force- RAAF) द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास है। जिसकी शुरूआत वर्ष 1981 में हुई थी।
- हाल के वर्षों में भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा एवं रणनीतिक जुड़ाव विशेष रूप से नौसैनिक सहयोग अधिक मजबूत हुआ है।
- वर्ष 2019 की शुरुआत में भारत एवं आस्ट्रेलिया के मध्य द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास AUSINDEX में अब तक के सबसे बड़े ऑस्ट्रेलियाई दल (1000 से अधिक कर्मियों) ने हिस्सा लिया था।

बसव जयंती Basava Jayanthi

भारतीय प्रधानमंत्री ने 26 अप्रैल, 2020 को बसव जयंती (Basava Jayanthi) के अवसर पर एक वीडियो संदेश में भगवान बसवेश्वरा को श्रद्धांजिल दी।

मुख्य बिंदुः

- बसव जयंती 12वीं शताब्दी के दार्शनिक एवं समाज सुधारक विश्वगुरु बसवेश्वरा के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है।
- भगवान बसवेश्वर 12वीं सदी के कवि-दार्शनिक थे और लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक संत थे।
- वैश्विक बसव जयंती- 2020 को भारत एवं विदेशों में उनके अनुयायियों को जोडने के लिये डिजिटल रूप से आयोजित किया गया।

भगवान बसवेश्वर के बारे में:

- बसवन्ना (भगवान बसवेश्वरा) के विचार उपन्यास रूप में लिपिबद्ध िकये गए हैं जिन्हें वचन (किवता) कहा जाता है। वर्ष 2017 में इनके पिवत्र वचनों के डिजिटलीकरण का काम शुरू िकया गया था।
- इस अभिनव साहित्यिक कृति का 'शरण आंदोलन' (Sharan Movement) में मुख्य योगदान है जिसमें वे अपनी क्रांतिकारी एवं सुधारवादी विचारधारा को सरल कन्नड़ भाषा में व्यक्त करते थे।
- इस प्रकार बसवेश्वरा के नेतृत्त्व में वचन (Vachana) आधारित आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सभी का कल्याण करना था।
- उन्होंने दो महत्त्वपूर्ण एवं नवीन अवधारणाएँ दीं जिन्हें 'स्थावरा' (Sthavara) और 'जंगम' (Jangama) कहा गया जिसका अर्थ क्रमश: 'स्थिर' एवं 'गितशील' है। ये दोनों अवधारणाएँ उनकी क्रांतिकारी विचारधारा का मुख्य आधार हैं।

सामाजिक/राजनीतिक/प्रशासनिक सुधारः

- भगवान बसवेश्वर एक महान सुधारक एवं प्रशासक थे, जिन्होंने न केवल समाज में किये गए सुधारों के बारे में प्रचार किया बिल्क उन्हें अपने जीवन में भी अपनाया एवं विकसित किया।
- भगवान बसवेश्वर की शिक्षाएँ आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत होने के साथ-साथ सामान्य नागरिक के जीवन के व्यावहारिक मार्गदर्शक के रूप में भी काम करती हैं।
- भगवान बसवेश्वरा ने समाजवादी एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था का विचार दिया। उन्होंने बारहवीं शताब्दी में मानव अधिकारों के बारे में बात की। उन्होंने मानव जीवन के प्रत्येक पहलू पर विचार किया और इसे सुधारने के लिये उपाय भी सुझाए थे।

धार्मिक सुधार:

- उन्होंने 'मंदिर की अवधारणा' को बदलने की कोशिश की जो विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न का मुख्य केंद्र था। उनका मानना था कि पुजारी और अमीर लोग भगवान एवं मंदिर के नाम पर आम लोगों का शोषण कर रहे हैं।
- उन्होंने मनुष्य के शरीर एवं आत्मा को एक नया आयाम दिया जिससे सभी मनुष्यों के आत्मसम्मान को बढ़ावा मिला।
- बसवन्ना पहले कन्निडिगा (Kannadiga) थे जिनके सम्मान में उनके सामाजिक सुधारों को मान्यता दी गई थी। उल्लेखनीय है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 2015 में लंदन के लम्बेथ (Lambeth) में थेम्स (Thames) नदी के किनारे बसवन्ना की प्रतिमा का अनावरण किया था।

चंद्रमा का एकीकृत भूगर्भिक मानचित्र Unified Geologic Map of the Moon

22 अप्रैल, 2020 को संयुक्त राज्य भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (United States Geological Survey- USGS), नासा (NASA) और लूनर एंड प्लैनेटरी इंस्टीट्यूट (Lunar & Planetary Institute) द्वारा चंद्रमा के पहले एकीकृत भूगर्भिक मानचित्र को जारी किया गया।

मुख्य बिंदुः

- एकीकृत भूगर्भिक मानचित्र भविष्य में चंद्रमा पर भेजे जाने वाले मानव मिशन के लिये एक खाका निर्मित करने का काम करेगा और चंद्रमा के भ्-विज्ञान में रुचि रखने वाले शिक्षकों व आम नागरिक के लिये अनुसंधान एवं विश्लेषण का एक स्रोत होगा।
- यह भूगर्भिक मानचित्र 1: 5,000,000 स्केल (पैमाने) पर आधारित है।
- इस भूगिर्भिक मानिचत्र द्वारा चंद्रमा की सतह का विश्लेषण किया गया जिसमें क्रेटर रिम क्रेस्ट (Crater Rim Crest), फिशर (Fissure), ग्रैबन (Graben), स्क्रैप (Scarp), मरे रिंकल रिज (Mare Wrinkle Ridge), फॉल्ट (Fault), गर्त (Trough), रिल्ले (Rille) आदि शामिल हैं।
- इस मानचित्र को निर्मित करने के लिये नासा के अपोलो मिशन (Apollo Mission) के डेटा का उपयोग किया गया है।

महत्त्वः

- चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव विशेष रूप से अधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह उत्तरी ध्रुव से बहुत बड़ा है और इसके स्थायी छाया क्षेत्रों में पानी की उपस्थिति की संभावना हो सकती है।
- इसके अलावा दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में प्रारंभिक सौर मंडल का जीवाश्म रिकॉर्ड भी शामिल है।
- आने वाले दिनों में चंद्रमा संबंधित मिशनों की सफलता को सुनिश्चित करने के लिये चंद्रमा का यह डिजिटल मानचित्र अधिक सहायक होगा। उल्लेखनीय है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अन्वेषण के लिये भारतीय अंतिरक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation- ISRO) का चंद्रयान-2 एक सिक्रय मिशन है। जिसे जुलाई 2019 में प्रक्षेपित किया गया था।

व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन United Nations Conference on Trade and Development

24 अप्रैल, 2020 को व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Conference on Trade and Development- UNCTAD) ने वार्षिक व्यापार एवं विकास रिपोर्ट-2019 जारी की।

- COVID-19 के मद्देनजर वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2020 एवं वर्ष 2021 में विकासशील देशों के सार्वजिनक बाह्य ऋण में \$2.4-3.6 ट्रिलियन की वृद्धि हो सकती है।
- इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अधिकतर विकासशील देश जो कई वर्षों से निरंतर ऋण बोझ से जूझ रहे थे, वे देश COVID-19 के कारण बढ़ती स्वास्थ्य एवं आर्थिक जरूरतों के साथ ऋण जाल में फँस गए हैं।
- COVID-19 संकट के कारण वित्तीय उथल-पुथल ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं एवं विकासशील देशों में तीव्र मुद्रा अवमूल्यन के कारण पूंजी के बहिर्वाह को गित प्रदान की है जिससे उनके द्वारा लिये गए ऋण अधिक प्रभावी हुए हैं। व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) द्वारा प्रकाशित कुछ अन्य प्रमुख रिपोर्ट:
- विश्व निवेश रिपोर्ट (World Investment Report)
- न्यूनतम विकसित देश रिपोर्ट (The Least Developed Countrie Report)
- सूचना एवं अर्थव्यवस्था रिपोर्ट (Information and Economy Report)
- प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट (Technology and Innovation Report)
- वस्तु तथा विकास रिपोर्ट (Commodities and Development Report)
 गौरतलब है कि विश्व भर में 24 अप्रैल का दिन शांति के लिये बहुपक्षवाद एवं कूटनीति के अंतर्राष्ट्रीय दिवस (International Day
 of Multilateralism and Diplomacy for Peace) के रूप में मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पहली बार 24
 अप्रैल. 2019 को मनाया गया था।

बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद Bodoland Territorial Council

COVID-19 के कारण असम में 'बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिलों' (Bodoland Territorial Area Districts- BTAD) में राज्यपाल शासन लागू हो सकता है।

• गौरतलब है कि बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (Bodoland Territorial Council- BTC) का मौजूदा कार्यकाल 27 अप्रैल, 2020 को समाप्त हो चुका है और इसके लिये 4 अप्रैल, 2020 को चुनाव होने थे किंतु COVID-19 महामारी के कारण इन्हें अनिश्चितकाल के लिये स्थिगित कर दिया गया है।

मुख्य बिंदुः

 राज्यपाल बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिलों (BTAD) का संवैधानिक प्रमुख होता है। बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिलों (BTAD) संविधान की 6वीं अनुसुची के अंतर्गत आता है और बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (BTC) द्वारा प्रशासित होता है।

स्वायत्त जिला परिषद (Autonomous District Council):

- भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में चार राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के वे जनजातीय क्षेत्र शामिल हैं जो अनुसूचित क्षेत्रों से तकनीकी रूप से भिन्न हैं।
- संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिये इन राज्यों में जनजातीय लोगों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान करती है। संविधान के अनुच्छेद 244 (2) और अनुच्छेद 275 (1) के तहत यह विशेष प्रावधान किया गया है।
 - यह एक स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद् और स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) के माध्यम से आदिवासियों को विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता देता है।
 - ◆ स्वायत्त जिला परिषद, राज्य के अंदर ऐसे जिले हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने राज्य विधान मंडल के अंतर्गत स्वायत्तता अलग-अलग रूप में प्रदान की है।
- चार राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों के रूप में गठित किया गया है किंतु वे संबंधित राज्य के कार्यकारी प्राधिकरण से बाहर नहीं हैं।

रोहतांग दर्रा Rohtang Pass

COVID-19 के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिलों को आवश्यक राहत सामग्री पहुँचाने के लिये सीमा सड़क संगठन (Border Roads Organisation- BRO) ने 25 अप्रैल, 2020 को तीन हफ्ते पहले ही रोहतांग दर्रे (Rohtang Pass) को खोल दिया।

- भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में रोहतांग दर्रा हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में 13,058 फीट पर अवस्थित है।
 - पीर पंजाल श्रेणी (Pir Panjal Range) हिमालय की एक पर्वतमाला है जो भारत के हिमाचल प्रदेश व जम्मू एवं कश्मीर तथा पाक-अधिकृत कश्मीर में विस्तृत है।
- रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रृंखला पर बना एक पर्वतीय रास्ता है जो मनाली से करीब 51 किलोमीटर दूर है। यह रास्ता कुल्लू घाटी को लाहौल एवं स्पीति से जोड़ता है।
- उल्लेखनीय है कि देश की सबसे लंबी सड़क सुरंगों में से एक अटल सुरंग (रोहतांग सुरंग) हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में रोहतांग दरें के नीचे 10,171 फुट की ऊँचाई पर बनाई जा रही है।

यह सुरंग मनाली और लेह के बीच की दूरी में 46 किलोमीटर की कमी करेगी और परिवहन लागत में करोड़ों रुपए की बचत करेगी। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में रोहतांग को भी गिना जाता है। जून के महीने में यहाँ अधिक संख्या में पर्यटक आते हैं। दिसंबर में सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी के बाद इसे बंद कर दिया जाता है और जून में इसे फिर से पर्यटकों के लिये खोल दिया जाता है।

नोबेल पुरस्कार और क्यूरी परिवार Nobel award and Curie Family

20 अप्रैल, 1902 को मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने पेरिस (फ्राँस) की एक प्रयोगशाला में पिचब्लेंडे (Pitchblende) नामक एक खिनज से रेडियोधर्मी 'रेडियम लवण' को सफलतापूर्वक पृथक किया।

मुख्य बिंदुः

- फ्राँसीसी भौतिक विज्ञानी हेनरी बेकरेल (Henri Becquerel) द्वारा फॉस्फोरेसेंस (Phosphorescence) पर वर्ष 1896 में किये गए प्रयोग से प्रेरित होकर क्यूरी युगल ने दो रेडियोधर्मी तत्त्वों पोलोनियम (परमाणु क्रमांक-84) और रेडियम (परमाणु क्रमांक- 88) का पता लगाया।
 - इस खोज के लिये वर्ष 1903 में मैरी क्यूरी (विश्व की पहली नोबल पुरस्कार पाने वाली महिला) को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया।
 - मैरी क्यूरी ने वर्ष 1903 के नोबेल पुरस्कार को अपने साथी शोधकर्त्ता पियरे क्यूरी और हेनरी बेकरेल के साथ रेडियोधर्मिता पर उनके संयुक्त काम के लिये साझा किया।
- शुद्ध धातु के रूप में रेडियम का उत्पादन करने के कारण मैरी क्यूरी को वर्ष 1911 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया।
 इस प्रकार वर्ष 1911 में उन्होंने दूसरा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचा।
- वर्ष 1911 में स्टॉकहोम (स्वीडन) में रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज़ (Royal Academy of Sciences) में एक व्याख्यान देते हुए मैरी क्यूरी ने 'रेडियोधर्मी तत्वों' और 'रेडियोधर्मिता' नामक घटना के बारे में कुछ महत्त्वपूर्ण विवरण साझा करते हुए बताया कि 'रेडियोधर्मिता पदार्थ की एक परमाणविक विशेषता है और यह नए तत्त्वों को खोजने का एक माध्यम प्रदान कर सकती है।'
- उन्होंने रेडियम के रासायनिक गुणों के बारे में भी बताया जो नए तत्त्व यूरेनियम की तुलना में एक लाख गुना अधिक रेडियोधर्मी था। हालाँकि नोबेल पुरस्कार पाने वाली मैरी क्यूरी, क्यूरी परिवार की अंतिम सदस्य नहीं थी। वर्ष 1935 में रेडियोधर्मी तत्त्वों के कृत्रिम निर्माण पर किये गए संयुक्त कार्य के कारण रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मैरी क्यूरी की पुत्री इरने क्यूरी (Irene Curie) और उनके पित एवं सह-शोधकर्त्ता फ्रैडिरिक जूलियट (Frederic Joliot) को दिया गया।
- इस प्रकार क्यूरी परिवार को कुल चार नोबेल पुरस्कार मिले हैं जो किसी एक एकल परिवार द्वारा जीता गया सर्वोच्च सम्मान है।

स्वामित्त्व योजना SVAMITVA Scheme

केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ने 27 अप्रैल, 2020 को नई दिल्ली में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj) की एक नई पहल स्वामित्त्व योजना (SVAMITVA Scheme) के बारे में दिशा-निर्देश जारी किया।

उद्देश्य:

 इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को अपनी आवासीय संपत्तियों के दस्तावेज का अधिकार प्रदान करना है तािक वे अपनी संपत्ति का उपयोग आर्थिक उद्देश्यों के लिये कर सकें।

- इस योजना को वर्तमान में छह राज्यों हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में प्रायोगिक तौर पर लागू किया जा रहा है।
- इसके तहत नवीनतम सर्वेक्षण विधियों एवं ड्रोन तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण आवास भूमि की मैपिंग की जा सकती है।

• इस वर्ष के दौरान पंजाब एवं राजस्थान में 101 सतत परिचालन संदर्भित स्टेशन (Continuously Operating Reference Stations- CORS) स्थापित किये जाएंगे जो अगले वर्ष गाँवों के आवासीय क्षेत्रों के सर्वेक्षण एवं मानचित्रण के लिये मंच तैयार करेंगे।

सहयोगी मंत्रालय/विभागः

 यह योजना भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय, राज्य पंचायती राज विभाग, राज्य राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन तकनीकी द्वारा नवीनतम सर्वेक्षण विधियों के उपयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में रिहायशी जमीनों के सीमांकन के लिये संपत्ति सत्यापन का समाधान करेगी।

स्वामित्व योजना के लाभ:

- यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के निर्माण एवं राजस्व संग्रह को सुव्यवस्थित करने और संपत्ति के अधिकार पर स्पष्टता सुनिश्चित करने में मदद करेगी। इससे संपत्ति संबंधी विवादों को हल करने में भी मदद मिलेगी।
- इसके कार्यक्रम के तहत बनाए गए मानचित्रों से बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (Gram Panchayat Development Plans- GPDPs) के निर्माण में मदद मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री ने ई-ग्राम स्वराज के बारे में एक मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure- SOP) भी जारी की। जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि पंचायतों को दी गई धनराशि का दुरुपयोग न हो और इसके इस्तेमाल में पारदर्शिता लाई जा सके।

- इस प्रक्रिया से पंचायती राज मंत्रालय के भुगतान पोर्टल पीआरआईएसॉफ्ट (Panchayati Raj Institutions Accounting Software- PRIASoft) और सार्वजिनक वित्त प्रबंधन प्रणाली (Public Finance Management System-PFMS) पोर्टल को एकीकृत करके एक मजबूत वित्तीय प्रणाली स्थापित करने में मदद मिलेगी।
 - ◆ इसका उद्देश्य विकेंद्रीकृत नियोजन, प्रगित रिपोर्टिंग एवं कार्य-आधारित लेखांकन के माध्यम से देशभर में पंचायती राज संस्थानों में
 ई-शासन की बेहतर पारदर्शिता एवं मजबूती को सुनिश्चित करना है।

राजा रिव वर्मा Raja Ravi Varma

प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार राजा रिव वर्मा (1848-1906) की जयंती 29 अप्रैल को मनाई जाती है जिन्हें भारतीय चित्रकला में प्रकृतिवाद की पश्चिमी संकल्पना तथा हिंदू देवी-देवताओं के शास्त्रीय प्रतिनिधित्व के लिये याद किया जाता है।

मुख्य बिंदुः

त्रावणकोर राजघराने से संबंधित राजा रिव वर्मा का जन्म वर्ष 1848 में किलिमन्नूर गाँव (केरल) में हुआ था।

शाही संरक्षणः

- 14 वर्ष की उम्र में राजा रिव वर्मा को त्रावणकोर के तत्कालीन शासक अयिल्यम थिरुनल (Ayilyam Thirunal) का संरक्षण मिला और शाही चित्रकार रामास्वामी नायडू से जलरंगों का तथा बाद में ब्रिटिश चित्रकार थियोडोर जेन्सेन (Theodore Jensen) से ऑयल पेंटिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया।
- त्रावणकोर के अलावा राजा रिव वर्मा ने अन्य धनी संरक्षक जैसे- बड़ौदा के गायकवाड़ के लिये भी काम किया।

कलाकृतियाँ:

- इन्होने प्रतिकृति या पोट्रेट (Portrait) एवं मानवीय आकृतियों वाले चित्र या लैंडस्केप दोनों चित्रों पर काम किया और इन्हें ऑयल पेंट का उपयोग करने वाले पहले भारतीय कलाकारों में से एक माना जाता है।
- हिंदू पौराणिक आकृतियों को चित्रित करने के अलावा राजा रिव वर्मा ने कई भारतीयों के साथ-साथ यूरोपीय लोगों को भी चित्रित किया।
- राजा रिव वर्मा को लिथोग्राफिक प्रेस (Lithographic Press) पर अपने काम के पुनरुत्पादन में महारत हासिल करने के लिये भी जाना जाता है जिसके माध्यम से उनके चित्रों को विश्व प्रसिद्धि मिली।

- उन्हें भारत में चित्रकला के यूरोपियनकृत स्कूल (Europeanised School of Painting) का सबसे महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधि माना जाता है।
- उनके प्रसिद्ध चित्रों में चाँदनी रात में नारी, सुकेशी, श्री कृष्ण, बलराम, रावण और सीता, शांतनु एवं मत्स्यगंधा, शकुंतला का पत्र लेखन, इंद्रजीत की विजय, हरिश्चंद्र, फल बेचने वाली, दमयंती आदि शामिल हैं।

पुरस्कार/सम्मानः

- इनके द्वारा वर्ष 1873 में बनाई गई पेंटिंग 'अपने बालों को सजाती हुई नायर स्त्री' (Nair Lady Adorning Her Hair) ने मद्रास प्रेसीडेंसी एवं वियना कला सम्मेलन में प्रस्तुत किये जाने पर प्रथम पुरस्कार जीता।
- वर्ष 1904 में ब्रिटिश सरकार की ओर से वायसराय लॉर्ड कर्जन ने राजा रिव वर्मा को कैसर-ए-हिंद गोल्ड मेडल (Kaiser-i-Hind Gold Medal) से सम्मानित किया।
- राजा रिव वर्मा के सम्मान में वर्ष 2013 में बुध ग्रह पर एक क्रेटर(गड्ढा) उनके नाम से नामित किया गया था।

दक्षिण एशिया मौसमी जलवायु आउटलुक फोरम South Asian Seasonal Climate Outlook Forum

23 अप्रैल, 2020 को दक्षिण एशियाई मौसमी जलवायु आउटलुक फोरम (South Asian Seasonal Climate Outlook Forum- SASCOF) ने दक्षिण एशिया में आगामी दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान सामान्य बारिश होने की उम्मीद जताई है।

मुख्य बिंदुः

- SASCOF अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और म्यांमार सहित दक्षिण एशियाई देशों के मौसम विज्ञानियों एवं हाइड्रोलॉजिकल विशेषज्ञों का एक संघ है।
 - इसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organization- WMO) के समर्थन से वर्ष 2010 में स्थापित किया गया था।
 - इसमें शामिल देश क्षेत्रीय पूर्वानुमान जारी करने के लिये सामूहिक रूप से काम करते हैं और प्रत्येक वर्ष दक्षिण-पश्चिम एवं उत्तर-पूर्व मानसून से संबंधित पूर्वानुमान जारी करते हैं।
 - ◆ अफगानिस्तान जो उत्तर-पश्चिम में स्थित है, को छोड़कर ये सभी दक्षिण एशियाई देश दक्षिण-पश्चिम मानसून की तरह सामान्य मौसम एवं जलवायवीय संबंधी विशेषताओं का सामना करते हैं।
- SASCOF को एक ऐसे मंच के रूप में स्थापित किया गया था जहाँ म्यांमार के साथ दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (South Asian Association of Regional Cooperation- SAARC) के सदस्य देशों के मौसम विज्ञानी सामान्य मौसम एवं जलवाय से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं।

SASCOF के कार्यः

 यह क्षेत्रीय पैमाने पर आम सहमित वाली एक मौसमी जलवायु संबंधी सूचना तैयार करता है जो राष्ट्रीय स्तर के आर्थिक दृष्टिकोण तैयार करने के लिये आधार प्रदान करते हैं।

प्रकृति PRACRITI

हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के शोधकर्त्ताओं ने भारत में COVID-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिये एक वेब-आधारित डैशबोर्ड 'प्रकृति' (PRACRITI) विकसित किया है।

• प्रकृति (PRACRITI) का पूर्ण रूप 'PRediction and Assessment of CoRona Infections and Transmission in India' है।

मुख्य बिंदुः

- यह वेब-आधारित डैशबोर्ड भारत में तीन सप्ताह की अविध तक COVID-19 मामलों की राज्य एवं जिलेवार विस्तृत भिवष्यवाणियाँ प्रदान करता है।
 - प्रशासिनक हस्तक्षेप, वायरस संक्रमण का संकट, मौसम के पैटर्न में बदलाव के कारण विभिन्न प्रभावों को समायोजित करने के लिये
 डेटा को साप्ताहिक आधार पर अपडेट किया जाता है।
- यह विभिन्न लॉकडाउन परिदृश्यों जैसे- जिले की सीमाओं को बंद करने और एक जिले के भीतर लॉकडाउन के विभिन्न स्तरों को लागू करने के प्रभावों का भी उल्लेख करता है।
- इसमें COVID-19 के मद्देनज़र ज़िला/राज्य की सीमाओं में लोगों की आवाजाही का प्रभाव भी शामिल किया गया है।
- प्रकृति (PRACRITI), केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Union Ministry of Health and Family Welfare), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority- NDMA) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) से उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर प्रत्येक जिले एवं राज्य के Ro परिणामों (Ro Values) को प्रदान करता है।
 - ♦ पुनुरुत्पादक संख्या (Reproduction number- Ro) जिसका उच्चारण 'आर नॉट' (R naught) के रूप में किया जाता है, उन लोगों की संख्या को बताता है जिनमें संक्रमण से संबंधित बीमारी किसी एक संक्रमित व्यक्ति से फैलती है। उदाहरण के लिये यदि एक COVID-19 रोगी दो व्यक्तियों को संक्रमित करता है तो Ro मान दो होता है।

चकमा एवं हाजोंग Chakma and Hajong

हाल ही में 'अधिकार एवं जोखिम विश्लेषण समूह' (Rights and Risks Analysis Group) ने अरुणाचल प्रदेश में चकमा (Chakma) एवं हजोंग (Hajong) समुदायों हेतु भोजन सुनिश्चित कराने के लिये भारतीय प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप की मांग की है।

मुख्य बिंदुः

- चकमा एवं हाजोंग समुदायों को कथित तौर पर COVID-19 महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा घोषित COVID-19 आर्थिक राहत पैकेज में शामिल नहीं किया गया है।
- चूँिक दोनों समुदायों के सदस्य कानूनी रूप से भारत के नागरिक बन गए हैं इसलिए भोजन से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।

चकमा (Chakma) एवं हजोंग (Hajong):

- ये नृजातीय लोग हैं जो चटगाँव पहाड़ी इलाकों में रहते थे जिसका अधिकांश भाग बांग्लादेश में स्थित है।
 - चकमा मुख्य रूप से बौद्ध हैं जबिक हाजोंग लोगों का संबंध हिंदू धर्म से है। ये मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश एवं म्यांमार में निवास करते हैं।
- चकमा एवं हाजोंग शरणार्थी मूलत: पूर्वी पाकिस्तान के चटगाँव हिल ट्रैक्ट्स (Chittagong Hill Tracts) के निवासी थे किंतु बांग्लादेश में कर्नाफुली (Karnaphuli) नदी पर बनाए गए कपटाई बाँध (Kaptai dam) के कारण जब वर्ष 1960 में उनका क्षेत्र जलमग्न हो गया तथा बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने के कारण इन दोनों समुदायों ने असम की लुशाई पहाड़ी (जिसे अब मिज़ोरम कहा जाता है) के माध्यम से भारत में प्रवेश किया।
 - इसके पश्चात् भारत सरकार द्वारा अधिकांश शरणार्थियों को उत्तर-पूर्व सीमांत एजेंसी (जिसे अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है) में बनाए गए राहत शिविरों में भेज दिया गया।
- वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार को अरुणाचल प्रदेश में रह रहे अधिकांश चकमा और हाजोंग शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने का आदेश दिया था।
- उल्लेखनीय है कि ये दोनों समुदाय नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act- CAA), 2019 के दायरे में नहीं आते हैं क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, CAA से छूट प्राप्त राज्यों में से एक है।

◆ वर्तमान में चकमा एवं हाजोंग नागरिकता अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार जन्म से नागरिक हैं और इनके पास भारत के नागरिक के रूप में वोट देने का अधिकार है। इन्हें वर्ष 2004 में मतदान का अधिकार दिया गया था।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात Tropical Cyclone

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department- IMD) ने 28 अप्रैल, 2020 को 169 उष्णकटिबंधीय चक्रवातों (Tropical Cyclones) जिनके बंगाल की खाड़ी एवं हिंद महासागर में आने की संभावना है, के नामों की एक नई सूची जारी की है।

मुख्य बिंदुः

- IMD, विश्व भर में स्थापित छह क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों (Regional Specialised Meteorological Centres- RSMCs) में से एक है। इसके अतिरिक्त IMD पाँच क्षेत्रीय उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र (Tropical Cyclone Warning Centres- TCWCs) जिन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित एडवाइजरी एवं नाम जारी करने का कार्य दिया जाता है, में से एक है।
- IMD बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई और यमन सहित 13 सदस्य देशों को आगामी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में एडवाइजरी जारी करता है।
- विभिन्न महासागरीय क्षेत्रों में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को संबंधित RSMCs और TCWCs द्वारा नामित किया गया है।
 - ♦ बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर सिंहत उत्तर हिंद महासागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को नाम नई दिल्ली स्थित RSMC द्वारा एक मानक प्रक्रिया के बाद प्रदान किये जाते हैं।
- सितंबर 2018 में आयोजित उष्णकटिबंधीय चक्रवात पर विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO)/एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के लिये संयुक्त
 राष्ट्र का आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (ESCAP) के 45वें सत्र के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की एक नई सूची की आवश्यकता
 को बताया गया था। इस सत्र की मेजबानी ओमान ने की थी।
 - उष्णकटिबंधीय चक्रवात पर WMO/ESCAP पैनल की स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी।
 - ♦ इसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकिटबंधीय चक्रवातों से बाढ़ एवं तूफान के कारण होने वाली जान-माल की क्षिति को कम करने के लिये योजना बनाना एवं उसके कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है।
- IMD प्रमुख ने सितंबर 2019 में अंतिम सूची प्रस्तुत की थी जिसे हाल ही में म्यांमार में आयोजित बैठक के दौरान अनुमोदित किया गया
 है।
 - इस सूची में कुल 169 नामों में से 13 सदस्य देशों के लिये 13-13 चक्रवातों के नाम शामिल हैं।
 - ◆ इस सूची में भारत से संबंधित भविष्य में आने वाले चक्रवातों के नाम गति, तेज, मुरासु (Murasu), आग, व्योम, झार, प्रोबाहो (Probaho), नीर, प्रभंजन, घुरनी, अंबुद, जलिंध एवं वेगा हैं।
 - ♦ कुछ अन्य नामों में बिप्रजॉय, अर्नब और उपाकुल शामिल हैं। इस सूची में बांग्लादेश के लिये निसारगा (Nisarga) और ईरान के लिये निवार (Nivar) जैसे नाम भी शामिल हैं।

COVID-19 डैशबोर्ड COVID-19 Dashboard

हाल ही में महाराष्ट्र के स्मार्ट सिटी कल्याण डोंबिवली नगर निगम (Kalyan Dombivli Municipal Corporation-KDMC) ने बताया है कि KDMC क्षेत्र में COVID-19 स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिये एक वेब-आधारित डैशबोर्ड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

मुख्य बिंदुः

• इस डैशबोर्ड को कल्याण-डोंबिवली नगर निगम की वेबसाइट और नगर शासन/प्रशासन के अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे: फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम के साथ लिंक करके सार्वजनिक कर दिया गया है।

- इस डैशबोर्ड की मुख्य विशेषता है कि 'ड्रॉप मेनु' (Drop Menu) का उपयोग कर नागरिक किसी भी मतदाता वार्ड के बारे में COVID-19 की स्थिति एवं संबंधित ग्राफ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- डैशबोर्ड सैटेलाइट व्यू, रोड मैप इत्यादि जैसे विकल्पों से बैकग्राउंड बेस मैप को परिवर्तित करके मानचित्रों को देखने के विविध विकल्प भी उपलब्ध कराता है।

अल्ज़ाइमर अवरोधक Alzheimer Inhibitor

हाल ही में विज्ञान पत्रिका 'आईसाइंस' (iScience) में प्रकाशित एक शोधकार्य में बताया गया है कि वैज्ञानिकों ने बर्बेरिन (Berberine) की संरचना को बेर-डी (Ber-D) में बदल दिया है ताकि इसका उपयोग अल्जाइमर अवरोधक (Alzheimer Inhibitor) के रूप में किया जा सके।

मुख्य बिंदुः

- यह शोधकार्य भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science & Technology- DST) के अधीन स्वायत्त संस्थान 'जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च' (Jawaharlal Nehru Centre For Advanced Scientific Research- JNCASR) के वैज्ञानिकों ने किया है।
- बर्बेरिन, करक्यूमिन (Curcumin) के समान एक प्राकृतिक एवं सस्ता उत्पाद है जो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध है। करक्यूमिन एक चमकीला पीला रसायन है जो करकुमा लोंगा पौधों (Curcuma longa plants) द्वारा निर्मित होता है।
- हालाँकि बर्बेरिन आसानी से नहीं घुलता है और कोशिकाओं के लिये विषाक्त होता है। यही कारण है कि वैज्ञानिकों ने बर्बेरिन को 'बेर-डी'
 में संशोधित कर दिया जो एक घुलनशील एंटीऑक्सीडेंट है। वैज्ञानिकों ने इसे अल्ज्ञाइमर रोग की बहुआयामी अमाइलॉयड विषाक्तता
 (Amyloid Toxicity) के लिये एक बहुक्रियात्मक अवरोधक के रूप में पाया।
- प्रोटीन संयोजन एवं अमाइलॉइड विषाक्तता ही मुख्य रूप से तंत्रिका कोशिकाओं में पाई जाने वाली बहुआयामी विषाक्तता के लिये जिम्मेदार होते हैं।
- वैज्ञानिकों ने जीवित कोशिकाओं में बहुआयामी विषाक्तता को दूर करने के लिये ही इस बहुक्रियाशील अवरोधक को विकसित किया है।
- अल्जाइमर रोग सबसे अधिक होने वाला तंत्रिका अपक्षयी विकार (Neurodegenerative Disorder) है और मनोभ्रंश (Dementia) के 70% से भी अधिक मामलों के लिये यही मुख्य कारण होता है।
- बहुआयामी विषाक्तता की वजह से इस रोग का स्वरूप बहुघटकीय होने के कारण शोधकर्त्ताओं के लिये इसकी कारगर दवा विकसित करना काफी मुश्किल हो गया है।

बेर-डी (Ber-D):

- बेर-डी की संरचनात्मक विशेषताएँ ऐसी हैं कि वे प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों (Reactive Oxygen Species) के सृजन को रोकती हैं और ऑक्सीकरणीय क्षति (Oxidative Damage) से बड़े जैविक अणुओं (Biomacromolecules) को बचाती हैं।
- बेर-डी (Ber-D) धातु-निर्भर एवं धातु-स्वतंत्र अमाइलॉइड बीटा (Aβ) जो अल्जाइमर रोग वाले लोगों के दिमाग में पाई जाने वाली अमाइलॉइड पिट्टिका के मुख्य घटक के रूप में अल्जाइमर रोग में महत्त्वपूर्ण रूप से शामिल एमिनो एसिड के पेप्टाइड हैं, के एकत्रीकरण को रोकता है।
- वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग की बहुआयामी अमाइलॉइड बीटा $(A\beta)$ विषाक्तता को प्रभावी रूप से लक्षित करने के लिये ही बेर-डी का विकास किया है।
- बर्बेरिन में 4 फेनोलिक हाइड्रॉक्सिल (Phenolic hydroxyl) समूह होते हैं जो मिथाइलयुक्त होते हैं इसलिए यह जल में अघुलनशील होते हैं।
- जल में घुलनशील पॉलीफेनोलिक व्युत्पन्न बेर-डी प्राप्त करने के लिये प्राकृतिक उत्पाद बर्बेरिन का विमेथिलीकरण (Demethylation) किया गया था।

• विमेथिलीकरण (Demethylation) एजेंट BBr3 या बोरॉन ट्राईब्रोमाइड (Boron Tribromide) से बर्बेरिन का विमेथिलीकरण करने से बेर-डी (Ber-D) प्राप्त हुआ। विस्तृत अध्ययनों से पता चला कि बेर-डी ने अल्जाइमर रोग की अमाइलॉइड बीटा (Aβ) विषाक्तता को नियंत्रित किया।

एचसीएआरडी HCARD

हाल ही में फ्रंटलाइन COVID-19 हेल्थकेयर वारियर्स की सहायता के लिये CSIR लैब द्वारा एक रोबोट 'एचसीएआरडी' (HCARD) विकसित किया गया है।

• 'एचसीएआरडी' (HCARD) का पूर्ण रूप 'हॉस्पिटल केयर अस्सेस्टिव रोबोटिक डिवाइस' (Hospital Care Assistive Robotic Device) है।

मुख्य बिंदुः

- यह डिवाइस/रोबोट COVID-19 संक्रमित लोगों से शारीरिक दूरी बनाए रखने में मुख्य स्वास्थ्य कर्मियों की मदद करेगा।
- इसका निर्माण 'सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट' के दुर्गापुर स्थित CSIR लेब ने किया है। यह उपकरण विभिन्न अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों से सुसज्जित है और नेवीगेशन के स्वचालित एवं मैनुअल दोनों तरीके से काम करता है।
- इस रोबोट को एक नियंत्रण स्टेशन द्वारा नियंत्रित एवं संचालित किया जा सकता है। इसमें निम्नलिखित विशेषताएँ शामिल हैं-
 - नेवीगेशन
 - रोगियों को दवाइयाँ व भोजन उपलब्ध कराने के लिये मेज जैसी दराज सिक्रयता प्रणाली (Drawer Activation System)
 - नमूना संग्रह एवं ऑडियो-विज्ञुअल कम्युनिकेशन
- इस रोबोट/डिवाइस की कीमत 5 लाख रुपये से कम है और इसका वजन 80 किलोग्राम से कम है।



বিবিধ

नवरत्नालु पेदलंदरिकी इलु कार्यक्रम

अंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देशों के आधार पर नवरत्नालु पेदलंदिरकी इलू कार्यक्रम (Navaratnalu-Pedalandariki Illu Programme) के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। 'नवरत्नालु पेदलंदिरकी इलू' का हिंदी में अर्थ है 'सभी गरीबों के लिये घर'। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को मात्र 1 रुपए में आवास स्थल का आवंटन किया जाएगा। आवास स्थल आवंटन के लिये राज्य सरकार लोगों से केवल 20 रुपए लेगी, जिसमें 10 रुपए स्टांप पेपर शुल्क के लिये और 10 रुपए लैमिनेशन शुल्क के लिये हैं। लाभार्थी आवंटित आवास स्थल का उपयोग केवल घर बनाने के लिये ही कर सकेंगे, वे इस स्थल को बेच नहीं सकेंगे। हालाँकि, नियमों के अनुसार कम-से-कम पाँच वर्ष तक आवास स्थल का उपयोग कर इसे बेचा जा सकेगा। इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश सरकार 25 मार्च को लाभार्थियों को आवास स्थल आवंटित करने वाली थी, किंतु कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी के कारण इस कार्यक्रम को टाल दिया गया है और नए कार्यक्रम के अनुसार, लाभार्थियों को 14 अप्रैल को आवास आवंटित किये जाएंगे।

आरोग्य सेतृ

कोरोनावायरस (COVID-19) के प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसे ट्रैक करने के लिये आरोग्य सेतु (Aarogya Setu) नाम का एक एप लॉन्च किया है। सरकार इस एप के जिरये संक्रमित लोगों की लोकेशन को ट्रैक कर सकेगी। इस एप के निर्माण का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्त्ताओं की मदद करना है तािक वे यह जान सकें कि वे किसी कोरोनावायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में हैं या नहीं। यह एप उपयोगकर्त्ताओं के लोकेशन और ब्लूट्रथ के इस्तेमाल से आवश्यक डेटा संग्रहित करेगा। सरकार द्वारा लॉन्च किये गए इस एप में कई अन्य विशेषताएँ भी हैं, जैसे कि इसमें दिये गए चैटबॉक्स की सहायता से उपयोगकर्त्ता कोरोनावायरस (COVID-19) के लक्षणों के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा इस एप में स्वास्थ्य मंत्रालय के अपडेटस और भारत के प्रत्येक राज्य के कोरोनावायरस हेल्प लाइन नंबर की सूची भी दी गई है। इस एप में कोरोनावायरस से बचाव के लिये टिप्स भी दिये गए हैं। इस वायरस के संदर्भ में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, भारत में इसके कारण 50 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और लगभग 1900 से अधिक लोग इसकी चपेट में हैं। वैश्विक स्तर पर इससे संक्रमित लोगों की संख्या 10 लाख के पार पहुँच गई है।

सनराइज मिशन

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) ने सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट मिशन अर्थात् सनराइज मिशन (Sunrise Mission) की घोषणा की है। नासा के इस मिशन का उद्देश्य सूर्य के विशालकाय सौर कण तूफान का अध्ययन करना और सौर प्रणाली के कार्य को समझना है। यह अध्ययन भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल ग्रह की यात्रा करने और सौर तूफानों से बचाने में मदद करेगा। इस मिशन के तहत सूर्य के स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया जाएगा, ध्यातव्य है कि आयनमंडल के कारण पृथ्वी से सूर्य के स्पेक्ट्रम का अध्ययन करना संभव नहीं हो पाता है। इस मिशन के तहत 6 सौर ऊर्जा संचालित क्यूबसैट (CubeSats) को जियोसिंक्रोनस-ऑबिंट में स्थापित किया जाएगा। ये क्यूबसैट सूर्य से उत्सर्जित कम आवृत्ति उत्सर्जन के रेडियो चित्र लेने के लिये रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करेंगे। इन चित्रों को डीप स्पेस नेटवर्क के जिरये धरती पर नासा के पास भेजा जाएगा। नासा (NASA) संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार की कार्यकारी शाखा की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के साथ-साथ वैमानिकी और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिये उत्तरदायी है। इसे वर्ष 1958 में स्थापित किया गया था।

उत्कल दिवस

1 अप्रैल, 2020 को ओडिशा में उत्कल दिवस अथवा ओडिशा दिवस का आयोजन किया गया। ध्यातव्य है कि 1 अप्रैल, 1936 को ओडिशा अस्तित्त्व में आया था। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात् ओडिशा तथा आस-पास की रियासतों ने नवगठित भारत सरकार को अपनी सत्ता सौंप दी थी। राज्य को एक अलग ब्रिटिश भारत प्रांत के रूप में स्थापित किया गया था और उसी के स्मरण में तथा राज्य के सभी नागरिकों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिये इस दिवस का आयोजन किया जाता है। उल्लेखनीय है कि आदिवासियों की जनसंख्या के मामले में ओडिशा भारत का तीसरा राज्य है। प्राचीन भारत में उड़ीसा किलंग साम्राज्य का हिस्सा था, 250 ईसा पूर्व में अशोक द्वारा इसे जीत लिया गया, जिसके पश्चात लगभग एक सदी तक यहाँ मौर्य वंश के शासन रहा।

AWS पीड़ितों को शराब मुहैया कराने पर रोक

केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के उस निर्णय पर आगामी 3 हफ्ते के लिये रोक लगा दी है, जिसमें राज्य सरकार ने अल्कोहल विड्रोवल सिंड्रोम (Alcohol Withdrawal Syndrome-AWS) के पीड़ितों को शराब प्राप्त करने की अनुमित दी थी। दरअसल, केरल सरकार ने AWS से पीड़ित लोगों की बुरी हालत को देखते हुए उन्हें चिकित्सीय परामर्श पर शराब मुहैया कराने के लिये विशेष पास जारी करने का निर्णय लिया गया था, तािक वे आबकारी विभाग के माध्यम से आसानी से शराब प्राप्त कर सकें। उल्लेखनीय है कि देश भर में कोरोनावायरस के बढ़ते प्रसार को देखते हुए कुछ ही दिनों पूर्व सरकार ने 21 दिवसीय लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसके कारण देश भर के कई हिस्सों मुख्य रूप से केरल में शराब न मिल पाने के कारण हताश होकर आत्महत्या की प्रवृत्ति जैसी समस्याएँ देखी जा रही हैं। राज्य सरकार ने इन्हीं समस्याओं के मद्देनज़र राज्य के लोगों को पास जारी करने का निर्णय लिया था। उल्लेखनीय है कि केरल में कोरोनावायरस के अब तक 286 मामले सामने आए हैं।

टोनी लुईस

वर्षा से प्रभावित सीमित ओवरों के क्रिकेट मैचों के नतीजे के लिये प्रयोग होने वाले डकवर्थ-लुईस स्टर्न पद्धित (Duckworth-Lewis-Stern Method) अर्थात् DLS नियम के सूत्रधार और गणितज्ञ टोनी लुईस का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। टोनी लुईस ने अपने गणितज्ञ साथी फ्रेंक डकवर्थ के साथ मिलकर वर्ष 1997 में डकवर्थ-लुईस स्टर्न पद्धित का प्रतिपादन किया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने वर्ष 1999 में इसे आधिकारिक स्वीकृति दी। गणित पर आधारित इस पद्धित का इस्तेमाल वर्षा से खेल बाधित होने पर सीमित ओवरों के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में किया जाता है। ध्यातव्य है कि क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप T20 मैचों के अनुकूल न होने के कारण इस पद्धित की आलोचना भी होती रही है। डकवर्थ और लुईस के पश्चात् स्टीवन स्टर्न इस प्रणाली से जुड़े और वर्ष 2014 में इस पद्धित को डकवर्थ-लुईस-स्टर्न नाम दिया गया। लुईस ने शेफील्ड विश्वविद्यालय से गणित और संख्यिकी में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की और ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए जहाँ वह 'क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स' के लेक्चरर थे। लुईस को क्रिकेट और गणित में योगदान के लिये वर्ष 2010 में ब्रिटिश साम्राज्य के विशिष्ट सम्मान एमबीई (MBE) से सम्मानित किया गया था।

BS-IV वाहनों की बिक्री की अनुमति

सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली/NCR के अतिरिक्त देश भर के वाहन डीलरों के पास लंबित BS-IV स्टॉक (सर्वोच्च न्यायालय को दी गई जानकारी के अनुसार) की सीमित और सशर्त बिक्री की अनुमित दी है, जो कुल स्टॉक के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये। न्यायालय के अनुसार यह आदेश COVID-19 के कारण देश में लगे लॉकडाउन की समाप्ति के 10 दिनों तक वैध होगा। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और दीपक गुप्ता की न्यायपीठ ने हाल ही में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जिरये इस विषय पर निर्णय दिया है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया है कि 1 अप्रैल, 2020 से दिल्ली-NCR में कोई भी BS-IV वाहन नहीं बेचा जाएगा। BS मानक यूरोपीय नियमों पर आधारित हैं। अलग-अलग देशों में ये मानक अलग-अलग होते हैं, जैसे-अमेरिका में ये टीयर-1, टीयर-2 के रूप में होते हैं, तो यूरोप में इन्हें यूरो मानक के रूप में प्रयोग किया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, BS-IV के मुकाबले BS-VI डीजल में प्रदूषण फैलाने वाले खतरनाक पदार्थ 70 से 75% तक कम होते हैं।

कोरोनावायरस के कारण विंबलडन रद्द

कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी की वजह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली सभी खेल प्रतियोगिताएँ या तो रद्द की जा चुकी हैं या फिर उन्हें कुछ समय के लिये टाल दिया गया है। जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों को एक वर्ष के लिये टालने के पश्चात् टेनिस के प्रतिष्ठित ग्रैंडस्लैम विंबलडन को भी रद्द करने का फैसला किया गया है। उल्लेखनीय है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् ऐसा पहली बार हुआ है, जब विंबलडन को रद्द करना पड़ा हो। ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रोकेट क्लब (All England Lawn Tennis & Croquet Club) ने कोरोना महामारी के कारण विंबलडन को रद्द करने का निर्णय लिया है। विंबलडन इस वर्ष 29 जून से शुरू होना था।

चिकित्सा पेशेवरों के लिये बायो सुट

रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation-DRDO) ने कोरोनावायरस (COVID-19) से लड़ने में मदद कर रहे चिकित्सा पेशेवरों को सुरक्षित रखने के लिये एक बायो सूट विकसित किया है। DRDO ने इस बायो सूट में नैनो प्रौद्योगिकी और कोटिंग में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग किया है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह बायो सूट स्वास्थ्य

एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों से भी बेहतर है। ध्यातव्य है कि यह सुट सिंथेटिक रक्त से भी सुरक्षा प्रदान करता है, सिंथेटिक रक्त कृत्रिम रूप से बनाया गया रक्त है जो एक मरीज को 48 घंटे तक आघात से बचाए रखता है। चिकित्सा पेशेवरों के लिये इस सूट का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाएगा। वर्तमान में इसकी उत्पादन क्षमता 7,000 प्रतिदिन है। DRDO की स्थापना वर्ष 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन (Defence Science Organisation- DSO) के साथ भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान (Technical Development Establishment-TDEs) और तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय (Directorate of Technical Development & Production- DTDP) के संयोजन के पश्चात् किया गया था। यह रक्षा प्रणालियों के डिजाइन एवं विकास के साथ-साथ भारत को तीनों सेनाओं की आवश्यकताओं के अनुसार विश्व स्तर की हथियार प्रणाली एवं उपकरणों के उत्पादन में आत्मिनर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है।

COVID-19 से मुकाबले के लिये 1 बिलियन डॉलर का फंड

विश्व बैंक ने कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी से निपटने के लिये भारत को 1 बिलीयन डॉलर का फंड उपलब्ध कराया है। उल्लेखनीय है कि यह विश्व बैंक द्वारा भारत को दिया गया अब तक का सबसे बड़ा अनुदान है। विश्व बैंक का यह अनुदान भारत के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कवर करेगा। आधिकारिक सचना के अनुसार, विश्व बैंक द्वारा दिये गए इस फंड का प्रबंधन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल सेंटर फॉर डिज़ीज कंटोल और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) द्वारा किया जाएगा। इस फंड के माध्यम से कोरोनावायरस से लंडने हेतु विभिन्न आवश्यक कदम जैसे- परीक्षण किटों की खरीद, आइसोलेशन वार्डों की स्थापना और सरक्षा उपकरणों की खरीद आदि उठाए जाएंगे। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की ऋण प्रदान करने वाली एक विशिष्ट संस्था है, जिसका उद्देश्य है सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक वृहद वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल करना तथा विकासशील देशों में गरीबी उन्मलन के प्रयास करना। यह नीति सधार कार्यक्रमों एवं संबंधित परियोजनाओं के लिये ऋण प्रदान करता है। विश्व बैंक की सबसे प्रमुख बात यह है कि यह केवल विकासशील देशों को ही ऋण प्रदान करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डी सी (अमेरिका) में अवस्थित है।

COVID-19 से संबंधित शिकायतों के लिये डैशबोर्ड

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री ने हाल ही में COVID-19 से संबंधित शिकायतों के लिये राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड शुरू किया है। इस डैशबोर्ड का संचालन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा किया जाएगा। इस डैशबोर्ड की स्थापना का उद्देश्य COVID-19 से संबद्ध गतिविधियों का त्वरित और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। डैशबोर्ड की शुरुआत के पहले ही दिन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से 43 शिकायतें, वित्त मंत्रालय से 26 शिकायतें और विदेश मंत्रालय से 31 शिकायतें प्राप्त हुईं। सूचना के अनुसार, सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दैनिक आधार पर इस शिकायत पोर्टल की निगरानी की जाएगी।

मंबई नेवल डॉकयार्ड की टेंपरेचर सेंसर गन

नौसेना के मुंबई स्थित डॉकयार्ड ने एक सस्ती टेंपरेचर सेंसर गन (तापमान मापक) विकसित की है, जिसका डिजाइन, निर्माण और उत्पादन मुंबई नेवल डॉकयार्ड द्वारा स्वयं किया गया है। इस तापमान मापक के निर्माण के लिये आवश्यक संसाधन भी मुंबई नेवल डॉकयार्ड द्वारा ही जुटाए गए हैं। इसका प्रयोग डॉकयार्ड के द्वार पर प्रवेश करने वाले कर्मियों की जाँच के लिये किया जाएगा। इस टेंपरेचर सेंसर गन की निर्माण लागत 1000 रुपए से भी कम है, जो कि बाज़ार में मौज़द अन्य टेंपरेचर सेंसर गनों की अपेक्षा काफी सस्ती है। इस टेंपरेचर सेंसर गन की सटीकता 0.2 डिग्री सेल्सियस है और इसमें एक एलईडी डिस्प्ले (LED Display) तथा एक इन्फ्रारेड सेंसर है। उल्लेखनीय है कि नौसेना के मुंबई स्थित डॉकयार्ड में तकरीबन 20,000 से अधिक कर्मी प्रवेश करते हैं। कोरोनावायरस के प्रकोप के बाद से देश में टेम्परेचर गन और नॉन-टच थर्मामीटर की कमी हो गई है। इस नई टेम्परेचर गन से डॉकयार्ड को अपनी स्क्रीनिंग प्रक्रिया को तेज़ करने में मदद मिलेगी।

हैक द क्राइसिस- इंडिया

हाल ही में केंद्र सरकार ने "हैक द क्राइसिस- इंडिया" (Hack the Crisis – India) नामक ऑनलाइन हैकाथॉन लॉन्च की है। इस हैकाथॉन का उद्देश्य कोरोनावायरस (COVID-19) के लिये एक व्यावहारिक समाधान खोजना और COVID-19 के खिलाफ लडाई को और मज़बूत बनाना है। इसका आयोजन 'हैक ए कॉज- इंडिया' और 'फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन पुणे' द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा इसे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) का समर्थन भी प्राप्त है। इस हैकाथॉन के माध्यम से कुछ शीर्ष भागीदार टीमों से मिले विचारों को लागू करके कोरोना संकट से निपटने का यथासंभव प्रयास किया जाएगा। ध्यातव्य है कि यह पहल एस्टोनिया (यूरोप का एक देश) में आयोजित हो रही "हैक द क्राइसिस" नामक पहल का हिस्सा है। इस पहल के तहत वैश्विक कार्यक्रम का आयोजन 9 अप्रैल, 2020 से अप्रैल 11. 2020 के बीच किया जाएगा। वर्तमान में इस पहल के प्रतिभागियों की संख्या 100,000 से अधिक हो गई है।

'करुना' पहल

IAS, IPS और IRS सहित भारत की विभिन्न सिविल सेवाओं के अधिकारियों ने कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी के विरुद्ध सरकारी प्रयासों को अपना समर्थन देने के लिये 'करुना' (CARUNA) नाम से एक विशेष पहल का शुभारंभ किया है। इस पहल का शुभारंभ भारतीय प्रशासिनक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) समेत केंद्रीय सिविल सेवा के अधिकारी संघ द्वारा किया गया है। 'करुना' एक प्रकार का विशेष सहयोगी मंच है जिसके तहत कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिये सिविल सेवक, उद्योगपित, गैर-सरकारी संगठनों के पेशेवर और IT पेशेवर एक साथ मिलकर काम करेंगे। इस पहल के माध्यम से COVID-19 से निपटने के लिये सरकार के 11 सशक्त समूहों के प्रयासों को सहायता देने के लिये जिला स्तर तक फैले अधिकारियों और विशेषज्ञों के नेटवर्क का प्रयोग किया जाएगा। इस मंच का उपयोग स्वास्थ्य उपकरणों और निर्माताओं के डाटाबेस को एकत्रित करने के लिये किया जाएगा और यह मंच दूरस्थ क्षेत्रों में आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति के वितरण की सुविधा भी प्रदान करेगा।

वेंटिलेटर 'जीवन'

भारतीय रेलवे ने देश में कोरोनावायरस (COVID-19) के बढ़ते प्रकोप के बीच 'जीवन' नाम से काफी सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है। 'जीवन' वेंटिलेटर को कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया है। इस वेंटिलेटर का अभी प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ICMR से इसे मंज़ूरी मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है। अभी देश में उपलब्ध वेंटिलेटर की अधिकतम संख्या तकरीबन 57000 है, किंतु यदि कोरोनावायरस संक्रमण तेजी से फैलता रहा तो स्थित काफी खराब हो सकती है और हमें देश में 15 मई तक 1.10 लाख से 2.20 लाख वेंटिलेटर तक की जरूरत पड़ सकती है। 'जीवन' वेंटिलेटर की कीमत बिना कंप्रेसर के लगभग 10000 रुपए होगी। इसे बनाने वाली रेलवे कोच फैक्ट्री (RCF) के अनुसार, यदि इसे ICMR की मंज़ूरी मिल जाती है तो रेलवे के पास प्रतिदिन 100 वेंटिलेटर बनाने की क्षमता है। ध्यातव्य है कि देश में कोरोनावायरस के तेजी से हो रहे प्रसार के कारण वेंटिलेटर की भारी कमी महसूस की जा रही है।

बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम

प्रसिद्ध अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबी ब्रायंट और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ (FIB) के महासचिव पैट्रिक बाउमन दोनों को मरणोपरांत बास्केटबॉल नाइस्मिथ मेमोरियल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ध्यातव्य है कि कोबी ब्रायंट का इसी वर्ष जनवरी माह में विमान दुर्घटना के कारण निधन हो गया था। कोबी ब्रायंट को बास्केटबॉल की दुनिया में सबसे महानतम खिलाड़ियों में गिना जाता था। कोबी ब्रायंट का जन्म 23 अगस्त, 1978 को अमेरिका के पेनिसलवेनिया (Pennsylvania) में हुआ था। वे अमेरिका की मशहूर बास्केटबॉल प्रतियोगिता NBA की टीम लॉस एंजेल्स लेकर्स से जुड़े हुए थे। वे वर्ष 1996 से लेकर 2016 तक लॉस एंजेल्स लेकर्स के साथ ही जुड़े रहे। उन्होंने अपने कॅरियर में कुल 33,643 पॉइंट्स स्कोर किये। वे वर्ष 2008 के बीजिंग ओलंपिक तथा वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली अमेरिकी बास्केटबॉल टीम का हिस्सा भी थे। पैट्रिक बाउमन का 51 वर्ष की उम्र में ब्यूनस आयर्स में वर्ष 2018 युवा ओलंपिक खेलों में भाग लेने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था।

सेना चिकित्सा कोर

हाल ही में भारतीय सेना की सेना चिकित्सा कोर ने अपनी 256वीं वर्षगांठ मनाई। सेना चिकित्सा कोर अपनी स्थापना के बाद से ही सशस्त्र किमीयों के लिये स्क्रीनिंग और उपचार सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। मौजूदा कोरोनावायरस (COVID-19) संकट में भी सेना चिकित्सा कोर अपने दायित्त्वों का निर्वाह कर रही है। प्राकृतिक आपदाओं में भी सेना चिकित्सा कोर ने आम नागरिकों की मदद के लिये चिकित्सा सेवाएँ प्रदान की हैं। सेना चिकित्सा कोर की स्थापना वर्ष 1764 को बंगाल मेडिकल सर्विस के रूप में की गई थी। इसके पश्चात् वर्ष 1943 में इसे इंडियन आर्मी मेडिकल कोर के नाम से पुनः स्थापित किया गया। इंडियन आर्मी मेडिकल कोर को 3 अप्रैल, 1943 को तीन सेवाओं, इंडियन मेडिकल सर्विस, इंडियन मेडिकल डिपार्टमेंट और इंडियन हॉस्पिटल कोर को समेकित करके बनाया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात् इंडियन आर्मी मेडिकल कोर का नाम बदलकर सेना चिकित्सा कोर कर दिया गया। सेना चिकित्सा कोर वर्तमान में देश की सशस्त्र सेनाओं को देशव्यापी स्तर पर उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाएँ प्रदान कर रही है। सेना चिकित्सा कोर का आदर्श वाक्य है: 'सर्वे संतु निरामयः'।

'प्राण वायु' वेंटिलेटर

कोरोनावायरस (COVID-19) के मामलों में हो रही बढ़ोतरी के कारण देश में प्रतिदिन वेंटिलेटरों की मांग भी बढ़ती जा रही है। अभी देश में उपलब्ध वेंटिलेटरों की अधिकतम संख्या तकरीबन 57000 है, किंतु यदि कोरोनावायरस संक्रमण तेजी से फैलता रहा तो स्थिति काफी खराब हो सकती है और हमें देश में लगभग 1.10 लाख से 2.20 लाख वेंटिलेटर तक की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में वेंटिलेटरों की बढ़ती मांग

को पूरा करने के लिये IIT रुड़की ने 'प्राण वायु' नामक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है। यह वेंटिलेटर सभी आयु समूहों के लिये प्रयोग किया जा सकता है। इसकी एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि इसे काफी कम लागत और कम समय में बनाया जा सकता है। भारतीय उद्योग पिरसंघ (Confederation of Indian Industry-CII) द्वारा आयोजित वेबिनार में 450 कंपनियों को 'प्राण वायु' वेंटिलेटर का डिज़ाइन प्रस्तुत किया गया है। यह पोर्टेबल वेंटिलेटर मॉडिफाइड रेलवे डिब्बों के लिये सर्वाधिक अनुकूल हैं। ध्यातव्य है कि अब तक 20,000 से अधिक रेलवे कोचों को अस्पताल के बिस्तरों में परिवर्तित किया गया है। इसके अलावा लगभग 70 रेलवे कोचों को आइसोलेशन वार्डों में बदला जाएगा।

प्रवीण राव

हाल ही में IT उद्योग की संस्था नासकॉम (NASSCOM) ने इंफोसिस के मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) प्रवीण राय को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह WNS ग्लोबल सर्विसेज के CEO केशव मुरुगेश का स्थान लेंगे। इसके अलावा एसेंचर्स (Accenture) की भारत में अध्यक्ष और वरिष्ठ प्रबंध निदेशक रेखा मेनन को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रवीण राय और रेखा मेनन की नियुक्तियों की घोषणा नासकॉम की कार्यकारी परिषद की बैठक में की गई, जिसका आयोजन COVID-19 संकट के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया था। ध्यातव्य है कि यह समय भारतीय IT उद्योग समेत तमाम उद्योगों के लिये एक चुनौतीपूर्ण समय है, क्योंकि भारत एक संकटपूर्ण स्थिति का मुकाबला कर रहे हैं।

एम.के. अर्जुन

प्रसिद्ध मलयालम संगीतकार एम.के. अर्जुन का हाल ही में कोची के पल्लुरूथी में 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। संगीतकार एम.के. अर्जुन ने अपने पाँच दशक लंबे कैरियर में 700 से अधिक गानों को संगीत दिया था। उन्होंने नाटकों में भी बड़े पैमाने पर काम किया था। वे मशहूर संगीतकार जी. देवराजन के शिष्य थे। एम.के. अर्जुन ने वर्ष 1968 में करुथापूर्णमी में एक संगीतकार के रूप में अपनी शुरुआत की। उन्होंने गीतकार श्रीकुमारन थम्पी के साथ लगभग 50 फिल्मों के लिये संगीत तैयार किया था। एम.के. अर्जुन का जन्म 1 मार्च, 1936 को केरल में हुआ था। ध्यातव्य है कि प्रसिद्ध संगीतकार ए.आर. रहमान ने भी अपना संगीत कैरियर की शुरुआत वर्ष 1981 में एम.के. अर्जुन के साथ ही की थी।

सेना चिकित्सा कोर

हाल ही में भारतीय सेना की सेना चिकित्सा कोर ने अपनी 256वीं वर्षगांठ मनाई। सेना चिकित्सा कोर अपनी स्थापना के बाद से ही सशस्त्र किमीयों के लिये स्क्रीनिंग और उपचार सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। मौजूदा कोरोनावायरस (COVID-19) संकट में भी सेना चिकित्सा कोर अपने दायित्त्वों का निर्वाह कर रही है। प्राकृतिक आपदाओं में भी सेना चिकित्सा कोर ने आम नागरिकों की मदद के लिये चिकित्सा सेवाएँ प्रदान की हैं। सेना चिकित्सा कोर की स्थापना वर्ष 1764 को बंगाल मेडिकल सर्विस के रूप में की गई थी। इसके पश्चात् वर्ष 1943 में इसे इंडियन आर्मी मेडिकल कोर के नाम से पुनः स्थापित किया गया। इंडियन आर्मी मेडिकल कोर को 3 अप्रैल, 1943 को तीन सेवाओं, इंडियन मेडिकल सर्विस, इंडियन मेडिकल डिपार्टमेंट और इंडियन हॉस्पिटल कोर को समेकित करके बनाया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात् इंडियन आर्मी मेडिकल कोर का नाम बदलकर सेना चिकित्सा कोर कर दिया गया। सेना चिकित्सा कोर वर्तमान में देश की सशस्त्र सेनाओं को देशव्यापी स्तर पर उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाएँ प्रदान कर रही है। सेना चिकित्सा कोर का आदर्श वाक्य है: 'सर्वे संतु निरामय:'।

'प्राण वायु' वेंटिलेटर

कोरोनावायरस (COVID-19) के मामलों में हो रही बढ़ोतरी के कारण देश में प्रतिदिन वेंटिलेटरों की मांग भी बढ़ती जा रही है। अभी देश में उपलब्ध वेंटिलेटरों की अधिकतम संख्या तकरीबन 57000 है, किंतु यदि कोरोनावायरस संक्रमण तेजी से फैलता रहा तो स्थित काफी खराब हो सकती है और हमें देश में लगभग 1.10 लाख से 2.20 लाख वेंटिलेटर तक की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में वेंटिलेटरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये IIT रुड़की ने 'प्राण वायु' नामक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है। यह वेंटिलेटर सभी आयु समूहों के लिये प्रयोग किया जा सकता है। इसकी एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि इसे काफी कम लागत और कम समय में बनाया जा सकता है। भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation of Indian Industry-CII) द्वारा आयोजित वेबिनार में 450 कंपनियों को 'प्राण वायु' वेंटिलेटर का डिजाइन प्रस्तुत किया गया है। यह पोर्टेबल वेंटिलेटर मॉडिफाइड रेलवे डिब्बों के लिये सर्वाधिक अनुकूल हैं। ध्यातव्य है कि अब तक 20,000 से अधिक रेलवे कोचों को अस्पताल के बिस्तरों में परिवर्तित किया गया है। इसके अलावा लगभग 70 रेलवे कोचों को आइसोलेशन वार्डों में बदला जाएगा।

प्रवीण राव

हाल ही में IT उद्योग की संस्था नासकॉम (NASSCOM) ने इंफोसिस के मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) प्रवीण राय को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह WNS ग्लोबल सर्विसेज के CEO केशव मुरुगेश का स्थान लेंगे। इसके अलावा एसेंचर्स (Accenture) की भारत में अध्यक्ष और वरिष्ठ प्रबंध निदेशक रेखा मेनन को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रवीण राय और रेखा मेनन की नियुक्तियों की घोषणा नासकॉम की कार्यकारी परिषद की बैठक में की गई, जिसका आयोजन COVID-19 संकट के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया था। ध्यातव्य है कि यह समय भारतीय IT उद्योग समेत तमाम उद्योगों के लिये एक चुनौतीपूर्ण समय है, क्योंकि भारत एक संकटपूर्ण स्थिति का मुकाबला कर रहे हैं।

एम.के. अर्जुन

प्रसिद्ध मलयालम संगीतकार एम.के. अर्जुन का हाल ही में कोची के पल्लुरूथी में 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। संगीतकार एम.के. अर्जुन ने अपने पाँच दशक लंबे कैरियर में 700 से अधिक गानों को संगीत दिया था। उन्होंने नाटकों में भी बड़े पैमाने पर काम किया था। वे मशहूर संगीतकार जी. देवराजन के शिष्य थे। एम.के. अर्जुन ने वर्ष 1968 में करुथापूर्णमी में एक संगीतकार के रूप में अपनी शुरुआत की। उन्होंने गीतकार श्रीकुमारन थम्पी के साथ लगभग 50 फिल्मों के लिये संगीत तैयार किया था। एम.के. अर्जुन का जन्म 1 मार्च, 1936 को केरल में हुआ था। ध्यातव्य है कि प्रसिद्ध संगीतकार ए.आर. रहमान ने भी अपना संगीत कैरियर की शुरुआत वर्ष 1981 में एम.के. अर्जुन के साथ ही की थी।

धन शोधन (रोकथाम) मानदंड

वित्त मंत्रालय ने सभी बैंकों में निष्क्रिय खातों को क्रियाशील बनाने के उद्देश्य से धन शोधन (रोकथाम) मानदंडों को कुछ समय के लिये निरस्त कर दिया है तािक सरकार द्वारा घोषित COVID-19 राहत पैकेज के तहत नकद हस्तांतरण लाभािथयों तक पहुँचा सके। बैंकों को दी गई विज्ञप्ति में वित्तीय सेवा विभाग ने कहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के उन खातों, जो विभिन्न कारणों से निष्क्रिय हो गए हैं, के लिये नियमों में संशोधन किया गया है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PM-GKY) के लाभािथयों को लाभ प्राप्त करने में किसी भी प्रकार कि कठिनाई का सामना न करना पड़े। उल्लेखनीय है कि हाल ही में सरकार ने PM-GKY के तहत सरकार ने समाज के गरीब और कमज़ोर वर्ग की महिलाओं हेतु तीन महीने के लिये प्रति माह 500 रुपए उनके खाते में स्थानांतिरत करने की घोषणा की थी। सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य कोरोनावायरस (COVID-19) के मद्देनजर लागू किये गए 21-दिवसीय लॉकडाउन के दौरान आजीविका के साधन खो बैठीं गरीब महिलाओं की मदद करना है। विज्ञप्ति के अनुसार, 'सभी बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि लाभािथयों को खाते की निष्क्रियता के आधार पर किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े और अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता या समस्या के बिना उन्हें सरकार द्वारा हस्तांतिरत धन राशि प्राप्त हो सके।'

जापान में आपातकाल घोषित

हाल ही में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान ने कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी का मुकाबला करने के लिये आपातकाल की घोषणा की है। महामारी के कारण घोषित किया गया आपातकाल 6 मई, 2020 तक लागू रहेगा। आधिकारिक सूचना के अनुसार, आरंभ में आपातकाल 6 प्रांतों में लागू किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं- कानागावा, चिबा, साईतामा, ओसाका, फुकुओका और ह्योगो। ध्यातव्य है कि जापान अपनी अधिक आयु वाली आबादी के लिये अधिक जाना जाता है, किंतु जापान में कोरोनावायरस से संक्रमित अधिकांश लोग 20-30 वर्ष आयु वर्ग से हैं। विश्लेषकों के अनुसार, इसका मुख्य कारण यह है कि क्योंकि सरकार महामारी के शुरूआती दौर में प्रमुख शहरों में सामाजिक एकत्रीकरण को रोकने में विफल रही थी। अनुमान के अनुसार, लॉकडाउन होने के कारण दूसरी तिमाही में जापान की अर्थव्यवस्था में 17 प्रतिशत की कमी आ सकती है। जापान में कोरोनावायरस से संक्रमण के 4000 से अधिक मामले सामने आए हैं और 81 लोगों की मृत्यु हुई है। वहीं दूसरी और वैश्विक स्तर पर संक्रमण का आँकड़ा 14 लाख के भी पार पहुँच गया है।

5T योजना

हाल ही में दिल्ली सरकार ने प्रदेश में कोरोनावायरस (COVID-19) की महामारी का मुकाबला करने के के लिये 5T योजना की घोषणा की है। 5T योजना में परीक्षण (Testing), ट्रेसिंग (Tracing), टीमवर्क (Team Work), उपचार (Treatment) और ट्रैकिंग (Tracking) शामिल हैं। परीक्षण (Testing) कार्यक्रम के तहत दिल्ली के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में 1 लाख परीक्षण किये जाएंगे। दिल्ली के वर्तमान हॉटस्पॉट क्षेत्रों में दिलशाद गार्डन और निजामुद्दीन शामिल हैं। ट्रेसिंग (Tracing) कार्यक्रम के तहत सरकार को उन लोगों की पहचान

करेगी जो COVID-19 से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं। पहचाने गए व्यक्तियों को अलग कर दिया जाएगा। उपचार (Treatment) कार्यक्रम के तहत लगभग 2,950 बिस्तर विशेष रूप से कोरोनावायरस संक्रमित रोगियों हेतू आरक्षित किये गए हैं। इसके अलावा 12,000 से अधिक होटल के कमरों को भी आरक्षित किया जाएगा। टीमवर्क (Team Work) के तहत दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार के साथ मिलकर कार्य करेगी। साथ ही इस कार्यक्रम के मुख्य सदस्य प्रौद्योगिकी पेशेवर, डॉक्टर और नर्स हैं। ट्रैकिंग (Tracking) कार्यक्रम के तहत सरकार 5T कार्यक्रम को लागु करने में उठाए जा रहे कदम की सिक्रय रूप से निगरानी करेगी।

अनुराग श्रीवास्तव

भारतीय विदेश सेवा (IFS) के अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव को विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। अनुराग श्रीवास्तव, रवीश कुमार का स्थान लेंगे, जिन्हें राजदृत संबंधी कार्य सौंपा गया है। ध्यातव्य है कि अनुराग 1999 बैच के IFS अधिकारी हैं और वे इससे पूर्व इथोपिया और अफ्रीकी युनियन के राजदूत के रूप में कार्य कर चुके हैं। इथोपिया में राजदूत के रूप में नियुक्त किये जाने से पूर्व श्रीलंका में भारतीय हाई कमीशन में राजनीतिक विंग के प्रमुख थे। वे श्रीलंका में भारत के सहयोग से चलाई जा रही विकास परियोजनाओं की निगरानी का कार्य कर रहे थे। अनुराग श्रीवास्तव संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई मिशन में भी अपनी सेवाएँ दे चुके हैं। इसके अलावा अनुराग दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में भी अलग-अलग पदों पर कार्य कर चुके हैं, जिनमें पाकिस्तान डिवीजन, अफगानिस्तान डिवीजन, ईरान डिवीजन और एक्सटर्नल पब्लिसिटी डिवीजन शामिल हैं।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

हाल ही में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India-NHAI) ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय राजमार्गों के 3,979 किलोमीटर के निर्माण का कार्य पूरा किया है। ध्यातव्य है कि यह NHAI की स्थापना के पश्चात से किसी एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त किया गया सर्वोच्च लक्ष्य है। भारत सरकार ने भारतमाला योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की परिकल्पना की है। भारतमाला योजना की शुरुआत वर्ष 2017-18 में सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसके अंतर्गत आर्थिक गलियारे, फीडर कॉरीडोर और इंटर कॉरीडोर, राष्ट्रीय कॉरीडोर, तटवर्ती सडकें, बंदरगाह संपर्क सडकें आदि का निर्माण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत निर्माण कार्य करने वाली मुख्य एजेंसियाँ हैं: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग और औद्योगिक विकास निगम तथा लोक निर्माण विभाग। भारत के संपूर्ण राजमार्ग संजाल को भारतीय 'राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण' द्वारा प्रबंधित किया जाता है और यह राजमार्गों के विकास तथा रखरखाव के लिये जिम्मेदार है। इस प्राधिकरण का गठन संसद के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 द्वारा किया गया था। यह प्राधिकरण सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।

इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन (iGOT)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अग्रिम पंक्ति में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग (Integrated Government Online Training-iGOT) पोर्टल की शुरुआत की है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष रूप से चिकित्सकों, नर्सों, अर्द्ध-चिकित्सा कर्मियों, टेक्नीशियनों, राज्य सरकार के अधिकारियों, नागरिक सुरक्षा अधिकारियों, विभिन्न पुलिस संगठनों, राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC), नेहरू युवा केंद्र संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, स्काउट गाइड और स्वेच्छा से कार्य करने के इच्छुक अन्य लोगों के लिये शुरु किया गया है। इस पोर्ट तक मंत्रालय द्वारा जारी किये गए लिंक (https://igot. gov.in) के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। यह प्लेटफॉर्म किसी भी स्थान, किसी भी समय प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करता है ताकि COVID-19 से प्रभावी तरीके से निबटने के लिये आवश्यक कार्यबल को और सशक्त बनाया जा सके।

बैंक बोर्ड ब्यूरो

भारत सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल दो साल के लिये बढ़ा दिया है। इस संदर्भ में जारी अधिसूचना के तहत इस बोर्ड के मौजूदा कार्यरत अंशकालिक चेयरमैन और सदस्यों की सेवा अवधि 11 अप्रैल से दो वर्ष के लिये बढ़ा दी गई है। फरवरी 2016 में सरकार ने 'बैंक बोर्ड ब्यूरो' का गठन किया और उसे सरकारी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों में शीर्ष पदों के लिये उम्मीदवार तय करने की जिम्मेदारी दी गई। बाद में सरकार ने बैंकों के लिये पूंजी जुटाने की योजना तैयार करने के अलावा व्यावसायिक रणनीति तैयार करने का दायित्त्व भी 'बैंक बोर्ड ब्यूरो' को सौंप दिया। प्रारंभ में पूर्व नियंत्रक महालेखापरीक्षक विनोद राय को इसका अध्यक्ष बनाया गया था।

COVID-19 हेतु इंटरनेट-नियंत्रित रोबोट

छत्तीसगढ़ के महासमुंद में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के एक ने डॉक्टरों के स्थान पर रोगियों की देखभाल करने के लिये एक इंटरनेट-नियंत्रित रोबोट का निर्माण किया है। छात्र के अनुसार, इस तकनीक का उपयोग डॉक्टरों के स्थान पर रोगियों की देखरेख करने के लिये किया जा सकता है। जिससे डॉक्टरों को जोखिम से बचाया जा सकता है। यह इंटरनेट द्वारा नियंत्रित रोबोट लोगों के साथ बातचीत कर सकता है। छात्र के अनुसार, इस रोबोट की लागत तकरीबन 5000 रुपए है। उल्लेखनीय है कि इस रोबोट को इंटरनेट से प्रत्यक्ष जोड़ा जा सकता है और इसे कहीं से भी संचालित किया जा सकता है। यह नया आविष्कार COVID-19 के विरुद्ध जंग में डॉक्टरों की सहायता करेगा।

शौर्य दिवस

प्रत्येक वर्ष 9 अप्रैल को देश में केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल (Central Reserve Police Force-CRPF) का शौर्य दिवस मनाया जाता है, किंतु इस कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी के कारण इस वर्ष शौर्य दिवस का आयोजन नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि 9 अप्रैल, 1965 को CRPF की एक छोटी टुकड़ी ने पाकिस्तान ब्रिगेड के आक्रमण को विफल कर दिया था, इस दौरान कच्छ (गुजरात) के रण में CRPF ने पाकिस्तान के हमले को नाकाम करते हुए 34 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था वहीं इस लड़ाई में CRPF के 6 जवान शहीद हुए थे। CRPF के जवानों की बहादुरी को हमेशा याद करने के लिये ही 9 अप्रैल के दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल (CRPF) भारत का प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है। CRPF की स्थापना क्राउन रिप्रेजेंटिक्स पुलिस (Crown Representative Police) के रूप में 27 जुलाई 1939 को की गई थी। 28 दिसंबर, 1949 को CRPF अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल का निर्माण किया गया था। केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल के प्रमुख कार्य क्षेत्र हैं-भीड़ पर नियंत्रण, दंगा नियंत्रण, उग्रवाद का विरोध, विद्रोह को रोकने के उपाय, वामपंथी उग्रवाद से निपटना, युद्ध की स्थिति में दुश्मन से लड़ना, सरकार की नीति के अनुसार संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भाग लेना आदि।

ऑपरेशन शील्ड (Operation SHIELD)

हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 'ऑपरेशन शील्ड' (Operation SHIELD) की घोषणा की है। शील्ड (SHIELD) का अर्थ है- सीलिंग (Sealing), होम क्वारंटाइन (Home Quarantine), आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग (Isolation and Tracing), एसेंशियल सप्लाई (Essential supply), लोकल सैनिटेशन (Local Sanitation) और डोर-टू-डोर चेक्स (Door-to-door Checks)। इस ऑपरेशन को राजधानी के 21 नियंत्रण क्षेत्रों में लागू किया जायेगा। इस ऑपरेशन के तहत सभी 21 क्षेत्रों तथा इसके आसपास के क्षेत्र को सील किया जाएगा, इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन किया जाएगा, लोगों के प्राथमिक और द्वितीय संपर्क का पता लगाया और उन्हें आइसोलेट किया जाएगा, सरकार ने वस्तुओं की आवश्यक आपूर्ति का आश्वासन दिया है, स्थानीय अधिकारियों द्वारा क्षेत्रों को सैनीटाइज किया जाएगा, इन क्षेत्रों में डोर-टू-डोर स्वास्थ्य जाँच की जाएगी। ध्यातव्य है कि दिल्ली सरकार ने इससे पूर्व कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी से मुकाबला करने के लिये 5T योजना लागू की थी। 5T योजना में परीक्षण (Testing), ट्रेसिंग (Tracing), टीमवर्क (Team Work), उपचार (Treatment) और ट्रैकिंग (Tracking) शामिल हैं।

'सेफ प्लस' ऋण

हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को 'सेफ प्लस' नाम से एक आपातकालीन ऋण प्रदान करने की घोषणा की है। इसके तहत कोरोनावायरस (COVID-19) से संबंधित चिकित्सा उपकरणों और उत्पादों के निर्माण में कार्यरत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को 1 करोड़ रुपए तक की कार्यशील पूंजी प्रदान की जाएगी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) की स्थापना 2 अप्रैल, 1990 को संसद के एक अधिनियम के तहत, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास के लिये एवं इसी प्रकार की गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं के कार्यों का समन्वय करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में की गई। SIDBI का गठन MSME के लिये ऋण प्रवाह को सुगम एवं सुदृढ़ बनाना तथा MSME पारितंत्र के वित्तीय एवं विकासपरक, दोनों प्रकार के अंतरालों की पूर्ति करने के उद्देश्य से किया गया था।

भारतीय खाद्य निगम

हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India- FCI) को निर्देश दिया है कि वह ओपन मार्केट सेल स्कीम (Open Market Sale Scheme-OMSS) के तहत ज़रूरतमंदों को पका हुआ भोजन देने वाले गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और धर्मार्थ संगठनों को खाद्यान्न उपलब्ध कराए। FCI को दिये गए निर्देशों के अनुसार, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान

गैर-सरकारी संगठन (NGOs) और धर्मार्थ संगठन ई-नीलामी के बिना FCI गोदामों से गेहूँ और चावल खरीद सकते हैं। चावल के लिये OMSS आरक्षित मूल्य 2,250 रुपए प्रति क्विंटल है और गेहूँ के लिये 2,135 रुपए प्रति क्विंटल है। भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India- FCI) 'उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय' के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत शामिल सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसकी स्थापना एक सांविधिक निकाय के रूप में भारतीय खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत वर्ष 1965 में की गई थी। इसका मुख्य कार्य खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री करना है।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों और मज़दूरों के लिये COVID-19 बीमा

खाद्य और उपभोक्ता कार्य मंत्री रामविलास पासवान ने भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India- FCI) के एक लाख से अधिक कर्मियों और मजदूरों के लिये COVID-19 बीमा सुरक्षा की घोषणा की है। खाद्य और उपभोक्ता कार्य मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, ऐसे सभी कर्मियों और मजदूरों को 35 लाख रुपए प्रति व्यक्ति तक का बीमा प्रदान किया जाएगा, जिनकी मृत्यु लॉकडाउन की घोषणा से 6 माह तक ड्यूटी के पश्चात् कोरोनावायरस (COVID-19) से होगी। घोषणा के अनुसार, COVID-19 से मृत्यु पर निगम के मजदूरों के परिजनों को 15 लाख रुपए, अनुबंधित मजदूरों के परिजनों को 10 लाख रुपए और निगम के अन्य कर्मियों के परिजनों को 25-35 लाख रुपए मिलेंगे। ध्यातव्य है कि अभी तक आतंकी हमले, बम विस्फोट, भीड़ हिंसा और प्राकृतिक आपदा के कारण निगम के कर्मियों की मृत्यु पर ही उनके परिजनों को क्षतिपूर्ति का प्रावधान था। भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India- FCI) 'उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय' के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत शामिल सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसकी स्थापना एक सांविधिक निकाय के रूप में भारतीय खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत वर्ष 1965 में की गई थी। इसका मुख्य कार्य खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री करना है।

घरेलू हिंसा की रिपोर्ट के लिये व्हाट्सअप नंबर

राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women-NCW) ने घरेलू हिंसा के मामलों की रिपोर्ट के लिये व्हाट्सअप नंबर (72177 35372) जारी किया है। महिला आयोग के अनुसार, इस व्हाट्सअप नंबर से संकट में उत्पीड़ित महिलाओं की सहायता की जा सकेगी। यह व्हाट्सअप नंबर लॉडडाउन की अवधि तक कार्य करेगा। ध्यातव्य है कि देशव्यापी लॉकडाउन लागू होने के पश्चात् से लिंग-आधारित हिंसा और घरेलू हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, जहाँ एक ओर मार्च के पहले सप्ताह (2-8 मार्च) में महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा के 116 मामले सामने आए वहीं मार्च के अंतिम सप्ताह (23 मार्च - 1 अप्रैल) में ऐसे मामलों की संख्या बढ़कर 257 हो गई। NCW के अनुसार, घरेलू हिंसा में हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था। NCW का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।

राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्त्व दिवस

प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। भारत इस दिवस का आयोजन करने वाला पहला देश है। इस दिवस का आयोजन कस्तूरबा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में किया जाता है। महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी देश में 'बा' के नाम से विख्यात हैं। कस्तूरबा गांधी का जन्म 11 अप्रैल, 1869 को पोरबंदर (Porbandar) में हुआ था, उनकी मृत्यु 22 फरवरी, 1944 को पुणे में हुई थी। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस का आयोजन देश में मातृ मृत्यु दर के चिंताजनक स्तर और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित प्रसव को लेकर जागरुकता की कमी जैसे मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से किया जाता है। इस दिवस के आयोजन की शुरुआत कस्तूरबा गांधी की जयंती पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 2003 में की गई थी। इस दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, तािक गर्भवती महिलाओं के पोषण पर ध्यान दिया जा सके।

शांति हीरानंद चावला

हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित शांति हीरानंद चावला का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। शांति हीरानंद चावला का जन्म वर्ष 1932 को ब्रिटिश भारत में लखनऊ (मौजूदा उत्तर प्रदेश) में हुआ था। गौरतलब है कि शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में शांति हीरानंद काफी प्रसिद्ध थीं। उन्होंने ठुमरी, दादरा और गज़ल जैसी विधाओं में बेगम अख्तर से शिक्षा हासिल की थी। शांति हीरानंद चावला ने इस्लामाबाद, लाहौर, बोस्टन और वाशिंगटन समेत दुनियाभर में कई स्थानों पर प्रस्तुति दी थी। शांति हीरानंद चावला ने "बेगम अख्तर: द स्टोरी ऑफ माय अम्मी" नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। इस पुस्तक में शांति हीरानंद चावला द्वारा उनकी गुरु, बेगम अख्तर के साथ उनकी यात्रा का वृतांत प्रस्तुत किया गया है। शांति हीरानंद चावला को वर्ष 2007 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

उन्नयन: मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (Bihar Education Project Council-BEPC) ने राज्य के सरकारी स्कूलों में पढने वाले 6वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिये 'उन्नयन बिहार कार्यक्रम' के तहत 'उन्नयन: मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय' नामक मोबाइल एप की शुरुआत की है। इस एप के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान घरों में रहकर भी छात्र अपनी पढाई कर सकेंगे। इस एप पर 6वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्र किसी भी विषय विशिष्ट की पुस्तकें डाउनलोड कर उसे पढ़ सकते हैं। इस एप पर पढाई के साथ-साथ प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा BEPC ने स्कूली छात्रों के लिये अध्ययन सामग्री के ऑडियो प्रसारण हेतु ऑल इंडिया रेडियो (AIR) के साथ कार्य करने की भी योजना बना रहा है। ध्यातव्य है कि अब तक 'उन्नयन बिहार कार्यक्रम' के तहत केवल 8वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की सामग्री ही उपलब्ध कराई गई थी, किंतु अब इस एप पर 6वीं से लेकर 12वीं तक का कंटेंट अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा BEPC कक्षा 4 और 5 के लिये सामग्री उपलब्ध कराने पर भी कार्य कर रहा है, इन कक्षाओं के लिये सामग्री तैयार की जा रही है। उल्लेखनीय है कि कोरोनावायरस के तीव्र प्रसार को रोकने के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 दिन के लिये देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, जिसे मौजूदा परिस्थित के मद्देनजर और अधिक बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में स्कूली छात्रों की पढाई सर्वाधिक प्रभावित हो रही है।

जलियाँवाला बाग हत्याकांड की वर्षगाँठ

13 अप्रैल, 2020 को जिलयाँवाला बाग हत्याकांड की 101वीं वर्षगाँठ है। ध्यातव्य है कि 13 अप्रैल, 1919 को अमृतसर (पंजाब) के जिलयाँवाला बाग में 'बैशाखी' के दिन सैंकड़ों निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई थी, इसे भारतीय इतिहास में सर्वाधिक दुखद नरसंहार के रूप में जाना जाता है। दरअसल 9 अप्रैल, 1919 को (कुछ स्रोतों में 10 अप्रैल भी) रोलैट एक्ट का विरोध करने के आरोप में पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉ. सत्यपाल एवं डॉ. सैफुद्दीन किचलू को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल, 1919 को अमृतसर (पंजाब) के जिलयाँवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। जनरल डायर ने इस विशाल सभा को अपने आदेश की अवहेलना माना और सभास्थल पर मौजूद निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। आँकड़ों के अनुसार, इस घटना में मरने वाले लोगों की संख्या 379 थी, किंतु वास्तव में इससे कहीं ज्यादा लोग मारे गए थे। इस नरसंहार के विरोध में रवींद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई 'नाइटहुड' (Knighthood) की उपाधि त्याग दी थी। इस हत्याकांड की जाँच के लिये कॉन्ग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। ब्रिटिश सरकार ने भी इस हत्याकांड की जाँच के लिये हंटर आयोग का गठन किया था।

हाइड़ोक्सीक्लोरोक्विन के उत्पाद और निर्यात में शीर्ष स्थान पर भारत

दुनिया में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन (Hydroxychloroquine- HCQ) के उत्पादन और निर्यात में भारत शीर्ष स्थान पर है। आँकड़ों के अनुसार, वैश्विक आपूर्ति में भारत की हिस्सेदारी तकरीबन 70 प्रतिशत है। फार्मास्क्युटिकल्स विभाग (Department of Pharmaceuticals) के अनुसार, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की उत्पादन क्षमता देश की आवश्यकता और निर्यात की मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक मलेरियारोधी दवा है। यह क्लोरोक्विन (Chloroquine) का एक यौगिक/डेरिवेटिव (Derivative) है, जिसे क्लोरोक्विन से कम विषाक्त (Toxic) माना जाता है। रूमेटाइड आर्थराइटिस (Rheumatoid Arthritis) और लूपस (Lupus) जैसी कुछ अन्य बीमारियों के मामलों में भी डॉक्टर की सलाह पर इस दवा का उपयोग किया जाता है। मार्च, 2020 में प्रकाशित एक फ्राँसीसी वैज्ञानिक के शोध के अनुसार, COVID-19 से संक्रमित 20 मरीजों में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के प्रयोग से अन्य मरीजो की तुलना में बेहतर परिणाम पाए गए। हालाँकि, विश्व की किसी भी स्वास्थ्य संस्था द्वारा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को COVID-19 के उपचार के लिये प्रमाणित नहीं किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक रोग प्रतिरोधक है और यह इलाज नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस

प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस का आयोजन किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 अप्रैल, 2011 को पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य मानव जाति के लिये अंतरिक्ष युग की शुरुआत का जश्न मनाने और सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकों के महत्त्व को याद करना है। ध्यातव्य है कि पूर्व सोवियत संघ के नागरिक यूरी गेगरिन ने 12 अप्रैल, 1961 को वोस्टॉक नामक अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष के लिये पहली उड़ान भरी थी, जिसके साथ वे अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। इस एतिहासिक घटना ने मानव जाति के लिये अंतरिक्ष की खोज के रास्ते खोल दिये और इस क्षेत्र में आज भी नई-नई खोज की जा रही हैं।

डिजिटल स्टेथोस्कोप

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-बॉम्बे (IIT-B) की एक टीम ने 'डिजिटल स्टेथोस्कोप' (Digital Stethoscope) विकसित किया है, जो कोरोनावायरस से संक्रमित व्यक्ति के सीने की आवाज को दूर से सुनने और उसे रिकॉर्ड करने में मदद करेगा। डिजिटल स्टेथोस्कोप का मुख्य उद्देश्य संक्रमित व्यक्ति के उपचार के दौरान डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। डिजिटल स्टेथोस्कोप से पीडित के सीने का ऑस्कल्टेटेड (Auscultated) साउंड ब्लूट्रथ (Bluetooth) के माध्यम से डॉक्टर तक पहुँचेगा, जिससे उन्हें मरीजों के नजदीक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ध्यातव्य है कि IIT-बॉम्बे की टीम को इस डिवाइस का पेटेंट भी प्राप्त हो चुका है। इस स्टेथोस्कोप को IIT टेक्नोलॉजी बिज़नेस इनक्यूबेटर द्वारा संचालित स्टार्टअप 'आयुडिवाइस' (AyuDevice) द्वारा तैयार किया गया है। IIT-बॉम्बे की टीम ने 1000 डिजिटल स्टेथोस्कोप देश भर के विभिन्न अस्पतालों में भेजे हैं। विदित है कि कोरोनोवायरस से संक्रमित रोगियों को अक्सर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याओं का सामना करना पडता है, ऐसी स्थिति में डॉक्टर पारंपरिक स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं जिसके कारण वे डॉक्टर भी इस वायरस से संक्रमित हो जाते हैं। नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, देश में कोरोनावायरस से मरने वाले लोगों को संख्या 339 पर पहुँच गई है, और अब तक देश में इस वायरस से लगभग 10000 लोग संक्रमित हो गए हैं।

अशोक देसाई

हाल ही में पूर्व अटॉर्नी जनरल अशोक देसाई का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अशोक देसाई का जन्म 24 जून, 1942 को हुआ था। मुंबई से लॉ की शिक्षा और लंदन स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स (LSE) से परास्नातक के पश्चात् उन्होंने वर्ष 1956 में बॉम्बे उच्च न्यायालय में अपनी प्रैक्टिस शुरू की। अशोक देसाई 9 जुलाई, 1996 से 6 मई, 1998 तक देश के अटॉर्नी जनरल (Attorney General) रहे। इससे पूर्व, 18 दिसंबर, 1989 से 2 दिसंबर, 1990 तक वह सॉलिसिटर जनरल (Solicitor General) रहे। अशोक देसाई को वर्ष 2000 में राष्ट्रीय कानून दिवस पुरस्कार और वर्ष 2001 में पदम भूषण से सम्मानित किया गया था। उल्लेखनीय है कि अशोक देसाई ने समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर रखने, नर्मदा बांध प्रकरण और गैर-कानुनी प्रवासी (अधिकरण द्वारा निर्धारण) कानुन जैसे जनहित के अनेक मामलों में उच्चतम न्यायालय में बहस की।

सियाचिन दिवस

13 अप्रैल, 2020 को भारतीय सेना ने सियाचिन के वीर शहीदों को याद करते हुए 36वां सियाचिन दिवस मनाया। सियाचिन दिवस पर भारतीय सेना के सैनिकों द्वारा दुनिया में सबसे ऊँचे और सबसे ठंडे युद्धक्षेत्र को सुरक्षित करने के लिये उनके अदम्य साहस को याद किया जाता है। दरअसल 13 अप्रैल, 1984 को भारतीय सेना द्वारा 'ऑपरेशन मेघदूत' को लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सैनिकों ने संपूर्ण सियाचिन ग्लेशियर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण हासिल कर लिया था। उल्लेखनीय है कि 'ऑपरेशन मेघदुत' का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल प्रेम नाथ हुन ने किया था। सियाचिन दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष उन सियाचिन योद्धाओं को सम्मानित किया जाता है, जो दुश्मन की तमाम रणनीतियों को सफलतापूर्वक विफल करते हुए अपनी मात्रभूमि की सेवा कर रहे हैं। सियाचिन उत्तर-पश्चिम भारत में काराकोरम पर्वतमाला (Karakoram Mountain Range) में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर 76.4 किमी लंबा है और लगभग 10,000 वर्ग किमी. क्षेत्र को कवर करता है।

COVID-19 के परीक्षण हेतु ट्रनाट

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research-ICMR) ने दवा प्रतिरोधी तपेदिक (Drug-Resistant Tuberculosis) का परीक्षण करने हेतु उपयोग में लाई जाने वाली डायग्नोस्टिक मशीनों को अब COVID-19 के परीक्षण हेतु अनुमोदित किया है। ICMR ने COVID-19 के स्क्रीनिंग टेस्ट हेतु ICMR द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रलैब (Truelab) पर 'ट्रनाट बीटा सीओवी' (Truenat beta CoV) के परीक्षण की सिफारिश की है। इसके अलावा ICMR ने आपातकालीन परीक्षण के लिये रियल टाइम पॉलिमरेज़ चेन रिएक्शन (Real Time Polymerase Chain Reaction) प्रणाली को भी अनुमोदित किया है। ट्रनाट की निर्माता कंपनी 'मोलबायो डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड' (MolBio Diagnostics Pvt Ltd) के अनुसार, कंपनी ने पहले से ही देश भर में 800 से अधिक ट्रनाट मशीनें स्थापित की हैं, जो मुख्य रूप से दवा प्रतिरोधी तपेदिक का पता लगाने हेतु उपयोग में लाई जाती है।

हिमाचल दिवस

प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस आयोजित किया जाता है। ध्यातव्य है कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त के प्रांत के रूप में अस्तित्त्व में आया था। भारतीय संविधान लागू होने के साथ 26 जनवरी, 1950 को हिमाचल प्रदेश 'ग' श्रेणी का राज्य बन गया। 1 जुलाई, 1954 को बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में शामिल हुआ। इसके पश्चात् 1 जुलाई, 1956 को हिमाचल प्रदेश को केंद्रशासित प्रदेश घोषित किया गया वर्ष 1966 में कांगड़ा और पंजाब के अन्य पहाड़ी इलाकों को हिमाचल में मिला दिया गया, किंतु इसका स्वरूप केंद्रशासित प्रदेश का ही रहा। संसद द्वारा दिसंबर 1970 में हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनयम पारित किया गया जिसके फलस्वरूप 25 जनवरी, 1971 को नया राज्य अस्तित्त्व में आया। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश, भारतीय गणराज्य का 18वां राज्य बना। क्षेत्र के प्राचीनतम ज्ञात जनजातीय निवासियों को दास कहा जाता था , बाद में आर्य आए और वे भी यहाँ रहने लगे। राज्य उत्तर में जम्मू-कश्मीर से, दक्षिण-पश्चिम में पंजाब से, दिक्षण में हरियाणा से, दिक्षण-पूर्व में उत्तराखंड से तथा पूर्व में तिब्बत (चीन) की सीमाओं से घिरा हुआ है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य की संख्या तकरीबन 68 लाख है और राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग 55,673 वर्ग कि.मी. है।

'देखो अपना देश' वेबिनार श्रृंखला

पर्यटन मंत्रालय (Ministry of Tourism) ने अतुल्य भारत की संस्कृति और विरासत की गहरी और विस्तृत जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से हाल ही में 'देखो अपना देश' (DekhoApnaDesh) नामक से एक वेबिनार श्रृंखला की शुरूआत की है। श्रृंखला के पहले वेबिनार में दिल्ली के लंबे इतिहास को दर्शाया गया। इस वेबिनार का शीर्षक 'सिटी ऑफ सिटीज़- दिल्लीज़ पर्सनल डायरी' (City of Cities- Delhi's Personal Diary) था। पर्यटन मंत्रालय के अनुसार, COVID-19 के कारण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन तथा आवागमन काफी अधिक प्रभावित हुआ है, किंतु प्रौद्योगिकी के कारण, स्थानों और गंतव्यों तक आभासी रूप से पहुँचना और बाद के दिनों के लिये अपनी यात्रा की योजना बनाना संभव है, इसी सिद्धांत के आधार पर इस वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की गई है। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री ने कहा कि यह वेबिनारों की श्रृंखला एक निरंतर विशिष्टता वाली होगी और मंत्रालय अपने स्मारकों, पाक शैलियों, कलाओं, नृत्य के रूपों सहित भारत के विविध और उल्लेखनीय इतिहास तथा संस्कृति को प्रदर्शित करने की दिशा में काम करेगा, जिसमें प्राकृतिक परिदृश्य, त्योहार और समृद्ध भारतीय सभ्यता के कई अन्य पहलू भी शामिल हैं।

पूल परीक्षण

हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (Indian Council of Medical Research-ICMR) ने उत्तर प्रदेश को COVID -19 का पूल परीक्षण (Pool Testing) शुरू करने की अनुमित दी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पूल परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। पूल परीक्षण शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में परीक्षण की संख्या को बढ़ाना है। ध्यातव्य है कि यह विधि राज्य की परीक्षण प्रक्रिया में तेजी लाएगी। इस विधि में कई नमूनों को एक साथ रखा जाता है और उनका परीक्षण किया जाता है। यदि नमूनों के संग्रह का परिणाम नकारात्मक आता है, तो इसका अर्थ होता है कि उस समूह के सभी नमूने नकारात्मक हैं। हालाँकि यदि संग्रह के सभी नमूनों में से किसी एक नमूने का परिणाम भी सकारात्मक आता है तो उस समूह के सभी नमूनों का परीक्षण व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। भारत, जो कि परीक्षण किटों के साथ-साथ बुनियादी ढाँचे जैसे विषयों पर संघर्ष कर रहा है, के लिये संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करते हुए परीक्षण करना काफी लाभदायक साबित हो सकता है।

'सहयोग'(SAHYOG) एप

भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India-SoI) ने सरकारी एजेंसियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को COVID-19 के प्रकोप के दौरान महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करने के लिये अनिवार्य आँकड़ों की आवश्यकता को ध्यान में रहते हुए बुनियादी ढाँचे पर डेटा एकत्र करने हेतु एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इस प्लेटफॉर्म पर बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोज़ल, COVID-19 समर्पित अस्पतालों, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) की परीक्षण प्रयोगशालाओं और क्वारंटाइन शिविरों के संबंध में जानकारी एकीकृत की जाएगी। इस प्लेटफॉर्म का समर्थन करने के लिये 'सहयोग' (SAHYOG) नामक एक मोबाइल एप्लिकेशन भी बनाई गई है। यह एप सामुदायिक कार्यकर्ताओं की मदद से स्थान विशिष्ट डेटा एकत्र करने में मदद करेगा। सरकार द्वारा आवश्यक सूचना मापदंडों को 'सहयोग' (SAHYOG) एप में शामिल किया गया है, जो संपर्क ट्रेसिंग, जन जागरूकता और स्व-मूल्यांकन उद्देश्यों के मामले में सरकार के आरोग्य सेतु एप (Aarogya Setu) में इजाफा करेगा।

कोवसैक (COVSACK)

हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (Defence Research and Development Laboratory-DRDL) ने COVID-19 परीक्षण के लिये नमूना संग्रहण हेतु कोवसैक (COVSACK) नाम से एक कियाँस्क (Kiosk) विकसित किया है। DRDL ने कोवसैक को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC), हैदराबाद के डॉक्टरों के परामर्श से विकसित किया है। कोवसैक (COVSACK) संदिग्ध संक्रमित रोगियों से COVID-19 नमूने प्राप्त के लिये स्वास्थ्य कर्मियों के उपयोग हेतु काफी महत्त्वपूर्ण है।

ध्यातव्य है कि जब एक संदिग्ध संक्रमित व्यक्ति कियाँस्क केबिन के अंदर जाता है और केबिन के बाहर से एक स्वास्थ्य पेशेवर दस्ताने के माध्यम से बाहर से ही परीक्षण हेतु नम्ना ले सकता है। रोगी के केबिन से बाहर निकलने के पश्चात् चार नोजल स्प्रेयर कीटाणुनाशक को लगभग 70 सेकंड तक स्प्रे करते हैं। इसके अलावा केबिन को पानी और UV लाइट से स्वच्छ किया जाता है। कोवसैक (COVSACK) की लागत लगभग एक लाख रुपए है।

भारत में कोरोनावायरस का नया प्रकार

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने भारत के चार राज्यों में चमगादडों के नमुनों में बैट कोरोना वायरस (BtCoV) होने की पृष्टि की है। वैज्ञानिकों के अनुसार, भारत में पाए गए कोरोनावायरस के नए प्रकार की लगभग 95 प्रतिशत विशेषताएँ चीन के वृहान (Wuhan) शहर में उत्पन्न वायरस से मिलती हैं। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित इस अध्ययन का उद्देश्य यह जानना है कि कोरोनावायरस की प्रजाति के कौन से प्रकार चमगादड या अन्य जीवों में मौजूद हो सकते हैं। इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने भारत के दस राज्यों में मौजूद चमगादड़ की दो प्रजातियों के नमूने एकत्रित किये थे। इनमें पिटरोपस (Pteropus) एवं रोसेट्स (Rousettus) प्रजाति के चमगादडों के नमने लिये गए थे। ICMR के वैज्ञानिकों ने भारत के 4 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में चमगादडों में बैट कोरोनावायरस (BtCoV) की पुष्टि की है, जिसमें केरल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु और पुडुचेरी शामिल हैं। ICMR के अनुसार, इस तथ्य का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि चमगादड में पाया जाने वाला यह वायरस इंसानों को संक्रमित कर सकता है।

रघुराम राजन

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund-IMF) की प्रबंध निदेशक (MD) क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन समेत 11 अन्य लोगों को IMF के बाह्य परामर्श समूह (External Advisory Group) का सदस्य नामित किया है। यह समूह दुनिया भर की घटनाओं और नीतिगत मुद्दों के विषय में IMF को अपनी राय देता है। वर्तमान परिदृश्य में बाह्य परामर्श समृह, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को कोरोनावायरस जैसी असाधारण चुनौतियों से निपटने के लिये उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों से संबंधित सझाव देगा। 3 फरवरी, 1963 को मध्यप्रदेश के भोपाल में जन्मे भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रघराम राजन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर हैं और तकरीबन 3 वर्ष तक RBI में सेवाएँ दे चुके हैं, मौजूदा समय में वे शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हैं। IMF एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का कार्य करती है। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने तथा आर्थिक विकास को सुगम बनाने में भी सहायता प्रदान करती है।

अजय महाजन

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स (CARE Ratings) ने अजय महाजन को आगामी 5 वर्षों के लिये कंपनी का नया प्रबंध निदेशक (Managing Director-MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer-CEO) नियुक्त किया है। केयर रेटिंग्स के निदेशक मंडल ने अपनी बैठक में बोर्ड द्वारा गठित नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश के आधार पर यह नियुक्ति की है। अजय महाजन ने वर्ष 1990 में बैंक ऑफ अमेरिका (Bank of America) के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की थी और कुछ ही समय में वे ग्लोबल मार्केट्स ग्रुप (Global Markets Group) के MD और कंट्री हेड (Country Head) नियुक्त किये गए। इसके अतिरिक्त वे यस बैंक (YES Bank) और IDFC बैंक के साथ भी कार्य कर चुके हैं। एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में केयर रेटिंग्स (CARE Ratings) की शुरुआत वर्ष 1993 में हुई थी। यह कंपनी क्रेडिट रेटिंग के माध्यम से बड़े निगमों को उनकी विभिन्न आवश्यकताओं के लिये पूंजी जुटाने में मदद करती है और निवेशकों को क्रेडिट जोखिम के आधार पर निवेश संबंधी निर्णय लेने में सहायता करती है।

सुरक्षित नहीं है ज़ूम एप: गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय ने वीडियो कॉलिंग/कॉन्फ्रेंसिंग एप ज़ूम (Zoom App) के संबंध में एडवाइज़री जारी की है, जिसके अनुसार यह वीडियो कॉलिंग/कॉन्फ्रेंसिंग एप सुरक्षित नहीं है और इसका सावधानीपूर्वक प्रयोग आवश्यक है। ज़म एप एक फ्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप है, जिसके जरिये यूजर एक बार में अधिकतम 100 लोगों के साथ बात कर सकता है। एप में वन-टू-वन मीटिंग और 40 मिनट की ग्रुप कॉलिंग की सुविधा है। ध्यातव्य है कि कोरोनावायरस के कारण दुनिया के लगभग सभी देशों में लॉकडाउन लागू किया गया है, जिसके कारण भारत समेत सभी देशों में ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग/कॉन्फ्रेंसिंग का चलन काफी बढ गया है और इसी के साथ ज़म एप का प्रयोग भी काफी व्यापक स्तर पर होने लगा

है। जूम एप की बढ़ती लोकप्रियता के साथ ही सुरक्षा को लेकर इस एप पर कई सवाल खड़े किये जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इस एप के यूज़र से संबंधित डेटा के लीक होने के कई मामले भी सामने आए हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार यदि लोग एडवाइज़री के बावजूद भी इस एप का प्रयोग करते हैं, तो कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखा जाए जैसे-.लगातार पासवर्ड बदलते रहें, कॉन्फ्रेंस कॉल में शामिल होने के लिये किसी को अनुमित देते हुए सतर्कता बरतें, ज्वाइन ऑप्शन को डिसऐबल करें, स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन केवल होस्ट के पास रखें और किसी व्यक्ति के लिये पुन: ज्वाइन का ऑप्शन बंद रखें।

रिवर्स रेपो रेट

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने रिवर्स रेपो रेट (Reverse Repo Rate) में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की है। RBI ने रिवर्स रेपो रेट को 4 प्रतिशत से घटाकर 3.75 प्रतिशत कर दिया है। ध्यातव्य है कि जब बैंक अपनी कुछ धनराशि को रिज़र्व बैंक में जमा कर देते हैं तो RBI द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को उस धनराशि पर एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है। रिज़र्व बैंक जिस दर पर ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट में कटौती से बैंकों को अपना अतिरिक्त धन रिज़र्व बैंक के पास जमा कराने पर कम ब्याज प्राप्त होता है। ऐसी स्थित में बैंक अपने अतिरिक्त धन को रिज़र्व बैंक के पास रखने के स्थान पर लोगों को बांटकर अधिक ब्याज प्राप्त करने पर जोर देते हैं। इसके प्रभावस्वरूप बैंक अपने ऋण पर ब्याज दरों में कटौती कर देते हैं। यह विधि अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती है। ध्यातव्य है कि देशव्यापी लॉकडाउन के पश्चात् से भारत समेत दुनिया भर की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, जिसके मद्देनजर भारत सहित तमाम देश अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिये लगातार प्रयास कर रहे हैं।

रंजीत चौधरी

हाल ही में प्रसिद्ध अभिनेता रंजीत चौधरी का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। 19 सितंबर, 1955 को मुंबई में जन्मे रंजीत चौधरी को 'खट्टा-मीठा', 'बातों बातों में' और 'बॉलीवुड/हॉलीवुड' में उनके अभिनय के लिये याद किया जाता है। रंजीत चौधरी फिल्मों, टेलीविजन और थिएटर में अपने बेहतरीन कार्य के लिये काफी जाना जाता था। रंजीत चौधरी ने वर्ष 1978 में फिल्म 'खट्टा मीठा' के जरिये बॉलीवुड में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। इसके पश्चात् उन्होंने 'बातों बातों में' और 'खूबसूरत' जैसी फिल्मों में भी कार्य किया। एक एक्टर के साथ-साथ रंजीत चौधरी बेहतरीन लेखक भी थे। उन्होंने सैम एंड मी (Sam & Me) का स्क्रीन प्ले लिखा और उसमें अभिनय भी किया था। भारत के अतिरिक्त उन्होंने विदेशी सिनेमा में भी कार्य किया था, उन्हों सबसे पहले हॉलीवुड फिल्म 'लोलनी इन अमेरिका' (Lonely in America) में भी कार्य किया था।

भारत की आर्थिक वृद्धि दर 1.9 प्रतिशत: IMF

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund-IMF) ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को कम कर दिया है। IMF ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 1.9 प्रतिशत कर दिया है। इससे पूर्व जनवरी, 2020 में IMF ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 5.8 प्रतिशत बताया था। IMF के अनुसार, कोरोनावायरस (COVID-19) को फैलने से रोकने के लिये लागू किये गए लॉकडाउन के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था काफी अधिक प्रभावित हुई है और इसके कारण संपूर्ण विश्व वर्ष 1930 की मंदी से भी अधिक प्रभावित हो सकता है। उल्लेखनीय है कि कोरोनावायरस और लॉकडाउन के कारण भारत समेत विश्व के तमाम देशों के उद्योग क्षेत्र प्रभावित हुए हैं और निर्यात पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। IMF के अनुसार, भारत उन दो बड़े देशों में शामिल है जहाँ वित्तीय वर्ष 2020-21 में आर्थिक वृद्धि दर सकारात्मक रहेगी। दूसरा देश चीन है जहाँ IMF के अनुसार 1.2 प्रतिशत वृद्धि दर रह सकती है। IMF एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों को वैश्विक आर्थिक स्थित पर नजर रखने का कार्य करती है। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने तथा आर्थिक विकास को सुगम बनाने में भी सहायता प्रदान करती है।

डाक कर्मचारियों के लिये क्षतिपूर्ति

COVID-19 की स्थित के परिप्रेक्ष्य में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Communications and Information Technology) ने ग्रामीण डाक सेवक (Gramin Dak Sevak-GDS) सिंहत सभी डाक कर्मचारियों को कर्तव्य निवर्हन के दौरान बीमारी का शिकार हो जाने पर 10 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का निर्णय लिया है। ये दिशा-निर्देश जल्द प्रभावी हो जाएंगे और COVID-19 संकट की समाप्ति तक के लिये लागू रहेंगे। ध्यातव्य है कि गृह मंत्रालय ने डाक विभाग को अनिवार्य सेवाओं के रूप में मान्यता दी है। ग्रामीण डाक सेवक सिंहत डाक कर्मचारी ग्राहकों को मेल डिलीवरी, डाक घर बचत बैंक, डाक जीवन बीमा

देने जैसे विभिन्न दायित्त्वों का निर्वाह कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, डाक घर स्थानीय राज्य प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर देश भर में COVID-19 किट, फूड पैकेट, राशन एवं अनिवार्य दवाओं आदि की डिलीवरी भी कर रहे हैं। इस प्रकार, डाक विभाग अपने सामान्य कर्तव्यों के निर्वहन के साथ साथ COVID-19 संकट से लड़ने में भी अपना योगदान दे रहा है।

विश्वनाथन आनंद

हाल ही में विश्व प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को 'वर्ल्ड वाइड फंड- इंडिया' (World Wide Fund-India) के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया है। इस पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1976 में की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत देश के युवाओं, स्कूली बच्चों और नागरिकों को पर्यावरण के बारे में जागरूक किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समस्या हल करने में सक्षम, महत्त्वपूर्ण विचारकों और पर्यावरण के प्रति जागरूक नागरिकों का निर्माण करना है। वर्ल्ड वाइड फंड (WWF) का गठन वर्ष 1961 में किया गया था। WWF पर्यावरण के संरक्षण, अनुसंधान एवं रख-रखाव जैसे विषयों से संबद्ध कार्य करता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड (Switzerland) में स्थित है। वर्ल्ड वाइड फंड का प्रमुख उद्देश्य पृथ्वी के वातावरण के क्षरण को रोकते हुए एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना है जिसमें प्रकृति और मनुष्य एक साथ समन्वय स्थापित कर सकें। 11 दिसंबर, 1969 को तिमलनाडु के मियलाडुथुरई (Mayiladuthurai) में जन्मे विश्वनाथन आनंद 5 बार विश्व शतरंज चैंपियनशिष (World Chess Championship) जीत चुके हैं। ध्यातव्य है कि विश्वनाथन आनंद को वर्ष 1988 में मात्र 18 वर्ष की आयु में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।

एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020

हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी संघ (Indian Boxing Federation-BFI) ने घोषणा की है कि भारत नवंबर-दिसंबर 2020 में आयोजित होने वाली एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी करेगा। BFI के अनुसार, कोरोनावायरस की समाप्ति के पश्चात् एशियाई मुक्केबाजी परिसंघ (Asian Boxing Confederation) द्वारा इस संबंध में औपचारिक घोषणा की जाएगी। इससे पूर्व भारत ने वर्ष 1980 में मुंबई में पुरुष एशियाई चैंपियनशिप और वर्ष 2003 में हिसार (हरियाणा) में महिला चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 से पुरुष और महिला चैंपियनशिप का आयोजन एक साथ किया जा रहा है। भारतीय मुक्केबाजी संघ (Indian Boxing Federation-BFI) देश में ओलंपिक मुक्केबाजी के लिये राष्ट्रीय शासकीय निकाय है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ध्यातव्य है कि मौजूदा समय में कोरोनावायरस (COVID-19) के कारण टोक्यो ओलंपिक सहित विश्व की लगभग सभी खेल प्रयोगिताओं को कुछ समय के लिये स्थिगत कर दिया गया है।

एशिया की आर्थिक वृद्धि दर में कमी

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund- IMF) के अनुमान के अनुसार, मौजूदा वर्ष में कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी के कारण एशिया की आर्थिक वृद्धि दर शून्य रह सकती है। विश्लेषकों के अनुसार, यदि ऐसा होता है तो यह बीते 60 वर्ष में एशिया का सर्वाधिक खराब प्रदर्शन होगा। हालाँकि, IMF का मत है कि गतिविधियों के संदर्भ में अन्य क्षेत्रों की तुलना में एशिया का प्रदर्शन काफी बेहतर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार, COVID-19 महामारी का एशिया-प्रशांत क्षेत्र पर गंभीर और अप्रत्याशित प्रभाव होगा। उल्लेखनीय है कि एशिया की आर्थिक वृद्धि दर वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान 4.7 प्रतिशत और एशियाई वित्तीय संकट के दौरान 1.3 प्रतिशत रही थी। IMF के अनुमानानुसार, इस वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3 प्रतिशत की गिरावट देखी जा सकती है। विदित हो कि कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी के कारण एशिया समेत विश्व के तमाम क्षेत्रों के उत्पादन में भारी कमी आई है, जिसके कारण आर्थिक वृद्धि दर में कमी आ सकती है।

COVID-19 टीके के परीक्षण हेतु उच्च-स्तरीय कार्यबल

केंद्र सरकार ने टीकों और दवाओं के परीक्षण के लिये एक उच्च-स्तरीय कार्यबल का गठन किया है। इस कार्यबल में नीति आयोग, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation-DRDO), भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research- ICMR) के सदस्य शामिल हैं। इस कार्यबल का प्रमुख उद्देश्य टीके के लिये विकास प्रक्रिया निर्मित करना है। यह कार्यबल राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की एक सूची तैयार करेगा जो टीके के विकास पर कार्य कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में कोरोनावायरस (COVID-19) की वैक्सीन का विकास करने के लिये दुनिया भर में 70 परीक्षण किये जा रहे हैं। इनमें से 5 मानव परीक्षण के स्तर पर पहुँच गए हैं। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा अभी देश में केवल निवारक उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और सरकार वैक्सीन के विकास पर काफी कम उपाय कर रही है। ध्यातव्य है कि कोरोनावायरस से संबंधित चिंताएँ भारत समेत दुनिया के सभी देशों में प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, भारत में कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 17000 के पार पहुँच गई है और इस वायरस के कारण कुल 559 लोगों की मृत्यु हो गई है।

कीटाणुनाशक रसायन का छिड़काव हानिकारक

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, किसी व्यक्ति या समूह पर कीटाणुनाशक रसायन का छिड़काव करना शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से हानिकारक हो सकता है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा है कि COVID-19 के उपचार की प्रक्रिया में किसी भी परिस्थिति में लोगों पर कीटाणुनाशक दवा का छिड़काव करने की सिफारिश नहीं की गई है। उल्लेखनीय है कि मंत्रालय से सोडियम हाइपोक्लोराइट जैसे कीटाणुनाशकों को लोगों को संक्रमण मुक्त करने हेतु उपयोग करने के संबंध में जानकारी मांगी थी, जिसके जवाब में मंत्रालय ने कहा कि सोडियम हाइपोक्लोराइट के छिडकाव से नाक, गले में जलन और सांस की तकलीफ जैसी समस्याएँ हो सकती है तथा फेफड़ों में भी परेशानी हो सकती है। विदित है कि रसायनिक कीटाणुनाशक हानिकारक कीटाणुओं को समाप्त करते हैं, इनका उपयोग सफाई करने और ऐसी जगहों तथा सतहों को संक्रमणमुक्त करने के लिये किया जाता है, जिनके बारे में संदेह हो कि उन्हें कोरोनावायरस से ग्रस्त व्यक्ति ने बार-बार छूआ है।

नासा का 'कमर्शियल क्रू प्रोग्राम'

हाल ही में नासा (NASA) ने घोषणा की है कि वह 27 मई, 2020 को अंतरिक्ष यात्रियों की एक उड़ान लॉन्च करेगा। नासा के अनुसार, इस मिशन में फाल्कन-9 (Falcon 9) रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। इस मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिष्ठ्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (International Space Station-ISS) पर प्रवास के लिये भेजा जाएगा। इस मिशन को एलन मस्क की स्पेस कंपनी 'स्पेस एक्स' (SpaceX) द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अंतरिक्ष यात्री बॉब बेकन और डोग्लास हर्ले स्पेस एक्स (SpaceX) के फाल्कन-9 रॉकेट (Falcon 9) से ISS के लिये उड़ान भरेंगे। बॉब बेकन को वर्ष 2000 में नासा द्वारा एस्ट्रोनॉट (Astronaut) के तौर पर चुना गया था और वो अब तक दो अंतरिक्ष उड़ानों पर जा चुके हैं। इनके अतिरिक्त डोग्लास हर्ले को भी वर्ष 2000 में ही एस्ट्रोनॉट के तौर पर चुना गया था और वो भी अब तक दो बार अंतरिक्ष उड़ानें भर चुके हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) भेजने वाले नासा के मिशन को 'कमर्शियल क्र प्रोग्राम' नाम दिया गया है। इस मिशन को अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है।

विदेशी नागरिकों की वीज़ा अवधि में बढ़ोतरी

हाल ही में गृह मंत्रालय ने कोरोनावायरस (COVID-19) के कारण लागू किये गए लॉकडाउन के प्रभावस्वरूप भारत में फँसे सभी विदेशी नागरिकों के सामान्य और ई-वीजा की अविध को 3 मई तक बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार के अनुसार, वीजा अविध के विस्तार के लिये किसी से कोई फीस भी नहीं ली जाएगी। सरकार के अनुसार, राजनियकों और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के अतिरिक्त उन सभी विदेशी नागरिकों का वीजा तीन मई तक निलंबित रहेगा जिन्हें इस अविध में भारत आना था। ध्यातव्य है कि भारत समेत दुनिया के सभी देशों में कोरोनावायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण दुनिया के लगभग सभी देशों ने लॉकडाउन लागू कर दिया है, भारत में भी लॉकडाउन का दूसरा चरण लागू किया गया है। देशव्यापी स्तर पर लागू किये गए लॉकडाउन के कारण भारत में लॉकडाउन के पहले से मौजूद विदेशी लोग यहीं फँस गए हैं, ऐसी स्थिति में उन लोगों को संक्रमण से बचाना और उनकी वीजा अविध को बढ़ाना सरकार के लिये अनिवार्य हो जाता है।

मुख्यमंत्री COVID-19 योद्धा कल्याण योजना

हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री COVID-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, प्रदेश के लगभग एक लाख ऑगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं और सहायिकाओं को मुख्यमंत्री COVID-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग के सभी सफाई कर्मचारी, वार्डबॉय, आशा कार्यकर्त्ता, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, विशेषज्ञ तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता, नगरीय प्रशासन के सभी सफाई कर्मचारियों, आदि को भी शामिल किया गया है। योजना के अनुसार, यदि कोरोनावायरस से लड़ते हुए किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन को 50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। हालाँकि संक्रमित व्यक्ति के इलाज के दौरान संक्रमित होने पर, इलाज के खर्च को इस योजना के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। यह योजना 30 मार्च से 30 जून तक की अवधि के लिये लागू की गई है। इस योजना के लिये प्रदेश के राजस्व विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। विदित हो कि भारत सरकार ने भी COVID-19 महामारी की रोकथाम के लिये कार्य कर रहे स्वास्थ्यकर्मियों हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत विशेष बीमा योजना प्रारंभ की है।

कपिल देव त्रिपाठी

पूर्व IAS अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति सिमित ने राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ सह-कार्यकाल के लिये कपिल देव त्रिपाठी की नियुक्ति को मंज़री दी है। कपिल देव त्रिपाठी असम-

मेघालय कैडर के 1980 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं और वे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव के तौर पर सेवानिवृत्त हुए थे। वर्तमान में कपिल देव त्रिपाठी लोक उद्यम चयन बोर्ड (PESB) के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। PESB लोक उद्यमों में शीर्ष स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति करता है। कपिल देव त्रिपाठी राष्ट्रपति के पूर्व सचिव संजय कोठारी का स्थान लेंगे। संजय कोठारी को फरवरी, 2020 में मुख्य सतर्कता आयुक्त (CVC) के रूप में नियुक्त किया गया था। 63 वर्षीय कपिल देव त्रिपाठी इससे पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयोग में सचिव तथा भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय में संयुक्त सचिव के तौर पर कार्य कर चुके हैं।

ट्रांसजेंडर के लिये तीसरे लिंग की अलग श्रेणी

केंद्र सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे सिविल सेवा और अन्य पदों के लिये आवेदन पत्र में ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित लोगों के लिये तीसरे लिंग की अलग श्रेणी बनाएँ। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने यह निर्देश बीते वर्ष दिसंबर में अधिसुचित ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) कानून के आधार पर दिया है। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने बताया कि इस विषय पर मौजूद कानून और कानूनी राय के आधार पर 5 फरवरी, 2020 को सिविल सेवा परीक्षा नियमावली, 2020 को अधिसूचित किया गया जिसमें ट्रांसजेंडर को उस परीक्षा के लिये लिंग की अलग श्रेणी के तौर पर शामिल किया गया। मंत्रालय के अनुसार, 'भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों से अनुरोध किया जाता है कि ट्रांसजेंडर को लिंग की अलग श्रेणी में शामिल करने के लिये वे अपनी परीक्षा नियमावली में बदलाव करें। इससे उस नियम को ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) कानुन के प्रावधानों के अनुरूप बनाया जा सके।

ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम

भारतीय बैडमिंटन संघ (Badminton Association of India-BAI) और भारतीय खेल प्राधिकरण (Sports Authority of India-SAI) ने संयुक्त तौर पर 20 अप्रैल, 2020 को मुख्य राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद के नेतृत्व में ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम तीन सप्ताह तक हफ्ते में 5 दिन चलेगा और इस दौरान संपूर्ण कोर्स को 39 विषयों में बाँटा गया है। इस ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षकों को शीर्ष स्तर के कोचों से विस्तार से सीखने का मौका मिलेगा। पहले सत्र में कोच पुलेला गोपीचंद के अतिरिक्त दो विदेशी कोच भी मौज़ूद थे। खेल विशेषज्ञों के अनुसार, यह बेहतरीन मंच है जिसके ज़रिये विदेशी कोचों का अनुभव प्रत्येक स्तर पर भारतीय प्रशिक्षकों तक पहुँच सकेगा और उनके कौशल में वृद्धि होगी। यह कार्यक्रम 8 मई तक चलेगा।

अमेरिका में आव्रजन अस्थायी रूप से निलंबित

कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका ने आगामी 60 दिनों के लिये अप्रवासन (Immigration) पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। अमेरिकी सरकार ने आगामी 60 दिन के लिये नए ग्रीन कार्ड जारी करने या वैध स्थायी निवास की अनुमति देने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हालाँकि इस कदम का उन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो अस्थायी तौर पर देश में आ रहे हैं। इस प्रकार H-1B जैसे गैर आव्रजन कार्य वीजा पर रह रहे हैं लोगों पर इसका कोई असर नहीं पडेगा। H-1B वीजा मुख्य तौर पर प्रौद्योगिकी के विदेशी पेशेवरों को जारी किया जाता है। किंतु अमेरिकी प्रशासन के इस निर्णय का उन भारतीय-अमेरिकियों पर असर पडेगा जो अभी ग्रीन कार्ड मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। गौरतलब है कि COVID-19 वैश्विक महामारी के कारण अमेरिका में तकरीबन 2.2 करोड लोगों ने बेरोज़गारी भत्ते के लिये आवेदन किया है जो कि स्वयं में एक नया रिकॉर्ड है। ध्यातव्य है कि COVID-19 के कारण विश्व की तमाम आर्थिक गतिविधियाँ प्रभावित हुई हैं और इस वायरस के कारण विश्व के लगभग सभी देशों ने पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन लागू किया है। इस लॉकडाउन के कारण सभी आर्थिक गतिविधियाँ रुक गई हैं और इसके कारण कई लोगों के बेरोज़गार होने की आशंका है।

जीन डिच

'टॉम एंड जेरी' के निर्देशक और ऑस्कर विजेता जीन डिच (Gene Deitch) का हाल ही में 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। जीन डिच एनिमेटर, प्रोड्यूसर और बेहतरीन फिल्म डायरेक्टर के रूप में काफी प्रसिद्ध थे। जीन डिच को मशहूर कार्टून कैरेक्टर्स 'टॉम एंड जेरी' के लिये काफी ख्याति प्राप्त थी। जीन डिच का जन्म 8 अगस्त, 1924 को शिकागो में हुआ था और उनका पूरा नाम यूजीन मेरिल डिच (Eugene Merril Deitch) था। उन्होंने 'टॉम एंड जेरी' के कुल 13 भाग निर्देशित किये थे, इसके अतिरिक्त जीन डिच ने 'पोपाय द सेलर' (Popeye the Sailor) सीरिज़ के भी कुछ भाग निर्देशित किये थे। जीन डिच फिल्म जगत में कार्य करने से पूर्व सेना में थे। उन्होंने सेना की नौकरी छोड़ने के बाद एनिमेशन कार्य शुरू किया और एक ऐसे कार्टून को जन्म दिया जिसे आज संपूर्ण विश्व 'टॉम एंड जेरी' के नाम से जानता है। अपने कैरियर के दौरान जीन डिच एनिमेटर, इलस्ट्रेटर और फिल्म निर्माता के तौर पर कई पुरस्कार जीते थे। जीन डिच की फिल्म 'मुनरो' (Munro-1960) ने बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म के लिये वर्ष 1960 में अकेडमी अवॉर्ड (Academy Awards) जीता था। जीन डिच को वर्ष 1961 में फिल्म 'मुनरो' के लिये ही 'ऑस्कर' पुरस्कार भी दिया गया।

अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर

राष्ट्रीय वानस्पितक अनुसंधान संस्थान (National Botanical Research Institute-NBRI) ने कोरोनोवायरस प्रकोप के बीच सैनिटाइजर की बढ़ती मांग के मद्देनजर अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर विकसित किया है। इसमें बहुत प्रभावी प्राकृतिक रोगाणुरोधी एजेंट-तुलसी और कीटाणुओं को मारने के लिये आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। संस्थान के निदेशक के अनुसार, हर्बल हैंड सैनिटाइजर का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया है और सतह के रोगाणुओं को नष्ट करने में इसे बहुत प्रभावी पाया गया है। उन्होंने बताया कि इसका प्रभाव लगभग 25 मिनट तक रहता है और यह त्वचा को निर्जलीकरण (Dehydration) से बचाता है। संस्थान के निर्देशक के अनुसार, 'क्लीन हैंड जेल' (Clean hand gel) के ब्रांड नाम का यह उत्पाद जल्द ही बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। ध्यातव्य है कि NBRI वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific and Industrial Research-CSIR) के घटक अनुसंधान संस्थानों में से एक है। मूल रूप इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनस्पित उद्यान (NBG) के रूप में की गई थी।

'सुजलाम सुफलाम जलसंचय अभियान' का तीसरा चरण

गुजरात सरकार ने लॉकडाउन के मध्य 'सुजलाम सुफलाम जलसंचय अभियान' के तीसरे चरण की शुरुआत की है। यह अभियान 10 जून तक लागू रहेगा। इस अभियान के तहत गुजरात सरकार ने मानसून से पूर्व झीलों और निदयों को गहरा करने की योजना बनाई है। इस बार गुजरात सरकार ने अभियान को इस तरह से लागू करने की योजना बनाई है कि ग्रामीण जनसंख्या, मुख्य तौर पर प्रवासियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। गुजरात सरकार के अनुसार, इस दौरान COVID-19 के मानदंड जैसे सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का कड़ाई से पालन किया जाएगा। यह योजना वर्ष 2018 में गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना की सफलता के पश्चात् राज्य सरकार ने अपने दूसरे चरण के दौरान योजना के वित्तीय योगदान को 60 प्रतिशत तक बढ़ा दिया था।

उत्तर भारत में वायु प्रदूषण न्यूनतम स्तर पर

हाल ही में राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतिरक्ष प्रशासन (National Aeronautics and Space Administration.-NASA) ने घोषणा की है कि उत्तर भारत में वायु प्रदूषण 20 वर्ष के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया है। नासा के सैटेलाइट्स के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एरोसोल (Aerosol) अर्थात् वायुमंडल में मौजूद धूल के सूक्ष्म कण काफी कम हो गए हैं। एरोसोल न सिर्फ दृश्यता (Visibility) घटाते हैं बिल्क इनसे फेफड़ों से संबंधित बीमारियाँ भी होती हैं। ध्यातव्य है कि केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिये संपूर्ण भारत में 03 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन का दूसरा चरण लागू किया है। इस लॉकडाउन अविध के दौरान कई भारत के अधिकांश शहरों में वायु प्रदूषण अपने न्यूनतम स्तर पर पहुँच गया है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण देश में अधिकांश आर्थिक और गैर-आर्थिक गतिविधियाँ रुक गई हैं। वायु प्रदूषण के अतिरिक्त देश की तमाम निदयों के जल की गुणवत्ता में भी काफी सुधार देखा गया है। नासा (NASA) संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय सरकार की कार्यकारी शाखा की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के साथ-साथ वैमानिकी और अंतिरिक्ष अनुसंधान के लिये उत्तरदायी है। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी (अमेरिका) में स्थित है।

अंग्रेजी भाषा दिवस

23 अप्रैल को प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पर अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि 23 अप्रैल, 1564 को अंग्रेजी के प्रख्यात किव और नाटककार विलियम शेक्सिपियर का जन्म हुआ था और 23 अप्रैल, 1616 को उनकी मृत्यु हुई थी, जिसके कारण 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में चुना गया है। वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग (United Nations Department of Global Communications) ने संयुक्त राष्ट्र की सभी 6 आधिकारिक भाषाओं के लिये दिवस की स्थापना की पहल की थी। प्रत्येक भाषा के लिये एक दिवस के आयोजन का उद्देश्य बहुभाषावाद तथा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र भाषा दिवस के अंतर्गत 6 आधिकारिक भाषाओं के लिये अलग-अलग दिवस निश्चित किये गए हैं, जिसमें अरबी भाषा के लिये 18 दिसंबर, चीनी भाषा के लिये 20 अप्रैल, फ्रेंच भाषा के लिये 20 मार्च, रुसी भाषा के लिये 6 जून और स्पेनिश भाषा के लिये 23 अप्रैल शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग को रणनीतिक संचार अभियानों, मीडिया और नागरिक समाज समूहों के साथ रिश्तों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के कार्य हेतु सार्वजनिक जागरूकता और समर्थन बढ़ाने का महत्त्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है।

सुदर्शनम बाबू

अमेरिकी राष्ट्रपित डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय-अमेरिकी (Indian-American) सुदर्शनम बाबू (Sudarshanam Babu) को अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड (National Science Board) में नियुक्त किया है। इस संबंध में जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, सुदर्शनम बाबू को 6 वर्ष के कार्यकाल के लिये राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ध्यातव्य है कि सुदर्शनम बाबू ने वर्ष 1988 में IIT-मद्रास से परास्त्रातक की डिग्री प्राप्त की थी और वर्ष 1986 में कोयंबटूर के इंजीनियरिंग कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त सुदर्शनम बाबू ने कैंब्रिज विश्वविद्यालय (Cambridge University) से सामग्री विज्ञान एवं धातु विज्ञान में PhD किया है और वर्तमान में वे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड ग्रेजुएट एजुकेशन (Interdisciplinary Research and Graduate Education) के लिये ब्रेडसेन सेंटर (Bredesen Center) के निदेशक हैं, साथ ही वे प्रतिष्ठित ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी (Oak Ridge National Laboratory-ORNL) से भी जुड़े हुए हैं।

उषा गांगुली

प्रसिद्ध रंगकर्मी उषा गांगुली का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ध्यातव्य है कि उषा गांगुली का जन्म 1945 में राजस्थान में हुआ था और उन्होंने अपनी शिक्षा कोलकाता से पूरी की थी। कोलकाता से शिक्षा पूरी करने के पश्चात् उन्होंने कोलकाता को ही अपने कार्यक्षेत्र के रूप में चुना और वहाँ हिंदी थियेटर को स्थापित किया। कोलकाता से हिंदी साहित्य में परास्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक हिंदी शिक्षक के रूप में की थी। अपने शिक्षण कैरियर के साथ उषा गांगुली थियेटर भी करती रहीं, उन्होंने वर्ष 1976 में 'रंगकर्मी' (Rangakarmee) नाम से एक थियेटर समूह की शुरुआत भी की थी। उषा गांगुली को वर्ष 1998 में निर्देशन के लिये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें उन्हें पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा 'गुडिया घर' नाटक के लिये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में भी सम्मानित किया गया था।

उत्तर भारत में वायु प्रदूषण न्यूनतम स्तर पर

हाल ही में राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतिरक्ष प्रशासन (National Aeronautics and Space Administration.- NASA) ने घोषणा की है कि उत्तर भारत में वायु प्रदूषण 20 वर्ष के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया है। नासा के सैटेलाइट्स के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एरोसोल (Aerosol) अर्थात् वायुमंडल में मौजूद धूल के सूक्ष्म कण काफी कम हो गए हैं। एरोसोल न सिर्फ दृश्यता (Visibility) घटाते हैं बल्क इनसे फेफड़ों से संबंधित बीमारियाँ भी होती हैं। ध्यातव्य है कि केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिये संपूर्ण भारत में 03 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन का दूसरा चरण लागू किया है। इस लॉकडाउन अवधि के दौरान कई भारत के अधिकांश शहरों में वायु प्रदूषण अपने न्यूनतम स्तर पर पहुँच गया है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण देश में अधिकांश आर्थिक और गैर-आर्थिक गतिविधियाँ रुक गई हैं। वायु प्रदूषण के अतिरिक्त देश की तमाम निदयों के जल की गुणवत्ता में भी काफी सुधार देखा गया है। नासा (NASA) संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय सरकार की कार्यकारी शाखा की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो नागरिक अंतिरक्ष कार्यक्रम के साथ-साथ वैमानिकी और अंतिरक्ष अनुसंधान के लिये उत्तरदायी है। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी (अमेरिका) में स्थित है।

अंग्रेजी भाषा दिवस

23 अप्रैल को प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पर अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि 23 अप्रैल, 1564 को अंग्रेजी के प्रख्यात किव और नाटककार विलियम शेक्सिपयर का जन्म हुआ था और 23 अप्रैल, 1616 को उनकी मृत्यु हुई थी, जिसके कारण 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में चुना गया है। वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग (United Nations Department of Global Communications) ने संयुक्त राष्ट्र की सभी 6 आधिकारिक भाषाओं के लिये दिवस की स्थापना की पहल की थी। प्रत्येक भाषा के लिये एक दिवस के आयोजन का उद्देश्य बहुभाषावाद तथा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र भाषा दिवस के अंतर्गत 6 आधिकारिक भाषाओं के लिये अलग-अलग दिवस निश्चित किये गए हैं, जिसमें अरबी भाषा के लिये 18 दिसंबर, चीनी भाषा के लिये 20 अप्रैल, फ्रेंच भाषा के लिये 20 मार्च, रुसी भाषा के लिये 6 जून और स्पेनिश भाषा के लिये 23 अप्रैल शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग को रणनीतिक संचार अभियानों, मीडिया और नागरिक समाज समूहों के साथ रिश्तों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के कार्य हेतु सार्वजनिक जागरूकता और समर्थन बढ़ाने का महत्त्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है।

सुदर्शनम बाबू

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय-अमेरिकी (Indian-American) सुदर्शनम बाबू (Sudarshanam Babu) को अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड (National Science Board) में नियुक्त किया है। इस संबंध में जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, सुदर्शनम बाबू को 6 वर्ष के कार्यकाल के लिये राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ध्यातव्य है कि सुदर्शनम बाबू ने वर्ष 1988 में IIT-मद्रास से परास्त्रातक की डिग्री प्राप्त की थी और वर्ष 1986 में कोयंबटूर के इंजीनियरिंग कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त सुदर्शनम बाबू ने कैंब्रिज विश्वविद्यालय (Cambridge University) से सामग्री विज्ञान एवं धातु विज्ञान में PhD किया है और वर्तमान में वे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड ग्रेजुएट एजुकेशन (Interdisciplinary Research and Graduate Education) के लिये ब्रेडसेन सेंटर (Bredesen Center) के निदेशक हैं, साथ ही वे प्रतिष्ठित ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी (Oak Ridge National Laboratory-ORNL) से भी जुड़े हुए हैं।

उषा गांगुली

प्रसिद्ध रंगकर्मी उषा गांगुली का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ध्यातव्य है कि उषा गांगुली का जन्म 1945 में राजस्थान में हुआ था और उन्होंने अपनी शिक्षा कोलकाता से पूरी की थी। कोलकाता से शिक्षा पूरी करने के पश्चात् उन्होंने कोलकाता को ही अपने कार्यक्षेत्र के रूप में चुना और वहाँ हिंदी थियेटर को स्थापित किया। कोलकाता से हिंदी साहित्य में परास्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक हिंदी शिक्षक के रूप में की थी। अपने शिक्षण कैरियर के साथ उषा गांगुली थियेटर भी करती रहीं, उन्होंने वर्ष 1976 में 'रंगकर्मी' (Rangakarmee) नाम से एक थियेटर समूह की शुरुआत भी की थी। उषा गांगुली को वर्ष 1998 में निर्देशन के लिये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें उन्हें पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा 'गुडिया घर' नाटक के लिये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में भी सम्मानित किया गया था।

खोंगजोम दिवस

प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मणिपुर में 'खोंगजोम दिवस' मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन वर्ष 1891 के एंग्लो-मणिपुर युद्ध (Anglo-Manipur War) में लड़ने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजिल देने के उद्देश्य से किया जाता है। ध्यातव्य है कि एंग्लो-मणिपुर युद्ध, ब्रिटिश साम्राज्य तथा मणिपुर साम्राज्य के मध्य एक सशस्त्र संघर्ष था, जो कि 31 मार्च से 27 अप्रैल 1891 तक लड़ा गया था। एंग्लो-मणिपुर युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य की जीत हुई थी। इस ऐतिहासिक युद्ध की शुरुआत मणिपुर के राजकुमारों के मध्य ईर्घ्या, असंतोष, अविश्वास और कलह के कारण हुई थी। मणिपुर के तत्कालीन महाराजा चंद्रकीर्ति सिंह की मृत्यु के पश्चात् उनके सबसे बड़े पुत्र सुरचंद्र ने वर्ष 1886 में सिंहासन ग्रहण किया। सुरचंद्र के सत्ता में आने के पश्चात् राजकुमारों के मध्य कलह शुरू हो गई। शाही परिवार के आंतरिक असंतोष का लाभ उठाते हुए, ब्रिटिश सरकार ने मणिपुर के प्रशासन में खुले तौर पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। असल में, ब्रिटिश सरकार शुरू से ही मणिपुर को अपने नियंत्रण में रखना चाहती थी, किंतु अब तक यह संभव न हो पाया था। यह युद्ध मणिपुर के खोंगजोम की खेबा पहाड़ियों पर लड़ा गया था और इसलिये इस दिवस का नाम खोंगजोम दिवस है। 27 अप्रैल 1891 को युद्ध समाप्त होने के पश्चात् मणिपुर पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। इस युद्ध के बार ब्रिटिश सरकार ने कई लोगों के विरुद्ध मुकदमा चलाया और उन्हें मृत्यु दंड दिया।

पी.वी. सिंधु

विश्व चैंपियन पी.वी. सिंधु (P.V. Sindhu) को विश्व बैडिमंटन महासंघ (Badminton World Federation- BWF) के 'आई एम बैडिमंटन' (I am Badminton) अभियान का एंबेसडर नामित किया गया। इस अभियान में खिलाड़ियों को बैडिमंटन खेल के प्रति अपना लगाव और सम्मान व्यक्त करने का मंच दिया जाता है जहाँ वे ईमानदारी से और साफ सुथरा खेल खेलने की बात करते हैं। पी.वी. सिंधु प्रसिद्ध भारतीय बैडिमंटन खिलाड़ी हैं, जिनका जन्म 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद (भारत) में हुआ था। उल्लेखनीय है कि पी.वी. सिंधु ओलंपिक में रजत पदक और BWF विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। वर्ष 2014 में अपने पहले राष्ट्रमंडल खेलों (Commonwealth Games- CWG) में महिला एकल में कांस्य जीता था। विश्व बैडिमंटन महासंघ (Badminton World Federation- BWF) बैडिमंटन खेल का एक अंतर्राष्ट्रीय शासकीय निकाय है, जिसकी स्थापना वर्ष 1934 में हुई थी।

'आप्तमित्र' हेल्पलाइन

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने COVID-19 महामारी का मुकाबला करने के लिये 'आप्तमित्र' (Apthamitra) हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। इस हेल्पलाइन और एप्लीकेशन का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को आवश्यक परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करना है। 'आप्तिमत्र' हेल्पलाइन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चालू रहेगी। इसके लिये बंगलुरु में चार केंद्र और मैसूर तथा मैंगलोर (बंटवाल) में 6 हेल्पलाइन केंद्र स्थापित किये जा रहे हैं। जब किसी व्यक्ति में COVID-19 के लक्षण होते हैं, तो वह 'आप्तमित्र' के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकता है, जिसके पश्चात् उन्हें लक्षणों के आधार पर चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा सलाह दी जाएगी। कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई इस सेवा में दो स्तरीय प्रणाली है और जहाँ प्रथम स्तर पर आयुष, नर्सिंग या फार्मा अंतिम वर्ष के छात्र सेवा देंगे वहीं दूसरे स्तर पर MBBS अथवा इंटिग्रेटेड मेडिसीन अथवा आयुष स्वयंसेवक डॉक्टर परामर्श एवं सलाह के लिये उपलब्ध रहेंगे। यह हॉटस्पॉट क्षेत्रों में ऐसे लोगों की पहचान करने में भी लाभदायक साबित होगा जिनमें इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण, COVID-19 के लक्षण या गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण है।

झारखंड में तंबाकु उत्पादों की बिक्री और प्रयोग पर रोक

देश भर में कोरोनावायरस (COVID-19) के प्रकोप के बीच झारखंड राज्य ने पहल करते हुए सिगरेट, बीड़ी, पान-मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा, गुटका और ई-सिगरेट जैसे सभी तंबाकु उत्पादों के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। झारखंड सरकार के अनुसार, लोग इन चीजों का प्रयोग करते हैं और जगह-जगह थुकते हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा और अधिक बढ जाता है, जिसके कारण इन उत्पादों पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों को इस आदेश का पालन करवाने और उल्लंघन होने पर कार्रवाई करने का दिशा-निर्देश दिया गया है। साथ ही सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी परिसरों में इस संदर्भ में सूचना बोर्ड लगवाने के भी निर्देश दिये गए हैं।

हरियाणा में पत्रकारों को बीमा

हाल ही में हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के दौरान रिपोर्टिंग कर रहे सभी पत्रकारों को 10 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सूचना देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकार उन सभी पत्रकारों के कार्य की सराहना करती है जो इस महामारी के दौरान भी अपनी जान जोखिम में डालते हुए इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इसीलिये इस दौरान कार्य रहे सभी मान्यता प्राप्त व संबद्ध पत्रकारों को बीमा कवर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि यदि कोरोना वायरस के कारण उस पत्रकार की मृत्यु हो जाती है तो 10 लाख रुपए की बीमा राशि उसके आश्रितों को प्रदान की जाएगी। हरियाणा पत्रकार संघ (Haryana Patarkar Sangh) ने राज्य सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। हरियाणा पत्रकार संघ के अनुसार, सभी पत्रकारों को 10 लाख रुपए का बीमा कवर देकर न केवल पत्रकार, बल्कि उनके परिवार के लोगों की भी मदद की जा सकेगी। ध्यातव्य है कि हरियाणा में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 280 मामले सामने आ चुके हैं और राज्य में इस वायरस के कारण अब तक 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

'वाइटल' वेंटिलेटर

अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) के इंजीनियरों ने विशेष रूप से COVID-19 रोगियों के उपचार के लिये 'वाइटल' (VITAL) नाम से एक नया हाई प्रेशर वेंटिलेटर बनाया है। यहाँ 'वाइटल' (VITAL) का अर्थ 'वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सिसेबल लोकली' (Ventilator Intervention Technology Accessible Locally) से है। इस वेंटिलेटर की विशेषता यह है कि इसे आसानी से बनाया जा सकता है। यह वेंटिलेटर मामूली लक्षणों वाले रोगियों के उपचार के लिये तैयार किया गया है। वर्तमान में अमेरिका के फूड एंड ड्रंग एडिमिनिस्ट्रेशन (Food and Drug Administration-FDA) द्वारा इस वेंटिलेटर के आपात प्रयोग हेतु इसकी समीक्षा की जा रही है। वाइटल वेंटिलेटर के निर्माताओं के अनुसार, इस वेंटिलेटर से सामान्य लक्षणों वाले मरीज़ों का इलाज किया जाएगा, ताकि अमेरिका में सीमित मात्रा में मौज़द परंपरागत वेंटिलेटरों से कोरोना वायरस के गंभीर मरीजों को सुरक्षा प्रदान की सके। नासा द्वारा विकसित यह वेंटीलेटर परंपरागत वेंटीलेटरों से काफी सस्ता भी है। 'वाइटल' वेंटिलेटर को दक्षिणी कैलिफोर्निया (Southern California) स्थित नासा की जेट प्रपलसन लैबोरेट्री (Jet Propulsion Laboratory) में विकसित किया गया है। ध्यातव्य है कि वैश्विक स्तर पर अमेरिका कोरोना वायरस महामारी के कारण सर्वाधिक प्रभावित हुआ है और अमेरिका में संक्रमित लोगों की संख्या 9 लाख के भी पार जा चुकी है।

विश्व मलेरिया दिवस

प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मलेरिया के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये निरंतर निवेश की आवश्यकता को उजागर करने तथा इस संबंध में राजनीतिक प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने हेतु विश्व मलेरिया दिवस (World Malaria Day) का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2020 के लिये विश्व मलेरिया दिवस की थीम 'जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी' (Zero Malaria Starts With Me) है। विश्व मलेरिया दिवस एक उच्च स्तरीय अभियान है जिसका उद्देश्य राजनीतिक एजेंडे में मलेरिया को उच्च स्थान प्रदान करना, अतिरिक्त संसाधन जुटाना, आम लोगों को मलेरिया की रोकथाम और इसके देखभाल के प्रति जागरूक बनाना है। ध्यातव्य है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation-WHO) द्वारा जारी की जाने वाली 'विश्व मलेरिया रिपोर्ट (World Malaria Report) के अनुसार, वर्ष 2014 से 2018 के मध्य मलेरिया के रोकथाम में कोई भी वैश्विक प्रगति नहीं की जा सकी है। विश्व मलेरिया दिवस की शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की निर्णय निर्माता संस्था विश्व स्वास्थ्य असेंबली (World Health Assembly) के 60वें अधिवेशन में मई, 2007 में की गयी थी। मलेरिया प्लास्मोडियम परजीवियों (Plasmodium Parasites) के कारण होने वाला मच्छर जितत रोग है।

WHO को चीन की अतिरिक्त सहायता

चीन ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization-WHO) को 3 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को 2 करोड़ डॉलर की धन राशि प्रदान की थी। चीन के अनुसार, मौजूदा समय में कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है। विदित हो कि हाल ही में अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) पर कोरोना वायरस के कुप्रबंधन का आरोप लगते हुए उसकी फंडिंग पर रोक लगा दी थी। अमेरिका का मत है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) अपने दायित्त्वों का निर्वाह करने में विफल रहा है और संगठन ने वायरस के बारे में चीन के 'दुष्प्रचार' को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण संभवत: वायरस ने और अधिक गंभीर रूप धारण कर लिया है। चीन द्वारा की गई घोषणा से कोरोना वायरस के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई को और अधिक मजबूती प्रदान की जा सकेगी।